

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय संविधान तथा नागरिक जीवन

जसर श्रदंग, रागरुवाग, दलरुी, आदलर व रुरुु दुररु इनुडरुग वलरुणुड
वशुआरुु कुुु ललरु सुवुडरु

६०७

लुलरुक

ररुकनररररुणु गुडुण णडु ० ० (ररुकनुरुीतल व अरुवंगररु)

रशुवलतल 'नरगरलक शररु वुु सलरुनरुत,' 'आदरुशु नरगरलकनरु,'

'हुडररर नरु वलधरुन,' 'भररुतुीय नरगरलकनरु' इतुवलदल

कलरु तल व ड ह ल

इ लल हल वल द

प्रथम सस्करण, १९५०

द्वितीय सस्करण, १९५१

तृतीय सस्करण, १९५२

चतुर्थ सस्करण, १९५३

प्रकाशक—विज्ञान महल, ५६ ए, बीरो रोड, इलाहाबाद ।

मुद्रक—अदुलत प्रेस, १७ बीरो रोड, इलाहाबाद ।

C—E—E—E

चतुर्थ संस्करण की प्रस्तावना

सन् १९५० में हमारे नवीन संविधान के लागू हो जाने के पश्चात् से, उसमें इतना अधिक विस्तार तथा बढ़े दिशाओं में संशोधन हुआ है, कि जब तक संविधान सम्बन्धी किसी पुस्तक का प्रतिवर्ष नया संस्करण न छपा जाय, उसके सम्बन्ध में विद्यार्थियों को ठीक प्रकार से जानकारी नहीं कराई जा सकती। सौभाग्यवश मेरी प्रस्तुत पुस्तक का नवीन संस्करण प्रायः प्रतिवर्ष ही प्रकाशित होता रहा है। इससे पुस्तक को सामयिक तथा नवीन बातों से पूर्ण रखने में मुझे भारी सहायता मिली है।

ग्राम चुनावों के पश्चात् भारतीय संसद, राष्ट्रीय विधान मंडलों तथा देश के राजनीतिक दलों की शक्ति का पूर्ण रूप से शान कराने के लिए मैंने पुस्तक के तृतीय संस्करण में बहुत से परिवर्तन कर दिये थे। इसके अध्यायों की संख्या भी बढ़ा कर १९ से २३ कर दी गई थी। चतुर्थ संस्करण में और बहुत सी नई सामग्री जोड़ दी गई है। उदाहरणार्थ—

(१) सन् १९५१ की जनगणना के पश्चात्, हमारे देश की संसद तथा राज्य की विधान सभाओं के संगठन में जो परिवर्तन करने निश्चित किये गये हैं, उनका पूर्ण विवरण पुस्तक के ७वें तथा ९वें अध्याय में दे दिया गया है।

(२) फरवरी सन् १९५३ में राजारव कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशित होने से उच्च तथा राष्ट्रीय सरकारों की आप के शासन में जो परिवर्तन हो गये हैं, उनका पूर्ण विवरण ११वें अध्याय में दे दिया गया है।

(३) यूनियिटेडलिटी तथा फार्गोरेशन सम्बन्धी नवीन कानून के पार होने से, उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओं में जो परिवर्तन हुए हैं, उनका पूरा वृत्तान्त पुस्तक के १७वें अध्याय में दे दिया गया है।

(४) अनेक उप निर्वाचनों के कारण, विधान मंडलों के विभिन्न राजनीतिक दलों की शक्ति में जो अन्तर पड़ा है, उसका पूरा वृत्तान्त तथा स्थान दे दिया गया है।

(५) राजनीतिक दलों में जो फेर बदल हुए हैं उसका पूरा विवरण २१वें अध्याय में दे दिया गया है।

इन सबके अतिरिक्त स्थान स्थान पर दिये गये तथ्य तथा आँकड़ों को सामयिक कर दिया गया है। सन् १९५३ में पड़े गये दूरियों को भी प्रत्येक अध्याय के अन्त में जोड़ दिया गया है।

आशा है उल्लेख ऊपर किये गये पुस्तक के प्रस्तुत संस्करण को पढ़ने से ही अधिक उपयोगी पायेंगे।

भारतीय संघ संविधान की विविधता, क्या भारत के लिए एकलमक विधान अस्तित्व
रहता ? ५८ ५८

नागरिकता तथा मूलिक अधिकार—नागरिकता का अर्थ, नये विधान में नागरिकता का अधिकार, नये विधान के अन्तर्गत नागरिकता के मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक सिद्धान्त । ५९ ५९

संघ कार्यपालिका—संघ कार्यपालिका का स्वरूप, अन्तर्गत और भारत के राष्ट्रपति में अन्तर, भारत में मन्त्रिमण्डल का शासन पद्धति चुन जाने के कारण, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति, पद का कार्यकाल, संवेदानक दायरा, सत्तियों का पृथक्, वेतन, अधिकार, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति का अधिकार, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति का अधिकार, उदाहरण, उदाहरण का चुनाव, मन्त्रिमण्डल, नये चुनाव होने तक संसद का मन्त्रिमण्डल का स्वरूप, प्रधान मंत्री, दूसरे मन्त्री, आम चुनावों के पक्ष में नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण । ७२ ६३

संघ संसद—संसदीय संसद, नया संविधान के अन्तर्गत संसद संसद, लोक सभा का संसदन, बालिग मताधिकार, वृद्ध निर्वाचन प्रणाली का अन्त, निर्वाचन क्षेत्र, निष्पक्ष निर्वाचन, लोक सभा की शक्ति, अधिवेशन सदस्यों का योग्यता, सदस्यता में बाधक बातें, स्थान का रितीकरण, सदस्यों के अधिकार, लोक सभा के पदाधिकारी, गणपूर्ति, राज्य परिषद, राज्य परिषद का संसदन, सदस्यता, पदाधिकारी, संसद के अधिकार तथा कार्य, कानून सम्बन्धी अधिकार, राजस्व सम्बन्धी अधिकार । ६४-६५

राज्य कार्यपालिका—राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, नियुक्ति, योग्यता, त्याग पत्र, राज्यपालों के अधिकार, कानून सम्बन्धी अधिकार, शासन सम्बन्धी अधिकार, न्याय सम्बन्धी अधिकार, मन्त्रिमण्डल, मंत्रियों के कार्य, विद्युत् दूर जालियों का सहायता के लिए मन्त्रियों की नियुक्ति, एडवाकेट जनरल, नये चुनाव होने तक या की सरकारों का शासन, रिपब्लिक संसदीय कार्यपालिका का संसदन । ६५ ६७

राज्य विधान मण्डल—राज्य विधान मण्डलों का स्वरूप, द्विदल प्रणाली का प्रश्न, नये विधान के अन्तर्गत चुनाव, विधान लागू होने तक राज्यों के विधान मण्डलों का संसदन, नये संसदन के अन्तर्गत राज्यों के विधान मण्डलों का स्वरूप, विधान सभा का संसदन, विधान परिषद का संसदन, पदाधिकारी, विधान सभा के अधिकार तथा कर्तव्य, एक कमिश्नर द्वारा शासन राज्यों का शासन प्रबन्ध, अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातियों का शासन प्रबन्ध । ६८-६९

राज्य तथा संघ सरकारों के बीच अधिकारों का वितरण—अधिकार वितरण का आधार, भारत में अधिकार विभाजन, अनाधिकार अधिकार, संसदीय, राज्य सभा, समरती सत्ता । ६९-७०

११. राज्यों तथा संघ सरकार के बीच आय के साधनों का वितरण—सङ्घ सरकार के आय के साधन, राज्य सरकारों के आय के साधन, नव संविधान में राज्य की सरकारों को सङ्घ सरकार की ओर से विशेष सहायता, राजस्व कमीशन, श्री देशमुख की सिफारिशें, राज्यों तथा सङ्घ सरकार के बीच आय कर तथा पटसन पर निर्वात कर का विभाजन, रियासतों का संघ सरकार के साथ आर्थिक एकीकरण । १४५-१५३
१२. न्यायालिका का संगठन—उच्चतम न्यायालय, न्यायालय का संगठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता, कार्य श्रवधि, बँडकों का स्थान, न्यायालय के अधिकार, प्रथम चेन्नाधिकार, अमील का चेन्नाधिकार, न्यायालय का मंत्रणा सम्बन्धी अधिकार, हाई-कोर्ट, दूसरे अधीन न्यायालय, फीजदारी, माली तथा दीजानी अदालतें । १५४-१६१
१३. भारतीय रियासतें—स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले रियासतों का स्वरूप, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् रियासतों का स्वरूप, रियासत मन्त्रालय द्वारा देशी रियासतों के एकीकरण के प्रयत्न का परिणाम, रियासतों का इतिहास, विभिन्न भारतीय रियासतों में विभेद, रियासतों का वर्गीकरण, नरेन्द्र मण्डल, रियासतों तथा ब्रिटिश सरकार की कार्यनैम सत्ता, रियासतें तथा उनकी जनता, रियासतों में स्वतन्त्रता आंदोलन, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देशी रियासतों का स्वरूप, रियासतों का एकीकरण, रियासतों के नरेशों के निजी कोष का निधय, भारतीय रियासतों की उच्च कठिन समस्याएँ । १६२-१८२
१४. भारत में सरकारी नौकरियाँ—स्थानी सरकारी नौकरियों की प्रथा का महत्त्व, अंग्रेजों के काल में सरकारी नौकरियाँ, नौकरशाही, इण्डियन सिविल सर्विस का इतिहास, ली कमीशन की नियुक्ति तथा उसकी सिफारिशें, सरकारी नौकरियों का वर्तमान संगठन, सरकारी बर्मेचारियों के अधिकार, राज्य की सरकारों के अधीन सरकारी नौकरियों का संगठन, लोक सेवा आयोगों का संगठन, आयोगों के अधिकार, सैनिक नौकरियों, सेना का संगठन । १८३-१९८
१५. नव संविधान पर एक आलोचनात्मक दृष्टि—संसार का सबसे विस्तृत एवं जटिल विधान, अमरातीय विधान, अगाधीवादी विधान, मौलिक अधिकारों पर कुटाशमत करने वाला विधान, राज्यों की सत्ता व उनके अधिकारों को हरने वाला विधान, फासिस्टवादी विधान, अनमनीय विधान, सङ्कुचित प्रतिनिधित्व के आधार पर बनाया गया विधान, राष्ट्र मण्डल के स्वरूप से प्रभावित हमारा विधान, आलोचनाओं का उत्तर, निष्कर्ष । १९९-२१०
१६. उत्तर प्रदेश का शासन प्रबन्ध—साधारण शासन प्रबन्ध, कमिश्नर, जिलाधीश, द्वितीय क्लर्कर तथा तहसीलदारों के अधिकार, पुलिस का प्रबन्ध, जेल का प्रबन्ध, स्वास्थ्य तथा सफाई का प्रबन्ध, चिकित्सा का प्रबन्ध । २११-२१८

स्थानीय स्वशासन—स्थानीय संस्थाओं का महत्त्व, उनका नागरिक जीवन में स्थान, भारतपूर्व में स्वायत्त शासन संस्थाओं का इतिहास, प्राचीन भारत में स्थानीय संस्थाएँ, जालि पञ्चायतें, मुस्लिम काल में स्वायत्त शासन संस्थाएँ, ब्रिटिश काल में स्थानीय संस्थाओं का विकास, स्थानीय संस्थाओं का वर्गीकरण, उनके कार्य, दूसरे देशों की स्थानीय संस्थाएँ, कर्पोरेशनों का संगठन, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के कॉर्पोरेशन, नगरपालिकाओं का संगठन, उनकी आय के साधन, आय बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव, उनके अधिकार, उनकी शासन व्यवस्था, उनके कार्य में प्रांतीय सरकार का हस्तक्षेप, छारनी बोर्डों का शासन प्रणव, बन्दगाहों का शासन प्रणव, टाउन तथा नोडिपाइड शरिया कमीटी, ग्राम्य संस्थाओं का संगठन, जिला मंडली, जिला मंडलियों के कार्य, उत्तर प्रदेश में जिला मंडलियों का संगठन, उनकी कार्यप्रणति, आय के साधन, आय में वृद्धि के लिए कुछ उपाय, ग्राम पंचायतें, ग्राम पञ्चायतों का संगठन, पञ्चायतों के कार्य, आय के स्रोत, न्याय पञ्चायतें, कार्य प्रणाली, पञ्चायती अदालतों के अधिकार, पञ्चायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में चुनाव, प्रांतीय पञ्चायत विभाग, आदर्श पञ्चायतें, भारत में स्थानीय स्वशासन की असफलता तथा उनके कारण, उन्हें सफलता प्रदान करने के लिए कुछ सुझाव । २१६-२५२

भारत में शिक्षा—प्राचीन भारत में शिक्षा, प्राचीन भारत के गुरु, प्राचीन भारत की शिक्षा धेरियाँ, शिक्षा पद्धति, मुस्लिम काल में शिक्षा, ब्रिटिश काल में शिक्षा, लार्ड मैकाले का लेख, १८८४ का सुड का शिक्षा सम्बन्धी पत्र, १८८२ के एयर कमीशन की नियुक्ति, १९०८ का यूनीवर्सिटी कमीशन, १९१६ के सुधार, अंगरेजी राज से उत्पन्न शिक्षा की कुछ समस्याएँ, व्यावहारिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा का माध्यम, योजना की कमी, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा का स्वरूप, साक्षरता आंदोलन, माध्यमिक शिक्षा, पुनर्जादी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र, यूनीवर्सिटी कमीशन की विवेक, शिक्षा विभाग का संगठन, केन्द्रीय संगठन, प्रांतीय संगठन । २५३-२७८

धर्म तथा धर्म सुधार आन्दोलन—धर्म का वास्तविक स्वरूप, भारत में धर्म का प्रभाव, धर्म के कारण भारत में आर्थिक तथा राजनीतिक अवनति, भारतीय धार्मिक आंदोलन, आंदोलनों के कारण, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के नियम, ब्रह्म समाज के कृत्य, आर्य समाज, आर्य समाज के नियम, आर्य समाज के कृत्य, थिरोसॉफिस्टल सोसाइटी, थिरोसॉफिस्टल सोसाइटी के नियम तथा कृत्य, वेदांतिक समाज, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, वेदांतवादियों के कृत्य, सप्त-स्वामी

अध्याय १

भारतीय विधान का ऐतिहासिक विकास

ईस्ट इन्डिया कम्पनी की स्थापना

भारतवर्ष में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का इतिहास ही इस देश में वैज्ञानिक स्थापनों का विकास है। ब्रिटेन निरासी हमारे देश की अतुल्य धन-सम्पत्ति की खोजों से आकर्षित होकर १६०० ईस्वी के पहले ही भारत में आ चुके थे। वह यहाँ के नागरिकों से व्यापारिक नाता जोड़ना चाहते थे। शताब्दियों से भारतवर्ष की अति कीमती तथा सुंदर वस्तुओं जैसे दरेण, महौन कपड़े, रत्न जवाहिरात, कसीदे और जर्दोजी के कान, उनी और रेश्मी घाज, घातु के बर्तन, हाथी दाँत की बनी हुई वस्तुएँ, इत्र, कुलेन, रंगों की सामग्री तथा इसी प्रकार की न जाने कितनी चीजों ने लन्दन, पेरिस, रोम तथा योरोपियन देशों की दूरची राजधानियों में तहलका मचाया हुआ था। योरोप की विभिन्न जातियों इन भारतीय वस्तुओं का लेन देन करने और मुगल सम्राटों से व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए अत्यन्त इच्छुक थीं। वह एक दूसरे के विरुद्ध प्रारम्भ में लड़ती थीं और भारतीय राजाओं से प्रार्थना करती थीं कि उन्हीं को उनके देश से व्यापार करने की सुविधाएँ प्रदान की जायँ। इसी उद्देश्य की सामने रखते हुए सन् १६०० ई० में महारानी एलिजाबेथ के काल में एक रॉयल चार्टर के अधीन ईस्ट इन्डिया कम्पनी का जन्म हुआ। कम्पनी के सञ्चालन के लिए २ गवर्नर तथा २४ सञ्चालकों का चुनाव कम्पनी के हिस्सेदारों द्वारा इंग्लैंड में ही किया जाता था। इस कम्पनी को पार्लियामेंट द्वारा पूर्व में व्यापार करने की आज्ञा दे दी गई। इसके बदले में कम्पनी को अपने लाभ का एक भाग सरकार को देना पड़ता था।

कम्पनी की शक्ति में वृद्धि

प्रारम्भ में तो कम्पनी के प्रयत्न केवल व्यापार को बढ़ाने में ही लगे, उस समय उसे कोई राजनीतिक लालसा न थी। उसका उद्देश्य केवल व्यापार को बढ़ाना और भारत में फैक्ट्रियों और डीरो स्थापित करना ही था। उसने पहली फैक्ट्री गुजरात में सन् १६०० में, दूसरी मछलीगट्टम में सन् १६१६ में, और तीसरी और चौथी, मद्रास और कलकत्ते में क्रमशः सन् १६६० और १६६० में स्थापित कीं। प्रारम्भ में कंपनी की कच्चा, पुतंगानी तथा फ्राँसीसी कर्मानियों का बड़ा कामना करना पड़ा। पान्तु इन्होंने उन सब को परास्त कर दिया और अन्त में कर्नाटक के मुद्र के उत्सवरूप फ्राँसीसी कम्पनी का भी अन्त हो गया।

कम्पनी ने अब तक राजनीतिक मामलों में केवल तटस्थ नीति का ही पालन किया था। उसने सन् १७०७ तक, जब भारत में सम्राट औरंगजेब के शासन का अन्त हुआ, भारतीय राजनीति में कोई भाग नहीं लिया था। परन्तु इस महान् सम्राट की मृत्यु के साथ ही साथ मुगल साम्राज्य पर मानों काठ टट पड़ा। उसके अनेक टुकड़े हो गये और मुगल सत्ता का वह महान् मजबूत विषका निर्माण करने के लिए ४०० वर्षों का निरन्तर प्रयत्न करना पड़ा था, तब के पत्तों की भाँति गिरने लगा। भीतरी कन्ह और बाहरी आक्रमणों ने उसकी जड़ें हिला दीं। प्रचीन नवानों और सरदारों ने इस राजनीतिक हलचल से लाभ उठा कर अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी और इस प्रकार सम्राट के प्रति राजभक्ति से उन्हें मोड़ लिया। दक्षिण में मराठों ने अपनी सेना को बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया और अनेक हिन्दू राजाओं ने अपनी खोई हुई स्वतंत्रता फिर से प्राप्त कर ली। विरोधी दलों में मुठभेड़ होने लगी और देश में सून की नदियाँ बहने लगीं। ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने इस समय तक भारत के लोगों को ही अपने अधीन नौकर रख कर तथा उन्हें सैनिक शिक्षा प्रदान कर के एक बड़ी मुसगठित तथा सशस्त्र सेना का, अपनी फौजारियों तथा दूसरी सम्पत्ति की रक्षा के लिए, निर्माण कर लिया था। भारतीय राजनीति के विरोधी दलों ने इस विदेशी सेना के पास सहायता के लिए पहुँचना प्रारम्भ कर दिया। इसके बदले में उन्होंने कम्पनी की सेना में अपनी, अधिकार और बहुत-सी व्यापारिक सुविधाएँ देने का वचन दिया। कम्पनी ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया और इस प्रकार वह साम्राज्य स्थापना के मजुर स्वयं देखने लगी। उसने कभी एक राजा को सहायता दी तो कभी दूसरे को। वह सदा उस ओर का ही पक्ष लेती थी जिधर उसे जीत की आशा होती और इस प्रकार उसे धीरे-धीरे विभिन्न राजाओं द्वारा अनेक गाँव तथा नगरों का अधिकार मिल गया। इस योजना के अधीन उसका अधिकार-क्षेत्र इतना बढ़ा कि सन् १७५६ की प्लासी की लड़ाई के पश्चात् वह पूरे बंगाल की ही स्वामिनी बन गई। सन् १७६५ ई० में इलाहाबाद की संधि के फलस्वरूप उसे दीवानी का हक भी मिल गया। वीनेजनी की सहायता-संधि की नीति से उसका अधिकार क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत हो गया। लार्ड हेस्टिंग्स ने इस काम को और आगे बढ़ाया और लार्ड डलहौजी ने तो इसे अन्तिम सीमा तक पहुँचा दिया। १८५७ ई० के भारतीय विद्रोह ने मुगल सम्राट की सत्ता को सदा के लिए भारत से लुप्त कर दिया और उसके स्थान पर ईस्ट इन्डिया कंपनी भारत की मान्य निन्दा बन गई। कंपनी के व्यापारी अब हमारे देश के शासक बन गये। पर प्रविष्टि सरकार ने इसके पश्चात् कंपनी के हाथों में भारतीय शासन की चागडोर सीपना थोक न बनाने और उसने स्वयं कंपनी के नौकरों को निन्दा कर अपने हाथों में ही हमारे देश का शासन संभाल लिया।

पार्लियामेंट का कम्पनी के कार्य में हस्तक्षेप

जिस समय धीरे-धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व भारतीय शासन पर निरन्तर बढ़ता जा रहा था तो आरम्भ में, बहुत काल तक ब्रिटिश सरकार ने उसके काम में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित न समझा। कंपनी का संचालक बोर्ड भारत का शासन प्रबन्ध करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतन्त्र था। वह जैसे भी चाहता, शासन का कार्य चलाता था; परन्तु जिस समय कंपनी का अधिकार-क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया और कंपनी के व्यापारियों ने शासन के कार्य को भी एक व्यापार का ही रूप दे दिया, तब यहाँ की जनता का शोषण किया, दिन दहाड़े लोगों को लूट, उनके दिल तोलकर रिसत ली, तब अपने राजानों का भय, सरकारी नौकरी से साथ साथ स्वतन्त्र व्यापार किया, व्यापारियों से चीजें लीं; परन्तु उनको उनका मूल्य नहीं दिया, धारी गरी से अच्छी-अच्छी चीजें बनवाई, परन्तु उन्हें बेतन नहीं दिया, और इस पुलन, दमन तथा निर्लज्ज व्यसहार की कहानियाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों तक पहुँचीं तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के काम में हस्तक्षेप करने की टानी। एक ओर तो कंपनी के नौकर बेईमानी, लूट, रिसत तथा व्यापार से अपने घर का हाजाना भर रहे थे और इंग्लैंड लौट कर बड़े बड़े आनीमान महल तथा सम्पत्ति लीं कर अपने प्रतिद्वन्द्वियों से हृदय में जलन तथा ईर्ष्या की ज्वाला को मझका रहे थे, दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वयं का दिवाला निकला जा रहा था और सन् १७७० में यह पार्लियामेंट से कह रही थी कि उसकी गिरती हुई आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए उसे कर्ज दिया जाय। पार्लियामेंट ने यह सारे वृत्तांत सुन कर कंपनी की हानत का सही पता लगाने के लिए एक गुप्त कमेटी की नियुक्ति की। इस कमेटी ने बतनाया कि कंपनी के नौकरों के हाथ किस प्रकार पुलन, बेईमानी, रिसत तथा लूट के रंग में रंगे थे और किस प्रकार उच्च उच्च में ऑगरेज खावक तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट का नाम बदनाम हो रहा था। इस वृत्तांत को सुन कर तथा ब्रिटेन की जनता के स्वयं कंपनी के विरुद्ध आन्दोलन से प्रभावित होकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन् १७७४ में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबन्ध को सुधारने के लिए "रेग्यूलेटिंग ऐक्ट" (Regulating Act) पास करने का निश्चय किया।

१. १७७४ का रेग्यूलेटिंग ऐक्ट

भारत के वैधानिक इतिहास में इस ऐक्ट का पास करना एक बड़े महत्त्व की बात थी, क्योंकि यह प्रथम अवसर था जब ब्रिटेन की सरकार ने भारत की सरकार की सहायता की। भारतीय शासन में पार्लियामेंट के र्क्षेप हस्तक्षेप का यह पहला ही उदाहरण था।

इस ऐक्ट के द्वारा भारतीयों में एक दोहरी सरकार की स्थापना की गई। भारतीय

तथा आर्थिक क्षेत्र में कंपनी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को ही सारा काम सौंपा गया; परन्तु शासन की बागडोर बङ्गाल के गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा जुने हुए चार ऐक्जीक्यूटिव कौंसिलों के हाथ में दे दी गई। अब तक बम्बई और मद्रास के प्रांत वहाँ के गवर्नरों तथा उनकी काउंसिल द्वारा शासित होते थे। इस ऐक्ट के पास होने के पश्चात् यह बङ्गाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिये गये। इन गवर्नरों से गवर्नर-जनरल के पूछे बिना किसी राज्य के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा करने अथवा किसी राज्य से संधि आदि करने का अधिकार भी ले लिया गया। इस ऐक्ट के द्वारा एक प्रधान न्यायालय स्थापित करने का आयोजन भी किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, और चार सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इस न्यायालय का अधिवेशन कलकत्ते के फोर्ट विलियम किले में होता था। ऐक्ट के अधीन प्रथम गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया।

रैग्युलेटिंग ऐक्ट के दोष—रैग्युलेटिंग ऐक्ट की धाराएँ सन्तोषजनक सिद्ध नहीं हुईं। कारण, इसके अधीन एक दोहरी सरकार की स्थापना की गई थी और गवर्नर-जनरल तथा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के अलग अलग अधिकारों का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया था। इस प्रकार इन दोनों अधिकारियों में कर्षण रहने लगा। मुख्य न्यायालय के अधिकारों की सीमा भी ठीक-ठीक नहीं बतलायी गई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा गवर्नर-जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार भी अर्थात् समझा गया। इन दोषों को दूर करने के लिए पार्लियामेंट ने एक और ऐक्ट पास किया जिसे 'पिट्स इंडिया ऐक्ट' कहते हैं।

२. १७८४ का पिट का इंडिया ऐक्ट

इस ऐक्ट के द्वारा गवर्नर-जनरल की नियुक्ति का अधिकार पार्लियामेंट के हाथों से लेकर एक बार फिर, पहले की भाँति बोर्ड के सचिवों के हाथ में ही सौंप दिया गया। लंदन में एक 'बोर्ड आफ कंट्रोल' की नियुक्ति की गई जिसके तीन सदस्य थे। इस बोर्ड का समारंभ आगे चलकर 'भारत मन्त्री' कहलाया। इस ऐक्ट के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी के सब कार्य बोर्ड के निरीक्षण में होने लगे। बोर्ड आफ कंट्रोल की एक विशेष गुण कमेटी बनायी गई जो भारत से सम्बन्ध रखने वाले सब कार्यों की देख-भाल करती थी। कंपनी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को आज्ञा दी गई कि वे अपने कार्य-क्रम का न्याय इस गुण कमेटी के द्वारा भेजा करें। इसी ऐक्ट के अधीन गवर्नर-जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या ४ से घटा कर ३ कर दी गयी।

शासन की यह प्रणाली पहले से अधिक सफल हुई और छोटे-मोटे परिवर्तनों को छोड़कर १९वीं शताब्दी के आरम्भ तक भारत का शासन इसी प्रकार चलता रहा। सन् १७८५ ई० में चर्च लार्ड कर्नवालिस भारत में गवर्नर-जनरल होकर आये तो उन्होंने

ब्रिटिश सरकार से अगनी काउंसिल के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति अपने हाथ में माँगी। यह शक्ति उन्हें दे दी गयी।

३. १७६३ का चार्टर ऐक्ट

इस ऐक्ट के अधीन भारत में कम्पनी के कार्यकाल की अवधि और बढ़ा दी गई। साथ ही भारत में प्रथम बार इंडियन सिविल सर्विस का आयोजन किया गया।

४. १८१३ का चार्टर ऐक्ट

सन् १६०० ई० में इंडिया कम्पनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने का जो एकाधिकार दिया गया था उस पर अब ब्रिटिश पत्रों में कड़ी आलोचना होने लगी। जनता ने कहा कि स्वतन्त्र व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकारिक (Monopolistic) व्यापार का अधिकार दिया जाना उचित नहीं। सन् १८१३ के चार्टर ऐक्ट ने इसलिए कम्पनी से चाय को छोड़कर और सब चीजों में व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया। इसी ऐक्ट के अधीन, कम्पनी को प्रथम बार अधिकार दिया गया कि वह भारतीयों की शिक्षा पर एक लाख रुपये व्यय कर सके।

५. १८३३ का चार्टर ऐक्ट

इस ऐक्ट ने कम्पनी के व्यापारिक कार्यों की इतिश्री कर दी और उसे केवल एक राजनीतिक संस्था का स्वरूप प्रदान कर दिया। इस ऐक्ट के अधीन बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर-जनरल बना दिया गया और सन् १८५४ में बंगाल प्रांत के लिए एक अलग गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई। गवर्नर-जनरल का कार्य अब सब प्रान्तों के शासन की देख-भाल करना रह गया। उसे अपने काउंसिल के साथ सारे प्रान्तों की सरकार के लिए कानून बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। बम्बई और मद्रास प्रान्तों के गवर्नरों की कौंसिल के हाथ से अपने प्रान्त के शासन के लिए भी कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। इसके अतिरिक्त एक और सदस्य (लॉ मीबर) गवर्नर-जनरल की कौंसिल में बढ़ा दिया गया। आरम्भ में इस नये सदस्य को कौंसिल के निर्णयों में, दूसरे सदस्यों की सति, राय देने का अधिकार नहीं दिया गया। वह केवल कानून सम्बन्धी मामलों में ही राय दे सकता था। भारत की कौंसिल का प्रथम कानूनी सदस्य लार्ड मैकाले को बनाया गया। उसी की प्रधानता प्रथम बार सारे भारत के लिए एक-से कानून बनाने के लिए एक लॉ कमीशन की नियुक्ति की गई।

६. सन् १८५३ का चार्टर ऐक्ट

कम्पनी का चार्टर अब सन् १८५३ में फिर एक बार पार्लियामेंट के सम्मूल सत्रों के लिए आया तो ब्रिटिश सरकार ने उसे दस वर्ष के लिए स्वीकार नहीं किया बल्कि यह कहा कि उसका कार्यकाल केवल उस समय तक रहेगा जब तक पार्लियामेंट उसके विरुद्ध कानून न बनाये। इस ऐक्ट के अधीन और भी बहुत से परिवर्तन किये गये,

उदाहरणार्थ; कम्पनी के सचालकों के हाथ से उच्च सरकारी कर्मचारियों की निष्पत्ति का अधिकार छीन लिया गया। 'इंडियन सिविल सर्विस' की मर्ती प्रतियोगिता के आगार पर कर दी गई। गवर्नर-जनरल की ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल के शासन तथा कानून सम्बन्धी कामों में भेद कर दिया गया। अब तक यह दोनों काम एक ही समा द्वारा किये जाते थे। नये ऐक्ट के अधीन कानून बनाने का कार्य करने के लिए गवर्नर-जनरल की ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल में ६ और सदस्य जोड़ दिये गये, साथ ही लॉ मेम्बर को ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल का, दूसरे सदस्यों की भाँति, साधारण सदस्य भी घोषित कर दिया गया।

सन् १८५७ में भारत की स्वाधीनता का प्रथम सुद्र प्रारम्भ हुआ। भारतीय जनता के इस विद्रोह की सारी जिम्मेदारी कम्पनी के दूषित प्रवृत्त पर लगाई गईं। इस विद्रोह ने कम्पनी के भाग्य पर सदा के लिए ताना डाल दिया। भारतीय जनता ही नहीं, अंग्रेजी जनता ने भी इस विद्रोह के पश्चात् कम्पनी को उठा लेने के लिए भारी आंदोलन किया और पार्लियामेंट को जनता की पुकार के सामने झुकना पड़ा। अतः सन् १८५८ में सम्पूर्ण भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया।

७. १८५८ का ऐक्ट

इस ऐक्ट द्वारा भारतवर्ष की सरकार का सारा शासन-प्रबन्ध सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंप दिया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मंत्री 'सेक्रेटरी आफ स्टेट' को वह सभी अधिकार सौंप दिये गये जो अब तक बोर्ड आफ कंट्रोल के हाथ में थे। सेक्रेटरी आफ स्टेट की सहायता के लिए एक १५ सदस्यों की कौंसिल बना दी गई जिसमें कम से कम ६ सदस्य ऐसे होते थे जो दस वर्ष तक भारत में रह चुके हों अपना नौकरी कर चुके हों। इन सदस्यों को पार्लियामेंट में बैठने अपना राय देने का अधिकार नहीं दिया गया। 'भारत मंत्री' अगनी कौंसिल का सभापति होता था। कौंसिल की राय को मानना उसके लिए अनिवार्य न था। वह केवल उन्हीं मामलों में अगनी कौंसिल की राय पर चलता था जिसमें भारतीय खजाने से रकमा खर्च करने का प्रश्न हो या इंडियन सिविल सर्विस सम्बन्धित कोई विषय हो। बाकी सभी मामलों में कौंसिल की राय उसके लिए बाध्य नहीं थी। इस प्रकार १८५८ के ऐक्ट ने भारत के शासन में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया।

८. महारानी विक्टोरिया की घोषणा

इस ऐक्ट के पास होने के पश्चात् महारानी विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा की गई, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीति के आवश्यक सिद्धान्तों को खोल कर समझाया गया और भारत की जनता और राजाओं को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया गया।

इस घोषणा में कहा गया कि "ईश्वर के आशीर्वाद से जब देश में आन्तरिक शांति

स्थानित हो जायगी तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि भारत की सर्वोच्चतम उन्नति के लिए फिर से प्रयत्न किया जाय। जनता के हित के लिए सार्वजनिक सुविधाएँ प्रदान की जायँ। सरकार का प्रयत्न यारी जनता के हित की भावना से किया जायँ। जनता का हित ही हमारा हित हो, उसकी सन्तुष्टि में ही हम अपनी सुरक्षा और उसकी कृपणता में ही हम अपना गौरव अगुमन करें। हमारी यह भी इच्छा है कि जहाँ तक हो हमारी यारी प्रजा चाहे वह किसी भी पक्ष अथवा धर्म से सम्बन्ध रखती हो, बिना किसी भेद-भाव के हर प्रकार की सरकारी नौकरों अपनी शिदा तथा योग्यता के अनुसार प्राप्त कर सके। हमारे यारे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी आशा है कि वह हमारी प्रजा के धार्मिक विचारों अथवा विश्वास में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। हमारी यह इच्छा नहीं है कि हम अपने साम्राज्य की और अधिक सीमा बढ़ायें। हम देशी राजाओं की मान मर्यादा का उतना ही आदर करेंगे जितना अपना।”

महारानी की यह घोषणा एक बहुत बड़ा महत्त्व रखती थी। इसमें केवल एक ही दोष था और वह यह कि भारतवासियों को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की घोषणा नहीं की गई और न उन्हें देश के शासन में कोई उत्तरदायी भाग ही दिया गया। भारतीय जनता में शनैः-शनैः राजनीतिक जागृति पैल रही थी। वह साधारण मन बहलाव की सुविधाओं से सन्तुष्ट नहीं हो सकती थी। वह चाहती थी कि उसे कुछ ठोस राजनीतिक अधिकार प्रदान किये जायँ। इसीलिये जब १८६१ में प्रथम कौंसिल ऐक्ट बना जिसका अर्थन आगे किया जायगा और उसमें केवल मुन्नी भर भारतवासियों को कौंसिल में बैठकर प्रश्न आदि पूछने की सुविधा प्रदान की गई, तो इससे जनता को किसी प्रकार का सन्तोष नहीं हुआ। अनेक कारणों से भारतीय जनता में निश्चिन्ता के विरुद्ध लहर दौड़ रही थी। इन कारणों में भारतीय एकता की स्थापना, परिचामी शिदा प्रणाली, यूरोप के देशों के इतिहास का धन, स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र के नये आदर्शों का मान, तथा सन् १८५५ में इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना मुख्य थी।

६. १८६१ का इण्डियन पौंसिल ऐक्ट

भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास में १८६१ का वर्ष बड़े महत्त्व का है। इस वर्ष में ही भारतवासियों को प्रथम कौंसिल के कार्यक्रम में भाग लेने की आशा दी गई। १८६१ के ऐक्ट का उद्देश्य १८५६ के चार्टर ऐक्ट के दोषों को दूर करना था, जिसके द्वारा भारतीय विधान सभाओं को तोड़कर केन्द्र में मिला दिया गया था।

इस ऐक्ट के द्वारा १८६१ में बम्बई और मद्रास में, १८६२ में बंगाल में, और १८६६ और १८६७ में कन्नडा, परिचमोत्तर प्रान्त और पञ्जाब के लिए स्थानीय विधान सभाएँ बना दी गईं। इन विधान सभाओं में चार से आठ तक सदस्य थे जिनमें कम से कम आधे गैरसरकारी भारतीय होते थे, जिनकी नियुक्ति गवर्नर महोदय द्वारा की

जाती थी। स्थानीय विधान सभाओं को ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं था जिन पर सारे भारतवर्ष के लिए एक-सी ही व्यवस्था की आवश्यकता थी जैसे कर लगाना, सिक्का चलाना, दण्ड विधान बनाना आदि। प्रान्तीय सभा में कोई भी बिल प्रस्तुत करने के लिए गवर्नर-जनरल की 'पूर्व' आज्ञा आवश्यक थी। इसके परवाना बिना पास हो जाने के परन्तु भी वह उस समय तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता था जब तक गवर्नर-जनरल उस पर हस्ताक्षर न कर दे। इस प्रकार १८६१ के ऐक्ट के अनुसार स्थानीय विधान सभाओं को कोई विशेष अधिकार नहीं दिये गये, उन्हें केवल शासन के कार्य का अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया।

इसी ऐक्ट के अधीन केन्द्र में एक पॉवरिंग अर्थ सदस्य गवर्नर-जनरल की ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल में बढ़ा दिया गया। व्यवस्थापिका सभा में भी कुछ और सदस्य बढ़ाये गये। ऐक्ट में कहा गया कि जिस समय गवर्नर-जनरल की ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल कानून बनाये तो उसमें कम से कम ६ और अधिक से अधिक १२ और सदस्य जोड़े जायें। इन सदस्यों में कम से कम आधे ऐसे होने चाहिये जो गैर-सरकारी सदस्य हों। गैर-सरकारी सदस्यों में कुछ सदस्यों का भारतीय होना भी आवश्यक कर दिया गया। ऐसे सभी सदस्यों को जो गवर्नर-जनरल की ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल में कानून बनाने के कार्य में सहायता देते थे, दो वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था। सभी कानूनों के लिए गवर्नर-जनरल की स्वीकृति आवश्यक रक्खी गई। भारत मन्त्री को भी अधिकार दिया गया कि वह यदि चाहें तो गवर्नर-जनरल द्वारा स्वीकृत कानूनों को रद्द कर सकते हैं।

आलोचना—इस ऐक्ट की धाराओं को ध्यान से समझने पर प्रतीत होता है कि भारतवासियों के हाथ में कोई महत्त्वपूर्ण अधिकार नहीं दिये गये। व्यवस्थापिका सभा कोई अलग सस्था नहीं बनाई गई, गवर्नर-जनरल की ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल में ही कुछ जोड़े से मनोनीत सदस्यों को जोड़कर, जिनमें अधिकतर अन्धकारिये, यह सस्था बना दी गई। इस सभा में एक भी निर्वाचित भारतवासी न था और इसलिए वह सरकार की समझौते कार्यवाही पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगा सकती थी।

१८६१ के सुधारों ने भारतीयों के किसी भी वर्ग को सन्तुष्ट नहीं किया। अतः दस वर्ष परन्तु समस्त भारतीय जनता द्वारा अंग्रेजों के हाथों से अधिकार प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित आन्दोलन किया गया। इस आन्दोलन में बहुत सी हिन्दुस्थानी सस्थाओं, जैसे ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन, बंगाल नेशनल लीग, बम्बई प्रेसीडेंसी एसोसियेशन आदि ने भाग लिया। सन् १८८५ में 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' की स्थापना भी कर दी गई। इन अलग-अलग सस्थाओं के आन्दोलन के फलस्वरूप सन् १८८२ में एक नया ऐक्ट पास किया गया जिसका नाम लॉर्ड क्रॉस का इण्डियन कौंसिल ऐक्ट आर १८८२ (Lord Cross's Indian Council Act of 1892) था।

१०. १८६२ का इन्डियन कॉमिल ऐक्ट

इस ऐक्ट के द्वारा इंग्लिश लीजिस्लेटिव कॉमिल की सदस्यता और बढ़ा दी गई। एन् १८६१ के ऐक्ट के मातहत इस कॉमिल में नामजद प्रतिनिधियों की अधिक से अधिक संख्या १२ थी। यह संख्या अब बढ़ाकर १६ कर दी गई। स्थानीय विधान समारोहों के सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई। बम्बई और मद्रास प्रांतों में सदस्यों की संख्या २०, संयुक्त प्रांत में १५ और पञ्जाब और बर्मा में ६ कर दी गई। इस ऐक्ट ने गैरसरकारी सदस्यों के सरकार की आलोचना करने के अधिकारों में बढ़ोत्तरी कर दी। उन्हें कॉमिल में प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। वार्षिक बजट भी कॉमिल के सामने रक्ता जाने लगा। परन्तु, गैरसरकारी सदस्य उस पर केवल अपनी सम्मति ही प्रकट कर सकते थे, उसमें न किसी प्रकार की घटत बढ़त ही कर सकते थे और न वोट ही दे सकते थे। 'काम रोको प्रस्ताव' प्रस्तुत करने का अधिकार भी सदस्यों को नहीं दिया गया। चुनाव की प्रणाली इस ऐक्ट के अधीन भी स्वीकार नहीं की गई। केन्द्रीय और प्रांतीय विधान समारोह—दोनों में ही, सदस्यों को विभिन्न संघातों जैसे बैंकर्स आरु कामर्स, फारोरेशन, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, बनीदारी समा, इत्यादि की सिफारिश पर नामजद किया जाता था। यह सिफारिशें भी गवर्नर-जनरल मानने के लिए बाध्य नहीं था। यह उनके विरुद्ध भी सदस्यों को नामजद कर सकता था।

आलोचना—संवैधानिक समारोहों के ये मनोनीत सदस्य जिनके हाथ में किसी भी प्रकार के वास्तविक अधिकार नहीं थे, भारत की जनता के किसी भी भाग को संतुष्ट नहीं कर सके। अतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय जनता में असन्तोष बढ़ने लगा। इस समय तक कांग्रेस भी पूरी शक्ति के साथ काम करने लगी थी। लार्ड कारजन द्वारा किये गये बंगाल विभाजन ने असन्तोष की आग को और भी भड़का दिया। ब्रिटिश सरकार ने इस असन्तोष को गोली, बन्दूक और बर्बरतापूर्ण व्यवहार से दबाना चाहा; परन्तु इसका फल विपरीत ही हुआ। स्थान स्थान पर आतंककारी घण्टाएँ घटने लगीं। बम और निस्तौल की संस्थाओं ने जन्म लिया। जब स्थिति सैन्य में न आधी तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि भारतवर्ष के उदार दलों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें थोड़े से मुधार दे दिये जायें। इसी समय भारतवर्ष के सीमाग्य से एन् १६०५ के अन्त में इंग्लैण्ड की सरकार में एक परिवर्तन हुआ जिसमें टेरियों के स्थान पर उदार-दलीय (Liberal) सरकार की स्थापना हो गई। इस सरकार में लार्ड मोर्ले भारत मंत्री बने। वायसराय भी बदल दिये गये, उनके स्थान पर लार्ड मिंटो को गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया। यह एक वयोवृद्ध, उदार हृदय राजनीतिज्ञ थे। उनके शासन में एक कमेटी बैठाई गई जिसको भारतीय शासन में मुधार पेश करने का काम

सौना गया। इस कमेटी की सिफारिशों पर भारत में मिनटो-मोर्ले सुधारों (Minto-Morley Reforms) की घोषणा की गई।

११. १९०६ का इंडियन कॉन्सिल ऐक्ट

इस ऐक्ट ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान सभाओं का पुनर्संरचना किया और उनमें गैरसरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। इम्पीरियल कॉन्सिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ६० कर दी गई जिसमें ३३ मनोनीत और २७ निर्वाचित रहते थे। मनोनीत सदस्यों में २८ सरकारी और ५ गैरसरकारी थे। निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष (Indirect) रखी गई। बम्बई, बंगाल तथा मद्रास के चड़े प्रांतों की विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या ५० और शेष सत्र की ३० नियत कर दी गई। केंद्रीय विधान सभा की भाँति प्रांतों की विधान सभाओं में सरकारी सदस्यों का बहुमत नहीं रखा गया। गवर्नर-जनरल की ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल तथा बंगाल, मद्रास, और बम्बई की गवर्नर की कौंसिल में एक भारतवासी को नियुक्त करने की अनुमति दे दी गई। गवर्नर-जनरल की कार्यकारी समिति के सबसे पहले भारतीय सदस्य, लार्ड सिन्हा नियुक्त किये गये। दो भारतवासियों को भारत मंत्री की कौंसिल का भी सदस्य नियुक्त किया गया।

इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल के अधिकारों की सीमा बढ़ा दी गई। उसे बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। सदस्यों को पूरक प्रश्न करने की भी अनुमति प्रदान कर दी गई। जनता के हित की बातों पर पूरे विचार विमर्श की भी आज्ञा दे दी गई।

आलोचना—परन्तु सूदन दृष्टि से देखा जाय तो इस ऐक्ट के द्वारा भी कोई वास्तविक शक्ति भारतवासियों के हाथ में नहीं दी गई। गवर्नर-जनरल की ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल का विधान सभा पर अब भी पहले जैसा ही नियन्त्रण था। इसके अतिरिक्त इस ऐक्ट द्वारा भारत में साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की वह दूषित प्रथा लागू कर दी गई जिसके कारण भारत के दो टुकड़े हुए और सारे देश का सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

१२. महायुद्ध और मीन्टेन्सू की घोषणा

सन् १९१४ में प्रथम महायुद्ध छिड़ गया। इस समय ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि वह प्रजातंत्र, न्याय, आत्मनिर्धारण के सिद्धान्त तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए युद्ध कर रही है। इस समय भारतवासियों ने कहा, “इस महायुद्ध में हम भी अपना बहुमूल्य रक्त बहा रहे हैं, हमारे देश में भी वही सिद्धान्त लागू किये जायें जिनके लिए युद्ध लड़ा जा रहा है, अर्थात् हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो।” भारतवासियों की इस माँग को ध्यान में रखकर और साथ ही भारतीय जनता के उस बलिदान को देखते

हुए जो इसने महायुद्ध में किया था, तत्कालीन भारत मंत्री ने २० अगस्त, १९१७ को हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश सरकार की ओर से एक बयान दिया जिसमें उन्होंने भारत के प्रति ब्रिटेन की शासन की नीति को स्पष्ट करके बतलाया। यह घोषणा इस प्रकार थी :—

‘ ब्रिटिश सरकार की नीति जिससे भारत सरकार पूर्ण रूप से सहमत है, यह है कि भारतवासीयों को शासन के हर एक विभाग में उचितोत्तर बढ़ता हुआ भाग दिया जाय, और ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाय जो स्वायत्त शासन के कार्यों में लगी हुई हैं, जिससे भारत में शनैः शनैः एक उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की नींव रखी जा सके और यह ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रहकर स्वतंत्र रूप से काम कर सके।’

इस घोषणा को देखने से प्रतीत होगा कि यद्यपि यह घोषणा ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण में एक भारी परिणाम की परिचायक थी; परन्तु फिर भी इससे भारत के शासन में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा। कारण, इस घोषणा में केवल ब्रिटिश सरकार का भारत के प्रति क्या ध्येय है यह बतलाया गया था, और इस ध्येय की पूर्ति में कितना समय लगेगा, यह कुछ नहीं कहा गया। इस घोषणा के फलस्वरूप भारतीय विधान में कुछ सुधारों की घोषणा तो अनरूप की गई; परन्तु वह सुधार जनता की दृष्टि में पूर्ण रूप से अनर्थात थे।

सन् १९१७ के शीतकाल में मीन्टेग्यू भारत में आये और उन्होंने लार्ड चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर समस्त भारत का भ्रमण किया। उनसे बहुत से शिष्टमंडलों ने भेंट की और उन्हें बहुत से मानवत्र दिये गये। सन् १९१८ ई० में उन्होंने मिलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक रिपोर्ट पेश की जिसका नाम “मीन्टे पॉइंट रिपोर्ट” पड़ा, और इसी के आधार पर सन् १९१९ का गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट पास किया गया।

१३. सन् १९१९ का गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट

इस ऐक्ट द्वारा केन्द्रीय सरकार की शक्ति बिलकुल पदल दी गई, और प्रान्तों में द्वैय शासन प्रणाली (Dyarchy) का आरम्भ किया गया। इस कानून के मुख्य अर्थों का सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है :—

(१) गृह सरकार (Home Government)—लन्दन स्थित भारत मंत्री (Secretary of State for India) का वेतन अभी तक भारत के केंद्र से दिया जाता था, परन्तु इस ऐक्ट के द्वारा यह भार अब इंग्लैंड के केंद्र पर डाल दिया गया। उसी परिषद् (Council) के सदस्यों की संख्या ८ से लेकर १२ तक कर दी गई। भारत सरकार पर उसके शासनाधिकार बँधे ही रहे, परन्तु उसे अपने अधिकार केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के हवाले करने की शक्ति दे दी गई।

(२) भारत के हाई कमिश्नर का एक नया कार्यालय लंदन में खोल दिया गया और उसका वेतन तथा व्यय भारत सरकार पर डाला गया ।

(३) केन्द्रीय शासन—केन्द्र में एक सदन वाली इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका सना बना दी गई । उच्च सदन का नाम राज्य परिषद् (Council of State) और निम्न सदन का नाम विधान सभा (Legislative Assembly) रखा गया । परिषद् के ६० और विधान सभा के १४५ सदस्य नियत किये गये । इन सभाओं के अधिकार भी बढ़ा दिये गये । उन्हें कानून बनाने, प्रश्न करने तथा प्रस्ताव पास करने की शक्ति दे दी गई । कुछ प्रतिबंधों के अधीन उन्हें बजट के कुछ अंशों पर भी मत देने का अधिकार दे दिया गया, यद्यपि राजस्व सम्बन्धी अन्तिम शक्ति गवर्नर जनरल के हाथ में ही रही । विधान सभा की अवधि ३ वर्ष और राज्य परिषद् की ५ वर्ष रखी गई ।

(४) गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ८ कर दी गई । इनमें से ३ सदस्य भारतीय और ३ सदस्य ऐसे रखे गये जो कम से कम १० वर्ष तक किसी उच्च सरकारी पद पर काम कर चुके हों और एक सदस्य इंग्लैंड या भारत के हाईकोर्ट का जैरिस्टर रह चुका हो ।

गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि विशेष परिस्थितियों में वह अपने विशेषाधिकारों से कार्यकारिणी के सदस्यों की सम्मति को अस्वीकार कर सके । गवर्नर-जनरल की कौंसिल के सदस्यों में कार्य का विभाजन इस प्रकार किया गया :

(१) राजनीतिक सदस्य (गवर्नर-जनरल), (२) रक्षा सदस्य (सेनापति), (३) राजस्व सदस्य, (४) प्नाहार सदस्य, (५) कानून (लॉ) सदस्य, (६) उद्योग तथा भ्रम सदस्य, (७) यातायात सदस्य, तथा (८) शिक्षा और स्वास्थ्य सदस्य ।

(५) प्रान्तीय शासन—प्रान्तीय विधान सभाओं में भी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और यह निश्चित किया गया कि कम से कम ७० प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हों । उत्तर प्रदेश (५० पी०) में १२३ सदस्य नियुक्त किये गये जिनमें से १०० चुनाव द्वारा और २३ गवर्नर द्वारा नामजद होते थे । विधान सभाओं के अधिकार भी बढ़ा दिये गये और मतदाताओं की संख्या भी ।

(६) गवर्नर की कार्यकारिणी (Executive) में आर्थिक उत्तरदायी शासन अर्थात् द्वैध शासन (Dyarchy) प्रारम्भ किया गया । इसके अनुसार प्रशासन के दो भाग किये गये : (१) रक्षित (Reserved) विभाग और (२) हस्तान्तरित (Transferred) विभाग । रक्षित विभागों का शासन तो राज्यपाल (गवर्नर) अपनी कार्यकारिणी की सहायता से करते रहे । उस विभाग में राजस्व (Revenue), न्याय (Justice), कारावास (Jail), नहर (Irrigation) तथा बगलत

(Forest) सम्बन्धी महकमे थे । हस्तान्तरित विभाग में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, ग्राम सुधार, कृषि आदि का प्रबंध मन्त्रिमंडल के अधीन कर दिया गया । वह मन्त्री निर्वाचित सदस्यों में से लिये जाते थे । रक्षित विभागों में भी प्राथमिक के लगभग सदस्य भारतीय ही रखे जाते थे ।

स्थानीय स्वशासन—नगरपालिकाओं (Municipalities) और जिला मंडलियों (District Boards) को अधिक अधिकार दे दिये गये । उनमें भी निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और प्रधान भी निर्वाचित नियत किये गये । मतदाताओं की भी संख्या बढ़ा दी गई ।

विधान की आलोचना—माल्ट फोर्ड के सुधारों को समस्त भारतवासियों ने असंतोषजनक और अपर्याप्त पाया । युद्ध में सहायता के बदले जो भारतवासी अंग्रेजों से बहुत कुछ अधिकार पाने की आशा लगाये बैठे थे उनकी आशाओं पर पानी फिर गया । चोम और क्रोध की ज्वाला रौलट ऐक्ट पास होने और जलियाँवाला बाग की हत्याओं से और भी मड़क उठी । पंजाब में मार्शल लॉ और खिलाफत आन्दोलन ने जलती आग पर तेल का काम किया । इस प्रकार कांग्रेस ने व्यवस्थापिका समाजों का बहिष्कार करके देशव्यापी 'असहयोग आन्दोलन' आरम्भ कर दिया । इसके शान्त होने पर भी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में स्वराज्य पार्टी बनाई गई जिससे व्यवस्थापिका समाजों के अन्दर से भी विरोध की नीति पर काम किया जा सके । तदनन्तर स्वतन्त्र उपनिवेश (Dominion Status) की माँग की गई ।

१४. साइमन कमीशन

सन् १९१६ के ऐक्ट में १० वर्ष के पश्चात् एक शाही कमीशन की नियुक्ति का आयोजन किया गया था जो कि भारत जाकर नये शासन के हानि लाभ की जाँच करता और शासन विधान में परिवर्तन के साधन रखता । सन् १९२७ में अर्थात् निश्चित समय से दो वर्ष पहले ही सर जान साइमन की अध्यक्षता में यह कमीशन भेजा गया । परन्तु, इस कमीशन का कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए भारतवासियों ने इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया ।

१५. प्रथम गोलमेज सम्मेलन (१२ नवम्बर १९३० से जनवरी सन् १९३१ तक)

इसी समय इंग्लैंड के शासक मंडल में परिवर्तन हुआ । अनुदार पार्टी (Conservative) के स्थान पर मजदूर (Labour) दल के हाथ में राज्य सत्ता आ गई । उसने भारतीयों से विचार-विनिमय करने के लिए लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया । परन्तु सम्मेलन बुलाते समय यह घोषणा नहीं की गई कि भारत को स्वतन्त्र उपनिवेश बना दिया जाएगा । इसलिए कांग्रेस ने इसका बहिष्कार करके देशव्यापी असहयोग आन्दोलन आरम्भ कर दिया ।

यह आन्दोलन बढ़ा सफल हुआ और सहस्रों सयाग्रही जेलों में गये। तो भी लंदन में नवम्बर १९१० में सम्मेलन हुआ जिसमें १३ प्रतिनिधि स्वजातों के और ५७ ब्रिटिश भारत के सम्मिलित हुए। कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। सम्मेलन ने निर्णय किया कि भारत में स्व शासन (Federation) बनाया जाय और विशेष प्रतिबन्धों के साथ केन्द्र में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाय।

सम्मेलन के अनन्तर, भी जयकर और सर तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच एक संधि कराई गई जिसे 'गांधी इरविन समझौता' कहते हैं। इस संधि द्वारा सर सानाप्रही जेल से मुक्त कर दिये गये और गांधी जी ने सितम्बर सन् १९११ में दूसरी गोलमेज सभा में भाग लेने का निरन्वय किया।

१६. दूसरी गोलमेज सम्मेलन (७ नवम्बर से १८ दिसम्बर १९३१ तक)

जब दूसरा सम्मेलन हुआ तो इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार के स्थान पर एक मिली-जुली सरकार बन गई थी जिसमें प्रधान मंत्री तो पूर्ववत् रैमजे मैकडानल्ड ही थे परन्तु मन्त्रियों की अधिकतर सख्त अनुदार (Conservative) दल के सदस्यों की थी। भारत सचिव के पद पर भी उदार दलीय सर वैब्रुड बीन के स्थान पर एक कट्टरपथी अनुदार दलीय सर सैम्युएल होर नियत हो गये थे। महात्मा गांधी के उपस्थित होने पर भी यह सम्मेलन सफल न हो सका; कारण, चालाक अँग्रेजों ने अपने मनमाने चुने हुए भारतीय प्रतिनिधियों के सम्मुख साम्प्रदायिक समस्या रख दी और उनसे कहा कि पहिले तुम इसे चुनभ्य लो, फिर और बातों पर विचार होगा। फल यह हुआ कि साम्प्रदायिक नेता अँग्रेजों की पट्टी पटक कर किसी भी समझौते पर न पहुँच सके और सम्मेलन असफल रहा।

महात्मा गांधी अति निराश होकर भारत लौटे। वहाँ उन्होंने देखा कि समस्त भारत में लार्ड मिलिंगटन की पुलिस, फौज और गोलियों का शासन चल रहा है और हजारों देशभक्त जेलों में टूँस दिये गये हैं। कुछ काल पश्चात् महात्मा गांधी को स्वयं भी कारागार में टनेल दिया गया।

१७. साम्प्रदायिक निर्णय (अगस्त १९३२)

जब गोलमेज सम्मेलनों में साम्प्रदायिक नेता प्राप्त में किसी प्रकार का समझौता न कर सके तो प्रधान मंत्री श्री रैमजे मैकडानल्ड ने साम्प्रदायिक पंचाट की घोषणा करने का कार्य स्वयं संभाला। श्री मसानी ने लिखा है कि "इस निर्णय को पंचाट (Award) कहना अनुचित है। पंचाट तो पंचानत के फैसले को कहते हैं और यह भी तब जब भगड़े वाले दल स्वयं पंचायत का निर्माण करें। इस मामले में तो भगड़े का निर्णायक अँग्रेजी प्रधान मंत्री को किसी ने बनाया ही नहीं था और, न गोलमेज सभा के

साम्प्रदायिक नेता ही सम्प्रदायों के चुने हुए प्रतिनिधि थे। वह तो ब्रिटिश सरकार द्वारा ही चुने हुए उनके पिटू थे। इसलिए यदि कोई सरपंच-नामा प्रधान मन्त्री के नाम लिए देते तो भी उसका निर्णय भारत को मान्य न होता। परन्तु यहाँ तो ऐसा भी कोई सरपंचनामा रैमजे मैकडानल्ड के लिए नहीं लिया गया था।”

साम्प्रदायिक पंचाट ने भारतीयों को मतों के आधार पर विभक्त करके आपस में लड़ने-भिड़ने को प्रोत्साहित किया और धर्मान्धता तथा मिथ्या जातीयता के प्रदर्शन को भारी उत्तेजना दी।

पंचाट द्वारा विधान सभाओं में सीटों का विभाजन इस प्रकार किया गया :

साधारण ७०५, हरिजन ७१, पिछड़े हुए क्षेत्र ७०, सिरा १५, मुसलमान ४८६, ईसाई २१, एंग्लो इंडियन १२, योरोपियन २५, व्यापार व उद्योग के प्रतिनिधि ४५, जमींदार ३५, विश्वविद्यालय ८ तथा भूमिक ३८।

१८. पूना का समझौता (१९३२)

साम्प्रदायिक पंचाट ने अछूतों को पृथक् निर्वाचन का अधिकार देकर उन्हें हिन्दू समाज से विभक्त कर दिया था। महात्मा गांधी ने इस अन्याय का मुकाबला करने के लिए आमरण मत धारण करने का निश्चय किया। मत धारण करने के पश्चात् जब उनकी दशा अत्यन्त चिन्ताजनक हो गई तो हिन्दू और अछूत नेताओं ने मिलकर पूना में एक समझौता किया जिसके द्वारा अछूतों को ७१ स्थानों के बजाय १४८ स्थान दे दिये गये परन्तु उनको हिन्दुओं से अलग रहकर नहीं उनके साथ मिलकर राय देने का अधिकार दिया गया।

इस समझौते से अछूतों के स्थान दुगुने से भी अधिक हो गये; परन्तु बंगाल के हिन्दुओं के साथ इससे बड़ा अन्याय हुआ। वहाँ हिन्दुओं की समस्त सीटें ८० थीं। इनमें से ३० अछूतों के लिए सुरक्षित हो गयीं और शेष के लिए भी निर्वाचन लड़ने का अधिकार उन्हें दे दिया गया। इस प्रकार विधान सभा के २५० स्थानों में से हिन्दुओं को केवल ५० से भी कम सीटें प्राप्त हुईं, अर्थात् १६ प्रतिशत, जब कि उनकी जन-संख्या ४० प्रतिशत थी और वह ८० प्रतिशत कर देते थे।

१९. तीसरा गोलमेज सम्मेलन (१६ नवम्बर से २४ दिसम्बर १९३२ तक)

साम्प्रदायिक पंचाट के घोषित होने के पश्चात् लंदन में तीसरी गोलमेज वार्केंस हुईं। इसमें भी कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ। पहले सम्मेलनों की अपेक्षा यह एक छोटी सी बैठक थी जिसमें कि पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कुछ काम किया गया।

स्वैत-पत्र (White Paper) १८ मार्च १९३२—तीसरे गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति पर भारत में वैधानिक मुद्दों के विषय में ब्रिटिश सरकार ने मार्च १९३२

में एक 'श्वेत पत्र' प्रकाशित किया। इसमें वर्णित योजनाओं ने देश भर में जोन की लहर दौड़ा दी और सब पक्षों ने निश्चय किया कि वह इस योजना को स्वीकार नहीं करेंगे।

२०. संयुक्त पार्लियामेंटरी कमेटी और १९३५ का विधान

श्वेत पत्र एक बिल के रूप में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सम्मुख रखा गया और उसकी जाँच के लिए सब ब्रिटिश पार्टियों की ओर से एक संयुक्त समिति बना दी गई। इस कमेटी के सम्मुख राय देने तथा अपने सुझाव पेश करने के लिए कुछ भारतीय भी नियुक्त किये गये। इन भारतीय सरप्राइजों ने एक मैमोरेण्डम में कमेटी के सम्मुख कुछ न्यूनतम माँगें रखीं जिनसे कि भारतवासियों को कुछ सन्तोष हो सकता था। परन्तु भारत के गोरे शासकों को यह माँगें भी स्वीकार न हुईं और अपने अन्तिम रूप में बिल और भी क्लिष्ट बना दिया गया। २ अगस्त, सन् १९३५ को पार्लियामेंट ने भारतीय विधान पास कर दिया। इसमें विशेष बात यही थी कि कहीं भी इस विधान में भारत को स्वतन्त्र उपनिवेश (Dominion Status) बनाने का बिना तक न किया गया था।

इस विधान में ४०८ धाराएँ तथा १६ परिशिष्ट थे। ४५५ पृष्ठों पर छपे हुए इस विधान की मुख्य मुख्य बातें यह थी :—

(१) गृह-सरकार—इंग्लैंड में स्थित यह सरकार के स्वरूप में इस विधान के अंतर्गत समुचित परिवर्तन किया गया। भारत मन्त्री की चौकिल तोड़ दी गई और उसके स्थान पर एक परामर्शदाताओं की सभा बना दी गई। भारत मन्त्री के अधिकारों में भी काफी कमी कर दी गई जिससे नये विधान के अंतर्गत प्रान्तों में पूर्ण उत्तरदायित्व-पूर्ण और केन्द्र में आधिक उत्तरदायी शासन का आरम्भ हो सके।

(२) संघ विधान—ऐक्ट के अंतर्गत सारे सूबों तथा रियासतों को मिला कर एक संघ स्थापित करने की योजना रखी गई। इस योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रान्तों तथा केन्द्र के अधीन कार्य का विभाजन इस प्रकार किया गया कि ५६ विषयों पर केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, ५४ विषयों पर प्रान्तीय सरकार को और ३६ विषय समवर्ती (concurrent) रखे गये जिन पर दोनों प्रान्तीय तथा केंद्रीय सरकारें कानून बना सकती थीं, परंतु विरोध की दशा में केंद्रीय कानून ही सर्वोपरि माना जाता था। बचे हुए अधिकार (Residuary powers) केन्द्र के अधीन ही रखे गये।

(३) केन्द्रीय शासन—केंद्रीय सरकार के अधीन एक द्वैध शासन प्रणाली (dyarchy) के आरम्भ की योजना रखी गई। राजा, विदेशों से सम्बन्ध, क्वाइली इलाके तथा ईसाइयों के धर्म सम्बन्धी विषय रक्षित (Reserved) रखे गये। शेष अधिकार मन्त्रियों के हाथ में सौंपे जाते थे। परंतु इन हस्तान्तरित (Transferred)

विभागों में भी गवर्नर जनरल को मंत्रियों के काम में हस्तक्षेप करने के विशेष अधिकार प्रदान किये गये।

(४) **प्रान्तीय शासन**—सूबों में द्वैध शासन प्रणाली का अन्त करके पूर्ण उत्तरदायी शासन की नींव रखी गई। सब अधिकार मंत्रियों के हाथ में सौंप दिये गये। परन्तु केन्द्र की मॉलि प्रान्तों में भी गवर्नरों के हाथ में विशेष अधिकार दिये गये जिससे वह मंत्रियों के काम में मनमाना हस्तक्षेप कर सकें। कुछ प्रान्तों में इस ऐक्ट के अधीन दो मयन बना दिये गये। नामजद सदस्यों की संख्या बहुत कम कर दी गई।

(५) **मताधिकार**—१९१६ के विधान में भारत की केवल ३% जनता को मत देने का अधिकार दिया गया था। नये विधान में यह संख्या बढ़ाकर १३% कर दी गई और बहुत सी स्त्रियों को राय देने का अधिकार दे दिया गया।

(६) **नये प्रान्त**—ऐक्ट के अधीन बर्मा भारत से अलग कर दिया गया। सिंध तथा उड़ीसा के दो नये सूबे बना दिये गये और कुल प्रान्तों की संख्या ११ निश्चित कर दी गई।

(७) **फेडरल कोर्ट तथा रिजर्व बैंक की स्थापना**—सब शासन होने के कारण नये विधान के अन्तर्गत भारत में एक सघीय न्यायालय तथा रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इन दोनों संस्थाओं का एकसघीय विधान के अन्तर्गत होना नितान्त आवश्यक है।

२१. १९३५ के संविधान पर कार्य

नये संविधान के अन्तर्गत सन् १९३७ में प्रान्तों में चुनाव हुए। इन चुनावों में भारत के ७ प्रान्तों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस १९३५ के विधान से बिल्कुल असंतुष्ट थी और वह किसी भी दशा में उसे स्वीकार करना न चाहती थी; परन्तु विरोधी दलों की सरकार की सत्ता हड़प करने से रोकने के लिए उसने चुनावों में माग लिया और फिर प्रान्तों के गवर्नरों के आश्वासन देने पर कि वह मंत्रियों के काम में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करेंगे उसने ८ प्रान्तों में अपने मंत्रिमंडल बनाये। शेष प्रान्तों में स्वतन्त्र दलों की सरकारें बन गईं। इस प्रकार १९३५ के विधान का प्रान्तीय माग कार्यान्वित हो गया परन्तु सघीय भाग चालू न हो सका। इसके दो मुख्य कारण थे— एक तो यह कि केन्द्राय शासन व्यवस्था इतनी असन्तोषजनक थी, और उसके अन्तर्गत मंत्रियों को इतने कम अधिकार सौंपे गये थे, कि भारत की प्रत्येक राजनीतिक पार्टी ने उसका विरोध किया और उसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, और दूसरे यह कि रियासतों ने भी सघीय शासन में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया। प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने बहुत प्रशसनीय कार्य किया। उन्होंने किसानों की श्रवस्था सुधारने, कृषि में उन्नति करने, उद्योग संघों की सहायता देने, शिक्षा-प्रचार तथा मादक

वस्तुओं की बिक्री को रोकने के लिए अनेक योजनाएँ बनाईं। उनका कार्य इतना अच्छा रहा कि न केवल भारतीय ने वस्तु बहुत से इङ्ग्लैंड और दूसरे देश के राजनीतिक नेताओं ने उनके कार्य की गूरिभूरि प्रशंसा की।

२२. दूसरा महायुद्ध और भारत का स्वतन्त्रता संग्राम

सन् १९३६ में हुए योरोपीय युद्ध छिड़ा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकारों की राय लिये बिना ही हमारे देश को युद्ध की अग्नि में भेँक दिया। इस समय कांग्रेस ने कहा कि वह युद्ध में उस समय तक सम्मिलित होना नहीं चाहती जब तक यही सिद्धान्त जिनके लिए युद्ध लड़ा जा रहा है भारत में भी लागू न किये जायें अर्थात् देश को स्वतन्त्र न किया जाय। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की यह माँग स्वीकार नहीं की। फलतः कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने सब प्रान्त में त्यागपत्र दे दिया और केवल पंजाब, बंगाल और सिंध में ही दूसरे दलों के मन्त्रिमण्डल काम करते रहे। शेष प्रान्तों में गवर्नरों ने वैधानिक सङ्घ की घोषणा करके शासनकार्य अपने हाथ में सम्भाल लिया। उसके कुछ दिन पश्चात् कांग्रेस ने वैधानिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ किया।

२३. ब्रिटिश सरकार की अगस्त सन् १९४० की घोषणा

इस आन्दोलन से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने अगस्त १९४० में एक घोषणा की जिसमें कहा गया कि 'ब्रिटिश सरकार का ध्येय भारत में युद्ध के पश्चात् शान्ति-शीघ्र स्वतन्त्र औपनिवेशिक स्वराज्य कायम करना है। भारत का विधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जायगा परन्तु यह विधान बनाने समय भारत सरकार की वह समस्याएँ ध्यान में रखनी पड़ेंगी जो भारत के इङ्ग्लैंड से एक दीर्घकालीन सम्बन्ध के कारण उत्पन्न हो गई हैं।' इस घोषणा के साथ गवर्नर जनरल ने एलान किया कि वह अपनी कार्यकारिणी में ऐसे नये सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए तैयार हैं जो भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व कर सकें।

आलोचना—इस घोषणा से भारतवासियों को किसी प्रकार का भी सन्तोष नहीं हुआ, कारण गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कुछ सदस्यों की नियुक्ति के अतिरिक्त उन्हें वर्तमान में कोई और अधिकार सौंपने की योजना नहीं रखी गई थी। स्वतन्त्र औपनिवेशिक स्वराज्य देने का वचन युद्ध के पश्चात् दिया गया था। 'सब राज-नीतिक दलों ने इसलिए गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी में अपने प्रतिनिधि भेजने से इन्कार कर दिया। परन्तु, जुलाई सन् १९४१ में ब्रिटिश सरकार ने स्वयं युद्ध से बड़े हुए कार्य को चलाने के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में ५ और सदस्यों की नियुक्ति कर दी। यह सदस्य किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे और उनकी नियुक्ति से जनता को किसी भी प्रकार का सन्तोष नहीं हुआ।

२४. क्रिप्स योजना

नवम्बर सन् १९४१ में जापान महायुद्ध में शरीक हो गया। इससे युद्ध-संचालन की दृष्टि से भारत की स्थिति में एक बड़ा भारी अंतर उत्पन्न हुआ। भारतीय जनता के सहयोग के बिना अब जापान के विरुद्ध बलपूर्वक युद्ध नहीं लड़ा जा सकता था। जापानियों ने बहुत शीघ्र बर्मा और सिंगापुर पर अधिकार जमा लिया और वह भारत पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे। ब्रिटिश सरकार ने इस युद्ध में भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च सन् १९४२ में सर स्टीफर्ड क्रिप्स को कुछ योजनाओं के साथ भारत भेजा। सर स्टीफर्ड क्रिप्स जिस योजना को भारत में लाये उसके मुख्य रूप से दो मांग ये :—

(१) युद्धोत्तरयोजना—इस योजना के अधीन भारतवासियों से कहा गया कि युद्ध के पश्चात् उन्हें अपना विधान स्वयं अपनी ही चुनी हुई सविधान सभा द्वारा बनाने की आज्ञा दे दी जायगी। इस सविधान सभा में प्रान्तीय विधान सभाओं द्वारा सदस्य चुने जायेंगे जिनकी संख्या प्रान्तीय विधान सभा की कुल संख्या का $\frac{1}{3}$ भाग होगी। रियासतों की भी इस सविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया जायगा, जिनकी संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात से उतनी ही होगी जितनी प्रान्तों की। इस सविधान सभा को भारत के लिए मनचाहा विधान बनाने की स्वतंत्रता होगी। केवल उसमें अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तथा ब्रिटिश सरकार से एक प्रकार के समझौते का आवेदन होगा। इस योजना में यह भी कहा गया कि यदि कोई सूबे या देशी रियासतें सविधान सभा में भाग लेने के पश्चात् यह अनुभव करेंगी कि उन्हें प्रस्तावित विधान स्वीकार नहीं है तो उन्हें इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह भारतीय यूनियन से अलग रहकर अपना एक अलग स्वतंत्र उपनिवेश बना सकें। इस प्रकार प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की माँग से प्रभावित होकर अपनी योजना में मुसलमानों को खुश करने के लिए भारत के टुकड़े किये जाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रकट की।

अल्पकालीन योजना—उपरोक्त योजना पर केवल युद्ध के उपरान्त कार्य होना था। वर्तमान भारत सरकार में परिवर्तन करने के लिए क्रिप्स योजना में केवल इतना कहा गया कि गवर्नर-जनरल स्वयं अपनी कार्यकारिणी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कांग्रेस चाहती थी कि कार्यकारिणी एक कैबिनेट के रूप में काम करे और गवर्नर-जनरल कार्यकारिणी के केवल एक नैपथिक अंग हो, वह देश की रक्षा सम्बन्धी समस्याओं में भी समुचित भाग चाहती थी।

कांग्रेस की यह दोनों माँगों सर स्टीफर्ड क्रिप्स ने स्वीकार नहीं कीं। फलतः समझौते की बातें भंग हो गईं और सर स्टीफर्ड क्रिप्स इंग्लैंड वापस चले गये।

कांग्रेस ने अपनी ओर से राजनीतिक अवरोध को दूर करने के लिए त्रिष योजना के सुदोत्तर भाग के अत्यन्त असतोषजनक होने पर भी उसे स्वीकार करने का प्रयत्न किया और केवल यह माँग ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखी कि गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी एक कैबिनेट के रूप में कार्य करे। आरम्भ में सर स्टैफर्ड क्रिश्च ने इस प्रकार का आश्वासन दे दिया। परन्तु, फिर न जाने किन कारणों से, ब्रिटिश प्रधान मंत्री मि० चर्चिल की कोई आज्ञा न मिलने से, या किसी और कारण, यह अपने वचन से फिर गये। सुदोत्तर योजना में भारतीय रियासतों की जनता को विधान परिषद् में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं दिया गया था। यह अधिकार केवल रियासतों के राजाओं को दिया गया था जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध वे और स्वतंत्र इच्छा से कार्य न कर सकते थे। सुदोत्तर योजना का दूसरा सबसे बड़ा दोष यह था कि इसके द्वारा असतुष्ट प्रान्तों तथा रियासतों को भारत के टुकड़े करने की आज्ञा दे दी गई। इतना ही नहीं पर भी कांग्रेस ने प्रयत्न किया कि ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार का समझौता हो जाय। परन्तु, मि० चर्चिल की अनुदार दलीय सरकार भारतीयों को किसी प्रकार के अधिकार देना नहीं चाहती थी। उसने तो केवल सत्ता की जनता की आँखों में धूल भोजाने और यह बताने के लिए कि यह तो भारतवासियों को सम्पूर्ण अधिकार देने के लिए तैयार है; परन्तु भारतवासी स्वयं इतने निकम्मे हैं कि वह आरम्भ में किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते, सर स्टैफर्ड क्रिश्च को भारत भेजा था। इस समझौते की बातें टूटने का फल यह हुआ कि भारत में राजनीतिक क्षोभ दिन प्रति दिन बढ़ता गया और अन्त में अगस्त सन् १९४२ में भारत में प्रसिद्ध राजनीतिक प्रवृत्ति हुई।

२५. 'भारत छोड़ो' आन्दोलन

८ अगस्त सन् १९४२ को 'अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी' ने अपने घम्बई के अधिवेशन में प्रसिद्ध 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया। इसके पश्चात् देश में पारंपरिक अत्याचार, दमन तथा हिंसा का सरकार की ओर से वह ताडव नृत्य रचा गया जिसके कारण प्रस्ताव पास होने के तुरन्त पश्चात् लाखों देशभक्त नर और नारी, जेल की कालकोठारियों में टूँस दिये गये और हजारों नवयुवकों को गोलियों का शिकार बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। अपने ८ अगस्त के प्रस्ताव में कांग्रेस ने सरकार के विरुद्ध अग्रज आन्दोलन की घोषणा नहीं की थी, चरन् प्रस्ताव में कहा गया था कि महात्मा गांधी पहले वायसराय से मिलकर समझौते की बातचीत करेंगे। इस बातचीत के असफल होने पर ही अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ होना था। परन्तु सरकार ने गांधी जी की मुलाकात की प्रतीक्षा किये बिना ही देश भर में पुलिस और फौज की गोलियों का राज्य कायम कर दिया। जनता ने भी उचेजित होकर सरकार की दमन नीति का

हिंसा से मुकाबिला किया और हजारों पुलिस के जाने, रेलवे स्टेशन, टाक व तारपर तपा सरकारी इमारतें आग की भेंट हो गई।

२६. महात्मा गांधी का ऐतिहासिक व्रत

ब्रिटिश सरकार ने इन उपद्रवों की सारी जिम्मेदारी कांग्रेस के मध्ये मढ़नी चाही और एक पुस्तक निकाल कर उसने कांग्रेस के उच्च नेताओं के विरुद्ध अनेक हिंसा सम्बन्धी आरोप लगाये। महात्मा गांधी का जिस समय जेल के अन्दर इस हिंसा के नम्र दृश्य का पता चला तो उन्होंने १० फरवरी सन् १९४३ से सरकार की हिंसक नीति में परिवर्तन लाने के लिये २१ दिन तक व्रत रखने का निश्चय किया। इस समाचार ने देश के अन्दर फिर एक बार राजनीतिक चेतना की लहर फूँक दी और देश के कोने-कोने में समाजों, जुलूसों तथा प्रस्तावों द्वारा सरकार से प्रार्थना की जाने लगी कि वह महात्मा गांधी को तुरन्त जेल से मुक्त कर दे। जिस समय महात्मा गांधी ने पूना की आगा खों जेल में अपने जीवन का चौदहवाँ व्रत धारण किया था उनकी आयु ७३ वर्ष की थी और उनके कमजोर स्वास्थ्य को देखते हुए किसी को भी यह आशा न थी कि वह २१ दिन की घोर तपस्या से निकल कर जीवित रह सकेंगे। इसीलिए सरकार पर दबाव डालने के लिए न केवल जनता ने ही आन्दोलन किया बल्कि वायसराय की कार्यकारिणी के ३ सदस्यों ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। परन्तु इन सब आन्दोलनों से सरकार के सर पर जूँ तक न रेंगी। वह तो चाहती थी कि गांधीजी परलोक सिंघार जाँय और सदा के लिए उसकी सुसिद्धता का अन्त हो जाय। परन्तु ईश्वर की कुञ्ज और ही इच्छा थी। महात्मा गांधी इस अग्नि परीक्षा में पूरे उतरे और ३ मार्च सन् १९४३ को उनका व्रत सफलतापूर्वक समाप्त हो गया।

२७. गांधी जी की जेल से रिहाई

मई सन् १९४४ में महात्मा गांधी आगा खों जेल में सख्त बीमार पड़े। इस डर से कि कहीं इस बीमारी से गांधीजी के उसी प्रकार प्राणान्त न हो जायँ, जिस प्रकार उनकी धर्मरत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी और महादेव माई उभी जेल में मर गये थे सरकार ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। अगस्त सन् १९४४ में भारत के गवर्नर-जनरल लार्ड लिनलियगो इंग्लैंड वापस चले गये और उनके स्थान पर लार्ड वेवल की नियुक्ति की गई। इस सैनिक राजनीतिज्ञ ने भारत आकर तुरन्त बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाया और १४ जून सन् १९४५ को उसने ब्रिटिश सरकार से बातचीत करने के पश्चात् देश के राजनीतिक नेताओं के समुल एक मुझाव रजा जो 'वेवल मुझाव' के नाम से प्रसिद्ध है।

२८. वेवल मुझाव (Wavell Offer)

लार्ड वेवल ने इस योजना में अपनी कार्यकारिणी के पुनर्संगठन की बात कही।

उन्होंने कहा कि वह अपनी कार्यकारिणी में तेजावटि को छोड़ कर रेष सभी सदस्य भारतीय रहने को तैयार है और वह भी ऐसे भारतीय जो राजनीतिक दलों के नुसारन्दे हों और जनता का सम्बन्ध प्रतिनिधित्व कर सकें। इस प्रकार उन्होंने कहा कि प्रथम बार भारतीयों को राष्ट्र, गृह तथा विदेशी नीति सम्बन्धी मामलों पर अधिकार प्राप्त हो सकेगा और वायसराय की कार्यकारिणी एक मन्त्रिमण्डल के समान कार्य कर सकेगी। परन्तु इन सुझावों में कई दोष थे :—

(१) प्रथम यह कि इस योजना के अर्धीन यह कहा गया था कि सर्वे हिन्दुओं तथा मुसलमानों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में बराबरी के स्थान दिये जायेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि ७० प्रतिशत हिन्दुओं को देश के शासन में उतना ही भाग मिलता था जितना कि ३६ प्रतिशत मुसलमानों को।

(२) दूसरे, लार्ड वेवेल ने कहा कि उनकी कार्यकारिणी व्यवस्थापिका सन के प्रति नहीं बरन् उनके स्वयं के प्रति उत्तरदायी होगी। वह स्वयं कार्यकारिणी के प्रधान रहेंगे, और यद्यपि दिन प्रति दिन के काम में कार्यकारिणी के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, परन्तु विशेष परिस्थितियों में ऐसा करने का उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

(३) तीसरे, कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति किसी एक राजनीतिक दल के नेता द्वारा नहीं बरन् गवर्नर-जनरल द्वारा स्वयं की जाती थी। ऐसी दृष्टा में कार्यकारिणी एक समुक्त मन्त्रिमण्डल की भाँति कार्य नहीं कर सकती थी।

इन दोषों के होते हुए भी कांग्रेस ने अपनी ओर से इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि वह मुस्लिम लीग के साथ मिल कर वायसराय की कार्यकारिणी में सम्मिलित हो जाय। परन्तु मुसलिम लीग चाहती थी कि वायसराय की कौंसिल में केवल वही मुस्लिम सदस्य शामिल किये जायें जो लीग के सदस्य हों। कांग्रेस इस बात के लिए तो तैयार हो गयी कि मुस्लिम लीग अपनी ओर से कौंसिल के १४ सदस्यों में से अपने हिस्से के पाँच सदस्य मुस्लिम लीगी ही चुन ले, परन्तु उसने यह बात नहीं मानी कि वह अपने हिस्से में से भी किसी राष्ट्रीय मुसलमान को सरकार में प्रतिनिधित्व दे। कांग्रेस केवल हिन्दुओं की ही जनमत नहा थी। उसमें हजारों मुसलमान, ईसाई तथा पारसी भी थे जिन्होंने उसके साथ मिलकर स्वतन्त्रता संग्राम में पूर्ण रूप से भाग लिया था और उसके प्रतीक रूप मौलाना आजाद उसके प्रधान थे। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की यह बात नहीं मानी और अन्त में समझौते की बातें भंग हो गईं।

२६. ग्राम चुनाव

शिमला सम्मेलन की असफलता के पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान सभाओं के लिए ग्राम चुनाव करने की घोषणा की। इन चुनावों के पीछे ब्रिटिश सरकार का यह आशय था कि उसे नालूम हो सके कि देश में कांग्रेस, मुस्लिम

लीग तथा दूसरे राजनीतिक दलों की किञ्चनी मान्यता है। चुनावों में कांग्रेस को प्रायः सभी हिन्दू सीटों पर विजय प्राप्त हुई। मुस्लिम सीटें, सीमा प्रांत तथा पञ्जाब को छोड़कर, अधिकतर लीग के हाथ लगीं।

इन चुनावों के तुरन्त पश्चात् कांग्रेस ने आठ प्रांतों में अपने मन्त्रिमंडल बनाये। मुस्लिम लीग केवल बङ्गाल और सिंध में लीगी मन्त्रिमंडल बना सकी। पंजाब में सर खिजर हयात खॉं तिवाना की प्रधानता में एक मिले जुले मन्त्रिमंडल का निर्माण हुआ।

३०. भारत में ब्रिटिश शिष्ट-मंडल का आगमन

जिस समय भारत में आम चुनाव हो रहे थे तो इङ्ग्लैंड में भी पार्लियामेंट के लिए नये चुनावों की घोषणा की गई। इन चुनावों में मि० चर्चिल की अनुदार सरकार हार गई और उसके स्थान पर मि० एटली ने एक मजदूर दलीय सरकार बनाई। मजदूर दल के नेता भारत के स्वतन्त्रता सग्राम का सदा से पक्ष लेते आये थे। वह चाहते थे कि भारत स्वतन्त्र हो जाय। इसलिए मि० एटली ने सरकार का कार्य-भार संभालने के चाँड़े ही दिन पश्चात् ६ दिसम्बर सन् १९४५ को पार्लियामेण्टरी सदस्यों का एक शिष्टमंडल भारत भेजा। इस मंडल के सदस्यों में मि० सैरेन्सन और मेजर व्याट भी थे जो पार्लियामेंट में भारत सम्बन्धी प्रश्नों पर विशेष रूप से रुचि लेते थे। बेट्ट महीने तक सारे भारत का दौरा करने के पश्चात्, आरम्भ फरवरी सन् १९४६ में, शिष्टमंडल वापस इङ्ग्लैंड पहुँचा। वहाँ उसने पार्लियामेंट के सम्मुख अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के फलस्वरूप मि० एटली ने १६ फरवरी सन् १९४६ को घोषणा की कि वह एक कैबिनेट-मिशन, जिसके सदस्य लार्ड पैथिक लारेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स तथा मि० एलेक्जेंडर होंगे, भारत भेजेंगे। इस मिशन का कार्य यह होगा कि वह भारत के राजनीतिक नेताओं से बातचीत करके भारतीय समस्या का कोई संतोषजनक हल निकाले।

३१ मि० एटली की घोषणा

जिस समय मि० एटली ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की तो उन्होंने दो और महत्वपूर्ण बयान भी पार्लियामेंट के सम्मुख दिये।

इनमें से पहले बयान में उन्होंने कहा कि “ब्रिटिश सरकार भारतवासियों की पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग स्वीकार करती है। जहाँ तक राष्ट्रमंडल की सदस्यता का प्रश्न है भारतवासियों को पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वे उसका सदस्य रहना स्वीकार करें अथवा नहीं।”

दूसरे बयान में ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने कहा कि “किसी अल्पसंख्यक जाति को बहुसंख्यक जाति की राजनीतिक माँग पर अनियमित काल तक पानी फैरने का अधिकार

नहीं दिया जा सकता।” इन दोनों पक्षानों से भारत के राजनीतिक क्षेत्रों को अन्यन्त सन्तुष्टि मिली और वह समझने लगे कि श्रम शासन में ब्रिटिश सरकार भारतवासियों के हार्थों में राज्य-सत्ता सँभरने के लिए उत्तर है।

३२. कैबिनेट मिशन (मंत्री प्रतिनिधि-मंडल का भारत में आगमन)

३ मार्च सन् १९४६ को कैबिनेट मिशन के सदस्य भारत पहुँचे और उसके द्वारा परन्तु उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया। ५ मई सन् १९४६ को उन्होंने काँग्रेस तथा मुस्लिम लीग के चार-चार प्रतिनिधियों का एक संयुक्त सम्मेलन शिमले में बुलाया। इस सम्मेलन में दोनों दलों के बीच किसी प्रकार का समझौता न हो सका। अन्त में १६ मई सन् १९४६ को कैबिनेट-मिशन ने स्वयं अपनी ओर से भारतीय राजनीतिक अरुणों को दूर करने के लिए सुझाव रखे। इन सुझावों का सक्षित विवरण नीचे दिया जाता है :—

३३. ब्रिटिश मंत्री प्रतिनिधि-मंडल की अग्रिम भारतीय संघ के लिए योजनाएँ

प्रतिनिधि मंडल ने सर्वप्रथम इस बात का प्रयत्न किया कि काँग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच भारत के मानी शासन प्रबन्ध की रूपरेखा के सम्बन्ध में कोई समझौता हो जाय। इस उद्देश्य से उसने मुस्लिम लीग की भारत विभाजन सम्बन्धी माँग पर निष्पक्ष रूप से विचार किया।

‘मंत्री प्रतिनिधि मंडल’ ने पाया कि यदि मुस्लिम लीग की माँग के अनुसार भारत में पाकिस्तान राज्य की स्थापना की जाय, तो उसके दो भाग होंगे—एक उत्तर-पश्चिम में, जिसमें पंजाब, सिंध, सीमाप्रांत तथा बिलोचिस्तान होंगे, और दूसरा उत्तर-पूर्व में जिसमें बंगाल और आसाम रहेंगे। इस प्रबन्ध के अधीन पाकिस्तान के उत्तरी भाग में ६२ प्रतिशत मुसलमान और ३८ प्रतिशत हिन्दू रहेंगे और पूर्वी भाग में ५१.७ प्रतिशत मुसलमान और ४८.३ प्रतिशत हिन्दू रहेंगे। शेष भागों में मुसलमानों की संख्या १४ प्रतिशत होगी। मंत्री प्रतिनिधि-मंडल ने कहा कि इस प्रकार का राज्य बनाने से भारत की साम्प्रदायिक समस्या का हल नहीं होता; न आर्थिक, शासनिक एवं धार्मिक दृष्टि से ही पाकिस्तान राज्य की स्थापना व्यावहारिक ही होगी।

इसलिए उसने मुस्लिम लीग की माँग को टुट्टरा दिया और भारतीय समझौता का विचार करने के लिए अपनी ओर से निम्न सुझाव राजनीतिक दलों के सम्मुख रखे :—

(१) भारत में एक अखिल भारतीय संयुक्त-राष्ट्र संघ की स्थापना हो, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्य दोनों सम्मिलित हों और उसके अधीन ये नियंत्रण रखें जायें : विदेशी मामले, रक्षा और यात्राया। इस भारतीय संयुक्त राष्ट्र को अपने विरुद्धों के व्यव के लिए आवश्यक धन उगाहने का भी अधिकार हो।

(२) भारतीय संयुक्त राष्ट्र में एक राज्य परिषद् तथा एक विधान सभा हो जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि रहें । विधान सभा में कोई महत्त्वपूर्ण साम्प्रदायिक मामला प्रस्तुत होने पर उसके निर्णय के लिए दोनों प्रमुख वर्गों के जो प्रतिनिधि उपस्थित हों उनका पृथक्-पृथक् तथा समस्त उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक हो ।

(३) केन्द्रीय संगठन के लिए निर्धारित विषयों को छोड़कर अन्य समस्त विषय तथा समस्त अग्रशिष्ट अधिकार प्रान्तों को प्राप्त हों ।

(४) देशी राज्य उन सब विषयों और अधिकारों को अपने अधीन रखें जिन्हें वे केन्द्र को सुपुर्दा नहीं कर दें ।

(५) प्रान्तों को अपने पृथक् समूह बनाने का अधिकार हो जिनकी अलग राज्य परिषद् तथा धारा सभा हो । प्रत्येक प्रान्त समूह यह तय करे कि कौन कौन से विषय समान रूप से सामूहिक शासन में रहें ।

(६) भारतीय राष्ट्र तथा प्रान्त समूहों के विधाना में इस प्रकार की धारा हो जिसके द्वारा कोई भी प्रान्त अपनी धारा सभा के बहुमत से प्रथम १० वर्ष बाद और फिर प्रति दस वर्ष बाद विधान की शर्तों पर पुनर्निवार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सके ।

उपरोक्त आधार पर भारत का संविधान बनाने के लिए मंत्री प्रतिनिधि मंडल ने यह सुझाव रक्खा कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाय । इस 'सभा' में १० लाख व्यक्तियों के बीच, प्रान्तीय धारा सभाओं को निर्वाचन क्षेत्र मान कर साम्प्रदायिक आधार पर, सदस्य चुने जायें । भिन्न भिन्न प्रान्तों से संविधान सभा में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार हो :—

क—विभाग

प्रान्त	जनरल	मुस्लिम	योग
मद्रास	४५	२	४७
पम्बई	१६	४	२०
संयुक्त प्रान्त	४७	८	५५
बिहार	३८	५	४३
मध्य प्रान्त	१६	१	१७
उड़ीसा	६	०	६
	१६७	२०	१८७

ख—विभाग

प्रांत	जनरल	मुस्लिम	सिक्ख	योग
पंजाब	८	१६	४	२८
उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत	०	३	०	३
सिंध	१	३	०	४
योग	९	२२	४	३५

ग—विभाग

प्रान्त	जनरल	मुस्लिम	योग
बंगाल	२७	३३	६०
आसाम	७	७	१४
योग	३४	४०	७४

ब्रिटिश भारत का योग

२६२

देशी रियासतों की अधिक से अधिक संख्या

९३

कुल योग ३८५

इस संविधान सभा को, भारत का नया संविधान बनाने का पूरा अधिकार हो। उस पर केवल इतनी ही शक्ति लगाई जाय कि वह मंत्री प्रतिनिधि मंडल की योजना के अधीन रहकर कार्य करे।

प्रतिनिधि मंडल ने यह भी सुझाव रखा कि अंतरिम काल में, जब तक भारत का नया संविधान तैयार हो, तब तक सरकार का काम चलाने के लिए एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाय जिसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग—दोनों दल—मिलकर कार्य करें।

राष्ट्र मंडल की सदस्यता के सम्बन्ध में मंत्री मंडल ने निश्चय किया कि इस सबब में भारत का पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होगी। संविधान सभा चाहे तो यह निश्चय कर सकेगी कि भारत राष्ट्र मंडल से अलग रह कर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कार्य करेगा।

३४. कैबिनेट-मिशन के मुद्दाओं का सक्षिप्त विवरण

ऊपर कैबिनेट-मिशन के सुझावों का जो विवरण दिया गया है उसमें हम उसे दो

भागों में विभक्त कर सकते हैं :—(१) दीर्घकालीन योजना और (२) अल्पकालीन योजना ।

दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत भारत में एक ऐसे सभ की स्थापना करने का प्रस्ताव रक्खा गया जिसमें केवल तीन विषय अर्थात् रक्षा, विदेशों से संबंध तथा आने जाने के साधन, केन्द्रीय सरकार को सौंपे जायें और बाकी सभी विषय प्रान्तों के अधीन रहें । प्रांतों को इस बात की भी सुतन्त्रता दी गई कि यदि वे चाहें तो आपस में मिलकर अपने अलग अलग विभाग बना लें जैसे एक विभाग सिंध, पंजाब, सीमांत और बिलोचिस्तान का, दूसरा विभाग बंगाल तथा आसाम का और तीसरा विभाग दूसरे प्रांतों का । अल्पकालीन योजना के अंतर्गत कैबिनेट मिशन ने उस समय तक के लिए जब तक भारत का नया विधान बने, एक अंतरिम सरकार बनाने की योजना रखी ।

योजना का गुण और दोष

कैबिनेट मिशन योजना को ध्यान से पढ़ने पर मालूम पड़ता है कि इस योजना में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की परस्पर विरोधी माँगों के बीच समझौता कराने का प्रयत्न किया गया था । इसलिए इस योजना में वह सभी दोष तथा गुण विद्यमान थे जो इस प्रकार के समझौते में हुआ करते हैं ।

गुण—(१) योजना का सबसे बड़ा गुण यह था कि इसमें पाकिस्तान की माँग को एकदम अत्यावहारिक तथा अस्वीकृत घोषित कर दिया गया था ।

(२) इस योजना के अधीन अल्पसंख्यक जातियों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात नहीं मानी गई थी । इस प्रकार सभी जातियों को बराबर अधिकार दिया गया था ।

(३) योजना में प्रांतों तथा रियासतों को मिला कर एक सभ बनाने का निर्णय भी प्रशंसनीय था ।

(४) एक और विशेषता इस योजना में यह थी कि सविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों का राजाओं द्वारा चुना जाना आवश्यक नहीं टहराया गया । इसमें कहा गया था कि प्रांतों तथा रियासतों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी आपस में मिल कर इसका निर्णय करेगी ।

(५) अंत में कांग्रेसों को सविधान सभा में किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया ।

दोष—योजना में उपरोक्त गुणों के होने पर भी अनेक दोष विद्यमान थे । इनका संक्षिप्त वर्णन हम नीचे देते हैं :—

(१) सर्व प्रथम, सिखों के साथ योजना में घोर अन्याय किया गया था । उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किसी प्रकार का प्रबंध नहीं किया गया ।

(२) विभागों के बनाने की बात और फिर विभागों द्वारा उनके अंतर्गत प्रांतों के विधान का निश्चय इस योजना की सबसे बड़ी खराबी थी। प्रांतों को अपने विधान स्वयं बनाने की शक्ति न देना प्रांतीय स्वशासन के सिद्धान्त के विरुद्ध था।

(३) योजना के अर्धीन केन्द्रीय सत्ता को बहुत ही शक्तिहीन बना दिया गया था और उसे तीन विषयों को छोड़ कर और किसी विषय पर अधिकार प्रदान नहीं किया गया था।

(४) अतः में योजना में कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार केवल उस दशा में विधान सभा द्वारा प्रस्तावित विधान को स्वीकार करेगी जब विधान सभा में सारे दल भाग लें। इस बात से मुस्लिम लीग को अक्सर मिला कि वह विधान सभा के कार्य में भाग न ले और अपनी पार्लियामेंट की माँग पर अड़ी रहे।

३५. मिशन का १६ जून का वचन

मिशन ने अपनी योजना के तीसरे भाग में कहा था कि वह भारत में गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी के म्यान पर एक अन्तरिम सरकार की स्थापना करना पसन्द करेगी। इस घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए मिशन के सदस्यों ने १६ जून १९४६ को एक दूसरी घोषणा की जिसके द्वारा उन्होंने कांग्रेस के ६, मुस्लिम लीग के ५ तथा अल्पसंख्यक जातियों के ३ सदस्यों को अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने का न्यौता दिया। मिशन ने कहा कि केवल उन्हीं दलों को अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने का अवसर दिया जायगा जो २६ जून से पहले मिशन की योजना के दोनों दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन भागों को स्वीकार कर लेंगे। इस घोषणा के परन्तु कांग्रेस तथा 'लीग' दोनों ही दलों ने अपनी-अपनी समारं की। लीग ने योजना मान ली। कांग्रेस ने योजना के दीर्घकालीन भाग को तो स्वीकार कर लिया परन्तु उसने अल्पकालीन योजना को मानने से इंकार कर दिया। कारण, वह चाहती थी कि राष्ट्रीय मुसलमानों को भी सरकार में बृहत् प्रतिनिधित्व मिल सके और मुस्लिम लीग इस बात के लिए राजी न होगी थी। जब कैबिनेट मिशन को यह शत्रु हुआ कि कांग्रेस और लीग दोनों ही मिशन की दीर्घकालीन योजना को स्वीकार करते हैं परन्तु, अल्पकालीन योजना की स्वीकृति के विषय में उनमें मतभेद है तो उसने केवल मुस्लिम लीग के सहयोग से अन्तरिम सरकार बनाने से इन्कार कर दिया।

मि० जिन कैबिनेट मिशन के इस खैरे से आगवधूला हो गये। उन्होंने तो कैबिनेट मिशन की योजना को केवल इसलिए स्वीकार किया था कि उन्हें अन्तरिम सरकार बनाने का अवसर मिल सके। परन्तु अब, उनकी यह आशा पूर्ण न हुई तो उन्होंने कैबिनेट मिशन के सदस्यों को बुरा मन्ता कहना आरम्भ किया और २६ जुलाई १९४६ को एक सभा बुलाकर मिशन की योजना को पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर

दिया। लीग के इसी अधिवेशन में मि० जिन्ना ने सत्याग्रह (Direct action) की बात भी कही।

३६. सविधान सभा के लिए चुनाव

इस बीच १६ जून के बयान के पश्चात् वाइसराय ने सब प्रान्तों की सरकारों को आदेश दिया कि वह सविधान सभा के लिए चुनाव करें। यह चुनाव जुलाई सन् १९४६ तक समाप्त हो गये। इन चुनावों में कुल ३८६ सीटों में से, कांग्रेस को २०५, तथा मुस्लिम लीग को ७३ सीटें प्राप्त हुईं, १८ सीटें स्वतन्त्र उम्मीदवारों को मिलीं जिनमें ११ हिन्दू, ३ मुसलमान तथा ४ सिख थे। ६३ सीटों के लिए जो रियासतों के लिए सुरक्षित रखी गई थीं चुनाव नहीं किये गये। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तव में ३६६ सीटों में से कांग्रेस को २०५ सीटें प्राप्त हुईं।

३७. अन्तरिम सरकार की स्थापना

चुनावों के पश्चात् ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि कांग्रेस ही देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक संस्था है। इसलिए अगस्त सन् १९४६ में लार्ड वेवेल ने कांग्रेस के प्रधान प० नेहरू से प्रार्थना की कि वह अन्तरिम सरकार बनाने में सहायता करें। २ सितम्बर सन् १९४६ को प० नेहरू ने यह सरकार बना ली। इस सरकार में उन्होंने कुल १२ सदस्य शामिल किये जिनमें से ५ हिन्दू, ३ मुसलमान, १ हरिजन, १ सिख, १ पारसी तथा १ ईसाई थे। अक्टूबर १९४६ तक यह सरकार अत्यन्त सफलतापूर्वक कार्य करती रही। परन्तु कांग्रेस द्वारा अन्तरिम सरकार बना लिये जाने से मि० जिन्ना के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी अन्तरिम सरकार में शामिल किया जाय। इधर लार्ड वेवेल भी यह अनुमत्त करने लगे थे कि कांग्रेस द्वारा सरकार बना लिये जाने से उनकी स्थिति एक वैधानिक अप्पेक्ष की-सी रह गई थी। उन्होंने इसीलिए इसी में अपना मला समझा कि मुस्लिम लीग के सदस्यों को अन्तरिम सरकार में शामिल कर लिया जाय। अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में कांग्रेस के तीन सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी से अलग हो गये और उनके स्थान पर ५ मुस्लिम लीग के सदस्य सरकार में शामिल कर लिये गये। इन पाँच सदस्यों में मि० लियाकतअली ख़ाँ, ग़ज़नफ़रअली ख़ाँ, सरदार अब्दुल रब नस्रत, मि० चुन्नीगर् तथा मि० मडल थे।

अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने के पश्चात् मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कांग्रेस के साथ सहयोग की नीति का अमलान्न नहीं किया बरन् वह अपने आपको एक अलग दल का सदस्य समझने लगे। वह सरकार के प्रत्येक काम में अड़चन डालते रहे। उन्होंने विधान सभा के कार्य में भी भाग लेने से इकार कर दिया।

३८. ६ दिसम्बर की घोषणा

मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों में सम्मिलित होने से यह कह कर इंकार किया कि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना के विभाग सम्बन्धी भाग का ठीक अर्थ नहीं निकाला है। कांग्रेस का कहना था कि प्रान्तों को विभागों में सम्मिलित होने तथा अथवा संविधान बनाने की स्वतन्त्रता होगी। मुस्लिम लीग का कहना था कि प्रान्त स्वतन्त्र नहीं होंगे। उनके संविधान का निश्चय सब विभाग के सदस्यों द्वारा दिया जाएगा। कांग्रेस और लीग ने बीच यह मतभेद ब्रिटिश सरकार के फैसले के लिए पेश किया गया। ६ दिसम्बर, सन् १९४६ को ब्रिटिश सरकार ने अथवा फैसला मुस्लिम लीग के हक में दे दिया। साथ ही कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल विधान सभा में भाग नहीं लेगा तो जो विधान विधान-सभा बनायेगी उसको मानने के लिए सभा में भाग न लेने वाला दल बाध नहीं होगा।

ब्रिटिश सरकार की घोषणा से कांग्रेस को अत्यन्त खोम हुआ। परंतु फिर भी मुस्लिम लीग का सहयोग प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के फैसले को स्वीकार कर लिया। पर जिन्ना साहब को खुश करना तो देवताओं के वश की मी बात न थी। कांग्रेस के इतना करने पर भी मुस्लिम लीग ने विधान सभा में सम्मिलित होना उचित न समझा। उसका कहना था कि मुस्लिम जाति किसी भी दशा में एक विधान सभा में भाग न लेगी। उसने यह माँग रखी कि पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान के भागों के लिए अलग-अलग दो विधान परिषदें बनाई जायें।

इधर केन्द्रीय शासन का कार्य मुस्लिम लीग की विरोधी नीति के कारण इतना कठिन होता जा रहा था कि प० जवाहरलाल नेहरू ने लार्ड वेवेल से प्रार्थना की कि वह या तो मुस्लिम लीग के सदस्यों का सरकार से निकाल दें अथवा उन्हें विधान सभा में भाग लेने तथा केंद्र सरकार के काम में सहयोग देने को कहें। परन्तु लार्ड वेवेल तो मुस्लिम लीग के सदस्यों को केन्द्रीय सरकार से इसीलिए लाये थे, जिसे कांग्रेस के काम में बाधा पड़े और भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति का स्वप्न शीघ्र पूरा न हो सके। इसीलिए उन्होंने प० नेहरू की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया।

३८. २० फरवरी का यथान

इधर २० फरवरी सन् १९४६ को ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने एक और घोषणा की जिसे आशय यह था कि त्रैमेव सन् १९४८ तक भारत छोड़ देंगे। यह घोषणा इस आशय से की गई थी जिससे कांग्रेस और लीग के सदस्य स्थिति को समझें और आस में समझौता करने के लिए कोई व्यावहारिक कदम उठायें। इस घोषणा के

साथ ही लार्ड वेवेल के स्थान पर लार्ड माउंटबैटन के वायसराय नियुक्त किये जाने का एलान किया गया।

४०. लार्ड माउंटबैटन का भारत में आगमन

लार्ड माउंटबैटन ने भारत आकर मुस्लिम लीग के नेताओं को सलाह दी कि वह कैबिनेट मिशन की १६ जून वाली घोषणा को स्वीकार कर लें। परन्तु इस्मा कीर्द परिणाम नहीं निकला। अन्त में लार्ड माउंटबैटन ने बंगाल और पंजाब के विभाजन की बात कही। उन्होंने मुस्लिम लीग के नेताओं से कहा कि यदि वह पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो उन्हें उन इलाकों की जनता को जिनमें हिन्दू बहुमत में हैं हिन्दुस्तान के साथ रहने की स्वतन्त्रता देनी होगी। मुस्लिम लीग को यह बात स्वीकार करनी पड़ी। अन्त में कांग्रेस ने भी यह समझ कर कि आये दिन के भगड़ों से देश का विभाजन अच्छा है, विभाजन की बात मान ली। दोनों राजनीतिक दलों की इस प्रकार सम्मति प्राप्त कर के लार्ड माउंटबैटन अपनी भारत विभाजन योजना के प्रति ब्रिटिश सरकार की सहमति प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गये।

४१. लार्ड माउंटबैटन की भारत के विभाजन के लिए योजना

पहली जून को वह भारत वापस आ गये और ३ जून सन् १९४६ को उन्होंने आल इण्डिया रेडियो के दिल्ली स्टेशन से वह ऐतिहासिक भाषण प्रसारित किया जिसमें उन्होंने भारत को दो स्वतन्त्र राज्यों में बाँट देने की योजना जनता के सम्मुख रखी। इस योजना की मोठी-मोठी बातें यह थीं :—

(१) बंगाल और पंजाब के प्रान्तों को दो भागों में विभक्त कर दिया जाय—एक भाग जिसमें मुसलमानों का बहुमत हो, दूसरा भाग जिसमें हिन्दू बहुमत में हों। १९४१ की जन गणना के आधार पर पंजाब में निम्न जिले मुसलिम बहुमत जिले घोषित किये गये :—

लाहौर डिवीज़न—गुजरामाला, गुरदासपुर, लाहौर, शेखपुरा और स्यालकोट।

रावलपिंडी डिवीज़न—अटक, गुजरगढ़, जेहलम, मियाँवाली, रावलपिंडी और शाहपुर।

मुल्तान डिवीज़न—बेरागाजी खाँ, भग्ग, लायलपुर, मिर्शगुमरी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़।

इसी प्रकार बंगाल में निम्न जिले मुसलिम बहुमत जिले घोषित किये गये :—

चटगाँव डिवीज़न—चटगाँव, मोआराली, तिरपा।

ढाका डिवीज़न—बाकरगंज, ढाका, फरीदपुर, मेमनसिंह।

प्रेर्ताडैसी डिवीज़न—जैधोर, मुर्शिदाबाद, नदिया।

राजशाही डिवीजन—बोगरा, दीनाजपुर, माल्दा, पबना, राजशाही और रंगपुर।
शेष जिले हिन्दू बहुमत जिले घोषित कर दिये गये।

योजना के अधीन इन जिलों के प्रान्तीय धारा समा के सदस्यों को इस बात का अधिकार दिया गया कि वह इस बात का फैसला करें कि प्रान्त का विभाजन हो अथवा नहीं और यदि नहीं तो वह हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में से कौन से देश की संविधान समा में सम्मिलित होना स्वीकार करेंगे।

(२) विभाजन की दशा में राज्यों की सीमा का अंतिम निश्चय करने के लिए एक सीमा निर्धारण कमीशन की नियुक्ति का फैसला किया गया।

(३) सीमा प्रान्त में चूँकि काप्रेस का बहुमत था, इसलिए उस प्रान्त की जनता को एक बार फिर यह अवसर प्रदान किया गया कि वह यह बतलावे कि वह हिन्दुस्तान और पाकिस्तान—दोनों में से किसके साथ शामिल होना चाहती है।

(४) आसाम में सिलहट जिले के लोगों का मत जानने के लिए कि वह विभाजन की दशा में पूर्वी बंगाल के साथ रहना पसन्द करेंगे या पश्चिम बंगाल के साथ, सहमत होने का निश्चय किया गया।

(५) जून १९४८ के स्थान पर फैसला किया गया कि भारत को सत्ता का तात्कालिक हस्तान्तरण कर दिया जाय।

४२ माउन्ट बैटन योजना की स्वीकृति

वायसराय के रेडियो भाषण के पश्चात् पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से, मि० जिन्ना ने मुस्लिम लीग की ओर से तथा सरदार वल्लभभाई ने सिन्धों की ओर से रेडियो पर भाषण दिये। इन तीनों नेताओं ने अपने भाषण में कहा कि उन्हें लार्ड माउन्ट बैटन की योजना स्वीकार है। इसके पश्चात् कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के सदस्यों ने अपने नेताओं के फैसलों का अनुमोदन किया। मुस्लिम लीग की आल इंडिया कांसेस का एक अधिवेशन ६ जून, सन् १९४७ को दिल्ली में हुआ, इस अधिवेशन में ८ के विरुद्ध ४०० रायों से लीग ने विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने भी १४ जून को आखिरी भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन दिल्ली में ही बुलाया और उसमें २० के विरुद्ध १५७ रायों के बहुमत से विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार दोनों राजनीतिक दलों की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् लार्ड माउन्ट बैटन के विभाजन के कार्य को पूरे वेग के साथ सम्पन्न करने के लिए कदम उठाया। उन्होंने प्रान्तों की विधान सभाओं से कहा कि वह तुरन्त भारत या पाकिस्तान के साथ मिलने का अपना निश्चय प्रकट करें। २० जून को बंगाल और २३ जून को पंजाब की विधान सभाओं ने बैठकें का निश्चय कर लिया और मुस्लिम बहुमत जिले पाकिस्तान में मिल गये। इसके कुछ दिन पश्चात् सिंध तथा बिलोचिस्तान के लोगों

ने भी पाकिस्तान के साथ रहने की इच्छा प्रकट की। सीमा प्रान्त में भारत व पाकिस्तान के साथ मिलने के प्रश्न पर जनमत लिया गया। कांग्रेस तथा खुदाई विदमतगार दलों ने इसका बहिष्कार किया। कारण, वह चाहते थे कि सीमाप्रान्त में एक स्वतन्त्र पखतून सरकार बनाई जाय। मनगणना का परिणाम इस प्रकार रहा कि पाकिस्तान के हक में २,८८,२४४ मत आये, हिन्दुस्तान के पक्ष में २,८७४ और २,८०,६८० मतदाता तय रहे। इसके कुछ दिन पश्चात् आसाम प्रान्त के सिलहट जिले में भी मत लिये गये। इस मतगणना में, २,३६,६१६ मतदाताओं ने पूर्वी बंगाल के साथ मिलने के पक्ष में राय दी और १,८४,०४१ मतदाताओं ने आसाम के साथ रहने की इच्छा प्रकट की। दोनों मतगणनाओं के परिणाम के फलस्वरूप सीमाप्रान्त और सिलहट पाकिस्तान में मिला दिये गये।

४३ १९५७ का भारतीय स्वाधीनता का कानून

४ जुलाई १९४७ को लार्ड माउन्टबैटन की भारत विभाजन की योजना को कार्यान्वित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया जिसे भारत की स्वाधीनता का बिल कहते हैं। इस बिल द्वारा भारत को दो स्वतन्त्र उपनिवेशों में विभक्त कर दिया गया—एक भाग का नाम पाकिस्तान रक्ता गया और दूसरे का नाम इंडिया। वह बिल १५ जुलाई को पास हो गया।

इस कानून के पास होने के पश्चात् १५ अगस्त सन् १९४७ को भारत के दो टुकड़े कर दिये गये। सरकार की सारी सम्पत्ति रेल, कारखाने, बाकलाने, तारपर, फौज का सामान, तथा रिजर्व बैंक का समस्त धन दो हिस्सों में बाँट दिया गया और १५ अगस्त से ही दो स्वतन्त्र सरकारें, एक दिल्ली में और दूसरी कराची में, कार्य करने लगीं। इतना शीघ्र सारा कार्य सम्पन्न करने का सारा श्रेय लार्ड माउन्टबैटन को ही प्राप्त है। विभाजन के पश्चात् भारत को अच्छे दिन देखने नसीब नहीं हुए। कुछ ही दिनों पश्चात् भारत के लाखों नर और नारियों को साम्प्रदायिकता की भीषण चालाका शिकार होना पड़ा। लाखों हिन्दू और मुसलमानों को अपना घर-बार छोड़कर दूसरे स्थानों की शरण लेनी पड़ी और ३० जनवरी सन् १९४८ को भारत को वह दिन भी देखना पड़ा जब शान्ति के देवता, युग पुरुष, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी ही कौम के एक क्रांतिल ने गोली का शिकार बना डाला। फिर भी इन मुसीबतों का सामना करती हुई हमारी संविधान सभा अपना कार्य बराबर करती रही और अंत में २६ नवंबर सन् १९४९ को भारत का एक आदर्श विधान पास करके उसने अपना काम समाप्त कर दिया।

४४. हमारा नया विधान

हमारे इस नये विधान के सम्बन्ध में कुछ तथ्य और त्रुटि नीचे दिये जाते हैं :-

भारत के नये संविधान की कुछ विशेषताएँ

हमारे विधान निर्माताओं ने गणराज्य भारत के लिए जिस संविधान की रचना की है वह सकार में अनूठा है। यह एक ऐसा संविधान है जिस पर आने वाली पीढ़ियाँ गर्व कर सकेंगी, जिस समय इतिहास गर्व की दृष्टि से देखेगा। यह संविधान एक युग का पटाक्षेप तथा दूसरे युग का आरम्भ है। भारत से अस्मानता, साम्प्रदायिकता, दमन, श्रद्धाघात तथा अनेक सामाजिक क्रूरियों को दूर कर इस संविधान ने हमारे गौरव-सम्पन्न देश में स्वतंत्रता समानता, बहुधुत्व तथा न्याय के आदर्शों की नींव रखी है। सकार के दूसरे देश अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तथा आयरलैंड के संविधानों से उनका सर्वोच्च गुण ग्रहण कर, हमारे संविधान ने सकार के राजनीतिक इतिहास में एक नई परिपाटी को जन्म दिया है।

इंग्लैंड के संविधान से मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली को अपना कर, अमरीका के विधान से नागरिकों के मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय तथा उप राष्ट्रपति की पद्धति ग्रहण कर, आयरलैंड के संविधान से राज्य के निर्देशक सिद्धान्त तथा उच्च भवन का स्वरूप अपना कर, आस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती विषयों को ग्रहण कर, तथा कनाडा के संविधान से केन्द्रीयकरण की भावना को अपना कर हमारा नया संविधान सकार के सभी विधानों के गुणों की खान बन गया और इतना होने पर भी वह अपना एक अलग अस्तित्व रखता है। सद्भावमय होते हुए भी यह विधान सद्द शासनों की जड़िलता तथा उनके अवगुणों से बचा हुआ है। भारत की विशेष परिस्थितियों का विचार करके यह विधान एक विशेष सँचे में ढाला गया है। यह हमारे ऋषियों की प्राचीन भाती "न्याय" के सिद्धान्त को पुनर्जीवित कर भारत में एक आदर्श लोकतंत्रात्मक सनाज की स्थापना करता है। नीचे हम इस संविधान की कुछ मुख्य विशेषताओं का वर्णन करते हैं—

१. जनता का अपना विधान

हम केवल एक ऐसे विधान को अच्छा कहते हैं जो प्रजातंत्रवाद के सिद्धान्त पर 'जनता का, जनता द्वारा, तथा जनता के हित के लिए' विधान हो। जो विधान केवल कुछ शक्ति से उच्च श्रेणी के घनिष्ठ लोगों द्वारा बनाया जाता है, उस विधान में जनता के हित का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता और विधान निर्माता इस बात का ही प्रयत्न

व्यवस्था हो। हर्षवर्धन, अशोक, गुप्त तथा अकबर के काल में पहले भी भारत के साम्राज्य का विस्तार चाहे इतना बड़ा रहा हो परंतु इन राज्यों में विभिन्न प्रांत और रियासतें अपनी किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था रखने के लिए स्वतंत्र थीं और वे द्रीय सत्ता का इस विषय में उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। विभिन्न प्रांतों में राजाओं के अछे या बुरे होने पर जनता की मलाद तथा उनके अधिकार अवलम्बित थे। परंतु सन् १९५० में प्रथम बार भारत में एक ऐसे शासन की नींव रखी गई जिसके अन्तर्गत काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से लेकर दारिका तक प्रत्येक नागरिक को एक ही प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए और वह केवल एक ही अविच्छिन्न तथा सुसङ्गठित भारत के एक बने।

३ देश की अखण्ड एकता का द्योतक

अगस्त सन् १९४७ में अंग्रेजी सत्ता समाप्त होने से पहले हमारे देश में ५६२ स्वतंत्र रियासतें थीं। उनके राजा मनमाने तरीके से अपनी प्रजा पर शासन करते थे। स्वतंत्र रूप से विनाशितापूर्ण जीवन यतीत करके, वह जनता का निर्दयतापूर्वक शोषण करते थे। उनके राज्य में जनता को किसी भी प्रकार के नागरिक या राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। हमारे नये संविधान में भारत की इन ५६२ स्वतंत्र रियासतों को प्रांतों में विलीन कर दिया गया है, या उनके सप्त बना दिये गये हैं या उन्हें के द्रीय सरकार के अंतर्गत चीफ कमिश्नर क्त्तों में वॉ दिया गया है। इस प्रकार नये विधान के अंतर्गत सारे भारत का एकीकरण कर दिया गया है।

४ साम्प्रदायिकता का शत्रु

अंग्रेजों के काल में हिन्दू और मुसलमानों में लड़ाई कराना, उन्हें एक दूसरे से अलग रखना, तथा उनके लिए धारा सभा तथा सरकारी नौकरियों में अलग अलग स्थान सुरक्षित रखना, सरकार की नीति का एक अङ्ग था। उस काल में हिन्दू और मुसलमानों के चुनाव के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाये जाते थे। हिन्दू हिन्दुओं को और मुसलमान मुसलमानों का राय देते थे। इस प्रथा के कारण हमारे देश में सदा हिन्दू और मुसलमानों का झगडा चला आता था। वह प्रत्येक प्रश्न पर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से विचार करते थे। इसी विपैली भावना के कारण ही हमारे देश के दो टुकड़े हुए। नये संविधान के अन्तर्गत पृथक् निर्वाचन प्रणाली तथा सुरक्षित स्थानों की प्रथा का अन्त कर दिया गया है। अब हिन्दू और मुसलमान सम मिल कर एक दूसरे को राय देते हैं, एक दूसरे के सहयोग, विश्वास तथा प्रेम के कारण ही वह धारा सभाओं में चुने जाते हैं। मुसलमानों के लिए कोई सीटें सुरक्षित नहीं हैं। इस उपाय से आशा है कि भारत से कुछ काल के पश्चात् साम्प्रदायिक भावना का पूर्ण रूप से अन्त हो जायगा।

हरिजनो तथा कुछ निदारी हुई जातियों को छोड़ कर जिनमें मजहरी, रामदासी, कबीरपथी सिन्धु शामिल हैं, यानी सभी जनता के लिए नये संविधान में एक ते ही निर्वाचन क्षेत्र रखे गये हैं। किसी अल्पसंख्यक जाति के लिए धारा सभा या संसदी नौकरियों में सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था नहीं की गई है। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, ऐंग्लो इण्डियन और पागंधी सर मिल कर एक दूसरे को राय देते हैं। यह सब उदात्त भारत में एक समष्टि, हृदय तथा शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करने के लिए अत्यन्त अपेक्षित थे।

५. सामाजिक जन-संघर्ष का हामी ✓

नये विधान में छूत छूत तथा ऊँच-नीच के भेद-भाव को भी मिटा दिया गया है। विधान के अन्तर्गत अस्पृश्यता को एक मीरप अस्पृश्य घोषित कर दिया गया है। अब कोई भी मनुष्य छुआ दूत के आचार पर किसी दूसरे व्यक्ति पर रोक नहीं लगा सकता। वह हरिजनों को किसी दूधान, सांख्यिक शौच, होटल, सिनेमा, तालाब, कुआँ या सड़क का उपयोग करने का उनसे किसी भी प्रकार का अत्यन्त व्यवहार, ब्यवहार करने में बाधा नहीं डाल सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि अस्पृश्यता के उस भूत का विसे नष्ट करने के लिए हमारे देश के सम्राज समाजों ने सदियों से प्रयत्न किये तथा ब्रिज्जा अन्त करने के लिए हमारे देश के सम्राज समाजों ने कई बार अपने प्राणों की बाजी लगाई, नये संविधान के अन्तर्गत यह मूल से अन्त कर दिया गया है।

६. स्त्री और पुरुषों की समानता का पोषक, ✓

नये विधान के अन्तर्गत सदियों से शोषित तथा अधिकारहीन स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किये गये हैं। उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन तथा चुनावों में पुरुषों के समान ही राय देने का अधिकार दिया गया है। विधान में कहा गया है कि संसदीय नौकरियों के क्षेत्र में भी पुरुषों और स्त्रियों में भेद-भाव नहीं करना चायना।

७. राजनीतिक लोकतन्त्र का पालक ✓

इसके अतिरिक्त विधान में प्रत्येक वयस्क स्त्री और पुरुष को राय देने का अधिकार दे दिया गया है। इस प्रबन्ध से भारत की लगभग १८ करोड़ जनता को सरकार के काम में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इतनी बड़ी जनसंख्या को भारत में पहले कभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस कानून के अन्तर्गत हमारी उन रिजर्वों की प्रजा को विशेष लाभ हुआ है जो अंग्रेजों के काल में एक दोरी गुलामी की शिकार थी—एक रिजर्वी राजाओं की और दूसरी अंग्रेजी सरकार की।

कुछ लोगों का विचार है कि वयस्क प्रजाधिकार का अधिभार देकर सरकार ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि भारत की अशिक्षित जनता अपने मन का उचित उपयोग नहीं कर सकती। परन्तु जो लोग ऐसा कहते हैं उनका प्रजातंत्र शासन व्यवस्था में पूर्ण विश्वास नहीं है। जनता का राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रजाधिकार सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है। इसके अतिरिक्त विद्युत् ग्राम चुनावों का अनुभव हम बतलाता है कि भारतीय जनता में इतना सामान्य बुद्धि अस्तित्व है कि वह अपना भला बुरा अच्छी प्रकार समझ सके। उसने इन चुनावों में उन्हीं व्यक्तियों को राय दी है जो प्रगतिशील विचार-धारा के समर्थक थे।

८. जनता के मौलिक अधिकारों का रक्षक ✓

हमारे नये संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई है। इन अधिकारों में वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक विश्वास का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, मापण देने, सभा करने, सङ्घ बनाने तथा समाचार पत्र प्रकाशित करने के अधिकार सम्मिलित हैं। इन अधिकारों पर केवल वही रोक लगाई गई है जिसके द्वारा नागरिक अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सकें। ऐसी रोक सभार के प्रत्येक देश में ही लगाई जाती है। कारण, अधिकारों का अर्थ होता है 'अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ विशेष सुविधाओं की प्राप्ति।' भारत के नये संविधान में यह सभी सुविधाएँ प्रत्येक नागरिक को प्रदान की गई हैं। विधान में यह भी कहा गया है कि यदि राज्य का कोई विशेष कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर दुष्टाभावात् करेगा, तो ऐसा कानून शून्य समझा जायगा। प्रत्येक नागरिक को इस बात का भी अधिकार प्रदान किया गया है कि यदि वह चाहे तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सङ्घ की सर्वोच्च अदालत अर्थात् सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकता है।

९. अल्प संख्यकों के अधिकार का समर्थक ✓

नये विधान में केवल बहुसङ्ख्यक जातियों के अधिकारों की ही रक्षा नहीं की गई, परन्तु प्रत्येक अल्प संख्यक जाति के धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, तथा राजनीतिक अधिकारों की रक्षा भी की गई है। संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, मत, लिंग के विचार के बिना सरकार के अधिकार प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म में विश्वास रखने की स्वतंत्रता होगी। सरकार धार्मिक आधार पर किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगी। अल्प संख्यक जातियों के सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना उसका परम धर्म होगा।

कि इस प्रकार के राज्य में धर्म या विश्वास के आधार पर किसी एक और दूसरे नागरिक में भेद भाव नहीं बरता जाता।

पाकिस्तान को हम लौकिक राज्य न कह कर धर्मतंत्र राज्य या इस्लामी राज्य कहते हैं। यह केवल इसलिए कि उस राज्य के अन्तर्गत हिंदुओं के साथ भेद-भाव की नीति बरती जाती है। पाकिस्तान रेडियो पर प्रतिदिन कुरान की तिलावत होती है, परन्तु हिन्दुओं के लिए वेदों या गीता का पाठ नहीं। मुसलमान जहाँ चाहे जमीन या जायदाद खरीद सकते हैं, परन्तु हिन्दुओं को उनकी अपनी जमीन या जायदाद से भी निकाल कर मगाया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में भी हिन्दुओं के साथ भेद भाव किया जाता है। इसलिए हम उस राज्य को धर्मतंत्र राज्य कहते हैं। ऐसा राज्य सभार के प्रगतिशील देशों में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और वह राष्ट्र कभी भी सभार के स्वतन्त्र तथा उन्नत राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मान नहीं पाता। तगदिली, रुकुचित विचार, छोटी बातें, भेद-भाव, द्वेष की भावना और धार्मिक असहिष्णुता किसी राष्ट्र के नागरिकों को ऊपर उठने से रोकती हैं। सभार में केवल वही देश उन्नति करते हैं जहाँ की जनता का हृदय विशाल हो, उनमें किसी भी प्रकार की लुप्त भावना न हो और प्रत्येक सार्वजनिक विषय पर उनमें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करने की क्षमता हो।

११. एक राष्ट्र-भाषा का जन्मदाता ✓

भारतीय विधान की एक और बड़ी विशेषता यह है कि प्रथम बार भारत की ३५ करोड़ जनता के लिए एक भाषा तथा एक लिपि का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है। सभार के दूसरे देशों को देखने से पता चलता है कि आयरलैंड, कैनाडा तथा स्वीटजरलैंड जैसे छोटे देशों में भी एक नहीं बरन् दो दो और तीन-तीन भाषाएँ राज्यभाषा का कार्य करती हैं। हमारे देश में १४ प्रांतीय भाषाएँ हैं जो साहित्यिक दृष्टिकोण से पूर्ण रूपेण समृद्ध हैं। इनमें दक्षिण भारत की भाषाएँ भी हैं जो उत्तर प्रांतों की भाषाओं से बिल्कुल भिन्न हैं। ऐसी अवस्था में विधान सभा द्वारा सारे राष्ट्र के लिए एक ही भाषा का स्वीकृति, भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में एक अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण कदम है। भारत की प्राचीन सभ्यता के इतिहास में यह पहला ही अवसर होगा जब १५ वर्ष के पश्चात् हमारे देश की प्रत्येक प्रांतीय तथा केन्द्रीय सरकार राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही अपना कार्य करेगी।

१२. देश की नव-जात स्वतन्त्रता का प्रहरी ✓

हमारे संविधान की एक और बड़ी विशेषता यह है कि उसका स्वरूप सद्धान्तिक होने पर भी उसमें वह सारे गुण विद्यमान हैं जिनके द्वारा विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार उसी प्रकार कार्य कर सकेगी जैसा वह एकात्मक रूप रखने पर कर सकती थी। हमारा इतिहास हमें बतलाता है कि जब जब भारत में केन्द्रीय सत्ता टूटती पड़ी तभी तब

भारत की स्वतंत्रता को विदेशियों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हमारे विधान निर्माताओं ने हमारे नये विधान में, सभी तथा एकानेक शासन की उन सभी अच्छाइयों का ग्रहण कर लिया है जिसे चाहे हमारा विधान राजनीतिक विद्वानों की दृष्टि में एक नये प्रकार का विधान कहलाये, परन्तु भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में वह सबसे अधिक उपयुक्त विधान है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता अपनी स्वतंत्रता को बूढ़ बनाने की है। हमारे देश में कितनी ही राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ काम कर रही हैं। कभी सजुचित प्राचीयता की मानना अपना सिर उठाती है तो कभी देशों रिवाजों के राज अपनी खाई हुई सत्ता को दोबारा प्राप्त करने की सोचते हैं। ऐसी दशा में एक शक्तिशाली केन्द्रिय सरकार ही हमारी नव-प्राप्त स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है और नये विधान में इसका पूर्ण रूप से प्रबन्ध कर दिया गया है।

१३. स्वतंत्र न्यायालय

भारतीय विधान की एक और विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत एक ऐसे स्वतंत्र न्यायालय के निर्माण का प्रबन्ध किया गया है जो केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ही न करेगा बल्कि स्वयं विधान के सरलक का काम भी करेगा। प्रत्येक राजनीति का विद्वानों जानता है कि जिस देश में नागरिकों के अधिकारों का उस समय तक कोई मूल्य नहीं होता जब तक देश में एक स्वतंत्र न्यायालय की स्थापना न हो। भारत की सभ्यीय अदालत को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिस वापस परिस्थान जारी कर सके तथा ऐसे कानूनों को विधान विरोधी घोषित कर दे जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की अवहेलना करते हों। इसके अतिरिक्त विधान में प्रान्तों के अन्तर्गत कार्यकारिणी और न्याय विभाग की स्वतंत्रता के लिए भी प्रावधान किया गया है।

१४. नमनीय संविधान

अतः में भारतीय विधान अमरितनशील नहीं, वह समय की बदलती हुई परिस्थित के अनुसार बदला जा सकता है। इस विधान में संसद, विकास तथा परिवर्तनशीलता के सभी गुण विद्यमान हैं। विधान की अधिकतर धाराएँ ऐसी हैं जिन्हें राष्ट्रपति, राज्य की सरकारें या केंद्रीय मन्त्रिमण्डल या दो-तीहाई बहुमत से बदल सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हमारे सभी शासक, विधान का किन्हीं विशेष धाराओं से असंतुष्ट हों तो वह उन्हें आसानी से बदल सकते हैं।

भारत के वर्तमान विधान निर्माताओं ने इस प्रकार हमारे देश में एक ऐसे विधान की नींव रखी है जिस पर संसद के राजनीतिक विचारद मूल्य हों उठे हैं और जिसकी

सभी विद्वान् व्यक्तियों ने मुक्त-कंठ से प्रशंसा की है। इस सविधान के अन्तर्गत कार्य करके हमारी आगे आने वाली सन्ततिशो एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकेगा जो हर प्रकार से प्रगतिशील, प्रभावशाली तथा ससार के सर्वोत्तम राष्ट्रों में एक होगा।

योग्यता प्रश्न

१. भारत के नये सविधान के मुख्य गुण क्या हैं ? (यू० पी०, १९५१)
२. हमारा सविधान ससार के सब विधानों से उत्तम है। इस कथन की यथार्थता की परीक्षा कीजिये।
३. हमारे नवीन सविधान की क्या विशेषताएँ हैं ? (यू० पी०, १९५२)
४. धर्म निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं ? हमारे सविधान ने कहीं तक ऐसे राज्य की स्थापना की है ? (यू० पी०, १९५३)

को नेत्रल कुछ ऐतिहासिक बन्धनों के कारण एक दूसरे के प्रति आत्मियता का अनुभव करते हैं।

सन् १९२२ का वीट मिनिस्टर स्ट्रिच्यूट

सन् १९२६ तक राष्ट्र-मंडल के सदस्य बहुत कुछ स्वतंत्र हो चुके थे। इस स्वतंत्रता को कानून का रूप देने के लिए उस वर्ष एक विशेष ऐक्ट पास किया गया जिसका नाम, 'विट मिनिस्टर स्ट्रिच्यूट' पड़ा। इस स्ट्रिच्यूट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंग्लैंड और उससे सम्बन्धित दूसरे राष्ट्र-मंडल के सदस्यों की सरकारें बराबर का स्थान रखती हैं। उनमें कोई एक दूसरे के अधीन नहीं प्रत्येक देश की सरकार जिस प्रकार का चाहे, अपने देश के लिए कानून बना सकती है। यह दूसरे देशों से स्वतन्त्र व्यापारिक सन्धि कर सकती है। वह अपना विधान रच बदल सकती है। वह ब्रिटिश सरकार द्वारा पास किये गये कानूनों का रद्द कर सकती है। वह इंग्लैंड व विवाद होने वाली लड़ाई में तत्पर रह सकती है। वह अपने राजदूत दूसरे देशों में भेज सकती है। वह मिनी कौन्सिल में होने वाली शर्तों को समाप्त कर सकती है। यह अपनी अलग जल तथा वायु सेना रख सकती है और यदि वह चाहे तो ब्रिटिश साम्राज्य से भी अलग हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि १९२६ के कानून के मातहत राष्ट्र-मंडल के सदस्यों का इंग्लैंड की सरकार व समान ही सम मामलों में बराबर का रुत्था दे दिया गया था। इंग्लैंड तथा राष्ट्र-मंडल के सदस्यों में केवल इतना सम्बन्ध था कि वह सब इंग्लैंड के सम्राट् को अपना सम्राट् मानते थे तथा उसके प्रति वफादारी का हलफ उठाते थे। सम्राट् का एक प्रतिनिधि गवर्नर जनरल के रूप में उनके देश में रहता था। परंतु उसकी नियुक्ति भी ब्रिटिश सम्राट् द्वारा नहीं बरन् स्वतन्त्र उपनिवेश के प्रधान मंत्री की सलाह से की जाती थी। ब्रिटिश सम्राट् की अधीनता इस प्रकार केवल नाम मात्र की ही थी।

भारत और राष्ट्र-मंडल (India and Commonwealth)

परंतु भारतवर्ष ने ऐसे भी स्वतंत्र उरनिवेश का सदस्य होना स्वीकार नहीं किया। कारण, जैसा पहले बतलाया जा चुका है, सन् १९३० के पश्चात् से हमारे देश की राष्ट्रीय कांग्रेस सदा से इस बात को दुहराती रही थी कि भारतवर्ष किसी भी दशा में अंग्रेजों से पूर्ण स्वतन्त्रता लिये बिना समझौता नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त दिसम्बर सन् १९४६ में संविधान सभा ने अपने उद्देश्यात्मक प्रस्ताव में कहा था कि भारत के अंदर एक सम्पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना ही उसका ध्येय होगा। इसलिए प० जवाहरलाल नेहरू ने अप्रैल सन् १९४८ के कामनवेल्थ अधिवेशन में भारत की ओर से यह माँग रखी कि उनका देश राष्ट्र-मंडल का सदस्य रहना केवल उस दशा में स्वीकार करेगा जब उसे अपना गणतन्त्रीय स्वतन्त्र (Repub-

lican form) कायम रखने का अधिकार मिले अर्थात् वह ब्रिटिश सम्राट् को अपना सम्राट् नहीं माने और उसके प्रति बरादारी का हलफ न उठाये। कामनवेल्थ राष्ट्रों ने भारत की यह माँग मान ली। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्र-मंडल का सदस्य रहने के लिए भारत ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं बदला, बरन् राष्ट्र-मंडल ने ही भारत को अपना सदस्य बनाये रखने के लिए अपना स्वरूप बदल डाला और इस तरह कामनवेल्थ राष्ट्रों का एक और बन्धन जो ब्रिटिश सम्राट् के प्रति बरादारी के रूप में अब तक कायम था, वह भी टूट गया। नये विधान के अन्तर्गत इसलिए भारतीय सरकार का अप्रत्यक्ष ब्रिटिश सम्राट् या उसका प्रतिनिधि गवर्नर-जनरल नहीं बरन् भारतीय जनता का अपना प्रतिनिधि "राष्ट्रपति" है।

इस प्रकार विदित है कि कांग्रेस ने राष्ट्र-मंडल का सदस्य रहना स्वीकार करके देश के साथ की गई किसी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। राष्ट्र-मंडल का सदस्य रहकर भी भारत प्रत्येक आन्तरिक तथा बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है, उसकी सरकार को पूर्ण सत्ता प्राप्त है। वह अपनी विदेशी नीति स्वयं निश्चित करता है। वह किसी भी प्रकार इंग्लैंड की सरकार के अधीन नहीं। हमारी सरकार ने कम्युनिस्ट चीन को इंग्लैंड की सरकार से पहले मान्यता देकर, कोरिया की लड़ाई में स्वतंत्र नीति अपनाकर तथा अनेक दूसरी बातों से यह साबित कर दिया है कि भारत अपनी विदेशी नीति का स्वयं संचालन करता है और वह ब्रिटेन या दूसरे स्वतंत्र उपनिवेशों के साथ काम करने के लिए बाध्य नहीं।

जो लोग भारत के राष्ट्र मंडल का सदस्य होने के नाते कांग्रेस के लिए कहते हैं कि उसने देश के साथ गद्दारी की या अपनी विद्युत्नी प्रतिज्ञाओं को तोड़ा, वह यह भूल जाते हैं कि हमारे देश को राष्ट्र मंडल की सदस्यता से लाभ ही हुआ है, हानि नहीं। राष्ट्र-मंडल का सदस्य होना हमारे देश के लिए उस दशा में तो हानिकारक अप्रत्यक्ष था यदि उसके बदले में हमें अपनी पूर्ण-स्वतन्त्रता के साथ समझौता करना पड़ता या किसी प्रकार से आन्तरिक अथवा बाह्य विषयों में हम इंग्लैंड की सरकार की बात मानने के लिए बाध्य हो जाते। परन्तु आज स्थिति इसके विपरीत है। राष्ट्र मंडल एक ऐसे देशों का समूह है जो उसी सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं जिसमें मान्यता है कि सब स्वतंत्रता, समानता, अंतुत्त, न्याय तथा प्रजातन्त्रवाद के उपासक हैं। वह सब संसार में शांति बनाये रखना चाहते हैं। अतः इंग्लैंड अथवा अफ़्ग़ानिस्तान की सरकार छोड़ देना है। धीरे-धीरे उसके अधीनस्थ सभी देश स्वतंत्र होते जा रहे हैं। आज राष्ट्र-मंडल के सदस्यों में ८० प्रतिशत जनसंख्या उन लोगों की है जो एशिया के रहने वाले हैं। भारत, पाकिस्तान तथा लद्दा के राष्ट्र मंडल का सदस्य हो जाने से उसमें गोपी जाति के लोगों की प्रधानता कम हो गई है। राष्ट्र-मंडल का स्वरूप अब विस्तृत बदल गया है।

आज दुनियाँ में सभार का कोई भी देश दूसरे देशों से अलग रह कर उन्नति नहीं कर सकता। राष्ट्र-मंडल के सभी देश एक ही भावना से प्रेरित हैं। इसलिए एक दूसरे के साथ मिल कर काम करने से उन सब की शक्ति बढ़ती है। वह सभार में एक ऐसी शक्ति का निर्माण कर सकते हैं जो आखण्ड के प्रथमीत तथा युद्ध की भावना से श्रोत प्रोत्त जगन में शक्ति स्थापित करने के कार्य में सहायक हो। आख रूस और अमरीका की बढ़ती हुई शक्ति सभार की शक्ति को उत्तर में डाल सकती है। यदि राष्ट्र मंडल के सदस्य आरम्भ में मिल कर एक ऐसी तीसरी शक्ति का निर्माण कर सकें जो इन दोनों शक्तियों से बड़ी हो तथा जो इन परस्पर विरोधी शक्तियों का मुकाबला कर सके तो सभार में शक्ति और सुख का वातावरण निर्माण हो सकता है।

राष्ट्र-मंडल के सदस्य एक उच्च नैतिक मानना से प्रेरित हैं। वह पूँजीवाद तथा साम्यवाद के बीच एक बड़ी राई को पाने का काम कर सकते हैं। वह सभार में एक ऐसी शक्ति को जन्म दे सकते हैं जो एक प्रलयकारी तीसरे महायुद्ध के भय को दूर कर सके। हमारे देश को एक ऐसे राष्ट्र सभ का सदस्य होने से लाभ ही है।

आर्थिक क्षेत्र में भी हम राष्ट्र मंडल के देशों के सहयोग से अधिक उन्नति कर सकते हैं। हमारे देश का ७५ प्रतिशत व्यापार राष्ट्र मंडल के देशों के साथ ही होता है। ऐसे देशों के साथ व्यापारिक सन्धि करके तथा आयात निर्यात कर सम्बन्धी मुचिघाएँ देकर हम अपने व्यापार को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हमारे देश में इगर्लैंड की जनता का कई सौ करोड़ रुपया उद्योग धर्मों में लगा हुआ है। अपनी वर्तमान आर्थिक दशा को सुधारने के लिए हम राष्ट्र मंडल के सदस्यों से और भी कई प्रकार की पूँजी तथा टेक्निकल सहायता सम्बन्धी सहूलियतें प्राप्त कर सकते हैं।

सैनिक दृष्टि से, राष्ट्र मंडल की सदस्यता के कारण हम विदेशी आक्रमणों का अपनी अल थल तथा हवाई सेना पर बहुत अधिक व्यय किये बिना आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक तथा सैनिक दृष्टि से, राष्ट्र-मंडल का सदस्य रहना स्वीकार करने भारत सरकार ने बुद्धिमत्ता का ही कार्य किया है, मूर्खता का नहीं।

उक्त में कोई सहायता करी मिली, तब से ही भारत में योग्यता प्रश्न रहा। शायद करने के लिये सैनिक सामान्य जनता के साथ जोर देना पड़े।

१. राष्ट्र मंडल क्या है ? भारत ने राष्ट्र मंडल का सदस्य रहना क्यों स्वीकार किया ?
२. भारत एक सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रजातन्त्र राज्य है। राष्ट्र मंडल की सदस्यता के साथ यह कथन कहीं तक सच साबित होता है ?

(क) राज्य (जो संविधान पास होने से पहिले गयनों के प्रांत कहलाते थे ।)	(ख) राज्य (जो संविधान पास होने से पहिले रियासतें कह- लाती थीं ।)	(ग) राज्य (जो संविधान पास होने से पहिले चीफ कमिश्नर के प्रांत तथा रियासतें कहलाती थीं ।)	(घ) राज्य (जो संविधान पास होने से पहिले कालेजनी के नाम से पुकारा जाता था ।)
<ol style="list-style-type: none"> 1. आसाम 2. उड़ीसा 3. पंजाब 4. पश्चिमी बंगाल 5. बिहार 6. मद्रास 7. मध्य प्रदेश 8. बम्बई 9. उत्तर प्रदेश 	<ol style="list-style-type: none"> 1. बम्बू और काश्मीर 2. द्रावनकोर कोचीन 3. पटियाला तथा पूर्वो पंजाब सखु 4. मध्य भारत 5. मैसूर 6. राजस्थान 7. सीसमद्र 8. हैदराबाद 9. विजय प्रदेश (संविधान पास होने के पश्चात् यह राज्य फेन्डीय सरकार के अधीन ले लिया गया है ।) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. अजमेर 2. कच्छ 3. कुच बिहार (यह राज्य अब पश्चिमी बंगाल में मिला दिया गया है ।) 4. कुर्ग 5. त्रिपुरा 6. दिल्ली 7. बिलासपुर 8. मोपाल 9. मनीपुर 10. हिमाचल प्रदेश 	<ol style="list-style-type: none"> 1. अठमान और द्वीप



राज्यों की संमात्रों का परिवर्तन संविधान का संशोधन नहीं समझा जायगा और संसद के सदस्य बहुतों से इस प्रकार का प्रस्ताव पास कर सकेंगे।

संविधान में इस प्रकार का प्रश्न इसी दृष्टि से किया गया है जिससे 'भारत' अथवा 'शासन की सुविधा' के आधार पर राज्यों का पुनर्संरचना किया जा सके। आन्तरिक राज्य का संगठन भी इसी धारा के अधीन किया गया है।

अविच्छिन्न सद्—हमारे नये संविधान के अंतर्गत राज्यों को इस बात की स्वतंत्रता नहीं होगी कि यह सद् से अलग हो सकें। इसी बात की शर्त करने के लिए भारत का नाम (union of states) अर्थात् राज्यों का अविच्छिन्न सद् रक्ता गया है। यह सद् राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से केवल एक देश होगा; स्वतंत्र देशों का समूह नहीं। इसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता का नेचल इच्छा अधिकार प्राप्त होगा। दोहरा सद् सरकार तथा राज्यों की नागरिकता का अलग-अलग अधिकार नहीं, अनरीका के उदाहरण से प्रभावित होकर, जहाँ सद् बनने के पश्चात् वहाँ के राज्यों ने सद् सरकारों से सम्बन्ध विच्छेद करना चाहा और उन्हें ऐसा करने से रोक्ने के लिए वहाँ की सरकार को एक गृह-युद्ध करना पड़ा, भारतीय संविधान में यह शर्त कर दिया गया है कि सद् के अन्तर्गत राज्यों को अलग होने की स्वतंत्रता नहीं होगी।

नया संविधान संपादनक है अथवा नहीं

हमारे नये संविधान के बहुत से आलोचक यह कहकर विधान की टीका-टिप्पणी करते हैं कि नया संविधान संपादनक नहीं है। उनका यहना है कि इस संविधान में राज्यों की स्थिति नगरपालिकाओं जैसी कर दी गई है और उनको संन-शासन-प्रणाली के अंतर्गत दिये जाने वाले अधिकार नहीं सँपे गये हैं।

इस आलोचना का प्रतिकार करने से पहले हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि संपादनक शासनों के मुख्य लक्ष्य क्या होने हैं। प्रसिद्ध राजनीतिक लेखक डार्वी ने यह शासन के तीन मुख्य लक्ष्य बताये हैं :—

(१) लिखित और अखरिवर्तनीय संविधान (Written and rigid constitution);

(२) सद् तथा उसके अंतर्गत राज्यों के बीच अधिकारों का स्पष्ट विनियमन (A clear demarcation of powers between the federation and the units);

और (३) सद् और राज्यों के बीच होने वाले सदैवानिक गति अवरुध का नियन्त्रण करने के लिए एक स्वतंत्र तथा अधिकार-सम्पन्न उच्चतम न्यायालय की स्थापना (The existence of a competent and independent supreme

court to settle disputes between the federation and the constituent units)

भारत के नये विधान में ये तीनों गुण पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। हमारा नया विधान लिखित है तथा उसके वह मूलगत सिद्धान्त जिनके द्वारा राज्यों तथा संघ सरकार के बीच अधिकार विभाजन किया गया है, अपरिवर्तनशील (rigid) हैं। कारण, उनमें केवल उस समय परिवर्तन किया जा सकता है जब संघ ससद् के दो तिहाई सदस्य उसमें विषय में प्रस्ताव पास करें तथा कुछ दशाओं में वह प्रस्ताव आधे से अधिक राज्यों की विधान सभाओं द्वारा स्वीकार कर लिया जाय। संघ शासन की दूसरी आवश्यक शर्त अर्थात् सङ्घ तथा राज्यों के बीच अधिकार का विभाजन भी हमारे नये संविधान में पूर्ण रूप से विद्यमान है। संविधान में कहा गया है कि राज्यों की सरकारी को दंड विषयों पर तथा सङ्घ सरकार को दंड विषयों पर कानून पास करने का अधिकार होगा। दोनों शक्तियों में से कोई भी एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप न कर सकेगी। राज्य सभों में यणित विषयों पर सङ्घ सरकार को उस समय तक कानून पास करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक दो या दो से अधिक राज्यों की विधान सभाएँ उससे स्वयं ऐसा करने के लिए न कहें या किसी विपत्ति काल में, राष्ट्रपति सकट की घोषणा करके, यह अधिकार अपने हाथ में न ले लें। साधारण दशा में दोनों शक्तियाँ अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होंगी।

अन्त में, सङ्घ सरकार की तीसरी आवश्यक शर्त की पूर्ति के लिए संविधान में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है जिसका मुख्य कार्य सङ्घ तथा राज्यों के बीच उत्पन्न हुए सवैधानिक अवरोधों को दूर करना होगा। किसी भी राज्य की सरकार को इस कानून की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी कि वह कोई भी ऐसा विषय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर सके जिसमें उसे सङ्घ सरकार के विरुद्ध उसके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की शिकायत हो।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा नया संविधान पूर्ण रूप से सङ्घात्मक है और उसमें संघ शासन की वे सभी विशेषताएँ विद्यमान हैं जो संसार के दूसरे विधानों में पाई जाती हैं।

भारतीय सघ संविधान की विचित्रता (Distinguishing Factors of the Indian Constitution)

परतु इतना होने पर भी हमारे विधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के सङ्घात्मक विधानों की दास वृत्ति से नकल नहीं की है। उन्होंने उन संविधानों की उन सभी अन्धाधुंधों को ग्रहण करने का प्रयत्न किया है जो भारतीय परिस्थिति के अनुकूल हैं तथा उनमें वह आवश्यक परिवर्तन कर दिये गये हैं जिनसे हम उनकी वृत्तियों से बचे रहें।

इसी दृष्टि से हमारा नया संविधान दूसरे संविधानों के समान सहायक होने पर भी अपना एक पृथक् अन्वेषण रखता है। उदाहरणार्थ :—

(१) हमारे संविधान में भारत के नागरिकों को इकट्ठी नागरिकता के अधिकार प्रदान किये गये हैं, अमरीका ने संविधान की भाँति दोहरे नागरिकता के अधिकार नहीं। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में प्रत्येक राज्य की सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी अधिकार सीमा में रहने वाले नागरिकों के लिए दूसरे राज्यों से पृथक् इस प्रकार के कानून बना सके जिसके द्वारा उन्हें नौकरी, स्कूलों में भर्ती, चिकित्सालयों में प्रवेश, व्यापार तथा स्वतन्त्र व्यवसाय इत्यादि सम्बन्धी विशेष अधिकार दिये जा सकें। भारत में राज्यों की सरकार को यह अधिकार नहीं दिया गया है। नये संविधान के अन्तर्गत प्रत्येक भारतीय को चाहे वह किसी भी राज्य में रहे, समान अधिकार प्राप्त होंगे।

(२) संयुक्त राष्ट्र अमरीका में राज्यों को इस बात का अधिकार है कि वह जनतन्त्र सत्ता के अधीन जिस प्रकार का चाहें, अन्ते लिए विधान बनायें तथा उसमें अब चाहें, परिवर्तन कर सकें। भारत में इसके विरुद्ध प्रत्येक राज्य का विधान संविधान समाप्त ही बनाया गया है। राज्यों की सरकारों को इस बात का अधिकार नहीं दिया गया है कि वह उस विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन अपना सशोधन कर सकें।

(३) उच्च विधानों में प्रायः अधिकार विभाजन के साथ साथ देश में दोहरे घास समा, कार्यकारिणी, न्यायपालिका तथा सरकारी प्रबन्ध का संगठन होता है। इससे देश के शासन प्रबन्ध, न्याय तथा कानूनों में एक प्रकार का दोहरान आ जाता है। यह सब है कि उच्च संसदात्मक विद्यालय देश में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शासन प्रबन्ध में कुछ निमित्तता अवश्य रहनी चाहिये, परन्तु वहाँ तक मौलिक नियमों तथा कानूनों का सम्बन्ध है, वह सारे देश के लिए एक से ही होने चाहिये। यदि ऐसा न हो तो एक ही देश के नागरिकों को एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जाने, वहाँ पर बसने, व्यापार करने अथवा पढ़ने लिखने इत्यादि के कार्य में भारी असुविधा का सामना करना पड़े। हमारे देश में शासन प्रबन्ध की यह एकता (१) समस्त देश के लिए एक उच्च न्यायालय, (२) एक प्रकार के मौलिक दीवानी व फौजदारी कानून तथा (३) एक प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस का संगठन कर के प्राप्त की गई है।

हमारे संविधान में सारे देश के लिए न्यायपालिका का संगठन समान रूप है। देश के सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को सभी राज्यों के हाईकोर्टों तथा उनके नीचे बन करने वाली क्वहरियों पर अधिकार प्राप्त है। सब हाईकोर्टों की अगली सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पैदा होती हैं। कानूनों की एकता बनाये रखने के लिए दीवानी व फौजदारी कानून समन्वय नियमों की सूची में रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त शासन को एक सूत्र

के लिए सभी राज्यों के लिए एक ही अखिल भारतीय सर्विस का आयोजन किया गया है। इस सर्विस के सदस्य सभी राज्यों में उच्च अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। इस प्रकार सभार के दूसरे देशों के सभ विधानों में उत्पन्न होने वाली शासन संबंधी विभिन्नता का हमारे नये सविधान में अंत करने का प्रयत्न किया गया है।

(४) सघीय विधानों का एक और बड़ा दोष कानूनबन्धन (Legalism) तथा बकड़बन्दी (Rigidity) होता है। ऐसा होना स्वाभाविक ही है। कारण, सभ शासन के अन्तर्गत राज्यों तथा सरकार के बीच अधिकारों का विभाजन होता है। यदि वह विभाजन आसानी से बदला जा सके तो फिर उसकी महत्ता कायम नहीं रहती। परन्तु इस बकड़बन्दी से सभ सरकार एकात्मक शासना की अपेक्षा कमजोर तथा बलहीन हो जाती है और राष्ट्रीय सङ्घ अथवा देश पर किसी प्रकार की विपत्ति आ पड़ने के समय, वह पूरी शक्ति के साथ कार्य नहीं कर सकती। वैसे भी वर्तमान काल में आने-जाने के साधनों की सुविधा से स्थानीय विषय राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विषय अंतर्राष्ट्रीय बनते जा रहे हैं। इस कारण, संघात्मक विधान आजकल अधिक पसन्द नहीं किये जाते। परन्तु हमारे विधान निर्माताओं ने इस प्रकार का सविधान बनाया है कि वह इन दोनों ही दोषों से बचा रहे और शक्ति काल और सङ्घ की परिस्थिति में आवश्यकतानुसार कार्य कर सके। हमारे सविधान का इसलिए सबसे बड़ा गुण वह है जिसके द्वारा विपत्ति काल में वह एकात्मक हो जाता है और शान्ति काल में सघात्मक ही रहता है। यदि राष्ट्रपति किसी समय सविधान की ३५२ धारा के अंतर्गत देश में सङ्घ की घोषणा कर दें तो सारा देश एक ही केन्द्र से शासित होने लगता है। इस घोषणा के अधीन सभ सरकार सारे राज्यों के लिए स्वयं कानून बना सकती है, उनकी कार्यकारिणी को मनचाहा आदेश दे सकती है तथा सभ विधान के अर्थ सम्बन्धी भाग को स्थगित कर सकती है।

(५) सविधान को और भी अधिक नमनीय बनाने के लिए हमारे विधान निर्माताओं ने आस्ट्रेलिया के सविधान से उदाहरण ग्रहण किया है। उन्होंने सभ तथा राज्य की सरकारों के बीच अधिकार का विभाजन इस प्रकार किया है कि संघ सरकार उन ६७ विषयों के अतिरिक्त जो उसकी अधिकार सीमा के अन्तर्गत रखे गये हैं, ४७ और ऐसे विषयों पर कानून बना सकती है जो सविधान की समन्ती सूची में दिये गये हैं। इस योजना से यह लाभ हुआ है कि भारत की केन्द्रीय सरकार परत से राष्ट्रीय महत्ता के विषयों पर सारे देश के लिए समान कानून बना सकती है। आस्ट्रेलिया के विधान में तो सभ सरकार को केवल तीन विषयों पर ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है परन्तु भारत में संघ सरकार को यह अधिकार ६७ विषयों पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, संविधान की २४८ धारा के अंतर्गत सङ्घ सरकार को यह अधिकार भी प्रदान किया गया है कि यदि किसी समय राज्यपरिषद् यह अनुभव करे कि राज्य सूची में वर्णित स्थानीय विषय राष्ट्रीय महत्ता का विषय बन गया है तो वह दो विधायक बहुमत से प्रस्ताव पास कर के विषय को सङ्घ सरकार के अधिकार क्षेत्र में दे सकती है। इस प्रकार समय के परिवर्तन के साथ हमारे नये विधान में विज्ञान व वैचारिक के आरम्भ गुण विद्यमान हैं। जहाँ तक सङ्घसदस्यों की स्थिति का सम्बन्ध है, यह हम पहिले ही देख चुके हैं कि विधान की २५०वीं धारा के अंतर्गत सङ्घ सरकार के राज्यों के लिए कानून बना सकती है।

एक तीसरी विधान की २५२ धारा के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों की विधान सभाएँ सङ्घ सरकार से प्रार्थना कर सकती हैं कि वह उनके लिए किन्हीं राज्य सूची के विषयों पर कानून बना दे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा नया विधान अत्यन्त नमनीय (Flexible) है और उसमें समय की परिस्थिति के अनुसार कार्य करने की शक्ति है।

(६) अन्त में, हमारे संविधान की एक और विशेषता यह है कि यह राज्यों तथा सङ्घ सरकार के बीच अधिकार विभाजन के अद्वान्त सम्बन्धी विषयों को छोड़कर और क्षेत्रों में आमानी से बदला जा सकता है। विधान में कहा गया है कि सङ्घ सदस्य सदस्यत्व की उत्तरिपति में दो-विधायक बहुमत से विधान के ऐसे किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है।

अतः हम देखते हैं कि हमारे विधान निर्माताओं ने नये विधान की दूसरे सभी सङ्घ शासनों के दावों से बचाने का प्रयत्न किया है और भारत को विशेष परिस्थितियों का ध्यान रख कर देश में एक ऐसे सङ्घ शासन की स्थापना की है जिसमें एकान्त तथा सद्धान्त दोनों ही शासनों के गुण विद्यमान हैं।

क्या भारत के लिए एकात्मक विधान अच्छा रहता ?

यदि तो अधिकतर लोग हमारे संविधान के जन्मदाताओं की इसीलिये आलोचना करते हैं कि उन्होंने राज्यों का सरकारों को विशेष अधिकार प्रदान नहीं किये और उनके कार्य क्षेत्र पर जगह-जगह कुआरागत किया है; परन्तु इस देश में ऐसी जनता की जो बड़ी नहीं है जो सम्मती है कि राष्ट्र की वर्तमान स्थिति में उसके लिए एकात्मक शासन विधान ही सबसे अधिक उपयुक्त रहता। इन लोगों का कहना है कि (१) भारत की स्वतन्त्रता को दृढ़ बनाने, (२) देश का एकीकरण करने, (३) हमारे राष्ट्रीय जीवन में प्रगतिशीलता, आशावाद तथा साम्प्रदायिकता की वृद्धिकरण की भावनाओं का विकास करने तथा (४) राष्ट्र-विषयों सम्बन्धी शक्तियों को दबाने के लिए, हमारे देश में एक संयुक्त सम्मत् केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता थी।

परन्तु फिर भी यदि हमारे विधान निर्माताओं ने एक सङ्घ शासन की स्थापना की तो इसके मुखर रूप से निम्न कारण थे —

(१) देश की विशालता—१२ लाख वर्गमील के विस्तृत क्षेत्र के लिए एक ही केन्द्रीय सरकार की स्थापना शासन की कुशलता तथा सुविधा की दृष्टि से उचित न थी।

(२) सांस्कृतिक विकास तथा भाषा की उन्नति—हमारे देश के विभिन्न भागों में भाषा, साहित्य, रीति रिवाज, उत्सव, त्यौहार, सङ्गीत तथा दूसरी कलाओं की उन्नति तथा सांस्कृतिक विकास के लिए सघीय सरकार अधिक अपेक्षित थी।

(३) प्रजातन्त्रात्मक दृष्टिकोण—सभ सरकार के अन्तर्गत देश की जनता को शासन प्रबन्ध में भाग लेने का अधिक अवसर मिलता है। एकात्मक सरकार में इसके विपरीत निरङ्कुशात्मक शासन के अधिक अंश होते हैं।

(४) विनेन्द्रीयकरण योजना—हमारे राष्ट्र पिता गांधी विनेन्द्रीयकरण के सिद्धान्त में विश्वास रखते थे। वह चाहते थे कि शासन की इकाइयाँ सारे देश में फैली रहें और राज्य की वास्तविक सत्ता ग्राम पंचायतों के हाथ में हो। यह आदर्श सङ्घ शासन के अधीन अधिक आसानी से पूरा हो सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे विधान निर्माताओं के सम्मुख एकात्मक व सघीय विधानों की अन्वेषणों को अग्रगण्य तथा उन दोनों शासन प्रणालियों के दोषों से बचने का कठिन उद्देश्य था। यह उद्देश्य अत्यन्त ही सफलता तथा सुन्दरता के साथ पूरा किया गया है। हमारे नये विधान में सङ्घ के समय एकात्मक रूप से और साधारण शांति के वातावरण में सघात्मक रूप से कार्य कर सकने की अभूतपूर्व क्षमता है।

राष्ट्रभाषा का प्रश्न—राजभाषा हिंदी

नव सविधान के पास होने से बहुत समय पहले तक हमारे देश के नेताओं के सम्मुख यह जटिल समस्या थी कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या हो? दक्षिण के लोग हिन्दी को राष्ट्र भाषा का स्वरूप दिये जाने के इसलिये विरुद्ध थे कि उन्हें डर था कि इस बदम से उत्तर प्रदेशी शासन व्यवस्था पर ह्या बायेंगे, और उनके बच्चों को अपनी मातृभाषा तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक और अधिक भाषा सीखनी पड़ेगी। परन्तु हिन्दी के अतिरिक्त हमारे देश में दूसरी कोई ऐसी भाषा नहीं थी जिसे भारत की अधिकांश जनता समझ सकती। सङ्घ के अधिक निकट होने के कारण भी इस भाषा के साथ जनता की धार्मिक भावनाएँ सन्निहित थीं। इसलिये बहुत बाद विवाद तथा विवेकशील अध्ययन के पश्चात् यही निश्चय किया गया कि हिन्दी को ही भारत की राष्ट्र भाषा घोषित किया जाय। बहुत काल तक विधान सभा के गांधीवादी सदस्यों की यह राय भी रही कि हिन्दी के स्थान पर हिन्दुस्तानी को राष्ट्र भाषा माना जाय। गांधी जी के शब्दों में हिन्दुस्तानी की परिभाषा वह भाषा थी, जिसे उत्तर भारत के रहने वाले साधारण

और वह अपनी ओर से इस प्रकार की आशाएँ जारी करेंगे जिनसे सरकारी काम के लिए अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग किया जा सके।”

प्रांतीय भाषाएँ

हिन्दी को राष्ट्र भाषा का पद प्रदान करके प्रान्तों की समुन्नत भाषाओं के साथ कोई अन्याय किया गया हो, ऐसी बात नहीं है। सविधान की ३४५वीं धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य की सरकारों को इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी कि वह अपने आंतरिक शासन प्रबंध तथा वृद्धों का अपनी मातृ भाषा में आरम्भिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी एक या एक से अधिक भाषाओं को राज्य भाषा घोषित कर दें। हाँ, इतना अवश्य है कि प्रथम १५ वर्षों में उन्हें सत्तु सरकार के साथ अंग्रेजी भाषा में ही पत्र व्यवहार करना होगा, और इसके पश्चात् अंग्रेजी का स्थान हिंदी द्वारा ले लिया जायगा। आरम्भ के १५ वर्षों के लिए हाई कोर्टों तथा सुप्रीम कोर्ट की भाषा भी अंग्रेजी ही निरिबद्ध की गई है।

जिन प्रांतीय सभाओं का सविधान में उल्लेख किया गया है तथा जिन्हें राज्य भाषा का पद प्रदान किया जा सकता है उनकी सूची इस प्रकार है :—

(१) आसामी, (२) बंगाली, (३) गुजराती, (४) हिन्दी, (५) कन्नड़, (६) कश्मीरी, (७) मलयालय, (८) मराठी, (९) उडिया, (१०) पञ्जाबी, (११) संस्कृत, (१२) तामिल, (१३) तेलुगू, (१४) उर्दू।

भारतीय सविधान का संशोधन

भारतीय सविधान ने संशोधन के विषय में मध्यम मार्ग को अपनाया है। संशोधन की व्यवस्था न अमरीका जैसी कठिन है और न इंग्लैंड जैसी सरल। अमरीका में कोई भी संवैधानिक परिवर्तन उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक कांग्रेस के दोनों भवन दो तिहाई बहुमत से उसे स्वीकार न करें तथा जब तक समस्त राज्यों में से तीन चौथाई उसके पक्ष में न हों। इंग्लैंड में संवैधानिक तथा वृषरे कानूनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है; वहाँ पर सविधान सम्बन्धी कोई भी कानून उर्षी आसानी से पास किया जा सकता है, जैसे कोई साधारण कानून। भारतवर्ष में सविधान के संशोधन के विषय में दो प्रकार का प्रबंध है।

(१) सर्वप्रथम भारतीय सविधान की कुछ धाराएँ ऐसी हैं, जिन धाराओं का अभाव राष्ट्रीय अधिकारों तथा उनके संगठन पर नहीं पड़ता, कि वह सत्र सदस्य के दोनों भवनों में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत, तथा कुल सदस्य संख्या के बहुमत से बदली जा सकती हैं। सविधान में इस प्रकार का संशोधन किसी भी सदन में उपस्थित किया जा सकता है, परन्तु उसका दोनों ही सदनों द्वारा दु बहुमत से पास होना आवश्यक है।

(२) सविधान की जिन धाराओं का प्रथम तथा द्वितीय अर्थात् ८० और ७०

श्रेणी के राज्यों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, वह धारण उस समय तक नहीं बदली जा सकती जब तक संसद् के दोनों सदन बहुमत से तथा आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडल बहुमत से उसे स्वीकार न कर लें। ऐसी दशा में ही इस प्रकार का संशोधन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उपरिष्ठ विना जा सकता है। इस सम्बन्ध में विन आवरों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, वे ये हैं :—

- (१) राष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी संविधान की धारणें,
- (२) सब कार्यपालिका की शक्ति सम्बन्धी संविधान की धारणें,
- (३) ए० श्रेणी के राज्यों की कार्यपालिका संविधान की धारणें,
- (४) सी० श्रेणी के राज्यों की उच्च न्यायालय संविधान की धारणें,
- (५) सर्वाथ न्यायपालिका सम्बन्धी संविधान की धारणें,
- (६) सद्ग और राज्यों के बीच अधिकार विभाजन सम्बन्धी संविधान की धारणें,
- (७) संविधान में संशोधन सम्बन्धी की धारणें,

आष्ट्रेलिया और कौनेडा की नौति भारतीय राज्यों को अपने आन्तरिक संविधानों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

योग्यता प्रश्न

१. "भारतीय संविधान सफलक भी है और एकात्मक भी"। व्याख्या कीजिये (पू० पी० १६५३)
२. "भारतीय संविधान सार में अनूटा है"। इस कथन में क्या खबाई है ?
३. नये संविधान में सद्ग सरकार की अधिक शक्ति क्यों प्रदान की गई है ? क्या भारत के लिए एकामक विधान श्रव्हा रहता ?
४. हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के सम्बन्ध में संविधान में क्या प्रबन्ध किया गया है ? क्षेत्रीय भाषा किसे कहते हैं ?
५. भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार किये जा सकते हैं ? समझाइये। क्या राज सरकारें अपना संविधान बदल सकती हैं ?

नागरिकता तथा मौलिक अधिकार

§ १. नागरिकता

जैसा निम्नले अध्यायो में बतलाया गया है, भारत के नव संविधान के अन्तर्गत भारतवासियों को केवल इकट्ठी नागरिकता के अधिकार प्रदान किये गये हैं, संसार के दूसरे सभ संविधानों की भाँति दोहरी नागरिकता के अधिकार नहीं। संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिकता का निश्चय

हमारा नया संविधान नागरिकता के सम्बन्ध में किसी विस्तृत कानून की व्याख्या नहीं करता। वह यह भी नहीं बताता कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है तथा उसका लोप किस प्रकार हो सकता है। वह केवल इस बात का निश्चय करता है कि संविधान लागू होने के समय किस प्रकार के व्यक्ति भारत के नागरिक माने गये। जहाँ तक नागरिकता सम्बन्धी विस्तृत कानून का सम्बन्ध है, वह भविष्य में संसद द्वारा पास किया जायगा। संविधान लागू होने के समय तीन प्रकार के व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना गया है—

(१) इनमें सर्वप्रथम वे व्यक्ति हैं जो भारत के जन्मजात नागरिक हैं तथा जो देश के किसी भी भाग में जन्म से रहते हैं।

(२) दूसरे, उन शरणार्थियों को भारत का नागरिक माना गया जो देश के विभाजन के पश्चात् भारत में आकर बस गये।

(३) तीसरे, कुछ विरोध शक्तों के अधीन, उन व्यक्तियों को भी भारतीय नागरिकता का अधिकार प्रदान कर दिया गया जो भारतीय होते हुए, विदेशों में जाकर बस गये तथा वहाँ पर व्यापार करने लगे।

उपरोक्त वर्णित इन तीन प्रकार से प्राप्त भारतीय नागरिकता के सम्बन्ध में जो संविधान में प्रबन्ध किया गया है उसका विस्तृत उल्लेख इस प्रकार है :—

(१) जन्मजात नागरिक—प्रथम श्रेणी के लोगों को भारतीय नागरिकता का अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान में कहा गया है कि संविधान के आरम्भ होते समय हर वह व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो या जिसके माता पिता या दोनों में से कोई भारत में जन्मा हो, अथवा जो संविधान आरम्भ होने के कम से कम ५ वर्ष पूर्व से

भारत में रहता हो, परन्तु जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार न कर ली हो, भारत का नागरिक माना जायगा।

(२) **राज्याधीन नागरिक**—दूसरी श्रेणी अर्थात् पाकिस्तान छोड़कर भारत आने वाले हिंदू और सिखों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान में कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वयं या जिनके माता-पिता या बाबू-दादी या नाना नानी या इनमें से कोई अभिभावक भारत में पैदा हुए हों और जो १ जुलाई, १९५८ से पूर्व पाकिस्तान से आकर भारत में बस गये हों, उन्हें भारत का नागरिक माना जायगा। जो लोग जुलाई, १९५८ के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये हैं उनके लिए विधान में कहा गया है कि वह जेनरल ठस दशा में नागरिक समझे जायेंगे, जब वह भारत सरकार द्वारा नियुक्त गये हुए अफसरों के सम्मुख आवेदन-पत्र देकर २६ जनवरी, १९५० से पहले, अपना नाम रजिस्टर करा लें; परन्तु ऐसे व्यक्तियों के नाम की रजिस्ट्री जेनरल ठस दशा में हो सकेगी जब वह आवेदन-पत्र देने के पूर्व कम से कम ६ महीनों से भारत में रह रहे हों। जो व्यक्ति पहिली मार्च सन् १९५७ के पश्चात् भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गये हैं, उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जायगा; परन्तु उन राष्ट्रवादी मुसलमानों की विधि के लिए जो स्वयं या जिनके परिवार के सदस्य साम्प्रदायिक दंगों के समय मरण के कारण पाकिस्तान चले गये थे, परन्तु बाद में पक्का परमिट पाकर भारत लौट आये हैं उनको नागरिकता का अधिकार दे दिया गया है।

(३) **विदेशों में जनने वाले भारतीय**—अब में तीसरी श्रेणी के लोगों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान में कहा गया है कि जो लंग प्राइमल विदेशों में रहते हैं परन्तु जिनका स्वयं या जिनके माता-पिता या बाबू दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म अभिभावक भारत में हुआ था, वह लोग, यदि वह विदेशों में स्थित भारत के राजदूत के दफ्तर में प्रार्थना-पत्र देकर अपने नाम की रजिस्ट्री करा लेंगे तो उन्हें भारतीय नागरिकता का अधिकार दे दिया जायगा। साथ ही संविधान में कहा गया है कि जो व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करेंगे, उन्हें भारत का नागरिक बनने का अधिकार नहीं होगा।

नागरिकता के सम्बन्ध में जैसा पहिले बतलाया गया है, विधान की व्यवस्था अतिनहीं है। भारतीय संसद् को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह इस विधान में एक विद्युत कानून पास कर सके। ऐसा इसलिए किया गया है, जिससे हमर की आवश्यकतानुसार भारत संसद् इस दशा में उचित कानून पास कर सके तथा ऐसा कानून संविधान का संशोधन न समझा जाय। संविधान में दी गई नागरिकता की परिभाषा पूर्ण नहीं है, उदाहरणार्थ उसमें विदेशियों के भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। पाकिस्तान से भारत आने वाले उन हिंदुओं के लिए

भी उचित व्यवस्था नहीं है जो २६ जनवरी सन् १९५० के पश्चात् पूर्वी बंगाल से भाग कर पश्चिमी बङ्गाल में आ रहे हैं। इन्हीं बातों का विचार रख कर, संविधान में, संसद् को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह बाद में इन कमियों को पूरा करने के लिए, हर प्रकार से पूर्ण, भारतीय नागरिकता सम्बन्धी कानून बना सके।

§ २ मौलिक अधिकार

नये विधान के अन्तर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान की नागरिकों को सबसे बड़ी देन, उनके मौलिक अधिकार हैं। ये वे अधिकार हैं जो प्रत्येक भारतवासी का धर्म, जाति, निग तथा जन्म स्थान के भेद भाव के बिना समान रूप से दिये गये हैं। ये अधिकार राज्य की नींव हैं। ये वे गुण हैं जिनके कारण राष्ट्र की शक्ति में नैतिकता का समावेश होता है। यह इस अर्थ में प्राकृतिक अधिकार है कि वे जीवन की अखण्डता तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। भारतवासियों को प्रथम बार यह अधिकार नये विधान के अंतर्गत प्रदान किये गये हैं। इससे पहले अङ्गरेजों के काल में उन्हें किसी प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी और सहस्रों की संख्या में उन्हें प्रति वर्ष बिना मुकदमे जेल भी कोठरियों में बंद कर दिया जाता था। उन्हें न किसी प्रकार की भाषण देने की स्वतन्त्रता थी, न सङ्घ बनाने की और न समाचार पत्र प्रकाशित करने की। नये विधान के अंतर्गत नागरिकों को दो प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। एक यह, जिनके बारे में अदालत में कार्यवाही की जा सकती है। अंगरेजी में इन अधिकारों को (Justiciable) अधिकार कहा जाता है। दूसरे, वह अधिकार हैं जिन पर चलना सङ्घ तथा राज्यों की सरकार के लिए अनिवार्य होगा, परंतु उनके सम्बन्ध में न्यायालयों में कार्यवाही न की जा सकेगी। इन अधिकारों का अंगरेजी में (non justiciable) अधिकार कहा जाता है।

नागरिकों के न्यायालयों द्वारा सुपक्षित मौलिक अधिकार

प्रथम श्रेणी में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है -

(१) समानता का अधिकार, (२) स्वतन्त्रता का अधिकार, (३) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, (४) सृष्टि तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, (५) सम्पत्ति का अधिकार और (६) सैधान्तिक प्रतिकार सम्बन्धी अधिकार।

१. समानता का अधिकार

संविधान में यह एक ऐसा अधिकार है जो नागरिकों को बिना किसी रोक टोक के प्रदान किया गया है। इस अधिकार के द्वारा किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति,

निम्न तथा जन-स्थान के कारण भेद-भाव करना निषिद्ध ठहराया गया है। संविधान में कहा गया है कि सब नागरिकों को दूतानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में, प्रवेश तथा उनके उपयोग का शहर का अधिकार होगा। हरिजनों के साथ किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करती जायगी। राज की नौकरियों प्राप्त करने का सब नागरिकों को समान अधिकार होगा; केवल धर्म, वय, जाति अथवा निम्न के आधार पर किसी व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने के अस्मर से वंचित नहीं रखा जायगा। केवल सिद्धी हुई जातियों के सदस्यों के लिए जिन्हें धर्मों तक सरकारी नौकरियों में पदवी स्थान प्राप्त नहीं है, कुछ स्थान उपलब्ध रखे जायेंगे।

सामाजिक समानता की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम जो हमारे संविधान ने उठाया है, वह हर प्रकार के सरकारी विभागों की सेवा का नियम देना है। गणतन्त्र भारत में किसी भी नागरिक को विश्वविद्यालयों की छात्रियों को छोड़कर और किसी प्रकार के उपसहयोग, उपबहादुरी या सर इत्यादि के शिवाय नहीं दिये जायेंगे।

७. स्वतन्त्रता का अधिकार

इस शीर्षक के अन्तर्गत नागरिकों को मान्य की स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक बिना हथियार इकट्ठा किये सभा करने की स्वतन्त्रता, सङ्घ बनाने की स्वतन्त्रता, भारत के किसी भी प्रान्त में स्वतन्त्रतापूर्वक घूमने, निवास करने या बस जाने की स्वतन्त्रता तथा व्यापार करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। परन्तु इन श्रमणों पर, संविधान में कहा गया है कि सरकार सार्वजनिक हित, सुखवस्था, सदाचार तथा राज की सुरक्षा के विचार से कोई भी श्रेष्ठ लगा सकेगी। ऐसा इसीलिए किया गया है कि नागरिक इन अधिकारों का दुरुपयोग न करे। अधिकार केवल कर्तव्य की दुनिया में ही बँधित रह सकते हैं। किसी भी अधिकार का अर्थ स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करना नहीं होता। उदाहरणार्थ, मान्य की स्वतन्त्रता का यह अर्थ नहीं कि किसी व्यक्ति से जो मन में आवे कहे, किसी का सम्मान अथवा मानहानि करे या बनवा को दिशामुक्त कार्य करने के लिए उकसाये। इस प्रकार के अनियन्त्रित अधिकार देने से अराजकता के अतिरिक्त दूसरा परिणाम नहीं निकलता।

इसलिये स्वतन्त्रता सम्बन्धी संविधान की १२वीं पाठ के दूसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि स्वतन्त्रता का अर्थ यह नहीं होगा कि कोई व्यक्ति किसी की मानहानि करे, या राज के विरुद्ध पट्टन कर सके। इस प्रकार की श्रेष्ठ संसार के अन्य संविधान में ही लागू होती है।

संविधान का संशोधन—परन्तु, संविधान में वर्णित स्वतन्त्रता सम्बन्धी अनुच्छेद श्रेष्ठ के श्रेष्ठ हुए भी भारत के अनेक हिस्सों द्वारा सन् १९५० में इस प्रकार के श्रेष्ठ दिये गये जिनमें कहा गया कि भारत के नागरिकों का मान्य स्वतन्त्रता सम्बन्धी

मौलिक अधिकार इतना व्यापक है कि उसके अन्तर्गत उन्हें हत्या का प्रचार करने की भी शक्ति है। सविधान से इस दोष को दूर करने के लिए १२ मई, १९५१ को पं० जया-हरलाल नेहरू ने भारतीय संसद् में सविधान सम्बन्धी प्रथम संशोधन पेश किया। इस संविधान में माणव की स्वतन्त्रता के विषय में निम्न रोक लगाई गई है :—

(१) सरकार को अधिकार होगा कि राज्य की सुरक्षा एवं अन्य राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिए स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकार पर रोक लगा सके।

(२) सरकार को यह भी अधिकार होगा कि वह सार्वजनिक अस्वस्थता, व्यक्तिगत मानहानि तथा किसी अपराध के लिए उत्तेजना देने पर रोक लगाने के लिए कानून बना सके।

सविधान के इस संशोधन का जोरदार विरोध किया गया। विरोधकर समाचार पत्रों की श्रौर से कहा गया कि इस संशोधन के पास होने से राज्यों की सरकारों को यह अधिकार प्राप्त हो जायगा कि वह समाचार पत्रों के विरुद्ध सेंसर सम्बन्धी तथा दूसरे एमनकारी कानून पास कर सकें। अग्निल भारतीय समाचार पत्र सङ्घ की श्रौर से इन संशोधनों को एकदम अनुचित बताया गया।

संसद् में प्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री ने समाचार-पत्रों को आश्वासन भी दिया कि सरकार कभी स्वतन्त्रता छीनने के लिए किसी प्रकार का कानून नहीं बनायेगी। उन्होंने कहा कि सविधान का संशोधन केवल इसलिए किया जा रहा है कि समाज के शत्रु हिंसा, मारकाट और अराजकता का प्रचार न कर सकें, और गैरजिम्मेदार समाचार पत्र झूठे, अनैतिक तथा हिंसात्मक लेखों द्वारा सरकार के विरुद्ध मोरचा न बनायें। प्रस्तावित संशोधन में उन्होंने रोक शब्द से पहले उचित (Reasonable) शब्द जोड़ कर यह भी स्पष्ट कर दिया कि देश की सर्वोच्च अदालत को इस बात का अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे कानून को अवैध घोषित कर दे जिसके अन्तर्गत समाचार पत्रों पर अनुचित रोक लगाई जाय।

संशोधन का सबसे अधिक विरोध यह कह कर किया जा रहा था कि उसके अधीन किसी भी व्यक्ति को अराजकी घोषित किया जा सकेगा जो लोगों को साधारण कानून तोड़ने के लिए भी उद्यमये। विरोधियों का कहना था कि सरकार को केवल ऐसे ही कृत्य एवं माणव अधिकार घोषित करने चाहिये जिनसे हत्या का प्रचार किन्ना प्राय एवं जिनसे राज्य की सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा पैदा हो। श्री राजगोपालाचार्य ने जो उस समय भारत सरकार के गृहमन्त्री थे, इस दलील का खयाल देते हुए संसद् के सदस्यों को बताया कि प्रत्येक अवैध कार्य, चाहे उसके द्वारा हिंसा का प्रचार किया जाय अथवा दूसरे कानूनों को तोड़ने का आदेश दिया जाय, एक सा ही निन्दनीय कार्य है।

उन्होंने पूछा कि क्या चोर-तजारी करने के लिये लोगों को उकसाना या शपथ-बन्दी का कानून तोड़ने के लिए लोगों को आवाहन देना, उतने ही निन्दनीय कार्य नहीं हैं जितना हिंसा का प्रचार करना ? आगे चलकर उन्होंने समझाया कि संविधान का संशोधन किसी प्रकार का कानून पास किया जाना नहीं है। संशोधन से संसद् का केवल कानून पास करने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि किसी समय उस संशोधन के अधीन संसद् कोई कानून पास करेगी तो सदस्यों को एक बार फिर अपसर मिलेगा कि वे कानून की अच्छाई और दुराइयों पर पूरी तरह से विचार कर सकें।

जमींदारी उन्मूलन के लिए संविधान का संशोधन

संविधान की १६ वीं धारा के अनिरीक, प्रस्तावित संशोधन में इस बात का प्रश्न भी किया गया कि जमींदारी प्रथा की समाप्ति के लिए विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा जो कानून बनाये गये हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अवैध घोषित न कर दिया जाय। इसलिये १६वीं धारा के साथ साथ संविधान की ३२वीं धारा में भी संशोधन पेश किया गया। इस संशोधन में कहा गया कि बिहार, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा जो जमींदारी उन्मूलन कानून पास किये गये हैं उन्हें मौलिक अधिकारों की आड़ में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, किसी भी दशा में, रद्द नहीं किया जायगा।

भारत सरकार को इस संशोधन की आवश्यकता इसलिए अनुभव हुई कि बिहार हाई कोर्ट द्वारा उस प्रान्त का जमींदारी उन्मूलन कानून अवैध घोषित कर दिया गया था। दूसरे प्रान्तों में भी सुप्रीम कोर्ट की सहायता से इन कानूनों को अवैध घोषित कराने का प्रयत्न किया जा रहा था और सरकार यह नहीं चाहती थी कि इस आवश्यक कानून को न्यायालयों की दया पर छोड़ दिया जाय।

विरोध होने पर भी, संसद् द्वारा संविधान का संशोधन स्वीकार कर लिया गया। २ जून १९५१ को २० वें विरुद्ध २२८ वोटों के बहुमत से भारतीय संविधान का पृथक् संशोधन विधेयक स्वीकार कर लिया गया।

स्वतन्त्रता और नियन्त्रण

भारतीय संविधान के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सम्बन्धी नागरिकों का अधिकार इस प्रकार कोई स्वच्छद अधिकार नहीं है। यह एक ऐसा अधिकार है जिस पर विस्तृत अनहित की दृष्टि से रोक लगाई गई है। सरकार के प्रत्येक प्रजातन्त्र शासन में इस प्रकार की रोक लगाई जाती है। नियन्त्रण के अभाव में स्वतन्त्रता का अर्थ श्रावणता होता है। नियन्त्रण के द्वारा ही सब नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है।

इसी कारण स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकारों के अन्तर्गत ही यह भी प्रत्यक्ष किया गया है कि जहाँ व्यक्तियों की व्यवसाय की स्वतन्त्रता हो, वहाँ वह ऐसे व्यापार न करें जो नैतिकता से गिरे हुए हों या जिनके द्वारा समाज के शक्तिहीन वर्गों का शोषण हो।

उदाहरणार्थ, बच्चों या स्त्रियों का व्यापार निषिद्ध ठहराया गया है, साथ ही १४ वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कारखानों में नौकरी करने की मनाही कर दी गई है। इसके आगे विधान में कहा गया है कि एक अपराध में किसी व्यक्ति को दो बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जायगा। कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जायगा। अपराध करते समय जो दंड निश्चित हो उससे अधिक दंड नहीं दिया जायगा, कोई कार्य जो प्रचलित कानून के अनुसार अपराध न हो, उसके करने पर किसी को दंड न दिया जायगा, किसी व्यक्ति को बिना अपराध गिरफ्तार नहीं किया जायगा, गिरफ्तारी के तुरन्त पश्चात् २४ घंटे के अन्दर उसे किसी मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जायगा, प्रत्येक अपराधी मनुष्य को बर्फील करने तथा उसके द्वारा अपने मुकदमे की पैरवी कराने का अधिकार दिया जायगा।

निवारक निरोध (बिना मुकदमे नजरबन्दी का कानून (Preventive Detention Act)

नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगाने वाली विधान में एक और २२वीं धारा है जिनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को तीन महानों के लिए बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द किया जा सकता है, परन्तु ऐसा करने के तुरन्त पश्चात् सरकार को बताना पड़ता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या अभियोग है। इससे अधिक काल के लिए भी व्यक्तियों को नजरबन्द करने का विधान में आयोजन है। परन्तु ऐसा करने से पहले सरकार को कोई हाई कोर्ट के जजों की एक कमेटी के सम्मूल अपने कार्य का औचित्य समझाना पड़ता है। इसी धारा के अन्तर्गत भारतीय संसद् इस प्रकार का कानून बना सकती है, जिसके द्वारा वह निश्चित करे कि अधिक से अधिक कितने काल के लिए किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाये जेल में रक्ता जा सकता है।

आलोचना—स्वभावतः संविधान की इस धारा की सबसे अधिक आलोचना की गई है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि इस धारा के द्वारा संविधान में नागरिकों को जो भी मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं उन सब पर पानी फेर दिया गया है। कुछ आलोचकों ने सरकार के विरुद्ध फासिस्वाद का आरोप लगाया है और कहा है कि इस धारा द्वारा सरकार राजनीतिक विरोधियों का दमन करेगी, परन्तु यदि हम भारत की वर्तमान स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और उन सभी राष्ट्र विरोधी एवं अराजकता फैलाने वाली शक्तियों की ओर ध्यान दें, जो आज भारत की नव प्राप्त स्वतन्त्रता को नष्ट करके समाज के जीवन को अस्तव्यस्त कर देना चाहती है, तो स्पष्ट हो जायगा कि हमारे विधान निर्माताओं ने संविधान में इस प्रकार की अप्रिय धारा क्यों बनाई है। जनतन्त्रात्मक शासन में कोई भी सरकार जनता को अनुचित उपायों से अधिक समय तक नहीं दबा सकती। यदि वह ऐसा करे तो जनता क्रान्ति का पथ अप-

नाती है। इसलिए वह कहना कि हमारे विधान निर्माताओं ने संविधान में ऐसी घात राजनीतिक विरोधियों का टमन करने के लिए बनाई है, युक्तिमय नहीं। अमरीका के विधान में भी वहाँ नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे फैसले दिये गये हैं जिनसे नागरिकों के अधिकारों पर किसी भी रोक लग गई है जैसी वह भारत के विधान में लगाई गई है।

नजरबन्दी का कानून—संविधान की २२वीं धारा के अन्तर्गत २५ परबरी, सन् १९५० को संसद् ने गृह मंत्री सरदार पटेल के सुझाव पर एक बर्ष के लिए एक ऐसा कानून पास किया जिसके द्वारा भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र की सुरक्षा अथवा देश में आंतरिक शांति बनाये रखने के लिए, बिना मुकदमे, १ बर्ष के लिए नजरबन्द कर सकती थी। परन्तु संविधान में दी गई शर्तों का पालन करने के हेतु इस कानून में कहा गया था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति उस समय तक नजरबन्द नहीं किया जायगा जब तक जिला या सभ डिप्टी-मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर पुलिस, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरन्त पश्चात् राज्य की सरकार को यह न बताये कि उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या अभियोग है! अभियुक्त को भी इसी प्रकार उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से अवगत करना होता था। इसके अतिरिक्त गिरफ्तारी के ६ सप्ताह के भीतर, ऐसे व्यक्ति का मानना एक ऐसी परामर्श समिति के सम्मुख पेश किया जाता था जिसके दो सदस्य हाई कोर्ट के जज होते थे, या जज रह चुके थे, अथवा अब नियुक्त किये जाने की योग्यता रखते थे। इस परामर्श समिति के सम्मुख अभियुक्त को भी लिखकर अपनी सफाई पेश करने का अधिकार दिया गया था।

इस प्रकार के कानून को इतने घीम पास करने की आवश्यकता इसलिए अनुभव हुई कि २६ जनवरी के तुरन्त पश्चात् हमारे देश के हाई कोर्टों ने हैपियस कोरपस सिस्टम के आधार पर कन्वैन्शन्ट नजरबन्दों को छोड़ना आरम्भ कर दिया था। इन हाई कोर्टों का कहना था कि नये संविधान के लागू होने के पश्चात् भारत सरकार के वह पुणे कानून मान्य नहीं टहलते या सकते जो जनता के मौलिक अधिकारों की अन्वेषण करते हैं। इसी विवे संविधान में दी गई २२वीं धारा के प्रादेशादुसार संसद् को उल्लेख कानून पास करना पड़ा।

उल्लेख कानून केवल एक बर्ष के लिए पास किया गया था। इसलिए दरबरी सन् १९५१ में श्री सी० राजगोपालाचार्य ने संसद् में फिर प्रार्थना की कि वह 'नजरबन्दी कानून' को एक बर्ष के लिए और लागू करने का अधिकार दे दे। उन्होंने कहा कि भारत में आज भी लोग-बंद, दिया एक साम्प्रदायिक वैमनस्य की भावना महजाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को यह कहकर स्वतन्त्र नहीं छोड़ा जा सकता कि दिए समय कोई अन्याय करने को उन्हें क्षमा

कानून के मातहत गिरफ्तार कर लिया जायगा। उन्होंने बताया कि अपराध को उसके बिये जाने से पहिले ही रोकने का प्रबन्ध होना चाहिये।

परन्तु यह देखने के लिए कि इस कानून की जकड़बन्दी में समाज के शक्तिमिय तथा निरपराध व्यक्ति न आ जायँ उन्होंने 'विना मुकदमे नजरबन्दी' कानून की धाराओं को और भी उदार बना दिया। उदाहरणार्थ नये संशोधित कानून में कहा गया है कि अभियुक्तों को वकील के सलाह लेने की सुविधा दे दी जायगी। साथ ही सरकारों को आदेश दिया गया कि वह गिरफ्तारी के तुरन्त पश्चात्, शीघ्र से शीघ्र अभियुक्त को उन कारणों से अवगत करायँ जिनकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया है। दस सप्ताह से अधिक किसी भी व्यक्ति को बिना परामर्श समिति की आज्ञा के नजरबन्द नहीं रक्ता जा सकेगा। अभियुक्तों के पैरोल पर छोड़ने की व्यवस्था भी कर दी गई। आजकल भी यही कानून देश में लागू है।

सुप्रीम कोर्ट और नजरबन्दी का कानून

नजरबन्दी कानून के अधीन भारत की सर्वोच्च न्यायालय में अनेक ऐसे मुकदमे पैदा किये गये जिनमें सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की गई कि वह नजरबन्दी कानून को अवैध घोषित कर दे। परन्तु जुलाई १९५० में श्री गोपालन के मुकदमे का फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने टहाराया कि नजरबन्दी कानून वैध है; केवल उसकी वह धारा अवैध है जिसके मातहत राज्य की सरकारें न्यायालय को भी वह कारण बताने से मना कर सकती थीं जिनकी वजह से किसी अभियुक्त को बन्दी बनाया गया था।

हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अत्यन्त निपटूता एवं दिलीरी से कार्य किया है। उसने कितने ही मुकदमों में ऐसी-सी अभियुक्तों का यह कह कर छोड़ा है कि उनके विरुद्ध अभियोग स्पष्ट नहीं हैं।

२. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार

भारत में हर व्यक्ति को अंतःकरण तथा धर्म की स्वतन्त्रता प्रदान करने के लिए संविधान की २५वीं धारा में प्रबन्ध किया गया है। इस धारा में कहा गया है कि सामाजिक कल्याण, सदाचार तथा स्वास्थ्य के नियमों का विचार रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतन्त्रता प्राप्त होगी। धार्मिक सम्प्रदायों को अपनी संस्थाएँ बनाने, धार्मिक प्रचार करने और चल और अचल सम्पत्ति रखने का पूर्ण अधिकार होगा। परन्तु, राज्य की नैतिकता कायम रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य किया जायगा जिसकी आत्तदनी किसी धर्म या सम्प्रदाय विरोध की उन्नति में रूचि की जाय। सरकार द्वारा चलाई हुई शिक्षा संस्थाओं में भारत सरकार की धर्म निरपेक्षता

(लौकिकता) के कारण, धार्मिक शिक्षा देने की मनाही की गई है । विलो को इनाम बौधने तथा ले जाने का अधिकार दिया गया है ।

४. सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

धार्मिक अधिकार केवल बहुसंख्यक जाति को ही प्राप्त नहीं होंगे । सचिवान में कहा गया है कि अल्पसंख्यक जातियों अपने धर्म, संस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा कर सकेंगी । वह अपनी इच्छानुसार शिक्षा सरथाएँ चला सकेंगी और सरकार ऐसी सहायता को आर्थिक सहायता देने में किसी प्रकार का अंतरभाव नहीं करेगी । सरकार द्वारा सहायित शिक्षा सरथाओं में हर धर्म, जाति व नस्ल के पच्चे बिना किसी रोक-टोक के शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे ।

५. सम्पत्ति अधिकार

सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने तथा उसका प्रय-विक्रय करने का अधिकार भी नये सचिवान में प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है । विधान में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, विधि से प्राप्त अधिकार बिना, उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायगा । सरकार किसी बल या अनल सम्पत्ति पर केवल उस समय अधिकार कर सकेगी जब उसे प्राप्त करने के लिए उचित मुआवजा दे दिया जाय । मुआवजा उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालतें कर सकेंगी, परन्तु उत्तर प्रदेश, बिहार और मद्रास के जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधानिकता के सम्बन्ध में वही अज्ञान न पड़े, इसलिये सचिवान में कहा गया है कि इन विशेष कानूनों के क्षेत्र में अदालतों को किसी प्रकार का दखल नहीं होगा । ऐसा इसलिए किया गया है कि जिससे उन प्रान्तों में वही जमींदारी उन्मूलन कानून पास हो चुके हैं या विधान सभाओं के विचारधीन हैं, मुकदमों द्वारा उन कानूनों को कार्यान्वित करना असम्भव न बना दिया जाय ।

६. सैधानिक प्रविहार सम्बन्धी अधिकार

अधिकारों का उस समय तक कोई मूल्य नहीं होगा जब तक उनको लागू करने तथा उनको रक्षा करने के लिए सैधानिक उपाय न हों । हमारे नये सचिवान में इस लिये प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय में मामला पेश कर सकेगा । इस अदालत को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए "हेबियस कार्पस" तथा "मै-डेमस" इत्यादि प्रयोगों को काम में ला सकेगी । आब-कल मुनीम कोर्ट में अनेक ऐसे मुकदमे विचारधीन हैं जिनमें बहुत से नागरिकों ने अपने मूल अधिकारों की रक्षा के सम्बन्ध में उस अदालत में शायना-पय दिये हैं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे नये सचिवान में नागरिकों को वह उन्नी सत्ता-

जिक, वैयक्तिक तथा सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं जिनके द्वारा ही कोई मनुष्य अपने जीवन में उन्नति कर सकता है।

नागरिकों के मौलिक अधिकार जो न्यायालयों द्वारा रक्षित नहीं किये जा सकते (Not Justiciable Rights)

उत्तर, नागरिकों के जिन मौलिक अधिकारों की हमने चर्चा की है उनको अदालत द्वारा मनवाया जा सकता है। परन्तु अब हम व्यक्तियों के कुछ ऐसे अधिकारों का वर्णन करेंगे जो अदालत द्वारा तो नहीं मनवाये जा सकते, किन्तु जो राज्य की नींव हैं और जिनके अनुसार राज्य का कार्य चलना चाहिये। नागरिकों के इन अधिकारों की चर्चा संविधान के उन नियामक सिद्धान्तों में की गई है जिनका वर्णन संविधान की ३६ से लेकर ५१वीं धारा में है। आयरलैंड को छोड़ कर सारा के किसी और देश में इस प्रकार के सिद्धान्तों की घोषणा नहीं की गई है। इस प्रकार यह सिद्धान्त हमारे नये संविधान की बहुत सुन्दर विशेषता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे सिद्धान्तों का वर्णन करने से क्या लाभ जिनका पालन करने के लिए सरकार बाध्य नहीं। इस आक्षेप का उत्तर यही है कि नियामक सिद्धान्त राज्य की कार्यकारिणी तथा विधान मण्डल के नाम संविधान समा का एक प्रकार का आदेश है कि वे अपने अधिकारों तथा शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग करें कि नागरिकों के इन सिद्धान्तों में वर्णित अधिकारों की रक्षा हो सके। यह ऐसे नियम हैं जिन पर चलना सड़ सरकार तथा राज्यों की सरकारों को अनिवार्य होगा। इन पर चल कर ही हमारे देश में एक ऐसे आर्थिक तथा राजनीतिक लोकतन्त्र की स्थापना हो सकेगी जिसके बिना स्वतन्त्रता-प्राप्ति व्यर्थ है और साधारण मनुष्य के लिए स्वाधीनता का कोई अर्थ नहीं होता।

राज्य के निर्देशक सिद्धान्त (Directive Principles of State Activity)

राज्य के निर्देशित सिद्धान्त इस प्रकार हैं :

(१) राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें प्रत्येक नर और नारी को समान रूप से जीविका का साधन प्राप्त हो।

(२) राज्य समृद्धि का स्वामित्व व नियन्त्रण इस प्रकार करेगा जिससे सामूहिक हित में अधिक से अधिक वृद्धि हो।

(३) राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे धन व उत्पादन के साधन योद्धे से आदिमियों के हाथ में इकट्ठे न हों।

(४) सब व्यक्तियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिल सके।

(५) बालक व वयस्क मजदूरों की शोषण से रक्षा हो सके।

(६) मान पंचायतों का सङ्गठन हो तथा उन्हें वह सभी अधिकार प्रदान किये जायें जो पहिले कमी उन्हें प्राप्त थे।

(७) राज्य की श्रौर से यथाशक्ति बेकारी, दुर्दाना, बीमारी तथा अभाव की दशा में सार्वजनिक सहायता देने का प्रबन्ध हो।

(८) प्रत्येक व्यक्ति को इतनी मजदूरी मिले कि उसकी जीविदा चल सके।

(९) परलू उद्योग-धर्मों को प्रोत्साहन दिया जाय।

(१०) १० वर्ष के भीतर १४ साल की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध हो।

(११) जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा करने के लिए पौष्टिक भोजन का प्रबन्ध और स्वास्थ्य-सुधार के नियमों का पालन किया जाय।

(१२) श्रम और पशु-पालन का आधुनिक ढंग से सङ्गठन हो, विशेषकर गावों, बड़ों और दूध देने वाले पशुओं की रक्षा की जाय।

(१३) कलात्मक और ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा की जाय।

(१४) कार्यकारी और न्याय सम्बन्धी विभाग को अलग अलग किया जाय।

(१५) निर्व-शान्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, परस्पर सहयोग तथा मतलों का पंचों द्वारा निर्वय कराया जाय।

इस प्रकार हम देखते हैं कि निदेशक सिद्धान्तों में उन सभी आदर्शों को प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया गया है जो किसी भी राष्ट्र की जनता को प्रिय हो सकते हैं तथा बिनके पूरे होने पर समाज में स्वर्गीय आनन्द की रचना हो सकती है।

जनता का कर्तव्य

सविधान में मौलिक अधिकारों व निदेशक सिद्धान्तों के उल्लेख मात्र से जनता का कुछ अधिक भला नहीं होता। उनसे केवल उस दशा में लाभ हो सकता है जब वह कार्यान्वित किये जायें। ऐसा केवल उस दशा में हो सकता है जब जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। संसूत में एक कहावत है "राष्ट्रे कार्ये यान् वयम्" अर्थात् हम राष्ट्र में जागते रहें। इस एक सूत्र के अन्तर्गत जनता का अपने सविधान के प्रति सार कर्तव्य निहित है। स्वतंत्र कौमे-केवल उस दशा में उन्नति के पथ पर अग्रसर होती है जब वह जागरूक और सुचेतना द्वारा अपनी स्वाधीनता का नृत्य चुकायें। यदि आठ भारतवासियों ने यह नृत्य चुकाने में आनाकानी की तो हमारे सभी मौलिक अधिकार नष्ट हो जायेंगे।

हमारे सविधान ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये पूरा प्रबन्ध कर दिया है। सविधान में अधिकारों का पूरा उल्लेख है। उनकी रक्षा के लिए देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी अधिकार दिया गया है। शेष प्रश्न यह बाता है नागरिकों

की जायति एवं चेतनता का । यह भावनाएँ राज्य या कानून द्वारा पैदा नहीं की जा सकती। यह उत्पन्न की जा सकती है, एक जायत लोकमत द्वारा । इसलिए हममें से प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह समाज में इस प्रकार की भावना को जन्म देने के लिए स्वयं कार्य करे तथा उसका दूसरों में भी प्रचार करे।

योग्यता प्रश्न

१. हमारे नये सविधान में नागरिकता के अधिकार किन व्यक्तियों को प्रदान किये गये हैं ? राश्याधी भाइयों के लिए नागरिकता के अधिकार कैसे प्रदान किये जायेंगे ?

२. मूल अधिकारों का नये सविधान के अनुसार क्या अर्थ है ? भारतीय नागरिकों के क्या मूल अधिकार हैं ? (यू० पी० १९५१)

३. राज्य के निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिये । सविधान में इनका क्या महत्व है ? (यू० पी० १९५२)

अध्याय ६

संघ कार्यपालिका

संघ कार्यपालिका का स्वरूप

हमारे संविधान के अन्तर्गत भारत में एक मंत्रिमंडलात्मक शासन की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत देश की कार्यकारिणी व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से अपने सारे कृत्यों, फैसलों तथा बायों के लिए विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी है। विधान मंडल जब चाहे कार्यकारिणी को उसके द्वारा प्रस्तावित कानूनों को रद्द करके या उसके विरुद्ध अविरास का प्रस्ताव पास करके या बजट को अस्वीकार करके उसके पद से अलग कर सकता है। आम चुनावों के समय जनता को यह अवसर मिलता है कि यह विधान मंडल में जिस विचारधारा के भी चाहे, सदस्यों को चुन कर भेजे। जिस राजनीतिक दल के सदस्य विधान सभा में बहुसंख्या में निर्वाचित होते हैं उनके नेता को ही मंत्रिमंडल बनाने का मूखवसर दिया जाता है। इस प्रकार मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य की अंतिम सत्ता निर्वाचकों के हाथ में रहती है।

शासन की यह पद्धति अमरीका की अल्पसंख्यक प्रणाली से बिल्कुल भिन्न है। वहाँ कार्यकारिणी का अल्पसंख्यक राष्ट्रपति विधान सभा के बहुमत दल का नेता नहीं होता। उसका अलग जनता द्वारा अल्पसंख्यक रूप से चुनाव किया जाता है। यह कार्यपालिका का वास्तविक अल्पसंख्यक होता है। उसे अपने मंत्रियों को स्वयं चुनने तथा अलग करने का अधिकार होता है। वह विधान सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता; न ही वह विधान सभा की बैठकों में भाग लेता है। उसके कार्यकाल के अन्त होने तक कोई शक्ति उसे उसके पद से नहीं हटा सकती। चार वर्षों के लिए वह राष्ट्र का सर्वोच्च होता है।

अमरीका और भारत के राष्ट्रपति में अन्तर—हमारे संविधान में राष्ट्रपति कार्यकारिणी का अल्पसंख्यक अवसर है परन्तु अमरीका के राष्ट्रपति की भाँति उसे अधिकार प्राप्त नहीं है। वह इंग्लैंड के सम्राट की भाँति राज्य का नाममात्र का अल्पसंख्यक है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है, परन्तु राष्ट्र का शासन नहीं करता। वह इंग्लैंड के सम्राट की भाँति प्रत्येक कार्य प्रधान मंत्री की सलाह से ही करता है। वहने को राष्ट्र की सभी शक्ति उसके हाथ में निहित है; राज्य के सारे काम उसके नाम पर किये जाते हैं; परन्तु वास्तव में देश का असली शासक प्रधान मंत्री है। बाहर से देखने पर हमारे राष्ट्रपति के भी वही टाट-बाट है जो इंग्लैंड के सम्राट के। रहने के लिए विशाल महल,

सवारी के लिए शाही गाड़ियाँ, रक्षा के लिए सेना और अग-रबक, तोरों की सलामी, मुनहरी पेटियों वाले चपरासी और प्यादे, दावतें और खागन समारोह और सभी मुद्ध, परन्तु वास्तव में उसके हाथों में शासन की कोई विशेष शक्ति नहीं। यह सच है कि विधान में राष्ट्रपति के हाथ में, विशेषकर सङ्घकालीन स्थिति में कार्य करने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण अधिकार सौंप गये हैं और वहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि वह अपने पत्रियों की आज्ञा मानने के लिए बाध्य होंगे, परन्तु आशा है कि इस दिशा में वही सच रीति रिवाज चालू हो जायेंगे जो इंग्लैंड में लागू है और जिनके कारण ब्रिटिश सम्राट मन्त्रिमंडल के हाथ में एक कठपुतली के समान कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नामों में समानता होने पर भी भारत और अमरीका के राष्ट्रपति के अधिकार एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं : (१) एक कार्यकारी का सर्वोत्तम है, दूसरा उसका नाममान का अध्यक्ष । (२) एक सारे मंत्रियों को स्वयं चुनता है तथा उन्हें जब चाहे अलग कर सकता है, दूसरा केवल प्रधान मंत्री का चुनाव करता है और वह भी एक विशेष पद्धति के अनुसार, लोक सदन में बहुमत दल के नेता को । (३) एक बड़े बड़े सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करता है, दूसरा ऐसा प्रधान मंत्री की सलाह से करता है ।

भारत में मन्त्रिमंडलात्मक शासन पद्धति चुने जाने के कारण—यहाँ प्रश्न यह उठता है कि भारत ने मन्त्रिमंडलात्मक शासन पद्धति का क्यों अवलम्बन किया और अल्पसंख्यक सरकार की स्थापना क्यों नहीं की ? इसके भिन्न कारण हैं :—सर्व प्रथम, इस पद्धति के अधीन पिछले १३ वर्षों से हमारे प्रान्तों की सरकारें व्यवस्थित हो रही हैं । केन्द्रीय शासन में भी अन्तरिम सरकार की स्थापना के पश्चात् से वही पद्धति लागू है । इस प्रकार भारतवासियों को इस व्यवस्था का समुचित अनुभव प्राप्त था । इस अनुभव ने उन्हें बताया कि मन्त्रिमंडलात्मक सरकार के अधीन विधान मंडल तथा कार्यकारी के बीच कार्य बहुत सुगमता तथा सुन्दरता से चलता है । मन्त्री उस नीति को आसानी से कर्मान्वित कर सकते हैं जिसके आधार पर वे विधान सभा में चुने जाते हैं । वह विधान मंडल द्वारा उन सभी कानूनों को आसानी से पास करा सकते हैं जिन्हें वह शासन कार्य चलाने के लिए उचित समझते हैं ।

अन्त में, यह शासन प्रणाली भारत में ही नहीं सभार के सभी देशों में लोकप्रिय बन गई है । कारण इस व्यवस्था के अधीन कार्यकारी और विधान मंडल में राजनीतिक अंतराल उत्पन्न नहीं होते । इसमें परिस्थिति के अनुसार बदलने और कार्य करने की प्रकृति होती है । वह प्रणाली अधिक जनतन्त्रात्मक भी मानी जाती है ।

इन सभी लक्ष्यों को देखकर हमारे विधान निर्माताओं ने खूब सोच विचार करने के पश्चात् मन्त्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली का ही अवलम्बन किया ।

राष्ट्रपति

जैसा पहले बताया जा चुका है, हमारे देश की कार्यकारिणी का अल्पतः एक राष्ट्रपति है। श्राब्दमूल इस पद पर डा० सनेन्द्र प्रसन्न नियुक्त हैं। संविधान में कहा गया था कि जब तक संविधान लागू होने के पश्चात् नये चुनाव न हो जायें, संविधान सभा का स्वयं राष्ट्रपति निर्वाचित करने का अधिकार होगा। इस धारा के अन्तर्गत संविधान सभा की एक विशेष बैठक जनवरी २५, १९५० को की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से देशरत्न राजेन्द्र बाबू को राष्ट्रपति चुन लिया गया। अगले दिन गर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में एक विशेष समारोह के बीच उन्होंने अपने पद की शपथ ग्रहण कर ली। आम चुनाव के पश्चात् राष्ट्रपति का चुनाव

संविधान के अन्तर्गत नये चुनाव फरवरी १९५२ में पूरे हो गये। इसके पश्चात् मई के आरम्भ में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्न व्यवस्था की गई है :—

राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव करने का मुख्य कारण यह है कि राष्ट्रपति कार्यकारिणी के नाममात्र के अल्पतः हैं, उनके हाथ में शासन की वास्तविक शक्ति नहीं। इसलिए १८ करोड़ मतदाताओं की विशाल संख्या से उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन आश्वस्त नहीं समझा गया। संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जायगा जिसके सदस्य सब राज्यों की विधान सभा के सदस्य तथा केन्द्रीय संसद् के चुने हुए सदस्य होंगे। चुनाव एकहरे सन्नग्य मत (Single transferable vote) के द्वारा आनुमानिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (proportional representation) के द्वारा किया जायगा; जिससे कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति न चुना जा सके जिसे मतदाताओं की बहुसंख्या का विश्वास प्राप्त न हो। चुनाव में प्रत्येक सदस्य को जितने वोट देने का अधिकार होगा उसके निर्णय के लिए एक विशेष नियम बनाया गया है। इस नियम में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को जहाँ तक सम्भव होगा, उनकी जनसंख्या के आधार पर बराबर के मत देने का अधिकार दिया जायगा और समस्त राज्यों के प्रतिनिधियों को उतने ही मत दिये जायेंगे जितने संसद् के दोनों भवनों के सदस्यों को मिला कर। ऐसा करने के लिए प्रत्येक मतदाता को जितने मत देने का अधिकार होगा उसकी संख्या नीचे लिखे प्रकार से निर्धारित की जायगी :—

यू० पी० की आबादी ६, १६ लाख है। उसकी विधान सभा के निर्वाचित चुने सदस्यों की संख्या ४३० है। अब इस बात का फल लगाने के लिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक यू० पी० का सदस्य कितने वोट दे सकेगा, हमें आबादी की कुल

सख्या अर्थात् ६,१६,००,००० को ४३० से भाग देना होगा और फिर मजनफन को १,००० से । इस प्रकार मजनफन ६,१६,००,००० - ४३० - १००० = १४३ आया । उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सदस्य को यही १४३ राय देने का अधिकार होगा । दूसरे राज्यों के सदस्यों को भी मत देने का अधिकार इसी प्रकार निश्चित किया जायगा ।

मई सन् १९५२ के राष्ट्रपति के चुनाव में, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, इसी प्रकार सब राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों की राय का निश्चय किया गया । उपरोक्त ढंग से हिसाब लगाने पर विभिन्न राज्यों के सदस्यों को जितनी रायें मिली वे नीचे की तालिका में दी गई हैं :—

राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों की राय

नाम राज्य	निर्वाचित सदस्यों की संख्या	प्रत्येक सदस्य के लिए रायों की संख्या
आसाम ✓	१०८	७६
बिहार ✓	३३०	११६
बम्बई ✓	३१५	१०४
मध्य प्रदेश ✓	२३२	६०
मद्रास ✓	३७५	१४५
उड़ीसा ✓	१४०	१०३
पंजाब ✓	१२६	१००
यू० पी० ✓	४३०	१४३
पश्चिमी बंगाल ✓	५३८	१०२
हैदराबाद ✓	१७५	१०१
काश्मीर (संविधान सभा) ✓	७५	५६
मध्य भारत ✓	६६	७६
मैसूर ✓	६६	८३
पैप्पू ✓	६०	५५
राजस्थान ✓	१६७	६२
गोण्ड्वार ✓	६०	६६
द्राचनकोर कोचीन ✓	१०८	७६
अजमेर ✓	३०	२४
मोपाल ✓	३०	२८
कुर्ग ✓	२४	७
देहली ✓	४८	३२

हिमांचल प्रदेश ✓	३६	३०
विष्णु प्रदेश ✓	६०	६५
कुल वोट	<u>३,३५८</u>	<u>३,४५,२५१</u> मत

संसद के सदस्यों को बितने मत देने का अधिकार दिया गया उसकी संख्या ३,४५,२५१ मतों, अर्थात् सब विधान सभाओं के सदस्यों की कुल मत संख्या को, लोक सभा के निर्वाचित ४६५ सदस्य तथा राज्य परिषद् के निर्वाचित २०४ सदस्यों के योग से भाग देकर निश्चित की गई। इस प्रकार ३४५, २५१ ÷ ४६५ + २०४ अर्थात् ४६४ संख्या आई। प्रत्येक संसद के निर्वाचित सदस्य को इतनी ही राय देने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार संसद के सब सदस्यों की राय का जोड़ ३,४५,३०६ आया। इन रायों को विधान सभाओं के सदस्यों की राय के साथ जोड़ने से कुल संख्या ६,६०,५५७ आई। राष्ट्रपति के निहले चुनाव में कुछ सदस्यों ने भाग नहीं लिया और इस चुनाव में बितनी राय डाली गई उनकी कुल संख्या ६,०५,३८६ थी।

चुनाव में राष्ट्रपति के पद के लिए ५ उम्मीदवार खड़े हुए। उन्हें बितनी राय मिली उनकी संख्या इस प्रकार है :—

नाम	मत संख्या	कुल मतों का प्रतिशत
राजेन्द्र प्रसाद	५,०७,४००	८४
फे० य० शाह	६२,८२७	१५
एल० बी० यत्से	२,६७२	३
हीरी राम	१,६५४	३
फे० वे० चटर्जी	५३३	

इस प्रकार लगभग ८४ प्रतिशत रायों से डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया और २३ मई, सन् १९५२ को उन्होंने अपने पद की शपथ ग्रहण कर ली।

योग्यता—राष्ट्रपति के पद के लिए केवल वही लोग खड़े हो सकते हैं जो (१) भारत के नागरिक हों, (२) बिनकी आयु ३५ वर्ष से अधिक हो तथा जो (३) लोक सभा में चुने जाने की योग्यता रखते हों। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी सामन्तरी पद पर आश्रीत है तो वह निर्वाचन के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा। परन्तु संघ सरकार या किसी राज्य का मन्त्री होना या गवर्नर होना या किसी विधान सभा या परिषद् का सभापति अथवा अध्यक्ष होना सामन्तरी पद नहीं समझा जाएगा—ऐसे सब लोग चुनाव में भाग ले सकते हैं।

पद का कार्यकाल—राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल ५ वर्ष होगा परन्तु कि वह इससे पहले ही त्याग-पत्र न दे दें या सार्वजनिक दोषारोपण द्वारा उन्हें उनके पद से न

हटा दिया जाय। जरतक नया पदाधिकारी न चुन लिया जायगा, पहला राष्ट्रपति ही कार्य काल की समाप्ति पर भी अपने पद पर काम करता रहेगा। राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह अपने पद से त्याग पत्र दे दे। ऐसा त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सम्बोधित करके देना होगा जो इसके बाद लोक सभा के समापित के सूचनार्थ पेश कर दिया जायगा। एक बार चुन लिये जाने के पश्चात् भी वही व्यक्ति दोबारा और तिवारा उसी पद के लिए पड़ा हो सकेगा। सविधान में इस विषय में कोई रोक नहीं लगाई गई है।

सार्वजनिक दोषारोपण—राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के सम्बन्ध में विधान में इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि यदि कोई राष्ट्रपति सविधान को मूढ़ करे तो संसद् का कोई एक भवन दो तिहाई बहुमत से दूसरे भवन से यह प्रार्थना कर सकेगा कि वह राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाये गये अभियोगों की जाँच पड़ताल करे। ऐसा प्रस्ताव पेश करने के लिए किसी भवन के कुल सदस्यों की एक चौथाई के हस्ताक्षर तथा १४ दिन की सूचना आवश्यक है। अभियोगों की जाँच पड़ताल करने वाले भवन में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि उस जाँच में स्वयं उपस्थित होकर या प्रतिनिधि के द्वारा भाग ले सके। यदि पूरी जाँच के पश्चात् दूसरा भवन दो तिहाई बहुसंख्या से अभियोगों का समर्थन कर दे तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जायगा।

प्रश्न उठता है कि अब नये विधान में राष्ट्रपति का कोई विशेष अधिकार नहीं दिये गये हैं तो इस दोषारोपण की व्यवस्था किसलिए की गई है। इसका उत्तर यह है कि जैसे पहले बताया गया है, सविधान में राष्ट्रपति के अधिकारों पर कोई वैधानिक रोक नहीं लगाई गई है। केवल ७४वीं धारा में इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह तथा सहायता के लिए प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिमण्डल होगा। यह वही नहीं कहा गया है कि इस मन्त्रिमण्डल की बात मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे। विधान निर्माताओं का आशय था कि इस दशा में कानून से नहीं, रीति रिवाजों (conventions) से काम लिया जाय, परन्तु साथ ही उन्हें डर था कि यदि राष्ट्रपति रीति-रिवाजों को नहीं मानें और मन्त्रियों की सलाह से काम नहीं कर तो क्या होगा? ऐसी परिस्थिति के लिए ही सविधान का २५वीं व २६वीं धारा में राष्ट्रपति पर सविधान तोड़ने का दोष लगाकर, उन्हें उनके पद से अलग करने की व्यवस्था की गई है। मन्त्रियों की सलाह न मानना अथवा देश-द्रोह, भ्रष्टाचार या घूसखोरी का काम करना, सविधान का तोड़ना समझ जायगा।

रिक्त स्थान की पूर्ति—राष्ट्रपति के कार्य काल की समाप्ति से पहले ही सविधान में कृष्ण भया है कि नया निर्वाचन हो जाना चाहिये, परन्तु यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा सार्वजनिक दोषारोपण के कारण नये चुनाव से पहले ही राष्ट्रपति का स्थान खाली हो जाय तो ऐसी दशा में सविधान में कहा गया है कि छह महीने के अन्दर अन्दर नया

चुनाव हो जाना चाहिये। नये राष्ट्रपति का चुनाव चाहे किसी कारण से हो, उसकी अवधि ५ वर्ष की ही निश्चित की गई है।

वेतन—संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति को १०,००० रु० मासिक वेतन, कई प्रकार का भत्ता तथा रहने के लिए भवन तथा दूसरी सुविधाएँ दी जाएँगी। किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसका वेतन नहीं घटाया जा सकेगा। परन्तु, हमारे वर्तमान राष्ट्रपति डा० सनेन्द्र प्रसाद ने देश के आर्थिक संकट को देखकर अपने वेतन में स्वयंसेवा से, १५% की कमी स्वीकार कर ली है।

राष्ट्रपति के अधिकार

संविधान में कहा गया है कि कार्यकारिणी का प्रत्येक कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किया जायगा। यह सेना के प्रधान सेनापति तथा देश की कार्यपालिका के अध्यक्ष होंगे। यह राष्ट्र के प्रतीक तथा जनता के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। इंग्लैंड के सम्राट की भाँति यह कानून से ऊपर हैं। उन पर किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सार्वजनिक दोषारोपण के अतिरिक्त और किसी उपाय से पाँच वर्ष तक उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। उनकी प्रतिज्ञा, मान-मर्यादा कायम रखने के लिए उन्हें हर प्रकार की सुविधाएँ दी जाती हैं—रहने के लिए विशाल महल, सवारी के लिए रोल्स रॉयस गाड़ियाँ, निजी हवाई जहाज, स्पेशल ट्रेन, सेना के लिए अलग रूढ़, पर का प्रयोजन के लिए अनेक अपसर, प्राइवेट सेन्ट्रल, कंट्रोलर आफ हाउसहोल्ड, प्रेस अटैची इत्यादि; राजतंत्र देने के लिए विशेष विधि, मेहनतानों के लिए विशाल अतिथि-घर, सिनेमा देखने के लिए अगना निजी थियेटर, आनन्द प्रमोद के लिए आनन्द-मन्दिर और बढ़िया बाग बगीचे। कहा जाता है कि राष्ट्रपति मनन में ३०० से अधिक कमी हैं। उनकी रिक्तता में ४००० से अधिक आदमी पसते हैं। राष्ट्रपति मनन का अपना निजी पावर हाउस, वेलिंग्टन ऐक्सचेंज, टाक व तार घर, मुनिस्मिन्स प्रबन्ध, पुलिस व सेना है। राष्ट्रपति की सलाह पर भारत सरकार को प्रतिवर्ष १४ लाख रुपये से अधिक व्यय करने पड़ते हैं। संघ में भारत के राष्ट्रपति के वही टाइट-टाइट हैं जो इंग्लैंड में सम्राट के और अंगरेजों में प्रान्त के। दूसरे देशों के राजदूत उन्हीं को अपने प्रमाण-पत्र पेश करते हैं तथा वही दूसरे देशों में अपने राजदूतों की नियुक्ति की स्वीकृति देते हैं। संघ में हम राष्ट्रपति के अधिकारों को पाँच भागों में विभक्त कर सकते हैं : (१) शासन सम्बन्धी (Administrative) अधिकार, (२) विधान सम्बन्धी (Legislative) अधिकार, (३) न्याय सम्बन्धी (Judicial) अधिकार, (४) वित्तीय (Financial) अधिकार और (५) संकट कालीन (Emergency) अधिकार।

१. शासन सम्बन्धी अधिकार

• जैसा पहले बतलाया जा चुका है, राष्ट्रपति कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं। वह स्वयं

प्रधान मंत्री का चुनाव करते हैं। उन्हीं के सम्मेलन सब मंत्रियों को अपने पद की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी जैसे सचीव एवं राज्यों के उच्चतम न्यायालयों के सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, सचीव पब्लिक सर्विस कमिशन के सदस्य, चुनाव कमिश्नर, आइडोट जनरल, राजस्व कमिश्नर के सदस्य, अगरी जनरल इत्यादि को नियुक्ति उन्हीं के द्वारा की जाती है। देश में ससद् द्वारा स्वीकृत, कोई भी कानून उस समय तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक वह उस पर हस्ताक्षर न कर दें। सब मंत्रियों को अपने विभाग के कार्य से उन्हें अवगत कराना पड़ता है। सरकार का कार्य कुशलता पूर्वक चले, इसके लिए उन्हीं को नियम बनाने पड़ते हैं। दूसरे देशों के विरुद्ध युद्ध व सन्धि की घोषणा भी उन्हीं के द्वारा की जाती है। क्वायली इलाकों तथा अधमान निर्वाहार के शासन प्रबन्ध के लिए भी उन्हीं को विशेष प्रबन्ध करना पड़ता है।

२. विधान सन्मन्धी अधिकार

नव संविधान राष्ट्रपति को विधान मंडल का एक आवश्यक और अनिवार्य अङ्ग मानता है। कोई भी 'बिल' उस समय तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दें। वह विधान सभा द्वारा पास बिलों की दोबारा विचार के लिए लाया सकते हैं। विधान सभा की बैठक बुलाने, उसे स्थगित करने तथा प्रग्न करने का अधिकार भी उन्हीं को प्राप्त है। वह ससद् की सभाओं में मापण दे सकते हैं तथा लिए कर सदेश भेज सकते हैं। प्रति वर्ष ससद् के प्रथम अधिवेशन का उन्हीं को उद्घाटन करना पड़ता है जिसमें वह सरकार की नीति का उल्लेख करते हैं। बहुत से विषयों पर कानून उस समय तक नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति से उनके विषय में पूर्व स्वीकृति न ले ली जाय। संसद् के विधानिक काल में उन्हीं अल्यकालीन कानून (Ordinances) पास करने का भी अधिकार है यद्यपि ऐसे कानूनों की शक्ति ससद् के अधिवेशन आरम्भ होने के ६ सप्ताह तक ही रहती है। राज्य परिषद् में १२ सदस्यों को मन्तानीत करने का भी उन्हीं अधिकार दिया गया है।

३. न्याय सन्मन्धी अधिकार

न्याय के सम्बन्ध में भी राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्रदान किये गये हैं। वही देश के हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के जजों तथा चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालयों द्वारा सजा पाये हुए अपराधियों की सजा कम करना या उन्हें क्षमादान देना भी उन्हीं का काम है। वह सुप्रीम कोर्ट से किहीं महत्त्वपूर्ण सैवानिक या सार्वजनिक मामलों पर राय भी ले सकते हैं।

४. विज्ञाप्य अधिकार

अर्थ सम्बन्धी विषयों में भी राष्ट्रपति को अनेक अधिकार प्रदान किये गये हैं। उनकी स्वीकृति के बिना सर्व के सम्बन्ध में कोई भी बिल विधान सभा में प्रस्तुत नहीं

हो सकता। वार्डिक बजट उन्हीं के नाम पर संसद के सम्मेलन पेय किया जाता है। उन्हीं के द्वारा, आर्थिक कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जिसके अध्यक्ष भी के० सी० निरोगी थे। विभिन्न राज्यों के बीच आयकर (Income tax) एवं जूट-कर का बँटवारा उन्हीं की स्वीकृति से किया जाता है।

राष्ट्रपति के अधिकारों पर एक

परन्तु यहाँ यह समझ देना आवश्यक है कि राष्ट्रपति भारतीय शासन के विधाननिष्ठ अध्यक्ष (Constitutional Head) हैं।

यद्यपि जैसा पहले बताया गया है, संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे, परन्तु आशा की जाती है कि इंग्लैंड के शासन की नीति, इस विषय में रीति-रिवाजों (Conventions) से काम लिया जाएगा। संविधान में एक विशिष्ट धारा पार करके राष्ट्रपति की कार्य करने की स्वतन्त्रता का अन्वयण नहीं किया गया है, परन्तु उन्से आशा की गई है कि प्रत्येक साधारण अवस्था में वह अपने मन्त्रियों की सलाह से ही कार्य करेंगे। हाँ इतना अन्वयण है कि सङ्घटनार्थीन अवस्था में उन्हें अपने विवेक से कार्य करने की अधिक मुक्ति प्राप्त होगी। कारण, नव संविधान में ऐसी दशा में उनके हाथ में प्रत्येक अधिकार केंद्रित कर दिये गये हैं। साधारण दशाओं में किसी राष्ट्रपति को देश के शासन प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने का कितना अधिकार है यह इस बात पर निर्भर होगा कि किस प्रकार का व्यक्ति उस पद पर आसीन है। यदि राष्ट्रपति जनता का प्रिय नेता हुआ और साथ ही अत्यन्त ही बुद्धिमान और अनुभवी तो कोई कारण नहीं कि वह देश के शासन प्रबन्ध पर अपने व्यक्तित्व की छाप न लगा सके। प्रथम मन्त्री और राष्ट्रपति के बीच का सम्बन्ध उनके अपने व्यक्तित्व और लोकप्रियता पर निर्भर होगा। यदि प्रधान मन्त्री दुर्बल और शक्तिहीन हुआ तो राष्ट्रपति को अपने अधिकार प्रयोग में लाने का अधिकार प्रबन्ध मिलेगा। विपरीत अवस्था में राष्ट्रपति केवल शासन का नाम-वर्ण अक्षर रहेगा।

नीचे हम राष्ट्रपति की सङ्घटनार्थीन शक्तियों का उल्लेख करते हैं :—

सङ्घटनार्थीन अवस्था में राष्ट्रपति के अधिकार

जर्मनी के वार्डमार संविधान की नीति भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को सङ्घटनार्थीन अवस्था में कार्य करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान किये गये हैं। इन अधिकारों में से एक अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति पञ्जव और अन्य में कर चुके हैं। पञ्जव में कांग्रेस पार्लियामेण्टरी बोर्ड के आदेश के अधीन भार्गव मन्त्रिमण्डल ने १८ जून १९५१ को त्याग पत्र दे दिया। इसके पश्चात् राष्ट्रपति ने संविधान की ३५६वीं धारा के अधीन एक विशेष विधिति निवास्त कर २० जून को इस बात की

घोषणा कर दी कि पञ्जाब में संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हो गया है और भविष्य में उस राज्य का शासन वह स्वयं राज्यपाल की सहायता से चलायेंगे। इस घोषणा के बाद पञ्जाब राज्य का शासन, ग्राम चुनाव के पश्चात् नया मंत्रिमण्डल बनने तक, उसी प्रकार चला जैसे वह केन्द्र के अधीन कोई चीफ कमिश्नर का राज्य हो। इसी प्रकार पेश्वू में खलोला मंत्रिमण्डल को वर्तमान कर राष्ट्रपति ने अपने हाथ में उस राज्य के शासन को ले लिया।

राष्ट्रपति की सङ्कटकालीन शक्तियों को हम ३ भागों में विभक्त कर सकते हैं :—

- (१) युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक उपद्रवों से उत्पन्न सङ्कटकालीन स्थिति,
- (२) किसी राज्य में संवैधानिक सङ्कट, तथा
- (३) देशव्यापी आर्थिक सङ्कट।

(१) युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक उपद्रवों से उत्पन्न संकटकालीन स्थिति—संविधान में कहा गया है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को उपरोक्त किन्हीं भी कारणों से यह सशय होगा कि सारे भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा सङ्कट में है तो वह एक उद्घोषणा द्वारा यह कह सकेगा कि सङ्घ सरकार द्वारा ही, सङ्कटकालीन अवस्था में, सब राज्यों की सरकार चलाई जायगी और ऐसी घोषणा के पश्चात् सङ्घ सरकार को अधिकार होगा कि वह राज्यों के लिए कानून बना सके, तथा राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को आदेश दे सके कि यह सङ्घ सरकार की आज्ञानुसार कार्य करें।

इस प्रकार की उद्घोषणा उस समय की जा सकती है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण या आन्तरिक अशांति अथवा उत्पन्न नहीं हुई हो और उसके उत्पन्न होने की केवल सम्भावना हो। संविधान की ३५२ धारा के अन्तर्गत यह घोषणा, केवल दो महीने के लिए ही लागू रह सकती है, जब तक इससे पहले उस घोषणा का समर्थन संसद् के दोनों सदनों द्वारा न कर दिया जाय। संसद् की स्वीकृति भी इस घोषणा के लिए एक समय में केवल छ मास के लिए दी जा सकती है और किसी भी दशा में कुल मिलाकर यह घोषणा ३ वर्ष से अधिक के लिए लागू नहीं की जा सकती।

जिस समय इस प्रकार की घोषणा लागू होगी तो राष्ट्रपति को यह भी अधिकार होगा कि वह कुछ समय अथवा पूरे सङ्कटकालीन समय के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों सम्बन्धी उस धारा को स्थगित कर दें, जिसके द्वारा उन्हें देश की सर्वोच्च अदायत में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार प्राप्त है।

राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया गया है कि ऐसे समय वह संविधान की उन

२६८ से लगाकर २७३ धारा में भी संशोधन कर दें जिनके द्वारा राज्यों तथा सङ्घ सरकार के बीच आर्थिक साधनों का विभाजन किया गया है।

(२) राज्यों में संवैधानिक संकट—युद्ध अथवा आतंरिक उदर्रतों की अवस्था के अतिरिक्त राष्ट्रपति को संविधान की ३५६वीं धारा के अधीन यह अधिकार दिया गया है कि यदि किसी समय उन्हें राज्यपाल या राज्यप्रमुख या और किसी जरिये से यह शक्त हो कि किसी राज्य का शासन संविधान की धाराओं के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो वह एक घोषणा के द्वारा उस राज्य की सरकार के सब या जितने वह चाहें अधिकार अपने हाथ में ले सकते हैं और राज्यपाल या राज्यप्रमुख के कार्यों का भी सन सञ्चालन कर सकते हैं। ऐसी दशा में वह सङ्घ सभद् को भी अधिकृत कर सकते हैं कि वह उस राज्य के विधान मण्डल की ओर से कानून पास करे। हाई कोर्ट को छोड़कर और किसी संस्था के अधिकार में यह इसी धारा के अधीन, अपने हाथ में ले सकते हैं। इस घोषणा के पश्चात् सङ्घ सभद् को यह अधिकार होता है कि वह किसी ऐसे अधिकारी को जिसे वह नियुक्त करे, उस राज्य की सरकार चलाने के लिए, जिसके समन्ध में वैधानिक संकट की घोषणा की गई है, कानून बनाने अथवा उन पर कार्य करने की शक्ति प्रदान कर दे। राष्ट्रपति को इस स्थिति में यह भी अधिकार होता है कि वह राज्य के बजट से शासन का कार्य चलाने के लिए, स्वयं एवम् की मंजूरी दे दें। जैसा पहले बताया जा चुका है, इस धारा के अधीन सङ्घ की परंपरा पञ्चाय तथा पैन्य राज्य में की जा चुकी है।

(३) देशान्ध्यायी आर्थिक संकट—आगे चलकर संविधान की ३६०वीं धारा में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि यदि किसी समय इन्हें ऐसा अनुभव हो कि देश में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे भारत अथवा उसके किसी राज्य के क्षेत्र में भारी आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, तो वह एक घोषणा द्वारा संविधान में दिये गये षट्ठु स आर्थिक अधिकार अपने हाथ में ले सकते हैं। ऐसी दशा में उन्हें यह भी अधिकार होता है कि वह राज्यों तथा सङ्घ के सरकारी नौजनों के वेतन में कमी कर सकें। सुप्रीम तथा हाई कोर्टों के जजों को तनखाह में भी इसी धारा के आधार पर कमी की जा सकती है। सङ्घ सरकार को यह भी अधिकार है कि वह राज्यों की सरकारों को आदेश दे सके कि वह अपने आर्थिक निधनों का प्रबन्ध उसकी आह्वानुसार करें तथा अपना वार्षिक बजट एवं दूसरे आर्थिक बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजें।

राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की आलोचना

संविधान की ३५२ से लगाकर ३६० धाराओं में राष्ट्रपति को जो विशेष अधिकार दिये गये हैं और जिनका वर्णन हमने ऊपर किया है, उनको लेकर हमारे संविधान

के अनेक आलोचकों ने विधान निर्माताओं पर कपारे छींटे कसे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे जनतन्त्र शासन में, जिसके अन्तर्गत राज्य की शक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में हो, राष्ट्रपति को, जो संसद् के प्रति उत्तरदायी नहीं तथा जिसका चुनाव भी स्वयं जनता नहीं करती, इतने अधिकारों का दिया जाना कोई अच्छी बात नहीं। वह कहते हैं कि ऐसे अधिकार तो केवल निरंकुश राज्यों में ही दिये जाते हैं, जनतन्त्र राज्यों में नहीं। इन अधिकारों को पाकर राष्ट्रपति देश का डिक्टेटर बन कर काम कर सकता है।

परन्तु, समालोचकों की उपरोक्त सब बातों में अधिक तत्व नहीं। कारण, वह यह नहीं समझते कि राष्ट्रपति नये विधान के अन्तर्गत भारत का केवल निधाननिष्ठ, नाम-भारी एव उत्सर्गमूर्त अणु है। शासन की वास्तविक शक्ति जनता द्वारा चुने गये उन मन्त्रियों के हाथ में निहित है जो संसद् के प्रति उत्तरदायी हैं। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का उपयोग केवल उस दशा में कर सकते हैं जब प्रधान मन्त्री उन्हें ऐसा करने की सलाह दे। इसके अतिरिक्त संसद् के उन सदस्यों को जिनमें अधिकतर सदस्य राज्यों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं—सदा यह अधिकार होगा कि वह राष्ट्रपति को इन अधिकारों का उपयोग करने से रोक सकें।

देश की सङ्घकालीन स्थिति में सारे राष्ट्र का हित इसी बात में है कि राज्य का शासन सङ्घ सरकार द्वारा ही चलाया जाय। उसी के कन्वे पर अन्तिम दशा में सारे देश अथवा उसके किसी भी भाग की सुरक्षा और सुव्यवस्था का भार है, इसलिए ऐसी स्थिति में जब तक सङ्घ सरकार के हाथों में कार्य करने की पूरी शक्ति नहीं होगी, वह देश की रक्षा नहीं कर सकेगा। हमारी नवजात स्वतन्त्रता को दृढ़ बनाने तथा राष्ट्र-विरोधी शक्तियों का दमन करने के लिए भी केंद्रीय सरकार के हाथ में इन सब शक्तियों का केंद्रीकरण अत्यन्त आवश्यक है।

२. उप-राष्ट्रपति

नया संविधान भारत के लिए एक उप राष्ट्रपति के चुनाव की भी व्यवस्था करता है। आम चुनावों के पश्चात् प्रथम बार मई सन् १९५२ में उप राष्ट्रपति का चुनाव किया गया। इस पद पर आबकल सर्वोपेक्षी ^{जो भी सही} आसीन है। अमरीका की भाँति यह उप-राष्ट्रपति राज्य परिषद् के अध्यक्ष हैं। परन्तु यदि किसी समय राष्ट्रपति बीमार होंगे, या किसी विशेष कारण से अपने काम की देखभाल न कर सकेंगे या त्यागपत्र दे देंगे या मृत्यु के कारण उनका स्थान रिक्त हो जायगा, तो उप-राष्ट्रपति उनके स्थान पर उस समय तक कार्य करेंगे जब तक नये राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाय। इस बात में अमरीका और भारत के उप राष्ट्रपति की स्थिति में बड़ा मारी अंतर

है। अमरीका के राष्ट्रपति के त्याग-पत्र देने या मृत्यु हो जाने पर, उप-राष्ट्रपति उनका स्थान उनकी शपथ श्रवण के लिए ले लता है। परन्तु भारत में ऐसी अवस्था में वह केवल उतने समय तक के लिए राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे जब तक नये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता।

उपराष्ट्रपति का चुनाव

उपराष्ट्रपति का चुनाव पार्लियामेंट के दोनों भवनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस पद के चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार में वही योग्यता होनी चाहिये जो राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक है। उप राष्ट्रपति को राज्य परिषद् के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाने तथा ऐसे प्रस्ताव पर लोडसमा की अनुमति मिल जाने पर अलग किया जा सकेगा। राष्ट्रपति के समान उप राष्ट्रपति के पद की श्रवण ५ वर्ष ही होगी। यदि किसी समय उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे तो उन्हें वही सब अधिकार प्राप्त होंगे तथा वही वेतन तथा मुक्तिपत्र मिलेंगी जो राष्ट्रपति को मिलती है।

३. मंत्रिमंडल

भारतीय सदन की वास्तविक कार्यगणिका एक मन्त्रिमण्डल है। उसी के हाथ में शासन की सारी शक्ति निहित है। मन्त्रिमण्डल संसद् (Parliament) के प्रति उत्तरदायी है। संसद् में जनता के प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार कार्यगणिका का अतिम उत्तरदायित्व जनता के प्रति है। एक प्रभावशाली शासन की यहाँ सबसे बड़ी पहचान है। जनता जब चाहे मन्त्रिमण्डल को बदल सकती है। आम चुनाव तथा उप-चुनाव के समय जनता को मन्त्रिमण्डल के प्रति अपना विश्वास अथवा अविश्वास प्रकट करने का पूरा अवसर मिलता है। शेष अवसरों पर भी प्रश्नों, समाश्रों, ड्यूतियों, प्रदर्शनों, हड़तानों तथा समाचार पत्रों द्वारा जनता शासन सम्बन्धी विषयों पर अपनी राय सरकार के कानों तक पहुँचा सकती है। एक उत्तरदायी सरकार को जनता की इस आवाज की धन करनी पड़ती है। वह उसके प्रति उदासीन नहीं रह सकती।

नये चुनाव होने से पहले संघीय मन्त्रिमण्डल का स्वरूप—नये विधान के अन्तर्गत आम चुनाव परवरी सन् १९५२ में हुए। उस समय तक के लिए संविधान की ३८१ धारा में कहा गया था कि संविधान लागू होने से पहले के मन्त्री, राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल के रूप में कार्य करते रहेंगे। २६ जनवरी सन् १९५० को एक प्रकार से मन्त्रिमण्डल का पुनर्संरचना हुआ। उस दिन राष्ट्रपति के सम्मुख सनी मन्त्रियों ने अपने पद की दोगारा शपथ ग्रहण की और कहा कि यह भारतीय गणतंत्र राज्य के प्रति वफादार रहेंगे।

श्रावण की भाँति इस मन्त्रिमण्डल के नेता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
उन्हीं के द्वारा उस मन्त्रिमण्डल का संगठन किया गया था।

इस मन्त्रिमण्डल में तीन प्रकार के मन्त्री थे—एक कैबिनेट मन्त्री, दूसरे राज्य मन्त्री (Ministers of State) और तीसरे उपमन्त्री (Deputy Ministers)। कैबिनेट मन्त्री वह मन्त्री कहलाते थे जो सरकार की अंतरंग सभा के सदस्य थे तथा जो सरकार की नीति का निश्चय करते थे। ऐसे मन्त्रियों को ३५०० रु० मासिक वेतन, रहने के लिए मुफ्त मकान तथा सवारी के लिए मंत्र गाड़ी दी जाती थी। राज्य मन्त्री कैबिनेट की मीटिंगों में भाग नहीं ले सकते थे। उन्हें इन मीटिंगों में केवल उस समय आमंत्रित किया जाता था जब उनके विभाग के कार्य के सम्बन्ध में किसी बात पर विचार करना हो। ऐसे मन्त्री सरकारी विभाग का स्वतंत्र चार्ज ले सकते थे परन्तु अधिस्तर उनके विभाग की देखभाल किसी कैबिनेट मन्त्री को करनी पड़ती थी। उपमन्त्री कैबिनेट मन्त्रियों के सहायक मन्त्रियों के रूप में कार्य करते थे [वह किसी दशा में भी कैबिनेट की सभाओं में सम्मिलित नहीं हो सकते थे]। राज्य मन्त्रियों को ३००० रु० मासिक और उपमन्त्रियों को २००० रु० मासिक वेतन दिया जाता था। राज्य मन्त्रियों तथा उपमन्त्रियों को रहने के लिए मुफ्त मकान तथा मोटर गाड़ी भी नहीं दी जाती थी।

इस प्रकार मन्त्रिमण्डल में १४ कैबिनेट मन्त्री, ६ राज्य मन्त्री तथा ६ उप मन्त्री थे। जन सन् १९५१ में, प्रधानमंत्री ने दो और सदस्य अर्थात् श्री सतीशचन्द्र तथा श्री मिश्र को अपना आन्तरीक पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी भी बना दिया था। यह पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी मन्त्री नहीं कहे जाते थे, न उन्हें मन्त्रिमण्डल का अंग ही माना जाता था। प्रथम बार भारत के वैद्रीय शासन में, इस नये पद का आविष्कार इसलिए किया गया कि ससद् ने कुछ नौजवान सदस्यों को शासन का अनुभव प्राप्त हो सके।

सन् १९५१ तथा १९५२ में भारतीय मन्त्रिमण्डल में अनेक परिवर्तन हुए। सबसे पहले श्री पण्डितम चेट्टी प्रथम मन्त्रिमण्डल के निज मन्त्री थे, इसके पश्चात् डाक्टर जान मथाई को इस पद के लिए चुना गया। उनके त्याग पत्र दे देने पर श्री सी० डी० देशमुख को इस पद पर नियुक्त किया गया। वैसे श्री देशमुख इण्डियन सिविल सर्विस के सदस्य थे। उनका मन्त्री पद के लिए चुना जाना, जहाँ एक ओर उनकी योग्यता और बुद्धिमत्ता का परिचायक था, वहाँ दूसरी ओर यह यह साबित करता था कि हमारे देश के राजनीतिकों में अर्थ विशेषज्ञों की कितनी कमी है। डाक्टर मथाई ने त्याग पत्र के पश्चात् बहुत दिनों तक उनका स्थान खाली पड़ा रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री गोविंद वल्लभ पंत से प्रार्थना की गई कि वह इस पद को स्वीकार कर लें, परन्तु उनके प्रात की कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ऐसा न करने दिया। प्रजातंत्र राष्ट्रीय में साधारणतया

सरकारी नौकरी को मंत्री पद के लिए नहीं चुना जाता। परंतु भारतवर्ष में अर्थ एवं वित्त विरोधियों की कमी के कारण हमारे प्रधान मंत्री को ऐसा करना पड़ा।

वित्त मंत्री के अतिरिक्त दूसरे मंत्रियों के पद में भी निम्नलिखित वर्गों में उच्च परिवर्तन हुए। डॉक्टर इरामा प्रसाद मुद्गल तथा श्री जे० सी० मिश्री ने सन् १९५० में मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा त्याग-पत्र दे दिया कि वे नेहरू सरकार की पाकिस्तान के साथ पूर्वी बंगाल के प्रश्न पर, समझौते की नीति का समर्थन नहीं करते थे। श्री जैयन्त दास दौलतराम को आसाम का राज्यपाल बनाकर उनके स्थान पर श्री जे० एन० हुग्री को नियुक्ति की गई। इस प्रकार मोहन लाल सक्सेना के स्थान पर श्री अशोक प्रसाद जैन पुनर्वासि मंत्री नियुक्त किये गये।

ग्राम चुनावों के पश्चात् नये मन्त्रिमंडल का निर्माण

भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में ग्राम चुनाव नवम्बर दिसम्बर सन् १९५१ से आरम्भ होकर फरवरी सन् १९५२ के अन्त तक समाप्त हो गये। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी के तुम्हाराई को भारी सफलता प्राप्त हुई। केन्द्र में लोक सभा के ४८२ निर्वाचित सदस्यों में से कांग्रेस पार्टी के ३६२ सदस्य तथा राज्य पार्लियामेंट में १०० निर्वाचित सदस्यों की संख्या में से १४६ सदस्य कांग्रेस पार्टी के चुने गये। केंद्रीय मन्त्रिमंडल के निर्माण के सम्बन्ध में संविधान का आदेश इस प्रकार है :—

प्रधान मंत्री का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसे सभ्य के निचले मजदूर वर्गों, लोक सभा के बहुसंख्यक सदस्यों का विश्वास प्राप्त हो। दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि प्रधान मंत्री द्वारा की जायेगी। इस क्षेत्र में भारतीय संविधान दूसरे विधानों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली पाती है, क्योंकि यह प्रधान मंत्री के नेतृत्व का स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और उसे इस बात का अधिकार देता है कि वह जिसे चाहे चुने तथा जिस प्रकार चाहे मंत्रियों के बीच काम का बँटवारा करे। मंत्री चुने जाने के लिए किसी पूर्णवर्षीय हिस्से अपना कोई विशेष प्रकार की योग्यता अनिवार्य नहीं है। परन्तु प्रत्येक स्थानीय मंत्री के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। ६ महीने से अधिक काल के लिए बाहर के व्यक्ति मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं रह सकते। मंत्रियों की संख्या के सम्बन्ध में भी किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। उनकी संख्या प्रधान मंत्री द्वारा ही निश्चित की जाती है, और इसमें वह जोर चाहे फेर-बदल कर सकते हैं।

उत्तरीक विधान के अधीन ग्राम चुनावों के पश्चात् नये मन्त्रिमण्डल का संकल्पन १३ मई सन् १९५२ को हुआ। उसी दिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने अन्तर्-पद का शपथ ग्रहण को भी, तथा पुराने मन्त्रिमण्डल ने अपना त्याग पत्र दे दिया था। इसके पूर्व ११ मई को सभ्य की कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से अन्तर्-पद का पद चोड़

श्री एन० दातार
 श्री एस० बरगाहिन
 आरिद अली
 श्री राज बहादुर
 श्री के० डी० मालवीय,
 एम० सी० शाह
 ले० के० भौसले
 श्री० बी० अलगेसेन,
 श्रीमती चन्द्रशेखर
 ए० के० चन्दा,
 एम० बी० कृष्णाप्पा,
 जैमुन्बलाल हाथी,
 ए० सी० गुहा

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे मन्त्रिमण्डल में ¹² कैबिनेट मन्त्री, ६ कैबिनेट मन्त्री जो कैबिनेट के सदस्य नहीं हैं, तथा ६ उपमन्त्री हैं। नये मन्त्रिमण्डल में दूसरी प्रकार के मन्त्रियों की एक नई श्रेणी निर्माण की गई है। पहले इन मन्त्रियों को राज्य मन्त्री कहा जाता था। उन्हें कैबिनेट मन्त्रियों की अपेक्षा कम वेतन मिलता था। अब ऐसे सब मन्त्री कैबिनेट मन्त्री कहलायेंगे। उन्हें साधारणतया कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा, परन्तु यदि किसी समय उनके विभाग से सम्बन्धित कोई विषय कैबिनेट के विचारार्थ होना तो वह उधमें भाग ले सकेंगे। उपमन्त्रियों के अतिरिक्त ४ पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी भी नियुक्त किये गये हैं। इन में श्रीमती लक्ष्मी मदन, शाहनवाज, हनारिका तथा श्री बी० आर० भगत के नाम प्रमुख हैं।

मन्त्रिमंडल का संगठन (Organisation of the Cabinet)

मन्त्रिमंडलात्मक सरकार के अधीन, जैसा पहले बताया जा चुका है, शासन की वास्तविक शक्ति मन्त्रियों के हाथ में ही केन्द्रित होती है। राष्ट्रगति कार्यगति का मान-पारी अर्पण होते हैं। वास्तव में उनकी सारी शक्तियों का उपयोग मन्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। मन्त्रियों के सम्मिलित रूप को 'कैबिनेट' कहा जाता है। जैसा हम पहले देख चुके हैं, सब मन्त्रियों के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह 'कैबिनेट' के सदस्य हों। राज्य मन्त्री, उपराज्य मन्त्री तथा पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। एक प्रकार से 'कैबिनेट' को हम मन्त्रिमण्डल (Council of ministers) की अन्तरग सभा (Executive Body) कह सकते हैं। इस सभा के सभी प्रमुख मन्त्री सदस्य होते हैं। आबकल भारतीय मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की कुल

सख्या २२ है परन्तु 'कैबिनेट' के सदस्यों की सख्या केवल १५ है। इंग्लैंड में भी इसी प्रकार का प्रवन्ध है। वहाँ मन्त्रियों की सख्या लगभग ५० होती है, परन्तु कैबिनेट के सदस्यों की सख्या २० या २१ से अधिक नहीं होती। कभी कभी 'कैबिनेट' के अन्तर्गत एक और छोटी कैबिनेट (Cabinet within Cabinet) बना दी जाती है जिसके सदस्य प्रधान मन्त्री तथा तीन चार प्रमुख मन्त्री होते हैं। हमारे देश में भी इस प्रकार की छोटी 'कैबिनेट', "मन्त्रिमण्डल की आर्थिक सब समिति" है, जिसके सदस्य पं० जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, डाक्टर काजू, श्री देशमुख तथा श्री नंदा हैं। मुद्र अथवा किसी भीषण सङ्कट के समय इस प्रकार की छोटी कैबिनेट से अधिक काम लिया जाता है, अन्यथा साधारणतया सभी कैबिनेट के सदस्य मिलकर सरकार की नीति का निश्चय करते हैं।

सरकारी विभाग (Departments of the Government of India)

वैसे तो कैबिनेट के सदस्य अलग अलग अपने विभागों की देख बाल करते हैं, परन्तु शासन की नीति का निश्चय वह सब एक साथ मिल कर करते हैं। हमारे देश में सरकारी विभागों का विभाजन इस प्रकार है—

- (१) विदेश विभाग (Ministry of External Affairs)
- (२) गृह विभाग (Ministry of Home Affairs)
- (३) रक्षा विभाग (Ministry of Defence)
- (४) वित्त विभाग (Ministry of Finance)
- (५) व्यापार तथा उद्योग विभाग (Ministry of Commerce & Industry)
- (६) संचार विभाग (Ministry of Communications)
- (७) परिवहन विभाग (Ministry of Transport)
- (८) शिक्षा विभाग (Ministry of Education)
- (९) स्वास्थ्य विभाग (Ministry of Health)
- (१०) कृषि व खाद्य विभाग (Ministry of Agriculture & Food)
- (११) रियासती विभाग (Ministry of States)
- (१२) विधि (कानून) विभाग (Ministry of Law)
- (१३) निर्माण, मकान तथा रसद विभाग (Ministry of Works, Housing & Supply)
- (१४) श्रम विभाग (Ministry of Labour)
- (१५) उत्पादन विभाग (Ministry of Production)

(१६) रेडियो व सूचना विभाग (Ministry of Information & Broadcasting)

(१७) पुनर्वास विभाग (Ministry of Relief Rehabilitation)

(१८) संसद् विषय विभाग (Ministry of Parliamentary Affairs)

प्रत्येक विभाग का मुख्य अधिकारी एक मंत्री होता है जिसके अधीन एक सेक्रेटरी, कुछ डिप्टी सेक्रेटरी, अन्टर सेक्रेटरी तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट इत्यादि कार्य करते हैं। हमारे देश में सरकार के १५ विभाग कैबिनेट मन्त्रियों के अधीन हैं; शेष ३ विभाग राज्य मन्त्रियों के अधीन हैं। कोई विभाग कैबिनेट मन्त्री के अधीन रहे वा राज्य मन्त्री के अधीन इसका निश्चय प्रधान मन्त्री द्वारा ही किया जाता है। कभी-कभी एक ही मन्त्री के अधीन कई कई सरकारी विभाग हो सकते हैं, जैसे आरक्षक रियासती तथा गृह विभाग, एक ही मन्त्री, अर्थात् डा० काजू के अधीन हैं। इसके पहले सरदार पटेल सरकार के ३ महत्वपूर्ण विभाग, अर्थात् गृह, रियासत तथा रेडियो व सूचना विभाग के अध्यक्ष थे।

सयुक्त उत्तरदायित्व (Joint Responsibility of the Cabinet)

सब मन्त्री अलग अलग अपने अपने विभागों की देखभाल करते हैं, परन्तु कैबिनेट की समझौतों में उन सब को एक-दूसरे के विभाग की आलोचना एवं गीका दिखानी करने का अधिकार होता है। वास्तव में सरकार की नीति का निश्चय ही कैबिनेट की समझौता में किया जाता है। इस समझौता का सन्तत प्रधान मन्त्री होता है और उसकी अनुसरण में कैबिनेट का सबसे सीनियर मन्त्री। कैबिनेट के निर्णय अत्यन्त गुप्त रखे जाते हैं और इसके लिए कैबिनेट का अन्ना अलग सेक्रेटेरियट होता है। कैबिनेट की समझौतों में प्रत्येक सदस्य को अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता होती है, परन्तु एक बार कोई निश्चय हो जाने पर पश्चान्, उस सबको मानना पड़ता है तथा उस पर अमल करना पड़ता है। कोई मन्त्री यह नहीं कह सकता कि उसने अमुक बात का विरोध किया था और इसलिए वह उस नीति को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सर मन्त्री सयुक्त रूप से संसद् के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसी एक विभाग की नीति सारे सरकार की नीति माननी जाती है, इसलिए यदि संसद् के सदस्य किसी एक मन्त्री या विभाग के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करना चाहें तो वह सारे मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव माना जाता है, और उसके पास हो जाने पर सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल को अपने पद से त्याग-पत्र देना पड़ता है। इस प्रकार सयुक्त जिम्मेदारी (Joint Responsibility) मन्त्रिमण्डलात्मक शासन की सबसे बड़ी पहचान है।

यदि कोई मन्त्री कैबिनेट के निर्णय को मानने के लिए तैयार न हो तो उन्हें अपने पद से स्वतः त्याग पत्र देना पड़ता है; अन्यथा प्रधान मन्त्री भी उनका त्याग पत्र माँग

सकते हैं। डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा श्री नियोगी ने भारत पाकिस्तान सम्झौते के प्रश्न पर कैबिनेट से मतभेद हो जाने के कारण त्याग पत्र दिया था। डा० जान मथाई ने भी योजना आयोग (Planning Commission) के निर्माण पर प्रधान मंत्री से मतभेद होने के कारण त्याग पत्र दिया था।

बहुत बार प्रधान मंत्री किसी मन्त्री द्वारा त्रुटि करने पर उसका त्याग पत्र माँग सकते हैं। श्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू को इनकम टैक्स जाँच समिति के काम में भूल करने पर इसी प्रकार मंत्री पद से अलग किया गया था।

प्रधान मन्त्री का कैबिनेट में स्थान (Position of the Prime Minister in the Cabinet)

कैबिनेट के उपराक्त वर्णन से पाठकों को विदित हो गया कि प्रधान मन्त्री कैबिनेट का सुकृतमणि एवं मेरुदण्ड होता है। वह केन्द्रीय सरकार की धुरी के रूप में कार्य करता है। अंग्रेजी में उसे (Keystone of the Cabinet arch) कह कर पुकारा गया है। वह समस्त शासन की इकाई स्थापित करता है। उसने ऊपर ही सरकार के समस्त कार्य की अंतिम जिम्मेदारी रहती है। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय विषय पर उसी को निर्णय देना पड़ता है। सभ्य में वह सरकार की ओर से आवश्यक प्रश्नों पर नीति का स्पष्टीकरण करता है। राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भी वही 'बड़ी' का काम देता है। वह स्वयं सरकार के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। बड़े बड़े उच्च पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए भी वही राष्ट्रपति को सलाह देता है। अपने देश की विदेश नीति का वही उल्लेख करता है। बड़ी बड़ी सार्वजनिक समारोहों, एवं संधियों में उसी को सरकारी नीति की विवेचना करनी पड़ती है। कैबिनेट की समारोहों में वही समापति का शासन ग्रहण करता है तथा उसके लिए कार्य क्रम निश्चित करता है। वह जब चाहे और जैसे चाहे अपने मंत्रिमण्डल में परिवर्तन कर सकता है। सरकार की आर्थिक एवं गृह नीति का भी वही निर्णय करता है।

परन्तु इस बात का यह आशय नहीं कि कैबिनेट के दूसरे मंत्री कोई महत्ता नहीं रखते। प्रधान मंत्री अपने साथियों का केवल नेता होता है, उनका स्वामी नहीं। वह उनकी प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषय में राय लेता है तथा उनकी सम्मति एवं सहयोग से ही सरकार का कार्य चलाता है।

मन्त्रियों के पद की अवधि (Terms of the Ministers)

मन्त्रिमण्डलात्मक शासन के अन्तर्गत मन्त्रियों के पद की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। यह केवल उसी समय तक अपने पद पर कायम रहते हैं जब तक उन्हें सभ्य का

विश्वास प्राप्त हो। अविश्वास की दशा में उन्हें तुरत ही अपने पद से त्याग-पत्र दे देना पड़ता है।

मन्त्रिमण्डल के कार्य (Functions of the Cabinet)

यहाँ यह अल्पत उक्त होगा कि इन सभ्य में मन्त्रिमण्डल के कार्य का उल्लेख कर है :-

(१) सर्वप्रथम सरकार की यह एव विदेश नीति का निश्चय करना कैबिनेट का सबसे आवश्यक एव महत्त्वपूर्ण कार्य होता है। इस नीति का उल्लेख कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री द्वारा करते हैं।

(२) दूसरे, कैबिनेट राज्य के वैधानिक कार्य (Legislative Programme) का निश्चय करती है। सभ्य में कौन से बिल प्रस्तुत किये जायेंगे तथा उन्हें किस ढंग में उपस्थित किया जायगा, इसका निश्चय कैबिनेट को ही करना पड़ता है।

(३) तीसरे, राष्ट्र की आर्थिक और निजी नीति का निश्चय कैबिनेट द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए कैबिनेट के सब सदस्य मिलकर वार्षिक बजट एव 'कर नीति' का निश्चय करते हैं। इसके पैसे सम्बन्धी बिल केवल मन्त्रियों द्वारा ही सभ्य में प्रस्तुत किये जा सकते हैं, प्रायः सदस्यों द्वारा नहीं।

(४) चौथे, दूसरे देशों के साथ व्यापारिक एव राजनीतिक संधि का निश्चय कैबिनेट को ही करना पड़ता है। युद्ध एव मुक्त का निश्चय भी कैबिनेट की सलाह पर सभ्य द्वारा किया जाता है।

(५) शासन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी सब कैबिनेट सदस्यों को मिलकर निश्चय करना पड़ता है। उदाहरणार्थ नये राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की संस्थाओं में अदला-बदली, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण, अधिकारों का विभक्तिकरण इत्यादि समस्त समस्याओं का निश्चय कैबिनेट के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है।

(६) अन्त में, संवैधानिक सम्बन्धी समस्त विषयों पर कैबिनेट के सदस्यों को ही निश्चय करना पड़ता है, उदाहरणार्थ संविधान में क्व और क्या संशोधन किये जायें, विस्थापित के मुद्दों को कहीं तक स्वीकार किया जाय इत्यादि। वह ऐसे विषय हैं जिन पर कैबिनेट की बैठकों में ही निश्चय किया जाता है।

उन्व परों पर अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी प्रायः पूरी कैबिनेट के सदस्यों की सलाह ली जाती है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मन्त्रिमण्डल शासन के अर्थ में कैबिनेट ही देश की वास्तविक शासक होती है। वही संयुक्त रूप से सरकार के समस्त विभागों को नियंत्रण करती है तथा राष्ट्र की नीति का निश्चय करती है।

योग्यता प्रश्न

१. नये संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को क्या अधिकार प्राप्त हैं ? (यू० पी० १६५२) .
२. राष्ट्रपति की वैधानिक व संकटकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिये ।
३. क्या यह सच है कि नव संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति को फासिस्ट अधिकार दे दिये गये हैं ?
४. नव संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है ? यह प्रणाली अमरीका से किस दशा में भिन्न है ?
५. भारत के राष्ट्रपति और अमरीका के प्रधान की शक्तियों की तुलना कीजिये ।
६. 'भारत में राष्ट्रपति को सही स्थान प्राप्त है जो इङ्ग्लैंड के शासन में सम्राट् को ।' यह कथन कहीं तक ठीक है ?
७. नये विधान के अन्तर्गत केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल का सङ्गठन किस प्रकार होता है ? वर्तमान मन्त्रिमण्डल का स्वरूप क्या है ?
८. प्रधान मन्त्री, मन्त्रि परिषद् रूपी वृत्त खंड का मध्य अक्षर है । (लार्ड मार्ले) । यह कथन भारत के प्रधान मन्त्री पर कहीं तक लागू होता है ? (यू० पी० १६५३)
९. कैबिनेट मन्त्री, राज्य मन्त्री और उपमन्त्री में क्या भेद है । यह भेद किसलिए रक्खा गया है ?
१०. मन्त्रि परिषद् के सङ्गठन एवं उसके कार्यों का विवरण कीजिये ।
११. नवीन संविधान के अनुसार प्रधान मन्त्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है ? प्रधान मन्त्री के वर्त्यों तथा अधिकारों का उल्लेख कीजिये । (यू० पी० १६५२)
१२. भारत के उग्रराष्ट्रपति पर संक्षिप्त नोट लिखो ? (यू० पी० १६५३)

संघ संसद् (Union Parliament)

ग्राम चुनावों से पहले संघ संसद् का स्वरूप

नये संविधान के अन्तर्गत ग्राम चुनाव होने तक, संविधान की ३१६वीं धारा में कहा गया था कि २६ जनवरी, १९५० से पहले कार्य करने वाली संविधान सभा के सदस्य भारतीय संसद् (Indian Parliament) के रूप में कार्य करते रहेंगे। २६ जनवरी तक इन सदस्यों की संख्या ३०८ थी। इसके पश्चात् संविधान के उन सदस्यों ने जो प्रान्तीय विधान सभा तथा संविधान सभा दोनों के सदस्य थे, त्याग-पत्र दे दिया। कारण नये संविधान के अन्तर्गत कोई व्यक्ति एक समय में केवल एक ही विधान मण्डल का सदस्य हो सकता है, एक से अधिक का नहीं। इस प्रकार २६ जनवरी के पश्चात् जब २८ जनवरी को गणतन्त्र भारत की प्रथम संसद् का अधिवेशन आरम्भ हुआ तो उसमें लगभग १०० नये सदस्य उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त भारतीय संसद् में कुछ ऐसी नई रिक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दे दिया गया जो जनवरी १९५० के पश्चात् भारतीय यूनियन में सम्मिलित हुई थीं उदाहरणार्थ हैदराबाद, काश्मीर इत्यादि।

इस प्रकार भारतीय संसद् के उन सदस्यों की संख्या जो ग्राम चुनाव से पहले उसके सदस्य थे ३२५ थी। इन सदस्यों का चुनाव सीधा जनता द्वारा नहीं बल्कि भारतीय विधान सभाओं द्वारा किया गया था। ३२५ सदस्यों में प्रान्तों, रिक्तियों, हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, एंग्लो इण्डियन सभी जातियों तथा हितों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इस संसद् में विभिन्न राज्यों की स्थिति इस प्रकार थी :—

राज्य का नाम	सदस्य संख्या
आसाम	६
बिहार	३६
पम्पई	२६
मध्य प्रदेश	२०
मद्रास	५०
उड़ीसा	१४
पञ्जाब	१६
उत्तर प्रदेश	५७
पश्चिमी बंगाल	२१
हैदराबाद	१६
जम्मू और काश्मीर	४
मध्य भारत	७

मैसूर	७
पन्थाला और पूर्वी-पञ्जाब सह	३
राजस्थान	१२
सौराष्ट्र	५
ट्रान्स्मकोर कोचीन	७
विन्ध्य प्रदेश	४
अजमेर	१
भोपाल	१
बूच बिहार	१
बुर्ग	१
देहली	१
हिमाचल प्रदेश	१
कन्नड़	१
मनीपुर त्रिपुरा	१
कुल सदस्य संख्या	३२५

नव सविधान के अन्तर्गत सघ ससद्

नव सविधान के अन्तर्गत सह ससद् के तीन अंग हैं— (१) राष्ट्रपति, (२) लोक सभा और (३) राज्य परिषद्। राष्ट्रपति ससद् के अविभाज्य अङ्ग हैं। दोनों भवनों से जो विल पास होते हैं उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। उन्हीं के द्वारा सब कानून लागू तथा परिवर्तित किये जाते हैं। लोक सभा के सदस्य भारत की ३५ करोड़ जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका चुनाव सीधा बालिग स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। राज्य परिषद् राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। उसके सदस्य अपने अपने राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने की चेष्टा करते हैं। वह सभे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। उनका चुनाव राज्यों में विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब हम इन दोनों सदस्यों की व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तार से वर्णन करेंगे।

लोक सभा (House of the People)

संसार के सभी प्रजातन्त्रवादी विधानों की भाँति भारत में भी लोक सभा की शक्ति दूसरे भवन अर्थात् राज्य परिषद् की अपेक्षा अधिक रखी गई है।

सदस्य संख्या—लोक सभा के सदस्यों की संख्या के सम्बन्ध में सविधान में कहा गया है कि इस सदन में अधिक से अधिक ५०० सभासद हो सकेंगे। जनसंख्या के आधार पर ५ लाख से ७२ लाख की आबादी के पीछे एक प्रतिनिधि लोक सभा में निर्वाचित होना चाहिये। ५१

उपरोक्त धारा के अधीन सन् १९५० में सङ्घ सत्र ने एक विशेष कानून पार करके लोक सभा के सदस्यों की संख्या ४९९ निश्चित कर दी थी। विभिन्न राज्यों द्वारा जिस संख्या में प्रतिनिधि आम चुनावों के समय इस सदन के लिए चुने गये उनका निरस्त नाके दिया गया है। इस विवरण में हरिजनों तथा कर्नाटकी जातियों के लिए जिस प्रकार स्थान सुरक्षित रखे गये उनकी संख्या भी दे दी गई। ४९९ सदस्यों में से ३ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये गये। इनमें से २ सदस्य ऐंग्लो इण्डियन जाति के लोगों का तथा १ सदस्य आराम की कर्नाटकी जाति का प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत किये गये।

प्रथम आम चुनावों के पश्चात् लोक सभा का संगठन

नाम राज्य	कुल सदस्य संख्या	हरिजनों के लिए सुरक्षित स्थान	कर्नाटकी जातियों के लिए सुरक्षित स्थान
ए. श्रेणी के राज्य			
आराम	१२	१	२
बिहार	५५	७	६
बम्बई	४५	४	४
मध्य प्रदेश	२९	४	३
मद्रास	७५	१२	१
उड़ीसा	२०	३	४
पंजाब	१८	३	—
उत्तर प्रदेश	८६	१७	—
परिचयी बंगाल	३४	६	२
	३७४	५७	२२
बी. श्रेणी के राज्य			
हैदराबाद	२५	४	—
जम्मू तथा कश्मीर	६	—	—
मध्य भारत	११	२	१
मैसूर	११	२	—
पैन्थ	५	१	—
राजस्थान	२०	२	१
सौराष्ट्र	६	—	—
द्रावणकोर-कोचीन	१२	१	—
	९६	१२	२

सी. श्रेणी के राज्य			
अजमेर	२	—	—
भोपाल	२	—	—
बिलासपुर	१	—	—
बुर्ग	१	—	—
देहली	४	१	—
हिमाचल प्रदेश	३	१	—
कन्नड़	२	—	—
मनीपुर	२	—	१
त्रिपुरा	२	—	—
विंध्य प्रदेश	६	१	१
अडमान	१	—	—
	<u>२६</u>	<u>३</u>	<u>२</u>
कुल योग	<u>४८६</u>	<u>७२</u>	<u>२६</u>

लोक सभा में विभिन्न दलों की स्थिति

ग्राम चुनावों के फलस्वरूप लोक सभा में विभिन्न दलों की स्थिति इस प्रकार थी :-

नाम दल	मतों की संख्या जो दल को प्राप्त हुये	कुल डाले गये मतों का प्रतिशत	कितने स्थान जीते
कांग्रेस	४७,५२८,६११	४४.८	३६२
समाजवादी	११,१२६,३४४	१०.५	१२
के० एम० पी० पी	६,१५८,७८२	५.८	६
साम्यवादी	४,७१२,००६	४.४	२३
जन सङ्घ	३,२१६,३६२	३.	३
रीड्यूल्ट फाल्ट फिडरेशन	२,५०२,६६४	२.३	२
राम राज्य परिषद्	२,०६४,८११	१.६	३
श्रमिकार लोक	१,४८६,४८८	१.४	१
हिन्दू महासभा	१,०४६,२६३	१.	४
अन्य दल	२,४००,०००	.६	२६
स्वतन्त्र	<u>१६,८४५,४६४</u>	<u>१५.६</u>	<u>४२</u>
	१०५,६८७,३१८	६६.६	४८६

शेष ७ सदस्यों में ६ जम्मू तथा काश्मीर राज्य के मनोनीत सदस्य हैं, तथा १ सदस्य अडेमान-निकोबार द्वीप का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है।

१ सदस्य अद्वान निकोबार द्वीप का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है।

इस प्रकार भारत की वर्तमान लोक सभा में कांग्रेस दल के सदस्यों को ३ से भी अधिक बहुमत प्राप्त है। विरोधी दलों में साम्यवादी दल की स्थिति सबसे अधिक शक्तिशाली है। इस दल के नेता श्री ए० के० गोपालन तथा उपनेता प्रो० मुकुर्जी हैं। इसके पश्चात् सम्युक्त राष्ट्रीय दल का स्थान है जिसके नेता डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी थे। यह दल बहुत से दक्षिण पंजीय दलों जैसे जनसङ्घ, महासभा, अकाली, गणतन्त्र परिषद् इत्यादि को मिलाकर बनाया गया था। डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के पश्चात् इस दल की स्थिति शून्य हो गई है। साम्यवादी दल के पश्चात् इसलिए आज़ादल प्रजा समाजवादी दल ही जिसके नेता आचार्य कृपलानी हैं, सबसे प्रमुख विरोधी दल बन गया है।

प्रत्यक्ष चुनाव—कानून में कहा गया है कि जम्मू-काश्मीर तथा अद्वान-निकोबार को छोड़कर, वहाँ के प्रतिनिधि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जायेंगे, शेष राज्यों में उनका सीधा जनता द्वारा चुनाव किया जायगा।

वयस्क (बाल्य) मतदाता (Adult Franchise)—प्रत्येक ऐसे स्त्री और पुरुषों को जिसकी आयु २१ साल से अधिक है तथा जो पागल, दिवालिया या जन्म से मूर्ख नहीं या किसी धर्म अन्वेष में सजा न पा चुका हो या किसी चुनाव सम्बन्धी अन्वेष के कारण दण्डित न हुआ हो, राय देने का अधिकार है। नये विधान के अंतर्गत यह एक क्रान्तिकारी परिवर्तन है। इसके द्वारा भारत की १८ करोड़ जनता को राज्य के काम में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया है। भारत के इतिहास में कभी पहले इतनी बड़ी जनसंख्या को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। भारत में ही नहीं, संसार के किसी भी देश में इतनी बड़ी जनसंख्या को आज तक राय देने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। विद्यमान चुनावों में इंग्लैंड में मतदाताओं की संख्या ३३ करोड़ थी, अमेरिका में यह संख्या ६३ करोड़ थी, रूस में १० करोड़ और जन राज्य चीन में १६३ करोड़। पुरुषों में ही नहीं, स्त्रियों में भी भारतवर्ष के अन्दर, मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। नये संविधान के अन्तर्गत ६ करोड़ स्त्रियों को राय देने का अधिकार प्राप्त है जब कि १९३५ के संविधान के अन्तर्गत उनकी संख्या केवल ६६ लाख थी। १९१६ के भारतीय विधान के अनुसार केवल ३% और १९३५ के ऐक्ट के अनुसार केवल १३% जनता को राय देने का अधिकार था। नये विधान में स्वयंसेवा, आनन्दनी, सानाजिठ हैसियत, उपाधिर्ना या साक्षरता इत्यादि की योग्यता मतदाता के लिए अनिवार्य नहीं रखी गई है। प्रत्येक ऐसे बाल्य स्त्री या पुरुष को जिसमें मूल-भूत सोचने की साधारण बुद्धि है—राय देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। इस प्रकार भारत

में शासन की अन्तिम शक्ति उन किसानों, मजदूरों तथा खेत में काम करने वाले हलवाहों के हाथ में आ गई है जो भारतीय जनता का ६०% अंग हैं।

पृथक निर्वाचन प्रणाली का अन्त (Abolition of Separate Electorates)—नये संविधान के अन्तर्गत पृथक निर्वाचन प्रणाली का भी अन्त कर दिया गया है। इसके पहले भारतीय चुनावों में, हिन्दू हिन्दुओं को और मुसलमान, सिख, ईसाई, एंग्लो इण्डियन अपनी-अपनी जातियों के लोगों के लिए वोट देते थे। प्रत्येक जाति के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र होते थे तथा उनकी अपनी अलग निर्वाचन सूचियाँ होती थीं। प्रत्येक जाति के व्यक्तियों के लिए धारा सभा में स्थान सुरक्षित थे। उम्मीदवार धर्म के नाम पर दूसरी जाति के लोगों के विरुद्ध अपने धर्मावलंबियों को मढ़काकर उनसे राय माँगते थे। चुनावों में खुर साम्प्रदायिकता का जहर उमला जाता था। नये विधान के अन्तर्गत हरिजन तथा कुछ पिछड़ी हुई क्वाइली जातियों को छोड़कर और किसी के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था नहीं की गई है। चुनाव सब जातियों के लिए संयुक्त होंगे और उनमें हिन्दू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब एक दूसरे को मिल कर राय देंगे। इस प्रकार भारत के नये संविधान में भारत की एकता के दो बड़े शत्रु—सुरक्षित स्थान तथा पृथक निर्वाचन प्रणाली—दोनों का अन्त कर दिया गया है। हरिजनों तथा पिछड़ी हुई जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था इसलिए की गई है जिससे सहस्रों वर्षों से अधिकार-वंचित, यह जातियों, समाज के दूसरे व्यक्तियों के समान अपने जीवन का स्तर ऊँचा कर सकें। परन्तु यह व्यवस्था केवल दस वर्ष के लिए ही की गई है। इसके पश्चात् सब जातियों को समान रूप से ही अधिकार प्राप्त होंगे।

निर्वाचन क्षेत्र (Electoral Constituencies)

नये संविधान के अन्तर्गत सन् १९५२ के आरम्भ में चुनाव करने के लिए सारा देश प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (Territorial Constituencies) में बाँटा गया था। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग ५ लाख से ७॥ लाख के बीच रखी गई थी। साथ ही इन क्षेत्रों के घनाते समय, इस बात का ध्यान रखा गया कि एक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और प्रतिनिधियों में जो अनुपात है, वही सारे भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कायम रहे। इस नियम के अधीन चुनाव क्षेत्रों की औसत जनसंख्या ७,२०,००० आई। अब प्रथम चुनाव के पश्चात् दूसरे आम चुनाव के समय, नई जनगणना के हिसाब से विभिन्न क्षेत्रों का पुनर्संगठन किया जायगा जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से चुनाव करने के लिए क्षेत्रों का पुनर्विभाजन किया जा सके। जन गणना के तुरन्त पश्चात् यह आवश्यक नहीं, कि लोक सभा को तुरन्त भंग कर दिया जाय। इस गणना का प्रभाव केवल नये आम चुनावों पर पड़ेगा।

आगामी आम चुनावों के लिए नई जनगणना के आधार पर, लोक सभा में सीटों का वितरण

भारतवर्ष में नई जनगणना सन् १९५१ के आरम्भ में की गई। इस जनगणना के फलस्वरूप, यह आवश्यक हो गया कि लोक सभा में, जनसंख्या के आधार पर निर्दिष्ट की गई, विभिन्न राज्यों की सीटों का पुनः बँटवारा किया जाय। इस कार्य को सम्पादित करने के लिए भारत सरकार ने एक विशेष कमीशन की नियुक्ति की और चुनावों सन् १९५१ में इस कमीशन ने अपनी सिफारिशों भारत सरकार को पेश कर दीं। इन सिफारिशों के आधार पर नई लोक सभा का निर्माण इस प्रकार किया जायगा।

सन् १९५७ में बनने वाली लोक सभा का संगठन

नाम राज्य	कुल सदस्य संख्या	हरिजनों के लिए सुरक्षित स्थान	बन जावियों के लिए सुरक्षित स्थान
ए० श्रेणी के राज्य			
१. आंध्र	२८	४	१
२. आसाम	१२	१	२
३. बिहार	५५	७	६
४. बम्बई	४८	४	५
५. मध्य प्रदेश	१८	४	३
६. मद्रास	४८	८	—
७. उड़ीसा	२०	४	४
८. पंजाब	१७	३	—
९. उत्तर प्रदेश	८६	१६	—
१०. पश्चिमी बंगाल	१४	६	२
बी० श्रेणी के राज्य			
१. हैदराबाद	१५	—	—
२. जम्मू काश्मीर	६	—	—
३. मध्य भारत	११	२	१
४. मैसूर	१३	२	—
५. पटना	५	१	—
६. राजस्थान	२१	२	—
७. छत्तीसगढ़	६	—	—
८. त्रिपुरा-मिजोरम	१३	१	—

सी० श्रेणी के राज्य

१. अजमेर	१	—	—
२. भोपाल	२	—	—
३. बिलासपुर	१	—	—
४. बुरग	१	—	—
५. देहली	३	—	—
६. हिमाचल प्रदेश	२	—	—
७. कच्छ	२	—	—
८. मनीपुर	२	—	१
९. त्रिपुरा	२	—	१
१०. विध्यप्रदेश	५	१	१
कुल जोड़	५००	६६	२७

उपरोक्त टेबिल में आंध्र राज्य का नाम भी शामिल कर लिया गया है, कारण यह राज्य अक्टूबर सन् १९५२ में अलग रूप में कार्य आरम्भ कर देगा। अभी हैदराबाद और सौराष्ट्र राज्यों के लिए हरिजनों की सीटों का निश्चय नहीं किया गया है, इस सम्बन्ध में निर्णय बाद में दिया जायगा।

राज्यों की सीटों का बँटवारा भी इसी प्रकार किया गया है। इसका वर्णन ६वें अध्याय में किया गया है।

नई जनगणना के आधार पर किये गये लोक सभा में सीटों के उररुक वितरण से विदित होगा कि सन् १९५७ में बनने वाली लोक सभा, वर्तमान लोकसभा से निम्न बातों में भिन्न होगी :—

(१) वर्तमान लोक सभा में निर्वाचित सदस्यों की सख्या केवल ४८८ है। इनके अतिरिक्त ६ सदस्य काश्मीर राज्य को, २ सदस्य ँग्लो इडियन जाति को, १ सदस्य अडमान द्वीप को तथा १ सदस्य आराम की जन जातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। इस प्रकार वर्तमान लोक सभा के कुल सदस्यों की सख्या ४९९ है। नई लोक सभा में निर्वाचित सदस्यों की सख्या, काश्मीर को मिला कर ५०० होगी। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति ँग्लो इडियन जाति इत्यादि को विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे तो यह सख्या बढ़ कर ५०४ हो जायगी।

(२) दिल्ली राज्य के आबकल लोक सभा में ४ प्रतिनिधि हैं। नई लोक सभा में इनकी सख्या घटा कर ३ कर दी गई है।

(३) इसके अतिरिक्त मद्रास, बम्बई, द्रावनकोर-कोर्नाम तथा मैसूर राज्यों की सीटों में, आन्ध्र राज्य बनाये जाने की योजना के कारण, परिवर्तन कर दिया गया है।

निर्वाचन—मुख्य निर्वाचन आयुक्त (चीफ इलेक्शन कमिश्नर) की नियुक्ति

हमारे संविधान का एक और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य, चुनावों की निष्पत्ति तथा उनमें ईमानदारी कायम रखने के लिए, निर्वाचन कमीशन की नियुक्ति है। विधान की ३२४वीं धारा में कहा गया है कि निर्वाचकों की सूची, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण, देश में होने वाले सभी चुनावों का निरीक्षण, एवं देल मान तथा चुनाव सम्बन्धी मुद्दमों के फैसल के लिए राष्ट्रपति एक इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करेंगे, जिसका अध्यक्ष एक चाफ इलेक्शन कमिश्नर होगा तथा उसके नीचे इतने सहकारी इलेक्शन कमिश्नर या रीजनल इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किये जाँगे, जितने राष्ट्रपति इस कार्य को पूरा करने के लिए उचित समझें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने कार्य को पूर्ण निष्पत्ता के साथ कर सके इसलिए संविधान में कहा गया है कि उसका रिपॉर्ट देशी ही होगी जैसी मुश्रीम कोर्ट के जजों को और उसको अपने पद से उठी प्रकार हटाया जा सक्का जैसे मुश्रीम कोर्ट के जजों को। अपने कार्य को पूरा करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने दफ्तर का स्टाफ स्वयं रखने का अधिकार है। सारे देश के चुनाव सम्बन्धी सभी विषयों की देल मान इसी इलेक्शन कमिश्नर द्वारा की जाती है।

चुनाव का तरीका (Procedure of Elections)

संविधान का ३२४वीं धारा से लेकर ३२६वीं धारा चुनाव के सम्बन्ध में निखी गई है। इसके अतिरिक्त संविधान के अन्तर्गत एक जन प्रतिनिधित्व विधेयक (People's Representation Act) पास किया गया है जिसमें चुनाव के विषय में सम्पूर्ण बातें विस्तार से निखी गई हैं।

इस कानून के अनुसार भारत में विद्यमान चुनाव इस प्रकार सम्पन्न हुए :—

पेश व रायों के चुनाव एक साथ किये गये। पहले प्रत्येक मतदाता को "विधान सभा" के उम्मीदवारों में से अपना चुनाव करने के लिए मत पत्र (Ballot paper) दिया गया और उसके पश्चात् 'लोकसभा' के चुनावों में भाग लेने के लिए। दोनों चुनाव वयस्क मतदाता पर आधारित थे, इसलिए उनके लिए एक ही मतदाता-सूची (Electoral Roll) थी।

रायों व केंद्रों की विधान सभा के चुनाव के लिए समस्त देश वस्तु से निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया। इन चुनावों के लिए एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र (Single Member Constituencies) की प्रणाली सबसे अधिक उपयुक्त समझा गई, कारण इस प्रणाली के अन्तर्गत चुनाव क्षेत्रों का संचालन छोटा होता है और मतदाता उसे आसानी से समझ लेते हैं। परन्तु कुछ ऐसे क्षेत्रों के लिए जहाँ हरिजन तथा जन-

जाति (Tribal people) के लोगों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये गये थे, बहु निर्वाचन क्षेत्रों (Plural Member Constituencies) की व्यवस्था भी की गई। सब मिलाकर ससद् के ४८६ और राज्यों के ३०५५ सदस्य चुनने के लिए १६२१ चुनाव क्षेत्र निर्धारित किये गये। इनमें से ४०१ निर्वाचन क्षेत्र ससद् के सदस्यों के चुनाव के लिए थे, जिनमें से ३१४ चुनाव क्षेत्रों में से एक एक सदस्य चुना गया, ८६ निर्वाचन क्षेत्रों से दो दो तथा १ निर्वाचन क्षेत्र से तीन सदस्य चुने गये। राष्ट्रीय विधान मण्डलों में २५०० निर्वाचन क्षेत्रों में से १६८६ से एक-एक, ५३३ से दो दो और एक निर्वाचन क्षेत्र से तीन सदस्य चुने गये।

चुनाव होने से कुछ समय पहले एक तारीख निश्चित की गई जिस तारीख तक चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक था कि वह अपने निर्देशन पत्र (Nomination papers) चुनाव अधिकारी के सम्मुख दाखिल कर दें। इन निर्देशन पत्रों में दो ऐसे मतदाताओं के हस्ताक्षर होने आवश्यक थे, जिनमें से एक उम्मीदवार का नाम पेश करे तथा दूसरा उसका अनुमोदन करे। उम्मीदवार की ओर से इस बात की सहमति भी आवश्यक थी कि वह चुनाव में लड़े होने के लिए तैयार है।

निर्देशन पत्र दाखिल होने के पश्चात्, ७ दिन के अन्दर उनकी जाँच-पड़ताल की गई। इसके पश्चात्, तीन दिन उम्मीदवारों को इसलिए दिये गये कि यदि वह चाहें तो अपना नाम वापस ले लें।

इसके कम से कम ३० दिन पश्चात् आम चुनावों की तिथि निश्चित कर दी गई।

आम चुनावों के लिए इस बात का प्रबन्ध किया गया कि अधिक से अधिक १००० मतदाताओं के पीछे एक चुनाव घर (Polling Booth) व्यवस्था हो, जिससे मतदाताओं को अधिक दूर तक पैदल न चलना पड़े। नव सविधान के अन्तर्गत, सवारी का प्रबन्ध करना, उम्मीदवारों के लिए निषिद्ध ठहराया गया है। इसलिए मतदाताओं को अपनी सवारी में या पैदल ही, बोट डालने के लिए आना पड़ा। सारे भारत में लगभग २,५०,००० चुनाव घरों की व्यवस्था की गई। इससे किसी मतदाता को राय देने के लिए २ मील से अधिक पैदल नहीं चलना पड़ा। इस बात का विचार रखते हुए कि चुनाव में ६० प्रतिशत मतदाता वे वोट लिखें थे मन पत्र पर निशान लगाने की प्रथा का अन्त कर दिया गया। इसके स्थान पर अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए अलग अलग चुनाव पेगी निश्चित कर देने की प्रथा को अपनाया गया। प्रत्येक चुनाव पेगी के बाहर और अन्दर किसी ऐसी चीज का निशान लगा दिया गया, जैसे बैलों की जोड़ी, कुटिया, हल, बिड़िया, पेड़, दीपक, सरज, चाँद, तलवार, घुड़सवार, इत्यादि जिसे गाँव वाले आसानी से पहचान सकें। प्रत्येक उम्मीदवार ने अपना एक निशान चुन लिया और

अन्य पक्ष के मतदाताओं से प्रार्थना की कि वह अनुकूल निशान वाली पेटी में ही मत-पत्र का डालें। चुनाव घर में पहुँचने पर प्रत्येक मतदाता को एक मतपत्र दिया गया। इस मतपत्र पर किसी प्रकार के निशान लगाने की आवश्यकता नहीं थी। मतदाता उसे मोड़कर उस उम्मीदवार की पेटी में डाल सकता था जिसे वह अपना राय देना चाहता था। निशानों के चुनाव के सम्बन्ध में कोई कगड़ा न हो, इसलिए निशान ऐसे स्वीकार किये गये जो वाद-विवाद से रहित हों और जिन्हें चुन कर, उम्मीदवार मतदाताओं की भावनाओं को न भङ्ग कर सकें।

आम चुनावों का प्रबन्ध करने के लिए सरकार को कितना प्रबंध करना पड़ा, इसका अनुमान इस बात से हो जायगा कि १८ करोड़ मतदाताओं के लिए ५२ करोड़ मत-पत्र, १६ लाख चुनाव पेटी तथा १२ लाख चुनाव अधिकारियों का प्रबन्ध किया गया।

चुनाव के पश्चात् मत गिने गये और जिस उम्मीदवार के पक्ष में सबसे अधिक राय पड़ा, उसे निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

चुनाओं का विश्लेषण

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पाँच वर्ष से भी कम समय में जिस प्रकार भारत सरकार ने वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर समस्त देश में आम चुनाव किये उसके हमारे देश का स्थान सभार के प्रजातन्त्र राष्ट्रों में बहुत ऊँचा उठ गया है। सभार के किसी देश में मतदाताओं की संख्या इतनी नहीं, जितनी सन् १९५२ के आम चुनावों में वह भारत में थी। आज भी जब यूरोप के बहुत से प्रगतिशील देशों में जैसे स्विट्जरलैंड में स्त्रियों को पुरुषों के समान मताधिकार प्राप्त नहीं है, भारत ने इस दिशा में साहसपूर्ण कदम उठा कर प्रत्येक राज्य के इतिहास में एक नया उदाहरण उत्पन्न कर दिया है।

प्रत्येक राज्य के बहुत से आलोचकों को दर या कि हमारे देश में आम चुनाव शक्तिपूर्वक सम्पन्न नहीं होंगे और साम्प्रदायिकता, हिंसा तथा जातिवादिता का सुला खेल खेला जायगा। ऐसे निराशास्त्री लोगों की सभी भविष्यवाणियाँ असत्य सिद्ध हुईं और हिंसात्मक से लेकर कन्साकुमारी तक समस्त देश में आम चुनाव बहुत शक्ति के साथ पूरे हो गये।

चुनाओं में १७,४५४ उम्मीदवार लड़े हुए। कांग्रेस के अतिरिक्त साम्प्रदायी दल, समाजवादी दल, ५० एम० पी० पा०, जनसद, हिंदू महासभा, अज्ञानी दल इत्यादि पार्टियों ने अपने चुनावी लड़े किये। लोक सभा के चुनावों में ही २००२ उम्मीदवारों ने भाग लिया। इन चुनावों में जनता ने कांग्रेस दल के चुनावी दलों को नारा सत्ता में निर्वाचित करके यह सिद्ध कर दिया कि वह अशिक्षित होने पर भी अपना न्याय-सुख

जानती है और समझती है कि किस दल के नेताओं के हाथ में उसके हित सुरक्षित हैं। जनता ने चुनाव में मारी दिलचस्पी दिखाई। लगभग ५५ प्रतिशत मतदाता राय बालने आये। इनमें खरों की सख्या पुरुषों से अधिक थी जिससे साबित होता है कि हमारे देश की जनता अब अपने अधिकारों को समझने लगी है।

लोक सभा की अवधि—लोक सभा की अवधि ५ वर्ष है। इस अवधि के समाप्त होने पर 'लाग सभा' स्वयं दूर जायगी। संवत्कालीन अवस्था में राष्ट्रपति को लोक सभा की अवधि बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, परंतु किसी भी अवस्था में यह अवधि एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सगी और संवत्कालीन स्थिति के समाप्त होने पर छे महाने के अन्दर अन्दर दूसरी लोक सभा का चुनाव करना होगा।

अधिवेशन—लोक सभा क एक वर्ष में कम से कम दो अधिवेशन अवश्य बुलाये जायेंगे। संविधान में कहा गया है कि एक अधिवेशन की समाप्ति और दूसरे अधिवेशन के आरम्भ में ६ महीने से अधिक समय नहीं बीतना चाहिये।

सदस्यों की योग्यता—लोक सभा के केवल वही व्यक्ति सदस्य चुने जा सकेंगे जिनकी आयु कम से कम २५ वर्ष होगी तथा जो भारत के नागरिक होंगे। सदस्य को इस बात का अधिकार दिया गया है कि यदि वह चाहे तो लोक सभा के सदस्यों की योग्यता के विषय में कानून बना सकती है। पिछले दिनों इस बात का प्रयत्न किया गया था कि इन योग्यताओं का निश्चय कर दिया जाय, परंतु सदस्य के सदस्यों के बीच यह निश्चय न हो सका कि सदस्यता क लिए न्यूनतम शर्तें क्या रखी जायें।

सदस्यता में बाधक बातें—लोक सभा या राज्य पारसद् क वह व्यक्ति सदस्य न हो सकेंगे जिनमें निम्नलिखित में से कोई भी बात होगी .—

(१) यदि, वह भारत में किसी भी प्रांतीय अथवा केन्द्रीय सरकार के नाचे लामकारी पद पर नौकर होंगे।

(२) यदि, उनके मस्तिष्क में किसी प्रकार की विरृति होगी।

(३) यदि, उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हागी।

(४) यदि वह चुनाव सम्बन्धी अपराध में दायी ठहराये जा चुके होंगे।

(५) यदि उन्हें किसी अनैतिक अपराध में २ वर्ष से अधिक सजा हो चुकी होगी।

(६) यदि वह सरकारी ठेकेदार होंगे या किसी सरकारी कम्पनी में डायरेक्टर हों, इत्यादि।

सदस्य की सदस्यता के विषय में यदि किसी प्रकार का विवाद होगा तो वह राष्ट्रपति के फैसले क लिए पेश किया जायगा। परंतु, राष्ट्रपति उस पर अपना निर्णय देने से पहले इलैमसन कमिश्नर की राय लेंगे।

स्थान का रिक्तिपूर्ण—संविधान की १०१वीं धारा में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में राज सभ्यता सभ्य के अन्तर्गत एक से अधिक धारा सभा का सदस्य नहीं हो सकेगा। यदि कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक ऐसे स्थानों के लिए निर्वाचित हो जायगा तो उसे एक को छोड़कर और बाकी सभी स्थानों से त्यागपत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कोई धारा हो जाय तो उसका स्थान भी रिक्त समझ लिया जायगा :—

(१) यदि, वह चुनाव के पश्चात् उस पद पर आसीन रहने के अयोग्य हो जाय, उदाहरणार्थ यदि वह सरकारी नौकरी कर ले।

(२) यदि, वह स्वयं अपने पद से त्यागपत्र दे दे।

(३) यदि, वह अपने म्बन की बैठकी से ६० दिन से भी अधिक काल के लिए बिना अनुमति अनुपस्थित रहे।

सदस्यों के अधिकार—सदस्य के सभी सदस्यों को भाषण की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी। कोई भाषण देने या किसी प्रकार का मूत प्रकट करने पर किसी सदस्य के सदस्य को सजा नहीं दी जा सकेगी। परन्तु यह स्वतन्त्रता संविधान के उपायों और सदस्य की चाल आशाओं के अधीन होगी। भाषण की स्वतन्त्रता के अतिरिक्त, सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में अपने नियम बनाने तक, सदस्यों के दूसरे अधिकार, इङ्लैंड के हाउस आफ् कामन्स के सदस्यों के समान हाने।

लोक सभा के पदाधिकारी—लोक सभा की बैठकी का सञ्चालन करने के लिए विधान में एक अध्यक्ष (Speaker) तथा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) के चुनाव की व्यवस्था की गई है। यह दोनों पदाधिकारी लोक सभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। 'लोक सभा' जब चाहे उन्हें अविराम का प्रस्ताव पास करके उनका पद से हटा सकेगी। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को वहाँ बैठन दिया जायगा जो संविधान पास होने से पहले केन्द्रीय धारा सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को मिलता था। परन्तु सदस्य का अधिकार होगा कि वह चाहे तो इस बैठन को पदा-बद्धा सकती है। लोक सभा के अध्यक्ष या मुख्य कार्य सभा की बैठकी में समापति का आसन प्रहण करना, 'लोक सभा' के कार्य का सञ्चालन करना, सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना, बैठक की कार्यवाही के प्रकाशन का उचित प्रबन्ध करना, प्रस्तावों, प्रश्नों एवं बिलों के पेश होने की आशा देना, बहस पर नियन्त्रण रखना तथा 'लोक सभा' सम्बन्धी दूसरे कार्य करना होगा। इङ्लैंड के हाउस आफ् कामन्स के समान 'लोक सभा' के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह अध्यक्ष पद के लिए बैठन ऐसा ही सदस्य निर्वाचित करे जो किसी दल विशेष से अपना सम्बन्ध तोड़ ले। परन्तु उससे यह आशा की जायगी कि वह निपक्ष भाव से अपने कार्य का सञ्चालन करे तथा उस समय तक

जब तक यह अध्वतु की कुसल पर वलरलजडलन है, कलषी डलरु वलशुड के सदसुडु डल डतु न ले। अध्वतु डु डेवल उस दशल डें डल देने कल अधलनलर दलडल डलडल है जन कलषी वलडुड डर डतु अुर वलडतु डें डरलवर के डतु डु। ऐषी दशल डें अध्वतु अडनल एक नलरुडलडक (Casting Vote) दे सनेडल। अध्वतु डी अनुडरलषलतल डें उडलध्वतु उसकल कलरुड डलर सेंडललतल है। अलककल लुक सडल के अध्वतु डी डलनलकलरु है तथल उडलध्वतु डी अनुनतुशडनड अुडलडर है।

डलडुडतु (Quorum)—ललक सडल डी कलरुडलडल अुरलडुड कसने के ललड सडल डें कड से कड १/१० सदसुडु डी उरलषलतल अुरलडरडक है।

रलडुड डरलडतु

सदसुडलतल—ससुदु डी उडु सडल कल नलड रलडुड डरलडतु है। सवलडलन डें कलल डल है कल इसके सदसुडु डी अधलक से अधलक सखुडल २ॡ० अरुडलतु लुक सडल के सदसुडु डी सखुडल से अुरलषी डलडु। डरनुतु अडल सखुडल डेवल २१७ नलरलषतु डी डरु है। इनडें से १२ सदसुडु रलडुडरतल दुरलर डनलनलतल कलडे डलडे है। इनडें डल० डलकलरुतु डुसेन, कलकल कलनेलकलर, डैडलललशरख डुन, दलनकलर, डुखुडुलरलक कडूर तथल कुरलडलडु डेवल के नलड वलशुड उरुलेडनलडु है। डल सदसुडु ऐसे है कलडुने सलडलतुड, कलल, वलडलन अथल सलडलडलक सेवल के सुतुर डें वलशुड रुड से कलड कलडल है। डलकी सदसुडु सखुडु के अनुतुरडतु रलडुडु के डुरतलनलडु है। उनकल सुतुरडु रलडुडु के नलडुन डुवन अुरलषलतु वलडलन सडल (Legislative Assembly) दुरलर एक सखुडुडलडु डतु (Single Transferable Vote) तथल अनुडलतु डुरतलनलडलतुड डुरणलली (Proportional Representation) के अुरलडलर डर कलडल डलडल है। डलनल डलनल रलडुडु से डु २ॡ० डुरतलनलडु डुडे डुडे है उनकल वलवरण इस डुरकलर है —

रलडुड डरलडतु कल संगठन

रलडुड कल नलड सदसुडु डी सखुडल

ए शुरेणल के रलडुड	
अुरलषलड	६
उडुडलसल	६
डुडलड	ॡ
डरलषतुडु डुडुडलल	१ॡ
डलडलर	२१
डलडुड डुरदेश	१२
डलडुरलस	२७
डलडुड	१७
उतुतर डुरदेश	३१
	१ॡॡ

षी श्रेणी के राज्य	
हैदराबाद	११
बम्बू और काश्मीर	४
मध्य भारत	६
मैसूर	६
पंजाब और पूर्वी पंजाब राज्य	३
राजस्थान	६
सौराष्ट्र	४
द्रावणकोर-कोचीन	६
मिथ्य प्रदेश	४
कुल संख्या	<u>५३</u>
सी श्रेणी के राज्य	
अजमेर } पुना }	१
मोरावा	१
बिनासपुर } हिमाचल प्रदेश }	१
कूच बिहार	१
देहला	१
कच्छ	१
मनीपुर } त्रिपुरा }	१
कुल संख्या	<u>७</u>
कुल स्थानों का जोड़	<u>२०५</u>

संसद को अधिभार है कि वह भारतीय संसद के अन्तर्गत सम्मिलित होने वाले नये राज्यों के लिए विदेश प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर सके तथा कुछ राज्यों के दूसरे राज्यों में सम्मिलित होने के कारण सींग के बँधारे के समूह में उचित परिवर्तन कर सके।

योग्यता—राज्य परिषद् का सदस्य प्रत्येक वह व्यक्ति हो सकता है जिसकी आयु ३० वर्ष से अधिक हो तथा जिसे प्रांतों की विधान सभा चुन ले।

अधिसूचना—राज्य परिषद् एक स्थायी मण्डल है परन्तु उसके एक तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष चुने जावेंगे। इस प्रकार आरम्भ के सदस्यों को छोड़ कर बाकी सदस्यों की

अवधि छे वर्ष होगी । राज्य परिषद् के 'लोक सभा' की मॉति एक समय में सीधे चुनाव नहीं होगे ।

पदाधिकारी—राज्य परिषद् का समापति (Chairman), जैसा पहले बतलाया जा चुका है, देश का उप-राष्ट्रपति होता है जिसका चुनाव दोनों भवनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है । उप राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करने के लिये राज्य परिषद् एक उप-समापति (Deputy Chairman) भी चुनती है जिसका चुनाव राज्य परिषद् के सदस्यों द्वारा किया जाता है । आजकल इस पद पर श्री कृष्णमूर्ति राव सुरोमित हैं । ससद् (पार्लियामेंट) के अधिकार तथा कार्य

सह के दोनों भवनों अर्थात् लोकसभा और राज्यपरिषद् (Council of State) का संयुक्त नाम ससद् (पार्लियामेंट) है । भारत की ससद् का वही अधिकार प्राप्त है जो दूसरे स्वतन्त्र देशों में वहाँ के विधान मण्डल (Legislature) को प्राप्त होते हैं । इन अधिकारों में निम्न अधिकार मुख्य हैं —

(१) देश की व्यवस्था तथा जनता की भलाई के लिए कानून पास करना ।

(२) देश की कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिमण्डल पर नियंत्रण रखना । यह नियंत्रण, प्रश्नों, प्रस्तावों, बजट में कटौती, अविश्वास तथा काम रोकने प्रस्तावों के द्वारा रखा जाता है । सरकार के प्रत्येक विभाग के साथ निर्वाचित सदस्यों की एक समिति (Standing Committee of the Members of Parliament) भी होती है जो उस विभाग के कार्य, व्यय तथा नीति पर नियंत्रण रखती है ।

(३) सरकार की आमदनी और खर्च की देखभाल करना । अनुमान समिति (Estimates Committee of the Parliament) के द्वारा भी यह काम सम्पादित किया जाता है ।

(४) नये टैक्सों को लगाने की स्वीकृति देना अथवा पुराने टैक्सों को कम करना या उन्हें हटाना ।

(५) सरकार की नीति का सञ्चालन तथा राष्ट्र की वैदेशिक नीति का निर्माण करना, दूसरे देशों से युद्ध तथा सम्भ्रंता इत्यादि करना ।

ससद् की शक्तियों पर रोक (Limitations on the Power of Parliament)

परन्तु यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि ससद् की शक्तियों का क्षेत्र असीमित नहीं है । ससद् सविधान की सीमा के अन्तर्गत रह कर काम करती है । सविधान में उसकी शक्तियों पर निम्न रोक लगाई गई है .—

(१) विधायनी शक्ति (Legislative Powers)—सर्वे प्रथम ससद् केवल उन्हीं विषयों पर कानून बना सकती है जिनका उल्लेख सविधान की सहाय

(Federal) एव समरुती (Concurrent) सूनी में किया गया है। वह राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती।

(२) संविधान शक्ति—दूसरे संसद् संविधान में किसी प्रकार का संशोधन उस समय तक नहीं कर सकती जब तक वह संशोधन प्रत्येक सदन के द्वि बहुमत से स्वीकार न कर लिया जाय।

(३) तीसरे संसद् का कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के उस अधिकार द्वारा सीमित हो जाता है जिसके अधीन राष्ट्रपति किसी विधेयक (Bill) पर उस समय तक हस्ताक्षर करने से इन्कार कर सकते हैं जब तक वह दोबारा संसद् के प्रत्येक सदन द्वारा बहुमत से स्वीकार न कर लिया जाय।

संसद् के दोनों भवनों का पारस्परिक सम्बन्ध (Mutual Relations between the two Houses of Parliament)

नव संविधान के अधीन भारतीय संसद् के दोनों भवनों को परापर के अधिकार प्रदान नहीं किये गये हैं।

रूपये पैसे सम्बन्धी विलों पर अधिकार

रूपये पैसे सम्बन्धी विलों के सम्बन्ध में उदाहरणार्थ राज्य परिषद् के अधिकार अत्यन्त सीमित रखे गये हैं। ऐसे बिल, मन्त्रियों द्वारा, केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं, राज्य परिषद् में नहीं। यह प्रणाली संसार के सभी प्रजातन्त्रवादी देशों में पाई जाती है। कारण निम्न मन्त्र जनता की राय का अधिक प्रतिनिधित्व करता है, और उसके हाथ में रूपये-पैसे सम्बन्धी शक्ति देना अधिक लोकतन्त्रीय समझा जाता है। विधान में कहा गया है कि रूपये पैसे सम्बन्धी बिल निम्न मन्त्र अर्थात् लोक सभा द्वारा स्वीकार किये जाने के पश्चात् राज्य परिषद् में विचारधर्म भेज दिये जायेंगे जिसे यह अधिकार होगा कि यदि वह चाहे तो १४ दिन के अन्दर-अन्दर उस बिल में कोई संशोधन के तुल्य लोक सभा के सम्मुख पेश कर दे। परन्तु, इन सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अन्तिम अधिकार लोक-सभा को ही होगा। यदि १४ दिन तक राज्य परिषद् 'विल' के सम्बन्ध में कोई राय लोक सभा को लिख कर न भेजे, तो विल राज्य परिषद् की बिना राय के ही पास हुआ समझा जायगा। इस सम्बन्ध में राज्य परिषद् के अधिकारों की तुलना हम ईंग्लैंड के हाउस आफ-लार्ड्स के अधिकारों से कर सकते हैं, जिसे भी रूपये-पैसे सम्बन्धी मामलों में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

कार्यपालिका पर अधिकार

रूपये पैसे सम्बन्धी विलों की शक्ति ही राज्य परिषद् को मन्त्रिमंडल के ऊपर नियन्त्रण रखने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। संविधान में कहा गया है कि मन्त्रिमंडल

लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगा, राज्य परिषद् के नहीं। निम्न भवन को ही अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मन्त्रिमण्डल को बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। राज्य परिषद् मन्त्रियों के कार्य की आलोचना कर सकेगा, तथा प्रश्नों, प्रस्तावों, बजट में कटौती तथा काम रोको प्रस्तावों के द्वारा उनके कार्य की देल माल कर सकेगा, परंतु उसे मन्त्रिमण्डल का त्याग-पत्र माँगने का कोई अधिकार नहीं होगा। लोक सभा को यह अधिकार इसलिए दिया गया है कि जनता का सच्चा एवं प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व वही भवन करता है, उच्च भवन नहीं।

दूसरे प्रकार के विलों पर अधिकार

उपरोक्त ऐसे सम्बन्धी विलों तथा मन्त्रिमण्डल पर नियंत्रण रखने के अतिरिक्त, और विषयों में दोनों भवनों के अधिकार समान होंगे। उदाहरणार्थ और हर प्रकार के विल एक भवन द्वारा पास कर लिये जाने के पश्चात् दूसरे भवन के पास भेजे जायेंगे। इस दूसरे भवन को इस बात का अधिकार होगा कि यदि वह चाहे तो छ महीने के अन्दर अर्द्ध उस विल में संशोधन कर दे। इस प्रकार दूसरे भवन द्वारा विल पर विचार हो जाने के पश्चात् विल अपने उद्गम स्थान पर वापस आ जायगा, जहाँ दूसरे भवन द्वारा विल पर किये गये संशोधन पर फिर से विचार किया जायगा। यदि वह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो विल सीधा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जायगा। परंतु संशोधन के विषय में दोनों भवन आपस में राजा न हो सकें तो राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह दोनों भवनों की एक मिली-जुली सभा बुला ले। इस सभा में निम्नभवन का अध्यक्ष सभापति का आसन प्रदत्त करेगा। दोनों भवनों की संयुक्त सभा में जिस रूप में भी विल बहुमत से पास हो जाय वह दोनों भवनों द्वारा पास समझा जायगा और इसने पश्चात् वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जायगा। जिस समय कोई विल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जायगा तो राष्ट्रपति निम्न में से कोई भी काम कर सकेंगे —

(१) विल पर हस्ताक्षर कर दें।

(२) उसे पार्लियामेंट के विचार के लिए लौटा दें।

दूसरी दशा में यदि पार्लियामेंट उसी विल को दोबारा पास कर देगी तो राष्ट्रपति को उस पर अवश्य हस्ताक्षर करने पड़ेंगे और वह विल कानून बन जायगा। परंतु पहली दशा में संविधान में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि यदि राष्ट्रपति विल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दें तो क्या होगा? सम्भवतः राष्ट्रपति ऐसा नहीं करेंगे और इस विषय में एक प्रकार की रीति (Convention) के अधीन काम करेंगे।

वाषिक आय-व्यय (बजट) पास करने की विधि—भारत के नये संविधान में संसद् के सदस्यों के बजट पर बहस करने के अधिकार बढ़ा दिये गये हैं। पहले की भाँति संविधान में राष्ट्रपति को आज्ञा दी गई है कि वह प्रति वर्ष सङ्घ की आय व व्यय का ब्यौरा संसद् के सदस्यों के सम्मुख पेश करावेगा। इस ब्यौरे में वह व्यय अलग दिखाया जाएगा जिस पर संसद् के सदस्यों को राय देने का अधिकार नहीं होगा, तथा जो भारत सरकार के व्यय के रूप में सङ्घ सरकार की सन्वित निधि में से खर्च किया जाएगा। इस व्यय में राष्ट्रपति का वेतन तथा उनके दूसरे मन्त्रे, लोक सभा व राज्य परिषद् के पदाधिकारियों का वेतन, सुपीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट के बजों की पेंशन, जजों का वेतन आडिटर जनरल का वेतन, भारत सरकार के अणु की अदायगी अथवा उद्योग ब्याज, सङ्घ सरकार के ऊपर किसी कचहरी द्वारा की गई-डिम्मे की रकम, अथवा कोई ऐसा व्यय जिसे संसद् इस धरणी में सम्मिलित कर ले शामिल होगा। दूसरे सभी खर्च अलग दिखाये जायेंगे। राजस्व तथा पूँजी सम्बन्धी खर्च का ब्यौरा भी अलग पेश किया जायगा।

बजट पर राय देने का अधिकार केवल लोक सभा के सदस्यों को होगा, राज्य परिषद् के सदस्यों को नहीं। लोक सभा को अधिकार होगा कि वह खर्च की किसी भी रकम में कमी कर दे अथवा उसे बिल्कुल अस्वीकार कर दे। परन्तु किसी मर पर खर्च को बढ़ाने अथवा किसी नये खर्च का मुभाव रखने का लोक सभा के सदस्यों को अधिकार नहीं होगा। खर्च के मुख्य राष्ट्रपति की अनुमति से, केवल मन्त्रियों द्वारा ही पेश किया जा सकते हैं।

बजट पास हो जाने के पश्चात् फार्लैंस बिल जिसमें कर सम्बन्धी मुभाव, प्रस्तुत किये जाते हैं, लोक सभा के सम्मुख रखा जायगा। इस पर भी राज्य परिषद् के सदस्यों को राय देने का अधिकार नहीं होगा।

बजट पर बहस करने के लिए, पहले की भाँति, कोई निश्चित समय सुकरर नहीं किया गया है। संविधान पास होने से पहले अर्थ मन्त्री, २८ फरवरी को अपना बजट घाणसभा के सम्मुख पेश करते थे। ३१ मार्च इस बजट को पास करने की अंतिम त्रिय थी। नव संविधान के अन्तर्गत संसद् को यह अधिकार दिया गया है कि वह बजट पास होने तक सरकार के खर्च के लिए कुछ विशेष रकम स्वीकार कर सकती है। इसके पश्चात् संसद् के सदस्य अपनी मुविधा के अनुसार बजट पर खुली बहस कर सकते हैं। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह किसी निश्चित विधि तक उसे पास कर दें। एक बार बजट पास कर चुकने के पश्चात् संसद् को यह भी अधिकार होगा कि वह किसी असामयिक खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को और बढ़ा खर्च करने की स्वीकृति दे दे। इस प्रकार उसे सन्धीमैत्री बजट पास करने का अधिकार होगा। बजट

पास हो चुकने के पश्चात् 'ग्रामिण जनरल' का यह कर्तव्य होगा कि वह देखे कि सरकार का खर्च बजट में स्वीकृत योजना के अनुसार ही होता है। सद्व के सदस्यों को इस विषय में ग्रामिण जनरल की वार्षिक रिपोर्ट पर बहस करने का अधिकार भी दिया गया है।

बिल (विधेयक) पास करने की विधि

सद्व के प्रस्तुत बिल दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार पास किये जाते हैं तथा दोनों सदनों में उनसे विषय में मतभेद हो तो वह कैसे दूर किया जाता है, यह हम पहले बता चुके हैं। यहाँ हम उस विधि का वर्णन करेंगे जिसके द्वारा कोई बिल एक सदन से पास किया जाता है।

बिल सरकारी भी हो सकते हैं और सदस्यों द्वारा भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। अधिकतर बिल सरकारी ही होते हैं।

प्रत्येक बिल के पास होने से पहले तीन पढ़त होती हैं। प्रथम पढ़त में बिल द्वारा
द्व सदस्यों की भेज पर रत्न दिया जाता है। उस पर किसी प्रकार की बहस नहीं होती।

दूसरी पढ़त में बिल पर विस्तार से बहस होती है पहले उससे सिद्धांतों पर और
इसके पश्चात् यदि वह स्वीकार कर लिया जाय तो उसकी एक एक धारा पर। इस
पढ़त में कई बार, बिल सिलेक्शन कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाता है जिसका रिपोर्ट पर
एक बार फिर पूरा सदन बिल पर बहस करता है। इस पढ़त में बिल में संशोधन
भी रखे जा सकते हैं। प्रत्येक संशोधन और फिर मूल धारा पर अलग अलग सदस्यों
की राय ली जाती है।

तीसरी पढ़त में संशोधित बिल पर एक बार फिर बहस होती है परन्तु इस पढ़त में
बिल में संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकते।

इसके बाद पूरे सदन (House) की राय ली जाती है और बिल के पास हो
जाने पर वह दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, जहाँ एक बार फिर इसी प्रकार तीन
पढ़त होती हैं। दोनों सदनों से पास होने के बाद बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए
भेज दिया जाता है।

योग्यता प्रश्न

१. सद्व सदस्य के विशेषाधिकारों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिये। क्या सद्व संविधान में संशोधन कर सकती है? यदि हाँ तो किस प्रकार? (यू० पी० १९५१)
२. नये संविधान के अन्तर्गत ग्राम चुनाव होने तक सद्व सदस्य का क्या स्वरूप था? क्या इस सद्व को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त था?

३. केंद्रीय शासन में द्वि सदन प्रणाली क्यों अपनाई गई है ? दोनों सदनों की व्यवस्था के सम्बन्ध में वर्णन कीजिये ।

४. वयस्क मताधिकार का सिद्धान्त क्यों स्वीकार किया गया ? क्या इसके शासन का स्तर नीचे नहीं गिरेगा ?

५. 'भारत में सभार का सबसे महान् प्रजातन्त्रीय प्रयोग किया जा रहा है' । पर कथन कहाँ तक सत्य है ?

६. संसद् के क्या कर्तव्य हैं ? वह कार्यपालिका पर किन उपायों से नियन्त्रण रखती है ?

७. संसद् के दोनों भवनों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन कीजिये । उन दोनों के बीच में गति-श्रवरोध किस प्रकार दूर किया जाता है ?

८. संसद् के राजस्व सम्बन्धी अधिकार क्या हैं ? बजट किस प्रकार पास किया जाता है ?

९. संसद् के कानून पास करने का क्या तरीका है ? क्या राष्ट्रपति संसद् से स्वीकृत विधेयक को मानने से इनकार कर सकते हैं ?

१०. लोक सभा के निर्माण का वर्णन कीजिये । इस सभा के अधिकारों की तुलना राज्य परिषद् के अधिकारों से कीजिये । (यू० पी० १९५२)

११. भारतीय सच्च संसद् के कृत्यों का वर्णन कीजिये । (यू० पी० १९५३)



राज्य कार्यकारिणी

जैसा पहले बताया जा चुका है, नव संविधान के अन्तर्गत, शासन की दृष्टि से भारत चार भागों में विभक्त किया गया है। एक भाग में वह राज्य हैं जिनके अध्यक्ष राज्यपाल अर्थात् गवर्नर हैं, दूसरे भाग में वह राज्य हैं जो बहुत सी देशी रियासतों को जोड़कर बनाये गये हैं तथा जिनके अध्यक्ष राज्यप्रमुख हैं, तीसरे भाग में वह राज्य हैं जो सघ सरकार के अन्तर्गत चीफ कमिश्नरों द्वारा शासित होते हैं, चौथे भाग में अद्यतमान नीक्रोबार द्वीप हैं जिनकी शासन व्यवस्था के लिए संविधान में अलग प्रबन्ध किया गया है।

संविधान के भाग 'क' और 'ल' में दिये गये राज्यों अर्थात् उन राज्यों की शासन व्यवस्था जिनके अध्यक्ष राज्यपाल अथवा राजप्रमुख हैं, मूल तत्वों में, सङ्घ सरकार की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। इन राज्यों में उसी प्रकार की मन्त्रिमण्डलात्मक सरकारें सङ्गठित की गई हैं जैसी संघीय संविधान के अन्तर्गत। सब राज्यों के राज्यपाल राजप्रमुख व केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रपति के समान विधाननिष्ठ, नामधारी तथा उत्सवमूर्ति अध्यक्ष हैं। शासन की वास्तविक सत्ता उन राज्यों में मन्त्रिमण्डलों के हाथ में रखी गई है। सब मंत्री वैयक्तिक तथा सामूहिक रूप से, सङ्घ सरकार की भाँति, अपनी अपनी विधान सभाओं के प्रति उत्तरदायी हैं। सब राज्यों के विधान मण्डलों का कार्य करने का तरीका उसी प्रकार का है जैसा सङ्घ ससद् का। उन सघ में बजट तथा बिल पास करने की समान विधि है। उन सब के सदस्यों को वही अधिकार प्राप्त हैं जो सघ ससद् के सदस्यों को दिये गये हैं। ससद् की योग्यता सम्बन्धी धाराएँ भी दोनों में एक रूप हैं। इस अध्याय में इसलिए हम राज्यों के केवल उन्हीं अंगों का विस्तार से वर्णन करेंगे जिनमें वह संघीय संविधान से भिन्नता रखते हैं, शेष अङ्गों का वर्णन केवल संक्षिप्त रूप से किया जायगा।

राज्यपाल (Governor)

संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग 'क' में दिये गये राज्यों के अध्यक्ष का नाम राज्यपाल अथवा गवर्नर है। जैसा पहले भी बताया जा चुका है, राज्य के शासन में उसकी स्थिति प्रायः वैसी ही है जैसी सघ संविधान में राष्ट्रपति की। राज्य के सभी काम उसी के नाम पर किये जाते हैं। परन्तु दो बातों में उसकी स्थिति राष्ट्रपति से भिन्न है। प्रथम यह कि राष्ट्रपति के समान विपत्ति काल में शासन की असाधारण शक्तियों के

कार्य करने को उसे शक्ति नहीं दी गई है। और दूसरे यह कि राष्ट्र-पति जहाँ केवल अपने प्रधान मन्त्री अथवा मन्त्रिमण्डल की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है, वहाँ राज्यपाल का एक प्रकार से दोहरा उत्तरदायित्व है। वह एक ओर तो राष्ट्रपति तथा सहाय सरकार की आज्ञाओं को मनाने के लिए बाध्य है और दूसरी ओर उसे अपने मन्त्रियों की सलाह से काम करना पड़ता है। इस प्रकार राज्यपाल का कार्य कठिनता से खाली नहीं।

नियुक्ति—संविधान में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने स्वयं के हस्ताक्षरों तथा राज्य की मोहर लगा कर की जायगी। उसके कार्यकाल की अवधि ५ वर्षे होगी। पहले संविधान सभा में यह प्रस्ताव रखा गया था कि राज्यपाल का जनता द्वारा सीधा चुनाव किया जाय अथवा उसे विधान सभा चुने। परन्तु, स्वोद्धत संविधान में यह दोनों सुझाव इसलिए नहीं माने गये कि राज्यपाल को संविधान के अन्तर्गत कोई विशेष अधिकार नहीं दिये गये हैं। जनता द्वारा चुनाव किये जाने पर मन्त्रियों तथा राज्यपाल में रुढ़िपर की सम्भारना हो सकती थी। कारण, उस दशा में राज्यपाल कह सकता था कि वह भी जनता का वैसा ही प्रतिनिधि है जैसे मंत्री, और इसलिए जनता के हित की रक्षा के लिए उसे मन्त्रियों के काम में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। विधान मण्डल द्वारा चुनाव में यह दोष समझा गया कि इससे राज्यपाल का चुनाव एक दलबन्दी के फेर में पड़ जाता और उसे राज्य के सभी नागरिकों का विश्वास प्राप्त नहीं होता। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का चुनाव होने से यह स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। वह केवल ऐसे ही व्यक्तियों को इस पद के लिए चुनेगा जो जनता के विश्वासपात्र हों तथा जिन्होंने अपने नैतिक बल, योग्यता, अनुभव अथवा जनता की स्वार्थहीन सेवा से सनातन में निरोग मान पाया हो। इस विधि से राज्य के शासन पर सहाय सरकार का प्रभुत्व भी बढ़ जायगा। अमरीका के संविधान में राज्यों के गवर्नरों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। यहाँ यह प्रथा इसलिए क्षुब्ध है कि उस देश के संविधान के अन्तर्गत गवर्नर राज्यों के विधानमण्डल अल्पतम नहीं बरत कार्याचारिणी के बान्धविक नेता हैं। हमारे संविधान में राज्यपालों के हाथ में इस प्रकार के अधिकार नहीं दिये गये हैं। इसलिए उनका जनता द्वारा चुनाव जाना अधिक उचित नहीं होता।

योग्यता—राज्यपाल के पद के लिए वह सभी व्यक्ति चुने जा सकेंगे, जो (१) भारत के नागरिक हों, (२) जिनकी आयु ३५ वर्ष से अधिक हो, (३) जो सप्त संवत् प्रपत्ता किसी राज्य के विधान मण्डल के सदस्य नहीं हों। यदि ऐसे कोई व्यक्ति इस पद के लिये चुने किये जायेंगे तो उनका पहला स्थान दृष्टि सम्भार जाना।

त्यागपत्र—राज्यपाल को अधिकार होगा कि यदि वह चाहे तो राष्ट्रपति के नाम

पन लिखकर अपनी अधि पूर्ण होने से पहले ही, अपने पद से त्यागपत्र दे दे, अन्यथा अधि समाप्त होने पर भी वह अपने पद पर उस समय तक आसीन रहेगा जब तक उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति न कर दी जाय।

वेतन—प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को ५,५०० रुपया मासिक वेतन मिलेगा। इससे शाय ही उसे वह दूसरी सुविधाएँ, रहने के लिए मकान तथा भत्ते इत्यादि दिये जायगे जो विधान लागू होने से पहले गवर्नरों को दिये जाते थे।

राज्यपालों के अधिकार

राज्यपालों को कानून सम्बन्धी, शासन सम्बन्धी तथा न्याय सम्बन्धी जो विशेष अधिकार दिये गये हैं उनका सक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जाता है —

कानून सम्बन्धी अधिकार—(१) राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधान मण्डल के अन्तर्गत दोनों भवनों या किसी एक भवन के अधिवेशन को बुलाये, स्थगित करे अथवा अधि पूर्ण होने से पहले ही विधान सभा को भंग कर दे। (२) उसे विधान मण्डल के अन्तर्गत दोनों भवनों के सम्युक्त अधिवेशन बुलाने, तथा उनमें भाग देने का अधिकार है। (३) प्रत्येक नये अधिवेशन के समय उसे आज्ञा दी गई है कि वह विधान मण्डल के सम्युक्त अधिवेशन में राज्यनीति पर भाषण देगा जिसके पश्चात् विधान-मण्डल के सदस्य उस पर बहस करेंगे। (४) वह किसी भवन के विचारार्थ अग्नी श्रौर से लिखित सन्देश भी भेज सकेगा, जिस पर उस भवन के सदस्यों को शीघ्र से शीघ्र विचार करना होगा। (५) विशेष अवस्था में जब राज्य के विधान मण्डल की बैठक न हो रही हो तो उसे अधिकार होगा कि किन्हीं ऐसे विषयों पर जो राज्य की अधिकार सीमा में हैं, वह किसी सङ्घ का निवारण करने के लिए अल्पकालीन कानून (Ordinance) पास कर सके। ऐसे कानून विधान मण्डल का अधिवेशन आरम्भ होने के तुरन्त पश्चात् उसके विचारार्थ पेश किये जायेंगे और ५ सप्ताह के बाद लागू न रहेंगे जब तक इससे पहले ही वह विधान मण्डल की सभा द्वारा अस्वीकृत घोषित न कर दिये जायें। (६) विधान मण्डल द्वारा पास कोई भी बिल उस समय तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकेगा जब तक राज्यपाल द्वारा उस पर हस्ताक्षर न कर दिये जायें। जिस समय कोई बिल राज्य की विधान सभा और यदि उस राय में दो भवन हैं तो दोनों भवनों द्वारा पास कर दिया जायगा तो वह राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जायगा। राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि वह उस बिल पर हस्ताक्षर कर दें, या उसे विधान मण्डल के दावारा विचार के लिए वास कर दें। दूसरी दशा में यदि विधान सभा उसी बिल को दोबारा पास कर देगी, तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर अवश्य करने पड़ेंगे।

शासन सम्बन्धी अधिकार—राज्यपाल को इस बात का अधिकार होगा कि वह

अपने मन्त्रियों को आदेश दे सके कि सरकार के सभी नीति सम्बन्धी विषय तथा आवश्यक निर्णय उसकी जानकारी के लिए, उसके पास भेजे जायें। विधान में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के मुख्य मन्त्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यपाल को सरकार के सभी कामों से परिचित रखे। राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि यदि किसी विषय पर कोई मन्त्री अपनी स्तम्भ इच्छा से, पूरे मन्त्रिमंडल की सलाह के बिना कार्य करे तो वह उस विषय को मन्त्रिमंडल के सम्मुख स्वयं रख दे। राज्य में बहुत से बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य, ऐडवोकेट जनरल, इत्यादि की नियुक्ति भी, मन्त्रियों की सलाह पर राज्यपाल द्वारा ही की जायगी। यह सत्र है कि राज्यपाल शासन सम्बन्धी विषयों पर अपने मन्त्रियों की सलाह से ही कार्य करेगा, परन्तु उसका शासन पर प्रभाव बहुत कुछ उसके अपने व्यक्तित्व, योग्यता तथा अनुभव पर निर्भर होगा। नये विधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति फेरल ऐसे ही व्यक्तियों को राज्यपाल के पद के लिए चुनेंगे जो अपनी जन-सेवा, दक्षता या बुद्धि के चमत्कार के कारण समाज में ऊँचा स्थान रखते हों। स्वभावतः ऐसे व्यक्तियों का शासन पर सन्तुष्टि प्रदान होगा।

न्याय संघर्षा अधिकार—नये विधान के अन्तर्गत राज्यपाल को सजा पाये हुए अपराधियों की सजा कम करने या उन्हें क्षमादान देने का अधिकार दिया गया है। परन्तु, ऐसा वह केवल उस दशा में कर सकेंगे जब अपराधी ने कोई ऐसा कानून तोड़ा हो जिसे बनाने का अधिकार राज्य की विधान सभा की हो। मृत्यु दंड को स्थगित करना अथवा ऐसे अपराधियों को क्षमा करना जिन्होंने सदा कानून को तोड़ा हो, राष्ट्रपति का ही काम होगा, राज्यपाल का नहीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नये संविधान के अन्तर्गत राज्यपालों को राज्य का वैधानिक अक्षर तो अक्षर बनाना गया है, परन्तु फिर भी अपनी योग्यतानुसार, शासन पर अपने व्यक्तित्व का छाप लगाने के लिए उन्हें अनेक अवसर दिये गये हैं।

मन्त्रिमंडल

राज्य का नामधारी अक्षर तो राज्यपाल होगा, परन्तु वास्तविक शक्ति मन्त्रिमंडल के हाथ में रहेगी। मन्त्रियों का चुनाव मुख्य मन्त्री द्वारा किया जायगा। मुख्य मन्त्री वह व्यक्ति होगा जो राज्य की प्रिकेन-सभा में बहुमत दल का नेता होगा।

संख्या—मन्त्रियों की कोई निश्चित संख्या नहीं होगी। राज्य की आर्थिक अवस्था तथा सरकार के काम की उचित व्यवस्था की दृष्टि से मुख्य मन्त्री, उतने मन्त्रियों की नियुक्ति करेगा, जितना बड़ा उचित समझेगा।

अवधि—मन्त्रियों के कार्यकाल की कोई विशेष अवधि नहीं होगी। यह विधान

सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और यदि विधान सभा उनके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। इस प्रकार मंत्री केवल उस समय तक ही अपने आसन पर विद्यमान रहेंगे, जब तक उन्हें विधान-सभा का विश्वास प्राप्त रहेगा।

योग्यता—मन्त्रि पद की नियुक्ति के लिए विधान सभा का सदस्य होना आवश्यक है। कोई भी बाहर का व्यक्ति ६ महीने से अधिक काल के लिए मन्त्रि पद के लिए नहीं चुना जा सकेगा। यदि इस बीच ऐसा व्यक्ति विधान सभा में निर्वाचित न हो सकेगा तो ६ महीने के पश्चात् उसे अपने पद से त्यागपत्र दे देना होगा।

कार्य प्रणाली—मन्त्रियों में काम का बँटवारा मुख्य मंत्री द्वारा किया जायगा। प्रत्येक मन्त्री एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का अध्यक्ष होगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी मन्त्री के पास पुलिस विभाग है तो दूसरे के पास अर्थ विभाग इत्यादि। मन्त्रियों के नीचे, उनके कार्य में सहायता देने के लिए पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी भी नियुक्त किये जा सकते हैं। उनकी नियुक्ति भी मुख्य मन्त्री द्वारा की जायगी।

मन्त्रियों के कर्त्तव्य

मन्त्रियों का मुख्य काम अपने विभाग के अर्थात् सभी अफसरों के काम की देख-भाल करना होगा। शासन का दिन प्रति दिन का काम उन्हीं के द्वारा चलाया जायगा। उनके रहने के लिए बगला, सवारी के लिए मोटर तथा इतना वेतन दिया जायगा जितना विधान सभा द्वारा निश्चित कर दिया जाय। अपने महकमे की नीति का निश्चय करना, जन सेवा के लिए नई नई योजनाएँ सोचना, अपने नीचे के दफ्तर का इस प्रकार सङ्गठन करना कि सरकारी काम अत्यन्त दक्षता तथा योग्यता से चल सके, विधान मंडल के सम्मुख अपने कार्यों को समझाना, सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देना, अपने महकमे से सम्बन्धित बिलों का प्रस्तुत करना, बजट पर बहस का उत्तर देना तथा सदस्यों द्वारा की गई अपने विभाग की आलोचना का उत्तर देना, मन्त्रियों का मुख्य कार्य होगा। जैसे तो सभी मंत्री अलग अलग अपने अपने महकमों के दिन प्रति दिन के काम की देख-भाल करेंगे और किसी एक मन्त्री को दूसरे के कार्य-क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा, परन्तु नीति सम्बन्धी विषयों का निश्चय सभी मंत्री मिल कर करेंगे। मन्त्रिमंडल की बैठकें बराबर हाती रहेंगी और उनमें मुख्य मन्त्री सभापति का आसन प्रदण करेंगे। सभी मन्त्री वैयक्तिक तथा सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। यदि किसी एक मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाय तो केवल वही मन्त्री त्यागपत्र नहीं देगा बल्कि सारे मन्त्रिमंडल को ही अपना त्याग छोड़ देना होगा। मुख्यमन्त्री स्वयं भी यदि चाहे तो किसी एक मन्त्री को उसके पद से हटा

सकेगा। इस प्रकार सर्व-मन्त्री मुख्य मन्त्री तथा विधान-सभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होने और राज्य की वास्तविक शक्ति उन्हीं के हाथों में केन्द्रित रहेगी।

विद्युदा हुई जातियों की सहायता के लिए मन्त्रियों की नियुक्ति—संविधान में कहा गया है कि बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में मुख्य मन्त्री द्वारा एक ऐसे मन्त्री की भी नियुक्ति की जायगी जिसका मुख्य कार्य उन जातियों (Tribal people) तथा अन्य विद्युदा हुई जातियों के अधिकारों की रक्षा करना होगा। दूसरे प्रान्तों में भी हरिजनों के हितों की रक्षा करने के लिए किसी एक मन्त्री को विशेष अधिकार दिये जा सकते हैं। नये संविधान में राज्यों की सरकारों को विशेष रूप से आदेश दिया गया है कि वह अपने अन्तर्गत विद्युदा हुई जातियों को समाज के दूसरे व्यक्तियों के समान उन्नति के स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रयत्न करें।

ऐडवोकेट जनरल—मन्त्रियों के अतिरिक्त राज्यों के विधान में एक ऐडवोकेट जनरल की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है। यह नियुक्ति मुख्य मन्त्री की सलाह से गवर्नर द्वारा की जायगी। ऐडवोकेट जनरल का मुख्य काम राज्य की सरकार को कानून सम्बन्धी विषयों पर सलाह देना तथा राज्य के विरुद्ध मुकदमों, हायादि में सरकार की ओर से पीरवी करना होगा। उसके वेतन तथा कार्य श्रवण का निश्चय राजन्पाल द्वारा किया जायगा।

आम चुनावों के परचान् उत्तर प्रदेश में नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण

संविधान की ३२वीं धारा में कहा गया था कि नये चुनाव होने तक राज्यों में वही मन्त्रिमण्डल कार्य करते रहेंगे जो संविधान लागू होने से पहले उन प्रान्तों में काम करते थे। उत्तर प्रदेश में आम चुनाव नवम्बर सन् १९५१ में आरम्भ होकर फरवरी सन् १९५२ में समाप्त हुए। इन चुनावों में ४३० सदस्यों की विधान सभा में कांग्रेस दल के ३६० सदस्य चुने गये। इसलिए राज्य के गवर्नर ने कांग्रेस दल के नेता प० गोविन्द वल्लभ पंत से ही आग्रह की कि वह अपना नया मन्त्रिमण्डल बनायें। २० मई सन् १९५२ को इस नये मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की घोषणा कर दी गई। मन्त्रिमण्डल के निर्माण में फरवरी के परचान् अधिक देर इस कारण से लगी कि राज्य की विधान परिषद् के चुनाव अग्रेल के अन्त तक ही समाप्त हो पाये थे। नये मन्त्रिमण्डल में कई विशेष परिवर्तन नहीं किये गये। सभी पुराने मन्त्रियों को दोषाध मन्त्री परिषद् में ले लिया गया। इसके अतिरिक्त ३ और नये मन्त्री चुन लिये गये। नये मन्त्रिमण्डल में निम्न सदस्य सम्मिलित हैं :

श्री कन्हैयालाल नायक—राज्यपाल

प० गोविन्द वल्लभ पंत—मुख्य मन्त्री, आम शासन एवं योजना

हाकिम मोहम्मद इब्राहीम—नित्य, बिबनी एवं बिबनी के आरक्षण

- श्री सम्पूर्णानन्द—गृह तथा अन्न विभाग
 श्री हुकुम सिंह—उद्योग, पुनर्वास विभाग
 श्री गिरधारी लाल—सार्वजनिक कार्य विभाग (Public works)
 श्री चन्द्रभान गुप्त—प्राय, स्वास्थ्य तथा विविध सप्लाई
 श्री चरन सिंह—कृषि तथा मालगुजारी विभाग
 श्री अली जहीर—न्याय, उत्पत्ति कर, रजिस्ट्रेशन विभाग
 श्री हरगोविंद सिंह—शिक्षा एवं हरिजन उद्धार विभाग
 श्री मोहन लाल गौतम—व्यापत्त शासन
 श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना तथा विचार
 श्री विचित्र नारायण शर्मा—यातायात तथा सहकारिता

२. भाग 'ए' के राज्यों की कार्यकारिणी का संगठन अर्थात् रियासती सभों की सरकार का स्वरूप

रियासती सभों की सरकार का संगठन उसी प्रकार का होगा जैसा वह 'क' भाग के राज्यों का है। अंतर केवल इतना है कि 'क' राज्यों के अध्यक्ष राज्यपाल कहलाते हैं और 'ए' भाग के अध्यक्ष राजप्रमुख। उनको नियुक्ति सङ्घ सरकार और रियासती सभों के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है। इन समझौतों का विस्तृत बखान 'भारतीय रियासत' नामक एक अगले अध्याय में किया जायगा। यहाँ हम केवल इन सभों की सरकार के संगठन का वर्णन करेंगे।

'ए' राज्यों के अन्तर्गत मन्त्रिमण्डलों का संगठन उसी प्रकार किया जाता है जैसे 'क' राज्यों में। इन राज्यों में राजप्रमुख मुख्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं। शेष मंत्री मुख्य मंत्री द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। सब मंत्री विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हैं।

रियासती सभों के ऊपर सविधान की एक विशेष धारा ३७१ के द्वारा सङ्घ सरकार का विशेष नियन्त्रण कायम कर दिया गया है। इस धारा में कहा गया है कि पहले दस वर्षों के लिए 'ए' राज्य की प्रत्येक सरकार सङ्घ सरकार के नियन्त्रण में रहेगी और उन्हें राष्ट्रपति को उन सभी आदेशों का पालन करना पड़ेगा जो सङ्घ सरकार की ओर से वह उनके नाम जारी करें। परन्तु, आगे चल कर इस धारा में कहा गया है कि सङ्घ संसद् को अधिकार होगा कि वह दस वर्षों की इस अवधि में कभी या बढ़ोत्तरी कर दे या किसी एक या अधिक राज्यों के लिए इस धारा का उपयोग न करे। इस प्रकार का प्रबन्ध सविधान में इस दृष्टि से किया गया है कि भारतीय रियासतों को अभी प्रजातन्त्रीय शासन का अधिक अनुभव नहीं है और उनमें से बहुत सी रियासतों में अभी तक किसी प्रकार की विधान सभाएँ भी नहीं हैं। जिन रियासतों को प्रजातन्त्रीय शासन का अधिक

अनुमत्त है वहाँ संविधान की उपरोक्त धारा से उन पर सद्द सरकार का नियन्त्रण बंध किया जा सकता है।

कुछ रियासती संघों के विषय में विशेष आयोजन

संविधान में कुछ रियासती सत्तों की विशेष परिस्थितियों का विचार करके उनके सम्बन्ध में खास आयोजन किया गया है। उदाहरणार्थ—

काश्मीर रियासत—काश्मीर व जम्मू की रियासत के सम्बन्ध में संविधान की ३७वीं धारा में कहा गया है कि सद्द सरकार का इस रियासत पर नियन्त्रण केवल उन विषयों पर रहेगा जो विषय उसके भारतीय सद्द में प्रवेश के समय 'प्रवेश पत्र' (Instrument of accession) में बर्णित कर दिये गये थे, शेष विषयों पर नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत सरकार 'विदेश सम्बन्ध', 'रक्षा' तथा 'वातावात के साधनों' को छोड़ कर और किसी विषय पर काश्मीर व जम्मू की रियासत पर अपना अधिकार न कर सकेगी। परन्तु साथ ही संविधान में यह प्रबन्ध भी कर दिया गया है कि यदि काश्मीर रियासत की अपनी संविधान सभा भारत सरकार को कुछ और विषयों पर नियन्त्रण प्रदान करना चाहे तो उसके लिए राष्ट्रपति उचित व्यवस्था कर सकेंगे।

काश्मीर की समस्या अभी तक राष्ट्र-सद्द के विचाराधीन है। उसके भारत में प्रवेश के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए उस रियासत की विशेष परिस्थिति का विचार करते हुए, संविधान में खास आयोजन किया गया है।

द्रावणकोर रियासत—काश्मीर के अतिरिक्त, द्रावणकोर रियासत के सम्बन्ध में भी संविधान की २३८वीं धारा में एक विशेष प्रबन्ध किया गया है। इस धारा में कहा गया है कि द्रावणकोर और कोर्बान सद्द की सरकार की प्रति वर्ष "देवात्मन निधि" के नाम से ५१ लाख रुपया दिया जायगा। इस रकम को देने का निर्णय उस समय किया गया था जब द्रावणकोर और कोर्बान रियासतों का एक सद्द बना था। इस रकम से द्रावणकोर की रियासत उस राज मन्दिर का प्रबन्ध कर सकेगी जिसके देवता के नाम में कहा जाता है कि उसके राजा रियासत पर शासन करते हैं।

मध्य भारत सद्द—इसी प्रकार मध्य भारत सद्द के विषय में भी, संविधान में कहा गया है कि उस राज के मन्त्रिमण्डल में एक ऐसे मन्त्री की नियुक्त की जायगी जिसका मुख्य काम जन प्रदेशों (Tribal Areas) के लोगों की सुविधा का ध्यान रखना होगा। मध्य भारत की रियासतों में निहटे हुए ऐसे इलाके हैं जहाँ की जनता अभी तक वर्तमान युग की सभ्यता के वातावरण से कासों दूर है। इन्हीं लोगों की भलाई के लिए संविधान में विशेष आयोजन किया गया है।

मैसूर रियासत—अन्त में संविधान में कहा गया है कि मैसूर रियासत को छोड़

कर 'ख' सूची के और सभी राज्यों में एक भवनात्मक विधान मण्डल का निर्माण किया जायगा। मैसूर में इसके विरुद्ध दो 'भवन' होंगे।

आजकल सभी रियासती सङ्घों में आम चुनावों के पश्चात् विधान समाएँ तथा मन्त्रिमण्डल कायम हो गये हैं। परन्तु इन सब सङ्घों की सरकार, जैसा पहले बतलाया जा चुका है, आगामी १० वर्षों तक सङ्घ-सरकार के निरीक्षण तथा नियन्त्रण के अन्तर्गत कार्य करेंगी।

३. भाग ग (सी) श्रेणी के राज्यों की कार्यकारिणी का संगठन

सी श्रेणी के राज्यों में जैसा पहले बतलाया जा चुका है, आजकल १० राज्य हैं। इन में तीन राज्य (दिल्ली, अजमेर, कुर्ग) वह हैं जो संविधान लागू होने से पहले चीफ कमिश्नर के प्रांत कहलाते थे। शेष राज्य कुछ रियासतों को केन्द्रीय सरकार के अधीन सङ्गठित करके बनाये गये हैं। इस श्रेणी के राज्यों की अपनी विशेष समस्याएँ हैं। कच्छ, त्रिपुरा तथा मनीपुर भारत के पश्चिम तथा पूर्व में पाकिस्तान राज्य की सीमाओं से मिलते हैं। सैन्य उत्तरण की दृष्टि से इन राज्यों का विशेष महत्त्व है। अजमेर, मोपाल तथा कुर्ग ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं जिनके सम्बन्ध में सङ्घ सरकार का विचार है कि इन्हें सम्बन्धित क्षेत्रों की जनता की राय मालूम करके पड़ोसी राज्य अर्थात् राजस्थान, मध्य भारत तथा मैसूर में मिला दिया जाय। विन्ध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों की आर्थिक उन्नति के लिए केन्द्रीय सरकार की विशेष सहायता की आवश्यकता है। सङ्घ सरकार का विचार है कि कुछ समय पश्चात् इन राज्यों को ए या बी श्रेणी का स्थान दे दिया जाय। वास्तव में विन्ध्य प्रदेश को संविधान के अन्तर्गत बी श्रेणी में ही रखा गया था, परन्तु बाद में, उस राज्य के मन्त्रियों के अप्रियचार तथा अयोग्यता के कारण, उसे सी श्रेणी में ले लिया गया। सी श्रेणी के और राज्यों की अपेक्षा विन्ध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश का शासन क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसलिए जहाँ दूसरे इसी श्रेणी के राज्यों के अध्यक्ष चीफ कमिश्नर हैं, वहाँ इन राज्यों के अध्यक्ष को उप राज्यपाल या लैफ्टिनेंट गवर्नर का स्तर दिया गया है। देहली को भारत की राजधानी होने के कारण सी श्रेणी के राज्यों में सम्मिलित किया गया है। विलासपुर राज्य के सम्बन्ध में अभी यह निश्चित नहीं है कि मही योजना के कार्यान्वयन हो जाने के पश्चात् इस राज्य का कितना भाग पानी से ऊपर बचेगा। इसलिए इस छोटे से राज्य का भी पञ्जाब में विलीनीकरण कर देने के बजाय अलग अस्तित्व कायम रखा गया है।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हो गया होगा कि सी श्रेणी के राज्य मानमती का विपारा है। उन सब की अपनी अलग अलग समस्याएँ हैं। उन सब में केवल एक ही सामान्य गुण है और वह यह कि उन सब पर केन्द्रीय सरकार का प्रभुत्व है।

संविधान के अन्तर्गत नी राज्यों का शासन प्रणव

संविधान में सी भ्रेरी के राज्यों की शासन व्यवस्था के लिए कोई विस्तृत आशय नहीं दिया गया था। उसमें केवल कहा गया था कि इन राज्यों का प्रणव राष्ट्रति स्वर र्क फमिशनर या उपराज्यपाल या किसी पड़ोसी राज्य की सहायता से करेंगे। प्रतिनिधि सस्थाओं के सम्बन्ध में कहा गया था कि सत्द् की अधिकार होगा कि वह इन राज्यों के लिए विशेष कानून पास करके उनमें विधान मडल या लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल या परामर्शदाताओं की व्यवस्था कर दे।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सी भ्रेरी के राज्यों की जनता इस बात के लिए प्रयत्नशील थी कि भारत के दूसरे राज्यों की भाँति उसे भी अपने क्षेत्र में चुने हुए प्रतिनिधि तथा लोकप्रिय मन्त्रियों की निर्वाचित करने का अधिकार प्राप्त हो। इस अन्तोनन के सबसे बड़े नेता दिल्ली के स्वर्गीय नागरिक सा० देशानन्द गुप्ता थे। उनका कहना था कि सी राज्यों की जनता के लिए स्वतन्त्रता वा उस समय तक कोई भी मूल्य नहीं वा तक दूसरे राज्यों की भाँति उसे भी प्रजातन्त्रीय अधिकार प्राप्त नहीं हो। वह उन्हीं के सत्त् तथा अयक परिश्रम का फल था कि सन् १९५२ के सितम्बर मास में भारतति संसद् द्वारा सी भ्रेरी के राज्यों के लिए एक विशेष विधेयक पास कर दिया गया।

सन् १९५२ वा सी भ्रेरी के राज्यों के लिए कानून

इस विधेयक में ६ सी भ्रेरी के राज्यों अर्थात् दिल्ली, अजमेर, गुर्ग मंगल, हिमाचल प्रदेश एव बिन्ध प्रदेश के लिए एक निर्वाचित विधान सभा तथा लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल के सङ्गठन की व्यवस्था की गई है। रेग राज्यों के लिए राष्ट्रति द्वारा एक परामर्शदाता समिति (Council of Advisers) नियुक्त की जागी। इस समिति के सदस्य चुनाव द्वारा नहीं, वरन् राष्ट्रति द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। रत्ता के दृष्टिकोण से इन राज्यों वा विशेष मत्तर है, इसलिए दलबन्दी के दंतों से दूर रखने के लिए इन्हें संघा केंद्रीय सरकार के उच्च सरकारी अफसरों के अधीन रक्ता गया है। रेग राज्यों में पदरक मताधिकार के आधार पर चुनी गई विधान सभाएँ होगी। उनमें मन्त्रिमण्डल का सङ्गठन भी उसी प्रकार किया जागा जैसे वह ए और सी भ्रेरी के राज्यों में किया जागा है। केवल निम्न विधतों में सी भ्रेरी के राज्यों की कार्यकारी की अधिकार ए एव सी भ्रेरी के राज्यों से निर होगे :—

(१) सभे प्रथम विधेयक में कहा गया है कि मन्त्री-परिषद् की बैठकों में कति फमिशनर सभासति का आसन ग्रहण करेगा। उसकी अनुमतिपति में ही मन्त्र मन्त्री की अधिकार होंगा कि समिति का सभासति कर सके। परन्तु इस सम्बन्ध में इस प्रकार वा विवाह बनता वा रहा है कि मुख्य मन्त्री ही मन्त्रिमण्डल की बैठकों का सभासति करता है।

(२) दूसरे, किसी विषय पर, मन्त्रिमंडल तथा चीफ कमिश्नर या उपराज्यपाल में मतभेद होने की दशा में, विवाद राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजा दिया जायगा और उनका फैसला ही अंतिम माना जायगा। दूसरे राज्यों में राज्यपाल अथवा राज्यप्रमुख को इस बात का अधिकार नहीं हाता कि वह मन्त्रिमंडल के निर्णयों में हस्तक्षेप कर सके।

(३) तीसरे, चीफ कमिश्नर तथा उपराज्यपाल को इस बात का अधिकार भी दिया गया है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में वह आवश्यक समझे तो मन्त्रिमंडल की सहमति के बिना ही कोई काम कर सकेंगे। ऐसा करने के पश्चात् वह बाद के सङ्घ सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।

(४) दिल्ली राज्य के लिए विधेयक में और कड़ी शर्तें रखी गई हैं। कहा गया है कि विधान सभा को पुलिस, शांति और सुरक्षा, अदालत तथा नगरपालिका सम्बन्धी कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। यह विषय सङ्घ सरकार के अधिकार क्षेत्र में अन्तर्गत रहेंगे। आगे चल कर विधेयक में यह भी कहा गया है कि नई दिल्ली के सम्बन्ध में मन्त्रिमंडल कोई भी निर्णय उस समय तक नहीं कर सकेगा जब तक चीफ कमिश्नर की स्वीकृति प्राप्त न हो जाय।

भारत की राजधानी हाने के कारण दिल्ली के सम्बन्ध में इस प्रकार की कड़ी शर्तें रखी गई हैं। दूसरे देशों में सङ्घ सरकार का स्थान सीधा केंद्र द्वारा ही शासित किया जाता है। इस दृष्टि से भारत सरकार को दिल्ली के नागरिकों को प्रजातन्त्रीय अधिकार देना एक अत्यन्त उदार दृष्टिकोण का परिचायक है।

आलोचना—सी श्रेणी के राज्यों की व्यवस्था बहुत से आलोचकों की लेखनी का कड़ा शिकार बनी है। उनका कहना है कि छोटे-छोटे राज्यों के लिए विधान सभा तथा लोकप्रिय मन्त्रिमंडलों का निर्माण श्वेत हाथी बाँधने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इन राज्यों की आय इतनी नहीं कि वह प्रजातन्त्र राज्यों के मारी व्यय को उठा सकें। आलोचकों का कहना है कि कुछ राजनीतिक नेताओं के प्रमाण में आकर तथा उन्हें उच्च पदों पर बैठने का अपसर प्रदान करने के लिए ही इस कानून को पास किया गया है। वह पूछते हैं कि यदि सङ्घ सरकार का अन्तिम उद्देश्य इन राज्यों को पड़ोस के बड़े राज्यों में विलीन करना ही है तो उनमें विधान सभाओं इत्यादि का सङ्गठन क्यों किया गया। एक बार इस प्रकार की संस्थाओं के बन जाने के पश्चात् उनके सदस्यों का हित इसी बात में रह जाता है कि वह कायम रही आये जिससे उनके हित सुरक्षित रहें। अग्रिमों की दृष्टि से भी इन राज्यों में दोहरा शासन अधिक सफलतापूर्वक नहीं चल सकेगा। इसलिए कुछ लोगों का अनुमान है कि इस विधेयक में सङ्घ सरकार को शोध ही बहुत से संशोधन करने पड़ेंगे।

४. भाग घ (अंडमान निकोबार) के राज्य का शासन प्रबन्ध

इस राज्य के शासन प्रबन्ध के लिए संविधान की २४२वीं धारा में व्यवस्था की गई है। इस धारा में कहा गया है कि अंडमान निकोबार या किसी और ऐसे प्रान्त का शासन जो बाद में भारत में सम्मिलित हो जाय, राष्ट्रपति द्वारा किया जायगा। इस काम में सहायता प्राप्त करने के लिए वह एक चीफ कमिश्नर या किसी और ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें। इस क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही दिया गया है। सक्षीय कानून या वह कानून ब्रिटेन के द्वारा इस क्षेत्र का, संविधान लागू होने से पहले शासन चलाया जाता था, केवल उस देश में लागू समझे जायेंगे जब राष्ट्रपति उनकी स्वीकृति दे दें।

५. अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Areas) तथा अनुसूचित जनजातियाँ (Scheduled tribes) का शासन प्रबन्ध

हमारे देश में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सभ्यता का आधुनिक वातावरण अभी तक अपना प्रभाव नहीं फैला पाया है। इन क्षेत्रों की जनता अभी तक प्राचीन काल की आर्येय अथवा पशुनामन अवस्था में रह कर ही अपने जीवन का निर्वाह करती है। १९३५ के विधान के अन्तर्गत हमारे देश के अनेक भाग अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिये गये थे और उनका शासन प्रबन्ध सीधे गवर्नरों द्वारा किया जाता था। मन्त्रियों को इन क्षेत्रों के शासन पर किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। नये संविधान के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों की संख्या बहुत कम कर दी गई है और केवल वही क्षेत्र इस व्यवस्था के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं जहाँ की जनता अपने लिए कुछ विशेष संरक्षण चाहती थी। ऐसे क्षेत्र अधिकतर आसाम प्रान्त में हैं।

संविधान की पाँचवीं अनुसूची (Fifth schedule) में इन क्षेत्रों की व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि इन क्षेत्रों का शासन प्रबन्ध राष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा राजप्रमुखों के द्वारा करायेंगे, जिन्हें अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट सक्ष सरकार को देनी होगी। इन क्षेत्रों में कोई भी सक्षीय अथवा राज्य की सरकार का कानून उस समय तक लागू न किया जायगा जब तक राष्ट्रपति के आदेशानुसार राजप्रमुख अथवा राज्यपाल उसकी स्वीकृति न दे दें। इन क्षेत्रों की स्थानीय जनता को शासन प्रबन्ध का अनुभव प्रदान करने के लिए संविधान में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में आदिम जाति मन्त्र्य परिषद् (Tribes Advisory Council) कायम की जायगी जिसमें अधिकतर सदस्य इन जातियों के अपने चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। ऐसे क्षेत्रों का शासन प्रबन्ध इन्हीं मन्त्र्य परिषदों की सलाह से किया जायगा।

राज्यों के बर्गीकरण का कड़ा विरोध

सविधान के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों का जिस प्रकार ए, बी और सी श्रेणी में बर्गीकरण किया गया है, उसकी कड़ी आलोचना की गई है। बी और सी श्रेणी के राज्यों में रहने वाली जनता का कहना है कि उसके साथ घोर पक्षपात तथा अन्याय हुआ है। प्रजातन्त्र राज्य में सब प्रान्तों का स्थान समकालीन तथा उनके अधिकार एक से होने चाहिये। किसी विशेष राज्य की जनता को अधिक तथा दूसरों को कम अधिकार देना प्रजातन्त्र शासन की नींव पर कुटाघात करना है। इससे कुछ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के मन में हीनता तथा दूसरों में श्रेष्ठता का भाव उत्पन्न हो जाता है जो अत्यन्त निन्दनीय है।

हमारे नेताओं ने आश्वासन दिलाया है कि बहुत शीघ्र इस प्रकार के बर्गीकरण का अन्त कर दिया जायगा। कुछ पिछड़े हुए प्रदेशों की जनता को प्रजातन्त्र शासन का अनुभव प्रदान करने के लिए ही उसने कुछ समय के लिए इस प्रकार का अस्थायी प्रबंध किया है। डा० काटजू ने मई सन् १९५२ में दिल्ली तथा अजमेर की विधान सभाओं का उद्घाटन करते समय इसी प्रकार का आश्वासन दिया था। आशा है, कुछ समय पश्चात् सविधान के संशोधन द्वारा इस दशा में उचित परिवर्तन कर दिया जायगा।

योग्यता प्रश्न

१. नये सविधान के अनुसार राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिये। (यू० पी०, १९५१)

२. राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप क्या होगा? मन्त्रियों और राज्यपाल के बीच पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन कीजिये।

३. नये सविधान में राज्यों का ए, बी और सी श्रेणियों में विभाजन क्यों किया गया है? इन तीनों के शासन प्रबन्ध में मुख्य रूप से क्या क्या भिन्नताएँ होंगी?

४. अल्पसंख्यक तथा जन-जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्यों में क्या विशेष प्रबन्ध किया गया है?

५. 'नये विधान में बी और सी राज्यों की जनता के साथ घोर अन्याय किया गया है।' यह कथन कहाँ तक ठीक है?

६. नये सविधान के अनुसार राज्यपाल के क्या कर्तव्य हैं? (यू० पी०, १९५३)

अध्याय ६

राज्य विधान मंडल (State Legislative)

सब संविधान की नीति राज्यों में भी विधान मंडलों के सङ्गठन की व्यवस्था की गई है। संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा जिसमें राज्यपाल या प्रमुख और कुछ राज्यों में एक तथा कुछ में दो भवन होंगे। बिना राज्यों में एक भवन है उच्च नाम विधान सभा (Legislative Assembly) तथा बिना दो राज्य हैं उनका नाम विधान सभा (Legislative Assembly) तथा विधान परिषद् (Legislative Council) होगा।

दो भवन—संविधान में कहा गया है कि बिहार, कर्नाटक, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बङ्गाल तथा मैसूर के विधान-मण्डल के अन्तर्गत दो भवन होंगे। शेष राज्यों में केवल एक ही भवन होगा।

संविधान सभा के बहुत से सदस्य राज्यों के अन्तर्गत द्विभवन प्रणाली के विरुद्ध थे। वे कहते थे कि उच्च भवन से कई विशेष लाभ न होंगे और व्यर्थ में राज्यों की सरकारों का खर्चा बढ़ जायगा परन्तु फिर भी कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों ने यह बात नहीं मानी। कारण, यह सम्झते थे कि वस्तुतः मन्त्रिमण्डल के अन्तर्गत, नये चुनावों में ऐसे व्यक्ति, विधान सभा में चुने जा सकते हैं, जिन्हें शासन का कोई अनुभव न हो और जो लक्ष्म, चौकीदारों बना कर मतदाताओं को बहका कर, उनसे राय प्राप्त कर लें। इसलिए उन्होंने दो भवनों की माँग की, जिससे उच्च भवन में ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके, जो अपनी शिक्षा, योग्यता तथा अनुभव के कारण कानून बनाने के काम में अधिक योग्यता रखते हों तथा जो निम्न भवन के कामों को शासन की सुव्यवस्था की दृष्टि से देखभाल कर सकें।

फिर भी, उन लोगों की राय मानकर जो दूसरे भवन की प्रथा को अप्रवृत्त करने की सम्झते हैं, संविधान में कहा गया है कि यदि कोई राज्य बाद में उच्च भवन की प्रथा पसन्द नहीं करे तो उस राज्य का विधान सभा को यह अधिकार होगा कि वह दो-विधायी प्रणाली से उच्च भवन तोड़ देने का प्रस्ताव पार कर दे। ऐसा प्रस्ताव पार होने पर

1. यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे राज्य में उच्च भवन को ठोड़ दे।
 2. जहाँ अभी तक उच्च भवन का प्रबन्ध नहीं किया गया है, वहाँ पर भी
 ध्यान दिया गया है कि यदि ऐसा राज्य चाहे तो वह अपनी विधान सभा के
 द्वारा संघटन से ऐसा प्रस्ताव पास करा कर संघटन के पास भेज सकता है। यह
 आने पर संघटन उस प्रस्ताव के लिए दुबरे भवन की व्यवस्था कर देगा।

विधान सभा (Legislative Assembly)

इस शासन की भाँति राज्यों में भी निम्न भवन अर्थात् विधान सभा की सत्ता
के कार्य में सर्वोपरि रक्की गई है।

सदस्य संख्या—सविधान में विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं की सदस्य संख्या
तब नहीं की गई है। सभा का निर्वाचन करने के लिए एक सिद्धान्त का उल्लेख
 गया है। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत राज्यों में अधिक से अधिक ७५,००० जन-
 के पीछे एक व्यक्ति विधान सभा में चुना जा सकता है, परन्तु आसाम प्रान्त में
 क्वाइला क्षेत्रों की जनसंख्या बहुत कम है, यह नियम लागू नहीं होता। सन्
 २ के आम निर्वाचन के लिए संघटन द्वारा पास एक विशेष विधेयक के अधीन विभिन्न
 में विधान सभा के सदस्यों की संख्या इस प्रकार निश्चित की गई है :—

नाम राज्य	सदस्यों की कुल संख्या	हरिजनों के लिए सुगठित स्थानों की संख्या	क्वाइली जातियों के लिए सुगठित स्थानों की संख्या
आसाम	१०८	५	६
बिहार	३३०	४४	३५
बम्बई	३१५	२७	२६
मध्य प्रदेश	२३२	७२	२७
मद्रास	३७५	६२	५
उड़ीसा	१५०	२१	२८
पंजाब	१२६	२१	—
उत्तर प्रदेश	४३०	८३	—
पश्चिमी बङ्गाल	२३८	४०	१२
कुल जोड़	२२६४	३३५	१४४

बी श्रेणी के राज्य-

हैदराबाद	१७५	२१	२
मध्य भारत	६६	१७	१२
मैसूर	६६	१६	—
पंजाब	६०	१०	—
राजस्थान	१६०	१६	५
सौराष्ट्र	६०	४	१
ट्रावनकोर-कोचीन	१०८	११	—
कुल जोड़	७६२	१०८	२०

सी श्रेणी के राज्य

अजमेर	३०	६	—
भोपाल	३०	५	२
बुर्ग	२४	३	३
दिल्ली	४८	६	—
हिमाचल प्रदेश	३६	८	—
विन्ध्य प्रदेश	६०	६	६
कुल जोड़	२४८	३४	११

शेष सी श्रेणी के राज्य जिनमें निर्वाचक कॉलेज (Electoral Colleges) होंगे:

बच्छ	३०	—	—
मनीपुर	३०	—	—
त्रिपुरा	३०	—	—
कुल जोड़	९०	—	—
पूरा जोड़	३३७२	४७७	१७५

धाम चुनाव

संविधान के अन्तर्गत, निम्नलिखित चुनावों में जो परंपरी सन् १९५२ में पूरे हुए, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को राय देने का अधिकार प्राप्त था जिसकी आयु १ मार्च सन् १९५० को २१ वर्ष थी, तथा जो उन्मत्त, दिवालिया या किसी भयकर अपराध में सजा पाया हुआ व्यक्ति न था। वयस्क मताधिकार के अन्तर्गत जो चुनाव हुए उनमें लगभग ५५ प्रतिशत मतदाताओं ने अपनी राय डाली। चुनाव अत्यन्त शांति के साथ सम्पन्न हो गये। अनेक राजनीतिक दलों ने इन चुनावों में भाग लिया, परन्तु कांग्रेस दल के ही अधिकतर सदस्य इनमें सफल हुए। अलग अलग राज्यों में चुनाव के फलस्वरूप विभिन्न दलों को जितने स्थान मिले उनकी स्थिति नीचे दी जाती है :

नोट :—उपर्युक्त सदस्य संख्या में वह सदस्य सम्मिलित नहीं होंगे जो संविधान की ३३३वीं धारा के अधीन राज्यपालों, द्वारा ऐंस्तो इस्टिबल जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए मनोनीत कर दिये जायेंगे।

आय चुनावों का परिणाम

नाम राज्य	कांग्रेस	समानवादी	के० एम० पी० पी०	जनसङ्घ	हिंदू महा सभा	कम्युनिस्ट	रीड्डलड कास्ट फिडरेशन	दूसरे दल	स्वतंत्र	कुल वोट
१. आणाम	७६		२	—	—	१	—	६	१७	१०८
२. बिहार	२४०	४	१	—	—	—	—	५३	१३	२३०
३. वायव्य	२६६	६	—	—	—	—	१	२८	१८	३१५
४. मध्य प्रदेश	१६४	२	—	—	—	—	—	५	२३	२३२
५. मद्रास	१५२	१३	३५	—	—	६२	२	५६	६२	२७५
६. उत्तरी	६७	१०	—	—	—	७	—	३३	२१	१४०
७. पंजाब	६७	१	—	—	—	४	—	२५	४	१२६
८. उत्तर प्रदेश	३६०	१	१	२	१	—	—	०	१५	४२०
९. पश्चिमी बंगाल	१५०	—	१५	६	४	—	—	१६	१६	२३८
१०. हैदराबाद	६३	११	—	—	—	४३	५	१०	१४	१७५
११. मध्य भारत	७५	४	—	४	११	—	—	३	१	६६
१२. मैसूर	७४	३	—	—	—	१	२	—	११	६६
१३. पेश्वर	२६	—	१	२	—	—	१	२०	८	६०
१४. राजस्थान	८२	१	१	८	२	—	—	३२	३५	१६०
१५. सीमांत	५५	२	—	—	—	—	—	१	२	६०
१६. राजगंधार-कोचीन	४३	१३	—	—	—	—	—	१६	—	१०८

१७. अजमेर	२०	—	—	३	—	—	—	—	३	२६३	२६२	३०
१८. भोपाल	२५	—	—	—	१	—	—	—	—	—	५	२०
१९. गुर्गा	१५	—	—	—	—	—	—	—	—	—	९	४८
२०. देहली	३९	२	—	—	१	—	—	—	—	—	८	२६
२१. हिमाचल प्रदेश	२४	—	३	—	—	—	—	—	१	—	—	६०
२२. पंजाब प्रदेश	४१	१०	३	—	२	—	—	—	—	—	२	—
योग	२२४७	१२४	७७	३३	२०	१८५	१२	२६३	२६२	३२८३	—	—
निर्यापन कौलिस	२८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	२०
२३. कच्छ	१०	१	—	—	—	२	—	—	—	—	१६	२०
२४. मनीपुर	९	—	—	—	—	१२	—	—	—	—	३	३०
२५. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल योग	२२९४	१२५	७७	३३	२०	१९९	१२	३१२	३०१	३३७३	—	—

नोट :—विलासपुर राज्य में किसी प्रकार के चुनावों की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त जम्मू काश्मीर में भी इस संविधान के अन्तर्गत चुनाव नहीं किये गये।

ग्राम चुनावों के पश्चात् विधान सभा में विभिन्न दलों की स्थिति

पिछले ग्राम चुनावों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दल को भारी सफलता मिली। ४३० सदस्यों की विधान सभा में कांग्रेस दल के ३६० सदस्य निर्वाचित हुए। समाजवादी दल को केवल १८ सीटें प्राप्त हुईं। परंतु पिछले देढ़ वर्षों में, जुलाई सन् १९५३ तक, राज्य में १२ उपचुनाव हुए हैं। उनमें कांग्रेस दल को अधिक सफलता नहीं मिल सकी। १२ उपचुनावों में से ८ उपचुनावों में कांग्रेस दल की भारी हार हुई। केवल ४ सीटों पर कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई। शेष ७ सीटें समाजवादी दल को तथा १ सीटें स्वतन्त्र उम्मीदवार को मिली। जुलाई सन् १९५३ में, विधान सभा के अंतर्गत, कांग्रेस दल के सदस्यों की संख्या ३८२ थी, समाजवादी दल के सदस्यों की संख्या २५ थी तथा सयुक्त दल के सदस्यों की संख्या ११ थी। समाजवादी दल के नेता श्री राजनारायण हैं।

नई जनगणना के पश्चात् राज्यों में विधान सभाओं का संगठन

संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात् केन्द्र तथा राज्यों की विधान सभाओं का पुनर्सङ्गठन किया जायगा, जिससे जनसंख्या के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की जनता को विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। नई जनगणना सन् १९५१ में पूरी हो गई इसलिए सन् १९५७ में होने वाले ग्राम चुनावों के लिए विभिन्न राज्यों में विधान सभाओं की सदस्य संख्या में निम्न परिवर्तन किये गये हैं :—

सन् १९५७ के ग्राम चुनावों के लिए राज्यीय विधान सभाओं का संगठन

नाम राज्य	सदस्यों की कुल संख्या	हरिजनों के लिए सुरक्षित स्थान	जन जातियां के लिए सुरक्षित स्थान
ए. आंध्र प्रदेश के राज्य			
१. आन्ध्र	१६६	२६	५
२. आसाम	१०८	५	६
३. बिहार	३३०	४१	३३
४. बम्बई	२६४	२५	२७
५. मध्य प्रदेश	२३२	३२	२७
६. मद्रास	२४५	३६	१
७. उड़ीसा	१४०	२५	२८
८. पंजाब	११६	२२	—
९. उत्तर प्रदेश	४३०	७८	—
१०. पश्चिमी बंगाल	२३८	४५	११

बी.श्रेणी के राज्य			
१. हैदराबाद	१७५		५
२. मध्य भारत	६६	१६	१३
३. मैसूर	११७	२१	—
४. पंज्	६०	१२	—
५. राजस्थान	१६८	१८	३
६. सौराष्ट्र	६०		१
७. द्रावणकोर-कोचीन	११७	११	—

बी.श्रेणी के राज्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपरोक्त विभाजन से स्पष्ट है कि मैसूर, बम्बई, मद्रास, पंजाब, राजस्थान तथा द्रावणकोर कोचीन राज्यों की विधान सभाओं पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। सौराष्ट्र तथा हैदराबाद राज्यों के लिए अभी हरिजनों की सीटों का निश्चय नहीं किया गया है। इसका निर्णय बाद में किया जाएगा। आसाम राज्य में १०८ सीटों में से १८ सीटें खासी, गाणो, लुशाई, नागा तथा उचोरी कट्टार क्षेत्रों की जनता के लिए सुरक्षित रखी जायगी।

पृथक् निर्वाचन प्रणाली का अन्त

नव संविधान में मुसलमानों या अन्य अल्पसंख्यक जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों की प्रथा को तोड़ दिया गया है। आरम्भ के केवल १० वर्षों के लिए हरिजन तथा बर्हली जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था कायम रखी गई है। पृथक् निर्वाचन प्रणाली की प्रथा अत्यन्त दोषपूर्ण थी। सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था से भी जातियों स्वयं ऊपर उठने का प्रयत्न नहीं करती थीं। वह परोपजीवी बन जाती थीं। कुछ लोगों को डर या क्रि पृथक् निर्वाचन प्रणाली के अन्त से मुसलमानों या ईसाई इत्यादि जातियों के अधिकार सुरक्षित न रह सकेंगे। परन्तु यह डर एकदम निर्मूल सिद्ध हुआ। नव संविधान के अन्तर्गत जितने ही मुसलमान, पारसी तथा ईसाई, हिंदू इत्यादि से निर्वाचित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ४३० सदस्यों में से मुसलमानों की संख्या ४३ है। इसके अतिरिक्त कई ईसाई भी विधान सभा के सदस्य चुन लिये गये हैं। ये सब बातें सिद्ध करती हैं कि नव भारत में शासन का आधार धर्म नहीं बरन् लौकिकता है।

अवधि—विधान सभा की कार्य-अवधि ५ वर्षे निश्चित की गई है। इसके पश्चात् वह स्वयं टूट जायगी और नयी सभा के लिए चुनाव किये जायेंगे। परन्तु सङ्घटकीय अवस्था में संसद् को यह अधिकार दिया गया है कि वह एक कानून पास करके एक समय में उसकी अवधि १ वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। परन्तु किसी भी दशा में यह अवधि सङ्घटकीय अवस्था की घोषणा समाप्त होने के ६ महीने के पश्चात् से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती।

योग्यता—प्रत्येक वह व्यक्ति जिसकी आयु २५ वर्ष से अधिक हो अथवा जिसका नाम मतदाताओं की सूची में हो, विधान सभा की सदस्यता के लिए चुना जा सकता है।
विधान परिषद् (Legislative Council)

सदस्य संख्या—सविधान में कहा गया है कि विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या विधान सभा के सदस्यों की संख्या के चौथे भाग से अधिक अथवा ४० से कम नहीं होगी। इन सदस्यों में एक तिहाई सदस्य स्थानीय संस्थाओं के सदस्य, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड इत्यादि द्वारा, एक तिहाई सदस्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा, १/१२ सदस्य उन लोगों द्वारा जो उस समय राज्य के अन्तर्गत किसी भी यूनिवर्सिटी के ३ वर्ष से अधिक के ग्रेजुएट हैं, १/१२ सदस्य ऐसे लोगों द्वारा जो कम से कम पिछले तीन वर्षों से सेकेंडरी या उससे ऊँची शिक्षा संस्थाओं में अध्यापन का कार्य कर रहे हों, चुने जायेंगे। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत किये जायेंगे जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा तथा सहकारी विभाग (Co-operative Dept.) के क्षेत्र में भाग लेने के कारण, समाज में ऊँचा स्थान पा चुके हों। विधान परिषद् के सदस्यों का चुनाव आयरलैंड के सविधान के आधार पर निश्चित किया गया है। इस प्रकार परिषद् में वह सभी व्यक्ति मांग ले सकेंगे जो राज्य के सबसे बुद्धिमान तथा योग्य व्यक्ति कहे जा सकते हैं।

जिन राज्यों में द्विमवन प्रणाली का प्रयोग किया गया है, सविधान में परिषद् के सदस्यों की संख्या इस प्रकार निश्चित की गई है :—

बिहार	७२
बम्बई	७२
मद्रास	७२
पंजाब	४०
उत्तर प्रदेश	७२
पश्चिमी बङ्गाल	५१
मैसूर	४०

अवधि—विधान परिषद् एक स्थायी संस्था बनाई गई है, परन्तु उसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष चुने जायेंगे। विधान सभा की भाँति, परिषद् के एक साथ चुनाव नहीं होंगे।

योग्यता—विधान परिषद् की सदस्यता के लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम ३५ वर्ष हो तथा उसमें वह सभी योग्यताएँ हों जो संसद् विशेष कानून के द्वारा निश्चित कर दे।

दोनों भवनों के सम्बन्ध में समान बातें

सदस्यता—कोई व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्य अथवा संघीय मन्त्र का सदस्य नहीं हो सकता। यदि वह ऐसी दो या दो से अधिक विधान सभाओं का सदस्य चुन लिया जाय तो उसे एक को छोड़कर सभी स्थानों से त्यागपत्र दे देना पड़ता है।

स्थान त्याग—विधान सभा तथा परिषद् के सदस्यों को इस बात का अधिकार है कि वह अपने पद से त्यागपत्र दे दें। यदि कोई सदस्य ६० दिन से अधिक तक 'सभा' या 'परिषद्' के अधिवेशनों में बिना उचित कारण दिखाये, भाग न लेंगे तो उन्हें भी अपने पद से अलग कर दिया जायगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी सदस्य में यह योग्यता नहीं रहेगी जो 'सभा' अथवा 'परिषद्' की सदस्यता के लिए आवश्यक है तो उसे भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति निर्वाचित होने के पश्चात् दिवालिया या पागल हो जाय या कोई सरकारी नौकरी कर ले या किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी सदस्यता का अन्त हो जायगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति विधान सभा या परिषद् की बैठकों में भाग लेगा जिसका यह सदस्य नहीं है या सदस्यता से अलग कर दिया गया है तो उस पर ऐसा करने के लिए ५०० रुपया प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकेगा।

अधिकार—विधान सभा तथा परिषद् के सदस्यों के अधिकार वही हैं जो संसद् के सदस्यों के हैं।

गणपूर्ति—(Quorum)—विधान मण्डल के अन्तर्गत दोनों भवनों के कार्य आरम्भ होने के लिए कम से कम १/१० सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक रखी गई है।

भाषा—संविधान में कहा गया है कि विधान सभा तथा परिषद् का कार्य हिन्दी, अंग्रेजी या उस राज्य की अपनी भाषा में किया जायगा। परन्तु, सभा के अध्वक्ष को इस बात का अधिकार होगा कि यदि वह समझे कि किसी सदस्य को इन तीनों में से कोई भी भाषा नहीं आती तो वह उसको अपनी मातृ भाषा में निवार प्रकट करने की अनुमति दे दे। १५ वर्ष के पश्चात् केवल हिन्दी ही अंग्रेजी के स्थान पर प्रयोग में लाई जायगी। परन्तु इसके पश्चात् भी राज्य इस बात के लिए स्वतन्त्र होगा कि वह अपने आंतरिक शासन का कार्य अपनी ही राज्य भाषा में चला सके यद्यपि संघ शासन के साथ सम्बन्ध बनाये रखने के लिए, उन्हें हिन्दी का ही प्रयोग करना पड़ेगा।

पदाधिकारी—संविधान में विधान सभा के लिए एक अध्वक्ष तथा उपाध्वक्ष और विधान परिषद् के लिए एक सभापति तथा उप सभापति की व्यवस्था की गई है। इन अधिकारियों का काम 'सभा' अथवा 'परिषद्' की बैठकों में सभापति का शासन ग्रहण

करना, उनमें अनुशासन तथा नियंत्रण कायम रखना, उनका कार्यक्रम बनाना, सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना तथा सभा की बैठकों में कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाना होगा। उप-सभापति तथा उपाध्यक्ष केवल उस दशा में काम कर सकेंगे जब अध्यक्ष अथवा सभापति किसी कारण से कार्य न कर सकें। 'सभा' तथा 'परिषद्' की बैठकों में सभापति का आसन ग्रहण करने वाला व्यक्ति केवल ऐसी ही दशा में अपने स्वतंत्र मत का उपयोग कर सकेगा जब किसी विषय पर पक्ष तथा विपक्ष में बराबर मत हों। इसका अर्थ यह हुआ कि साधारणतया वह अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा। उसे केवल एक निर्णायक मत (Casting Vote) देने का अधिकार होगा।

वेतन—'सभा' तथा 'परिषद्' के अध्यक्ष व सभापति अथवा उपाध्यक्ष व उप-सभापति को उतना वेतन मिलेगा जितना विधान सभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाय।

अधिवेशन—संविधान में कहा गया है कि विधान सभा तथा परिषद् की एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें अत्यंत सुलाई जायेंगी। साथ ही एक अधिवेशन व अन्त तथा दूसरे अधिवेशन के प्रारम्भ में छ महीने से अधिक का अन्तर नहीं होगा।

राज्यपाल द्वारा उद्घाटन—नये वर्ष में अधिवेशन आरम्भ होने पर राज्यपाल या राजप्रमुख या उपराज्यपाल या चीफ कमिश्नर, विधान सभा, और जिन राज्यों में दो भवन हैं वहाँ दोनों सदनों के सदस्यों के सम्मुख, एक मिनी बुनी सभा में भाषण देंगे। इस भाषण में वह राज्य की नीति का उल्लेख करेंगे। सदस्यों को अधिकार होगा कि वह इस भाषण पर बहस कर सकें। राज्यपालों को यह भी अधिकार होगा कि इसके पश्चात् भी वह जब चाहे, एक सदन या दोनों सदनों में आकर सदस्यों के सम्मुख किसी आवश्यक विषय पर भाषण दे सकें। वह सदनों में लिए गए अपनी ओर से स देश भी भेज सकेंगे।

विधान मंडल के कार्य तथा अधिकार

(१) विधायनी अधिकार (Legislative Powers)—राज्य विधान मंडल उन सभी विषयों पर कानून बना सकेगा जो विधान के सातवें परिशिष्ट के अन्तर्गत राज्य सूची में दिये गये हैं। समवर्ती सूची (Concurrent) में दिये गए विषयों पर भी राज्य की सरकारें कानून बना सकेंगी परन्तु यदि ससद् द्वारा बनाये गये कानून और राज्य के कानूनों में कोई विरोध होगा तो ससद् द्वारा बनाये गये कानून ही प्रामाणिक माने जायेंगे।

राज्य विधान मंडलों के उपरोक्त अधिकार पर निम्न दशाओं में कुछ विशेष रोक लगाई जा सकेंगी —

(१) संविधान की २४२वीं धारा में कहा गया है कि यदि किसी समय राज्य परिषद् दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि जिस विरोध विषय

पर जो राज्य सूची में दिया गया है, राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है, कि सङ्घ सरकार द्वारा कानून बनाया जाय तो सङ्घ संसद् को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जानगा।

(11) संविधान की ३५२वीं धारा के अधीन राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रीय सङ्घट्ट की घोषणा करके सङ्घ सरकार को राजकीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकते हैं।

(111) इसी प्रकार यदि किसी राज्य में संवैधानिक गति अरुणोप उत्पन्न हो जाय और राज्यपाल यह घोषणा करे कि उस राज्य का शासन-प्रबन्ध संविधान की धाराओं के अनुकूल नहीं चलाया जा सकता, तो सङ्घ सरकार को उस राज्य के सम्बन्ध में कानून पास करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

(v) संविधान की धारा न० ३०४ में कहा गया है कि कुछ विषयों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, यातायात इत्यादि पर राज्य की विधान सभाओं को उस समय तक कानून पास करने का अधिकार नहीं होगा जब तक ऐसा करने के लिए वह राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति प्राप्त न कर लें।

(vi) अन्त में कुछ विषय ऐसे हैं जैसे जमींदारी उन्मूलन जिनके सम्बन्ध में पास किये गये कानून उस समय तक लागू न किये जा सकेंगे जब तक राष्ट्रपति स्वीकृति न दे दें।

आलोचना—सङ्घ सरकार के उन्मुख अधिकारों की कुछ आलोचकों ने यह कह कर निन्दा की है कि इस प्रकार के विलुप्त अधिकार राज्यों की विधान सभाओं को नगरपालिका जैसी संस्था में बदल देते हैं, परन्तु हम इसी पुस्तक के रिक्तले एक अध्याय में देख चुके हैं कि इस प्रकार की आलोचना एकदम निर्या है। सङ्घ सरकार अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग केवल उस दशा में करती है जब समस्त राष्ट्र पर कोई घोर सङ्कट उत्पन्न हो। विदित है कि इस प्रकार की स्थिति में समस्त राष्ट्र का हित इसी बात में होगा कि केंद्रीय सरकार द्वारा कोई कठोर कदम उठाया जाय।

(२) **वित्तीय अधिकार (Financial Powers)**—राज्यों की विधान सभाओं को रुपये जैसे सम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्राप्त है। बजट में कुछ रकमों को छुड़ कर और अन्य विधान सभा की स्वीकृति से ही किया जाता है। राज्य में कोई नया टैक्स लगाने या पहला कर फस करने के लिए भी उसी की स्वीकृति आवश्यक है। राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त नहा कि वह विधान सभा द्वारा पास बजट को अस्वीकार कर सके। जिन राज्यों में दो सदन हैं वहाँ पर भी निम्न भवन को ही वित्त सम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्रदान किये गये हैं।

(३) **शासनिक अधिकार (Executive Powers)**—नये संविधान के

अन्तर्गत समस्त देश में उत्तरदायित्वपूर्ण सरकारें स्थापित की गई हैं। राज्यों के मन्त्रिमंडलों पर विधान सभाओं का पूर्ण अधिकार है। वह जब चाहे उन्हें अविश्वास का प्रस्ताव पास कर उनके पद से अलग कर सकती है। प्रश्नों, काम रोज़े प्रस्ताव, धन में कटौती, इत्यादि के द्वारा भी वह मन्त्रिमंडल पर नियंत्रण रख सकती है।

द्विभवन प्रणाली के अन्तर्गत राज्यों में कानून बनाने की विधि

जिन राज्यों में दो भवन हैं उनमें कानून पास करने की विधि निम्न प्रकार से होगी —

राज्ये रुपये सम्बन्धी बिल—रुपये रुपये सम्बन्धी बिलों पर सब प्रजातंत्र शासनों की मूर्ति निम्न भवन की सम्मति ही सर्वनाय होगी। कोई ऐसा बिल 'विधान परिषद्' में पेश न हा सकेगा, परंतु ऐसे बिल पर उसे अपनी सम्मति प्रकट करने का पूरा अधिकार होगा। विधान सभा द्वारा पास हा चुकने के पश्चात् ऐसा बिल परिषद् के सम्मुख उपस्थित किया जायगा। 'परिषद्' को अधिकार होगा कि वह १४ दिन के अन्दर अन्दर उस बिल के विषय में अपनी सम्मति लिखकर 'विधान सभा' को भेज दे। इस राय का मानने न मानने का अधिकार विधान सभा को पूर्णतया प्राप्त है। यदि वह विधान परिषद् की बात न माने या 'परिषद्' के सदस्य १४ दिन के अन्दर अपनी राय न भेजें तो ऐसा बिल सीधा राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जायगा जिन्हें उस पर हस्ताक्षर अवश्य करने पड़ेंगे। यदि किसी बिल के सम्बन्ध में भगडा हो कि वह रुपये रुपये सम्बन्धी बिल (Money Bill) है अथवा नहीं तो विधान सभा के अध्यक्ष की राय इस सम्बन्ध में अंतिम होगी।

दूसरे बिल—दूसरे बिलों के पास किये जाने के सम्बन्ध में ससद् और राज्य के विधान मंडलों की शक्ति में अन्तर है। ससद् में यदि कोई बिल दूसरे भवन द्वारा स्वीकार न किया जाय तो राष्ट्रपति को आजा है कि वह दोनों भवनों की एक समुक्त बैठक बुलायेंगे और जब तक इस बैठक में वह बिल बहुमत से पास न हो जाय, वह रद्द समझा जायगा। परन्तु राज्यों के विधान मंडलों के निम्न भवन को इस विषय में अधिक शक्ति प्रदान की गई है। संविधान की १४७वीं धारा में कहा गया है कि यदि कोई बिल विधान सभा पास कर दे और विधान परिषद् उसे उस रूप में स्वीकार न करे या उसे अस्वीकार कर दे या तीन महीने से अधिक तक उस पर विचार न करे तो विधान सभा को अधिकार है कि वह उस बिल को दोबारा अपने अगले अधिवेशन में पास करने के पश्चात् एक बार फिर परिषद् के पास भेज दे और इसके पश्चात् यदि परिषद् फिर से उसे अस्वीकार कर दे या उस पर एक महीने से अधिक तक विचार न करे तो वह दोनों भवनों द्वारा पास समझा जायगा और राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए सीधा भेज दिया जायगा।

बिलों के सम्बन्ध के राज्यपालों के अधिकार—जिस समय कोई बिल राज्यपाल के हस्ताक्षरों के लिए भेजा जायगा तो जैसा पहले बताया जा चुका है, राज्यपाल को अधिकार होगा कि वह उस पर हस्ताक्षर कर दे या उसे अस्वीकार कर दे या उस बिल को राष्ट्रपति का सलाह के लिए भेज दे। दूसरी दशा में यदि वह बिल विधान मंडल द्वारा दावारा पास कर दिया जायगा तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर अवश्य करने पड़ेंगे।

संविधान की २००वीं धारा में कहा गया है कि राज्यपाल ऐसे बिल की स्वयं स्वीकृति नहीं देंगे जिस बिल का हार्डकोरों के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़े। ऐसे बिल का वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजेंगे। शेष बिलों की राष्ट्रपति की सम्मति के लिए भेजना न भेजना उनके अपने अधिकार की बात होगी।

जिस समय कोई बिल राष्ट्रपति की सम्मति के लिए भेजा जायगा तो उन्हें अधिकार होगा कि वह उस बिल को स्वीकार कर लें या उसे अस्वीकार कर दें या उसे दावारा विचार के लिए राज्य की सरकार को लौटा दें। अन्तिम दशा में विधान मंडल को उस बिल पर ६ महीने के अन्दर-अन्दर पुनः विचार करना होगा और यदि फिर वह बिल उसी प्रकार पास कर लिया जाय तो उसे राष्ट्रपति के पास दोबारा भेज दिया जायगा।

संविधान में यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि ऐसी दशा में जब दोबारा भी विधान मंडल किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजें तो उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा या नहीं। सम्भवतः इस दशा में आरंभ देशों के रीतिरिवाजों (Conventions) से काम लिया जायगा।

बिल (निधेयक) पास करने की विधि

राज्यों के विधान मंडल में बिल पास करने की विधि वही होगी जैसी वह संसद् में है और जिसका वर्णन ऊपर अध्याय में दिया गया है। प्रत्येक बिल की तीन पढ़तें होती हैं अर्थात् प्रथम पढ़त, द्वितीय पढ़त और तृतीय पढ़त। इसके पश्चात् बिल दूसरे सदन में भेजा दिया जाता है, जहाँ पर एक बार फिर उसे उसी प्रकार पास किया जाता है। दोनों सदनों द्वारा पास हो जाने पर बिल सीधे राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा दिया जाता है।

बजट पास करने की विधि

राज्यों के बजट भी उसी प्रकार पास किये जाते हैं जैसे संसद् संविधान के अन्तर्गत। राज्यपाल या राज्यप्रमुख की स्वीकृति से ही कोई बजट विधान सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधान सभा का कोई सदस्य सदन में इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकता जिसके पास होने पर राज्य की सरकार को घन व्यय करना पड़े। बजट दो

विभागों में बाँटा जाता है। एक विभाग में ऐसे खर्चे दिखाये जाते हैं जिन पर विधान सभा को मन् देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। ऐसे मतों में मुख्यतः राज्यपाल का वेतन, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, राज्य के ऋण पर व्याज की रकम, इत्यादि होते हैं। दूसरे भाग में यह खर्चे दिखाये जाते हैं जिन्हें विधान सभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। परन्तु उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं होता कि वह किसी खर्चे की रकम बढ़ा सके। वज्र पास हो जाने के पश्चात् उसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। जैसा पहले बताया आ चुका है, वित्त सम्बन्धी विषयों में विधान सभा की राय अन्तिम मानी जाती है और राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता कि वह इस विषय में विधान सभा की राय टुफा दे।

योग्यता प्रश्न

१. नये संविधान के अनुसार राज्य की विधान सभा का निर्माण कैसे होता है ? उसकी शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिये। (यू० पी० १९५१)

२. कुछ राज्यों में द्विमन्त प्रणाली को क्यों अपनाया गया है ? क्या यह कदम अप्रजातन्त्रवादी नहीं है ?

३. उत्तर प्रदेश की विधान सभा तथा विधान परिषद् का सङ्गठन समझाओ। विभिन्न दलों की इन सदनो में कैसी स्थिति है ?

४. राज्यों में दो सदनो के बीच गति अवरोध किस प्रकार दूर किया जाता है ? दोनों सदनो की शक्तियों का संक्षिप्त परिचय दो।



राज्यों तथा संघ सरकारों के बीच अधिकारों का वितरण

अधिकार वितरण का अधिभार

सद्वीय विधानों का एक मुख्य लक्ष्य, जैसा पहले बताया जा चुका है, सद्व सरकार तथा उसके अन्तर्गत राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन है। यह अधिकार विभाजन इस आधार पर किया जाता है कि जो विषय राष्ट्रीय महत्त्व के होते हैं तथा जिन पर सारे देश के लिए समान नीति की आवश्यकता होती है, एवं जिनमें सभी राज्यों समान रूप से रुचि रखते हैं, उन्हें सद्व सरकार के नियन्त्रण में दे दिया जाता है; शेष विषय जो स्थानीय महत्त्व के होते हैं तथा जिन पर विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता होती है, राज्यों के अधीन कर दिये जाते हैं। इस प्रकार सद्वीय शासन में सद्व सरकार तथा उनमें सम्मिलित होने वाले सभी राज्यों के बीच कानून, शासन, न्याय और अर्थ सम्बन्धी अधिकारों का पूर्ण रूप से विभाजन किया जाता है।

अधिकार विभाजन के सम्बन्ध में साधारणतया दो प्रणाली प्रचलित हैं। एक प्रणाली के अनुसार, कुछ निश्चित विषय केंद्रीय सरकार को सौंप दिये जाते हैं और शेष सभी विषयों का नियंत्रण राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अमरीका, स्विट्जरलैंड और आस्ट्रेलिया में यही पद्धति प्रचलित है। कैनाडा में इसके विपरीत एक दूसरी प्रणाली का प्रयोजन किया गया है। उस देश में कुछ निश्चित विषय राज्यों को देकर, शेष सभी विषय सद्व सरकार के नियन्त्रण में रख दिये गये हैं। इन दोनों प्रणालियों में प्रथम प्रणाली विकेंद्रीकरण की भावना के आधार पर अच्छी है तथा द्वितीय प्रणाली एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना के उद्देश्य से अपेक्षित है।

भारत में अधिकार विभाजन

हमारे नये संविधान के अन्तर्गत भारत में उन्नीस दोनों प्रणालियों से निम्न एक तीसरी पद्धति का प्रयोग किया गया है। यह पद्धति कुछ प्रयोगों में आस्ट्रेलिया के संविधान पर आधारित है जहाँ सद्व सूची के अतिरिक्त कुछ विषय एक सनजती सूची में रखते गये हैं। हमारे पुसने १९३५ के कानून में भी इसी पद्धति का अनुसरण किया गया था। इस प्रणाली के अनुसार राज्यों के सभी अधिकार तीन सूचियों में बाँटे गये हैं : (१) सद्व सूची, (२) राज्य सूची, (३) सनजती सूची। सद्व सूची में वे विषय

रखे गये हैं जिन पर सङ्घ सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में इसके विरतीत वह विषय हैं जिन पर राज्यों की सरकारें कानून बना सकती हैं। तीसरी समती सूची में वे विषय हैं जिनका स्वरूप तो स्थानीय है, परन्तु जिन पर यदि सारे राष्ट्र के लिए एक से ही कानून बना दिये जायें तो शासन की कुशलता तथा देश के एकीकरण में अत्यन्त सहायता मिलती है। इस तीसरी सूची के निर्माण से सङ्घ विधान का एक बहुत बड़ा दोष अपरिवर्तनीयता तथा कानूनीपन दूर हो जाता है और राष्ट्रीयता के विकास में अत्यन्त सहायता मिलती है। इस सूची के विषयों पर राज्य तथा सङ्घीय दोनों ही सरकारों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, परन्तु विरोध की दशा में केवल सङ्घीय कानून ही प्रामाणिक माने जाते हैं।

अवशिष्ट अधिकार (Residuary powers)

वैसे हमारे नव सविधान में राज्य के सभी अधिकारों को इन तीन सूचियों में विभक्त करने का प्रयत्न किया गया है, परन्तु फिर भी सम्भव है, कुछ विषय इस विभाजन के क्षेत्र से बाहर रह गये हों। ऐसे विषयों को अवशिष्ट (Residuary) विषय कहा जाता है। सविधान में कहा गया है कि यह विषय सङ्घ सरकार के अधीन रहेंगे। दूसरे, सङ्घीय विधानों में यह विषय राज्यों की सरकारों के अधीन रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि समती सूची द्वारा, अवशिष्ट अधिकारों को सङ्घ सरकार के सुपुर्द करके तथा सङ्घीय सूची में बहुत अधिक विषय सम्मिलित करके, हमारे नव सविधान में इस प्रकार का प्रयत्न किया गया है कि भारत में सङ्घीय विधान होने पर भी एक शक्तिशाली केन्द्रिय सत्ता का निर्माण हो सके।

नीचे हम इन तीनों सूचियों में सम्मिलित विषयों का सक्षिप्त विवरण देते हैं। इनकी पूरी सूची सविधान के सप्तम परिशिष्ट में दी गई है।

सघ सूची—इनमें सब मिलाकर ६७ विषय हैं। १९३५ के विधान में इस सूची में कुल ५८ विषय थे। आस्ट्रेलिया के विधान में इस सूची में ३ विषय हैं। इस प्रकार सघ सरकार का अधिकार क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत रक्खा गया है। इन विषयों में रक्षा, विदेशी समस्याएँ, युद्ध और शांति, कृषायली क्षेत्र, मद्रा और शिक्षा, नागरिकता, सङ्घीय शरण, डाक और तार, टेलीफोन और बेतार, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, बनारस, दिल्ली, विश्वभारती, अलीगढ़ के विश्वविद्यालय, प्राचीन स्मारक, जनगणना, संघीय रेलें, जहाजरानी और नौकायान, पेटेंट तथा कॉपीराइट, चेक और 'हुँडियाँ', राजाख, अफीम, नमक इत्यादि महत्वपूर्ण विषय हैं।

राज्य सूची—इसमें कुल मिलाकर ६६ विषय हैं। १९३५ के सविधान में इस सूची में ५४ विषय थे। इन विषयों में कानून और व्यवस्था, न्याय, जेलें स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, मादक वस्तुओं का उत्पादन तथा उन पर नियंत्रण,

शिक्षा, निश्चिन्ता सम्बन्धी सहायता, ग्राम सुधार, सिंचाई, मानगुजारी, पशुओं की रक्षा, वन, औद्योगिक उन्नति, सहयोग आंदोलन, प्रांतीय पब्लिक सर्विस कमिशन इत्यादि महत्त्वपूर्ण विषय हैं।

समवर्ती सूची—इसमें ४७ विषय हैं। १९३५ के कानून के अधीन इस सूची में ३६ विषय थे। इसमें फौजदारी कानून, जान्ना फौजदारी, नागरिक कानून, जाम्ना दीवानी, साक्षी तथा शपथ कानून, निगड और रिजिस्ट्रार, दत्तक प्रणाली, सम्पत्ति को हस्तान्तरित होना, आर्यसभ निमित्त पत्नी की रजिस्ट्री, ट्रस्ट, इकरानामों का कानून, कारखाना कानून, ट्रेड यूनियनों, समानार पत्र, छापेखाने, विप तथा आगतिजनक आप्तियों का कानून इत्यादि महत्त्वपूर्ण हैं।

योग्यता प्रश्न

१. सङ्घ और राज्य की सरकारों के बीच शासन रूपी सम्बन्धों का वर्णन कीजिये।
२. सङ्घ और राज्य की सरकारों के बीच अधिकार विभाजन किस आधार पर किया गया है? अवशिष्ट अधिकार किसे सौंपे गये हैं?
३. समवर्ती सूची का क्या अर्थ है? यदि राज्य और सङ्घ सरकार—दोनों ही इस सूची के विषयों पर कानून बनायें, तो यह अवरोध किस प्रकार दूर किया जाता है?

अध्याय ११

राज्यों तथा संघ सरकार के बीच आय के साधनों का वितरण

नये सविधान में सङ्घ तथा राज्यों की सरकारों के बीच केवल अधिकारों का ही विभाजन नहीं किया गया है बल्कि आय के साधनों का भी पूर्ण रूप से विभाजन कर दिया गया है। यह स्पष्ट है कि किसी देश की सरकार उस समय तक अपना काम नहीं चला सकती जब तक उसे आय के पर्याप्त साधन उपलब्ध न हों। संघीय विधानों में जहाँ सङ्घ सरकार तथा उनकी इकाइयों के बीच राज्य के अधिकारों का विभाजन अत्यन्त आवश्यक है, वहाँ उसकी आय के साधनों का बँटवारा करना भी अनिवार्य है। इसी सिद्धांत को दृष्टि में रखकर हमारे नये सविधान के १२वें भाग में सङ्घ सरकार तथा राज्यों की सरकारों के बीच आय के साधनों का पूर्ण रूप से विभाजन कर दिया गया है।

सविधान की सातवीं अनुसूची में सङ्घ सरकार तथा राज्य की सरकारों में अलग-अलग आय के क्या साधन होंगे इसका विवरण दिया गया है।

संघ सरकार के आय के साधन—उपरोक्त अनुसूची की पहली सूची में संघ सरकार के आय के साधनों का विवरण क्रम से लगाकर ६७वीं धारा में किया गया है। इन धाराओं में कहा गया है कि सङ्घ सरकार को निम्नलिखित कर लगाने का अधिकार होगा :—

(१) कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर।

(२) सीमा शुल्क जिसके अन्तर्गत निर्यात शुल्क भी सम्मिलित है।

(Customs including Export Duties)

(३) भारत में निर्मित वस्तुओं व तम्बाकू पर कर, परन्तु जिनमें शराब व मादक वस्तुओं पर कर सम्मिलित नहीं होगा। (Excise Duties except on Alcoholic drinks)

(४) कम्पनी टैक्स

(५) व्यक्तियों या कम्पनियों के मूलधन पर टैक्स।

(६) कृषि भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति पर कर।

(७) कृषि भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में कर।

(Estate Duty)

(न) रेल या समुद्र या वायु से ले जाने वाली वस्तुओं व यानियों पर सीमा कर तथा रेल का माफ़ा व वस्तु माफ़ा पर कर।

(६) शेयर-बाजार व सट्टे के सौदे पर कर।

(१०) बैंक, टुट्टी, रक्का, बीना पत्र, रसीद, श्रृणु पत्र इत्यादि पर स्तम्भ कर।

(११) प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की विन्ती व उनमें छपे विज्ञानों पर कर।

राज्य की सरकारों के आय के साधन—इसी प्रकार संविधान के उच्च परिशिष्ट की ४५वीं धारा से लगा कर ६३वीं धारा तक उन करों का विवरण दिया गया है जो राज्य की सरकारें लगा सकती हैं। इन करों में निम्नलिखित कर मुख्य हैं :

(१) भूमि कर (Land Revenue)

(२) कृषि आय पर कर (Agricultural income tax)

(३) कृषि भूमि के उत्तराधिकार के दिवस में चुंगी (Succession duty on ag. land)

(४) कृषि भूमि पर सन्धि कर (Estate duty on ag. land)

(५) भूमि व भवनों पर कर (Tax on land and buildings)

(६) खनिज-अधिकार पर कर (Tax on mineral rights)

(७) शराब, अफीम व प्रान्त में बनने वाली दूसरी मादक वस्तुओं पर कर (Excise duty on Intoxicants)

(न) विन्ती कर (Sales tax)

(६) विदली के उपनेग व विन्ती पर कर।

(१०) समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञानों को छोड़ कर अन्य विज्ञानों पर कर। -

(११) यानियों पर कर।

(१२) मोटर व ट्रामों पर कर।

(१३) पशुओं और नौकरी पर कर।

(१४) प्रति व्यक्ति पर कर।

(१५) प्रानेद-प्रानेद के स्थानों पर कर।

(१६) दम्पतिवर्ती की रजिस्ट्री पर स्तम्भ कर

आय के साधनों के बँटवारे के सम्बन्ध में प्रान्तों का दृष्टिकोण

भारतवर्ष में सन् १९१९ में प्राचीन स्वयंज की स्थाना के समय से प्राचीन सरकारें उदा. इस बात की शिक्षा करती रहती थी कि उनके आय के साधन सुदृढ नहीं हैं और इस कारण वह विनाश और राष्ट्रीय निर्माण की योजनाओं पर अधिक धन खर्च नहीं कर सकती। उनका कहना था कि सन् १९१९ से प्राचीन की सरकारों के साथ

अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था। केंद्रीय सरकार ने अरने पास तो आय के ऐसे साधन रख लिये थे जिनसे आमदनी आरानी से बढ़ाई जा सकती थी, परन्तु प्रान्तों की सरकार के पास आय के केवल वही साधन थे जिनसे आमदनी बढ़ने के बजाय केवल घट ही सकती थी। नये संविधान में प्रान्तीय सरकारों की यह शिकायत दूर करने का प्रयत्न किया गया है। जैसे तो १९३५ से संविधान में भी प्रान्तीय सरकारों को बँद द्वारा कई प्रकार की सहायता देने का प्रबन्ध किया गया था, परन्तु हमारे नये संविधान में इस दिशा में और भी सुधार कर दिया गया है।

नये संविधान के अन्तर्गत राज्यों की सरकारों को संघ सरकार द्वारा सहायता संविधान की २६३ धारा में कहा गया है कि निम्नलिखित शुल्क और कर भारत सरकार द्वारा सप्रहीत किये जाँगे परन्तु इनसे होने वाली आमदनी का बँटवारा राज्यों की सरकार के बीच कर दिया जायगा :-

- (१) सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर कर (Estate Duty)।
- (२) कृषि भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति पर शुल्क।
- (३) रेल, समुद्र व वायु से आने जाने वाली वस्तुओं व यात्रियों पर सीमा कर।
- (४) रेल के किरायों व मालों पर कर।
- (५) शेरार बाजारों व सट्टे के सौदों पर स्टांप कर।
- (६) समाचार पत्रों के मूल्य विक्रय तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर।

इन सभी करों से होने वाली आमदनी केंद्रीय सरकार राज्यों की सरकारों के बीच बँट देगी।

आगे चलकर संविधान में कहा गया है कि इनकम टैक्स से होने वाली आमदनी का एक निश्चित भाग विभिन्न राज्यों की सरकारों के बीच बँट दिया जायगा। इसी प्रकार आसाम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल के सूबों में पट्टन पर लगाये जाने वाले निर्यात कर से होने वाली आमदनी के सम्बन्ध में संविधान की २७३वीं धारा में कहा गया है कि जब तक यह निर्यात कर लागू रहेगा, सङ्घ सरकार इन प्रान्तों की सरकार को एक निश्चित रकम प्रति वर्ष देती रहेगी।

इसके अतिरिक्त संविधान में सङ्घ समुद्र को इस बात का अधिकार भी दिया गया है कि यह राज्य की सरकारों को अपनी सञ्चित निधि में से सहायता प्रदान कर सके। आसाम राज्य के लिए विशेष रूप से संविधान में कहा गया है कि सङ्घ सरकार उस राज्य में बसने वाली जन जातियों (Tribes) की सहायता के लिए तथा उन क्षेत्रों के शासन प्रबन्ध को जहाँ जन जातियाँ बसती हैं, दूसरे राज्यों के समान शासन के स्तर पर लाने के लिए विशेष रूप से सहायता देगी।

राजस्व कमिशन (Finance Commission)—विभिन्न राज्यों को सहायक सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता दी जाय तथा उनके बीच आय कर से होने वाली आयदानी का किस प्रकार वितरण किया जाय इनके लिए संविधान में एक राजस्व कमिशन की नियुक्ति का आदेश दिया गया है। निम्न दिनों इस कमिशन की नियुक्ति कर दी गई थी। संविधान में कहा गया था कि राष्ट्रपति विधान लागू होने के दो वर्षों के अन्दर ऐसे कमिशन की नियुक्ति अग्रसर कर देंगे। जब तक कमिशन की सिफारिशें प्रकाशित नहीं हो जाती उस समय तक वह लिए भारत सरकार ने निर्णय किया था कि वह श्री सी० डी० देशमुख द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार राज्यों तथा सहायक सरकार के बीच 'आय कर' तथा 'गैस पर निर्धारित कर' का बँटवारा करती रहेगी। श्री सी० डी० देशमुख द्वारा की गई सिफारिशें ३१ जनवरी, सन् १९५० को प्रकाशित की गईं। श्री देशमुख की सिफारिशों से पहले की स्थिति

राज्यों की सरकारों को सन् १९३५ के विधान के अन्तर्गत आय कर का ५० प्रतिशत भाग दिया जाता था। विभिन्न राज्यों के बीच इस कर की आयदानी का बँटवारा इस प्रकार था —

	प्रतिशत						
मद्रास	१५	यू० पी०	१५	सी० पा०	५	सिंध	२
बम्बई	२०	पंजाब	८	उड़ीसा	२	सरहदी सूबा	१
बंगाल	२०	बिहार	१०	आसम	२		

भारत के विभाजन के परन्तु स्वभावतः भारत सरकार को उपरोक्त प्रबंध पर पुन विचार करना पड़ा। सिंध व सरहदी सूबों का दिये जाने वाले इनकम टैक्स का भाग अब भारत सरकार ने दूसरे राज्यों में बाँट दिया। साथ ही बंगाल, पंजाब तथा आसम राज्यों का बँटवारा हो जाने से इन राज्यों का पहले की भाँति ही आय कर का भाग नहीं दिया जा सकता था। इसलिए इन राज्यों को मिलने वाली आय कर की आयदानी का कुछ भाग दूसरे राज्यों को दे दिया गया। १० मार्च सन् १९५८ को भारत सरकार ने विभाजन के परन्तु आय कर की आयदानी में से विभिन्न राज्यों का भाग इस प्रकार निश्चित किया :

नाम राज्य	प्रतिशत
मद्रास	१८
बम्बई	२१
पश्चिमी बंगाल	१२
यू० पी० (उत्तर प्रदेश)	१६

पूर्वी पंजाब (पंजाब)	५
बिहार	१३
सी० पी० (मध्य प्रदेश)	६
आसाम	३
उड़ीसा	३

भारत सरकार की उपरोक्त विधिति से बहुत से प्रान्तों को सन्तोष नहीं हुआ। उन्होंने सघ सरकार के कहा कि १७ मार्च वाले निर्णय पर पुनः विचार किया जाय। २६ नवम्बर १९४६ को इसलिए भारत सरकार ने श्री श्री० डी० देशमुख से प्रार्थना की कि वह इनकम टैक्स तथा निर्यात कर के बँटवारे के विषय में विचार करें और फिर अपना निर्णय सघ सरकार को दें।

श्री देशमुख की सिफारिशें

श्री देशमुख ने विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के पश्चात् अपने निम्न सुझाव सघ सरकार के सम्मुख ३१ जनवरी सन् १९५० को रख दिये। यह सुझाव केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये गये।

आय कर का बँटवारा—आय कर के बँटवारे के सम्बन्ध में श्री देशमुख ने निम्न सुझाव केंद्रीय सरकार के सम्मुख रखे :—

नाम राज्य	आयकर का वह भाग जो राज्य की सरकार को दिया जाना चाहिये।
बम्बई	२१ प्रतिशत
मद्रास	१७.५ ”
पश्चिमी बंगाल	१३.५ ”
उत्तर प्रदेश	१८ ”
मध्य प्रदेश	६ ”
पंजाब	५.५ ”
बिहार	२०.५ ”
उड़ीसा	३ ”
आसाम	३ ”

उपरोक्त निर्णय से विदित है कि श्री देशमुख के निर्णय से पश्चिमी बंगाल तथा पंजाब को कुछ लाभ हुआ। पहले इन दोनों राज्यों को क्रमशः १२ तथा ५ प्रतिशत आय कर का भाग मिलता था; इस निर्णय से उन्हें १३.५ तथा ५.५ प्रतिशत भाग मिलने

लगा। उत्तर प्रदेश, मद्रास तथा बिहार राज्यों को कुछ हानि हुई क्योंकि उनका आन का भाग कम्युनः १६, १८ तथा १३ प्रतिशत से घट कर १८, १०५ तथा १२५ प्रतिशत कर दिया गया। दोष राज्यों की स्थिति में कोई अन्तर नहीं हुआ।

पटन पर निर्गत कर का बँटवारा—पटन पर निर्गत कर के बँटवारे के सम्बन्ध में भी देशमुख ने अपना निर्णय इस प्रकार दिया :—

नाम राज्य	निर्गत कर से होने वाली आन का वितरण (लाख ८० में)
पश्चिमी बंगाल	१०५
आसाम	४०
बिहार	३५
उड़ीसा	५
कुल रकम	१८५

जैसा पहले बताया जा चुका है, भी देशमुख की सिफारिशों पर वेदल उस समय तक कार्य किया गया जब तक नये संविधान के आदेशानुसार सम्बन्ध कमीशन की सिफारिशें मालूम नहीं हो गईं। इसके पश्चात् इन मुद्दों के अनुसार सद्य सरकार तथा राज्यों की सरकारों के बीच आन के साधनों का वितरण किया जा रहा है।

राज्य कमीशन की सिफारिशें

संविधान की धारा २०० के अधीन राष्ट्रपति को आदेश दिया गया था कि वह संविधान लागू होने के २ वर्ष के अन्दर एक सदस्य कमीशन की नियुक्ति करेंगे जो राज्यों तथा सद्य सरकार के बीच कुछ आन के साधनों के वितरण के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें सरकार के समुदाय रखेगी। इस कमीशन की नियुक्ति २२ नवम्बर सन् १९५१ को की गई। कमीशन के अध्यक्ष भी० सी० निरोगी तथा उसके सदस्य डा० बी० पी० सदन, बन्टिस राय, बी० एल० मेहता तथा भी० रंगाचारी थे। इस कमीशन ने फरवरी सन् १९५३ में अपनी निम्न सिफारिशें सरकार के समुदाय पेश कर दी :—

इनकमटैक्स—इनकमटैक्स की कुल आन का ५५ प्रतिशत भाग विभिन्न राज्यों की सरकारों के बीच इस प्रकार बाँटा जानगा :—

नाम राज्य	प्रतिशत
आसाम	२०२५
बिहार	६०५
बम्बई	१०५०
हैदराबाद	४५०
मध्यप्रदेश	१०५

मध्य प्रदेश	५ २५
मद्रास	१५ २५
मैसूर	२ २५
उड़ीसा	३ ५०
पैम्बू	० ७५
पञ्जाब	३ १५
राजस्थान	३ ५०
सौराष्ट्र	१ ००
द्राउनकोर-कोचीन	२ ५०
उत्तर प्रदेश	१५ ७५
पश्चिमी बंगाल	११ २५

उत्प्रेक्षित विभाजन से विदित है कि नियोगी कमेटी ने श्री देशमुग की सिफारशी में समुचित परिवर्तन कर दिया है। इस योजना के अधीन ची० श्रेणी के राज्यों को भी समितिलित कर लिया गया है। इस प्रकार अब राजस्व के क्षेत्र भी सारे देश का पूर्ण रूपेण एकीकरण हो गया है।

उत्पत्ति कर का घटनारा—सविधान की २७२वीं धारा में कहा गया था कि केंद्र को होने वाला तम्बाकू, सिगरेट, माचिस तथा वनहरति ग्री पर लगाये गये उत्पत्ति कर की आय का ४० प्रतिशत भाग राज्यों की सरकारों के बीच बाँटा दिया जायगा। राजस्व कमीशन ने इस आय को विभिन्न राज्यों के बीच इस प्रकार बाँटने की सिफारिश की —

नम राज्	प्रतिशत
आसाम	२ ९१
बिहार	११ ६०
बम्बई	१० ३७
हैदराबाद	५ ३६
मध्य भारत	१ २६
मध्य प्रदेश	६ १३
मद्रास	१६ ४४
मैसूर	२ ६२
उड़ीसा	४ २२
पैम्बू	१ ००
पञ्जाब	३ ६६
राजस्थान	४ ४१

सौराष्ट्र	१०१६
ड्राननकोर कोचीन	२०६८
उत्तर प्रदेश	१०८२३
पश्चिमी बंगाल	७१६

पटमन पर निर्यात कर का बँटवारा—पटमन पर निर्यात कर के बँटवारे के सम्बन्ध में निर्याती कर्मीयन की सिफारिशें इस प्रकार थीं :—

नाम राज्य	निर्यात कर से होने वाली आय का वितरण (लाख रु० में)
आसाम	७५
बिहार	७५
उड़ीसा	१५
पश्चिमी बंगाल	२५०

कमी वाले राज्यों की आर्थिक सहायता—इसके अतिरिक्त नियोगी कर्मीयन ने सुझाव रक्त्ता कि कुछ राज्यों को उनकी विशेष आर्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए तथा कुछ को उनमें प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यार्थ के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाय। इस सिफारिश के अधीन विभिन्न राज्यों को निम्न सहायता देना स्वीकार किया गया।

नाम राज्य	कमी वाले राज्यों को विशेष आर्थिक सहायता (लाख रु० में)	प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यार्थ के लिए राज्यों को विशेष सहायता (लाख रु० में)			
		१९५३-५४	५४-५५	५५-५६	५६-५७
आसाम	१००	—	—	—	—
मैसूर	४०	—	—	—	—
उड़ीसा	७५	१६	२२	२०	३२
पंजाब	१२५	१४	१६	२३	३८
सौराष्ट्र	४०	—	—	—	—
ड्राननकोर-कोचीन	५५	—	—	—	—
पश्चिमी बंगाल	८०	—	—	—	—
बिहार		४१	८५	६६	८३
हैदराबाद		२०	२०	३३	४०
मध्य भारत		६	१२	१५	१८
मध्य प्रदेश		२५	२३	४२	५०
पैन्		५	६	८	६
राजस्थान		२०	२६	३३	४०

इस प्रकार विदित है कि राजस्व कमीशन द्वारा राज्याय सरकार की आर्थिक स्थिति को सुधारने का समुचित प्रबन्ध किया गया है। अब राज्यों का इनकमटैक्स तथा उत्पत्ति कर की आय का एक निश्चित भाग मिलता रहेगा जिससे देश की स्थिति सुधारने के साथ साथ राज्यों की आय भी बढ़ती रहेगी और वह अनेक जन उद्योगी कार्य कर सकेंगे।

योग्यता प्रश्न

१. सङ्घ और राज्यों की सरकारों के बीच राजस्व के साधनों का विवरण किस प्रकार किया गया है ? क्या यह सच है कि राज्यों के साथ इस दशा में अन्याय किया गया है ?

२. श्री देशमुख की क्या सिफारिशें थीं ? उनका औचित्य समझाइये।

३. राजस्व कमीशन क्या है ? उसकी सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।



अध्याय १२

न्यायपालिका का संगठन

[Organisation of Judiciary]

किसी देश में वागून बनाने का कार्य विधान मंडल करता है। उनका पालन कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य एक नागरिक और दूसरे नागरिक तथा राज्य और नागरिकों के बीच विवादों का फैसला करना होता है। किसी भी जनतंत्र देश में एक स्वतंत्र तथा योग्य न्यायपालिका का संगठन, जनता की स्वतंत्रता तथा उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए नितांत आवश्यक समझा जाता है। न्यायपालिका ही सरकार के विभिन्न अंगों को मनमानी करने से रोकती है और जनता को दमन तथा शत्याचार से बचाती है।

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)

नव सविधान के अन्तर्गत भारत में न्याय की सर्वोच्च अदालत का नाम उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) रखा गया है। इस अदालत को सभार के सभी देशों की उच्चतम अदालतों से अधिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। १९३५ के ऐक्ट के अधीन भारत में एक फेडरल कोर्ट का सङ्गठन किया गया था। वह न्यायानय अब भंग कर दी गई है और उसके स्थान पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना की गई है। फेडरल कोर्ट के अब इसी न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त कर दिये गये हैं। अब हम इस न्यायालय के सङ्गठन, कर्तव्य तथा अधिकारों के विषय में सक्षित वर्णन देंगे।

1) संगठन—भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधिरति (Chief Justice) और दूसरे ७ न्यायाधीशों (Judges) की नियुक्ति का प्रबन्ध है। विशेष अवस्थाओं में आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधिरति को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह विशेष काम के लिए तदर्थ (Ad Hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सके। ऐसा केवल उस दशा में किया जायगा जब इस न्यायालय के अपने जजों से गण-सूक संख्या (Quorum) पूरी न होती हो। सन् १९५० में इसी प्रकार के दो तदर्थ जज हैदराबाद में नियुक्त किये गये। सच्च संसद् को इस बात का भी अधिकार दिया गया है कि यदि वह आवश्यक समझे तो न्यायाधीशों की संख्या में बढोत्तरी कर सकती है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधिरति को भी अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की सौहृति से सुप्रीम कोर्ट तथा फेडरल जजों को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों

कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के दूसरे न्यायाधीशों के समान वेतन तथा अधिकार प्रदान किये जाते हैं, परन्तु उन्हें न्यायालय के सामने साधारण न्यायाधीश नहीं माना जाता। कुछ थोड़े समय के लिए, मुख्य न्यायाधिपति को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह हाई कोर्ट के जजों को भी सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने के लिए बुला सकें। मुख्य न्यायाधिपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति (Acting Chief Justice) के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। आजकल उच्चतम न्यायालय में पूरे न्यायाधीश, न्यायाधिपति को सम्मिलित करके, कार्य कर रहे हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति—हमारे संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अमरीका तथा ब्रिटेन के संविधानों की नकल नहीं की गई है। अमरीका में राष्ट्रपति 'सीनेट' की स्वीकृति से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इंग्लैंड में यह नियुक्ति प्रधान मंत्री की सलाह से सम्राट् द्वारा की जाती है। भारत में जैसे तो राष्ट्रपति को ही न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य सौंपा गया है, परन्तु संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट के जजों से सलाह लेंगे। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियों के लिए मुख्य न्यायाधिपति की सलाह अनिवार्य टहराई गई है।

योग्यता—न्यायाधीशों की योग्यता के सम्बन्ध में संविधान में निम्न शर्तें आवश्यक रखी गई हैं :—

(१) न्यायाधीश भारत का नागरिक हो, (२) वह किसी उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) में अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम ५ वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो या (३) वह कम से कम दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अथवा दो या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों में अधिवक्ता (Advocate) की हैसियत से कार्य कर चुका हो, या (४) वह कोई मुविसपात न्यायशास्त्र (Jurist) हो।

कार्य अवधि—सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उस समय तक अपने पद पर काम कर सकते हैं जब तक उनकी आयु ६५ वर्ष की न हो जाय। उनकी स्वतंत्रता कायम रखने के लिए संविधान में कहा गया है कि किसी भी न्यायाधीश को उस समय तक उसके पद से अलग नहीं किया जा सकेगा, जब तक सर्वद के दोनों भवन दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रपति से यह प्रार्थना न करें कि किसी न्यायाधीश की अयोग्यता अथवा अनाचार के कारण उसके पद से अलग कर दिया जाय। न्यायाधीशों के लिए एक मफान तथा ५००० रुपया मासिक वेतन का आयोजन किया गया है। मुख्य न्यायाधिपति का वेतन दूसरे न्यायाधीशों से अधिक, ५,०००) मासिक नियत किया गया है। अपने पद से

रियासत होने के परिचायक न्यायाधीशों के लिए शर्त रखती गई है कि वह भारत की किसी भी अदालत में बकायत न कर सकेंगे। इस प्रकार की शर्त इसलिए आवश्यक समझी गई जिससे देश की अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट के पुनर् न्यायाधीशों के व्यक्ति का अनुचित प्रभाव न पड़े।

बैठकों का स्थान—सुप्रीम कोर्ट के अधिवेशन साधारणतया दिल्ली में होते हैं, परन्तु मुख्य न्यायाधिरति को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति से, वह भारत के दूसरे स्थानों में भी सुप्रीम कोर्ट की बैठकों का आयोजन कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के अधिकार

सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च अदालत होगी। इसके पहले देश की दूसरी अदालतों पर लागू होंगे। इस न्यायालय की स्थापना के परिचायक हमारे देश से इंग्लैंड की निजी कोर्टिल का अधिकार-क्षेत्र समान कर दिया गया है। इस न्यायालय में जाने वाली सभी अपीलों की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। सुप्रीम कोर्ट को दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक मुकदमों पर अधिकार प्राप्त है। इन मुकदमों की सुनवाई के लिए यह अंतिम न्यायालय है।

प्रथम क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)—सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मुकदमों पर प्रथम क्षेत्राधिकार प्राप्त है जो भारत सरकार तथा दूसरे राज्यों की सरकारों के बीच, अथवा दो या दो से अधिक राज्यों की सरकारों के बीच संवैधानिक विषयों के सम्बन्ध में उत्पन्न हों। परन्तु इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन मुकदमों पर नहीं होगा जो भारतीय रिपब्लिक और सङ्घ सरकार के बीच हुई संधियों अथवा करारों के कारण उत्पन्न हों।

अपील का क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)—तीन प्रकार की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में लानी जा सकेंगी : (१) संवैधानिक, (२) दीवानी, (३) फौजदारी।

(१) संवैधानिक—संवैधानिक विषयों में सुप्रीम कोर्ट केवल उस देश में अपील लुनेगा जब राज्य का हाईकोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि मुकदमे में संविधान की किसी धारा के सही अर्थों के सम्बन्ध में विवाद है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी ऐसे मुकदमों को अपने यहाँ सुनवाई को अर्थ दे सकता है।

(२) दीवानी मुकदमों—दीवानी मुकदमों की अपील सुप्रीम कोर्ट में केवल उस देश में होगी जब राज्य का हाईकोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि किसी मुकदमे की राशि या मूल्य २०,००० रु० से अधिक है या यह कि मुकदमे में कोई ऐसी बात पर विवाद है जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जानी चाहिये।

(३) फौजदारी मुकदमा—फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में केवल

उस दशा में हो सकती है जब (१) किसी हाई कोर्ट द्वारा अपील में अभियुक्त की रिहाई के आदेश को उलट कर मृत्यु दंड में बदल दिया जाय, (२) हाई कोर्ट अपने अधीन किसी न्यायालय से किसी मुकदमे को अपने पास मंगा ले और फिर उसमें अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दे, या (३) हाई कोर्ट किसी मुकदमे में यह प्रमाणित कर दे कि उसमें कोई महत्वपूर्ण कानूनी समस्या पेश है।

सर्वोच्च न्यायालय में, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र एक विशेष कानून पास करके बढ़ा सकती है। मुकदमों की निगरानी (Revision) का भी सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भारत की किसी भी मातहत अदालत से मुकदमों को अपने यहाँ मँगा कर उनकी अपील सुन सकता है अथवा उनकी निगरानी कर सकता है अथवा स्वयं अपील की आह्वान दे सकता है। इन सबके अतिरिक्त जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट का नागरिकों के मौलिक अधिकार सम्बन्धी मुकदमों में सुनने का भी अधिकार प्राप्त है। पिछले वर्षों में ऐसे अनेक मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुने गये हैं।

सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार कार्य (Advisory functions of the Supreme Court)—मुकदमों तथा अपील सुनने के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति को ऐसे सार्वजनिक महत्त्व के विषयों पर सलाह देना है जो वह उसके विचारार्थ भेज दें। ऐसे विषयों पर सुप्रीम कोर्ट ऐसी सुझावों के प्रस्ताव जैसा वह उचित समझे, राष्ट्रपति को अपनी सभ्यता लिख कर भेज देता है। सविधान की इसी धारा के अधीन सुप्रीम कोर्ट की राय के लिए वह उन सचिवों तथा इकारनामों भी भेजे जा सकते हैं जो विधायकों तथा राज्य सरकार के बीच हुए हों और जिन पर सुप्रीम कोर्ट का प्रथम क्षेत्राधिकार नहीं है। इस अधिकार के अधीन राष्ट्रपति ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से इस सम्बन्ध में अपनी राय देने के लिए कहा था कि केन्द्रीय शासित प्रदेशों में दूसरे राज्यों के कानून किस दशा में और किस प्रकार लागू किये जा सकते हैं।

काम करने की विधि

सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह स्वयं अपने कार्य के उचित सम्पादन तथा अपने सम्मुख वकीलों की पेशी के लिए आवश्यक नियम बना सकता है। परन्तु इन नियमों को लागू करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी महत्वपूर्ण मुकदमों में से से कम से कम पाँच नजों की एक बैंच के सम्मुख सुने जाते हैं और उनका निर्णय उपरिष्ठ न्यायाधीशों की बहुसंख्यक सहमति से दिया जाता है। परन्तु सहमत न होने वाले किसी न्यायाधीश को अपना अलग निर्णय देने की पूरी आजा है।

स्टाफ की मती—सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी ऐसे न्यायाधीश

प्रथम अफसर को जिसको मुख्य न्यायाधिरति नियुक्त कर दें, यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट के लिए स्वयं स्टाफ की भर्ती कर सके तथा उनको नौकरी के सम्बन्ध में उचित नियम बना सके। इस न्यायालय की स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिए संविधान की १५६वीं धारा में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का सारा व्यय जिसके प्रसंग में न्यायालय के पदाधिकारियों और उसके सेवकों को दिये जाने वाला सब वेतन भी सम्मिलित होगा, सद्य सरकार के बॉन्ड बजट की उस निधि में से दिया जायगा जिस पर सभ्य के सदस्यों की राय लेना आवश्यक नहीं है।

हाई कोर्ट

संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट का होना अनिवार्य होगा। हाई कोर्ट एक मुख्य न्यायाधिरति तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायगी। परन्तु, ऐसा करने से पहले वह भारत के मुख्य न्यायाधिरति तथा राज्य के राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधिरति से मन्त्रा करेगा। साधारणतया हाई कोर्ट के न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु तक अपने पद पर बाने रह सकेंगे। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता के सम्बन्ध में संविधान की ३१७वीं धारा में कहा गया है कि देयक वही व्यक्ति इस पद के लिए चुने जा सकेंगे जो भारत के नागरिक हों तथा जो कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक (Judicial) पद ग्रहण कर चुके हों अथवा जो किसी राज्य के हाई कोर्ट में अथवा ऐसे दो या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता (Advocate) रह चुके हों।

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधिरति को ५००० रु० मासिक वेतन तथा दूसरे न्यायाधीशों को ३५०० रु० मासिक वेतन एवं दूसरे भत्ते दिये जाने का प्रबन्ध किया गया है। हाई कोर्ट में कामकाज (Acting) मुख्य न्यायाधिरति और रियान्ट बजों की नियुक्ति के सम्बन्ध में बरी नियम लागू हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सम्बन्ध में पढ़ने बतलाये जा चुके हैं।

हाई कोर्ट के अधिकारों तथा कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में बही नियम लागू रहने गये हैं जो १९३५ के संविधान में दिये गये थे। इसके अतिरिक्त नये संविधान में उन्हें यह भी अधिकार दिये गये हैं कि वह (१) बिना किसी रोक के माल के मुकदमों को सुन सकेंगे। (२) नागरिकों के नैतिक अधिकारों की रक्षा के लिए लेख (Writs) निकाल सकेंगे तथा (३) अपने अधीन न्यायालयों से मुकदमे उठा कर अपने प्रांत स्वयं सुन सकेंगे।

हाई कोर्ट के जेजाधिकार अथवा वर्तुणों के सम्बन्ध में राज्य की नियम बनाये

कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। केवल सच्च सच्च को ही इस विषय में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

अधीन न्यायालय (Subordinate Courts)

हाई कोर्ट के अधीन जिलों के न्यायालयों के सम्बन्ध में संविधान में कहा गया है कि जिला न्यायाधीशों (District Judges) की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, हाई कोर्ट की सम्मति से की जायगी। इन न्यायाधीशों की योग्यता के सम्बन्ध में संविधान में कहा गया है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति या तो भारतीय सच्च या राज्य की नौकरी में रहा हो अथवा उसने कम से कम ७ वर्ष तक बच्चील (Pleaser) एवं अधिवक्ता (Advocate) के रूप में काम किया हो। जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त दूसरे जजों की नियुक्ति राज्यपाल उन नियमों के अधीन करेंगे, जिन्हें यह राज्य के पब्लिक सर्विस कमिशन तथा हाई कोर्ट की सलाह से बनायेंगे। जिला अथवा उसके अधीन अदालतों पर पूरा नियन्त्रण हाई कोर्ट का होगा। उसे ही इन सब अदालतों में काम करने वाले अधिकारियों की उन्नति, तथादला तथा नियुक्ति का अधिकार होगा।

उत्तर प्रदेश में न्याय का प्रबन्ध

दूसरे राज्यों की भाँति हमारे राज्य में भी एक हाई कोर्ट है। पहले हमारे प्रांत में दो हाई कोर्ट थे—एक इलाहाबाद में और दूसरा लखनऊ में। परंतु जुलाई १९५८ में ये दोनों हाई कोर्ट मिला कर एक कर दिये गये। हमारे हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधिवक्ता और २० दूसरे न्यायाधीश हैं। यह न्यायालय हर प्रकार के फौजदारी तथा दीवानी मुकदमों की अपीलें सुनता है। इसके पैसलों की अपील सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। हाई कोर्ट के नीचे तीन प्रकार की अदालतें काम करती हैं, जिनका सङ्गठन निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायगा :

दंड न्यायालय (फौजदारी अदालतें)	ध्यवहार न्यायालय (दीवानी अदालतें)	राजस्व-न्यायालय (माल की अदालतें)
हाई कोर्ट (उच्च न्यायालय) सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी " द्वितीय श्रेणी " तृतीय श्रेणी आन्तरी मजिस्ट्रेट	हाई कोर्ट (उच्च न्यायालय) डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल जज मुक्ति खफ़ीफ़ा न्यायालय	हाई कोर्ट (उच्च न्यायालय) बोर्ड आफ रेवेन्यू कलक्टर की अदालत कलक्टर की अदालत तहसीलदार की अदालत नायब तहसीलदार की अदालत

फौजदारी अदालत

प्रायः प्रत्येक जिले में एक सेशन जज होता है जो मजिस्ट्रेटों के फैसलों की अंतीम सुनता है तथा कत्ल इत्यादि के सगोन मुकदमों की सीधी सुनवाई करता है। सेशन जज को फौजदारी का अधिकार होता है, परन्तु ऐसी सजा देने से पहले उसे हार्ड कार्ट की स्वीकृति लेनी पड़ती है।

सेशन जज के नीचे तीन प्रकार के मजिस्ट्रेट मुकदमों का फैसला करते हैं; यह मजिस्ट्रेट प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को दो वर्ष की सजा तथा १००० रु० जुर्माना, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को ६ महाने की सजा तथा २०० रु० जुर्माना और तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट का एक महाने की सजा और ५० रु० जुर्माना करने का अधिकार होता है। मजिस्ट्रेट अथैतनिक (Honorary) भी होते हैं और वैतनिक (Stipendary) भी। पहले ऐसे लोगों को आनररी मजिस्ट्रेट बनाया जाता था जो खुरामदी और सरकार के पिटू होते थे, परन्तु आजकल केवल योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों को ही इसके लिए चुना जाता है।

दीवानी अदालत

जिले में सबसे बड़ी दीवानी अदालत डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत कहलाती है। सेशन और डिस्ट्रिक्ट जज एक ही व्यक्ति होता है। फौजदारी मुकदमों का फैसला करते समय वह सेशन जज कहलाता है और दीवानी मुकदमों का फैसला करते समय डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट जज को बड़े से बड़े रकम के मुकदमों में सुनने का अधिकार है। डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे सिविल जज, मुसिफ तथा रमाल काज कोर्ट जज की अदालतें होती हैं। रमाल काज कोर्ट की कचहरी में १००० या ५०० रुपया से अधिक मालियत के मुकदमों का सुनवाई नहीं होती। मुसिफों की अदालत में ५००० रु० तक के मुकदमों सुने जा सकते हैं। सिविल जज अपने मातहत छोटी अदालतों के मुकदमों की अंतीम सुनते हैं और बड़े-बड़े दीवानी मुकदमों की स्वयं भी सुनवाई करते हैं।

माल की अदालत

हार्ड कोर्ट के समान माल के मुकदमों के लिए सबसे बड़ी अदालत बोर्ड आफ रेवेन्यू कहलाती है। यह अदालत कमिश्नरी के फैसलों की अंतीम सुनती है। बोर्ड आफ रेवेन्यू के नीचे कमिश्नर, क्लर्कर, डिप्टी क्लर्कर, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार की अदालतें होती हैं। भूमि तथा लगान सम्बन्धी हर प्रकार के मुकदमों इन अदालतों में सुने जाते हैं।

योग्यता परन्तु

१. उच्चतम न्यायालय के सगउन की व्याख्या कीजिये। पुराने फेडरल कोर्ट और आज के उच्चतम न्यायालय में क्या अन्तर है ?

२. सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की व्याख्या कीजिये । नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार रक्षा करता है ?

३. नव सविधान के अन्तर्गत न्यायपालिका की स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता का किस प्रकार प्रबन्ध किया गया है ?

{ ४. उच्चतम न्यायालय तथा राज्यों के न्यायालयों का क्या सम्बन्ध होगा ?
 ५. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के सम्बन्ध में क्या नियम बनाये गये हैं ? क्या यह न्यायाधीश रिग्यर होने के पश्चात् वकालत कर सकेंगे ?

६. उच्चतम न्यायालय के कृत्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिये । इसका भारतीय सविधान में क्या विशेष महत्त्व है ? (यू० पी० १९५३)



अध्याय १३

भारतीय रियासतें

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले रियासतों का स्वरूप

कुल सरना	५६२
चैनफल	७,२५,६६४ वर्गमील
भारत के समस्त चैनफल का भाग	४५ प्रतिशत
जनसंख्या	६,३२,००,०००
भारत की समस्त जनसंख्या का भाग	२४ प्रतिशत
जनता में से रियासतों में रहने वाली जनता की घनत्व के आधार पर संख्या—	
हिंदू	२५ प्रतिशत
मुसलमान	१६ प्रतिशत
ईसाई	४६ प्रतिशत
सिख	२७ प्रतिशत

भारतीय रियासतों का इतिहास

हमारे देश की रियासतों का इतिहास, उनके जन्म की कथा तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् उनके विलीनीकरण एवं सङ्घीयकरण की गाथा 'अन्फि लैला' की कहानियों के समान रोचक है। जैसे तो हमारे देश की उद्भूत थकी सी रियासतों जैसे उदयपुर, पोंडिचुर, जैपुर, ड्राननकोर, कोचीन, बनारस इत्यादि का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है, परन्तु अधिकतर रियासतें हमारे देश में ऐसी हैं जिनका जन्म मुगल साम्राज्य के पतन तथा ब्रिटीश साम्राज्य के प्रारम्भिक विस्तार काल में हुआ था। जिस समय मुगल सम्राट् औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् भारत में मुसलमान साम्राज्य की लड़कें हिल उठीं और अनेक हिंदू, पठान तथा मुसलमान स्थानीय शासकों ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् रियासतों का स्वरूप

कुल सरना	१५
स्वतन्त्र राजदरवा	३
रियासती सङ्घ	५
केंद्रीय शासित रियासतें	७
प्रान्तों में विलीन रियासतों की संख्या	२१६
रियासती सङ्घों में सङ्घटित रियासतों की संख्या	२७५
हिमाचल प्रदेश में विलीन रियासतों की संख्या	२१
मिच्य प्रदेश में विलीन रियासतों की संख्या	३५
सब राजाओं को मिलने वाली वित्तीय वर्ष की रकम	५६५ लाख ६०

दी तथा इसके तुरन्त पश्चात् जिस समय अंग्रेज शासक व्यापारियों के रूप में हमारे देश में आये और उन्होंने भारत की आन्तरिक राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर इस देश में अपना साम्राज्य स्थापित करने के प्रयत्न आरम्भ कर दिये, तो हमारे देश में अनेक छोटी और बड़ी रियासतों का जन्म होना आरम्भ हो गया। अंग्रेजों ने सोचा कि किसी दूसरे देश में राज्य करने के लिए उन्हें वहाँ के स्थानीय लोगों की सहायता तथा मित्रता की आवश्यकता होगी। ऐसे सहायक और मित्र उन्हें उन लोगों की श्रेणी में बहुत सुगमता से मिल गये जिन्होंने उसी काल में अपने राज्यों की स्थापना की थी, अथवा जो उन्हीं दिनों, कुछ थोड़ी सी सैन्य शक्ति के सहारे, अर्जरेज सुगन्ध साम्राज्य की हठियों पर अपने साम्राज्य की विशाल नींव रखी करना चाहते थे। ऐसे सभी लोगों की महत्वाकांक्षियों को पूरा करने में, अंग्रेजी सेना ने पूर्ण सहायता प्रदान की। बदले में इन राजाओं ने अंग्रेजी सेना की सरदारी में रहना स्वीकार कर लिया, और अंग्रेज शासकों को भारत की स्वतन्त्र रियासतों में शनैः शनैः अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त हो गये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की अधिकतर रियासतें २०० वर्ष से भी कम पुरानी हैं। इनका निर्माण तथा अस्तित्व हमारे अङ्गरेज शासकों की कूट राजनीतिक चाल का चोतक था। अङ्गरेज जानते थे कि भारत के राजा और नवाब, जमींदार और बड़े-बड़े जागीरदार उन्हीं के सहारे जीवित रह सकते थे। भारत की जनता इन सभी शासकों के अत्याचार तथा दमन से तग आ चुकी थी और यह उनकी सत्ता को जड़-मूल से नष्ट कर देना चाहती थी। परन्तु अङ्गरेजी सेना के सरक्षण के कारण भारतीय रियासतें कायम थीं और वह निर्दयतापूर्वक अपनी प्रजा के शोषण के कार्य में लगी रहती थीं। इस प्रकार जहाँ एक ओर भारतीय रियासतें अपनी प्रजा के साथ गुलामी से भी बुरा व्यवहार करती थीं, वहाँ दूसरी ओर वह भारत के ब्रिटिश शासकों की खुशामद तथा 'जी हुजूरी' में लगी रहती थीं और उन्हें अपना सरदर मान कर उनकी इच्छा पर नीच से नीच कार्य करने के लिए सदा प्रस्तुत रहती थीं।

विभिन्न भारतीय रियासतों में भेद

जिस समय मुगल साम्राज्य के विनाश के पश्चात् भारत में देशी रियासतों का जन्म हुआ, तो सभी रियासतें एक ही प्रकार की न बनीं। विभिन्न स्थानीय शासकों, अमीरों, सेनाधिकारियों तथा जागीरदारों की सैन्य शक्ति के अनुसार उनकी रियासतों का अधिकार-क्षेत्र छोटा या बड़ा हो गया। इन्हीं सब रियासतों को बाद में ब्रिटिश सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी और उनके साथ अलग अलग संधियों पर हस्ताक्षर कर दिये। इन संधियों में विभिन्न रियासतों को उनकी स्थिति के अनुसार अलग अलग अधिकार प्रदान किये गये। परिणाम यह हुआ कि जहाँ भारत की लगभग ६०० रियासतों में समानता एव एकरूपता के चिह्न बहुत कम थे, वहाँ उनमें भिन्नता (Dissimilarities) अधिक

दृष्टिगोचर होती थी। उदाहरणार्थ सनानता की दृष्टि से भारत की रियासतों में केवल निम्नलिखित एक-से लक्ष्य थे :—

(१) भारत की सभी रियासतें ब्रिटिश सत्ता के अधीन थीं। वह अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से स्वतन्त्र रियासतें नहीं बनीं जा सकती थीं। वह किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सदस्य नहीं हो सकती थीं। उनकी विदेशी नीति का सञ्चालन भारत सरकार द्वारा किया जाता था।

(२) अपने आंतरिक शासन प्रबन्ध की दृष्टि से वह स्वतन्त्र थीं। भारतीय धारा समा द्वारा बनाये गये कानून रियासतों में लागू नहीं किये जाते थे। ब्रिटिश भारत की अदालतों को भी रियासती प्रजा पर किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था।

(३) सभी रियासतों पर ब्रिटिश सम्राट् को स्वर्वाधिकार प्राप्त थे। दूसरे शब्दों में भारत की सभी रियासतें भारत सरकार की सर्वोच्च सत्ता (Paramount Power) के अधीन रह कर कार्य करती थीं।

इनके अतिरिक्त अन्य सभी विषयों जैसे अधिकार क्षेत्र, जनसंख्या, आंतरिक संगठन, सम्राट् से सम्बन्ध, जनता के अधिकार इत्यादि में वह एक दूसरे से भिन्न थीं। उदाहरणार्थ—

(१) यदि एक ओर भारत में हैदराबाद और काश्मीर जैसी रियासतें थीं जो आर्य भी पहले जैसी ही बनी हुई हैं और जिनका प्रायः में विलीनीकरण नहीं किया गया है, और जिनका क्षेत्रफल क्रमशः ८२,००० वर्गमील तथा ८२, ३१३ वर्गमील है, तो दूसरी ओर भारत में ऐसी छोटी छोटी रियासतें भी थीं जिनका क्षेत्रफल कतिपय एकड़ों में है।

(२) भारत में ऐसी रियासतें जिनका क्षेत्रफल १०,००० वर्गमील से अधिक था, १५ से ज्यादा नहीं थीं। इसके अतिरिक्त ६७ ऐसी रियासतें थीं जिनका क्षेत्रफल १००० तथा १०,००० वर्गमील के बीच में था। शेष रियासतों में २०२ ऐसी थीं जिनका क्षेत्रफल २० वर्गमील से भी कम था।

(३) आबादी की दृष्टि से भारत में केवल २६ ऐसी रियासतें थीं जिनकी जनसंख्या २० लाख से अधिक थी। इसके अतिरिक्त ऐसी रियासतों की संख्या जिनकी आबादी २० लाख से कम परन्तु ५ लाख से ऊपर थी १७ थी। शेष रियासतों की जनसंख्या बहुत साधारण थी। इनमें, विशेषकर सिन्ध तथा काठियावाड़ की रियासतों में, ऐसी भी बहुत-सी रियासतें विद्यमान थीं जिनकी जनसंख्या १००० से भी बहुत कम थी।

(४) आय की दृष्टि से भारत में केवल १६ ऐसी रियासतें थीं जिनकी वार्षिक आय १ करोड़ रुपये से अधिक थी, ७ रियासतों की आय ५० लाख तथा ७० लाख रुपये के बीच में थी। शेष रियासतों की आय बहुत कम थी। इनमें ऐसी रियासतें भी

थीं जिनकी आय एक साधारण फ़ारीगर की आय से भी कम थी, परन्तु उनके क्षेत्र में ब्रिटिश भारत का कानून लागू न होने के कारण, यह रियासतें ही बही जाती थीं ।

(५) अधिसूचों की दृष्टि से जहाँ कुछ रियासतों को ब्रिटिश सरकार से सधि के अधीन, अपनी कर-सी, रेल, डाकखाने, सेना इत्यादि रखने का अधिकार था, और विदेशी नीति को छोड़कर दूसरे प्रायः सभी मामलों में यह भारत सरकार से स्वतंत्र थीं, वहाँ हमारे देश में ऐसी भी अनेक रियासतें थीं, जिनके नरेशों की तृतीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के अधिकार ही प्राप्त थे ।

(६) शासन प्रबन्ध की दृष्टि से जहाँ कुछ रियासतों में ब्रिटिश भारत के समान प्रतिनिधि सभाएँ तथा आधुनिक ढंग की व्यवस्था थी, वहाँ अधिकतर रियासतों में मध्यकालीन युग की सामंतशाही प्रथा के अनुसार उनका शासन किया जाता था और उनकी जनता को किसी भी प्रकार के राजनीतिक व आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे ।

रियासतों का वर्गीकरण

रियासतों में विद्यमान इन्हीं विभिन्नताओं के कारण, हमारे अंग्रेज शासकों को उनके वर्गीकरण में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ा । उनमें से यदि किसी ने सधियों, समझौतों तथा सन्तों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया तो कुछ दूसरों ने उनका अतिरिक्त शासन प्रबन्ध की दृष्टि से उनका विभाजन किया । इस विषय में 'बटलर कमेटी' का वर्गीकरण सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है । इस कमेटी ने रियासतों को तीन वर्गों में विभक्त किया :—

(१) प्रथम वर्ग में कमेटी ने उन १०८ रियासतों को स्थान दिया जिन्हें 'नरेन्द्र मंडल' में व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व मिला था । ऐसी रियासतों का क्षेत्रफल ५ लाख वर्ग-मील तथा जनसंख्या ६ करोड़ थी ।

(२) द्वितीय वर्ग में कमेटी ने उन १२७ रियासतों को रखा जिन्हें नरेन्द्र मंडल में स्वयं चैतने का नहा वरन् अपने १२ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया था । ऐसी रियासतों का क्षेत्रफल ८०,००० वर्गमील तथा जनसंख्या ८० लाख थी ।

(३) तृतीय श्रेणी में कमेटी ने ३२७ रियासतों तथा जागीरों को रखा जिन्हें नरेन्द्र मंडल में किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था । इन रियासतों का क्षेत्रफल केवल ६४०० वर्गमील तथा जनसंख्या लगभग २५० लाख थी ।

बटलर कमेटी ने रियासतों के अतिरिक्त शासन प्रबन्ध के आधार पर भी रियासतों का वर्गीकरण किया था । उस सिद्धान्त के आधार पर उसने कहा था कि भारत में सन् १८२८ में, ३० ऐसी रियासतें थीं जिनमें धारा समाश्रों की व्यवस्था की गई थी, यद्यपि इन धारा समाश्रों को केवल परामर्शदायी अधिकार ही थे । इसके अतिरिक्त भारत में ४० ऐसी रियासतें थीं जिनमें हाईकोर्टों की प्रथा उसी प्रकार की थी जैसी वह ब्रिटिश

भारत में है। ३४ रियासतों में कार्यकारी (Executive) और न्यायकारी (Judicial) विभागों को अलग कर दिया गया था। ५६ रियासतों में नरेशों का व्यय निश्चित था। ५४ रियासतों में प्राविडेंट फुट तथा बोनस की प्रथा थी। शेष रियासतें इतनी विडुही हुई थीं कि उनमें न किसी प्रकार की प्रतिनिधि संस्थाएँ थीं, न आधुनिक न्याय विभाग, न वहाँ नरेशों की आय निश्चित थी और न उनके अधिकार। उनका सङ्गठन अन्यत्र मध्ययुगी तथा सामन्तशाही आधार पर था।

नरेश मंडल

ऊपर जिस नरेश मंडल का विवरण किया गया है उसका सङ्गठन मॉन्टग्यू सुधार योजना के अधीन ८ फरवरी सन् १९२१ को किया गया था। यह संस्था इसलिए बनाई गई थी जिससे रियासतों के नरेश पारस्परिक समस्याओं पर मिल कर विचार कर सकें। इस संस्था को किसी प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे और इसके निश्चय वायसराय के सम्मुख केवल सिफारिशों के रूप में प्रस्तुत किये जाते थे। परन्तु फिर भी इस संस्था का सङ्गठन इस दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता था कि इससे पहले रियासतों के नरेशों को एक दूसरे के साथ किसी प्रकार के संघे सम्बन्ध रखने अथवा राजनीतिक बातों करने का अधिकार नहीं था। ऐसा वह केवल राजनीतिक विभाग के माध्यम द्वारा कर सकते थे।

रियासतें तथा ब्रिटिश सरकार की सार्वभौम सत्ता (Indian States and Paramount Power)

रियासतों के सम्बन्ध में उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनका निर्माण तथा अस्तित्व ब्रिटिश सरकार की कृपा पर निर्भर था। उनका निर्माण तथा पालन, इसी दृष्टि से किया गया था कि वह अंग्रेज सरकार की अधिक से अधिक सहायता करें तथा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को अधिक मजबूत बनायें। इसलिए रियासती नरेशों को वहाँ अपनी प्रजा के विरुद्ध हर प्रकार के दानाशाही अधिकार प्राप्त थे, वहाँ उन्हें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अधिकार प्रदान नहीं किये गये थे। ब्रिटिश सरकार के रियासतों के विरुद्ध अधिकारों को 'सम्राट् के सार्वभौम अधिकार' (Paramount Powers of the Crown) के नाम से भी सम्बोधित किया जाता था। इन अधिकारों का विवरण शनि-शने: हुआ और भारत स्थित सम्राट् के विभिन्न प्रतिनिधियों ने रियासतों के साथ हुई ईस्ट इण्डिया कंपनी को संधियों का इस प्रकार आशय लिखा कि ब्रिटिश सरकार को रियासतों के आंतरिक व बाह्य—हर प्रकार के विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त हो गया।

आरम्भ में सन् १८५७ तक रियासतों का सम्राट् से कोई भी सम्बन्ध नहीं था।

इसने परन्तु 'भारत विद्रोह' के बाद महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि वह राजाओं के मान और विशेषाधिकारों की रक्षा करके अपने मान और विशेषाधिकारों के समान करेंगी और सभी देशों नरेशों को अपनी अपनी प्राचीन प्रथाओं के अनुसार शासन करने की अनुमति होगी। ऐसी घोषणा इस दृष्टि से की गई थी कि जिससे भारतीय रियासतें भविष्य में सदा ब्रिटिश सरकार की मित्र बनी रहें और विद्रोही शक्तियों का साथ न दें। परन्तु जिस समय अंग्रेजी सत्ता भारत में अत्यन्त शक्तिशाली हो गई और उसे भारतीय नरेशों की सहायता की बौद्ध विषय अपेक्षा न रही, तो उसने रियासतों के आंतरिक व बाह्य विषयों में अपने अपने हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया। उसने कहा यदि किसी राज्य में कुशासन है, प्रजा के साथ न्याय नहीं होता, जीवन और सम्पत्ति की रक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं है, राज्य की आर्थिक व्यवस्था उचित नहीं है तो ब्रिटिश सरकार कुशासन की दृष्टि से उस रियासत में हस्तक्षेप कर सकती है। वास्तव में अंग्रेजी सरकार प्रजा के हित में नहीं, बल्कि प्रजा के हित साधन के नाम पर अपनी स्वार्थसिद्धि की पूर्ति के लिए ही रियासतों के आंतरिक प्रबन्ध में हस्तक्षेप करती थी। यह हस्तक्षेप भारत सरकार के राजनीतिक विभाग व रियासतों में स्थित सम्राट् के हूट रेजिडेंट, पोलिटिकल एजेंट इत्यादि की सिफारिशों पर किया जाता था। परिणाम यह होता था कि देशी रियासतों के नरेश सदा राजनीतिक विभाग व उसके दूतों से दूर रहते थे और उन्हें समुचित करने के लिए सब प्रकार के उचित व अनुचित उपाय नाम में लाते थे।

भारत की परतंत्रता के २०० वर्षों से भी अधिक काल में हमें अनेक उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ ब्रिटिश सरकार ने ऐसे नरेशों के शासन में हस्तक्षेप किया जो राष्ट्रीय अथवा स्वतन्त्र विचार रखते थे, परन्तु जनता के अधिनायकों की रक्षा अथवा रियासतों में प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं के सङ्गठन के लिए उसने एक बार भी किसी नरेश के विरुद्ध कदम नहीं उठाया। ब्रिटिश सरकार ने सन् १८७३ में बड़ौदा के महाराज को रेजिडेंट को विप देने के संदेह मात्र पर ही गद्दी से अलग कर दिया। सन् १९२६ में उदयपुर तथा इन्दौर के महाराजाओं को गद्दी से निकाला गया। सन् १९२३ में नामा नरेश को कैद किया गया। इसके पश्चात् रीवाँ के नरेश को गद्दी से हटाया गया।

सन् १९२६ में वायसराय लार्ड रीडिंग ने हैदराबाद के निजाम को एक पत्र लिख कर रियासतों के सम्बन्ध में सम्राट् की सार्वभौम सत्ता का इस प्रकार वर्णन किया —

“भारतवर्ष में ब्रिटिश सम्राट् की राजसत्ता सर्वोच्च है, अतः किसी भी देशी नरेश का ब्रिटिश सरकार से समता के आधार पर बातचीत करना वैध न होगा। यह सर्वोच्चता केवल संधियों या समझौतों पर आश्रित नहीं है पर उनसे स्वतन्त्र भी उसका अस्तित्व है। साथ ही विदेशों सम्बन्ध में सम्राट् का इन रियासतों पर विशेष अधिकार

है। ब्रिटिश सरकार का यह अधिकार और सर्वोच्च है कि वह सचिवों व सदनसदस्यों का प्यान रखते हुए भारतवर्ष भर में शान्ति व सुखवस्था की रक्षा करे।”

भारतीय नरेशों ने भारत सरकार द्वारा प्रवर्तनी रियासतों के आंतरिक प्रबन्ध में हस्तक्षेप हुआ हस्तक्षेप देखकर सन् १९२८ में सत्राट् से प्रार्थना की कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के साथ हुई उनकी सचिवों तथा सदनसदस्यों के आचार पर सर्वोच्च सत्ता (Paramount Power) का अधिकार सैन्य निश्चित किया जाय और उन्हें बताया जाय कि उनके क्या अधिकार हैं। सत्राट् ने नरेशों की यह प्रार्थना स्वीकार करके, उसी वर्ष एक कमेटी ब्रिटिश सरकार के प्रभुत्व की बतलाये। इस कमेटी ने रियासतों के सम्बन्ध में एक विनियम रिपोर्ट भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट ने कहा कि, “रियासतों के सम्बन्ध में सत्राट् के क्या अधिकार हैं उनका निश्चय करना कठिन है। सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च है और वह सर्वोच्च ही रहेगी।” (Paramountcy is Paramountcy and must remain Paramount)

इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने रियासतों के विरुद्ध अपने अधिकारों का कमेटी स्वीकार नहीं किया और समय और परिस्थिति की आवश्यकतानुसार यह सदा, उनके आंतरिक व बाह्य, हर प्रकार के विवादों में हस्तक्षेप करती रही। हस्तक्षेप के इन उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि, सत्ता में, रियासतों की सत्राट् के सम्मुख इस प्रकार स्थिति थी :—

(१) रियासतों की कोई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति नहीं थी। वे दूसरे देशों में अपने प्रतिनिधि नहीं भेज सकती थीं, यद्यपि भारत सरकार के प्रतिनिधियों में प्रायः एक प्रतिनिधि देशी रियासतों का भी सम्मिलित रहता था।

(२) वे विदेशों से सीधे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकती थीं।

(३) सत्राट् की अनुमति के बिना कोई नरेश किसी विदेशी सरकार से कोई पद या मान स्वीकार नहीं कर सकता था।

(४) वास्तव्य की अनुमति के बिना कोई विदेशी किसी रियासत में नौकर नहीं रक्ता जा सकता था।

(५) ब्रिटिश सरकार से पैसे लेने के बिना नरेश या देशी राज्यों का नागरिक विदेश नहीं जा सकता था।

(६) रियासतों की सेना ब्रिटिश भारत की सेना के आधार पर सङ्गठित की जाती थी। सङ्गठन या आंतरिक विद्रोह के समय इस सेना को भारत सरकार की सहायता करनी पड़ती थी।

(७) रियासतों के नरेशों को गोद लेने या प्रवर्तना उच्चधिकारों निश्चित करने के लिए सत्राट् की अनुमति लेनी पड़ती थी।

(८) कुशासन या आर्थिक कुप्रबन्ध के आघार पर बायसराय जब चाहते किसी नरेश को गद्दी से निकाल सकते थे तथा उसकी रियासत का प्रबन्ध अपने अधीन ले सकते थे।

(९) नरेशों की शिक्षा दीक्षा, उनके शादी विवाह, भ्रमण व भाषण एवं दूसरी हलचलों पर भी बायसराय को नियंत्रण रखने का पूर्ण अधिकार था।

(१०) रेल, तार, डाक या मुद्रा सम्बन्धी बायसराय द्वारा जारी की गई आज्ञाओं का पालन करना भी नरेशों के लिए अनिवार्य था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय रियासतें पूर्णरूपेण ब्रिटिश सत्ता के अधीन थीं। उनकी स्वतन्त्रता केवल नाममात्र की थी। जब तक रियासतों के नरेश ब्रिटिश सरकार को इच्छानुसार कार्य करते तथा अपने अंग्रेज रेजिडेंट और पोलिटिकल एजेंटों को प्रसन्न रखते थे तब तक वह अपनी प्रजा के साथ जिस प्रकार का चाहते, व्यवहार कर सकते थे, परन्तु किसी समय भी यदि वह अपने शासकों के विरुद्ध स्वतन्त्र नीति से काम लेने का साहस करते तो उन्हें गद्दी छोड़ने के लिए उद्यत रहना पड़ता था।

१. रियासतें तथा उनकी जनता

परन्तु जहाँ ब्रिटिश सत्ता के समक्ष हमारी रियासतें इस प्रकार दास वृत्ति से व्यवहार करती थीं, वहाँ अपनी स्वयं की प्रजा के साथ उनका व्यवहार अत्यन्त स्वैच्छाचारी तथा अन्यायपूर्ण होता था। अधिकतर रियासतों में मध्यकालीन ढंग पर तानाशाही निरन्तर राज्य था। राजाओं की आज्ञा ही इन रियासतों में बानूत थी। जनता को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। राजनीतिक अधिकारों का तो कहना ही क्या, नागरिक स्वतन्त्रता का अधिकार भी रियासतों की प्रजा के लिए दुर्लभ था। उन्हें भाषण देने, सङ्घ बनाने, समाचार पत्र प्रकाशित करने, स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण करने अथवा कोई भी व्यवसाय एवं व्यापार करने की स्वतन्त्रता नहीं थी। अधिकतर रियासतों में न्याय का कोई उचित प्रबन्ध नहीं था। कानून बनाने, शासन चलाने तथा न्याय सञ्चालन करने का सब काम एक ही व्यक्ति अर्थात् रियासत के नरेश के हाथ में केंद्रित रहता था। राज्य में केवल बड़ी लोग उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त किये जाते थे जो राजाओं के परिवारों से सम्बन्धित होते थे अथवा जो सुशामदी, जो हुजूर, चपल, पड्यन्नी एवं नैतिक आचरण की दृष्टि से अत्यन्त पतित और जो अपने राजाओं के विलासी जीवन के लिए उरयुक्त सामग्री जुगने की क्षमता रखते थे। कुछ प्रगतिशील रियासतों को छोड़ कर शेष रियासतों के नरेशों का व्यक्तिगत चरित्र अत्यन्त निकृष्ट था। रंग महलों में पड़े हुए रंगोलियों मनाना, रनवास को सजाना, नई नई शादियों करना, शराब, जुआ, गुड़दौड़ आदि व्यसनो में पड़े रहना, दूसरे देशों में जाकर अपनी प्रजा की गाढ़ी कमाई

को व्यर्थ नष्ट करना, अग्नेय शासनों के कर्मचारियों की खुशमद करना, यही उनका अग्रे दिन का कार्य था। अपनी प्रजा की नलाई के लिए योजनार्य बनाना, अथवा उनके दुःख को अन्तना हृष एव सुख को अन्तना सुख समझना, उनकी उन्नति तथा विघ्नस के लिए हर प्रकार की सुविधार्य प्रदान करना, उनके लिए शिक्षा सम्धार्य, विद्या मन्दिर, पुस्तकालय, वाचनालय इत्यादि खोलना, अन्ते राज्य के उद्योगाधारण अथवा प्रजा की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए रचनात्मक कार्य करना, सड़क बनाना, पानी, बिजली अथवा आने जाने की सुविधाओं इत्यादि का प्रयत्न करना—वह अन्तना कार्य नहीं समझते थे। वह मन्त्र अन्ते लिए तीं हर प्रकार के साधो-सामान व ऐशो इशत की सामग्री चाहते थे—चाहते थे कि, रत्ने के लिए विशाल महल हों, एक बगह नदी परन्तु सब सुन्दर स्थानों में, बिजली हो, आधुनिक काल की सभी सुविधार्य हों, सुन्दर लान, बाग, बगीचे, विशाल खेलने के मैदान, रनिवास, पानी के झरनें, लिफ्ट, सबी के लिए रल्स-रायल, स्पेशल ट्रेन, हवाई जहाज, अन्न रत्नक, दास दासिनी तीं की सलामी, फीज, पैट, गावेराजे, रत्नक, नर्तकियाँ और सब वृद्ध—रन्तु अन्तना बनत द्वारा इनमें से किसी भी वस्तु की दरकार करना वह रियासत के प्रति धरं रादशोह समझते थे। वह अन्ते का नगमन् का प्रतीक और प्रजा पर शासन करने के लिए रत्न ईशर का मेजा हुआ दूत समझते थे। परन्तु जहाँ तक आचरण का सम्बन्ध था, देवता तीं बना, पशुओं से भी गरा बीता उनका व्यवहार था। उनका विद्वान्त था कि प्रजा राबा के लिए है, राबा प्रजा के लिए नहीं। प्रजा से हर प्रकार की बिपार लेना, बिना धेतन उनसे धाम कयना, उनकी धन और सम्पत्ति की अन्तनी ही दौलत समझना, ताह-तरह के कर व टैस लगाकर उनका शपण करना, अन्ते वैयक्तिक व्यय एव पारिवारिक उ सवों के लिए बनता से रत्ना बटून करना, कभी शादी के लिए टैस लगाना तीं कभी अन्ते जन्म दिन का उत्तर मनाने के लिए, कभी दावती के लिए कर बटून करना तीं कभी महल बनाने के लिए, कभी बनता से त्रीहाये पर भेट भोगना तीं कभी दर्शन देने के उत्तर में—सक्षेप में प्रत्येक समय उत्तर से अन्तनी बनता का निर्देनतापूर्वक शोषण करना, उनका मुख्य काम था। वह अन्तनी प्रजा के साथ गुलामी से भी हृष व्यवहार करते थे। वह उन्हें केवल एक ही बत की शिक्षा देते थे और वह यह कि 'प्रजा का धर्म है कि वह अन्ते राजा पर अन्तना सर्वस्व न्यौठार करने के लिए सदा तदत रहे।' यही मुख्य कारण था कि जहाँ त्रिंश भासत की प्रजा केवल अग्नेयों की गुलाम थी वहाँ हमारे देशी रियासतों की प्रजा एक दंहाये गुलामी का शिष्टार थीं—एक अग्नेय शासकों की, दूसरे अन्ते आयाचारी नरेशा की।

आर्थिक स्थिति—रियासती प्रजा की आर्थिक दशा भी अन्तना हीन थी। वृद्ध बड़ी बड़ी रियासतों की छुड़कर छंी रियासतों में न किसी प्रकार के उद्योग-धन्धे से, न

कारखाने, न बड़ी बड़ी व्यापार की मस्जिदों थीं, न आधुनिक रीढ़ और व्यवसाय। "व्यापार की आत्मा"—सड़का, रैला, मोर्गों इत्यादि का भी उचित प्रबन्ध नहीं था। किसानों से जमीन का भारी लगान वसूल किया जाता था। जमींदारों, ठिकानेदारों तथा जागीरदारों के शुल्म के रक्षण के लिए किसी प्रकार के कानून नहीं थे। जमींदार जन चाहते, किसानों को अपनी जमीन से निकाल कर बाहर कर सकते थे। उन्हें तरह-तरह की बेगार करनी पड़ती थी। उनकी छोटी की उन्नति के लिए किसी प्रकार की आधुनिक सुविधाएँ नहीं थीं। न उन्हें बोनो के लिए अच्छा बीज ही मिलता था न खाद और न आधुनिक दूध के हल। जमीना का किराया बहुत अधिक था और जमींदार जन चाहते, उसमें वृद्धि कर सकते थे। गाँवों में किसी प्रकार के धरलू उद्योग धंधे न थे। नगरों में जहाँ कहीं छोटे मोटे कारखाने थे वहाँ पर मजदूरों की दशा अत्यन्त ही खराब थी। उनकी रक्षा के लिए किसी प्रकार के फ़ैक्टरी कानूनों की व्यवस्था नहीं थी और उन्हें चौदह-चौदह, पन्द्रह-पन्द्रह घन्टे काम करने के लिए विवश किया जाता था।

शिक्षा का प्रबन्ध—भारत की लगभग ६०० रियासतों में से केवल ३ रियासतों—द्रावणकोर, मैसूर तथा हैदराबाद में विश्वविद्यालय थे। सर रियासतों में कुल मिलाकर डिग्री कालिजों की संख्या ३० से अधिक नहीं थी। ४०० से अधिक रियासतों में एक भी हाई स्कूल नहीं था। पढ़े लिखे लोगों की संख्या सर रियासतों में मिला कर ३ प्रतिशत थी। केवल मैसूर रियासत में टेकनिकल शिक्षा का प्रबन्ध था।

राजनीतिक अधिकार—दक्षिण की कुछ रियासतों को छोड़कर शेष रियासतों में जनता को किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। धारा सभायाँ का संगठन केवल ३० रियासतों में था और उनमें भी अधिकतर सदस्य नरेशों द्वारा नामजद किये जाते थे। शेष रियासतों में किसी प्रकार की जनतन्त्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। स्वायत्त शासन संस्थाएँ भी बहुत कम रियासतों में थीं। कुछ रियासतों में तो गुलामी की प्रथा भी चली आती थी। राजाओं के विवाहों में दास और दासियों को दहेज के रूप में देना राजस्थान की रियासतों की एक आम प्रथा थी।

रियासतों में स्वतन्त्रता आन्दोलन

इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ रियासतों को छोड़ कर शेष सभी रियासतों में प्रजा की दशा अत्यन्त खराब थी। इस दशा को सुधारने के लिए रियासती प्रजासत्ता तथा कांग्रेस से संबंधित ग्राह इटिया स्टैन्स पीपुल्स कांग्रेस ने भारी आन्दोलन किया। परन्तु, भारत को स्वतन्त्रता मिलने से पहले देशी राज्यों में प्रजा की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। यह गुलामी की चक्की में ही घिसती रही। रियासतों में स्वतन्त्रता आन्दोलन के विषय में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं—एक तो यह कि हमारी

राष्ट्रीय कांग्रेस ने रियासतों के संग्राम में कोई सक्रिय भाग नहीं लिया, यद्यपि उसकी पूर्ण सहानुभूति इस आंदोलन के साथ थी और कांग्रेस के अनेक प्रमुख नेता जैसे पंडित बवाहरलाल नेहरू, पट्टाभि सीतारमैया इत्यादि स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस के भी नेता थे, और दूसरी यह कि यद्यपि रियासती प्रजा का स्वतन्त्रता संग्राम में बलिदान ब्रिटिश भारत से किसी प्रकार भी कम नहीं था, फिर भी देशी राज्यों में प्रचार के आधुनिक साधनों, विशेषकर समाचारपत्रों की कमी के कारण, इस प्रकार की घटनाएँ बनना बिक्रम मालूम पड़ती थीं। ब्रिटिश भारत में जिन अत्याचारी तथा कठोर उपायों का अवलम्बन हमारे स्वतन्त्रता संग्राम को लुचलने के लिए किया गया, उससे वही अधिक दमन रियासती प्रजा को सहना पड़ा। फिर भी इस प्रकार की रोमाचकारी घटनाएँ समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं होती थीं। देशी रियासतों के नरेशों ने हमारे अंग्रेज शासकों का साथ देकर इसी बात में नहीं दिया कि उन्होंने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्रता आंदोलन को बुरी तरह लुचलना, वान् आबादी के सिराहियों पर गोली बरसाने के लिए उन्होंने मृत्यु सरकार को भी अपनी सेनाओं की सेवाएँ अर्पित कीं। हमारे देशी राज्यों के नरेश, अंग्रेजों के इशारे पर सदा कठपुतली की तरह नाचते थे। यही कारण था कि कांग्रेस ने देशी राज्यों के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति का अवलम्बन किया और उल्टे सदा यह कहा कि देशी रियासतों की प्रथा की स्वतन्त्रता का प्रश्न समस्त भारत की स्वतन्त्रता के साथ जुड़ा हुआ है। जिस समय हमारे देश से ब्रिटिश सत्ता का अन्त हो जाना और अंग्रेज हमारे देश से चले जाएँगे तो रियासतें स्वतः ही स्वतन्त्र हो जाएँगी, कारण देशी राज्यों की सामन्तशाही का एक मात्र आधार ब्रिटिश सत्ता थी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देशी रियासतों का स्वरूप

विद्यते तीन वर्गों के इतिहास ने हमारे नेताओं की इस भविष्यवाणी को सन्ना साबित कर दिखाया है। १५ अगस्त, सन् १९४७ के तुरन्त पश्चात् हमारे देश की रियासती सत्ता की जड़ें हिल उठीं। यद्यपि हमारे अंग्रेज शासक भारत छोड़ते समय दाह की अग्नि में, भारत को अनेक छोटे छोटे भागों में छिन्न-भिन्न देरने के लिए यह घोषणा कर गये थे कि रियासतों के ऊपर भारत सरकार को किसी प्रकार के सर्वोच्च अधिकार (Paramount Rights) प्राप्त नहीं होंगे, और देशी रियासतें पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होंगी, फिर भी स्वतन्त्र भारत के परिवर्तित वातावरण में नरेशों की यह हिम्मत न हुई कि वह भारत सरकार से अलग रह कर अपना अलग राज बनाने या अपनी प्रजा पर पूर्णतः ही तानाशाही शासन लादे रहते। कुछ रियासतों ने प्रारम्भ में इस प्रकार की शरारतें करनी चाहीं। इनमें ट्रावनकोर, जूनागढ़, मोनाल तथा हैदराबाद की रियासतें प्रमुख थीं। परन्तु कुछ ही दिनों में इन रियासतों को यह अनुमति हो गयी कि उनकी सत्ता का एक मात्र आधार ब्रिटिश-सेना हमारे देश से चिदा हो चुकी थी, और उनकी

महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अब न उनकी प्रजा ही उनके साथ थी और न भारत सरकार की ऐसी शक्ति। सर्वप्रथम द्रावणकोर सरकार के दीवान सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर को, जो अपनी रियासत का भारतीय सङ्घ से अलग रहना चाहते थे, अत्यन्त विरक्त होकर अपना पद छोड़ना पड़ा। इसके पश्चात् जूनागढ़ रियासत में, जिसने पाकिस्तान के साथ मिलने की घोषणा की थी, अनेक उपद्रव हुए और जनता के प्रकोप से घबड़ा कर नवाब को पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी। इसके थोड़े दिन पश्चात् हैदराबाद की समस्याओं को सुलभाने का प्रयत्न किया गया। उस रियासत में मुसलमानों का सबसे अधिक जोर था और वह पाकिस्तान के गहन्यों का केन्द्र बन रही थी। कासिम रिजवी के धर्मान्व नेतृत्व में, हैदराबाद के गेड्डे लाल रजाकार तथा निजाम, एक स्वतंत्र, निरकुश तथा सामन्तवादी सरकार बनाये रखने का स्वप्न देख रहे थे। भारत सरकार ने निजाम के साथ शान्तिपूर्ण वार्ता करने के लिए कितने ही प्रयत्न किये। हैदराबाद राज्य भारत के मध्य में स्थित है। भारत सरकार अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा की दृष्टि से, किसी दशा में भी उसे एक स्वतंत्र राज्य रह कर, भारत विरोधी शक्तियाँ का अड्डा बनाने की आशा न दे सकती थी। परन्तु हैदराबाद के रजाकार अपनी शरारत में लगे हुए थे और उन्होंने निजाम को भारत सरकार की सभी उचित माँगों को झुकरा देने के लिए बाध्य कर दिया। अन्त में, विघ्न होकर, १३ सितम्बर सन् १९५२ के दिन, भारत सरकार का हैदराबाद राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी। चार दिन के पश्चात् हैदराबाद की सरकार ने हथियार डाल दिये और भारत सरकार से समझौते की प्रार्थना की। इस प्रकार कुछ ही दिनों में यह पुलिस कार्यवाही सफलतापूर्वक समाप्त हो गई।

हैदराबाद के उदाहरण के पश्चात् और किसी रियासत ने भारत सरकार के समस्त देश को एक सङ्घटित एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के कार्य में बाधा न डाली और सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत की ५०० से अधिक रियासतें १५ इकाइयों में पूर्ण संघटित कर दी गईं।

रियासतों का एकीकरण

भारतीय रियासतों के एकीकरण का आंदोलन उस समय आरंभ हुआ जब सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार के अन्तर्गत जुलाई सन् १९५७ में एक रियासती विभाग खोला गया। सर्वप्रथम इस विभाग ने भारतीय रियासतों से अपील की कि वह भारतीय सङ्घ में सम्मिलित होने के लिए प्रवेशपत्र पर हस्ताक्षर कर दें। आरम्भ में इस प्रवेशपत्र में रियासत की सरकारों को केवल तीन विषयों अर्थात् विदेश नीति, रक्षा तथा यातायात पर नियन्त्रण संप सरकार को सौंपना था। परन्तु कुछ ही दिन पश्चात् भारत सरकार को अनुभव हुआ कि देश की नव प्राप्त स्वतन्त्रता को दृढ़ बनाने

के लिए आवश्यक है कि रियासतों तथा प्रांतों के अधिकार कम किये जायें और नए प्रांतों में एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना की जाय। इस उद्देश्य से एक ऐसे नये समझौते पर हस्ताक्षर कराये गये जिसके द्वारा सब सरकारों को रियासतों के ऊपर उन सभी विषयों पर प्रभुत्व प्राप्त हो गया जिनका वर्तमान हमारे नये संविधान की संघ तथा संघसभों सूची में किया गया है।

भारतीय संघ में सम्मिलित होने के पश्चात् देश की छोटी-छोटी रियासतों से प्राप्त की गई कि वह भारत को एक शक्तिशाली, अभिविद्धित राष्ट्र में सङ्गठित करने के लिए अपने पड़ोसी प्रांत में मिल जायें अथवा अपना कोई अलग सब बना लें। इस नीति के अधीन बहुत शीघ्रता से काम लिया गया और सर्वप्रथम पहली जनवरी, सन् १९५६ को यह घोषणा की गई कि उड़ीसा प्रांत की २३ रियासतें उसी प्रांत में विलीन कर दी गई हैं। इसके पश्चात् मध्य प्रांत, पंजाब, बम्बई तथा बिहार राज्यों की छोटी-छोटी रियासतों का समाहार किया गया और उन राज्यों के नरेशों को वार्षिक पेन्शन के रूप में एक निश्चित रकम देकर निदा कर दिया गया। अंतिम रियासत वृत्त बिहार पहली जनवरी सन् १९५० को बंगाल राज्य में विलीन कर दी गई। बहुत-सी बड़ी-बड़ी रियासतों के सब बना दिये गये और इस प्रकार दो वर्षों से भी कम समय में भारत की छाती पर स्थित सामन्तशाही के ५०० गढ़ समाप्त हो गये।

रियासतों के भारत में प्रवेश उनके विलीनीकरण तथा संघीकरण का अग्रनिर्धारण परिणाम इस प्रकार हुआ :—

भारत की २१६ रियासतें प्रांतों में विलीन कर दी गई हैं। ऐसी रियासतों का कुल क्षेत्रफल १,०८,७३६ वर्गमील तथा जनसंख्या १,६१,५८,००० है।

भारत की ६१ रियासतें केन्द्र के अधीन ७ चीफ कमिश्नरों के प्रांतों में संगठित कर दी गई हैं। इन रियासतों में मोरार, कच्छ, जिन्नाखपुर, त्रिपुरा, मर्नापुर, हिमाचल तथा त्रिपुरप्रदेश की रियासतें हैं। इनका कुल क्षेत्रफल ६३,७०४ वर्गमील तथा जनसंख्या ६६ लाख है।

अन्त में भारत की २७५ रियासतों को ५ संघों में संगठित किया गया है। इन संघों के नाम इस प्रकार हैं—सीरापुर, पेन्डू, मध्य भारत, राजस्थान तथा ट्रान्सकोर-पोचीन। इन संघों में सम्मिलित रियासतों का क्षेत्रफल २,१५,४५० वर्गमील तथा जनसंख्या ३४७ लाख है।

एकीकरण के क्रम से प्रभावित न होने वाले राज्य केवल ३ हैं अर्थात् मीर, हैदराबाद और बम्बई नगर। इन तीनों रियासतों का भविष्य अभी अनिश्चित है। कर्नाटक प्रान्त सधुव राष्ट्र संघ के विचारधीन है। मीर तथा हैदराबाद रियासत का भविष्य महाक्रान्तिक तथा आम्र राज्य के निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है।

इस प्रकार भारत की ५०० से अधिक रियासतों की केवल १५ इकाइयाँ रह गई हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) सौराष्ट्र, (२) पंजब, (३) मध्य भारत, (४) राजस्थान, (५) द्रावण-कोर-कोचीन, (६) हिमाचल प्रदेश, (७) कच्छ, (८) विलासपुर, (९) भागल, (१०) त्रिपुरा, (११) मनीपुर, (१२) विंध्य प्रदेश, (१३) मैसूर, (१४) हैदराबाद और (१५) जम्मू काश्मीर ।

रियासती नरेशों की 'प्रिवी पर्स' का निश्चय

भारत सरकार ने एक निश्चित नीति के अधीन देश की समस्त रियासतों से इस प्रकार का समझौता किया है जिसके अधीन उनके नरेशों को अपनी समस्त राजसत्ता जनता के हाथों में सौंप देने के बदले में अपने व्यय के लिए एक निश्चित राशि, निम्न प्रकार, प्रतिवर्ष मिलती रहेगी।

उन रियासतों को जिनकी वार्षिक आय १ लाख या इससे कम है, आय का १५ प्रतिशत माग 'प्रिवी पर्स' के रूप में दिया जायगा। इससे बाद, एक लाख से ५ लाख तक की आय पर १० प्रतिशत और ५ लाख से १० लाख तक की आय पर ७½ प्रतिशत माग 'प्रिवी पर्स' के रूप में दिया जायगा। किसी एक नरेश को अधिक से अधिक १० लाख रुपया वार्षिक दिया जा सकेगा। कुछ थोड़ी सी बड़ी बड़ी रियासतों के साथ इस नियम का पालन नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ हैदराबाद के निजाम के लिए, 'प्रिवी पर्स' की रकम ५० लाख रुपया वार्षिक निश्चित की गई है, बड़ौदा महाराज को २६½ लाख रुपया दिया गया है, मैसूर के महाराज को २६ लाख, जयपुर व द्रावणकोर के महाराज को १८ लाख, बीकानेर या पटियाला महाराज को १७ लाख, जाधपुर महाराज को १७½ लाख तथा इंदौर महाराज को १५ लाख रुपया वार्षिक दिया गया है। परन्तु यह घड़ी हुई राशि इन रियासतों के नरेशों को केवल उनके जीवन काल में ही दी जायगी। उन रियासतों को मिलाकर भारत सरकार को ५ करोड़ ६५ लाख रुपया प्रति वर्ष 'प्रिवी पर्स' के रूप में देना होगा। 'प्रिवी पर्स' की सबसे कम राशि १६२½ रुपया वार्षिक क्यूँदिया (सौराष्ट्र) नरेश को दी गई है।

नरेशों की निजी सम्पत्ति के विषय में भी भारत सरकार ने विशिष्ट नियम बनाये हैं। इन नियमों के अधीन प्रत्येक नरेश को रहने के लिए दो महल दिये गये हैं—एक महल उसकी अपनी राजधानी में दूसरा किसी पहाड़ या समुद्र तट पर। नरेशों की दिल्ली में स्थित कोंठियों के विषय में अभी अंतिम निश्चय नहीं हुआ है। इस विषय में अभी तक चर्चा जारी है। वृषि भूमि के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया है कि जो नरेश स्वयं वृषि करने में रुचि रखते हैं उन्हें कुछ भूमि दे दी जाय, परन्तु इस भूमि पर लगान इत्यादि के वही नियम लागू होंगे जो दूसरी प्रजा पर लागू होते हैं। पारिवारिक

आभूषण तथा हीरे जवाहिरात नरेशों के सरदारों में रखते गये हैं। वह उनका विशेष लक्ष्यों पर उन्मत्त कर सकते हैं। परन्तु इन वस्तुओं को बेचने अथवा इधर-उधर करने का उन्हें अधिकार नहीं होगा। अधिकार्य जागीरों नरेशों के हाथ से छीन ली गई हैं परन्तु उनका सम्पत्ति हत्यादि में इस प्रकार के श्रेय जो उन्होंने अपना निजी आनन्द से खर्च किये, उन्हीं के हाथों में छोड़ दिये गये हैं।

बहुत सा रियासतों में राजस्व तथा नरेशों के निजी क्षेत्र में विद्या प्रकरण का अंतर नहीं रखा जाता था। इन रियासतों के सम्पत्ति वितरण में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारे देश की कितनी ही ऐसी रियासतें थीं जिनके नरेशों ने यह समझ कर कि अब उनकी राजसत्ता समाप्त होने वाली है, अपनी अत्यन्त धन-सम्पत्ति विदेशों का भेज दी और जिस समय उनके खजानों की खोज पड़ताल की गई तो उनमें कुछ ही आने या बचने देखने को मिले। इस प्रकार की एक रावक घटना नामा रियासत में हुई जहाँ उस राज्य के ईश्वर में समाहार के पश्चात्, खजाने में केवल ६ पैसे शेष मिले। नरेशों ने करोड़ों रुपया विदेश भेज कर दूसरे स्थानों पर बड़ी-बड़ी वापदाएँ खरीदीं तथा अनेक उद्योग घरों में अपना धन लगाया। जहाँ इस प्रकार की घटनाएँ, अत्यन्त निन्दनीय हैं और वह हमारे नरेशों के चरित्र पर अनुचित प्रकाश डालती हैं, जहाँ हमें यह न भूलना चाहिये कि भारतीय जनता के लिए, इस प्रकार का एक खजाना प्रकृति का मूल्य चुकाना स्वामाधिक ही था। यह सच है कि हमारे चरित्र हान नरेशों ने अपनी प्रजा की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया अपने निजी देश व आशय के लिए खर्च कर लिया, परन्तु हमें यह समझ लेना चाहिये कि एक बार इस प्रकार का भारी बलिदान देकर, आगे आने वाले काल के लिए, अब हमारी प्रजा मुक्त और चैन का जीवन व्यतीत कर सकेगी और उसका वह अनानुषंगिक शब्द समझ ही जानना बिना के कारण वह कभी अपना सर उठाने न उठा सकेगी थी। रियासतों के नरेशों के हाथों से तानाशाही शक्ति को छीन कर, सरदार पटेल ने सदा के लिए, भारतीय रियासतों की पादित जनता के दुःखों का अन्त कर दिया है। जहाँ की जनता के बीच से अब शासक और शासित का भेद नष्ट हो गया है। आज हमारी देशी राज्यों का जनता को बरी अधिकार प्राप्त हैं जो भारत के दूसरे राज्यों की जनता को मिले हुए हैं। भारतीय रियासतों की कुछ कठिन समस्याएँ

परन्तु देश के एकीकरण के पश्चात् हमें यह न समझ लेना चाहिये कि हमने भारत की देशी रियासतों की उपरिष्ठी से उत्पन्न सभी समस्याओं को मूलभूत लिया है। यह सच है कि यह समस्याएँ अब इतनी जटिल नहीं रह गई हैं जितनी वह पहले थीं, और प्रायः है कि दो-दो हा समय में उनका कोई उचित हल निकल आयेगा। परन्तु यह कारण हमें अपने मनों में किसी प्रकार की दान नहीं छोड़नी चाहिये।

रियासतों के विलीनीकरण एवं सद्दीकरण के कारण जो नई समस्याएँ हमारे देश में उत्पन्न हो गई हैं उनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है —

(१) रियासतों की आय की समस्या—एकीकरण की नीति को अपनाने से पहले रियासतें हर प्रकार के 'कर' लगाने के लिए स्वतन्त्र थीं। संसद तट पर स्थित कुछ रियासतें बाहर से आने वाले माल पर भी कर लगा सकती थीं। आय कर, नमक कर, रेल, डाकखाने तथा मिट से होने वाली आय, रियासतों में बाहर से आने वाले माल पर कर, इत्यादि मदों से होने वाली आय रियासतों को मिलती थी। नव संविधान के अंतर्गत रियासतों को केषन वही कर लगाने का अधिकार होगा जो भारत के दूसरे राज्यों में लगाये जायेंगे। इस कारण कुछ रियासती सद्दा की आय बहुत कम हो जायगी और वह अपनी जनता के लिए वही सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कर सकेंगी जिनकी उन क्षेत्रों की जनता को स्वतन्त्रता का अनुभव कराने के लिए आवश्यक है। भारत सरकार ने रियासतों की इसी समस्या को सुलझाने के लिए सर वी० टी० इण्डियाचारी के नेतृत्व में एक कमेटी बिठाई। इस कमेटी ने निम्न सिफारिशों की —

(१) रियासतों को अपने क्षेत्र में भारत के विभिन्न प्रान्तों से आने वाले माल पर चुगी (International Customs Duties) नहीं लगानी चाहिये। इस प्रकार की चुगी हैदराबाद, रांनस्थान, मध्य भारत, सीराष्ट्र और विंध्य प्रदेश में लगाई जाती थी। विंध्य प्रदेश और सीराष्ट्र में इस प्रकार की चुगी पहली अप्रैल, १९५० से अथैव प्रभित कर दी गई है। दूसरी रियासतों के लिए सद्द सरकार ने ४ से ५ वर्ष तक की मुहलत दी है। इस बीच में यह रियासतें चुगी की प्रथा को समाप्त कर बिक्री टैक्स के द्वारा अपनी आर्थिक हानि को पूर्ण कर लेंगी।

(२) आय कर (Income tax) के सम्बन्ध में कमेटी ने कहा है कि रियासतों को यह कर उसी दर से लगाना चाहिये जैसा वह भारत के विभिन्न प्रान्तों में लगाया जाता है। इस कर से होने वाली आय केंद्रीय सरकार को मिलती है, परंतु राज्य की सरकारों को उसमें ५५ प्रतिशत भाग दिया जाता है। रियासतों को भी इसी अनुपात से आयकर का भाग दिया जायगा। आरम्भ में कमेटी ने सिफारिश की है कि रियासतों को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि वह अपने क्षेत्र में आय कर की दर धीरे धीरे बढ़ायें, जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था पर एकदम बुरा प्रभाव न पड़े। भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में रियासतों को २ से ६ वर्ष तक का समय दिया है। इसके पश्चात् सभी रियासतों में आय कर उसी प्रकार वसूल किया जायगा जैसे वह शेष भारत में किया जाता है और रियासतों की आयकर से होने वाली श्रामदनी में समान रूप से भाग दिया जायगा।

(३) रेल, डाकखाने, करन्सी, मिन्ट, ऑट्टिट तथा ब्रॉडकास्टिंग विभागों पर रिया

सती सरकारों का आधिपत्य पहली अप्रैल १९५० से समाप्त कर दिया गया है। कमेटी की सिफारिशों के अधीन यह सभी महकमे तथा इनसे होने वाली आय सङ्घ सरकार को सौंप दी गई है।

(४) देश के आर्थिक एकीकरण से जिन रियासतों को विशेष आर्थिक हानि होगी और जिनमें हैदराबाद, मैसूर, द्रावणकोर-कोचीन तथा सीरुप्र मुख्य हैं, उनके लिए कमेटी ने सिफारिश की है कि सङ्घ सरकार ऐसी सभी रियासतों को पाँच वर्ष तक सहायता देगी। इसके पश्चात् रियासतों तथा भारत के दूसरे सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति की जाँच एक 'राजस्व कमीशन' द्वारा कराई जायगी और संविधान में कहा गया है कि इस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर आगे चल कर भारत का आर्थिक सङ्गठन किया जायगा।

इस प्रकार यद्यपि कृष्णमाचारी कमेटी ने देश के एकीकरण से होने वाले आर्थिक फट को निवारण करने का अनुचित प्रयत्न किया है, परन्तु आने वाले चार या पाँच वर्ष हमारे देश के लिए ऐसे होंगे जिसमें अत्यन्त सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है, और जिस बीच केन्द्रीय सरकार को रियासती सत्तों की आर्थिक व्यवस्था पर विशेष नियन्त्रण रखने की आवश्यकता होगी।

(२) सैनिक समस्या—रियासतों की दूसरी गुन्था सेना की समस्या है। अंग्रेजों के काल में प्रायः प्रत्येक रियासत अपनी अलग सेना रखती थी। यह सेना युद्ध या आंतरिक अशांति के समय अंग्रेजी सरकार का साथ देती थी। नव संविधान के अन्तर्गत देश की रक्षा व सेना के सङ्गठन का पूर्ण कार्य सभ सरकार को सौंपा गया है। इसलिए रियासतों को आदेश दिया गया है कि वह अपने क्षेत्रों में केवल इतनी ही सेना रखें जितनी संघ सरकार द्वारा उनके लिए निर्दिष्ट की जाय। ऐसी सेना का संरक्षण नव संघ सरकार द्वारा दिया जायगा। रियासतों को अपनी शेष सेना कम करनी होगी। ऐसा करने से सङ्घ रियासतों में बेकारी की समस्या बढ़ जायगी, परन्तु संघ सरकार ने रियासतों से अपील की है कि वह छुट्टी में आने वाले सैनिकों को अपने राज्य की पुलिस में भर्ती करने का प्रयत्न करें।

(३) मुद्रासन की समस्या—देश के एकीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में रियासतों की सबसे जटिल समस्या मुद्रास संरक्षणी प्रबन्ध की समस्या है। अंग्रेजों के काल में हमारी रियासतों का शासन प्रबन्ध अत्यन्त निरुद्ध होति का था। वहाँ सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि उनकी जातधर्म के आधार पर की जाती थी। नरेश जब चाहते किसी सरकारी कर्मचारियों को हटा सकते थे। जनता में शिक्षा का प्रचार अत्यन्त सीमित था। प्रतिनिधि संस्थाओं के कार्य के संचालन का उन्हें किसी प्रकार का अनुभव नहीं था। जनता में एक शिक्षित

व जायत लोकमत की भारी कमी थी। फिर भी रियासतों का शासन प्रबन्ध इस कारण निर्दिष्ट रूप से चलता था कि जनता शासकों के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती थी, और वह हर प्रकार का दमन व अत्याचार सहने की आदी बन गई थी। परन्तु भारत को स्वाधीनता प्राप्त होने तथा रियासतों में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डलों के बन जाने के पश्चात् हमारी रियासतों का शासन स्तर और भी नीचे गिर गया है। इसका मुख्य कारण हमारी रियासतों में अनुभव प्राप्त राजनीतियों की कमी तथा सरकारी कर्मचारियों की अयोग्यता है।

ब्रिटिश भारत में प्रतिनिधि संस्थाएँ बहुत काल से कार्य करती चली आ रही थीं। जनता के बहुत से नेताओं को शासन प्रबन्ध का समुचित ज्ञान प्राप्त था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के काल का शासन प्रबन्ध अत्यन्त उच्चकोटि का था। सरकारी कर्मचारी अत्यन्त योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति होते थे। इस कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्, जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में शासन शक्ति के आ जाने से, जहाँ ब्रिटिश भारत के शासन प्रबन्ध में कोई विशेष शिथिलता नहीं आई, वहाँ हमारी रियासतों का शासन प्रबन्ध अत्यन्त ही दोषपूर्ण हो गया। रियासती सभों में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल बन गये परन्तु मंत्री ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें शासन का किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं था। वह केवल प्रजा मण्डलों के साधारण कार्यकर्ता थे। इसके अतिरिक्त मन्त्रिमण्डलों की सहायता व उनके मार्ग प्रदर्शन के लिए मैसूर, ट्रावनकोर-कोचीन व मध्य भारत को छोड़कर पिल्लुके आम चुनावों से पहले, और किसी रियासत में विधान सभाएँ नहीं थीं। स्वभावतः ऐसी रियासतों में शासन का स्तर अत्यन्त नीचे गिर गया और रियासती प्रजा को यह अनुभव होने लगा कि इस प्रकार के शासन से नरेशों का शासन वहीं अच्छा था।

आजकल रियासतों की सबसे बड़िल समस्या अच्छी सरकार की समस्या है। रियासतों में राजनीतिक साइनबोर्ड अग्रय बदल गया है, नरेशों के स्थान पर अब उन क्षेत्रों में लोकप्रिय सरकारें हैं, परन्तु ये सरकारें ऐसी हैं जो रियासती जनता को अधिक सुख नहीं पहुँचा सती हैं।

रियासतों में अनुभव प्राप्त उच्च सरकारी कर्मचारियों की भी भारी कमी है। इस प्रकार के अधिन्तर कर्मचारी केन्द्रीय सरकार द्वारा ही भेजे गये हैं। परन्तु जब तक रियासती जनता में से स्वयं इस प्रकार के अनुभव प्राप्त सरकारी कर्मचारियों का निर्माण नहीं होता जब तक उन क्षेत्रों का शासन प्रबन्ध नहीं सुधर सकता।

रियासत के शासन प्रबन्ध को सुधराने के लिए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में शीघ्र ही (१) जनता में शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था की जाय, (२) लोकमत को जायत व सचेत बनाने के लिए ऐसे राजनीतिक दलों का निर्माण

किन्ना जाय विनका आधार साम्प्रदायिकता की भावना का प्रचार न हो, (३) रिपब्लिकी जनता में से प्रतियोगिता के आधार पर उच्च सरकारी कर्मचारियों की भरती का प्रबन्ध किया जाय, तथा अन्त में (४) रिपब्लिकी के न्याय विभाग को आधुनिक ढङ्ग पर संगठित करने के लिए उनमें अत्यन्त योग्य एवं निपुण व्यक्तियों की नियुक्ति की जाय ।

इन्हीं सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे नव सविधान में प्रथम दस वर्षों के लिए रिपब्लिकी सङ्घों को आदेश दिया गया है, कि वह रिपब्लिकी मन्त्रालय के अधीन रह कर कार्य करें तथा उसकी आज्ञाओं को मानें । इस सन्बन्ध में सविधान की विस्तृत धाराओं का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं ।

(४) अधिकांश समस्या—रिपब्लिकी सङ्घ की चौथी समस्या उनकी प्रजा की गरीबी की समस्या है । अंग्रेजों के काल में रिपब्लिकी जनता का जिस प्रकार उनके नरेशों तथा सामन्तों द्वारा निर्दयतापूर्वक शोषण किया जाता था उसकी कहानी सुनकर रोते रोते हो जाते हैं । इन रिपब्लिकी में यदि एक ओर राजा और उसके कुछ निष्ठ सम्बन्धी जागीरदार अथाह धन और ऐश्वर्य की आनन्दमयी सरिता में गोते लगाते थे, तो दूसरी ओर उनकी प्रजा निर्धनता, बहालत्व, आभयहीनता तथा भूख और प्यास की अग्नि में घपक-घपक कर अग्नि प्रारों की बलि देती थी । इन रिपब्लिकी में मध्य वर्ग (Middle Class) जैसी जनता की कोई भेखी ही नहीं थी । या तो एक बड़े बड़े महलों या राज-प्रासादों में रहने वाले कुछ सुदृढ़ मर सामन्त थे या दूसरी ओर भूख प्यास से श्रम, टूटे-पूटे ग्लोबों में रहने वाली, अक्षर्य जनता थी । जनता के घर में ले माले घटक अग्नि नरेशों की धन-मिनासा को शान्त करने के लिए ही काम करते थे । उनकी कर्मदंड अथिष्ठतर भाग राजाओं के लिए भोग-विनास की सामग्री एकत्रित करने के काम में ही आता था । अन्तिकतर रिपब्लिकी में न मिली प्रकार के आधुनिक उद्योग धन्ये थे, न बड़ी-बड़ी व्यापार की मस्जिदों । इन दोनों की ६५ प्रतिशत जनता कृषि के ही सशर अग्नि निर्वाह करती थी । स्वभावतः जनता की आर्थिक दशा हीन थी । और वह सामन्तों के डुलन और अशाचार के नीचे इतनी दबी हुई रहती थी कि उसे कभी अपने चारों ओर देखकर अपनी दशा की कुशाले का विचार न आता था ।

आज रिपब्लिकी के एकीकरण के पश्चात् उनके राज्यों के सम्बन्ध अपनी प्रजा की आर्थिक दशा सुधारने की सबसे कठिन समस्या है । हमारी रिपब्लिकी जनता को स्वतंत्रता के कातारण्य का उस समय तक कोई अस्वास्थ्य नहीं हो सकता जब तक उसे अपने के लिए दो सनर भोजन तथा उन रोकने के लिए करके न मिलें । हमारे संसदिय रिपब्लिकी मन्त्रिमण्डलों की इच्छा चाहिये कि वह अपनी जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आधुनिक कृषि, उद्योग तथा व्यापार के तरीकों को प्रोत्साहन दें ।

(५) प्रादेशिक भक्ति की समस्या—अन्त में हमारे देशी राज्यों की प्रजा को अपने मनोवैधानिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। अभी तक रियासतों की जनता सदस्यों वगैरों से एक ही प्रकार के राजतन्त्रीय शासन प्रबन्ध के अधीन रह कर, यह न समझ पाई है कि राजतन्त्र शासन उनसे अपने राज्य प्रबन्ध का नाम है। राजतन्त्रीय शासन कभी राजतन्त्र शासन से अच्छा नहीं हो सकता। कारण उसमें देश की असह्य जनता को अपने व्यक्ति के विकास का अन्तर नहीं मिलता। आज कितने ही देशी राज्यों के व्यक्ति अपने पुराने नरेशों की याद करते और कहते हैं कि ऐसे जनराज्य से तो हमारा पहला राज्य ही अच्छा था। वह यह भूल जाते हैं कि अच्छा शासन सरशासन का स्थान नहीं ले सकता। आरम्भ में प्रत्येक देश के लोग ही, नई-नई राज्यसत्ता अपने हाथ में आने के समय, शासन प्रबन्ध में श्रुतियाँ किया करते हैं। परन्तु कुछ समय पश्चात् शिक्षित तथा जागरूक लोकमत उन्हें जनमत के दित में कार्य करने को बाध्य कर देता है।

एक और दशा में भी हमारी देशी राज्यों की जनता को अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। वह यह है कि अभी तक इन क्षेत्रों की जनता अपने आपसे एक बहुत छोटी रियासत का एक नागरिक समझती आई है। वह उस छोटे क्षेत्र के प्रति ही अपनी राजभक्ति का प्रदर्शन करती है। उदाहरणार्थ जोधपुर रियासत के व्यक्ति बृहद् राजस्थान सङ्घ में सम्मिलित होने के बाद भी वही समझते हैं कि वह जोधपुरी हैं और जोधपुर तो उनका अपना है, परन्तु बीकानेर, या उदयपुर या जयपुर नहीं। इस प्रकार की प्रादेशिक सङ्कुचित राजभक्ति की भावना राष्ट्रीय चेतना के विकास में बाधक सिद्ध होती है और देश में एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण नहीं होने देती। हमारे रियासती सङ्घों की सरकारों को इसलिए चाहिये कि वह इस प्रकार की भावना का अन्त करने के लिए कोई प्रयत्न वाकी न करें। भारतीय जन जीवन से प्रादेशिकता के इस विषय को हम जितना शीघ्र दूर कर सकें उतना अच्छा है।

भारत की ५०० रियासतों का एकीकरण करने, हमारे राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल ने देश का जैसा हित साधन किया है, वैसा कोई एक व्यक्ति भारतीय इतिहास में आज तक नहीं कर सका। आज भारतीय राष्ट्र की मजबूत नींव रखी जाने का कार्य सम्पन्न हो चुका है। आवश्यकता अब इस बात की है कि हम इस मुद्द पर नींव पर एक ऐसे नव समाज तथा राष्ट्र का निर्माण करें जिसकी कीर्ति विश्व के चारों कोनों में फैलती रहे और जो उदात्त उर्ध्व सिद्धान्तों पर प्रतिबद्ध रहता रहे। किन्तु इसके लिए हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने अपने सारे जीवन-कार्य किया तथा जिसका प्रचार करने के लिए अन्त में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी।

योग्यता-प्रश्न

१. 'स्वतन्त्र भारत का सबसे महान् कार्य देश का एकीकरण है।' इस कथन को यथार्थता को समझाइये।

२. स्वतन्त्रता से पहले भारतीय रियासतों में प्रजा की क्या दशा थी ? उस दशा में अब तक क्या सुधार हुआ ?

३. अङ्गरेजों के काल में रियासतों का वर्गोत्थरण किस प्रकार किया जाता था ? आश्रकल वह किस आधार पर किया जाता है ?

४. रियासतों का वर्तमान शासन प्रबन्ध कैसे किया जाता है ? कुछ रियासतों को भी और कुछ को भी भेषी में क्यों रक्खा गया ?

५. नये संविधान के अन्तर्गत रियासतों में विधान सभा तथा मंत्रिमंडल बनाने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई है ?

६. रियासतों के नरेशों के साथ प्रिन्सों का निश्चय किस आधार पर किया गया है ? क्या यह प्रबन्ध अनुचित है ?

७. रियासतों की वर्तमान समस्याएँ क्या हैं ? वे किस प्रकार सुलझाई जा सकती हैं ?



अध्याय १४

भारत में सरकारी नौकरियाँ

इस पुस्तक के पिछले अध्यायों में, नए संविधान के अन्तर्गत, हमने सच तथा राज्यों की सरकारों के संगठन का अध्ययन किया है। परन्तु यह संगठन उस समय तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता जब तक हम सरकार के यंत्र को चलाने वाली सस्था अर्थात् सरकारी नौकरियों के संगठन का अध्ययन न करें।

स्थायी सरकारी नौकरों की प्रथा का महत्त्व

विद्वले अध्यायों में हमने देखा है कि सरकार की नीति का संचालन करना मन्त्रियों का काम होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब एक मन्त्रिमंडल के स्थान पर दूसरा मन्त्रिमंडल बन जाता है तो सरकार बदल जाती है। परन्तु मन्त्रियों द्वारा निर्धारित नीति का संचालन करना सरकारी नौकरों का काम होता है। मन्त्री स्वयं सरकार के विद्याल संगठन को नहीं चला सकते। वह केवल सरकारी संगठन का नेतृत्व कर सकते हैं। मन्त्रियों तथा विधान मंडल द्वारा निर्धारित नीति को कार्य रूप में परिष्कृत करना उन सरकारी नौकरों का काम होता है जो मन्त्रिमंडल के बदलने पर अपने स्थान का त्याग नहीं करते, वरन् जो कोई भी मन्त्रिमंडल शासनाखंड हो, उसकी ही आज्ञानुसार सरकारी काम को चलाते हैं और देश के विभिन्न भागों में सरकारी आज्ञाओं का पालन करते हैं।

प्रजातन्त्रीय सिद्धान्त के अन्तर्गत सरकार का कार्य इसी कारण कुशलतापूर्वक चलता है कि मन्त्रियों का उन सरकारी नौकरों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है जो अपना सारा जीवन एक ही प्रकार के कार्य में लगा कर उसमें पूर्ण रूप से दृढ़ता तथा अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। यदि इस प्रकार के सरकारी नौकरों का संगठन की व्यवस्था न होती, और मन्त्रिमंडल के परिवर्तन के साथ-साथ, पुराने सरकारी नौकरों को भी अपना स्थान त्याग करना पड़ता, तो अनुभवहीन मन्त्री तथा नये सरकारी कर्मचारी देश का शासन नहीं चला सकते थे। आजकल प्रजातन्त्र शासनों के अन्तर्गत हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसे शासन का कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं होता, तथा जिसने पहले कभी उस प्रकार का काम ही नहीं किया होता, वह भी जनता का निराशापाय हाने के कारण सरकार का मन्त्री बन सकता है। इंग्लैंड की सरकार में कितने ही ऐसे व्यक्ति भारत मन्त्री बन जाते थे जिन्होंने कभी भारत को देखना तो क्या इसके विषय में कभी गूढ़ अध्ययन भी नहीं किया था। परन्तु ऐसे मन्त्री भी अपने कार्य में इस कारण पूर्ण सफलता प्राप्त करते थे कि उन्हें अपने अधीन उन स्थायी, सरकारी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होता था

को वहाँ तक एक ही प्रकार का कार्य करते रहने के कारण, उसमें पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त कर लेते थे। अच्छे, कुशल, परिश्रमी तथा ईमानदार सरकारी कर्मचारियों का संगठन, इसलिए प्रजातन्त्र शासन की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

श्रीमंगलों के काल में भारत में सरकारी नौकरियों का संगठन

प्रजातन्त्र शासन के अन्तर्गत ही नहीं, दूसरे हर प्रकार के सरकारी संगठनों के अधीन सरकारी नौकरों की कुशल व्यवस्था का आवश्यकता होती है। निरंकुश शासनों में सरकारी नौकर ही सारे देश का शासन चलाते हैं। ऐसे राज्यों में जनता को सरकारी काम में हस्तक्षेप करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता। उसका काम केवल राजाहटियों का पालन करना होता है। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था में सरकारी नौकरों को अपने कार्य में और भी अधिक दक्ष होने की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु इस प्रकार का सरकारी संगठन जीवामाहीन, निरंकुश, अत्याचारी तथा जनता से अत्यधिक दूर रह कर कार्य करता है। इसका एकमात्र उद्देश्य राज में शान्ति और सुव्यवस्था (Law and order) कायम रखना रह जाता है। वह जनता की सेवा तथा उद्योग का कार्य नहीं करता। जनता को किसी प्रकार की राजनीतिक शिक्षा प्राप्त नहीं होती, उसमें आम विश्वास का निर्माण नहीं होता तथा उसका नैतिक स्तर निरन्तर गिरता रहता है।

नौकरशाही (Bureaucracy)

श्रीमंगलों के काल में इसी प्रकार का सरकारी संगठन हमारे देश में विद्यमान था। उस सरकारी संगठन को हम नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी के नाम से संशोधित करते थे। इस संगठन के अन्तर्गत सरकारी नौकर अपने आसक्त जनता का सेवक नहीं उसका स्वामी समझते थे। जनता स्वयं सरकारी अधिकारियों को अपना 'माई-बाप' बहकर सम्बोधित करती थीं। सरकारी नौकर जनता के जुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। वह श्रीमंगल शासकों की गुलामी करते थे परन्तु भारतीय जनता को हर प्रकार से लुचलते थे। इस प्रकार का सरकारी संगठन अत्यन्त अलक्षणीय तथा नावश्यक होता था और वह एक लोहे की, कीमतीमूलक, मशीन के समान एक बड़ी हुई लकड़ी के आकार पर कार्य करता था। उसमें विचार शक्ति का अभाव था, वह जनता का हितचिन्तन नहीं कर सकता था। वह अत्याचारपूर्ण ठगपों से जनता का शोषण तथा उसका दमन करता था।

इंडियन सिविल सर्विस

श्रीमंगलों के काल में इस प्रकार के भारतीय सरकारी संगठन की दोषदृष्टि हमारे 'इंडियन-सिविल-सर्विस' थी। इस सर्विस के सदस्य भारत सरकार द्वारा नहीं चर

इंग्लैंड में 'भारत मनी' द्वारा मर्ती किये जाते थे। इस सर्विस के अधिकतर सदस्य श्रैष्ठिक होते थे और उन्हीं को उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाता था। शिक्षा के दौरान में इन अधिकारियों को केवल यह बताया जाता था, कि वह किस प्रकार भारत में वहाँ की जनता से दूर रहकर देश में शान्ति व सुन्यवस्था बनाये रखने के कार्य में सफल हो सकते हैं। उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं दी जाती थी कि वह जनता की किस प्रकार अधिक से अधिक सेवा कर सकते हैं। इसीलिए आज भी हम देखते हैं कि इस पुरानी सर्विस के जो लोग भी सरकारी नौकरियों में शेष हैं, वह भारत के परिवर्तित वातावरण में भी उन्हीं प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे वह जनता के सेवक नहीं उसने स्वामी हो। उनमें दम, धमक तथा झूठे स्वामिमान के अधिक चिह्न देखने को मिलते हैं। वह साधारण जनता के साथ रहना अथवा उससे सम्पर्क बढ़ाना पसन्द नहीं करते। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यहाँ तक कि मन्त्रियों को भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यह समझते हैं कि देश का शासन चलाने की एकमात्र योग्यता केवल उनमें है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मूर्ख, अनुभवहीन तथा अवावहारिक हैं।

जहाँ मनावैज्ञानिक दृष्टिकोण से 'इंडियन सिविल सर्विस' के लोगों में उपासक सभी तुरायों हैं, वहाँ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि शासन के कार्य में वह व्यक्ति अत्यन्त ही निपुण तथा दक्ष हैं। श्रैष्ठिकों के काल में इन लोगों को इस प्रकार की उच्च शिक्षा दी जाती थी कि वह अपने पाठ्यक्रम का पूरा करने के पश्चात् सरकारी काम में हर प्रकार से कुशल हो जाते थे। उनकी भरती एक अत्यन्त कठिन परीक्षा तथा प्रति-योगिता के आधार पर की जाती थी। इस परीक्षा में केवल वही व्यक्ति उत्तीर्ण हो पाते थे जो अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि तथा परिश्रमा हाते थे। इंग्लैंड के अतिरिक्त सारे भारत-धर्म से जिसमें उस समय पाकिस्तान भी सम्मिलित था, केवल तीन या चार व्यक्ति प्रति वर्ष इण्डियन सिविल सर्विस के लिए चुने जाते थे। स्वभावत यह व्यक्ति ऐसे होते थे, जिनको सारे देश का मधा हुआ 'मस्तिष्क' कहा जा सकता था।

इंडियन सिविल सर्विस का इतिहास

पुछ अरों में, भारत में राजनीतिक चेतना के सञ्चार का मूल कारण, हम इंडियन सिविल सर्विस के साथ जोड़ सकते हैं।

जिस समय, सन् १८८५ तक, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी नहीं हुई थी और जनता स्वराज्य के नाम से भी अनभिज्ञ थी, उस समय इण्डियन सिविल सर्विस में भारतीयों की मर्ती का प्रश्न लेकर ही कुछ व्यक्तियों ने सारे देश में राजनीतिक चेतना का सञ्चार किया था। इस सर्विस का संगठन ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में उस समय हुआ था जब श्रैष्ठिकों को भारत का शासन चलाने के लिए अत्यन्त योग्य तथा अनुभवा अधिकारियों की आवश्यकता थी। आरम्भ में 'कम्पनी' के दायरे-कारों के

रिश्तेदार अथवा कुमाग्र ही इस सर्विस में भर्ती किये जाते थे, परन्तु ब्रिटिश सरकार को आगे चलकर जब यह अनुभव हुआ कि किसी दूसरे देश में शासन चलाने के लिए लालची, बेईमान तथा अयोग्य अधिकारियों से काम नहीं चलता और इससे लिए अल्पन्त ही योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसने सन् १८५८ में, प्रतियोगिता के आधार पर, इण्डियन सिविल सर्विस में ब्रिटिश यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थियों को भर्ती करने का निश्चय किया। इन विद्यार्थियों के शिष्य के लिए 'हिलीयरी' में एक ट्रेनिंग कालेज भी खोल दिया गया।

आरम्भ में भारतीय विद्यार्थियों का इस सर्विस में भर्ती होने से रोकने के लिए उनके मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित की गईं। कहा गया है कि केवल इंग्लैंड में पढ़ने वाले वही भारतीय इस सर्विस की परीक्षा में बैठ सकेगें जिनकी आयु १६ वर्ष से कम होगी। उन्नीसवीं शताब्दी का भारत आज से बहुत भिन्न था। उस समय विदेशी यात्रा घर्मनिरोधी समझी जाती थी। तिस पर, छोटी आयु में अग्ने पत्तों की समुद्र पार करने के लिए कोई भी परिवार तैयार नहीं होता था। परिणाम यह हुआ कि भारतीय विद्यार्थियों के शत्रु विद्यार्थियों की श्रेष्ठता अधिक कुशाग्र बुद्धि होने पर भी, सन् १८७० तक केवल एक ही भारतीय इण्डियन सिविल सर्विस में भर्ती हो सका।

भारतवासियों के इण्डियन सिविल सर्विस में भर्ती किये जाने के इसी प्रश्न को लेकर देश के नेताओं ने, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आन्दोलन किया। उनकी माँग थी कि भारतवासियों को बढ़ते हुए अनुभव से इस सर्विस में भर्ती किया जाय, उनके प्रवेश के लिए इंग्लैंड के अतिरिक्त भारत में भी प्रतियोगिता परीक्षा ली जाय, तथा भर्ती के पश्चात् उनको उच्च से उच्च सरकारी पद प्राप्त करने के योग्य समझा जाय। सन् १८८५ में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात् यह आन्दोलन और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। कांग्रेस के तत्वावधान में कई प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजे गये। इन सब आन्दोलनों का परिणाम यह हुआ कि अन्त में सन् १९१६ के माँटेन््यू चेम्सफोर्ड सुधारों के पश्चात् तक, ब्रिटिश सरकार ने भारत में इण्डियन सिविल सर्विस की भर्ती के लिए अलग परीक्षा का आयोजन नहीं किया, परन्तु फिर भी उसने एक बढ़ते हुए अनुभव से इण्डियन सिविल सर्विस में भारतवासियों की भर्ती के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया। १९१६ के पश्चात् आई० सी० एस० की परीक्षा भी भारत में होने लगी, यद्यपि इस परीक्षा के परिणामों के फलस्वरूप बहुत थोड़े से ही व्यक्ति इस सर्विस में भर्ती किये जाते थे।

ली कमीशन की नियुक्ति—सन् १९२२ में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन सर्विस के समस्त सदस्यों के विषय में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए, एक विशेष कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन के सनारवि लार्ड ली थे। कमीशन ने अनेकी सिफारिशों में

कहा कि इम्पीरियल सर्विसों अर्थात् आई० सी० एस०, आई० पी० एस० और आई० एम० एस० में भारतीयों का अनुपात कुछ वर्षों में, (१० से लगाकर २५ वर्षों में) धीरे-धीरे बढ़ाकर ५० प्रतिशत कर दिया जाय, दूसरी सरकारी नौकरियों के विषय में भी कमीशन ने अपने सुझाव रखे। उसने कहा कि भारत की समस्त नौकरियों को केंद्रीय तथा प्रांतीय भागों में बाँट दिया जाय। प्रत्येक विभाग की नौकरी के तीन भाग किये जायँ—(१) केंद्रीय या प्रांतीय इम्पीरियल सर्विस, (२) सर्वाडिनेट सर्विस और (३) लोअर सर्वाडिनेट सर्विस। इम्पीरियल सर्विसों अर्थात् आई० सी० एस०, आई० पी० एस० तथा आई० एम० एस० के विषय में कमीशन ने कहा कि इनकी भर्ती भारत मन्त्री के ही द्वारा की जानी चाहिये तथा इनके ऊपर केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहना चाहिये।

श्री कमीशन की सिफारिशों ने भारत में अत्यधिक राजनीतिक असंतोष उत्पन्न कर दिया। कारण, जनता तो समझती थी कि माटेम्प्यू चैम्बरलैंड सुधारों के पश्चात् ब्रिटिश सरकार उच्च सरकारी नौकरियों पर से भी अपना नियंत्रण हटा लेगी और इम्पीरियल सर्विस के सदस्य जनता के चुने हुए मन्त्रियों के अधीन रह कर काम कर सकेंगे। परन्तु ब्रिटिश सरकार जानती थी कि ब्रिटिश इम्पीरियल सर्विस के सदस्यों की राजभक्ति तथा सहयोग के कारण ही भारत में उसका शासन कायम है। इसलिए किसी मूल्य पर भी वह इन नौकरियों के ऊपर से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए प्रस्तुत नहीं थी।

सन् १९३५ के विधान में भी भारत मन्त्री ने इम्पीरियल सर्विस के ऊपर अपना ही अधिकार कायम रखा। कैसे आश्चर्य की बात थी कि जनता के प्रतिनिधि मन्त्रियों की कुर्सियों पर बैठें और शासन की नीति का सञ्चालन करें, परन्तु उनके नाचे कार्य करने वाले उच्च सरकारी कर्मचारी मन्त्रियों के प्रति नहीं बरन् एक विदेशी सरकार के प्रतिनिधि के प्रति उत्तरदायी हों। संसार के राजनीतिक इतिहास में इस प्रकार का प्रबन्ध अद्वितीय था। परन्तु ब्रिटिश सरकार भारतवासियों के हाथ में वास्तविक शासन सत्ता सौंपना नहीं चाहती थी। वह तो केवल अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत को अपने पक्ष में करने के लिए एक इस प्रकार का दृकोसला संसार के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती थी जिसमें बाहर से यह प्रतीत हो कि भारतवर्ष में सरकार की समस्त सत्ता वहाँ की जनता के हाथ में है परन्तु वास्तव में वह स्वयं उस देश का गायब विधाना हो।

अगस्त सन् १९४७ अर्थात् उस समय तक जब कि ब्रिटिश सरकार ने भारतवासियों के हाथ में समस्त शासन सत्ता को हस्तान्तरित नहीं कर दिया, हमारे देश में इम्पीरियल-सर्विसों के सम्बन्ध में यही व्यवस्था कायम रही। इस व्यवस्था में सबसे बड़ा दोष यह था कि इस इम्पीरियल सर्विस के सदस्य मन्त्रियों द्वारा निर्धारित शासन की नीति का उचित रूप से पालन नहीं करते थे और उनकी इस अवस्था के लिए मन्त्रीगण उनके

विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही भी नहीं कर सकते थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इसीलिए सर्वप्रथम भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि इम्पारियल सर्विसों के ऊपर उसका यही अनुशासन हो, जो उसे दूसरी सर्विसों के ऊपर प्राप्त है। बहुत से अंग्रेज, इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य, जो इस परिवर्तित यातावरण में कार्य करना नहीं चाहते थे, भारत सरकार ने उन्हें ब्रिटिश सरकार से एक समझौता करने, पेंशन तथा हानि पृति (Compensation) की रकम देकर विदा कर दिया। इस प्रकार सन् १९४७ में लगभग ५०० अंग्रेज इम्पारियल सर्विसों से पृथक् कर दिये गये। दूसरे सिविल सर्विस के सदस्यों से, भारत सरकार ने एक विशेष प्रबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करा लिये, जिसने अन्तर्गत उन्होंने यह स्वीकार किया कि यह भारत मन्त्री के स्थान पर भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी होगे और उसने अनुशासन के नीचे रह कर कार्य करेंगे।

इस प्रकार भारतीय शासन की सबसे दृष्टि प्रया, जिसने अन्तर्गत सरकार के कुछ नौकर भारतीय जनता का नमक खाकर भी एक दूसरी सरकार के प्रति उत्तरदायी थे, तथा उसी की भाँति जो भारत में कार्यान्वित करते थे, का अन्त कर दिया गया और देश के समस्त सरकारी चर्मचारियों का एक से ही नियमों के अधीन, भारत सरकार के अनुशासन में ले लिया गया।

१. असेनिक नौकरियों (Civil Services)

भारत सरकार के अधीन नौकरियों का संगठन

अखिल भारतीय नौकरियाँ—इंडियन सिविल सर्विस के स्थान पर अब भारत में एक दूसरी अखिल भारतीय सर्विस का संगठन किया गया है जिसका नाम 'इंडियन पेटमिनिस्ट्रिय सर्विस' है। इस सर्विस के सदस्य उसी प्रकार के पद प्राप्त करते हैं जैसे पहले इंडियन सिविल सर्विस के सदस्यों को मिलते थे। इंडियन पुलिस सर्विस का संगठन पहले जैसा ही रखा गया है। इन दोनों सर्विसों के सदस्य केन्द्रीय सरकार के अधीन 'यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन' द्वारा भरती किये जाते हैं, परन्तु वह प्रान्तों में रह कर उनकी सरकारी के अधीन काम करते हैं। इस प्रकार का आयोजन इस दृष्टि से किया गया है जिससे भारत में उस समय प्रचलित की दृष्टि से एकता बनी रहे और राज्यों में कार्य करने वाले बड़े-बड़े उच्च सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में रहें तथा उसकी आदेशों का पालन करें। एक तीसरी नई अखिल भारतीय सर्विस इंडियन फ़ीरेन सर्विस के नाम से संगठित की गई है जिसके सदस्य भारत के विदेशों में स्थित दूनवासियों में काम करते हैं।

उपरोक्त तीनों अखिल भारतीय सर्विसों के अधिरिक निम्न सर्विसों के सदस्य भी

केन्द्रीय सरकार द्वारा ही भरती किये जाते हैं तथा उन्हें भी देश के किसी भी भाग में कार्य करने के लिए बन्ध किया जा सकता है :—

- (1) Indian Audit and Accounts Service
- (2) The Military Accounts Service
- (3) The Indian Railway Accounts Service
- (4) The Indian Customs and Excise Service
- (5) The Income Tax Officers (Class I, Grade II) Service
- (6) The Transportation (Traffic) and Commercial Departments of the Superior Revenue Establishment of State Railways Services.
- (7) Indian Postal Service
- (8) Indian Forest Service
- (9) Survey of India
- (10) Central Engineering Service
- (11) I. R. S. E.
- (12) Telegraph Eng Service

इन सभी नौकरियों में भरती के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन यूनिवर्सल पब्लिक सर्विस कमिशन, एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करती है। इस परीक्षा के परिणामों के फलस्वरूप उल्लेखित सभी नौकरियों के लिए सदस्य छूटे जाते हैं तथा उन्हें देश के विभिन्न भागों में कार्य करने के लिए भेज दिया जाता है।

केन्द्रीय सरकार के अधीन दूसरी नौकरियाँ—उपरोक्त नौकरियों के अतिरिक्त सरकार के अधीन विभिन्न महकमों में काम करने के लिए चार प्रकार के सरकारी नौकर रखे जाते हैं। इन सरकारी नौकरों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के सरकारी नौकर (I, II, III, and IV Class Services) कहा जाता है। चतुर्थ श्रेणी के सरकारी नौकरों की सूची में चपरासी तथा फर्गस हत्यादि गिने जाते हैं। तृतीय श्रेणी में दफ्तरों में काम करने वाले क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टेनो, ऐसिस्टेंट तथा छोटे दर्जों के सरकारी अफसर आते हैं। इसके अतिरिक्त प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अफसर अत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर कार्य करते हैं तथा इनमें से अधिकतर को 'गजटेट अफसर' की उपाधि दी जाती है।

केन्द्रीय सरकार के अधीन मुख्य रूप से निम्न सर्विसों के लोग काम करते हैं :—

केन्द्रीय सेनेटेरियेट सर्विस, डाकखाने या खाताखात सम्बन्धी सर्विस, कस्टम्स सर्विस,

केन्द्रीय इक्साइज सर्विस, इनकम टैक्स सर्विस, अग्निज भारतीय रेडियो सर्विस, इण्डियन स्टेट्स सर्विस तथा रक्षा सम्बन्धी सर्विस ।

भारत के नये सविधान के चौदहवें भाग में केन्द्रीय व राज्य की सरकारों के कर्मचारियों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किये गये हैं । उदाहरणार्थ सविधान की ३१२वीं धारा में कहा गया है कि किसी कर्मचारी को तब तक उसके पद से अलग नहीं किया जायगा जब तक उसे उन कारणों से अग्रगत न कराया जाय जिनकी वजह से उसके निरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है । साथ ही उसे अग्रील का अधिकार दिया गया है । आगे चल कर सविधान में कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी से निचने किसी भी अधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायगा । इण्डियन सिविल सर्विस के उन सदस्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिनकी भर्ती स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले भारत मन्त्री द्वारा की जाती थी, सविधान में कहा गया है कि उनके वेतन, छुट्टी, क्षति पूर्ति तथा अनुशासन सम्बन्धी अधिकार पहले जैसे ही बने रहेंगे । भारत सरकार के समस्त कर्मचारियों को मत प्रदान करने के उभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे जैसे दूसरे नागरिकों को, परन्तु उन्हें किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होने दिया जायगा । ऐसी रोक प्रत्येक देश में ही लगाई जाती है किन्तु सरकारी नौकर राजनीति की दलदल में न पड़ें और जो भी राजनीतिक दल शासना-रूढ़ हो उसकी ही सेवा करते रहें ।

प्रान्तों (राज्यों) के अधीन नौकरियों का संगठन

इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तथा इण्डियन पुलिस सर्विस के अधिकारियों को छोड़ कर राज्यों में कार्य करने वाले और शेष सारे सरकारी कर्मचारी राज्यों की सरकारों द्वारा भर्ती किये जाते हैं, तथा वे उभी अनुशासन के अधीन रहकर कार्य करते हैं । १९३५ के विधान ने अधीन इण्डियन मैडिकल सर्विस के सदस्य भी भारत मन्त्री द्वारा नियुक्त किये जाते थे परन्तु नये विधान के अन्तर्गत यह सर्विस प्रान्तीय कर दी गई है अर्थात् इसके सदस्य अब राज्यों की सरकारों द्वारा ही भर्ती किये जाते हैं ।

राज्य की सर्विसों को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं—(१) प्रांतीय सर्विस, (२) सर्वाडिनेट सर्विस और (३) लोअर सर्वाडिनेट सर्विस । प्रान्तीय सर्विस में निम्न नौकरियों सम्मिलित हैं :—

(१) प्रान्तीय सिविल सर्विस—जिनके सदस्य कार्यभारिणी तथा न्याय सम्बन्धी महकमों में काम करते हैं ।

(२) प्रान्तीय पुलिस सर्विस—जिनके सदस्य डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस इत्यादि के पद पर कार्य करते हैं ।

(३) प्रांतीय शिक्षा सर्विस (Provincial Education Service)

- (४) प्रांतीय इंजीनियरिंग सर्विस (Provincial Engineering Service)
- (५) प्रांतीय स्वास्थ्य सर्विस (Provincial Health Service)
- (६) प्रांतीय चिकित्सा सहायी सर्विस (Provincial Medical Service)
- (७) प्रांतीय कृषि सर्विस (Provincial Agricultural Service)
- (८) प्रांतीय पशु चिकित्सा सर्विस (Provincial Veterinary Service)
- (९) प्रांतीय वन सर्विस (Provincial Forest Service)

इन सर्विसों के सदस्यों की नियुक्ति पब्लिक कमीशन की सिफारिशों के आधार पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस सर्विस के सदस्य, प्रान्तों में, प्रथम श्रेणी (Class I) के सरकारी नौकर कहे जाते हैं।

इस सर्विस के अधिकारियों के नीचे सर्गाडिनेट सर्विस के सदस्य काम करते हैं जिनमें हम तहसीलदार, नायब तहसीलदार, यानेदार, इन्स्पेक्टर पुलिस, इन्स्पेक्टर इन्स्पेक्टर, सब असिस्टेंट सर्जन, सरकारी महकमे के इन्स्पेक्टर, कृषि इन्स्पेक्टर इत्यादि के नाम ले सकते हैं।

सर्गाडिनेट सर्विस के सदस्यों के अधीन अनेक क्लर्क, स्टेनो अस्सिस्टेंट इत्यादि काम करते हैं। यह सदस्य लोअर सर्गाडिनेट सर्विस के सदस्य कहलाते हैं। इन सब की नियुक्ति भी पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। कुछ टेक्निकल पदों पर सरकार के विभिन्न विभाग भी स्वयं सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। परन्तु इनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति अनिवार्य होती है।

राज्यों के अन्तर्गत काम करने वाले सरकारी नौकरों को भी प्रायः उरी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं जैसे केंद्रीय सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी नौकरों को। अन्तर केवल इतना है कि राज्य की सरकारें केंद्र की अपेक्षा अपने कर्मचारियों को कम वेतन देती हैं। ऐसा होना स्वाभाविक ही है, कारण प्रान्तों में सर्व कुछ कम होता है और वहाँ जीवन की आवश्यक वस्तुएँ सस्ती तथा आसानी से मिल जाती हैं।

लोक सेवा आयोगों (Public Service Commissions) का संगठन

हमारे नये संविधान की एक विशेषता यह है कि राज्यों तथा सङ्घ सरकार के अन्तर्गत, सरकारी नौकरों की भर्ती के लिए ऐसे लोक सेवा आयोगों (Public Service Commissions) का संगठन किया गया है, जो कार्यकारी शक्ति से स्वतंत्र रह कर, प्रतियोगिता के आधार पर, सरकारी नौकरों की भर्ती का कार्य करते हैं। शासन प्रबन्ध की कुशलता तथा निष्पक्षता के विचार से इस प्रकार का प्रबन्ध प्रत्येक ही प्रगतिशील देश में पाया जाता है। यदि कार्यपालिका के हाथों में ही सरकारी नौकरों की भर्ती का काम सौंप दिया जाय तो इसके शासन में स्थितिगत आ जाती है, कारण

इस प्रकार के प्रबन्ध में केवल वही लोग सरकारी पद प्राप्त कर सकते हैं जो उच्च सरकारी अधिकारियों के समन्वयी अथवा मित्र हों। लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता तथा परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करते हैं, और यद्यपि इस प्रकार के प्रबन्ध में भी बहुत से अयोग्य तथा विचाररिही व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु फिर भी दूसरे हर प्रकार के आवेदनो से यह प्रबन्ध अच्छा है। लोक सेवा आयोगों के कार्य में अधिक दृढ़ता तथा निरर्धना लाने के लिए आवश्यक है कि उनसे सदस्य अथवा ईमानदार, योग्य तथा चरित्रवान हों। सरकारी नौकरों की भर्ती केवल मेंट (Selection by interview) के आधार पर न की जाए। परिदार्थियों की योग्यता की जाँच के लिए तरह-तरह के मनोवैज्ञानिक अनुभव (Psychological Experiments) काम में लाये जायें, तथा सरकार के लिए लोक सेवा आयोग की शिफारिशों के आधार पर सरकारी नौकरों की नियुक्ति करना अनिवार्य बना दिया जाय। हमारे देश में अभी तक लोक सेवा आयोग, केवल प्रतियोगिता के आधार पर, हर प्रकार के सरकारी नौकरों की भर्ती नहीं करते। कितने ही सरकारी कर्मचारियों केवल ५६ मिनट की कमीशन के समुप मेंट के पश्चात् उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त कर दिये जाते हैं। उनकी योग्यता की परीक्षा के लिए किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक उपाय काम में नहीं लाये जाते। आशा है, नव-सविधान के अन्तर्गत संगठित हमारे लोक सेवा आयोग इन दोषों को शीघ्र दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

नव-सविधान में, सर सरकार के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अलग तथा राज्यों में उनके सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अलग, लोक सेवा आयोगों का संगठन किया गया है।

सविधान की ३१५वीं धारा में कहा गया है कि भारत में संघ सरकार तथा राज्यों की सरकारों के लिए अलग लोक सेवा आयोग होंगे, परन्तु दो या दो से अधिक राज्यों के विधान मण्डल संघ सरकार से यह प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना दिया जाय। संघ लोक सेवा आयोग भी राज्यों की सरकारों के लिए, उनके राज्यपाल अथवा राजप्रमुख की प्रार्थना पर, उस राज्य की सब अधिकांश किन्हीं आश्चर्यकृतियों की पूर्ति के लिए कार्य करना स्वीकार कर सकेगा।

लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति—लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग है, तो राष्ट्र-पति द्वारा, और यदि वह राज्य आयोग है तो राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा, की जाती है। इन सदस्यों में आधे सदस्य ऐसे होते हैं जो कम से कम दस वर्ष तक केन्द्रीय अथवा प्रांतीय सरकारों के नीचे कार्य कर चुके हों।

कार्य-अवधि—आयोगों के सदस्यों की कार्य-अवधि दस वर्षों के लिए निर्दिष्ट की गई है,

परन्तु इससे पहले भी, कोई सदस्य यदि वह संघ आयोग का सदस्य है तो ६५ वर्ष की आयु होने पर, और यदि वह राज्य आयोग का सदस्य है तो ६० वर्ष की आयु होने पर, अपने पद से अलग किया जा सकेगा। एक बार से अधिक कोई भी व्यक्ति आयोगों की सदस्यता के लिए मनोनीत न हो सकेगा।

आयोगों के सदस्य पद से वेचल उस समय हटाये जा सकेंगे जब उनके विरुद्ध कदाचार का आरोप हो और उस आरोप की पूरी जाँच देश के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा कर ली जाय। इस प्रकार की जाँच के पश्चात् यदि राष्ट्रपति यह समझे कि कोई सदस्य वास्तव में कदाचार का दोषी है तो वह उसे उसके पद से हटा सकेंगे। राज्यपालों अथवा राजप्रमुखों को सदस्यों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा।

* सदस्य संरक्षण—आयोगों के सदस्यों की संख्या, यदि वह संघ आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा और यदि वह राज्य आयोग है तो राज्यपाल अथवा राजप्रमुख द्वारा, निश्चित की जाती है। सदस्यों के वेतन तथा नौकरी की दूसरी शर्तों का निश्चय भी यही करते हैं।

सदस्यता में बाधक शर्तें—आयोगों के सदस्यों तथा अध्यक्षों के सम्बन्ध में संविधान में कुछ कड़ी शर्तें रखी गई हैं। उदाहरणार्थ विधान में कहा गया है कि :—

(१) कोई भी सदस्य एक बार से अधिक उसी पद के लिए मनोनीत न किया जा सकेगा।

(२) संघ आयोग का अध्यक्ष अपनी पदानधि की समाप्ति पर उस संस्कार अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी प्रकार की नौकरी न कर सकेगा।

(३) अपनी अवधि की समाप्ति पर किसी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, संघ आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष, या किसी दूसरे राज्य के आयोग का अध्यक्ष हो सकेगा, परन्तु वह संघ अथवा उसके अंतर्गत राज्यों की सरकारों के अधीन और किसी प्रकार की नौकरी न कर सकेगा।

(४) इसी प्रकार संघ आयोग का कोई सदस्य उसी आयोग अथवा किसी राज्य के आयोग का अध्यक्ष बन सकेगा परन्तु वह और किसी प्रकार की नौकरी न कर सकेगा।

(५) राज्य आयोगों का कोई सदस्य, अपनी कार्य अवधि की समाप्ति पर संघ आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य, या किसी दूसरे राज्य के आयोग का अध्यक्ष बन सकेगा, परन्तु वह और किसी दूसरे प्रकार की नौकरी नहीं कर सकेगा।

इस प्रकार की शर्तें इसलिए निश्चित की गई हैं जिसे आयोगों के सदस्य अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके ऐसे व्यक्तियों को सरकारी पदों पर नियुक्त न कर दें जो उन्हें रियायत होने के पश्चात् सरकारी नौकरी का प्रलोभन दें।

आयोगों के अधिकार—आयोगों के अधिकारों के सम्बन्ध में संविधान में यह गना है कि प्रत्येक आयोग को अपने अधिकार क्षेत्र में, सभी प्रत्येक सरकारी नौकरियों के लिए व्यक्ति मर्ती करने का हक होगा। इस प्रकार की मर्ती के लिए वह पर्यवेक्षकों का आयोजन करेंगे। वह ऐसे नियम बनायेंगे जिनके अर्धन विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए व्यक्ति मर्ती किये जा सकें। सरकारी नौकरियों की तरफ़ी तथा एक विन्धन से दूसरे विन्धन में उनकी बदली के सम्बन्ध में भी नियम बनायेंगे। उन्हें सरकारी नौकरियों की प्रारंभ से, उनके निरुद्ध कार्यकारी किये जाने पर, अंगीकृत करने का भी अधिकार होगा। पेंशन, ऐसे मुद्दामों में उन्हें हट्ट रकम की माँग को किसी सरकारी कर्मचारी को किसी पद नियुक्त पर कार्य करने के कारण करनी पड़ी हो, अथवा कर्मचारी के समय शारीरिक अथवा मानसिक हानि होने पर पेंशन अथवा क्वैट्टिफ़ी माँग तथा इतने प्रकार के दूसरे प्रश्नों पर भी, जिनका सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्ध होगा, कर्मियों द्वारा विचार जिन जायगा। इन सब के अतिरिक्त संविधान में यह गना है कि यदि सत्त उचित समझे तो आयोगों को दूसरे प्रकार के अधिकार भी प्रदान कर सकेगी।

वार्षिक रिपोर्ट—सत्त तथा राज्यों के आयोगों को, प्रति वर्ष अपने कार्य की पूर्ण रिपोर्ट सत्त अथवा विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करनी होगी। इस रिपोर्ट में आयोग अपनी उन सिफ़ारिशों का भी वर्णन करेगा जिनको सत्त अथवा राज्यों की सरकारोंने स्वीकार नहीं किया हो। आयोगों की रिपोर्टों पर सत्त और राज्यों की विधान सभाओं को विचार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नये संविधान में, लोक सेवा आयोगों को बहुत विस्तृत अधिकार देकर, हमारे विधान निर्माताओं ने, सरकारी नौकरियों में मर्ती का एक ऐसा प्रायोजन किया है जो हर प्रकार से दोषरहित तथा टुष्टन संचित हो सके। अंगीकृत कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र से उच्च प्रकार स्वतन्त्र होने जैसे हमारी न्यायपालिका (Judiciary) है। उनके सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट की सिफ़ारिश के बिना परसुट नहीं जिन जा सकेगा। उनके वेतन तथा नौकरियों की दूसरी शर्तें राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल व राज्यसभ द्वारा स्वयं निर्दिष्ट की जायेंगी। सरकारी मुद्दमों के लिए आयोगों की सिफ़ारिशों पर कार्य करना प्रत्येक अनिवार्य होगा। जो मर्तकने इन सिफ़ारिशों पर अमल नहीं करेंगे उनकी रिपोर्ट सत्त के सम्मुख प्रस्तुत की जायगी।

किसी देश में मन्त्रिमण्डल के सदस्य चाहे जितने अधिक योग्य तथा बुद्धिमान हों, सरकार की अंतिम सफलता, उसके स्थानीय कर्मचारियों के चरित्र पर निर्भर करती है। इसलिए प्राया है कि हमारे लोक सेवा आयोग स्वतन्त्र भारत में ऐसे सरकारी कर्मचारियों

को चुनेंगे जो हमारे देश को गौरवान्वित कर सकें तथा जो भूटा, दम और रजामिमान त्याग कर जनता की सच्ची सेवा कर सकें ।

२. सैनिक नौकरियाँ (Defence Services)

असैनिक सरकारी कर्मचारी जहाँ किसी देश में कार्यकारीणी द्वारा निर्धारित नीति को कार्यान्वित करते हैं, वहाँ देश की सेना राष्ट्र की आन्तरिक उन्नतियों तथा बाह्य आक्रमणों से रक्षा करती है । शासन के अस्तित्व तथा राष्ट्र के गौरव के लिए सेना का संगठन उतना ही आवश्यक है जितना सरकार के विभिन्न विभागों का निर्माण ।

हमारे देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले सेना का संगठन भारत की रक्षा के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए किया जाता था । इसी कारण भारत की गुलामी के काल में सेना का सबसे अधिक उपयोग हमारे स्वतन्त्रता संग्राम को कुचलने के लिए किया गया । सेना पर व्यय, उसकी संख्या का निश्चय, उसमें ब्रिटिश सिपाहियों की भरती, उसका विदेशों में उपयोग—सब ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की दृष्टि से किया जाता था । यही कारण था कि हमारे देश के नेता अगस्त सन् १९४७ से पहले सदा इसी बात की माँग किया करते थे कि भारतीय सेना का व्यय कम किया जाय तथा उसमें भारतीयकरण (Indianisation) की नीति का अवलम्बन हो ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश के सैन्य संगठन में आमूल परिवर्तन किये गये । जिस सेना में कुछ ही वर्ष पहले प्रायः सारे ही उच्च अधिकारी अंग्रेज ही हुआ करते थे, तथा जिसमें लगभग एक लाख सिपाही अंग्रेज थे, आज उसी सेना का पूर्ण रूप से भारतीय तथा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है । कुछ थोड़े से उच्च सेना अधिकारियों को छोड़ कर, जिनमें से भी अधिकतर केवल वही लोग हैं जो विशेष प्रकार की टेक्निकल योग्यता रखते हैं, शेष सभी सेना अधिकारी भारतीय नियुक्त कर दिये गये हैं । अंग्रेज अधिकारियों को केवल कुछ वर्षों के ठेके पर ही नियुक्त किया गया है । भारतीय सेना की अंतिम अंग्रेज टुकड़ी २८ फरवरी १९५८ को हमारे देश से बिदा कर दी गई ।

अंग्रेजों के काल में प्रधान सेनापति (Commander in Chief) हमारे देश की सर्वोच्च कार्यकारीणी अर्थात् वायसराय की एकजीवयुक्ति कौंसिल के सब से प्रमुख सदस्य होते थे । उनका भारत के तीनों सेना अर्थात् बल, थल तथा वायु सेना पर पूर्ण आधिपत्य होता था । स्वतन्त्रता के पश्चात् सेनापति का पद रक्षामंत्री के अधीन कर दिया गया तथा देश की तीनों विभिन्न सेनाओं के लिए अलग-अलग सेनापति नियुक्त कर दिये गये । आजकल हमारी थल सेना के सेनापति श्री करिअप्पा हैं, बल सेना के सेनापति वाइस ऐडमिरल श्री पैडी हैं और वायुसेना के सेनापति श्री चैपमैन हैं ।

एक तीसरा प्राक्तिकारी परिवर्तन हमारे सैन्य के संगठन में यह किया गया है कि

ऑप्रेसो के काल में हमारी सेना की भर्ती भारत की उच्च विशिष्ट सैन्य जातियों में से की जाती थी। आजकल भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी प्रान्त, जाति, धर्म अथवा अनुदाय से सम्बन्ध रखता हो, अपनी सेना में भर्ती होकर उन से उच्च पद प्राप्त कर सकता है।

सेना का संगठन

आजकल भारत की सेना का सर्वोच्च अधिकारी जनता का अपना चुनाव हुआ प्रतिनिधि रक्षामन्त्रा होता है। वह कार्यकारी के सदस्य के रूप में देश की रक्षानैति का सन्धान करता है। रक्षा मंत्री की सहायता के लिए दो सरकारी दफ्तर होते हैं जिन्हें मिनिस्ट्रा आफ डिफेंस तथा आर्ट्स फर्थ हैट क्वार्टर के नाम से सम्बोधित किया जाता है। पूर्व के प्रत्येक विभाग का लैंगु ऊपर बताया जा चुका है, अपना एक अलग सेनापति होता है। देश की रक्षा सम्बन्धी पर अविनाश विचार करने के लिए, मन्त्रिमण्डल की विशेष समिति होती है जिसे (Defence Committee of the Cabinet) कहा जाता है। इस सदस्य कमेटी के प्रधान मंत्री, उपप्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री तथा रेल मंत्री होते हैं। तीनों सेनाओं के सेनापति भी इस कमेटी की बैठकों में भाग ले सकते हैं। यह कमेटी सेना सम्बन्धी देश की उन्नत सम्बन्धों पर प्रान्तम विचार करती है।

रक्षा सचिवालय (Defence Ministry) सेना की नीति सम्बन्धी सन्देशों पर विचार करती है। नीति का सन्धान (Army Head Quarters) द्वारा किया जाता है। इस सचिवालय के निम्न भाग होते हैं :

1. General Staff Branch
2. Adjutant General's Branch
3. Quarter Master General's Branch
4. Master General of Ordnance Branch
5. Engineer in Chief's Branch
6. Military Secretary's Branch

यह विभिन्न विभाग पैसा उनके नामों से स्पष्ट है, प्रमथः सैन्य नीति, सैन्य भर्ती, सेना के सामान की प्राप्ति, हथियारों इत्यादि की सज्जाई, सेना के लिए आवश्यक इमारतों तथा सड़कों इत्यादि के निर्माण एवं रखरखाव की रक्षा की व्यवस्था करते हैं।

आजकल हमारे देश की सेना पर लगभग १६० करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय होता है। हमारी सेना की सैन्य संख्या लगभग ५ लाख है। सेना की तीनों शाखाओं के अधिकारियों के शिक्षण के लिए देहरादून तथा पूना में Military Academy हैं। स्थायी सेना के प्रतिरिक्त हमारे देश में 'एथ्रीय केडेट फ़ोर' तथा 'प्रोवेसिड सेना'

(टैरीटोरियल फ़ोर्स) का संगठन किया गया है। राष्ट्रीय क्वेट कोर में केवल स्कूल व कालेज के छात्र सैनिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रादेशिक सेना दूसरे नागरिकों को सैनिक शिक्षण देने के लिए है। इन दोनों सेनाओं के लोग सैन्य शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् अपने अपने काम में लग जाते हैं और फिर केवल राष्ट्रीय क्वेट के समय में ही सेना में मर्ती होकर देश की रक्षा का कार्य करते हैं।

स्थायी सेना का वितरण हमारे देश के तीन भागों (Commands) में किया गया है। इन भागों को पश्चिमी भाग (Western Command), पूर्वी-भाग (Eastern Command), और दक्षिणी भाग (Southern Command) कहा जाता है। प्रत्येक भाग की एक जनरल के अधीन रह कर कार्य करता है।

अङ्गरेजों के काल में हमारी जल तथा वायु सेना के संगठन पर अधिक जोर नहीं दिया गया, कारण अङ्गरेज हमारी सेना को ब्रिटिश साम्राज्य की सेना का ही एक भाग समझते थे। इंग्लैंड की सरकार स्वयं अपनी जल तथा वायु सेना को शक्तिशाली बनाने पर अधिक जोर देती थी और अपने अधीन देशों में जल सेना के संगठन को अधिक महत्त्व प्रदान करती थी। इस प्रकार वह सारे साम्राज्य की रक्षा के लिए एक संयुक्त नीति (Integrated Policy) से काम लेती थी। भारत-विभाजन से हमारी सेना की इन दोनों शाखाओं की शक्ति और भी कम हो गई।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इसलिए हमारी सरकार ने जल तथा वायु सेना के संगठन पर अधिक जोर दिया। जल सेना की विभिन्न शाखाओं को ट्रेनिंग के लिए उसने विजगापट्टम, कोचीन, सोनवाला, जामनगर तथा मैसूर में स्कूल खोले। उसने हमारी जल सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए इंग्लैंड व अमेरिका से बहुत से विध्वंसक जहाज (Destroyers) तथा युद्ध जहाज (Battle ships) खरीदे। इसी प्रकार वायु सेना को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उसने बहुत से युद्ध विमान, उड़ान नौका, रक्षक विमान इत्यादि खरीदे तथा हवाई सेना की बहुत सी नई टुकड़ियाँ संगठित कीं। परन्तु अभी तक दूसरे देशों की अपेक्षा हमारी सैन्य शक्ति बहुत कम है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि भारत सरकार एक बहुत बड़ी सेना रखने में विश्वास नहीं करती। हमारी सरकार साम्राज्यवादी नीति का अवलम्बन करना नहीं चाहती। यह दूसरे देशों की स्वतन्त्रता हड़प कर अपने साम्राज्य का विस्तार देखना नहीं चाहती। यह केवल इतनी सेना रखना चाहती है जिससे वह आंतरिक विद्रोहों को दबा सके तथा दूसरे देशों के सामान्य आक्रमण से अपनी रक्षा कर सके। आन्तक परमाणु तथा हाइड्रोजन बम के युग में कोई देश, चाहे उसकी सैन्यशक्ति कितनी बड़ी-चढ़ी क्यों न हो, अकेला रह कर अपनी रक्षा नहीं कर सकता। यदि हमारे देश की सरकार, आज अरबों अरबों रुपया प्रतिवर्ष खर्च करके भी यह चाहे कि वह रूस अथवा

अमरीका की सैन्यशक्ति का मुकाबला कर सके तो यह एक अछंभय घात है। अरनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हमें राष्ट्र-संघ की शक्ति पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। आज हमारा देश एक भीषण आर्थिक सङ्कट में से गुजर रहा है। ऐसे समय में १६० करोड़ रुपये प्रतवर्ष भी सेना पर व्यय करना जनता की आशाओं पर पानी फेरना है। भारत की कोटि-कोटि जनता आज अपनी भूल, बेकारी तथा आश्रयहीनता की समस्या का हल चाहती है। सेना पर रुपये बरबाद करने की अपेक्षा वह सरकार से आशा करती है कि वह उसके लिए नये नये उद्योग-पथे चलायेगी, मकानों का प्रबन्ध करेगी, बेकारी को दूर करने के लिए योजनाएँ बनायेगी तथा बढ़ती हुई वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए रचनात्मक कार्य करेगी। हमारे देश के नेता इसलिए अब प्रयत्नशील हैं कि सेना पर व्यय कम किया जाय। यदि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार हो सके और दोनों देश अग्ने भगदड़े का निपटारा शांतिपूर्वक उपायों से कर सके तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा सेना पर व्यय कम हो जायगा और हमारी सरकार जनता के आर्थिक सङ्कट को दूर करने के लिए बहुत-बहुत रचनात्मक कार्य कर सकेगी।

योग्यता प्रश्न

१. प्रजातन्त्र शासन में लोकप्रिय मन्त्री तथा स्थायी सरकारी नौकरों के बीच किस प्रकार सामञ्जस्य स्थापित किया जाता है ? स्थायी नौकरों की प्रथा का क्या महत्त्व है ?
२. नौकरशाही शासन के क्या दोष थे ? प्रजातन्त्र शासन में उन दोषों को कैसे दूर किया जाता है ?
३. सङ्घीय लोक सेवा आयोगों के विधान का वर्णन कीजिये। कौन से विषय ऐसे हैं जिनके लिए लोक सेवा आयोग की सम्मति लेना सङ्घ सरकार के लिए अनिवार्य है ? (यू० पी०, १९५१)
४. राज्या व लोक-सेवा आयोगों का किस प्रकार सङ्गठन किया जाता है ? उनके अधिकार तथा कर्तव्य क्या हैं ?
५. केंद्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के अन्तर्गत मिला-मिला सरकारी नौकरियों का सङ्गठन समझाइये।
६. अग्ने देश के सैनिक सङ्गठन के विषय में तुम क्या जानते हो ?
७. अखिल भारतीय सर्विस के सम्बन्ध में नोट लिखो। (यू० पी०, १९५२)

नव संविधान पर एक आलोचनात्मक दृष्टि

इस पुस्तक के पिछले अध्यायों में हमने अपने नव संविधान की रूप-रेखा पर एक विहगम दृष्टि डाली है। इस संविधान में कौन सी विशेषताएँ हैं, तथा क्या-क्या गुण हैं, जिनके कारण हम कह सकते हैं कि हमारा विधान संसार के सर्वोत्तम विधानों में से एक है, इसका वर्णन हम इसी पुस्तक के द्वितीय अध्याय में विस्तारपूर्वक कर चुके हैं। अभी तक हमारे इस संविधान पर कार्य आरम्भ ही हुआ है। राज्यों की विधान सभाओं तथा केन्द्रीय विधान मण्डल के चुनाव अभी हाल ही में हो चुके हैं। इसलिए जिस समय तक इस संविधान पर कुछ वर्षों तक कार्य नहीं होता, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि हमारे इस 'ऐतिहासिक पत्र' में क्या-क्या दोष हैं अथवा वह प्रत्येक दृष्टि से सर्वगुण सम्पन्न है अथवा नहीं। डाक्टर अम्बेदकर ने संविधान सभा के अन्तिम अधिवेशन में ठीक ही कहा था—“किसी विधान की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं होती कि उसका निर्णय किन आदर्शों पर किया गया है, अथवा उसकी भाषा पूर्ण-रूपेण प्रजासत्तात्मक है अथवा नहीं, वरन् इस बात पर निर्भर करती है कि उस पर किस भावना से कार्य किया जाता है। विधान के सैद्धान्तिक गुण कितने ही अच्छे हों, परंतु यदि वह लोग जो उसे कार्यान्वित करने के लिए आगे आते हैं, ईमानदार नहीं, तो अच्छे से अच्छा विधान भी बुरा होता जाता है। इसके विपरीत संविधान चाहे जितना बुरा हो, यदि उस पर कार्य करने वाले लोग अच्छे हैं तो विधान अच्छा बन जाता है। विधान की सफलता का अन्तिम उत्तरदायित्व जनता तथा राजनीतिक दलों पर है। यदि उन दोनों शक्तियों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सवैधानिक उपायों को काम में लाया और क्रान्तिकारी उपाय न अपनाये तो निःसन्देह हमारा नव संविधान सफल रहेगा।”

नव संविधान के विरुद्ध आलोचनाएँ

हमारे नव संविधान के सिद्धान्तों तथा उसकी प्राकृति के विरुद्ध आलोचकों की भी कमी नहीं है। हमारे देश के अनेक लेखकों, राजनीतिक विद्वानों, विशेषकर समाजवादी तथा साम्यवादी नेताओं ने इस संविधान की दिल खोल कर आलोचना की है। नीचे हम इन आलोचनाओं का सार देते हैं। इन्हें देखने से पता चलेगा कि अधिकांश आलोचनाएँ वैयक्तिक प्रतिक्रिया द्वारा अनुप्रेरित हैं। वास्तविकता की दृष्टि से उनमें अधिक सार नहीं है और अधिकतर दलील एक दूसरे को काट देती हैं। उदाहरणार्थ

वहाँ एक ओर आलोचक यह कहते हैं कि हमारा नया विधान समुचित रूप में प्रस्तुतवादी नहीं है, वहाँ दूसरी ओर यह बुद्ध मताधिकार की योजना रखी है और करते हैं कि अधिकृत तथा जाहिल जनता व हाथ में राश देने का अधिकार देने से हमारे राष्ट्र की नींव मुट्ठ नहीं हो सकती। इसी प्रकार वहाँ एक ओर आलोचक भारत में एक शक्तिशाली कानून सारकार की स्थापना देना चाहते हैं वहाँ दूसरी ओर यह राज्य की सरकारों के हाथ से अधिकार छीने जाने पर आँसू बहते हैं। नीचे इन अपने सविधान के विरुद्ध भी गई विभिन्न आलोचनाओं का निरूपण करेंगे और यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि उनमें कहीं तर्क सार है :-

(?) भारत का पहले विधुत एव जटिल विधान—सर्व प्रथम हमारे नव सविधान व विषय में यह कहा जाता है कि यह निम्न अत्यन्त जटिल, विधुत तथा कानूनीयन के दण्ड से भरा हुआ है। यह विधान सभार के विधानों में सबसे अधिक लंबा है तथा इस बनाने में जितना समय लगा एव इस पर जितना खर्च व्यय किया गया वह अद्वितीय है। हमारे सविधान में ३६५ धाराएँ तथा ८ परिशिष्ट हैं। इसके विपरीत अमेरिका के सविधान में केवल ७, आस्ट्रेलिया के सविधान में १२८, कनाडा के सविधान में १४७, तथा दक्षिणी अफ्रीका के सविधान में १५३ धाराएँ हैं। हमारे विधान का पस करने में देश का सविधान सभा को २ वर्ष ११ मास तथा १७ दिन का समय लगा तथा इस पर ६४ लाख खर्च व्यय किया गया। इसके विपरीत अमेरिका की सविधान सभा ने केवल ४ मास, दक्षिण अफ्रीका की सभा ने २ वर्ष, तथा कनाडा की सभा ने २ वर्ष ५ मास में अपने विधान तैयार कर लिये थे।

आलोचना का उत्तर—इन आलोचनाओं को दोहरते समय हमारे राजनीति यह भूल जाते हैं कि भारतवर्ष की ऐसी निकट समझाएँ तथा यह माँग पर परिशिष्टों विनका विधान परिषद् को सम्मता करना पड़ा, सभार के किसी दूसरे देश के सम्मुख न था। भारत की लगभग ६०० देशी वियास्यों का एकीकरण एव विलीनीकरण जिनसे हमारे विदेशी शासक विद्रोह लते समय पूर्ण रूप से रगत कर गये थे, उस साम्राज्यिक समझ का निवारण जिसका हल अमेरिका द्वारा बनाई गई दो गोल मेज समझौते न निकाल सकी, नरे प्राचीन का निर्माण, राष्ट्र मान का प्रश्न, भारत की प्राचीन सभार्यों का नई सभार्यों के साथ योग, बुद्ध मताधिकार का प्रश्न, तथा जनता के उन अधिक अधिकारों का निर्माण इनके बिना भारत की अस्त तथा शोषित जनता के लिए सभार्यों का कोई मूल्य न था—और इन सभी समझौतों पर उस समय विचार, जब सभार्य देश केन्दरे तथा ६० लाख शरणार्थियों के पुनर्वास के घोर संकट का सामना कर रहा था—कोई आशय काम न था। तीन वर्ष तो बहुत कम हैं। भारत की प्रत्येक उल्लिखित समझौता, हमारी सभार्यों की परतन्त्रता और गुलामी के वातावरण में इतना जटिल रूप

धारण कर चुकी थी कि यदि उसका निवारण और अधिक समय भी लेता तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। यदि जल्दी में हमारी विधान परिषद् ने अपने पहले वर्ष में सविधान बनाने का कार्य समाप्त कर दिया होता तो हमारी देशी रियासतों का क्या रूप होता, हैदराबाद और काश्मीर की समस्याओं का क्या हल निकलता, अल्पसंख्यक जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों की क्या व्यवस्था रहती—यह कुछ प्रश्न हैं जिन पर हम ठंडे हृदय से विचार करना चाहिये। किसी देश का सविधान एक अत्यन्त पवित्र तथा पारम्य ग्रन्थ होता है। वह प्रतिदिन नहीं बदला जा सकता, उसके स्वरूप पर किसी देश की जनता का मर्मिष्ठ निर्भर होता है। इसलिए ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ को जिनता भी सावधि विचार कर बनाया जाय उतना ही कम है। रही आकार की बात तो इससे भय खाने की आवश्यकता नहीं। एक अच्छे सविधान का सबसे बड़ा गुण स्पष्टता है, और भारत की समस्याओं को देखते हुए एक छोटे सविधान में सब समस्याओं का निरूपण न हो सकता था।

(२) अभारतीय विधान—हमारे नव सविधान के विषय में दूसरी बात यह कही जाती है कि यह विधान अभारतीय है। उसकी आत्मा व आधार विदेशी है। वह भारत की प्राचीन सभ्यता का पुष्प और फल नहीं है। उसमें अधिकतर १९३५ के विधान की नकल की गई है। शेष विधान में इंग्लैण्ड, अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा आयरलैंड से विधानों के प्रेरणा ली गई है। इस विधान में कोई नई बात नहीं है, उसमें कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया है।

उत्तर—इस आलोचना के उत्तर में हम केवल यही कह सकते हैं कि जो लोग हमारे सविधान को अभारतीय कह कर उसकी उपेक्षा करते हैं वह यह नहीं बताते कि हमारे नव सविधान का कौन सा भाग भारतीय सभ्यता पर कुटाराघात करता है, तथा वह किस प्रकार का सविधान भारतीय सभ्यता के अनुरूप समझते हैं? क्या प्राचीन भारत में जनतन्त्रात्मक शासन प्रणाली नहीं थी? क्या हमारे पहले राजा जनता द्वारा नहीं चुने जाते थे? क्या वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सलाह से काम नहीं करते थे? क्या प्राचीन भारत में प्रतिनिधि संस्थाएँ—जनपद तथा लोक समाएँ—नहीं थीं? क्या प्राचीन भारत में राज्यों का कोई विधान नहीं होता था? क्या चौथों व पाँचों काल में भिक्षु संघ का वही स्वरूप नहीं था जो आज हमारी 'संसद' का है। जिन लोगों ने डाक्टर जायसवाल, वानुदेव शरण अग्रवाल तथा भण्डारकर द्वारा लिखित उन पुस्तकों को पढ़ा है जिनमें हमारे प्राचीन हिंदू राजा की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, उन्हें भारतीय सविधान में वर्णित हमारी आधुनिक शासन प्रणाली अभारतीय प्रतीत नहीं होगी। गणतन्त्रात्मक प्रणाली भारत के लिए नवीन नहीं है। वेदा, ब्राह्मण ग्रन्थों,

(600 B.C. to 400 A. D.) तक रही। सभार के शायद ही किसी दूसरे देश में इतने लंबे काल तक गण राज्य प्रणाली की प्रथा विद्यमान रही हो।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे नव सविधान क विषय म यह कहना कि यह अमरतीय है, पूर्णतया असत्य है। ऐसा केवल वही लोग कहते हैं जि होने भारत के प्राचीन इतिहास का पठन पाठन एवं गूढ़ अध्ययन नहीं किया है। यह सच है कि हमारे विधान निर्माताओं ने दूसरे देश के सविधानों से भी उनकी अच्छी बातें महण करने का प्रयत्न किया है और अपनी प्राचीन संस्थाओं को आधुनिक स्वरूप दे दिया है, परंतु ऐसा करने म सुझाई क्या है? क्या हम चाहते हैं कि हमारा देश सभार से अलग अपनी एक अलग दुनिया बनाये, हम पर दूसरी संस्कृतियों का प्रभाव न पड़े, हम दूसरे देश से उनकी अच्छी बातें महण न करें, उनसे सम्बन्ध न बढ़ायें? यदि हमारी ऐसी ही मनोवृत्ति रही, तो हम सभार में कभी आगे न बढ़ सकेंगे।

रही नये सिद्धांतों के प्रतिपादन की बात तो जैसा डाक्टर अम्बेदकर ने कहा था, "विश्वले २०० वर्षों में सभार में इतने सविधान बनाये गये हैं तथा हर दृष्टिकोण से उनके प्रत्येक पहलू पर इतना विचार किया गया है कि सविधानों के विषय में किसी नये सिद्धांत का प्रतिपादन करना अथवा कोई नये प्रकार का ऐसा सविधान बनाना जिसके विषय म कभी पहले नहीं मुना गया हो, न सम्भव ही है न आवश्यक ही।" यहाँ हम यह कह देना भी चाहते हैं कि एक ओर तो हमारे कुछ आलोचक यह कहते हैं कि भारत के सविधान में कोई नई बात नहीं है और उसमें दास वृत्ति से केवल यूरोप व अमरीका के देशों के सविधानों की नकल की गई है और दूसरी ओर वह यह भी कहते हैं कि हमारा नया सविधान सभार में अनूठा है और जिस प्रकार का भारतीय सङ्घ उसके अंतर्गत बनाने का प्रयत्न किया गया है, वैसा सङ्घ किसी दूसरे देश में देखने का नहीं मिलता। इस प्रकार की विरोधात्मक दलीलें एक दूसरे का खंडन कर देती हैं और वह केवल यही सिद्ध करती हैं कि हमारा नया सविधान इस दृष्टि से बनाया गया है कि उसमें भारत की विशेष परिस्थिति के अनुसार सफलतापूर्वक कार्य करने की क्षमता हो और उसमें हमारी प्राचीन परंपरा एवं दूसरे देशों के सविधानों के सभी अच्छे गुण विद्यमान हो।

(३) अगाधीनादी विधान—हमारे नव सविधान के विरुद्ध तीसरी दलील यह दी जाती है कि उसमें गांधीजी के आदर्शों को पालन करने का कोई भी ध्यान नहीं रक्ता गया है।

उत्तर— इस आरोप का उत्तर देने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिये कि कोई भी विधान राजनीतिक विचारधारा की मीमांसा नहीं करता। वह केवल शासन व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को प्रकट करता है, यद्यपि उसकी व्यवस्था से यह प्रकट हो जाता है

कि उसमें जिस विचार धारा से काम लिया गया है। हमारे सविधान के गूढ अध्ययन से स्पष्ट हो जायगा कि उसमें गांधीय दर्शन एवं कार्यक्रम का रंग-रूप आसानी से देखा जा सकता है।

गांधी जी के आदर्श क्या थे ? रचनात्मक कार्यक्रम, अद्वैत प्रथा का श्रान्त, खादी एवं ब्रामोचोगा की प्रगत, हिन्दू मुसलिम एकता, सर्वजन-कल्याण, मद्यनिषेध, राष्ट्र भया का प्रचार तथा निर्य शान्ति। सविधान के विभिन्न भागों विशेषकर उसके नियामक सिद्धान्तों का अध्ययन करने से पता चलेगा कि उसमें राष्ट्रनिता के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का समुचित प्रयत्न किया गया है।

जनता द्वारा रचनात्मक कार्य किये जाने के लिए कोई विधान वाध्य नहीं कर सकता, यह तो एक व्यक्तिगत भावना का विषय है। जहाँ तक अद्वैत प्रथा के श्रान्त करने का प्रश्न है, यह हम देख ही चुके हैं कि नव सविधान में उसे एक भोदण अंगण घोषित कर दिया गया। खादी व ब्रामोचोगा की यात राज्य के नियामक सिद्धान्तों के अन्तर्गत आ गई है, क्योंकि ४३ से ५२ धाराओं में स्पष्ट कह दिया गया है कि राज्य व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर प्राथ्य क्षेत्रों में ब्रामोचोगा की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करेगा। इसी प्रकार समुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था द्वारा हिन्दू-मुसलमान एकता का महत्त्व स्वीकार किया गया है। सर्वजन-कल्याण के लिए हमारे सविधान में धर्म, जाति, निग व स्थिति का विचार न रखते हुए सब स्त्री पुरुषों को बराबर के मूल अधिकार प्रदान किये गये हैं। नियामक सिद्धान्त सम्बन्धी १२वीं धारा में कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करेगा एवं आर्थिक व्यवस्था का सञ्चालन इस विधि से करेगा कि राष्ट्रीय सम्पत्ति एवं साधनों का वितरण जनसाधारण के हित में हो। इसी प्रकार सविधान की विभिन्न धाराओं में बेकारी, सुदापे, बीमारी आदि की दशा में सरकारी सहायता का अधिकार, बालको की नि.शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी आधिकार, मद्य एवं मादक वस्तुओं के निषेध, मोरक्षा, एक राष्ट्रनाम एवं निर्य शान्ति की पुष्टि के लिए न्याय तथा सम्मानपूर्ण सम्बन्धों की अक्षुण्णता बनाये रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यह सभी सिद्धान्त गांधी जी का अत्यन्त प्रिय थे और इनकी स्पष्ट भलक हमारे सविधान में देखने को मिलती है।

(१) मौलिक अधिकारों पर कठाराघात करने वाला विघाल—वस्तु से नेताओं का कहना है कि भारतीय सविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन एक दृष्टीवला है। उन्हें दो एक हाथ से दिया गया है वही दूसरे हाथ से छीन लिया गया है।

उत्तर— इन आलोचकों का आशय मौलिक अधिकारों में वर्णित उन शर्तों से है

जिनके द्वारा कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में नागरिकों के कई अधिकार छीने भी जा सकते हैं। परन्तु यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि संसार के किसी भी देश में नागरिकों को पूर्ण रूप से मनुष्य के काम करने की स्वतन्त्रता नहीं दी जाती। अमेरिका में भी वहाँ विधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे फैसले दिये गये हैं जिनके अन्तर्गत नागरिक अधिकारों की व्याख्या उसी प्रकार की गई है जैसी भारतीय सविधान में।

यह सच है कि अमेरिका के सविधान में नागरिकों के जिन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है उन पर किसी प्रकार की वैधानिक रोक नहीं लगाई गई है, परन्तु वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक दूसरा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है जिसे ऑग्रेजी में (डाक्ट्रिन आफ दी पुलिस पावर आफ दी स्टेट) अर्थात् "राज्य की पुलिस शक्ति का सिद्धान्त" कहते हैं। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत अमेरीका के उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नागरिकों को अनियन्त्रित अधिकार नहीं दिये जा सकते। राज्य की रक्षा व जनता के हित में सरकार को अधिकार है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सके।

मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में, अमेरीका व भारत के सविधानों में केवल इतना अन्तर है कि एक देश में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह इस बात का निश्चय करे कि नागरिकों के अधिकारों पर जिन दशाओं में रोक लगाना उचित है और दूसरे देश में विधान द्वारा ही इस बात का निश्चय कर दिया गया है कि उन अधिकारों पर क्या-क्या रोक लगाई जाय। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरीका के सविधान में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति अधिक विस्तृत रखी गई है और उसे इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह कांग्रेस द्वारा बनाये गये किसी अख्यौतिक कानून को रद्द कर सके। भारत में इसके विपरीत 'विधान मण्डल' की शक्ति को सर्वोपरि रखा गया है और जब तक वह सविधान के अन्दर रह कर कार्य करती है, देश का उच्चतम न्यायालय उन कानूनों को रद्द नहीं कर सकता।

निम्नलिखित दिनों मौलिक अधिकार सम्बन्धी श्री गोपालन के एक मुकदमे में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था कि संसद को सविधान के अन्तर्गत ऐसे कानून बनाने का अधिकार है जिनसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सके। इसी दृष्टि से उसने भारत सरकार के सन् १९४६ के बिना मुकदमे नजरबन्दी कानून को वैध घोषित किया। इस कानून की केवल वही धारा अवैध घोषित की गई जिसे द्वारा न्यायालयों को इस बात का अधिकार नहीं दिया गया था कि वह उन कारणों की छानबीन कर सके जिनके कारण किसी व्यक्ति को नजरबन्दी करना आवश्यक समझा गया।

अन्तिम दशा में, हमें यह मलीनता समझ लेना चाहिये कि किसी देश में भी

नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, न्यायानय व संविधान द्वारा नहीं, बल्कि केवल एक संघेय, जगत् व शिक्षित लाक्षणिक द्वारा ही जा सकती है। यदि लोकमत संघेय न हुआ तो संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह भी बदला जा सकता है और इस प्रकार फ कानून बनाये जा सकते हैं जिनसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का कोई अर्थ ही शेष न रह जाय। और यदि किसी देश में जनता जागरूक है तो संविधान चाहे जितना निरुत्साह, सरकार का इतना साहस नहीं हो सकता कि यह नागरिकों के अधिकारों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ कर सके। अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इसलिए हम चाहते हैं कि विधान में कुछ निश्चित के स्थान पर हम जनता में जागृते उत्पन्न करें और लोकमत का संघेय व सुदृढ़ बनायें। हम इस दशा में सन्तोषजनक प्रगति कर रहे हैं। यह इस बात का शान दायक है कि मई सन् १९५१ में जब संविधान में प्रथम संशोधन किया गया तो भारतीय जनता ने इस बात का प्रयत्न किया कि संशोधन उसके अधिकारों को छीनने वाले न हो।

(५) राज्यों की सत्ता व जनक अधिकारों का हराने वाला विधान—हमारे नव संविधान के विरुद्ध पॉपुलर आरंभ यह लगाया जाता है कि उसके अन्तर्गत राज्यों की सरकारों के अधिकारों का छीनकर, उनकी स्थिति प्रायः बेसी ही फर दी गई है जैसी स्थानीय संस्थाओं (म्युनिसिपल इन्स्टीट्यूशन्स) की। आलोचकों का कहना है कि संघीय विधान के अन्तर्गत सङ्घ में सम्मिलित होने वाली इकाइयों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये। सङ्घ को इस बात का अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह राज्यों के आन्तरिक शासन प्रणय में हस्तक्षेप कर सके। संघीय विधान केवल इस दृष्टि से बनाया जाता है कि उसके अन्तर्गत कुछ ऐसे विषयों का प्रणय केन्द्रीय सरकार को सौंपा जाय जिनमें उस सङ्घ में सम्मिलित होने वाली सभी इकाइयों समान रूप से रचि रहती हों, और शासन के शेष सभी विषय राज्यों की सरकारों के पास सुचित रहें। भारतीय विधान में सङ्घ शासन व इन नव सिद्धान्तों का ध्यान न रख कर, एक इस प्रकार की सरकार का संगठन किया गया है जो केवल नाम से संघीय है, अन्यथा उसमें सभी लक्षण एकात्मक सरकार जैसे हैं।

उत्तर—इस आरोप के उत्तर में हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे विधान निर्माताओं ने इस बात की परवाह न करते हुए कि हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से संघीय विधानों के लक्षणों को अनुकूल करता है अथवा नहीं, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे देश के लिए एक ऐसे विधान की रचना हो जा भारत की विशेष परिस्थितियों के अनुकूल हो एव जिसमें हमारे देश में व्याप्त प्रांतीयता एवं पृथक्करण की माननाओं का अन्त करने की क्षमता हो। हमारे देश का प्राचीन इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि भारत की स्वाधीनता को केवल उस समय प्राप्त उन्नत हुआ है जब

हमारे देश में केंद्रीय सत्ता की शक्ति कम हो गई है। इसलिए हमारे नये विधान में इस बात का विचार रखा गया है कि जहाँ राज्या की सरकारों को अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र रह कर कार्य करने की आशा हो, वहाँ वह कोई ऐसा काम न कर सकें जिससे जनता का अहित हो।

अनुचित केन्द्रीयकरण के आरोप का उत्तर देते हुए डाक्टर अम्बेदकर ने संविधान सभा में कहा था, "सभी विधानों को सबसे बड़ी पहचान यह है कि उनके अधीन वह सरकार तथा उनकी इकाइयों के बीच अधिकारों का विभाजन होना चाहिये।" हमारे विधान में यह विभाजन पूर्ण रूप से विद्यमान है। इस अधिकार विभाजन के अधीन वह सब राज्यों की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतन्त्र होंगी। रही विशेष परिस्थितियों की बात, तो ऐसे समय में सारे देश का ही हित वह सरकार द्वारा काम किये जाने में होगा, हमें यह भी नहीं भूजना चाहिये कि सब सरकार सदा सबूद के प्रति उत्तरदायी होंगी। और लोक सभा तथा राज्य परिषद् में केवल वही सदस्य भाग ले सकेंगे जो राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। ऐसे सदस्य कभी अपने राज्य के हित के विरुद्ध काम नहीं करेंगे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आलोचकों के इस आरोप में अधिक बल नहीं है। आज हमारे देश में एक बड़े शासन की आवश्यकता है जो सारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बाँध कर हमारी नव प्राप्त स्वतन्त्रता का इन्द्र के बत्त के समान सुदृढ़ बना सके।

(६) फ़ासिस्टवादी विधान—उपरोक्त आरोप से भिन्नता उनका एक दूसरा आरोप हमारे विधान के विरुद्ध यह लगाया जाता है कि उसके अधीन समस्त राज्य सत्ता केन्द्र में ही एकत्रित कर दी गई है, और भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार उसका आधार ग्राम पंचायतों नहीं रखनी गई है। इसी कारण कुछ आलोचकों का कहना है कि हमारा नया विधान हमें फ़ासिस्टवाद की ओर ले जाता है। संविधान में राष्ट्रपति का यह अधिकार दिया गया है कि वह एक सङ्घबन्धीन स्थिति की घोषणा करके, देश का समस्त शासन, सब सरकार के अधीन ले सकें और फिर केन्द्रीय सरकार उसी प्रकार कार्य करे जैसा काई तानाशाह किया करता है।

उत्तर—इस आरोप का उत्तर हम पहले ही दे चुके हैं। यहाँ केवल यह बतला देना पर्याप्त होगा कि आलोचकों का यह कहना कि नव संविधान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की उपेक्षा की गई है अथवा उनके समूह के लिए इस प्रकार का प्रबन्ध नहीं किया गया है, ठीक नहीं है। हमारे संविधान के निर्मायक विद्वानों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय संघ के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के समूह के लिए शान्तिपूर्ण प्रयत्न करेगा। हमारे देश के निजने ही भागों में इस प्रकार की सहस्रों पंचायतें समूहित की जा चुकी हैं और उन सब को वही अधिकार

प्रदान कर दिये गये हैं जो प्राचीन भारत में ग्राम पंचायतों को प्राप्त थे। दूसरे प्रान्तों में भी इस दिशा में अत्यन्त शीघ्रता के साथ काम किया जा रहा है।

(७) अनमनीय संविधान—एक और आलोचना विधान के विरुद्ध यह की जाती है कि इसमें पैसा, विकास व परिवर्तन के लिए अधिक स्थान नहीं है। इस विधान का कानूनान के दौरे पैंचों से भरपूर कर दिया गया है। यह विधान सशक्त नहीं है और इसे भारत की अशिक्षित जनता मली प्रकार नहीं समझ सकती।

उत्तर—किसी देश का विधान एक अत्यन्त पामन तथा पवित्र ग्रन्थ होता है। उसी के स्वरूप पर जनता के अधिकार आधारित रहते हैं। कई भी देश, इसलिए अपने संविधान को, एक बार अत्यन्त सावधानी से बना लेने के पश्चात् यह नहीं चाहता कि वह आसानी से बदला जा सके। भारत के विधान को भी केवल इसी दृष्टि से दुरारिर्तनशील (रिजिड) रखा गया है, परन्तु उसमें निम्नी ही ऐसी धारणा है जो बहुमत से बदली जा सकेगी। दूसरे धाराओं के परिवर्तन के लिए केवल दा विहाई बहुमत का होना आवश्यक होगा। रही कानूनान की बात, तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण 'म' में यह दोष सर्वत्र ही पाया जाता है। संविधान सरकार का स्वरूप निर्दिष्ट करने के लिए होता है। उसका सिद्धान्त आम जनता द्वारा आसानी से समझे जा सकते हैं। जहाँ तक उसकी धाराओं का सम्बन्ध है, वह विशेषज्ञों के लिए बनाई जाती है। जन-साधारण के लिए वह विशेष महत्त्व नहीं रखती।

(८) संरक्षित प्रतिनिधित्व के आधार पर बनाया गया विधान—हमारे देश के समाजवादी व साम्यवादी दलों द्वारा यह बात प्रायः बहुत बार दाहरा कर कही जाती है कि हमारा विधान एक ऐसी संविधान समा द्वारा नहीं बनाया गया जिसका चुनाव वरुण मताधिकार के आधार पर हुआ हो। संविधान समा के चुनाव प्रांतीय समाओं द्वारा किये गये थे, जिनका चुनाव देश की समस्त कालिग जनता द्वारा नहीं, परन्तु केवल उन्हीं लोगों द्वारा किया गया था जिन्हें सन् १९३५ के विधान के अधीन राय देने का अधिकार प्राप्त था। ऐसे लोगों की संख्या १३ प्रतिशत से अधिक नहीं थी। इन अलोचकों का कहना है कि इसी सीमित मत प्रदान प्रथा के तरीके उन लोगों को संविधान समा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया जो भारत की नग्न तथा भूख और प्यास से पीड़ित जनता, किसान और मजदूरों के प्रतिनिधि नहीं बने जा सकते थे। स्वामानवः इन लोगों ने अपने स्वार्थ लाभ के लिए इस प्रकार का विधान बनाया जिसके अधीन यह गरीब जनता का शोषण जारी रख सकते थे। उदाहरणार्थ, इन लोगों का कहना है कि नये विधान में व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्राप्ति पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है, देश के बड़े बड़े कारखानों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का प्रबन्ध नहीं किया गया है,

मजदूरों को ट्रेड यूनियन बनाने, हड़ताल करने तथा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आन्दोलन करने का अनिपन्थित अधिकार नहीं दिया है, इत्यादि ।

उत्तर—उपरोक्त आरोप में अनुचित सचाई है । परन्तु आलोचक यह भूल जाते हैं कि जिस परिस्थिति में हमारे देश की विधान सभा का सङ्गठन हुआ उस दशा में वक्ता मताधिकार के आधार पर उसका सङ्गठन असम्भव नहीं तो अत्यावहारिक अवश्य था । हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि किसी भी चुनाव के अधीन सविधान सभा में कांग्रेस दल को ही बहुमत प्राप्त होता और फिर उस दशा में सविधान का वही स्वरूप होता जो उसका आशय है । रही समाजवाद की बात, तो भारत की वर्तमान आर्थिक परिस्थिति, इस सिद्धान्त के प्रतिफलन के अनुकूल नहीं है । आज हमारा देश भीषण आर्थिक सङ्कट के समय से गुजर रहा है । ऐसी अवस्था में राष्ट्रीयकरण की माँग एक आक्रामक नारे के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । हाँ, परिस्थिति सुधरने पर जनता को पूर्ण अधिकार होगा कि वह अपने सविधान में उचित परिवर्तन कर सके । हमारा सविधान किसी समय भी दो तिहाई बहुमत से बदला जा सकता है । यदि आने वाले आम चुनावों में समाजवादी दल को विजय प्राप्त होती है तो उसे पूर्ण अधिकार होगा कि वह अपने सिद्धान्त के अनुसार सविधान में परिवर्तन कर ले ।

(E) राष्ट्र मण्डल के स्वरूप से प्रभाजित हमारा विधान—अतः में हमारे नव सविधान के विरुद्ध सबसे बड़ी दलील यह दी जाती है कि यह विधान एक स्वतन्त्र देश की स्वतन्त्र जाति का विधान नहीं है । यह एक ऐसे देश का विधान है जो राष्ट्र मण्डल का सदस्य है और इस कारण वह एक पूर्ण रूप से स्वतन्त्र देश का विधान नहीं है । हमारे देश की सरकार ने राष्ट्र मण्डल का सदस्य रहना स्वीकार करके जनता के साथ विश्वासघात किया है । कारण, सन् १९३० के पश्चात् से कांग्रेस सदा यह कहती रही थी कि वह कभी औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थिति स्वीकार नहीं करेगी ।

उत्तर—उपरोक्त आरोप का विस्तृत विश्लेषण हम इसी पुस्तक के तीसरे अध्याय में कर चुके हैं । यहाँ हम केवल इतना ही दुहरा देना उचित समझते हैं कि, भारत राष्ट्र मण्डल का सदस्य रहे, इसके लिए हमारा देश इतना इच्छुक नहीं था जितना स्वयं राष्ट्र मण्डल के दूसरे देश, और ऐसा करने के लिए उन्होंने भारत की प्रत्येक शर्त मानी और स्वयं राष्ट्र मण्डल का स्वरूप ही बदल दिया । आज राष्ट्र मण्डल का प्रत्येक देश आन्तरिक व बाह्य शासन प्रबन्ध की दृष्टि से पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है । सम्राट् के प्रति राज मति का प्रश्न भी अब नहीं उठता । सम्राट् राष्ट्र मण्डल का अब केवल सांकेतिक रूप में अर्ध्यक्ष है । वह ब्रिटिश साम्राज्य का प्रथम नागरिक है, परन्तु भारतीय सरकार का अर्ध्यक्ष नहीं । हमारी सरकार का अर्ध्यक्ष जनता का अपना चुनाव हुआ प्रतिनिधि राष्ट्रपति है । राष्ट्र मण्डल की सदस्यता से भारत के गणतन्त्रीय स्वरूप अथवा उसकी

सत्ता पर किसी प्रकार का प्रभान नहीं पड़ता। हमारे देश की जनता प्रत्येक विषय में स्वयं ही अपना मार्ग निर्धारित करती है। वह किसी प्रकार की प्रिटेन प्रथवा एग्निस के दूसरे सदस्यों की विदेश नीति को पालन करने के लिए बाध्य नहीं।

निष्कर्ष—इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे विधान निर्माताओं ने हमारे देश के लिए एक ऐसा सविधान बनाया है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। यह सब है कि सविधान के कुछ अर्थ ऐसे हैं जिन्हें अत्यन्त असन्तोष की दृष्टि से देखा गया है, परन्तु भारत की वर्तमान राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थिति में, स्वभावतः इससे अल्प विचलन नहीं हो सकता था। आज हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता अपनी स्वतन्त्रता को बढ़ बनाने तथा आर्थिक सङ्कट को दूर करने की है। ऐसी दशा में यदि हमारे विधान निर्माता हमारे देश के लिए आदर्श विधान नहीं बना सकते हैं, तो इसके लिए उन्हें दोषी ठहराना उचित नहीं। इस प्रकार की व्यवस्था का उत्तरदायित्व यदि किसी पर है तो वह हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति है। हमें आशा है, जैसे-जैसे देश की बनता में शिक्षा का प्रसार होगा तथा यह अपने कर्तव्यों को मली प्रकार समझने लगेगा, वेते वेते हमारे वर्तमान सविधान की असन्तोषद्वारा धाराएँ बदल दी जायेंगी और हम एक ऐसे राष्ट्र के नागरिक बने जाने में गर्व का अनुभव करेंगे, जिसका सविधान सभार का सबसे सुन्दर तथा आदर्श विधान होगा।

योग्यता प्रश्न

१. सद्य सविधान के विरुद्ध क्या-क्या आलोचनाएँ की जाती हैं ? इन आलोचनाओं में कितना सार है ?
२. क्या यह सच है कि हमारा नव सविधान अगाधोपादी और अन्तर्दीन है ?
३. नव सविधान में राज्यों की स्थिति नगरपालिकाओं जैसी रह गई है। क्या यह घातेन सच है ?
४. "नव सविधान में दूसरे देशों के सविधानों की नकल की गई है और कोई नई परम्परा कायम करने का प्रयत्न नहीं किया गया।" इस कथन में कितनी सन्धि है ?
५. "नया विधान सभार का सबसे बड़िल, लम्गा तथा निकम्मा विधान है।" क्या यह कथन ठीक है ?

अध्याय १६

उत्तर प्रदेश का शासन प्रबन्ध

भारत के सभी प्रान्तों से हमारा प्रान्त अधिक बड़ा है। इसका क्षेत्रफल १,१२,५२३ वर्गमील और जनसंख्या, ६, ३२, ००,००० है। रामपुर, बनारस तथा देहरी गढ़वाल रियासतों को भी अब हमारे प्रान्तों में ही मिलाकर कर दिया गया है। हमारा प्रान्त इतना बड़ा है कि यूरोप के कई छोटे-छोटे देश, जैसे—स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, लुक्जमबर्ग, ऐल्बानिया, ऐस्तोनियाँ इत्यादि इसमें समा सकते हैं। विदित है कि इतने बड़े प्रान्त (जिसे नये सचिवालय में राज्य कहा गया है) का शासन राजधानी में बैठकर किसी एक राज्यपाल अथवा मन्त्रिमंडल द्वारा नहीं चलाया जा सकता। इसलिए शासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रान्त कुछ डिवीजनों, जिलों, सब डिवीजनों, तहसीलों, परगनों तथा गाँवों में बाँट दिया जाता है। इनमें से प्रत्येक भाग का एक अलग अफसर होता है जिसे कमिश्नर, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, कानूनगो तथा पटवारी कहा जाता है। मंत्रियों के नीचे जो और विभाग होते हैं जैसे कृषि विभाग सिंचाई विभाग, सड़क विभाग, इमारती विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, अयोग विभाग, भ्रम विभाग इत्यादि। उनका प्रबन्ध उस महकमे के नीचे अलग-अलग अफसरों द्वारा किया जाता है।

सरकारी विभाग

प्रत्येक सरकारी विभाग का सर्वोच्च अधिकारी एक मंत्री ही होता है जो प्रान्तीय धारा सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री की सहायता के लिए विभाग में एक सेक्रेटरी होता है, जिसके नीचे कुछ डिप्टी तथा अडर सेक्रेटरी काम करते हैं। उनके नीचे एक पूरा दफ्तर होता है जिसमें क्लर्क, असिस्टेंट तथा सुपरिंटेंडेंट होते हैं। मंत्री का काम सरकार की नीति का निश्चय करना तथा अपने विभाग की उन्नति के लिए योजनाएँ बनाना होता है। विभाग के दिन प्रति दिन का काम, सेक्रेटरी तथा उसके नीचे काम करने वाले सरकारी अफसर करते हैं।

विभाग का सबसे बड़ा दफ्तर तो राजधानी में होता है, परन्तु उसके कार्यवाह अफसर जिलों, तहसीलों तथा गाँवों में रह कर अपने-अपने काम की देखभाल करते हैं। यह अफसर अपने विभाग के मंत्री तथा सेक्रेटरी के आदेशों का पालन करते हैं; साथ ही वह अपने काम का विवरण जिले के कलेक्टर तथा डिवीजन के कमिश्नर को भी

देते हैं। इस प्रकार इन अफसरों की दोहरी जिम्मेदारी होती है—एक अपने मुहकमे के प्रति और दूसरे कलेक्टर या कमिश्नर के प्रति। कलेक्टर और कमिश्नर अपने-अपने क्षेत्र में प्रांतीय सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह शासन के सभी महकमों की देख-भाल करते हैं जिससे राज्य का प्रबन्ध ठीक प्रकार से चल सके और जनता अपना जीवन सुख और चैन के साथ व्यतीत कर सके।

साधारण शासन प्रबन्ध

कमिश्नर

हमारे प्रांत में दस कमिश्नरियाँ हैं। प्रत्येक कमिश्नरी का औसतन क्षेत्रफल ११,००० वर्गमील है तथा जनसंख्या ६० लाख। कुमाऊँ की छेड़कर रेंज सभी द्वी-जनो में कमिश्नर डिविजन का प्रधान अफसर होता है। कुमाऊँ डिविजन का शासन नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर के हाथ में है। कमिश्नर का मुख्य काम जिले के कलेक्टर तथा प्रांतीय मंत्रियों के बीच एक कड़ी का काम करना होता है। प्रांतीय सरकार की सभी आदार्ण कलकरीयों के पास कमिश्नरों के द्वारा भेजी जाती है। कमिश्नर अपने नीचे सभी जिलाधीशों के काम की देखभाल करता है। उसका मुख्य काम मालगुजारी तथा भूमि सम्बन्धी होता है। वह अपने अधीन अधिकारियों की मालगुजारी सम्बन्धी निर्णयों की अपील सुनता है तथा मालगुजारी की दायी की देखभाल करता है। बरत पढ़ने पर वह मालगुजारी की छूट भी दे सकता है तथा उसकी दायी रोक सकता है।

बुद्ध लोगों का विचार है कि कमिश्नर का पद व्यर्थ का अनावश्यक पद है। प्रांतीय सरकार सीधा कलेक्टरों के साथ अपना सम्बन्ध रख सकती है। मद्रास प्रांत के अन्दर कमिश्नर का पद नहीं होता, फिर भी वहाँ शासन अत्यन्त कुशलता के साथ चलता है। आइकल जब शासन का कार्य चलाने के लिए अनुभवी अधिकारियों की अत्यन्त कमी है तो इस पद के लिए योग्य तथा पुराने मुलके हुए अधिकारियों की नियुक्ति करना न्यायसंगत नहीं। इसलिए हमारे प्रांत की सरकार इस बात का विचार कर रही है कि कमिश्नरों के पद को रक्ता जाय अथवा नहीं। अन्तिम निश्चय होने तक सरकार ने कमिश्नरों की संख्या १० से घटा कर ५ कर दी है।

जिलाधीश (कलेक्टर)

प्रत्येक कमिश्नरी में कुछ जिले होते हैं। भिन्न भिन्न कमिश्नरों में जिलों की संख्या अलग-अलग है। उदाहरणार्थ, लखनऊ कमिश्नरी में ६ जिले हैं, नेरट में ५ और गोरखपुर में केवल ३। हमारे प्रांत में कुल जिलों की संख्या ५१ है। इनमें वह जिले भी शामिल हैं जो रामपुर, बनारस तथा देहरी-गढ़वांस रियासतों को मिलाने से बनाये गये हैं। जिले के सर्वोच्च अधिकारी को जिलाधीश या कलेक्टर कहते हैं। कुमाऊँ

में उसे डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है। कुछ काल पहले तक यह अफसर इण्डियन सिविल सर्विस के सदस्य होते थे। सिविल सर्विस के लोगों को भी बहुत अनुमन हो जाने के पश्चात् कलक्टर बनने का अवसर दे दिया जाता था। परन्तु अब इण्डियन सिविल सर्विस की भर्ती बन्द कर दी गई है, कारण इस सर्विस का चुनाव भारत मंत्री द्वारा किया जाता था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ऐसा करना सम्भव नहीं था इसलिए उसके स्थान पर 'इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस' का आयोजन किया गया है। इसी सर्विस के व्यक्ति आजकल जिले के कलक्टर बनते हैं।

कलक्टर अपने जिले में सरकार का प्रतिनिधि रूप होता है। शासन प्रबन्ध की दक्षता उसी के कार्य पर निर्भर रहती है। जिले के अन्तर्गत सब प्रकार के कामों की देखभाल करना उसी का काम होता है। उसे कई काम करने पड़ते हैं जैसे मालगुजारी वसूल करना, जिले में शांति और व्यवस्था कायम रखना, जिले की जेलों, सिद्धा सरथाओं, अस्पतालों, सड़कों, इमारतों, स्थानीय सस्थाओं और ग्राम पंचायतों की देखभाल करना इत्यादि। मुख्य रूप से उसके अधिकारों को चार भागों में विभक्त कर सकते हैं :—

(१) मालगुजारी सम्बन्धी अधिकार—जिले की मालगुजारी वसूल करना कलक्टर का मुख्य काम होता है। इसी दृष्टि से उसे भूमि सम्बन्धी सभी कामजात सँभाल कर रखने पड़ते हैं। जिले के सारे पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार तथा तहसीलदार उसकी इस काम में सहायता करते हैं। जिले का राजाना भी उसी के अधीन रहता है।

(२) शांति और व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार—जिले में शांति और व्यवस्था कायम रखना कलक्टर का दूसरा मुख्य काम है। इस कार्य की दृष्टि से जिले के सारे पुलिस कर्मचारी, पुलिस सुपरि-टेंडेंट, डिप्टी सुपरि-टेंडेंट, थानेदार इत्यादि उसी के नाचे काम करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी जिले में किसी प्रकार की गड़बड़ी न होने देना उसी का काम है। सभा, जुलूम, समाचारपत्रों, राजनीतिक दलों इत्यादि की देखभाल करना—इसलिए उसके कार्य का आवश्यक अङ्ग है। जिले में किसी कलक्टर की सफलता इसी बात से जानी जाती है कि वह शांति बनाये रखने में कहीं तक सफल होता है। समाचारपत्रों पर दृष्टि रखना, जनता को अपने पक्ष में बनाना, सरकार की आज्ञाओं को जनता तक पहुँचाना तथा सारे जिले का दौरा करना उसका मुख्य काम होता है।

(३) न्याय सम्बन्धी अधिकार—कलक्टर न्याय की दृष्टि से प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है। बहुत से फौजदारी मुकदमे उसी की अदालत में पेश किये जाते हैं। उसे अपराधियों को दो वर्ष तक की सजा तथा १,००० रुपये जुर्माना करने का अधिकार होता है। वह माल के मुकदमों में अपने अधीन डिप्टी कलक्टरों के निर्णयों की अपील

करने पड़ते हैं। उसे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार भी प्राप्त होते हैं और उसका मुख्य काम मुफ्दमों को सुनवाई करना तथा अपने सन डिजीजन में शक्ति और व्यवस्था कायम करना होता है। उसे मालगुजारी के प्रबन्ध की देखभाल नहीं करनी पड़ती।

तहसीलदार

एक सन डिजीजन में तीन या चार तहसीलें होती हैं। प्रत्येक तहसील का अफसर एक तहसीलदार होता है। उसके भी दो प्रकार के काम होते हैं—एक मालगुजारी सम्बन्धी और दूसरे शासन सम्बन्धी। मालगुजारी की वसूली के लिए उसके नीचे एक नायर तहसीलदार, एक सदर कानूनगो, कुछ दूसरे कानूनगा तथा बहुत से पट्टारी कार्य करते हैं। यही अफसर मालगुजारी तथा जमीनों की विक्रय का न्याया ररते हैं। तहसीलदार एक द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट भी होता है। वह छोटे पीजदारी तथा माल के मुफ्दमों का फैसला करता है। शासन प्रबन्ध की दृष्टि से तहसीलदार के नीचे तहसील के सभी थानों के थानेदार, हेड कन्स्टेबिल, सिगाही तथा गाँवों के चौकीदार, आकर अपने काम का न्याया देते हैं। तहसीलदार, कलक्टर तथा डिप्टी कलक्टर दोनों के प्रति जिम्मेदार होता है।

पुलिस का प्रबन्ध

जिले में शान्ति तथा व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस होती है जिसका मुख्य अधिकारी एक पुलिस सुपरिन्टेंडेंट होता है। उसके नीचे दो प्रकार की पुलिस काम करती है :—(१) खुफिया पुलिस और (२) साधारण पुलिस। खुफिया पुलिस के लोग गुप्त रहकर संगीन जुर्मों की खानबीन करते हैं। बड़े-बड़े पड़ोसों तथा राजनीतिक अभियोगों का भी वही पता लगाते हैं। दोनों प्रकार की पुलिस के अलग अलग सब-इन्स्पेक्टर, इन्स्पेक्टर तथा डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस होते हैं। यह सभी अफसर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस तथा जिले के कलक्टर को अपने काम का न्याया देते हैं। पुलिस के महकमे का सबसे बड़ा अधिकारी होम मिनिस्टर कहलाता है। उसके नीचे एक इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस तथा कुछ डिप्टी तथा असिस्टेंट इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस का काम करते हैं। जिले का पुलिस सुपरिन्टेंडेंट इन्हीं अफसरों के प्रति उत्तरदायी होता है।

पुलिस की दृष्टि से प्रत्येक जिला कुछ सर्किलों, थानों तथा चौकियों में बँटा हुआ होता है। सर्किल का अफसर एक सर्किल इन्स्पेक्टर, थाने का अफसर एक थानेदार तथा चौकी का अफसर एक हवलदार कहलाता है। कुछ बड़े बड़े नगरों में कोतवालियाँ भी होती हैं जिनका इन्चार्ज एक कोतवाल होता है।

भारत की सुल्तानी के काल में पुलिस अफसर अपना मुख्य कार्य देश में राजनीतिक

आन्दोलन को दबाना तथा किसी भी प्रकार के उचित अथवा अनुचित उरगों में अपने क्षेत्र में शांति बनाये रखना समझते थे। जनता के भले तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को परेशान करने तथा उनके विरुद्ध झूठे-सच्चे मुकदमे बनाने में भी उन्हें आनन्द आता था। वह जनता की रक्षा नहीं, उसके अधिकारों की भर्त्सना करते थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पुलिस के दायरे में एक बड़ा परिवर्तन आ गया है। वह अब अपने आप का जनता का सेवक समझती है। जनता के साधारण शक्तियों का सबसे अधिक काम पुलिस के अधिकारियों के साथ पड़ता है इसलिए स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ समझ कर हमारे पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि वह शिक्षित, बेदनामी, दमन तथा दुश्मन का मार्ग छोड़कर जनता की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म समझें। हमारे प्रांत में आज भी पुलिस के किन्ने ही ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी मनोवृत्ति अभी तक नहीं बदली है और जो पुराने ही दृष्टि पर शासन का कार्य चलाना चाहते हैं। हमारा धर्म है कि हम ऐसे पुलिस कर्मचारियों को उनका कर्तव्य समझाने तथा उनके अनुचित कार्यों को मन्त्रियों तथा प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों के सम्मुख रखें।

जेलों का प्रबन्ध

प्रत्येक जिले में एक जेल होना अनिवार्य होता है, जिसके वहाँ पर वह सभी अन्यायी रक्तों का सड़ने को काटना को तोड़ते हैं। जेल का बड़ा अक्षर 'गुगर्निटेंट जेल' तथा छोटा अक्षर 'जेलर' कहा जाता है। जिले का सिविल सर्वन भी जेलों की देखभाल करता है।

छिपों तथा बच्चों के लिए अलग जेल होते हैं। जहाँ ऐसा प्रबन्ध सम्भव नहीं, वहाँ उनके लिए उसी जेल में अलग वर्त बना दी जाती है। हमारे प्रांत में छोटे बच्चों के लिए जुनार में एक अलग जेल है। छिपों के लिए भी प्रांत में एक निर्दिष्ट जेल की व्यवस्था है।

जेल का सर्वोच्च अधिकारी जेल मंत्री होता है। उसके नीचे एक इन्स्पेक्टर जनरल आफ प्रीजन्स काम करता है। अग्रेजों के काम में हमारे जेलों का प्रबन्ध अच्छा नहीं था। जेलों से निकल कर अन्यायी एक सभ्य नागरिक के स्थान पर और भी भयंकर अन्यायी बन जाता था। जेलों में अन्यायियों के नैतिक बर्तव्य को ठठने की कोशिश नहीं की जाती थी। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। आबकल हमारी सरकार इस ओर ध्यान दे रही है।

स्वास्थ्य व नफाई का प्रबन्ध

जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रांतीय सरकार के अन्तर्गत एक स्वास्थ्य विभाग होता है। आबकल हमारे प्रांत में इस विभाग के मंत्री श्री चन्द्रमान गुप्त हैं। मंत्री के

नीचे इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जो डायरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ कहलाता है, काम करता है। उसकी सहायता के लिए कई डिप्टी तथा असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं। इस विभाग का मुख्य काम बीमारियों को रोकना, जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सफाई रखना, स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा देना, प्रदर्शनियों इत्यादि का प्रबन्ध करना, संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकना, जन्म और मृत्यु का हिसाब रखना तथा खाने-पीने की चीजों की सफाई कायम रखना होता है। यह काम शहरों में म्युनिसिपैलिटीयों तथा गाँवों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा ग्राम पंचायतों करती हैं। प्रत्येक बड़ी म्युनिसिपैलिटी में एक हेल्थ आफिसर होता है जिसके नीचे कई सैनीटरी इंस्पेक्टर तथा वैम्सीनेटर इत्यादि काम करते हैं। इन कर्मचारियों के काम की देखभाल प्रान्त के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर इत्यादि द्वारा की जाती है।

दुर्भाग्यवश हमारे देश में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में विद्यमान नहीं हैं। हमारे देश के व्यक्तियों की औसतन आयु केवल २६ वर्ष है। हजारों रोगी, चिकित्सा की किसी प्रकार की सुविधा न मिलने के कारण, मौत के शिकार हो जाते हैं। १००० बच्चों के पीछे १६० बच्चे १ वर्ष की आयु से पहले ही काल के गाल में समा जाते हैं। लाखों बच्चों प्रसव की वेदना के कारण, किसी प्रकार का जन्मसमय का प्रबन्ध न होने से परलोक को विचार जाती हैं। दूसरे देशों में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आशा है, हमारी प्रांतीय सरकारें अब इस ओर विशेष रूप से ध्यान देंगी।

चिकित्सा का प्रबन्ध

स्वास्थ्य विभाग का मुख्य काम बीमारियों की रोकथाम तथा जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना होता है। यह विभाग बीमारों तथा रोगियों की चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं करता। यह काम प्रान्त के चिकित्सा विभाग द्वारा किया जाता है। प्रायः चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग का एक ही मंत्री अधिकारी होता है, परन्तु उसके नीचे काम करने वाले चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अफसर अलग अलग होते हैं। चिकित्सा विभाग का प्रधान कर्मचारी इंस्पेक्टर जनरल आफ सिविल हास्पिटल्स कहलाता है। उसकी सहायता के लिए भी असिस्टेंट तथा डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। इस विभाग में जिले का प्रधान अफसर सिविल सर्जन कहलाता है जो जिले के सभी अस्पतालों की देखभाल करता है। अस्पताल सरकारी भी होते हैं तथा म्युनिसिपल व डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के भी। बच्चों के लिए अलग अस्पताल भी होते हैं।

दुर्भाग्यवश हमारे देश में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के समान चिकित्सा सम्बन्धी प्रबन्ध की भारी कमी है। हमारे देश में ४०,००० व्यक्तियों के पीछे एक अस्पताल,

६,००० व्यक्तियों के पीछे एक डाक्टर तथा ८६,००० व्यक्तियों के पीछे एक नर्स है। इंग्लैंड में ७०० व्यक्तियों के पीछे एक डाक्टर; ४०० व्यक्तियों के पीछे एक नर्स तथा २,००० व्यक्तियों के लिए एक अस्पताल का प्रबन्ध है। बच्चों, स्त्रियों तथा सम्पन्न रोगों की चिकित्सा के लिए भी हमारे देश में उचित प्रबन्ध नहीं है। आशा है कि शीघ्र ही प्रान्तीय सरकारें इस श्रेय विशेष ध्यान देंगी।

योग्यता प्रश्न

१. "बिनाधीश भारत के असली शासक हैं।" इस कथन की सत्यता का विवेचन कीजिए। (यू० पी० १९२८, ३२, ४८)

२. जिले के बड़े सरकारी अफसरों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन कीजिये। (यू० पी० १९३०)

३. नये सन्धिधान के अंतर्गत जिलों के अधिकारियों के दृष्टिकोण में कहीं तक परिवर्तन हुआ है ?

४. जिले में शांति और व्यवस्था कैसे कायम की जाती है ?

५. जिलों के प्रबन्ध के विषय में ध्यान क्या जानते हैं ?

६. भारत में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सम्बन्धी क्या प्रबन्ध है ? दूसरे देशों की अपेक्षा यह प्रबन्ध कैसा है ?



स्थानीय स्वशासन

स्थानीय संस्थाओं का महत्त्व

स्थानीय स्वशासन का अर्थ वह शासन है जिसके द्वारा नगर, उपनगर तथा ग्राम में रहने वाले लोगों का अपनी स्थानीय समस्याओं का अपनी आवश्यकता तथा इच्छा-नुसार प्रवन्ध करने का अधिकार दिया जाता है। किसी भा देश में केन्द्रीय अथवा प्रांतीय सरकारें इच्छा रहने पर भी स्थानीय विषयों का इतना उचित प्रवन्ध नहीं कर सकती जितना स्वयं उन स्थानों की जनता, जिनके जीवन पर उन विषयों का दिन प्रति-दिन प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ किसी नगर की दमक गली में सफाई है अथवा नहीं, प्रातः भगों न आकर भाड़ू लगाई है या नहीं, नालियाँ ठीक प्रकार से साफ की गई हैं या नहीं, बूझा डालने के लिए किसी स्थान पर ढाल का उचित प्रवन्ध है या नहीं, किसी गली या बूचे में सरकारी रोकथाम की व्यवस्था है अथवा नहीं, नगर के रोगियों के लिए औषधालय में दवाइयाँ हैं अथवा नहीं, आने-जाने के मार्ग पर ठीक प्रकार से सफाई अथवा मरम्मत की गई है अथवा नहीं, इत्यादि—ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनका सम्बन्ध स्थानीय लोगों के नित्य के जीवन से होता है और उस स्थान के रहने वाले लोग ही इन समस्याओं का उचित प्रवन्ध कर सकते हैं—कोई दूर रहने वाली केन्द्रीय या प्रांतीय सत्ता नहीं। इसलिए प्रायः प्रत्येक देश में ही स्थानीय विषयों का प्रवन्ध करने के लिए नगरपालिकाएँ, जिला मण्डलाँ, उपनगरपालिकाएँ तथा ग्राम पंचायतों इत्यादि की व्यवस्था की जाती है।

सच्चे में हम कह सकते हैं कि स्थानीय संस्थाओं के सगठन से निम्न लाभ होते हैं —

(१) सुविधाजनक प्रवन्ध—प्रजातन्त्र देशों में स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ नागरिकों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाग लेती हैं। उनका मुख्य काम ऐसी सुविधाओं का प्रवन्ध करना होता है, जिनका सम्बन्ध व्यक्तियों के दैनिक जीवन से है। शुद्ध दूध, घी, मक्खन, पीने का पानी, स्वास्थ्यप्रद फल, खाद्य सामग्री, औषधालय, तैरने के तालाब, रिजल्ट, ड्राम, बस, सड़कें खेलने-के मैदान इत्यादि का उचित प्रवन्ध—यह कुछ ऐसे विषय हैं जो हमारे नित्यप्रति के जीवन को सुव्यय अथवा दुःखी बनाते हैं। यह सब काम स्थानीय संस्थाओं को करने पड़ते हैं। केन्द्रीय या प्रांतीय सरकारों की नीति तथा उनके कार्य, हमारे दैनिक जीवन को इतना अधिक प्रभावित नहीं करते, जितना स्थानीय

संस्थाओं के काम, जिनकी उचित व्यवस्था पर, हमारे दिन प्रति दिन के जीवन का हर्ष, उल्लास, आनन्द एवं उसाह निभर रहता है। यदि हमारी केन्द्राय या प्रांतीय सरकार दूसरे देश में अपना दूतवास खाल देती है अथवा देश की सेना में एक और टुकड़ी पाठ देती है, या हमारी प्रांतीय सरकार उद्योग घरों की उन्नति के लिए एक पञ्च वर्षीय योजना बना देती है तो इसके हमारे दैनिक जीवन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना उन कामों से पड़ता है जो हमारी स्थानाय संस्थाओं को करने पड़ते हैं।

(२) काम का बँटवारा—स्थानीय संस्थाएँ अपने ऊपर छोटी-छोटी स्थानीय समस्याओं का कार्य नार लेकर केन्द्राय व प्रांतीय सरकारों के भार को हलका कर देती हैं और उन्हें इस बात का अवसर देती हैं कि वह बड़ी बड़ी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की ओर अधिक ध्यान दे सकें।

(३) कार्य-कुरालता—स्थानीय संस्थाओं द्वारा शासन के कार्य में कुशलता तथा दक्षता की वृद्धि होती है। कारण, उनका निर्माण कार्य विनाश के प्रशस्नीय सिद्धांत पर किया जाता है और स्थानीय लोग अपनी समस्याओं का अधिक मन्दरता से उपचार कर सकते हैं।

(४) नागरिक शिक्षा—अन्त में, स्वशासित संस्थाएँ नागरिक शिक्षा के महान् केन्द्र का काम करती हैं। यह नागरिकों में जन सेवा, बलिदान, सहयोग, समय तथा अनुशासन की उन भावनाओं का निर्माण करती हैं जिन पर एक स्वस्थ नागरिक जीवन अवलम्बित है। व्यक्तियों में सार्वजनिक कार्यों में रुचि लेने की भावना जागृत करती हैं। वे उन्हें शासन का अनुभव प्रदान करती हैं। इस प्रकार आगे चलकर वह उन्हें इस याग्य बनाती हैं कि यह देश व बड़े बड़े कामों में भाग ले सकें तथा केंद्रीय व प्रांतीय शासनो में उच्च पदों पर काम कर सकें। वे लोकतंत्र शासन की इच्छाओं का काम देती हैं और जनता का इस बात का अवसर देती हैं कि यह शासन कार्य में अधिक भाग ले सके। इस प्रकार यह गणतंत्र की नींव बही जाती है। प्रसिद्ध राजनीतिक लेखक लान्की ने कहा है "स्थानाय संस्थाएँ सरकार के दूसरे अङ्गों से बढकर जनता का लोकतंत्र की शिक्षा देती हैं। वे जातियों को शिक्षित बनाता है, नागरिक गुणों व विद्यास व लिए प्रारम्भिक पाठशालाओं का काम देती हैं तथा जनता को वास्तविक स्वतन्त्रता का अनुभव करती हैं।"

भारतवर्ष के सामाजिक जीवन में स्थानीय संस्थाएँ किसी न किसी रूप में सदा चली आई हैं। वैदिक काल में भारताय ग्रामों का संगठन पञ्चायती राज्य के सिद्धांत पर आधारित था। सारे देश में स्वायत्त शासन संस्थाओं का भरमार था। ये संस्थाएँ अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र थीं और वे केवल ग्राम में शांति बनाये रखने अथवा

न्याय करने का काम ही नहीं करती थीं वरन् जनता के सामाजिक आचार और व्यवहार, शिक्षा, जीविका, व्यापार व दूसरे कामों पर भी उनका पूरा नियन्त्रण था। वह राजाओं का चुनाव करती थीं। इन संस्थाओं का उल्लेख हमें जातक, रामायण, महाभारत, बृहस्पति, कोटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अन्य पुरातन ग्रंथों में मिलता है। स्वयत्त शासन की यह प्रणाली भारतीय राजनीतिक जीवन में लगभग १६वीं शताब्दी के मध्य तक बनी रही। इसके पश्चात् बाह्य हस्तक्षेप से उनका सन्तुलन बिगड़ने लगा और अन्त में जीवन की यह स्वस्थ प्रणाली बिलकुल छुट हो गई।

प्रसिद्ध अङ्गरेज इतिहासकार सर चार्ल्स मैडकाफ ने तो यहाँ तक कहा है, “इन संस्थाओं ने भारतीय सामाजिक जीवन की स्थिरता तथा स्वतन्त्रता को बनाये रखने में दूसरी सभी भारतीय संस्थाओं से अधिक सहयोग दिया है। भारत में राज्य बदले, एक शासन प्रणाली का अन्त हुआ, दूसरी का प्रादुर्भान, कितने ही आक्रमणकारी आये, परन्तु भारत की इन ग्राम पञ्चायतों में वह शक्ति थी कि वह इन सब प्रालियों तथा परिवर्तनों के बीच स्थिर बनी रहीं और भारतीयों के जीवन को उसी प्राचीन संस्कृति के वातावरण में ढालती रहीं।”

प्राचीन भारत की इन संस्थाओं को ‘भेष्ठी’ या ‘गुण’ के नाम से सम्बोधित किया जाता था। इनमें ५ से लगाकर ७ तक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि गाँव या नगर का प्रबन्ध करते थे। बड़ी नगरपालिकाओं में अधिक प्रतिनिधि भी होते थे। उदाहरणार्थ चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलीपुत्र नगर के प्रबन्ध का वर्णन देते हुए प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज लिखता है कि इस नगर के प्रबन्ध के लिए ३० प्रतिनिधियों की एक समिति थी। यह समिति उपसमितियों द्वारा सारे नगर का प्रबन्ध करती थी। पाटलीपुत्र का शासन प्रबन्ध अत्यन्त उच्च कोटि का था। नगर में भूमिगत नालियों का प्रबन्ध था। प्रकाश तथा सफाई की उन्नित व्यवस्था थी। नगरपालिका की ओर से अनेक उद्यान, क्रीडास्थल, खेल के मैदानों इत्यादि का प्रबन्ध किया जाता था। नगर में शान्ति व सुरक्षा बनाये रखने का काम भी यहीं संस्था करती थी।

जाति पंचायतें

प्राचीन भारत में एक दूसरे प्रकार की जाति पञ्चायतें थीं जिनके सदस्य केवल वही व्यक्ति थे जो किसी जाति या व्यवसाय विशेष से सम्बन्ध रखते हों। ऐसी संस्थाएँ दो प्रकार के कार्य करती थीं—सर्व प्रथम वह जातीय या व्यावसायिक एकता बनाये रखने में सहायक सिद्ध होती थीं और दूसरे वह अपने सदस्यों की सहायता तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उसी प्रकार के कार्य करती थीं जैसे आजकल सहायक समितियों (Co-operative Societies) या ट्रेड यूनियनों द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। यह संस्थाएँ अपने सदस्यों द्वारा नैतिक आचरण का अवलम्बन करने तथा व्यापार

में ईमानदारी से काम लेने पर भी जोर देती थीं। इसी कारण इन सम्थाओं में जाति अथवा व्यापार के शक्तिरहित नियमों के उल्लंघन करने की दृष्टि में दरुद व्यवस्था का प्रायोगिकता भी रहता था।

उत्तरांच पञ्जाबों में से जुद्ध जाति पञ्जाबों आबन्धन भी प्रणीत भारत में, विदेश कर दलित जातियों में पाई जाती है। इनका विरादरी पञ्चायत भी कहा जाता है जैसे कोलियों, मेहतों, चमारों, धोत्रियों की पञ्चायतें इत्यादि। यह पञ्चायतें मंड़े-धोत्रे समय बाद खुले स्थानों में होती हैं और अपनी ही जाति व व्यवसाय की समस्याओं पर विचार करती हैं। जाति के अन्वयेक सदस्य को इन सम्थाओं में बोलने का अधिकार होता है। इन सम्थाओं में अधिक अनुयायन से धर्म नहीं होता। प्रायः सम्थाओं में सभी व्यक्ति एक साथ बोलने का प्रयत्न करते हैं जिससे आस पास वालों की ऐसा प्रतीत होता है मानों यह व्यक्ति आस पास में लड़ रहे हों। इन सम्थाओं के कर्मियों का पालन जाति के लोग इस तरह से करते हैं कि उनका सामाजिक बहिष्कार न कर दिया जाय। बहुत बार ये पञ्चायतें जुर्मों इत्यादि भी करती हैं और कभी कभी सदस्यों का हुक्मा पानी या रोटी-केरी का व्यवहार बन्द कर देती हैं। इन जाति पञ्चायतों से जुद्ध साम्प्रदायिक हैं। उदाहरणार्थ, ये जाति की नैतिक अयमति को रोकती हैं, विवादों का पारस्परिक मई-चारे के हिसाब से निर्याप करती हैं और जातीय एकता को बढ़ा करती हैं, परन्तु आबन्धन राष्ट्रीयता के निर्माण में ये पञ्चायतें धानक सिद्ध होती हैं। इन पञ्चायतों के कारण एक जाति के सदस्यों में घृणकृष्ण भी भावना पनी रहती है और समाज के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर घनिष्ठ मित्रता का व्यवहार नहीं कर पाते। बहुत बार जाति पञ्चायतों में एक दूसरे के साथ सम्पर्क भी हो जाते हैं। आधुनिक काल में व्यवहार के आधार पर ट्रेड यूनियनों का संगठन किया जाता है। इस कारण जाति धर्म के आधार पर सम्थाओं का निर्माण करना अधिक उचित नहीं मान पड़ता।

मुसलिम काल में रियासत शासन सम्थाओं का संगठन

मुसलमान काल में अरब के प्रानीय जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। मुसलमान शासक नगर के जीवन को ही अधिक पसंद करते थे। इस कारण उनके काल में हमारी प्रानीय सम्थाओं का संगठन पूर्ववत् ही बना रहा। हाँ, इतना व्यवहार है कि नगरों के शासन के लिए जो प्राचीन नगरपालिकाओं का संगठन था वह संकट दिया गया और उनके स्थान पर नगरों के शासन प्रणाली के लिए कोठालों की नियुक्ति कर दी गई। यह कोठाला आन्दोलन की मुनिदिवल कमेटियों के रूप में भी देत माल करते थे।

ब्रिटिश शासन-काल में रियासत शासन-संस्थाओं का विनाश

हमारे अंग्रेज शासकों ने सर्वप्रथम देश में केन्द्रीयकरण की नीति का अद्यकरण

किया। इस नीति के अधीन, उन्होंने अपने शासन के प्रारंभिक काल में, स्थानीय संस्थाओं को जड़ मूल से नष्ट कर दिया। भारत की प्राचीन ग्राम पंचायतें भी जो सहस्रों वर्षों से हमारे सामाजिक जीवन का अविच्छिन्न अङ्ग बन गई थीं, तोड़ दी गईं। परन्तु शीघ्र ही सरकार को अपनी त्रुटि का पता चल गया और उसने यह अनुभव किया कि इतने बड़े देश में शासन की कुशलता की दृष्टि से किसी न किसी प्रकार की स्थानीय संस्थाओं का संगठन अग्रस्य होना चाहिये। इसी उद्देश्य से सर्वप्रथम सन् १७६३ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसके अन्तर्गत भारत में स्थानीय संस्थाओं का संगठन किया गया। इसके पश्चात् सन् १८५२, १८५० तथा १८५६ में दूसरे कानून बनाये गये जिनके द्वारा इन संस्थाओं का संगठन अधिक व्यापक बना दिया गया। आरम्भ में इन संस्थाओं के सदस्य केवल मनोनीत ही होते थे, परन्तु सन् १८७३ में लार्ड मेयो ने निर्वाचन पद्धति की नींव डाली। इसके पश्चात् सन् १८८२ में लार्ड रिपन के शासन काल में इन संस्थाओं को और अधिक लोकप्रिय बना दिया गया। निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और समापति का शासन भी गैर-सरकारी बना दिया गया। सन् १९१६ में मीन्टेन्नेन्स-सेम्पेसोर्ड-मुधारों के अधीन प्रांत में स्थायित शासन विभाग एक लोकप्रिय मन्त्री के हाथों में दे दिया गया। इसके पश्चात् इन संस्थाओं के संगठन में अधिक सुधार किये गये। निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई और मत देने का अधिकार बहुत अधिक लोगों को दिया जाने लगा। हमारे अपने प्रांत में सन् १९१६ में एक वृहद् म्युनिसिपल ऐक्ट पास किया गया। इसी ऐक्ट के अधीन अभी कुछ दिन पहले तक हमारी म्युनिसिपैलिटियों का शासन प्रबन्ध किया जाता था। विद्यमान वर्ष इस ऐक्ट में कुछ संशोधन किये गये जिससे वयस्क मताधिकार के आधार पर राय देने का अधिकार सभी बालिय स्त्री और पुरुषों को दे दिया गया, पृथक् निर्वाचन प्रणाली का अन्त कर दिया गया और म्युनिसिपल कमिटीयों के प्रधानों का निर्वाचन सदस्यों के हाथ से छीन कर सीधा मतदाताओं के हाथ में दे दिया गया।

स्थानीय संस्थाओं का वर्गीकरण

भारत की स्थानीय संस्थाओं को हम मोटे रूप से दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं :—

१. नगरों की समस्याओं की देखभाल करने वाली संस्थाएँ।
 २. ग्रामीण प्रदेशों की देखभाल करने वाली संस्थाएँ।
- जो संस्थाएँ नगरों के प्रबन्ध की व्यवस्था करती हैं, उनका वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं :—

१. कारपोरेशन।

१. म्युनिसिपल कमिश्नरियों या नगरपालिकाएँ
२. टाउन परिषद व नौटीफाइड परिषद कमिश्नरियों या टन नगरपालिकाएँ
४. कैन्टोन्मेंट बोर्ड
५. पोर्ट ट्रस्ट

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की संस्थाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है :—

१. डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या जिला मंडली
२. ताल्लुघा या सब डिवीजनल बोर्ड
३. ग्राम पंचायत

अब हम इन विभिन्न संस्थाओं के कार्य अथवा सङ्गठन की विवेचना करेंगे ।

स्थानीय समस्याओं के कार्य

जैसा पहले बतलाया जा चुका है स्थानीय संस्थाओं का काम मुहामी बाटों का प्रबन्ध करना होता है । इन कामों को हम चार भागों में विभक्त कर सकते हैं :

(१) सार्वजनिक रक्षा— इस शीर्षक के अन्तर्गत स्थानीय संस्थाओं का काम सड़कों तथा गलियों का बनाना, उनकी मरम्मत करना, नगर की सैशनी का प्रबन्ध करना, महानों इत्यादि के बनाने के लिए नियम बनाना, जनता के लिए स्वच्छ पानी व नहरो इत्यादि का प्रबन्ध करना, आग से बचाव के लिए दमकलें या फायर इन्जनों का प्रबन्ध करना, जनता के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाली चीजों की बिक्री को रोकना, ऐसे कारखानों तथा ध्यागारों पर नियन्त्रण रखना जिनसे जनता के स्वास्थ्य अथवा चरित्र पर दुष्प्रभाव न पड़े तथा सार्वजनिक भागों पर से यकास्टें हटाना इत्यादि होता है ।

(२) सार्वजनिक स्वास्थ्य— इस शीर्षक के अन्तर्गत स्थानीय संस्थाओं का काम सैचक का प्रबन्ध, सार्वजनिक बागों की रक़ बाम, श्रौचालयों तथा चिकित्सालयों का प्रबन्ध, खेल के मैदान तथा बगीचों का प्रबन्ध तथा ऐसे दूसरे कामों को करना होता है जिनसे जनता के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़े ।

(३) सार्वजनिक शिक्षा— स्थानीय संस्थाएँ लड़के व लड़कियों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, पुस्तकालय, वाचनालय, अज्ञादपरर, जू व फ्ला फेन्डर इत्यादि का प्रबन्ध करती हैं ।

(४) सार्वजनिक सुविधाएँ— इस शीर्षक के अन्तर्गत स्थानीय संस्थाओं का कर्तव्य अग्ने नागरिकों की सेवा व हितों के लिए इस प्रकार का कार्य करना होता है जैसे पानी मीठ व बिजली का प्रबन्ध, नदों/झील/का खोजना, मनोरंजन भूमि का प्रबन्ध, बागें व ट्राय बनाना, गाड़ियाँ बनाना, बंदी खोजना, वीले के तालार बनाना, सिनेमा खोलना पब्लिक हाग बनाना, वृक्ष लगाना, पिकनिक के स्थान बनाना, बागों का प्रबन्ध करना इत्यादि

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय सस्थाओं को वही सभी काम सुपूर्द किये जाते हैं जिनका सम्बन्ध उन स्थानों पर रहने वाली जनता की सुविधा, भलाई तथा आराम से होता है। प्रायः सभी सस्थाएँ चाहे वह बड़े बड़े नगरों में कार्य करती हों या छोटे कस्बों में, देहाती इलाकों में काम करती हों या छोटे-छोटे गाँवों में, अपने साधनों के अनुसार इसी प्रकार के कार्य करती हैं।

दूसरे देशों की स्थानीय सस्थाएँ

दुर्भाग्यवश हमारे देश की स्थानीय सस्थाएँ, अनेक कारणों से अपने नागरिकों को वह सभी सुविधाएँ प्रदान नहीं कर पाती जो दूसरे देशों की सस्थाएँ करती हैं। इंग्लैंड प्रायः या अमरीका के किसी गाँव या कस्बे में आप चले जाइये, आपको उन सुविधाओं की स्थानीय सस्थाओं द्वारा हर प्रकार की सुविधाएँ दे देने को मिलेंगी। मोटर या दूसरी सवारी का प्रबन्ध, हाथियों का इन्तजाम, पालिस दफ्तर, दही, घी व मक्खन का प्रबन्ध, ट्राम, बस व रेलों की व्यवस्था, तैरने का तालाब, बोट क्लब, खेलने के मैदान, लान, पाक चिड़ियाघर, कला केन्द्र, वाचनालय, पुस्तकालय आदि का प्रबन्ध तथा दूसरे प्रकार की अनेक सुविधाएँ इन देशों की स्थानीय सस्थाएँ अपने नागरिकों को प्रदान करती हैं। उनकी आमदनी के हिसाब से अधिक होते हैं कि एक एक म्युनिसिपैलिटी में कई कई लाख रुपये की आमदनी होती है। हमारे देश में सारी स्थानीय सस्थाओं की कुल आमदनी ५० करोड़ रुपये से अधिक नहीं। इंग्लैंड में ग्लासगा म्युनिसिपैलिटी की आमदनी १५ करोड़ रुपये से अधिक है। यही मुख्य कारण है कि वहाँ की सस्थाएँ अपने नागरिकों के लिए बहुत अधिक सुविधाओं का प्रबन्ध कर सकती हैं। इसका अतिरिक्त हमारे देश के गाँवों में नागरिक व सावजनिक भावना व शासन के अनुभव की भारी कमी है। हमारे गाँवों में शहरों के लोग म्युनिसिपल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड व सदस्य इसलिए नहीं बनते कि वह वहाँ जाकर जनता की सेवा करें या उनकी दशा सुधारने के लिए नई योजनाएँ बनायें, वरन् इसलिए कि उनकी अपनी इच्छत या आबरू बढे और उनसे कुछ स्वार्थों की पूर्ति हो सक। हमारी अधिकतर स्थानीय सस्थाओं के सदस्य अधपढे लिखे होते हैं। वह दूसरे देशों के अनुभवों से लाभ नहीं उठा सकते। उनमें इतनी योग्यता नहीं होती कि दूसरे देशों की स्थानीय सस्थाओं के कार्य का अध्ययन करें। दूसरे देशों की स्थानीय सस्थाएँ जिनकी आमदनी कम होती है आपस में मिलकर एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती हैं। उदाहरणार्थ, पास पास की दो या दो से अधिक म्युनिसिपल कमेटियाँ एक ही अस्पताल, शिशु गृह, चिकित्सा सलाना, नाट्यशाला, खेल के मैदान, पब्लिक हाल इत्यादि बना लेती हैं। इससे पूर्व में भारी कमी हो जाती है और जनता को अधिक सुविधाएँ मिल जाती हैं। भारत में भी हम इसी प्रकार के सहयोग से काम कर सकते हैं।

हमारे देश की स्थानीय संस्थाओं में सुधार के लिए कुछ सुझाव

भारतवर्ष की स्थानीय संस्थाओं में सुधार करने के लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता अपने कर्तव्यों को मूर्खतापूर्वक समझे और चुनाव के समय केवल ऐसे ही व्यक्तियों को मत दे जो हर प्रकार से योग्य तथा अनुभवी हों और जो उनकी सच्ची सेवा कर सकें। जाति पंक्ति, पारिवारिक सम्बन्ध या रिश्तेदारी के विचार से हमें मत नहीं देना चाहिये। हमें मतदाता परिषद् (Voters Council), नागरिक संस्थाएँ (Citizens Associations) इत्यादि बनानी चाहिये और इनके द्वारा इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि स्थानीय संस्थाओं के सदस्य अपनी दायित्वों के लिए नहीं बल्कि जन-सेवा के लिए कार्य करें। जब तक जनता स्वयं जागरूक न बनेगी और वह अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करेगी तब तक कोई बड़े-बड़े संस्था उसका उद्धार नहीं कर सकेंगी।

जनता को शिक्षित बनाने तथा उसे अपने कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए आवश्यक है कि भारत के प्रत्येक स्तर व कालेज में नागरिक शास्त्र व स्वयंसेवा शास्त्र सम्बन्धी संस्थाओं की शिक्षा अनिवार्य बना दी जाए। हमारे विश्वविद्यालयों को भी चाहिये कि वह एम० ए० तथा पी०एच० डी० की डिग्रियों के लिए भी स्थानीय स्वशासन की शिक्षा पर जोर दें। आजकल हमारे देश की यूनिवर्सिटी में स्थानीय संस्थाओं की शिक्षा को स्थान नहीं दिया जाता। इन संस्थाओं की गतिशीलता ही ऐसी समस्याएँ हैं जिन पर अनुसन्धानात्मक अध्ययन किया जा सकता है, उदाहरणार्थ स्थानीय राजस्व (Local Finance), म्युनिसिपल व्यापार (Municipal Trading), गृह निर्माण योजना नगर योजना (Housing Problem), जन स्वास्थ्य (Public Health), (Social Amenities) इत्यादि अनेक ऐसी समस्याएँ हैं जिन पर बहुत गूढ़ सामाजिक उद्योग का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए विद्यालयों को चाहिये कि वह अपने पाठ्यक्रम में इस शिक्षा पर विशेष ध्यान दें।

नागरिक संस्थाओं का संगठन

कार्पोरेशनों का संगठन

हमारे देश में मुख्यतः तीन कार्पोरेशन बहुत प्राचीन समय से कार्य करते हैं। ये कार्पोरेशन बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं। इनकी स्थापना ब्रिटिश पार्लियामेंट के विशेष कानूनों द्वारा की गई थी। भारत में सबसे पहला कार्पोरेशन सन् १६८७ में मद्रास नगर में स्थापित किया गया। इसके पश्चात् बम्बई तथा कलकत्ता कार्पोरेशन स्थापित किये गये। म्युनिसिपल कमिटीयों की अपेक्षा कार्पोरेशन को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उन पर प्रांतीय सरकार का नियन्त्रण भी नाममात्र का होता है।

कलकत्ता कार्पोरेशन

कलकत्ता कार्पोरेशन के सदस्यों की कुल संख्या ६८ है। इन सदस्यों में ६३ सभा-

सद (Councillors) और ५ एल्टरमैन होते हैं। एल्टरमैनो का चुनाव समाजदों द्वारा किया जाता है। यह नगर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। कार्पोरेशन का अध्यक्ष मेयर कहलाता है, जिसका चुनाव प्रति वर्ष किया जाता है। कार्पोरेशन के शासन प्रबंध के लिए एक चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर की नियुक्ति की जाती है। कार्पोरेशन के सेक्रेटेरियट के सारे प्रबन्ध का उत्तरदायित्व इसी अधिकतर पर होता है। कार्पोरेशन के मेयर का काउंसिलर उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करते।

बम्बई कार्पोरेशन

बम्बई कार्पोरेशन के सदस्यों की संख्या १०६ है। इनमें से ८० निर्वाचित, १६ मनोनीत तथा १० सदस्य शेष सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। बम्बई कार्पोरेशन के चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर को म्यूनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है। यह प्रायः इंडियन सिविल सर्विस का सदस्य होता है और उसकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जाती है। बम्बई में एक प्राचीन रीति के अनुसार मेयर का चुनाव प्रति वर्ष क्रमशः हिंदू, मुस्लिम तथा पारसी सदस्यों में से किया जाता था। परन्तु कुछ समय हुआ इस रीति को तोड़ दिया गया। पिछले दिनों कई वर्ष तक बम्बई के मेयर श्री एस० के० पाटिल ही रहे।

मद्रास कार्पोरेशन

मद्रास कार्पोरेशन के सदस्यों की संख्या ६५ है। इनमें ५६ सदस्य निर्वाचित १ मनोनीत तथा ५ सदस्य दूसरे सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। बम्बई कार्पोरेशन की भाँति मद्रास कार्पोरेशन के चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर को भी म्यूनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है। इसकी नियुक्ति प्रान्तीय सरकार द्वारा की जाती है।

उत्तर प्रदेश में कार्पोरेशनों का संगठन

उत्तर प्रदेश की सरकार ने निश्चय किया है कि वह राज्य के पाँच बड़े नगरों अर्थात् कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा तथा लखनऊ में कार्पोरेशनों का सङ्गठन करेगी। इस सम्बन्ध में एक विशेष कानून प्रान्तीय विधान सभा के विचाराधीन है। आशा है यह कानून इस वर्ष के अन्त तक पास हो जायगा और इसके पश्चात् इन नगरों में कार्पोरेशनों के सङ्गठन के लिए आम चुनाव किये जायेंगे। आम चुनाव होने तक इन नगरों की नगरपालिकाओं को तोड़ दिया गया है और उनका प्रबन्ध ऐड-मिनिस्ट्रेटरो के हाथ में दे दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में नगरपालिकाओं का संगठन

नगरपालिकाओं के सङ्गठन के विषय में हमारे प्रान्त में एक नूतन कानून सन् १९१६ में पास किया गया था। सन् १९४६, ५१ तथा ५२ में इस कानून में बहुत से परिवर्तन कर दिये गये। आजकल नगरपालिकाओं का सङ्गठन इस प्रकार किया जाता है।

नगरपालिका—राज्य सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है। आसकल हमारे प्रान्त में नगरपालिकाओं की संख्या ११५ है। जिन नगरपालिकाओं की जनसंख्या ५०,००० से अधिक है उन्हें सरकार किसी नगरपालिका (City Municipality) घोषित कर सकती है। जिन नगरपालिकाओं की आय ५०,००० व० वार्षिक से अधिक है उनके लिए आवश्यक है कि उनमें एक मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ तथा एक एकाउन्ट्स ऑफिसर नियुक्त किया जाय। ऐरबीक्यूटिव आफिसर की नियुक्ति प्रान्त सभी नगरपालिकाओं के लिए है। कुछ छोटी नगरपालिकाओं में ऐरबीक्यूटिव आफिसर के स्थान पर हेल्थरी की नियुक्ति की जाती है। बड़ी नगरपालिकाओं में इंजीनियर, वाटर वर्क्स, म्युनिसिपैलिटी, ट्रांसपोर्ट, र्वक सेनाधी इन्फैक्टर इत्यादि पदाधिकारी नियुक्त किये जाते हैं।

सदस्य संख्या—सन् १९५१ के संशोधित म्युनिसिपल ऐक्ट के अधीन उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओं की सदस्य संख्या ११ से कम तथा ५० से अधिक नहीं होगी। किसी नगरपालिका में सदस्य संख्या कितनी हो इसका निर्धारण प्रांतीय सरकार करेगी। नगरपालिका के सभी सदस्य निर्वाचित होंगे। सदस्यों के अतिरिक्त एक प्रधान का निर्वाचन भी साथ जनता द्वारा किया जाएगा जो नगरपालिका का पहले (Ex officio) सदस्य होगा। मुसलमानों के लिए नगरपालिका में अलग सीटें सुरक्षित नहीं रखी जायेंगी। वह आम निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में खड़े हो सकेंगे। परंतु हरिजनों के लिए, ऐक्ट में, किसी क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के हिसाब से, सुरक्षित सीटों की व्यवस्था कर दी गई है।

वयस्क मताधिकार—नये कानून के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए सीमित-मताधिकार के स्थान पर वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। इस प्रवन्ध के अन्तर्गत नगरपालिका के क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक वह व्यक्ति जिसकी आयु २१ वर्ष या इससे अधिक हो, मतादाता बन सकेगी। मतादाताओं की योग्यता के सम्बन्ध में शिक्षा, आय, सम्पत्ति, हैकिरत, उपाधि या इसी प्रकार की कोई आन्वयक शर्तें नहीं रखी गई हैं। कानून में कहा गया है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो ६ मास से अधिक किसी नगरपालिका के क्षेत्र में रहता हो तथा जो पागल, दिवालिया कोई अथवा किसी न्यायालय द्वारा किसी रीफ्यू प्रकरण में दखिल न हो, मतादाता बन सकेगा। विदित है कि इस प्रकार नये कानून में स्त्री पुरुष, धर्मीनिर्धन, हिंदू-मुसलमान, अछूत व स्वर्ण—सब को मरावर का मताधिकार दिया गया है।

सदस्यों की योग्यता—नगरपालिका की सदस्यता के लिए प्रत्येक वह व्यक्ति उम्मीदवार हो सकेगा जिसका नाम मतादाताओं की सूची में हो, जो हिंदी अथवा अङ्ग्रेजी पढ़ लिख सकता हो, एवं जो सरकारी नौकर, सरकारी बकील, अवैतनिक मजिस्ट्रेट या

मुक्ति या सहायक कलेक्टर न हो। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, दिवानिया तथा ऐसे लोग जिनके नाम म्युनिसिपल टैक्स बाकी हों, यह भी नगर पालिका की सदस्यता के लिए पात्र न हो सकेंगे।

नगर पालिका का प्रधान—नये कानून में सबसे मुख्य प्राविकारी परिवर्तन नगर-पालिकाओं के प्रधान के सम्बन्ध में किया गया है। पुराने कानून के अधीन अध्यक्ष का चुनाव नगर-पालिकाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता था। इस रीति में सबसे बड़ा दोष यह था कि सदस्य दलबन्दी की प्रथा से प्रभावित होकर आये दिन एक अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके दूसरे ऐसे अध्यक्ष को उसके स्थान पर लाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे जा उनकी अधिक स्वार्थ पूर्ति कर सक और इस कारण नगर-पालिकाओं की शासन व्यवस्था अत्यन्त निहृष्ट तथा निम्नकोटि की रहती थी। संशोधित कानून में इसलिए कहा गया है कि नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव सीधा मतदाताओं द्वारा किया जायगा। नये कानून के अन्तर्गत भी सदस्य अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकते हैं परन्तु अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह समझे कि जनता उसके साथ है और उसकी नीति को पसन्द करती है तो वह प्रांतीय सरकार से इस बात की प्रार्थना कर सकता है कि नगर पालिका को तोड़ कर नये ग्राम चुनाव कर दिये जायें। इस प्रार्थना को स्वीकार या अस्वीकार करने का अन्तिम अधिकार प्रांतीय सरकार को है। ग्राम निर्वाचन के पश्चात् यदि नये सदस्य अध्यक्ष के विरुद्ध फिर अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दें तो अध्यक्ष को तीन दिन के अन्दर अपना त्याग पत्र दे देना होगा। नये कानून के अन्तर्गत प्रांतीय सरकार को भी इस बात का अधिकार दिया गया है कि यदि वह निम्नी विरूप कारणों से यह समझे कि किसी नगर पालिका का अध्यक्ष अपने अधिकारों का दुरुयोग कर रहा है तो वह उसे उसके पद से हटा सकती है। संशोधित कानून के अनुसार, आशा है कि नगर पालिकाएँ नगरों की व्यवस्था अधिक सुचारु रूप से कर सकेंगी।

ग्राम निर्वाचन—संशोधन कानून में एक और विषय जिसकी विशेष महत्त्व दिया गया है, यह है कि ग्राम चुनाव के समय उम्मीदवार मतदाताओं से धर्म की टुहरी देकर या उनकी जातीय एवं साम्प्रदायिक भावनाओं को मझना कर राय न माँग सकेंगे। कानून में कहा गया है कि चुनाव में 'धर्म तनरे में है' का नाश लगाना या यह बहना कि 'यदि अनुक उम्मीदवार को राय न दी गई तो राय न देने वाले व्यक्ति पर ईश्वर का प्रकोप होगा'—यैर कानूनी समझा जायगा। इस आधार पर कानून में कहा गया है कि यदि यह सिद्ध हो सके कि कोई उम्मीदवार इन उपायों को काम में लाकर निर्वाचित हो गया है तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव रद्द किया जा सकता है।

कार्यायधि—नये कानून के अनुसार नगर पालिकाओं की कार्योवधि ४ वर्ष निर्दिष्ट

की गई है। परन्तु प्रान्तीय सरकार को इस बात का अधिकार दिया गया है कि यदि वह किन्हीं विशेष कारणों से आवश्यक समझे तो उनका अधि एक समय में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है परन्तु किसी दशा में भी यह अधि २ वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती।

नगर-पालिकाओं के कार्य—इसी अध्याय में जैसा पहले बताया जा चुका है कि नगर पालिकाएँ मुख्य रूप से चार प्रकार के कार्य करेंगी—१. सार्वजनिक रक्षा का कार्य, २. सार्वजनिक स्वास्थ्य का कार्य, ३. सार्वजनिक शिक्षा का कार्य और ४. सार्वजनिक सुविधाएँ प्रदान करने का कार्य। इन कार्यों का विस्तृत चर्च हम पहले ही देख चुके हैं और यह भी देखा चुके हैं कि हमारे देश में नगर-पालिकाएँ अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन क्यों नहीं करती।

आय के साधन—हमारी नगर पालिकाओं की असफलता का सबसे मुख्य कारण यह है कि उनकी आय के स्रोत अत्यन्त सीमित हैं। अपने प्रान्त की नगर-पालिकाओं की आय के साधनों को हम चार मुख्य भागों में बाँट सकते हैं—१. म्युनिसिपल कर, २. सरकारी सहायता, ३. श्रृणु और ४. म्युनिसिपल व्यापार से आय।

१. म्युनिसिपल कर—नगरपालिकाओं की आय का सबसे बड़ा भाग करों द्वारा प्राप्त होता है। यह कर निम्नलिखित हैं :—

- ✓ (क) सम्पत्ति कर (Property Tax)
- ✓ (ख) व्यापार तथा व्यवसाय कर (Taxes on Trades and Professions)
- ✓ (ग) गाड़ियों, सौगों, टैलों, रिक्शा व सवारी के दूसरे साधन पर कर
- ✓ (घ) जुत्तों पर कर
- ✓ (च) बाहर से नगरों में आने वाले पदार्थों पर कर जिसे जुंगी कर (Octroi or Terminal Tax) कहा जाता है।
- ✓ (छ) पानी, बिजली व सफ़ाई कर
- ✓ (झ) म्युनिसिपल सम्पत्ति व कमेटी के बाजारों से आय

२. सरकारी सहायता—प्रायः प्रत्येक ही नगर-पालिका को प्रान्तीय सरकार की ओर से एक बँधी हुई काफ़ी सहायता मिलती है।

३. श्रृणु—नगर पालिकाओं को प्रान्तीय सरकार की अनुमति से श्रृणु लेने का अधिकार भी प्राप्त होता है।

४. म्युनिसिपल व्यापार—नगर पालिकाओं की आय का एक और बड़ा स्रोत जिसे हमारे देश में बहुत कम काम में लाया जाता है, म्युनिसिपल व्यापार है। दूसरे देशों में नगर पालिकाएँ अनेक प्रकार के उद्योग-धन्धे चलाती हैं—जैसे होटल खोलना,

देरी फार्म चलाना, ट्राम इत्यादि का आयोजन करना, थियेटर व सिनेमा खोलना, शुद्ध राय-सदाओं की बिस्को का प्रवन्ध करना, सार्वजनिक स्नानागार व तैले के तात्राव का प्रवन्ध करना, बोट क्लब व विक्रमिक के स्थानों का प्रवन्ध करना इत्यादि । इन कार्यों से न केवल नगर-पालिकाएँ अपनी आय में वृद्धि करती हैं, वरन् अपने नागरिकों के दैनिक जीवन को भी अधिक आनन्दमय व सुविधाजनक बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं ।

आय के साधनों में दृष्टि करने के लिए कुछ सुझाव

वैनल कमेटी की सिफारिशों—भारत सरकार ने स्थानीय सस्थाओं की आर्थिक अवस्था की जाँच तथा उनके साधनों में बहोत्तरी पर विचार करने के लिए श्री पी० के० ब्रैतल को अल्पसंख्यक कमेटी बनाई थी । इस कमेटी की रिपोर्ट मई सन् १९५१ में प्रकाशित हो गई । कमेटी ने नगर पालिकाओं की वर्तमान आर्थिक अवस्था के विषय में निम्न आँकड़े प्रकाशित किये :—

भारत में तीन कारपोरेशनों की आय सन् १९४६-४७ में १२ करोड़ ३५ लाख रुपये थी । प्रति व्यक्ति के हिसाब से यह आय ६ रु० ११ आ० ४ पाई थी ।

५६२ नगर पालिकाओं की आय १७ करोड़ ५६ लाख रुपये थी । जनसंख्या के विचार से यह आय ३ रु० ६ आ० ६ पा० प्रति व्यक्ति थी ।

१८६ जिला मण्डलियों की आय १५ करोड़ ५५ लाख रुपये थी । जनसंख्या के विचार से यह आय केवल ३ आने ६ पाई थी ।

कमेटी ने कहा कि इस प्रकार विदित है कि मिश्र-मिश्र स्थानीय सस्थाएँ अपने अधिकारों का पूरा उपयोग कर अपने आर्थिक साधनों का पूर्ण लाभ नहीं उठातीं । उसने कहा कि आजकल भी स्थानीय सस्थाओं को इतने अधिकार प्राप्त हैं कि वह उनसे अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकती हैं । सम्पत्ति कर के विषय में कमेटी ने कहा कि बहुत-सी नगर पालिकाएँ इस कर को नहीं लगातीं । उसने कहा कि स्थानीय सस्थाओं को चाहिये कि वह (१) सम्पत्ति पर अधिक कर लगाएँ, (२) करतारों पर विशेष कर लगाएँ, (३) रेल व मोटर से आने वाले यात्रियों पर कर लगाएँ, (४) बाहर से आने वाली वस्तुओं पर कीमत के हिसाब से कर लगाएँ तथा (५) पानी, बिजली, चूरा, डेपरी, ट्राम, सिनेमा इत्यादि का प्रवन्ध करके उन साधनों से आय को बढ़ाएँ ।

नगर पालिकाओं की आय बढ़ाने के लिए हम निम्न और सुझाव पत्रों के सम्पुट पेश करते हैं :—

१. सन्तानोत्पत्ति कर (Progressive tax on birth of children)—
हाल ही में पंजाब के बरनाला नामक नगर की कमेटी ने इस प्रकार का कर लगाया है । सन्तानोत्पत्ति की सूचना प्रत्येक माता-पिता को नगर-पालिका में देनी होती है । ऐसे

समय यदि शिशु के माता पिताओं से कहा जाय कि वह प्रथम शिशु पर कम परन्तु उसके परन्तु बढता हुआ घर नगर पालिका के कार्यालय में बना करें तो इस विधि में न केवल नगर पालिकाओं की आय में ही वृद्धि हो सकेगी बल्कि हमारे देश की बटुती हुई जनसंख्या पर भी कुछ प्रतिकल्प लग सकेगा।

२. विवाहों तथा सद्गोत्रों के अन्तर्गत पर उन उत्तमों में होले जाने वाले व्यक्तियों के अनुदान से कर—हमारे देश में विवाहों तथा सद्गोत्रों पर करों की वसूली प्रति वर्ष कम किया जाता है। यदि हमें और उत्साह के इन अवसरों पर नगर-पालिका की अपने नागरिकों से इहे कि उन्हें कुछ 'जर' दिना जाय तो वह कोई अनुचित माँग नहीं होगी। इन अवसरों पर नगर पालिकाओं के कर्मचारियों विदेशों भ्रमण इत्यादि का अथवा काम करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हा है कि ऐसे लोगों से मुनिविद्वान् कर वसूल किया जाय।

३. नौकर रखने पर कर—नगरों में प्रत्येक ऐसे परिवार के लिए जो अपने यहाँ नौकरों से काम लेता है, प्रतिवार्षिक हाना चाहिए कि वह अपने नौकरों के हिसाब से एक बटुता हुई दर के अनुसार नगर पालिकाओं को टैक्स दे। इसके नौकरों के नरिष के सम्बन्ध में न केवल पक्कन हा जायगी और आवे दिन होने वाली घरों में चरितों की सरता कम हो जायगी।

४. मिनमा के विज्ञापनों पर कर।

५. म्युनिसिपल घण्टा बस मिनमा, थियेटर, सिनेमा, डेयरी, स्पोर्ट, मार्केटिक स्नानागार, बने, ट्रान इत्यादि चलाकर उत्तम आय।

६. प्राचीन सरदारों से अधिक सहायता की माँग।

७. रिनोट (Entertainment) तथा जुए पर लगाये हुए प्राचीन करों में नगर पालिकाओं द्वारा निम्न माग का माँग।

हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि हमारे देश की नगर पालिकाएँ इन सभी आय के साधनों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें तो उनका बर्षिक आय में भारी बढाव ही हो सकेगी है और वह अपने नागरिकों की अधिक सेवा कर सकेगा है।

नगर पालिकाओं के अधिकार

इसी अध्याय में हमने नगर पालिकाओं के कर्तव्यों का विवरण दिया है। इन कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए नगर पालिकाओं का कानून द्वारा विशेष प्रकार के अधिकार दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ—प्रत्येक नगर पालिका अपने नागरिकों पर बर्ष प्रसार के कर लगाती है। वह नगर में जायदाद इत्यादि बनाने के लिए विशेष निधन बनती है। प्रत्येक नागरिक को नया मकान या दूकान बनाने या अपनी पुरानी सन्धि में

परिवर्तन करने के लिए नगर-पालिका की स्वीकृति लेनी पड़ती है। नगर का स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए प्रत्येक नगर पालिका को विशेष अधिकार दिये जाते हैं, जैसे अशुद्ध, सड़े-गले, बीनारी फैलाने वाले, मिलावटी पदार्थों की रोक याम करने का अधिकार, हलवाहवों इत्यादि को आदेश देने का अधिकार कि वह हानिकारक पदार्थों को न बेचें और कीटाणुओं से अरने पदार्थों की रक्षा करने के लिए सफाई व जाली की अलमारियों इत्यादि का समुचित प्रबन्ध करें इत्यादि। कुछ विशेष प्रकार के दूषित जैसे चेश्यागमन इत्यादि व्यापारों की रोक धाम के लिए भी नगर पालिकाएँ नियम बनाती हैं। कारखाने, मादक वस्तुएँ, जहरीले पदार्थ, शीघ्र आग पकड़ने वाली चीजें जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, सिनेमा, फिल्म इत्यादि के नियंत्रण के लिए भी नगर-पालिकाओं को नियम बनाने पड़ते हैं।

सरकार की ओर से नगर पालिकाओं को ऐसे नागरिकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का भी अधिकार होता है जो उसके नियमों को भङ्ग करें, सार्वजनिक स्थानों पर गद्गी फैलायें, अपने मकानों में उचित सफाई का प्रबन्ध न रखें, म्युनिसिपल संपत्ति का अनधिकार उपयोग करें इत्यादि।

नगर पालिकाओं की शासन व्यवस्था

नगर पालिका का शासन प्रबन्ध सदस्यों तथा बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इस दशा में, नगर पालिका के अध्यक्ष तथा ऐन्जीन्यूटिव आफिसर अथवा सेक्रेटरी को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। नगर का शासन प्रबन्ध विभिन्न विभागों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इन विभागों में निम्न विभाग मुख्य हैं :—

१. शिक्षा विभाग—यह विभाग एक शिक्षा सुपरि-टेंडेंट के अधिकार में रहता है। इस विभाग का मुख्य कार्य लड़के व लड़कियों की प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध करना होता है। एक विशेष आयु तक के बच्चों के लिए प्रायः प्रत्येक नगर पालिका में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होती है। शिक्षा विभाग नगर की पुस्तकालयों व वाचनालयों की भी देखभाल करता है तथा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

२. इञ्जीनियरिंग विभाग—यह विभाग एक मुख्य म्युनिसिपल इंजिनियर के अधीन होता है। इस विभाग का मुख्य कार्य सड़कें, गलियों, नालियों, विश्राम घरों, अवादिज घर, तालाबों, बाजारों, पाठशालाओं तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण तथा उनकी देखभाल करना होता है।

३. चुर्गी विभाग—यह विभाग एक मुख्य चुर्गी अधिकारी के अधीन कार्य करता है। नगर के चारों ओर अनेक चुर्गी वलून करने के स्थान होते हैं। उन स्थानों की देख-रेख करना तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करना जो चुर्गी न दें, इस विभाग का मुख्य कार्य होता है।

सरकार को प्राप्त है। प्रान्तीय सरकार यदि यह समझे कि कई नगर पालिका अथवा कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रही है तो वह उसे भंग कर सकती है, उसके लिए नये चुनाव किये जाने की आज्ञा दे सकती है अथवा नगर पालिका का प्रमुख किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे सकती है जिसे वह ऐसा काम करने के लिए उद्युक्त समझे। अध्यक्ष तथा ऐसे सदस्यों को अपने पद से अलग करने का अधिकार भी प्रान्तीय सरकार को प्राप्त है जो अपने पद का उचित उपयोग न कर, नगर पालिका के कार्य में गड़बड़ी फैलाएँ। इस प्रकार के अधिकार प्रान्तीय सरकार के हाथ में रखे जाने उचित ही हैं, कारण अभी तक हमारे देश में जनता अपने कर्तव्यों को उचित प्रकार से नहीं समझती है। जब तक हमारे देश की जनता प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्य में अधिक अनुभव प्राप्त नहीं कर लेती, उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण नितांत आवश्यक है।

छावनी बोर्डों का शासन प्रबन्ध

(Administration of Cantonment Boards)

छावनियों उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ भारत सरकार की सेना रहती है। ऐसे क्षेत्रों में अत्यधिक जनता भी रहती है, परन्तु मुख्यतया वह ऐका ध्य पर करती है जिसका सेना की आवश्यकताओं से सम्बन्ध होता है। छावनियों का प्रमुख प्रान्तीय सरकार के अधीन न रहकर केन्द्रीय सरकार के अधीन होता है। उनके नागरिक प्रमुख के लिए जो समिति चुनी जाती है उसमें अधिकतर सेना के अधिकारी मनोनीत किये जाते हैं। कुछ सदस्य अत्यधिक जनता के प्रतिनिधि भी होते हैं परन्तु बोर्ड का अध्यक्ष, सेना का एक उच्च अधिकारी रिजिडियर अथवा कंपनी कमांडर होता है और सेना की सुविधा तथा आवश्यकताओं की ही बोर्ड के कार्यक्रम में महत्ता दी जाती है। अंग्रेजों के काल में छावनियों के प्रमुख में अत्यधिक जनता के प्रतिनिधियों को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे, परन्तु अब हमारी सरकार उनके अधिकारों में शाने शाने वृद्धि कर रही है।

छावनी बोर्डों को वही सब काम करने पड़ते हैं जो नगर-पालिकाएँ करती हैं। उनकी कार्य-प्रणाली तथा आय के साधन भी प्रायः वैसे ही होते हैं।

बन्दरगाहों का शासन प्रबन्ध (Port Trusts)

बन्दरगाहों के प्रबन्ध के लिए भी छावनियों की भाँति विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है। बन्दरगाहों पर सवारियों तथा सामान के आयात व निर्यात का काम होता है। इस कारण बन्दरगाहों के प्रबंधकों को नावों, छोटे जहाजों, मान उतारने के लिए कैनों, गोदामों, मजदूरों तथा इसी प्रकार की अनेक सुविधाओं का प्रबंध करना पड़ता है। यह प्रबंध एक विशेष समिति द्वारा किया जाता है जिसमें कुछ सदस्य कार्पोरेशन के

प्रतिनिधि होते हैं, कुछ सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं तथा कुछ व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं। हमारे देश में तीन पोर्ट ट्रस्ट बन्दर, कलकत्ता तथा मद्रास में हैं। इन पोर्ट ट्रस्टों को मान के आयात व निर्यात सम्बन्धी कार्य के अतिरिक्त सफाई, स्वास्थ्य, रोशनी तथा बन्दर में काम करने वाले मजदूरों की भलाई सम्बन्धी अनेक वैसे ही काम करने पड़ते हैं जैसे म्युनिसिपैलिटीयाँ करती हैं।

टाउन तथा नोटिफाइड एरिया कमेटीयाँ

हमारे प्रांत के उन क्षेत्रों के म्युनिसिपल प्रबन्ध के लिए जिनकी जनसंख्या २०,००० से कम है, टाउन एरिया तथा नोटिफाइड एरिया कमेटीयाँ हैं। प्रांतीय सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी ऐसे क्षेत्र को नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया अथवा म्युनिसिपल कमेटी के अधिकार क्षेत्र में दे दे जिसे वह उचित समझे।

टाउन एरिया तथा नोटिफाइड एरिया कमेटीयाँ को वही सब काम करने पड़ते हैं जो बड़े नगरों में नगर पालिकाएँ करती हैं। वह सड़कों का निर्माण करती हैं, स्वास्थ्य तथा सफाई सम्बन्धी कार्य करती हैं, कुओं व तालाबों की देखभाल करती हैं। पीने का पानी, रोशनी, बिजली, शिक्षा तथा दूध प्रकार की सार्वजनिक सुविधाएँ प्रदान करने के कार्य करता है। इन कमेटीयाँ में सदस्यों की संख्या ५ और ७ के बीच में रहती है। इनमें अधिकतर सदस्य निर्वाचित होते हैं परन्तु कुछ सदस्य प्रांतीय सरकार द्वारा भी मनोनीत किये जाते हैं। नगर पालिकाओं की अपेक्षा नोटिफाइड तथा टाउन एरिया कमेटीयाँ को कम अधिकार प्राप्त होते हैं, उनके कार्य में कलक्टर तथा कमिश्नर अधिक हस्तक्षेप कर सकते हैं, तथा उनकी आमदनी के स्रोत भी कम होते हैं। उनकी आर्थिक सहायता डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा प्रांतीय सरकार द्वारा भी जाती है, कुछ थोड़े से घर भी वह स्वयं लगा सकती हैं।

हमारे प्रांत में इस प्रकार की कमेटीयाँ की संख्या परापर घटती जा रही है कारण, बहुत-सी टाउन तथा नोटिफाइड एरिया कमेटीयाँ को नगर-पालिकाओं का पद दे दिया गया है। सन् १९४६-५० में ३४ नोटिफाइड तथा टाउन एरिया कमेटीयाँ को या तो नगर पालिकाओं में मिला दिया गया या उन्हें स्वयं नगर पालिकाओं का अधिकार प्रदान कर दिया गया। सन् १९५० में हमारे प्रांत में केवल दस नोटिफाइड एरिया कमेटीयाँ शेष रह गई थीं।

जिला मंडलियाँ

वह कार्य जो नगरों में म्युनिसिपल बोर्डों द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं, ग्राम्य क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों द्वारा किये जाते हैं। आठम को छोड़कर भारत के शेष सब प्रांतों में जिला मंडलियाँ की व्यवस्था है। जिला मंडली का अधिकार क्षेत्र जिले की सीमा के

साथ साथ होता है। पंजाब और उत्तर प्रदेश को छोड़कर जिला मडली के अधीन तालुका बोर्ड तथा सर्किल बोर्ड होते हैं। बंगाल, मद्रास तथा उड़ीसा में उन्हें यूनिपन कमेटी कहा जाता है। कहीं कहीं तालुका बोर्डों के अधीन स्थानीय बोर्ड होते हैं जो ग्राम पंचायतों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। उनकी अधिकार सीमा एक गाँव या २ से ४ गाँव तक सीमित रहती है। हमारे अपने प्रांत में जिला मडलियों के अधीन तालुका या स्थानीय बोर्डों की व्यवस्था नहीं है। उनके स्थान पर हमारे प्रांत में तहसील कमेटीयों तथा ग्राम पंचायतों हैं। जिला मडलियों की संख्या हमारे प्रांत में ५१ है। सन् १९५०-५१ में इनकी कुल आय ५ करोड़ रुपये थी।

जिला मडलियों के आवश्यक कार्य

जिला मडलियों नगर पालिकाओं के समान ही कार्य करती हैं। उत्तर प्रदेश के जिला मडली कानून के अधीन उनके कार्यों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—(१) आवश्यक कार्य और (२) ऐच्छिक कार्य। आवश्यक कार्य वह है जो ग्राम निवासियों के स्वास्थ्य तथा रक्षा के लिए आवश्यक है। ऐच्छिक कार्य वह है जो ग्रामाण्य क्षेत्र के नागरिकों को जीवन की सुविधाएँ तथा एक उल्लासपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। जिला मडलियों के आवश्यक कार्यों को हम निम्न चार भागों में विभक्त कर सकते हैं :

१. सार्वजनिक स्वास्थ्य—श्रीपंचालयों व चिकित्सालयों का स्थापित करना तथा उनका काम चलाना, सार्वजनिक कुओं व तालाबों का बनवाना तथा उनकी मरम्मत करना, सक्रामक रोगों जैसे हैजा, प्लेग इत्यादि की रोक थाम करना, गाँवों के लिए शिक्षित दाइयों का प्रबन्ध करना, जनता में स्वास्थ्य तथा सफाई सम्बन्धी शिक्षा का प्रसार करना और चेचक के टीके का प्रबन्ध करना।

२. सार्वजनिक रक्षा—मयानक तथा दूषित व्यापारों की रोक थाम करना, पीने के पानी को दूषित होने से बचाना, कुओं तथा तालाबों में लान दवाई के प्रयोग के द्वारा उनके पानी की जहरीले कीटाणुओं से रक्षा करना, टूटे टूटे मकानों को गिराना इत्यादि।

३. सार्वजनिक सुविधाएँ—सड़क, पुन व गाँव के रास्तों को बनवाना, तथा उनकी देखभाल व मरम्मत करना, पेड़ लगवाना, अग्निद्विज घरों तथा अनाथालयों का प्रबन्ध करना, बाजारों, हागो, पैट्रों तथा मेलों का प्रबन्ध करना, पशु व मानव चिकित्सालयों की स्थापना करना, विश्राम गृहों व डाक बंगलों का बनवाना, जनता की सुविधा के लिए चाटिका व बागों की स्थापना करना, बिजली व गल के पानी का प्रबन्ध करना, कौड़ी हाउस बनवाना, कृषि, व्यापार व पर्यटन उद्योग धर्मों की उन्नति के लिए प्रदर्शनी व मेले इत्यादि लगाना।

१. सार्वजनिक शिक्षा—सड़कें व लड़कियों की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पाठशालाओं की स्थापना करना, निद्रार्थियों को छान्दृत्तियों प्रदान करना, शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए वेन्द्र खोलना, शिक्षा कमेटियों द्वारा पाठशालाओं के निरीक्षण का प्रबन्ध करना, वाचनालयों तथा धूमने-दिग्घने वाले पुस्तकालयों का प्रबन्ध करना, औद्योगिक तथा कृषि शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षालयों का प्रबन्ध करना ।

जिला मण्डलियों के ऐच्छिक कार्य—

इन कार्यों में हम निम्नलिखित कार्य सम्मिलित कर सकते हैं—नई सड़कें बनाने के लिए नमि प्रहण करना, ग्रन्थालयप्रद स्थानों को स्थाप्यप्रद बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरि तथा मृसु के श्रॉकड़े रचना, ग्रामीण जनता को यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए मोटर, बस, ट्राम गाड़ियों तथा छोटी रेलगाड़ियों का प्रबन्ध करना, सिव्ई सम्बन्धी प्रबन्ध करना, ग्रामीण जनता के मनोरञ्जन तथा शिक्षा के लिए रेडियो, सिनेमा, चलचित्र तथा ड्रामा का प्रबन्ध करना, पंचायत बनाना तथा पंचायत घरों का निर्माण करना इत्यादि ।

हमारे देश की जिला मण्डलियाँ

दुर्भाग्यवश हमारे देश में श्राय के साधनों की कमी के कारण जिला मण्डलियाँ ऐच्छिक कार्यों का तो कहना ही क्या, अपने आदर्शनक कार्य भी पूरे नहीं कर पातीं । जिला मण्डलियाँ के सरक्षण में जो सड़कें, रास्ते, गलियाँ इत्यादि होती हैं उनकी दया देखते हा बनती है । ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, सफाई व चिकित्सा का भी कोई सतोषजनक प्रबन्ध नहीं होता । समाज के सिद्धे हुए वर्ग जैसे हरिजन तथा स्त्रियों की शिक्षा के लिए जिला मण्डलियाँ किसी प्रकार का प्रबन्ध नहीं करतीं । भारतर्ष में श्रायद ही कोई ऐसे गाँव हों जहाँ जिला मण्डली की ओर से पंचायत घर, टयान, बाटिका, थियेटर-हाल हल या आनन्द-प्रमोद के केन्द्रों का प्रबन्ध किया जाता हो । दूसरे अन्य देशों में ग्रामीण क्षेत्रों की शासन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है । नगरों से भी अधिक उनको स्वण्य, सफाई तथा आनन्द-प्रमोद के केन्द्रों में परिवर्तित करने का सतत् प्रयत्न किया जाता है । नगर के लोग शहर से दूरान्द जीवन के तम आकर प्रत्येक अवकाश के समय गाँवों की ओर ही अपने जीवन की उच्च सुवर्ण घड़ियाँ बद्रीत करने के स्वन्न देखते हैं । इग्लैंड में प्रतिष्ठित घरनों के व्यक्ति—बड़े-बड़े सरकारी कर्मचाँ, मन्त्री तथा हाउस आफ लार्ड्स के सदस्य, ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आराम तथा स्वण्य लाभ के लिए कोठियाँ इत्यादि बनाते हैं । यहाँ कोई भी ऐसा गाँव देखने में नहीं मिलता जिसमें अरना हल, ड्रामा सँसारदी, पंचायत घर, पुस्तकालय, वाचनालय अपना कोई कदा केन्द्र देखने को न मिले । हमारे देश में सर्वप्रथम हाँ जिला मण्डलियों के

आय के साधन बहुत कम हैं जिसके कारण स्थानीय सरथाएँ अपने नागरिकों की सुविधा के लिए कुछ प्रबन्ध नहीं कर सकतीं, तिस पर हमारी जनता में नागरिक शिक्षा का इतना अभाव है कि वह अपने कर्तव्यों को मनानाँति नहीं समझती और जिला मडलियों के सदस्य जनता की सेवा करने के स्थान पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के साधनों को अधिक महत्त्व देते हैं। इसलिए जिला मडलियों के शासन स्तर को जँचा उठाने के लिए आवश्यक है कि हम (१) जिला मडलियों के आय के साधना म वृद्धि करें, (२) उनके सङ्गठन को अधिक कुशल तथा शक्तिशाली बनायें और (३) जनता को अधिक से अधिक नागरिक शिक्षा प्रदान करें।

जिला मडलियों का संगठन

निर्माण—उत्तर प्रदेश की जिला मडलियों की व्यवस्था सन् १९२२ के जिला मडलियों के कानून के अधीन निर्धारित थी, परन्तु सन् १९४७ और १९५८ में इस कानून में कुछ आवश्यक संशोधनों द्वारा इस बात का प्रबन्ध कर दिया गया कि गाँवों की वयस्क जनता को मतधिकार मिल सके, जिला मडली में एक वायपालिका का निर्माण हो सके, जिला मडली के अध्यक्ष का चुनाव बोर्ड के सदस्यों के स्थान पर सीधा जनता द्वारा किया जा सके तथा गाँवों के बीच से भी नगरों की मॉलि दूधित पृथक निर्वाचन प्रणाली का अन्त हो सके। विदित है कि जिला मडलियों के कानून में इस प्रकार के संशोधन उसी आधार पर किये गये हैं जैसे वह नगरपालिकाओं के सङ्गठन में किये गये हैं तथा जिनका वर्णन हम पीछे देखेंगे हैं। संशोधित कानून में मुसलमानों तथा हरिजन के अधिकारों की रक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था वायम रखी गई है। ऐसा इसलिए किया गया कि जिस समय जिला मडलियों का संशोधित कानून पास किया गया था उस समय तक हमारे देश की सविधान सभा ने मुसलमानों के लिए सुरक्षित स्थानों की प्रथा का निषिद्ध नहीं टहराया था। परन्तु अब स्वतंत्र भारत के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को वायम रखने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि केवल धर्म के आधार पर किसी जाति को विशेष सुविधाएँ न दी जायें। हमारे प्रान्त की सरकार इसलिए नगर पालिकाओं तथा जिला मडलियों के कानून में और आवश्यक परिवर्तन करने का शीघ्र ही विचार कर रही है।

सदस्य संख्या—सन् १९२२ के कानून के अधीन हमारे प्रान्त में जिला मडलियों के सदस्यों की संख्या १५ और ४० के बीच निश्चित की जाती थी। संशोधित कानून में यह संख्या बढ़ाकर ३० और ८० के बीच कर दी गई है। एक और मारा परिवर्तन पहले कानून में यह किया गया है कि मनोनीत सदस्यों की प्रथा का तोड़कर उसके स्थान पर कोऑप्टेड सदस्य की प्रथा को चालू किया गया है। १९२२ के कानून के अधीन प्रत्येक जिला मडली में ३ सदस्य प्रांतीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते थे। संशोधित

कानून में इन मनोनीत सदस्यों के स्थान पर इस बात का प्रश्न किया गया है कि प्रांतीय सरकार जिला मजलियों को अपने चुने हुए कुछ सदस्यों की संख्या का अधिक से अधिक दसवां भाग को प्रोव्हीडेड सदस्यों के रूप में निर्वाचित करने का अधिकार दे सकती है। इन सदस्यों में, कानून में कहा गया है, कि कम से कम २ महिलाएँ तथा १ ऐसी जाति का व्यक्ति होना चाहिए जिसे ग्राम चुनाव में प्रतिनिधित्व न मिला हो। तीसरा संशोधन कानून में यह किया गया है कि जिला मजली का दिन प्रति दिन का कार्य चलाने के लिए एक कार्य-समिति का आयोजन किया गया है। इस समिति के सदस्यों में जिला मजली का अध्यक्ष, दूसरे जिला मजली के सदस्य तथा सब कमेटीयों के प्रधान होंगे। जिला मजली का मन्त्री इस कमेटी का मन्त्री होगा। यह कमेटी वह सारे कार्य भी करेगा जो पहले राज्य कमेटी करती थी।

अध्यक्ष (President)—जिला मजली के अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में भी संशोधित कानून में आमूल परिवर्तन किया गया है। सन् १९२२ के कानून के प्रथम अध्याय का चुनाव जिला मजली के सदस्यों द्वारा किया जाता था। यह सदस्य अध्यक्ष को चुन सकते, अविश्वास का प्रस्ताव कर निकाल सकते थे। इस प्रथा के अन्तर्गत जिला मजली का विचार तथा दलबन्दी का अभाव पनी रहती थी और सदस्य एक अध्यक्ष का निर्वाह कर दूसरे व्यक्ति को उसके स्थान पर रखने का निरंतर प्रयत्न करते रहते थे। संशोधित कानून में इसलिए इस बात का आयोजन किया गया है कि जिला मजली के अध्यक्ष का चुनाव सीधा जनता द्वारा किया जाए। इस चुनाव के लिए जिने में रहने वाला प्रत्येक वह व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में लड़ा हो सकता है जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो तथा जिसकी आयु कम से कम ३० वर्ष हो। अध्यक्ष के पद की अवधि ३ वर्ष की होगी परन्तु जब तक नये अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, पहला व्यक्ति ही उस पद पर कार्य करना रहेगा।

अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मजलियों के संशोधित कानून में उसी प्रकार का प्रणव किया गया है जैसा नगर पञ्चिकाओं के साथ। यदि कोई जिला मजली अपने अध्यक्ष में अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे और अध्यक्ष को यह विश्वास हो कि जनता उसके साथ है तो वह प्रांतीय सरकार से प्रार्थना कर सकता है कि जिला मजली को भंग कर दिया जाए और नये चुनाव किये जाएँ। इस प्रार्थना को स्वीकार या अस्वीकार करने का अन्तिम अधिकार प्रांतीय सरकार को ही है, परन्तु साधारणतया वह अध्यक्ष की सम्पत्ति का पालन करेगी। ग्राम चुनाव के परभाव यदि दूसरी जुनी हुई जिला मजली भी अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो तीन दिन के अन्दर-अन्दर अध्यक्ष को अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। यदि वह ऐसा न करे तो प्रांतीय सरकार उसे उसके पद से हटा सकती है। परन्तु यदि प्रांतीय सरकार अध्यक्ष की बात

न माने और अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाने के पश्चात् जिला मडली को भङ्ग न करे तो कानून में कहा गया है कि अध्येक्ष को तीन दिन के अन्दर अपने पद से अलग हो जाना होगा। इस प्रकार खाली हुए अध्येक्ष पद के रिक्त स्थान के लिए दोबारा सीधा चुनाव किया जायगा, और उसमें पहले अध्येक्ष को यह अधिकार होगा कि वह चुनाव में खड़ा हो सके, परन्तु यदि अध्येक्ष अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाने के पश्चात्, प्रांतीय सरकार के कहने पर भी तीन दिन के अन्दर अपना पद त्याग न करे, तो उसे दोबारा होने वाले चुनाव में खड़ा होने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि संशोधित कानून के अनुसार जिला मडलियों के मुख्य अधिकारी एवं कार्यकर्ता अर्थात् अध्येक्ष को सदस्यों के पद्यों से दूर रखने का सप्रवृत्त प्रबंध किया गया है।

अवधि—जिला मडली की कार्य अवधि पहले के समान ही तीन वर्षे रखा गई है, परन्तु प्रांतीय सरकार को अधिकार दिया गया है कि यदि वह उचित समझे तो उसे पहले भी मंग कर सकती है अथवा उसकी अवधि को बढ़ा सकती है।

चुनाव—जैसा पहले बताया जा चुका है, चुनावों में मतदाताओं की योग्यता के सम्बन्ध में, कानून में कहा है कि यह योग्यताएँ वही होंगी जो प्रांतीय विधान सभा के निर्वाचकों के लिए निश्चिन्त हैं। नये विधान में प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है कि भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को चुनावों में भाग लेने का अधिकार होगा। इसलिए जिला मडलियों के चुनावों में भी गाँवों में रहने वाले प्रत्येक वालिग स्त्री व पुरुष को भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा।

पदाधिकारी—जिला मडली का सबसे मुख्य पदाधिकारी अध्येक्ष होता है। उसकी सहायता के लिए उच्च (सीनियर) तथा एक कनिष्ठ (जूनियर) अध्येक्ष की व्यवस्था होती है। यह दोनों सदस्य अध्येक्ष की अनुपस्थिति में काम करते हैं। इन तीन निर्वाचित पदाधिकारियों के अतिरिक्त जिला मडली के दिन प्रति दिन के प्रबंध-सम्बन्धी काम चलाने के लिए अनेक दैनिक कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं। इनमें निम्न मुख्य होते हैं—(१) मंत्री, (२) इजीनियर, (३) स्वास्थ्य अधिकारी, (४) सूर्य-सफाई निरीक्षक और, (५) शिक्षा अधिकारी।

जिला मडलियों के विधान में इस बात की व्यवस्था है कि मडली के अधिवेशनों में अध्येक्ष की आज्ञा से जिले के कुछ सरकारी अधिकारी जैसे विविन सर्वेजन, एक्जीक्यूटिव इजीनियर, इस्पेक्टर आफ स्कूलस या कोई और ऐसे ही अधिकारी जिनको प्रांतीय सरकार इस बात की आज्ञा दे, सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्रकार का प्रबंध इस दृष्टि से किया गया है जिससे इन विशेषज्ञों की राय से जिला मडली के कार्य में लाभ उठाया जा सके।

परन्तु वहाँ इन अधिकारियों की मदली के अधिनियमों में उल्लिखित रहने तथा क्षेत्रों का अधिकार दिया गया है, वहाँ उन्हें किसी प्रकार का मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है।

जिला मजलिसों की जमेदियाँ

नगरपालिकाओं का नीति जिला मजलिसों की अपने कार्य का सञ्चालन विशेष करने पियों द्वारा करती है। पूरी जिला मजली का कार्य केवल नीति का सञ्चालन करना होता है। दोष कार्य मजली की जमेदियों द्वारा पूरा किया जाता है। प्रत्येक जिला मजली में निम्न जमेदियाँ मुख्य रूप से व्यवस्थित की जाती हैं—

(१) राजस्व जमेदारी—जिला-मजली की यह सबसे मुख्य जमेदारी समझी जाती है। यह जमेदारी बजट बनाती है एवं आय व खर्च का हिसाब रखती है। इस जमेदारी के ६ सदस्य होते हैं। जिला-मजली का अफसर, इस जमेदारी का अफसर तथा उच्च मन्त्री इस जमेदारी का मन्त्री होता है। मजली की जमेदियों में बाहर के सदस्य भी लिये जा सकते हैं परन्तु उनकी सरना एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती।

(२) तहसील जमेदारी—जिला मजली के अधीन प्रत्येक तहसील के लिए एक तहसील जमेदारी होती है। यह जमेदारी तहसील से सम्बन्ध रखने वाले समस्त कार्यों की पूरा करने में मजली की सहायता करती है। इस जमेदारी के उस तहसील के निर्वाचित समस्त व्यक्तियों के सदस्य होते हैं। बाहर के लोग भी इस जमेदारी में सहानुभूति सदस्यों के रूप में मनोनीत किये जा सकते हैं।

(३) शिक्षा-जमेदारी—राजस्व जमेदारी के पश्चात् जिला मजली की यह सबसे महत्वपूर्ण जमेदारी होती है। शिक्षा सम्बन्धी विषयों में इस जमेदारी को पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। चुनाव के पश्चात् यह जमेदारी मजली से स्वतन्त्र स्वरूप कार्य करती है। इसके १२ सदस्य होते हैं—८ जिला-मजली के सदस्य तथा ४ बाहर से लिये हुए सहानुभूति सदस्य। अन्तिम ४ सदस्यों में २ सदस्य प्रांतीय शिक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं, एक महिला तथा एक मुसलमानों मजलिसों का प्रतिनिधि होता है। इस जमेदारी का सम्बन्ध, जमेदारी के सदस्य स्वयं निर्वाचित करते हैं। वह कोई सरकारी नौकर नहीं हो सकता। जमेदारी के मन्त्री पद पर किये के द्वितीय इन्स्पेक्टर आफ स्कूल कार्य करते हैं। किये की प्रमोशन बनता की संधारण तथा औद्योगिक शिक्षा के लिए यही जमेदारी उत्तरदायी होती है। इसके अधीन अनेक पाठशालाएँ तथा स्कूल कार्य करते हैं। प्राइवेट स्कूलों को भी यह जमेदारी आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सन् १९५०-५१ में हमारे प्रांत में ऐसे प्राइवेट स्कूलों की संख्या २५,२०८ थी।

इस जमेदारी के निर्वाय जिला-मजली के अधिनियमों में केवल सूचनायें प्रस्तुत किये

जाते हैं। मण्डली को उनमें परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। मंडली का अध्यक्ष भी शिक्षा बमेदी के अध्यक्ष पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रख सकता। शिक्षा बमेदी का अध्यक्ष स्वतन्त्र रूप से कार्य करता है। वह जिला-मंडली के अध्यक्ष के मातहत रह कर कार्य नहीं करता।

जिला-मंडलियों के आय के साधन

जिला मंडलियों को अपनी काम सुचारु रूप से चलाने के लिए, विधान द्वारा कुछ कर लगाने के अधिकार दिये गये हैं। इन करों के अतिरिक्त और भी कुछ स्रोतों से जिला मंडलियों की आय होती है। इन सबका सक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जाता है :—

- (१) भूमि कर पर जिला मण्डली का टैक्स—प्रांतीय सरकार द्वारा जो माल गुजारी, जमींदारों से वसूल की जाती है, उस पर जिला-मंडली का टैक्स लगाया जाता है। यह टैक्स प्रांतीय सरकार द्वारा वसूल किया जाता है, परन्तु इसकी आय जिला मंडलियों को दे दी जाती है। जिला मंडलियों की आय का यही सबसे मुख्य साधन है। पहले इस टैक्स की दर १ आना रपया थी परन्तु १९४८ के संशोधित कानून द्वारा यह बढ़ाकर लगभग २ आने रपया कर दी गई है।
- (२) हैसियत कर—गाँवों में रहने वाले जो व्यक्ति मालगुजारी नहीं देते तथा जिनकी वार्षिक आय २०० रुपये से अधिक होती है, उन पर उनकी हैसियत के हिसाब से जिला मंडली कर लगा सकती है। परन्तु इस कर की दर रुपये में ४ पाई से अधिक नहीं हो सकती। ऐसी रकबाट इसलिए लगाई गई है जिससे जिला मंडलियों इनकम टैक्स की भाँति ही लोगों से कर वसूल न करने लगे।
- (३) फ़ैक्टरी कर—जो कारखाने जिला मंडली के अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं उन पर वह उसी प्रकार टैक्स लगा सकती है जिस प्रकार नगरपालिकाएँ अपने क्षेत्र में कारखानों से कर वसूल करती हैं।
- (४) यातायात के साधनों जैसे गाड़ियों, बैल, ठेलों, लद्दू पशुओं पर कर।
- (५) बाजार लगाने अथवा पैठ इत्यादि खोलने पर कर।
- (६) जिला मंडली की जायदाद से आय।
- (७) पशुओं की बिक्री पर कर।
- (८) मेलों से आय।
- (९) पुल पार करने पर टैक्स या नावों से होने वाली आय।
- (१०) जिला मंडली की भूमि में उगने वाले पेड़ों व फलों इत्यादि की बिक्री से आय।

- (११) भूमि की विन्नी से आय ।
 (१२) बाँगी हाउस से आय ।
 (१३) दलाली, अद्वितीय तथा ठीलने वालों पर लाइसेंस कर ।
 (१४) प्राचीन सरकार से आर्थिक सहायता ।
 (१५) शून्य ।

जिला मंडलियों की आय-साधनों में वृद्धि के उपाय

नगर-पालिकाओं की भाँति भारतवर्ष में जिला मंडलियों की आय के साधन एकदम अनर्पण हैं । भारत की समस्त जिला मंडलों की आय १५ करोड़ रुपये से अधिक नहीं है । इस आय का लगभग ४० प्रतिशत भाग अन्वय्य अर्थात् मालगुजारी पर जिला मण्डली के टैक्स से वसूल होता है । दूसरे साधनों से आय बहुत कम होती है । जिला मण्डली के अधीन क्षेत्रों का विस्तार देखते हुए उनके शासन प्रबन्ध के लिए यह आय बहुत कम है । जिला मण्डलियों अपनी आय उन्हीं सब ठसालों से बढ़ा सकती हैं जिनका वर्णन हमने नगरपालिकाओं की आय का वर्णन करते समय किया था । इसके प्रतिक्रमिक नेते इत्यादि करके, प्रशंसनीयों की व्यवस्था द्वारा, पशुओं की विन्नी को प्रोत्साहन देकर, अपनी भूमि में वृषि के द्वारा अथवा फलों के पेड़ एवं इमारती लकड़ी इत्यादि लगाकर, डाक बगलो, निम्निक क्लब, निभाति यह, बोट क्लब, डैररी, पोल्ट्री फार्म, मोटर बस, छोटी रेलों इत्यादि की व्यवस्था के द्वारा भी जिला मण्डलियों की आय में समुचित बढ़ोत्तरी की जा सकती है । हमारे देश में अनेक ऐसे सुन्दर तथा आकर्षक गाँव हैं जहाँ यदि जीवन को वर्तमान सुविधाओं का प्रबन्ध किया जा सके तो हजारों परिवार प्रति वर्ष वृद्ध समय के लिए, अपना अथवाय का समय व्यतीत कर सकते हैं । यदि ऐसे स्थानों पर डाक बैंगले, विशाल खेल के मैदान, बोट क्लब, शिकार के स्थान, होटल, रेस्टा, आने-जाने आदि के साधनों इत्यादि का सुशुल प्रबन्ध किया जा सके तो न केवल इससे स्थानीय संस्थाओं की आय में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है वरन् नगर के यज्ञानपूर्ण जीवन से भी लोग वृद्ध समय के लिए सुदृश्या पाकर अपने जीवन में वृद्ध काल के लिए आनन्द और उन्नास का अनुभव कर सकते हैं । गंगा, यमुना व भारत की दूसरी नदियों के किनारे एवं प्रकृति के सौन्दर्यमयी वातावरण के बीच पहाड़ों पर हमारे देश में सहस्रों ऐसे स्थान हैं, जहाँ इस प्रकार के आनन्द-प्रमोद के स्थान बनाये जा सकते हैं । आशा है, हमारे देश की जिला मण्डलियाँ, स्वतन्त्रता के वातावरण में इस ओर ध्यान देंगी और भारतीय नागरिक जीवन के स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक सिद्ध होंगी ।

ग्राम पंचायतें

जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, भारतवर्ष में ग्राम पंचायतें आदि जल से ही चली

आ रही है। सड़कों वगैरे तक यह पंचायतें शासन की स्थिरता तथा समाज की कुशल व्यवस्था की आधार शिला थीं। वह समस्त स्थानीय विवादों का, चाहे वह सामाजिक हों अथवा नैतिक, आर्थिक हों अथवा न्याय सम्बन्धी, निर्णय करती थीं। वह केन्द्रीय सरकार से स्वतन्त्र रहकर कार्य करती थीं। केवल कर देने तथा सैनिक सहायता प्रदान करने के लिए वह केन्द्रीय सरकार के अधीन थीं। ब्रिटिश राज्य के आरम्भ काल में ही इन पंचायतों का जीवन उस समय समाप्त हो गया, जब सरकार ने शासन तथा न्याय क्षेत्रों में केन्द्रीयकरण की नीति का अवलम्बन कर लिया।

सन् १९०८ में प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने एक रिजिस्ट्रियकरण कमीशन नियुक्त करके भारत में ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करने की श्रौर निश्चित कदम उठाया। इस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न प्रान्तीय सरकारों ने अपने यहाँ ग्राम पंचायत ऐक्ट बनाये और सन् १९१२ में पंजाब में, सन् १९२० में उत्तर प्रदेश में, तथा इसके पश्चात् दूसरे सभी प्रान्तों में ऐसे ऐक्ट पास कर दिये गये।

हमारे नव सविधान में ग्राम पंचायतों के सगठन का वही प्राचीन आदर्श अपनाते का प्रयत्न किया गया है जो भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल में लागू था, और इसी आधार पर राज्य की समस्त सरकारों को आदेश दिया गया है, कि वह अपने अपने अधिकार क्षेत्र में शीघ्रतः ही इस प्रकार की ग्राम पंचायतों का सगठन करें। इसी दृष्टि से हमारी देश की विभिन्न प्रान्तीय सरकारों ने अपने पुराने ग्राम पंचायत कानून में सशोधन किया है। नये कानूनों में ग्राम पंचायतों के अधिकार अधिक विस्तृत कर दिये गये हैं तथा उनका सगठन बरकरा मताधिकार के आधार पर किया गया है।

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का सगठन हमारे अपने प्रान्त में ग्राम पंचायत सम्बन्धी कानून दिसम्बर सन् १९४७ में पास किया गया। इस कानून के अन्तर्गत ग्राम्य स्वराज्य की जो स्थापना की गई है उसकी रूप रेखा नीचे दी जाती है।—

निर्माण—इस कानून के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे गाँव के लिए जिसकी जनसंख्या १०० से अधिक है, एक ग्राम सभा बनाई है। यदि इससे छोटे गाँव हैं तो दो तीस गाँवों को मिलाकर एक ग्राम सभा बना दी गई है, परंतु तीन मील से अधिक दूरी वाले गाँवों के लिए अलग सभा बनाई गई है। इस प्रकार यदि छोटे छोटे गाँव एक दूसरे से दूर हैं तो आवादी कम होने पर भी उनमें अलग ग्राम सभाएँ बना दी गई हैं।

सदस्यता—इस सभा का सदस्य गाँव का प्रत्येक व्यक्ति—छी और पुरुष जिसकी आयु २१ वर्ष से अधिक है, होता है। परंतु पागल, दिवालिया, भीषण अपराध में सजा पाये हुए अपराधी तथा सकारी नौकरी करने वाले लोगों को इसकी सदस्यता के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।

ग्राम पंचायत—ग्राम सभा अर्थात् गाँव के सभी बालिग स्त्री-पुरुष अर्थात् १५ दिन-प्रति-दिन का प्रबन्ध करने के लिए एक कार्यकारिणी सभा का चुनाव करते हैं। यह कार्यकारिणी ग्राम पंचायत कहलाती है। ग्राम पञ्चायतों ने पञ्चों की सख्या गाँव की जनसख्या के आधार पर रखी गई है। यह सख्या गाँव सभा के समारोह तथा समारोहों को छोड़कर ३० और ५१ के बीच रखी गई है। समारोह तथा समारोहों का चुनाव सीधा जनता द्वारा किया जाता है, पञ्चायत के सदस्यों द्वारा नहीं। सदस्यों के पद की अवधि ३ वर्ष निर्दिष्ट की गई है, परन्तु गाँव सभा के एक विहार सदस्य प्रति वर्ष रियाज हो जायेंगे और उनके स्थान पर नये चुनाव किये जायेंगे। चुनावों में हम जानना प्रबन्ध किया गया है कि अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधियों का संख्या उनका आवादी के अनुपात से हो। परन्तु हरिजनों के लिए यह नियम रखा गया है कि ग्राम पंचायतों के लिए जो प्रथम निर्वाचन होगा उसमें तो उनके सदस्य उनकी गाँव में सख्या के हिसाब से चुने जायेंगे परन्तु बाद में, उनके प्रतिनिधियों की सख्या प्रांतीय सभा द्वारा निर्दिष्ट की जायगी। चुनाव प्रणाली संयुक्त रखी गई है अर्थात् हिंदू, मुसलमान, हरिजन, सिख, ईसाई सर मिल कर एक दूसरे को राय देते हैं। चुनावों में अल्पसंख्यक जातियों के लिए सीटें इसलिए सुरक्षित रखी गई हैं जिससे ग्राम के सभी वर्गों का पंचायत को विरगस प्राप्त हो सके। सुरक्षित स्थान रखने पर भी पृथक् निर्वाचन प्रणाली का अन्त कर दिया गया है। इससे गाँव के सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ मेज जोन के साथ रह सकेंगे।

पंचायतों के कार्य—ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—सड़कें, पुल व पुलिया बनाना; चिकित्सा तथा सफाई का प्रबन्ध करना; अस्पताल व अश्रमालय, पाठशालाएँ, प्राथमरी स्कूल, पुस्तकालय तथा वाचनालय चलाना; उद्योग धर्मों तथा कृषि की उत्थति का प्रबन्ध करना; मेला, हाट व बाजार का लगवाना; पशुओं की चिकित्सा व उत्थति, स्वास्थ्य की उत्थति के लिए अत्याइ व खेल-बूद का प्रबन्ध करना; वन की व्यवस्था करना, खाद इकट्ठा करने के लिए स्थान नियत करना; रास्तों के दोनों ओर पेड़ लगवाना, मवेशियों की मत्स्य सुधारना; भूमि को समतल करना; स्वयंसेवक दल बनाना; शैक्षिकों का प्रबन्ध करना; सब दलों में प्रथम भाग बढ़ाना तथा और इसी प्रकार का काम करना; जिनसे गाँव की जनता की भौतिक और नैतिक उत्थति हो सके।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्राम पंचायतों को यह सभी काम सौंपे गये हैं जो हमारे ग्रामीण जीवन को सुन्दर तथा समुन्नत बनाने के लिए आवश्यक हैं। ग्राम पंचायतें कृषि, व्यापार तथा उद्योग धर्मों की उत्थति के लिए भी समुन्नित कार्य कर सकेंगी। वह सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों की आलोचना तथा उनके निरुद्ध रिपोर्ट तथा लिखा-पढ़ी भी कर सकेंगी।

ग्राम सभा की बैठकें—ऐक्ट में कहा गया है कि ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम दो बैठकें हुआ करेंगी—एक तरीक करने पर, दूसरी री के बाद। तरीक की मीटिंग में बजट अर्थात् आगामी वर्ष की आमदनी तथा खर्च के आँकड़े पेश किये जायेंगे। इस बजट को पास करने तथा उस पर बहस करने का अधिकार ग्राम सभा के सभी सदस्यों अर्थात् गाँव के प्रत्येक बालिग स्त्री और पुरुष को होगा। रबी की मीटिंग में पिछले साल के हिसाब पर विचार किया जायगा। इस मीटिंग में सदस्य यह पूछ सकेंगे कि रुपये का खर्च ठीक प्रकार से किया गया है अथवा नहीं, और क्या उसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार गाँव सभा ने पहली मीटिंग में उसकी स्वीकृति दी थी। दोनों सभाओं में गाँवों के लोग अपनी ओर से प्रस्ताव पेश कर सकेंगे जिनमें वह गाँव की दशा सुधारने के लिए पक्षों के सम्मूल अपनी योजना रख सकेंगे। गाँव सभा को यह अधिकार होगा कि वह दा तिहाई वोटों से समाप्ति को उनके पद से अलग कर दे। हर ग्राम पंचायत का एक सेनेट तथा और आवश्यक कर्मचारी होने जिनकी नियुक्ति पंचायत करेगी।

ग्रामदानी के खेत—जो काम ग्राम सभाओं के सुपुर्द किये गये हैं उनको पूरा करने के लिए प्रत्येक गाँव सभा को कुछ टैक्स लगाने या कर आदि वसूल करने के अधिकार दिये गये हैं। ग्राम पंचायत किसानों के लगान पर एक आना फी रकबा और जमींदारों की मालगुजारी पर ६ पाई प्रति रुपया कर वसूल कर सकेगी। इसके अतिरिक्त उसे बाजारों तथा मेलों, व्यापार, कारोबार और पेशी तथा ऐसी इमारतों के दामियों पर भी टैक्स लगाने का अधिकार होगा जो दूसरे और टैक्स न देते हों। पंचायतों को प्रान्तीय सरकार तथा बिना बोटों से भी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त उनकी आमदनी का एक और बड़ा स्रोत न्याय पंचायतों द्वारा किये हुए जुर्माने होंगे। पंचायतों का कुछ नियंत्रण के साथ भ्रूण लेने के भी अधिकार होंगे।

आदर्श पंचायतें

आरम्भ के दिनों में ग्राम सभाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रात की प्रत्येक तहसील में एक आदर्श ग्राम सभा बनाई गई है जिसका कार्य एक ऐसी कमेटी द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिला काग्रस तथा विकास बोर्ड के प्रधान, जिले का इन्स्पेक्टर आफ् ऐज्युकेशन, प्राचीन रत्ना टल का कमांडर, हेल्थ आफिसर, विचार्य विभाग, व सहकारी विभाग का अधिकारी, जिले का इंजीनियर तथा जिले के सूचना विभाग का सचिव होते हैं। इस सभा के मंत्री पद पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर काम करता है। ऐसी आदर्श पंचायतों की संख्या २०७ है।

यह सभा इस प्रकार कार्य करती है कि तहसील की दूसरी सभी ग्राम सभाएँ उससे शिक्षा ग्रहण कर सकें। विशेष रूप से यह सभा गाँव में पंचायत घर, छोटे उद्योग-धंधे, अस्पताल, राद बनाने के केंद्र, शिक्षा का प्रबन्ध तथा गाँव की सफाई इत्यादि के लिए

आदर्श व्यवस्था करने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार के कार्य से दूरणी समाज नवीकृत ले सकें, वही इन आदर्श पंचायतों का मूला उद्देश्य है।

पंचायती राज को सकल बनाने के लिए पंचों की शिक्षा तथा अधिकारियों की विशेष ट्रेनिंग का भी प्रबन्ध किया गया है। इस याचना को सकल बनाने के लिए ५०० पंचायत इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की गई और लखनऊ में उन सब को अच्छी प्रकार ट्रेनिंग दी गई। प्रत्येक पञ्जाबती अदालत के क्षेत्र के लिए ८००० वैयक्तिक सेन्ट्रलियों की नियुक्ति का प्रबन्ध भी किया गया। यह सेन्ट्रली अदालती पञ्जाबती या रिपोर्ट रखते हैं तथा ३४ ग्राम समाजों के काम की देख भाल करते हैं। पञ्जाब ने सभी कर्मचारियों के काम की देख भाल के लिए जिले में एक डिप्टी क्लर्क को जिना पञ्जाबती अफसर नियुक्त किया गया।

न्याय पंचायतें

प्रायः मर में कुछ ग्राम समाजों को मिलाकर पंचायती अदालतें बनाई गई हैं। प्रायः तीन या चार ग्राम समाजों के पड़े एक पंचायती अदालत है। इस पंचायती अदालत के चुनाव का तरीका यह है कि प्रत्येक गाँव समा नियत योग्यता वाले ऐसे पाँच प्रौढ़ पञ्च चुनती है जो स्थानीय रूप से उसने अधिकार क्षेत्र के नीतर रहने वाले हैं। इस प्रकार एक अदालत क्षेत्र के अलग-अलग ग्राम समाजों अलग-अलग अपने पंचों का चुनाव करती है। उस गाँवों को मिलाकर पंचों ने सम्मिलित चुनाव की व्यवस्था इसलिए नहीं की गई है जिससे बड़े गाँव छोटे गाँव के ऊपर न छा जायें और छोटे गाँवों व लोगों को अदालतों में प्रतिनिधित्व न मिले। अदालत के इस प्रकार चुने हुए सभी पञ्च जिनकी उम्र २५-२० के बीच होती है, एक सरपञ्च चुनते हैं। सरपञ्च एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पढ़ने लिखने की योग्यता रखता हो। प्रत्येक पञ्च की कार्य-श्रवण ३ वर्ष होती है। पञ्च अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है।

पंचायती अदालत के काम का तरीका—सरपञ्च प्रत्येक मुकदमे, नानिश् या कार्यवाही के लिए पञ्च महल में से पाँच पंचों का एक बेंच नियुक्त करता है। इनमें कम से कम एक पञ्च ऐसा होता है जो लिखने पढ़ने की योग्यता रखता हो। बेंच के इन पाँच पंचों में एक पञ्च उन दोनों ग्राम समाजों के क्षेत्र से लिया जाता है, जिनमें मुकदमे के दोनों परीक्ष्य रहते हैं। बाँई भी पञ्च या सरपञ्च ऐसे मुकदमे में भाग नहीं ले सकता जिसमें वह या उसका निकट सम्बन्धी, नौकर या मालिक हो।

पंचायती अदालतों के अधिकार—न्याय पंचायतों ने अधिकार पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ा दिये गये हैं। पहले उनकी दालिख स्टाफिब व उनीन सम्बन्धी अधिकार नहीं थे, अब उन्हें यह अधिकार दे दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें बहुत से शौचदारी मुकदमों की मुनवाई का अधिकार भी दे दिया गया है। इन मुकदमों में ५०

रूपया तक की चोरी या गन्त या मामूली मारपीट या गाँव की सार्वजनिक इमारतों, जला-शय, तानाब, रास्ते इत्यादि को हानि पहुँचाने के अपराध भी शामिल हैं। न्याय पचायतों को कैद की सजा देने का अधिकार नहीं दिया गया है, पर वे १०० रुपये तक जुमाने का दंड दे सकती हैं। पुपाने अपराधियों के मुकदमे की सुनवाई करने का भी इन अदालतों को अधिकार नहीं दिया गया है। यह अदालत ऐसे अभियुक्तों को छोड़ सफ़ेगो बिन्हीने प्रथम बार जुर्म किया हो। दीवानी मामलों में १०० रुपये तक की मालियत के मुकदमों का फैसला करने का पचायत को अधिकार दिया गया है।

न्याय पचायत के निर्णय पाँच पञ्चों की सम्मति से होते हैं। यदि वह सब सहमत न हों तो निर्णय बहुमत से होता है। इन अदालतों के निर्णय आखीरी होते हैं अर्थात् उनकी अपील नहीं होती। परन्तु मुक्ति और सप्टिविजनल आफिसर को यह अधिकार दिया गया है कि वह किन्हीं विशेष दशाओं में पचायतों के फैसलों की निगरानी कर सकें। पचायतों के सम्मुख बकील पेश नहीं हो सकते। इस प्रकार की रोक इसलिए लगाई गई है जिससे पचायती न्याय बकीलों की चालबाजियों के कारण दूषित न हो।

पचायत राज्य ऐक्ट के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में चुनाव

हमारे प्रान्त में कुल गाँवों की संख्या १,१५,२१५ और जनसंख्या ६३२,००,००० है। इन गाँवों के लिए ३४,७५५ गाँव सभाएँ बनाई गई हैं। गाँव सभाओं के सय सदस्यों की संख्या बयस्क स्त्री और पुरुषों को मिला कर २,७०,२०,७६० है। इनमें चुने हुए पञ्चों की संख्या १३,५०,००० से ऊपर है। ३५,००० गाँव सभाओं के लिए ८,२२५ पञ्चायती अदालतों का आयोजन किया गया है। इन अदालतों में पंचों की संख्या लगभग १,२५,००० है। दोनों ग्राम सभाओं तथा पञ्चायती अदालतों में मिलाकर पंचों की संख्या लगभग १५,००,००० है।

यू० पी० के ४६ जिलों में चुनाव फरवरी और मार्च सन् १९५६ में पूरे हो गये थे, परन्तु पहाड़ी इलाकों में चुनाव जून से पहले समाप्त न हो सके। चुनाव अत्यन्त ही शक्तिपूर्वक समाप्त हुए और जैसा कि बहुत लोगों को डर था कि इन चुनावों में बड़े उपद्रव होंगे, गाँवों के अन्दर दलबन्दिर्दा हो जायेंगी, जून नीच और छूत अछूत का प्रश्न उठाया जायगा, इत्यादि; ऐसा कुछ स्थानों को छोड़कर, शेष जगह देखने में नहीं आया। ३४,७५५ पञ्चायतों में से २१,८७८ पञ्चायतों का चुनाव सर्व सम्मति से हुआ, शेष स्थानों पर ३३ ग्रामों को छोड़ कर बाकी सब जगह चुनाव शक्तिपूर्वक समाप्त हो गये। इन चुनावों में हरिजन और अल्पसंख्यक जातियों के व्यक्ति भी समुचित संख्या में चुने गये। कुल मिलाकर, २,६०,८०० हरिजन तथा १,९७,२६७ मुसलमान ग्राम तथा अदालती पञ्चायतों के पञ्च चुने गये। बहुत से स्थानों पर हरिजन और मुसलमानों

को सरपञ्च भी चुना गया। कितने ही स्थानों में हरिजनो ने सरपञ्च हिंदुओं को करारी हार दी और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यो ने भी उनके पक्ष में वोट डाले। इस प्रकार इन चुनानों में अल्पसंख्यक और हरिजन जातियों को प्रधानता देकर हमारी जनता ने अपने रिशाल हृदय का परिचय दिया।

पञ्चायतो की सफलता

प्रांत की सभी पञ्चायतो ने १५ अगस्त सन् १९४८ से कार्यारम्भ कर दिया। यह पञ्चायती राज्य कहीं तक सफल होना है, अभी कहना कठिन है। परन्तु बहुत सी पञ्चायतो ने निम्न-देह अत्यन्त प्रशसनीय कार्य किया है। देहादून में एक पञ्चायत ने ४ मील लम्बी नहर बनाई जिससे २०१० एम्पड़ भूमि का पानी मिलता है। मैनाताल जिले में बहुत सी पञ्चायतो ने सड़क तथा पञ्चायतघर बनाये। आजमगढ़ जिले में, इसके अतिरिक्त पञ्चायतो ने गांधी चपूतरे, कुँए, सार्वजनिक शौचालय, खाद के गढे, अस्पताल, नहर, बाँव, पुस्तकालय इत्यादि बनाये हैं। बहुत सी पञ्चायतो ने शारीरिक विकास के लिए अखाड़ों तथा खेल के मैदानों इत्यादि की भी व्यवस्था की है।

पञ्चायतों की कठिनाइयों

ग्राम पञ्चायतों की सबसे बड़ी समस्या अर्थ की समस्या है। हमारी ग्राम पञ्चायतों के आर्थिक साधन बहुत कम हैं। साधारण सभाओं की आय ५०० या ६०० रुपये वार्षिक से अधिक नहीं है। विदित है कि इतनी कम रकम से कोई भी पञ्चायत अपना काम सुचारु रूप से नहीं चला सकती। इसलिए हमारी सरकार को चाहिये कि वह उनके आर्थिक साधन बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दे। साथ ही गाँवों में शिक्षा प्रसार तथा दलबन्दी को तोड़ने के लिए विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए।

भारत में स्थानीय स्वशासन की सफलता

इस अध्याय का आरम्भ में ही हमने उन उद्देश्यों का उल्लेख किया है, जिनको लेकर भारतवर्ष में स्वायत्त शासन संस्थाओं का संगठन किया गया था। हमें देखना है कि यह उद्देश्य कहीं तक पूर्ण हुए हैं। स्थानीय संस्थाओं का प्रथम उद्देश्य केन्द्रीय शासन के कार्य-भार को कम करना था। हम कह सकते हैं कि यह उद्देश्य समुचित रूप में पूरा हुआ है, कारण कि सरकार के जिला अधिकारी अब उस भारी अरुचिकर तथा अप्रिय काम से मुक्त हो गये हैं, जो उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को देखने तथा उन्हें पूरा करने के लिए करना पड़ता था। परन्तु स्थानीय संस्थाओं का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अर्थात् व्यक्तियों में नागरिक माननाओं की जागृति उत्पन्न करना, पूरा नहीं हो सका है।

इसके निरतिन इन संस्थाओं ने हमारे देश के छोटे छोटे गाँव व नगरों में, स्वार्थ-सिद्धि की भावना से पूर्ण, दलबन्दी की प्रथा को जन्म दिया है। स्थानीय संस्थाओं के

चुनावों के समय देश में छुद्र जातीय, साम्प्रदायिक व पारिवारिक सम्बन्धों के आधार पर राय माँगी जाती है। यद्यपि व्यक्तियों को राय नहीं दी जाती, चुनावों में पारस्परिक सैननस्य से काम लिया जाता है। एक दूसरे उम्मादवार के विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं तथा बिना किसी विद्वान के गाँवों व नगरों में विरोधी दल पड़े हो जाते हैं। चुनावों के पश्चात् भी यह दलबन्धियों कायम रहती है, और इससे नागरिक जीवन एक हर्ष और उल्लास का केन्द्र बनाने के स्थान पर कलह और विवाद का क्षेत्र बन जाता है। यही कारण है, कि स्थानीय सस्थाएँ हमारे देश में नागरिक जायते उत्पन्न करने में सफल न हो सकी हैं। उन्होंने हमारे देश की जनता से उन भावनाओं का जन्म नहीं दिया है जिनके द्वारा ही किसी देश में प्रजातन्त्र शासन को सफलता प्राप्त होती है।

असफलता के कारण तथा उन्हें दूर करने के उपाय

भारत में स्वायत्त शासन सस्थाओं की असफलता के अनेक कारण हैं। इनमें सबसे बड़ा यह है कि हमारे देश में इन सस्थाओं की असफलता के लिए आवश्यक वातावरण वर्तमान नहीं है। स्थानीय स्वशासन की सस्थाएँ केवल उस दशा में सफल हो सकती हैं जब कि उन मनुष्यों में जिन पर वह शासन करती है, निम्नलिखित गुण विद्यमान हों।

(१) प्रथम यह कि जनता में नैतिक सदाचार, ईमानदारी तथा सहयोग का उच्च आदर्श और कार्यबन्धित कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विद्यमान हो। यदि किसी देश की जनता सामाजिक हित के कार्यों के प्रति उदासीन रहती है या मुग्ध, स्वार्थी तथा अभिमानो है तो स्वायत्त शासन सस्थाएँ सफल नहीं हो सकती। इन गुणों का निर्माण करने के लिए जनता का शिक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए सरकार को चाहिये कि वह स्थानीय सस्थाओं की सफलता के लिए शिक्षा पर अत्यन्त जोर दे।

(२) दूसरे, स्थानीय सस्थाएँ उस समय तक सफल नहीं हो सकती जब तक नगरों की जनता अपने प्रतिनिधियों के कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक न हो। जनता को चाहिये कि वह म्युनिसिपल सस्थाओं के कार्यों की सदा रचनात्मक दृष्टि से आलोचना करती रहे जिससे उनके प्रतिनिधि अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं बरन् जनता की भलाई के लिए काम करें।

इसी उद्देश्य से प्रत्येक नगर में मतदाताओं की सभाएँ तथा नागरिक सस्थाएँ बननी चाहिये जिससे वह स्वतन्त्र रूप से कार्यबन्धित प्रश्नों पर विचार कर सकें और म्युनिसिपल सदस्यों की जनता के मत का बोध करा सकें।

(३) तीसरे, चुनाव के समय निर्वाचकों को चाहिये कि वह अपने प्रतिनिधियों को मत देते समय उनकी योग्यता का ध्यान रखें और पारिवारिक बंधनों से प्रभावित न हों।

(४) प्रांतीय सरकार को भी चाहिये कि वह स्थानीय सस्थाओं के काम में अधिक

हस्तक्षेप न करें। हस्तक्षेप नैवत उसी दशा में किया जाना चाहिये जब कि स्थानीय संस्था का प्रमुख इतना दूषित हो जाय कि उसके सुधारने का और उपाय ही नैव न हो।

(५) स्थानीय संस्थाओं के पास आमदनी के नीचे अनुचित सार्वजनिक कामों को करने का अधिकार नहीं है। प्रायः भारतीय स्वायत्त शासन संस्थाएँ दरमये की कमी के कारण जनता की अधिक सेवा नहीं कर सकती।

यदि उपरोक्त सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक करने का प्रयत्न किया जाय तो कई कारणों से ही कि भारत में स्वायत्त शासन संस्थाएँ बड़ी सफलता प्राप्त न कर सकें जो उन्होंने दूसरे प्रगतिशील देशों में की है।

योग्यता प्रश्न

१. स्थानीय स्वशासन द्वारा से क्या समझते हैं? अपने प्रांत में नगर पालिकाओं का संगठन तथा उनके कर्तव्यों का वर्णन कीजिये। (५० पी० १६४२)

२. अपने प्रांत की स्वायत्त शासन संस्थाओं के नाम बतलाइये और किसी एक के कर्तव्यों की विवेचना कीजिये। (५० पी०, १६४०)

३. जिला मण्डली या नगर-पालिका की कार्य-शैली का वर्णन कीजिये। इनका नागरिक जीवन में क्या स्थान है? (५० पी०, १६३८)

४. नगर पालिकाओं के मुख्य कार्य क्या हैं? वह कहाँ तक पूरे किये गते हैं? उनके आर्थिक अधिकारों का वर्णन करो। (५० पी०, १६३५)

५. भारतीय स्वायत्त शासन संस्थाओं के कार्य में कौन से दोष हैं? वह किस प्रकार दूर किये जा सकते हैं? (५० पी०, १६४६)

६. नगर-पालिकाओं के आय और व्यय के क्या मद होते हैं? उनकी आय कैसे बढ़ाई जा सकती है? (३० पी०, १६३६, ३१, ३६)

७. जिला मण्डली का संगठन, उसके कार्य तथा आय के साधनों का विवरण दीजिये। (५० पी०, १६३७, ४६)

८. ग्राम पंचायतों का संगठन कैसे किया गया है? उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन कीजिये। (५० पी०, १६५१)

९. भारत में स्वायत्त शासन संस्थाओं की अस्तित्व के कारणों पर प्रकाश डालिये।

१०. हाल ही में नगर-पालिका तथा जिला मण्डलियों के विधान में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये गये हैं?

११. उत्तर प्रदेश में ग्राम पञ्चायतों के कार्यकारिणी पर होश का निबन्ध लिखिये। (५० पी० १६५३)

अध्याय १८

भारत में शिक्षा

शिक्षा का वास्तविक अर्थ

शिक्षा का अर्थ है, मनुष्य जीवन का सम्पूर्ण विकास व उसकी सर्वोत्तम उन्नति। वास्तविक शिक्षा वही है जो मनुष्य की मूल शक्तियों का विकास कर उसको समाज का एक उपयोगी व्यक्ति बनाने में सफल हो सके तथा उसे अपने सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक, नागरिक, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में सक्रिय भाग लेने के योग्य बनाये। शिक्षा अर्द्ध सामाजिक जीवन की कला है। यही मनुष्य में उन भावनाओं का संचार करती है जिनके कारण ही एक सभ्य मनुष्य और पशु में अन्तर किया जाता है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी कुत्सित भावनाओं का अनुचित मार्ग पर जाने से रोक कर एक अनुशासित जीवन व्यतीत करने में सफल होता है।

दुर्भाग्यवश हमारे देश में नागरिकों को जिस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है उसके अन्तर्गत मनुष्यों के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास नहीं होता। हमारी शिक्षा प्रणाली चरित निर्माण व जीवन के सतुलित विकास की ओर ध्यान नहीं देती। हमारी शिक्षा संस्थाएँ मस्तिष्क के विकास का तो विचार ग्रहण रखती हैं परन्तु वह विद्यार्थियों के हृदय व शरीर के शिक्षण की ओर समुचित ध्यान नहीं देती। यही कारण है कि बहुत कम शिक्षा संस्थाएँ हमारे देश में ऐसी हैं जहाँ मनुष्य को भ्रम का आदर करना सिखाया जाय, जहाँ मनुष्य के हृदय को निर्मल व स्वच्छ विचारों से परिपूर्ण करने के लिए उसे सब धर्मों की समानता एवं एकता का ज्ञान कराया जाय तथा जहाँ उसकी कर्मेन्द्रियों के शिक्षण के लिए हर प्रकार की ललित वस्तुओं जैसे,—चित्रकारी, संगीत, नृत्य, फोटोग्राफी, तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योग धर्मों की शिक्षा प्रदान की जाय। आदर्श शिक्षा वह है जिसे प्राप्त कर मनुष्य-जीवन की सर्वोत्तम उन्नति हो सके तथा जो व्यक्ति के अन्दर भ्रम का आदर, मानव व्यक्तित्व की महत्ता एवं आर्थिक सङ्घर्ष की क्षमता प्रदान कर सके।

प्राचीन भारत में शिक्षा

प्राचीन भारत अपनी शिक्षा व सांस्कृतिक उन्नति के लिए संसार भर के देशों में आग्रहण था। हमारे देश के विश्वविद्यालय सगर के बड़े-बड़े पण्डितों व विद्वानों के ज्ञानोपादान के केन्द्र थे। काशी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, मिथिला, नवद्वीप,

मदिना व अनेकग हत्यादि स्थानों में हजारों देश की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएँ स्थानित थीं। इन निरक्षरविद्यालयों में संसार के छोटे-छोटे से सहस्रों विद्यार्थी आकर, मनमोहक प्राकृतिक सौन्दर्य के उदवन में, नगरो के कोलाहल व गर्जन से दूर, अच्युत सुन्दर व सौम्य वातावरण के बीच शिक्षा ग्रहण करते थे।

प्राचीन भारत में शिक्षा का आदर्श नसिदक व हृदय का शिक्षण था। उस शिक्षा प्रणाली में औद्योगिक शिक्षा को विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता था। शिक्षा के द्वारा पैसा कमाना या किसी व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए उसे एक साधन बनाना, एक हीय आदर्श समझा जाता था। शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य था मनुष्य जीवन की सुखीकरण उन्नति। इस उन्नति के लिए आर्थिक क्षेत्र में सफलता कोई आवश्यक बन्त नहीं समझा जाती थी। समाज में उन व्यक्तियों का अधिक मान था जो अच्युत अनुमान, धर्मनिष्ठ, आचारवान व अपने धर्मशास्त्रों के पालक थे। ऐसे व्यक्तियों का सर्वोच्च सम्मान होता था। राजाओं के दरबार में भी उन्हें विशेष आदर का स्थान दिया जाता था।

वर्तमान युग में, समाज में आदर व सम्मान, किसी व्यक्ति के पालित्य व हान पर निर्भर नहीं रहता, वह उसकी आर्थिक शक्ति के आधार पर निर्दिष्ट किया जाता है। आज का सकारण धनिकों का सकारण है। इसलिए समाज में केवल वही लोग बड़े सम्मान पाते हैं तथा उनका सब स्थानों पर आदर व सत्कार होता है जो बड़े-बड़े बहली में रहते हैं, मंचर गणिकों में सजारी करते हैं तथा बिनका घर धनधान्य से परिपूर्ण होता है। पढ़े-लिखे विद्वान व्यक्ति धनिकों द्वारा अपनी न कुम्हने वाली धन-पिनासा को शान्त करने के लिए केवल एक साधन (Tool) के रूप में काम में लाये जाते हैं। उनका पूर्ण सम्मान नहीं होता। उनका मुख्य इस बात से आँधा जाता है कि उन्हें कितने रुपये मासिक वेतन मिलता है प्रपक्वा उनमें दन्ता बमाने की कितनी शक्ति है। इसलिए स्वभावतः आजकल के युग में शिक्षा के आर्थिक पहलु पर विशेष धोर दिया जाता है।

परन्तु प्राचीन भारत में ये सब बातें न थीं। उस काल में समाज का सर्वोच्च महान्त व प्रतिष्ठित व्यक्ति वह समझा जाता था जो धन व माया के बाल से दूर रहकर चरन्वती देवी का पुजारी था, जिसकी विद्वत्ता व चरित्र अद्वितीय था, जो अपने-पैसे से प्यार न करता था तथा जो एक अच्युत सपनी, अनुशासित, सदा एवं निर्मल जीवन व्यतीत करने की दमता रखता था। यही कारण था कि प्राचीन शिक्षा के आर्थिक व औद्योगिक दृष्टिकोण को अधिक महत्त्व प्रदान नहीं किया जाता था।

प्राचीन भारत के अध्यापक—हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली में इसलिए शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी उन्हीं लोगों के हाथ में सौंपा जाता था जो अपने जीवन का ध्येय पैसा कमाना न बनाकर, विद्या-दान ही सर्वोच्च ब्रह्म धर्म समझते थे। उनके समूह शिक्षा

प्रदान करना किसी और उद्देश्य की पूर्ति का साधन नहीं बरन् स्वयं एक आदर्श था। वह अपना सारा जीवन इसी कार्य के लिए अर्पण कर देते थे। पाठशालाओं में रहकर एक आश्रम में कुछ विद्यार्थियों को एकत्रित कर लेना और फिर उनको निशुल्क शिक्षा प्रदान करना तथा उनके दैनिक जीवन के प्रत्येक पहलु पर स्वयं दृष्टि रखना, उस काल की शिक्षा प्रणाली का सबसे प्रमुख अङ्ग था। अधिकतर विद्यार्थी अपने घरों पर रहकर नहीं बरन् आश्रमों में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इन आश्रमों में धनी और निर्धन, ऊँच और नीच, छोटे और बड़े विद्यार्थियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता जाता था। सबको एक ही प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा उन्हें एक ही प्रकार का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। यही कारण था कि प्राचीन भारत में कृष्ण और मुद्रामा एक ही पाठशाला में पढ़े और एक ही गुरु के चरणों में बैठ कर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। आश्रमों का व्यव नागरिकों व राज्य की दानशीलता के आधार पर चलता था। दिन प्रति-दिन के व्यय के लिए पाठशाला के शिष्य आसपास के गाँवों से भिक्षा माँग लेते थे। यह भिक्षा धनी और निर्धन, राजपुत्र और दासपुत्र सभी को माँगनी पड़ती थी। इस प्रकार विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के जीवन से ऊँच नीच और छोटे बड़े का भेद-भाव नष्ट होकर उनमें भाद्रभाव व समानता की भावना जन्म लेती थी।

शिक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक विद्यार्थी अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु को भेंट देता था। यह उत्सव गुरु दक्षिणा उत्सव कहलाता था। इस अवसर पर गुरु अपने शिष्यों से स्वयंपसे की भेंट नहीं माँगते थे। वह अपनी योग्यतानुसार उन्हें जन सेवा व लोक कल्याण के लिए कार्य करने की दीक्षा देते थे, और उसी कार्य की सफलता में वह अपनी सरसे बड़ी गुरु दक्षिणा मानते थे। महर्षि कणाद के आश्रम का एक स्थान पर बृल्लत मिलता है। उनके तीन शिष्य जिस समय अपनी शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात् अपने गुरु से गुरु दक्षिणा माँगने का आग्रह करने लगे तो उन्होंने अपने तीनों शिष्यों से अलग-अलग इस प्रकार गुरु दक्षिणा माँगी। उन्होंने एक शिष्य से कहा, “बस, तुमने वेद-वेदातों की शिक्षा प्राप्त की है। जैसे मैंने निःस्वार्थ भाव से प्रेम के साथ तुम्हें पुत्रवत् शिक्षा दी है, तुम भी उसी प्रकार जाकर संसार के लोगों का कल्याण करो, उन्हें ज्ञान दो, उन्हें सत्य पर चलाओ।”

दूसरे शिष्य से उन्होंने कहा, “मेरी दक्षिणा यही है कि अपने ज्ञान के आधार पर तुम प्रह्लादचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व सन्यास आश्रमों के नियम बनाओ, जिनके द्वारा समाज की आदर्श व्यवस्था चल सके।”

तीसरे शिष्य से उन्होंने कहा, “तुम वैदिक यज्ञों का सविधान करो।”

इस प्रकार प्राचीन भारत के गुरु त्याग, बलिदान और निःस्वार्थ सेवा का आदर्श

जनता के सम्मुख रखते थे। इसी काल में भारत में अनेक धर्म ग्रन्थ लिखे गये। वैशेषिक, सॉलर, न्याय, पूर्व मीमांसा, योग व दूसरे दर्शनों का इसी प्रकार निर्माण हुआ।

शिक्षा की श्रेणियाँ—प्राचीन भारत में आश्रमों के आधार पर विद्यार्थियों की शिक्षा १५ वर्ष की आयु तक हाती थी। कुछ विद्यार्थी इसके पश्चात् भी १५ वर्ष की आयु तक विद्याभ्यसन करते थे। विद्या का आरम्भ ५ वर्ष की आयु से होता था। इस अवस्था को प्राप्ति पर शिष्य का अक्षरारम्भ सस्कार किया जाता था। इस सस्कार में गुरु बालक की जिह्वा पर साने या चन्दन की लेखनी से ॐ मन्त्र लिखता था। आठ वर्ष की अवस्था में बालक का उन्नयन सस्कार होता था। उन्नयन का अर्थ है 'गुरु आना'। इस अवस्था की प्राप्ति के पश्चात् बालक इस बात का अधिकारी हो जाता था कि वह गुरु श्रमवा आचार्य न आश्रम में मर्ती होकर शिक्षा ग्रहण करे।

विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी वर्गों के विद्यार्थियों को प्राप्त था। शूद्र व चाटानों के बच्चों को गुरु के आश्रमों में उसी प्रकार मर्ती किया जाता था जैस किसी राजपुत्र का। शूद्रों का वेदों की शिक्षा दी जाती थी। महादास जिन्होंने वैशेषिक दर्शन नामक ग्रन्थ का निर्माण किया, जन्म से शूद्र थे।

शिक्षा का विभाजन तीन श्रेणियों में किया जाता था—प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के पश्चात् कुछ विद्यार्थी अनुसंधानात्मक अध्ययन करते थे और इसमें वह भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाकर वहाँ के अध्यापकों तथा विद्वान् शिष्यों के साथ शास्त्रार्थ करते थे। इन शास्त्रार्थों के द्वारा नये-नये सिद्धांतों का प्रतिपादन होता था तथा अनेक नये ग्रन्थ लिखे जाते थे।

प्रारम्भिक व माध्यमिक श्रेणियों में विद्यार्थियों को संस्कृत, व्याकरण, धर्मशास्त्र, आचारशास्त्र, ठगनिषद्, साहित्य, इतिहास, गणित व भूगोल की शिक्षा दी जाती थी। उच्च पश्चात् विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में प्रवेश करते थे। भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषयों के विशेष अध्ययन का प्रबन्ध था। उदाहरणार्थ तत्कालीन विद्यालय में आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, सैन्य शिक्षण व राजनीति की विशेष शिक्षा दी जाती थी। बनारस मृत्यु, संगीत व शिल्प-कला का प्रधान केन्द्र था। नालन्दा शास्त्री एव नीति का विश्वविद्यालय था। इस अन्तिम विद्यालय में १५०० अध्यापक तथा ८५०० से अधिक छात्र थे। इनमें प्रतिदिन २०० से अधिक व्याख्यान दिये जाते थे।

इन विद्यालयों के अतिरिक्त नगरकोट, गान्धार पुष्कर, फारसीर, जालन्धर, मथुरा, प्रयाग, अशोक्या, कौशाम्बी, वसिष्ठपुर, सारनाथ आदि प्रदेशों में शिक्षा के केन्द्र थे। इन स्थानों में प्रति वर्ष सहस्रों छात्र बौद्ध तथा वैदिक धर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय भारत के विद्यालयों में सम्पूर्ण एशिया के विद्यार्थी पढ़ने आते थे और भारत के विद्वान् दूसरे देशों में शिक्षा देने जाते थे।

शिक्षा पद्धति—प्राचीन भारत की शिक्षा सध्याओं में विद्यार्थियों के ऊपर बाहर का ज्ञान लादने का प्रयत्न नहीं किया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि वह स्वयं अपने अन्दर विचारने व धनन करने की शक्ति किस प्रकार उत्पन्न कर सकते हैं। विचारों की स्वतन्त्रता उस शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा गुण था। विद्यार्थियों को शास्त्रों के गुण व दोष निकालने व उनकी विवेचना करने का पूर्ण अधिकार था। स्वयं आचार्य विद्यार्थियों के वाद विवाद में भाग लेते थे और किसी बात का सत्यता स्थिर होने पर अपने शास्त्रों में संशोधन कर लेते थे।

यही कारण था कि प्राचीन भारत में यदि एक ओर चारवाक जैसे विचारक हुए जिन्होंने शरीर के सुख के लिए प्रत्येक काम करना उचित ठहराया तो दूसरी ओर हमारे देश में शङ्कराचार्य जैसे ऋषि भी हुए जिन्होंने आत्मा की शांति को ही सबसे अधिक महत्ता दी और इसके लिए शरीर-सुख को अत्यन्त द्वेष समझा। शास्त्रार्थ करना तथा सत्य की खोज करना उस समय की शिक्षा का सबसे बड़ा आदर्श था। विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो विद्यार्थी ३५ वर्ष की आयु तक अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते थे उनके शिक्षण का दङ्ग यही था कि वह देश के मित्र भिन्न भागों में स्थित विश्वविद्यालयों व ऋषियों के आश्रमों में जाकर उनके आचार्यों से दर्शनों व धर्मशास्त्रों के सम्बन्ध में शास्त्रार्थ करते थे और इस प्रकार इन विद्यार्थियों में अपनी योग्यता का परिचय देकर वह देश की सबसे उच्च शिक्षा की उपाधि से विभूषित किये जाते थे।

प्राचीन भारत के आश्रमों में शिक्षा देने का दङ्ग अत्यन्त ही मनोरंजक था। प्रातः काल हाते ही, नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात् विद्यार्थी अपने गुरु के सम्मुख उपस्थित होते थे। हवन, ईश्वर स्तुति व सध्या के पश्चात् वह अपना पिछला पाठ गुरु को सुनाते थे। गुरु प्रश्नों के द्वारा उनके ज्ञान की गहराई का पता लगाते थे। दोपहर में विद्यार्थी स्वयं अध्ययन करते थे और गुरु केवल उनकी कठिनायियों को हल करने के लिए उनके पास आते थे। तीसरे पहर गुरु विद्यार्थियों को स्वयं शिक्षा देते थे तथा उन्हें धर्म ग्रंथों का ज्ञान कराते थे। साँझ होने, सब विद्यार्थी अपने गुरु के साथ बङ्गलों की सैर करने जाते थे। वहाँ पर विद्यार्थियों को प्रकृति, विज्ञान, भूगोल, सगोल, ज्योतिष, आकाश, वाराणस, वनस्पतिशास्त्र, जन्तुशास्त्र इत्यादि विद्याओं का ज्ञान कराया जाता था। इस अध्यापन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि विद्यार्थी अनुभव के द्वारा सब बातें बहुत आसानी से समझ जाते थे और खेल और मनोरंजन के साथ साथ उनके ज्ञान में समुचित वृद्धि हो जाती थी।

प्राचीन शिक्षा प्रणाली के गुण

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली आधुनिक शिक्षा-

प्रणाली से बड़ी अच्छी थी। इसी शिक्षा-प्रणाली के गुणों का विचार रखते हुए हमारे यूनिवर्सिटी कमीशन ने इसके अग्रज डाक्टर सर राधाकृष्णन से, यह सिफारिश की है कि भारत में भारतीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें जिनमें प्राचीन आदर्शों के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था हो। संक्षेप में हम सकते हैं कि हिंदुओं की शिक्षा पद्धति में निम्नलिखित गुण थे :—

(१) इस शिक्षा-पद्धति में मनुष्य के मस्तिष्क के शिक्षण पर ही जोर नहीं दिया जाता था बल्कि उसके हृदय के शिक्षण को भी उतना ही आवश्यक समझा जाता था। यही कारण था कि शिक्षा का स्वरूप केवल मानसिक ही नहीं बल्कि नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक भी था।

(२) शिक्षा नगर के गंदे तथा बिलासी जीवन से परे ऐसे क्षेत्रों में दी जाती थी जहाँ विद्यार्थी प्रकृति की गोद में बैठकर अत्यन्त सुन्दर वातावरण में अपने ज्ञान की वृद्धि तथा अपने चरित्र का निर्माण कर सकते थे।

(३) शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के मस्तिष्क को बाहरी ज्ञान से भर देना नहीं बल्कि उसकी मूल शक्तियों एवं विचार-शक्ति का विकास था।

(४) इस प्रणाली के अन्तर्गत विद्यार्थी ऊँच-नीच, छोटे-बड़े और धनी-निर्धन का विचार छोड़कर एक दूसरे के साथ समानता एवं भाईचारे के भाव के आधार पर व्यवहार करते थे। वह आश्रम में रह कर अत्यन्त संतपी, सादा तथा सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे।

(५) सब विद्यार्थी एक दूसरे से सगे भाई के समान व्यवहार करते थे तथा एक दूसरे की सेवा-सुश्रूषा करने के लिए सदा तत्पर रहते थे।

(६) गुप्त किसी लोभवश शिक्षा का प्रचार नहीं करते थे। वह साथ जीवन ईश्वर की उपासना व विद्यादान में ही लगा देते थे। समाज में उनका बड़ा मान था। उनका त्यागमय तपस्वी जीवन सब विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय होता था।

(७) प्राचीन भारत में कियों व शूद्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था, परन्तु आगे चल कर, ब्राह्मणों के युग में उन्हें इस अधिकार से वंचित कर दिया गया।

मुस्लिम काल में शिक्षा

मुसलमानों के काल में शिक्षा का स्वरूप मुख्यतः धार्मिक था। जैसे हिंदुओं के काल में भी धार्मिक शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया जाता था; परन्तु इसके साथ-साथ उनके समय में दूसरी विद्यार्थियों के अध्ययन का भी समुचित प्रबन्ध था। विद्यार्थी की स्वतन्त्रता हिंदुओं की शिक्षा प्रणाली का सबसे महान् गुण था। परन्तु मुसलमानों के काल में विद्यार्थियों को बिल्कुल प्रकृत की शिक्षा दी जाती थी उसमें विचार स्वातन्त्र्य के लिए कहीं

मी स्थान नहीं था। उनके काल में शिक्षा का अर्थ कुरान मजीद की शिक्षा थी। यह शिक्षा बिना सोचे समझे सभी विद्यार्थियों को ग्रहण करनी पड़ती थी। कुरान की आयतों को रफ कर याद कर लेना ही इस शिक्षा प्रणाली का मुख्य रूप था।

मुसलमानी शिक्षा मस्जिदों में दी जाती थी। उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली, गुलतान, बदायूँ, जौनपुर आदि स्थानों में मदरसे थे। इन मदरसों में धर्म, इतिहास, हदीस, राजनीति व यूनानी हिक्मत इत्यादि की पढ़ाई होती थी। मदरसों तथा मकतबों को सरकारी सहायता मिलती थी। हिंदुओं की शिक्षा पाठशालाएँ, शैल तथा विद्यापीठों में होती थी। उन्हें किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिलती थी। कुछ दानी व्यक्तियों की सहायता से ही उनका पूरा व्यय चलता था।

मुसलमानों के स्कूलों की शिक्षा में कई दोष थे। उनमें धर्म का प्रमुख स्थान था। संगीत तथा चित्र-कला आदि विद्याओं की अवहेलना की जाती थी, क्योंकि उन्हें इस्लाम धर्म के विरुद्ध समझा जाता था। दूसरे धर्मों का अध्ययन न होने से विद्यार्थियों में धार्मिक सङ्कीर्णता व अग्रहिष्णुता आ जाती थी। इस पद्धति में रगड़ को समझ से अधिक महत्व दिया जाता था और भारतीय भाषाओं की पढ़ाई नहीं होती थी।

ब्रिटिश काल में शिक्षा

भारत में शिक्षा का सबसे अधिक हास उस समय हुआ जब मुगल ख़ान्दाने आरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् हमारे देश से केंद्रीय सत्ता का लोप हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीति में माग लेकर यह युद्ध की ज्वाला को और भी अधिक मद्धक दिया। उस समय कोई कुशल सरकारी व्यवस्था न होने के कारण, प्राय ३०० वर्षों तक भारत में राज्य की ओर से जनता के शिक्षण में किसी प्रकार का भाग नहीं लिया गया और समस्त देश में अशिक्षा और अज्ञान का अधकार फैल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो जाने के पश्चात् भी, १६वीं शताब्दी के आरम्भ तक भारत में शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष उन्नति सम्भव न हो सकी। इसका मुख्य कारण यह था कि कंपनी के डाइरेक्टरों को मय था कि वही शिक्षा के प्रचार से भारतीयों में राजनैतिक चेतना का सञ्चार न हो जाय और उन्हें अपने साम्राज्य से उसी प्रकार हाथ न धोना पड़े जैसे अमरीका में हुआ था। अठारहवीं शताब्दी में इसलिए केवल दत्तता क्रिया गया कि सन् १७६१ में कलकत्ते में एक फारसी मदरसा तथा काशी में एक संस्कृत पाठशाला खोल दी गई। इसके पश्चात् सन् १८३१ में प्रथम बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीयों के प्रति अपने कर्तव्य को समझ कर शिक्षा की वृद्धि के लिए सरकारी खजाने से एक लाख रुपया देना स्वीकार किया। तीस करोड़ व्यक्तियों के देश में, शिक्षा के कार्य के लिए एक लाख रुपये की रकम बीछे तो अर्थात् हर एक व्यक्ति पर, परन्तु इस रकम की स्वीकृति का महत्व इसलिए था कि इस वर्ष के पश्चात् ब्रिटिश

सरकार की शिक्षा नीति में एक विशेष परिवर्तन हुआ और उसने अपना यह कर्तव्य समझा कि भारतीयों के शिक्षण में सहयोग देना उसका भी एक धर्म है।

भाषा का प्रश्न—शिक्षा के प्रचार के लिए हमारे देश में सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि समस्त भारत के लिए कोई ऐसी भाषा नहीं थी जिसके आधार पर सब देशवासियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके। प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा उच्च शिक्षा का माध्यम थी। मुसलमानों के काल में इसका स्थान फारसी ने ले लिया था और बड़ी हद तक विदेशी भाषा बन गई थी। परन्तु इन दोनों भाषाओं में समने पड़ा दोष यह था कि १९वीं सदी में वह जनता की भाषा नहीं थी और उसने द्वारा शिक्षा प्रसार का कार्य नहीं किया जा सकता था। इसलिए विवाद यह उठ खड़ा हुआ कि भारत में उच्च शिक्षा संस्कृत और फारसी के माध्यम द्वारा दी जाय अथवा अंग्रेजी के द्वारा। इस समय के एक बहुत बड़े भारतीय नेता राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे। उनका विचार था कि अंग्रेजी के ज्ञान के द्वारा भारतीयों को दूसरे प्रगतिशील देशों के साहित्य का अध्ययन एवं अंग्रेजी सरकार के नीचे उच्च सरकारी पद प्राप्त कर सकेंगे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने एक दूसरे अंग्रेज मित्र श्री डेविड हार्वे के साथ मिल कर सन् १८१६ में कलकत्ते में एक कालिदास की स्थापना की। इसके परन्तु पम्पई, मद्रास तथा बंगाल में दूसरे अंग्रेजी स्कूल खोले गये। इन स्कूलों व कालिदासों के छात्रों का तुरन्त ही अच्छी-अच्छी सरकारी नौकरियाँ मिल जाती थीं, इस कारण उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कमी कमी न रहती थी।

लार्ड मैकाले का लेख—सन् १८३५ में भारत सरकार के न्याय सदस्य लार्ड मैकाले ने सरकार के सम्मुख एक योजना रखी जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के सब स्कूल व कालिदासों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना देना चाहिये। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा जिससे हमारे देश में सदा के लिए ब्रिटिश सत्ता की जड़ें मजबूत हो जायें और जहाँ एक ओर सरकार को सस्ते कर्मचारी और बाबू मिल जायें, वहाँ दूसरी ओर भारत में ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों की श्रेणी उत्पन्न हो जाय जो केवल जन्म-स्थान व अपने रंग के कारण तो भारतीय प्रतीत हो परन्तु और सभी बातों, जैसे बनाव-शुगर, वेष्ट, पहनावा, बोली, सम्प्रदाय, धर्म, आचार विचार, खाना पीना इत्यादि में वह अंग्रेजों के समान ही आचरण करें। मैकाले का विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा अनेक भारतीयों को शिक्षा दी जायगी और वह अपने धर्म और संस्कृति से प्रेरणा करने लगेंगे। ऐसे व्यक्तियों से उन्हें आशा थी कि वह भारत में ब्रिटिश सरकार के सबसे बड़े मित्र व सहयोगी बन सकेंगे।

लार्ड मैकाले की यह नीति ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई और सन् १८४४ में उसने यह घोषणा कर दी कि सरकार के अधीन केवल उन्हीं लोगों को

नौकरी मिल सकेगो जो अंग्रेजी जानते होंगे। उसी वर्ष न्यायालयों की भाषा भी अंग्रेजी कर दी गई। इन दोनों बातों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए विस्तृत क्षेत्र खोल दिये और सहस्राधिक विद्यार्थियों ने अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करना आरम्भ कर दिया। सन् १८५५ तक भारत में अंग्रेजी स्कूलों की तादाद १५१ हो गई।

अंग्रेजी शिक्षा की उचित व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर जो कमेटियाँ इत्यादि नियुक्त की तथा जिस प्रकार उनकी सिफारिशों के आधार पर कार्य किया उसका सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है :—

१. १८५२ में बुड का शिक्षा सम्बन्धी पत्र—सन् १८५३ में शिक्षा की उचित व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने आ बुड से एक योजना बनाने को कहा। यह योजना सन् १८५४ में सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की गई। इस योजना की, जिसके आधार पर आगे चल कर हमारे देश की शिक्षा समस्याओं का सङ्कलन किया गया, मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार थीं :—

- (१) भारत के प्रत्येक प्रान्त में एक डाइरेक्टर के अधीन शिक्षा विभाग खोला जाय।
- (२) देश में जगह जगह विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें।
- (३) अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए शिक्षण संस्थाएँ खोली जायें।
- (४) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के प्रचार पर जार दिया जाय।
- (५) स्कूलों व कालिजों का संख्या बढ़ाई जाय।
- (६) प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं का प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाय।
- (७) आरम्भ में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।
- (८) जिराफों की शिक्षा के लिए विशेष प्रवन्ध किया जाय।

आ बुड की योजना के अधीन सन् १८५७ में भारत में तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में स्थापित कर दिये गये।

(१) हटर कमीशन की नियुक्ति—सन् १८८२ में भारत सरकार ने एक कमीशन का नियुक्ति का। इस कमीशन के प्रधान आ हटर थे और इसमें कई प्रमुख भारतीय व अंग्रेज विद्वान सम्मिलित थे। कमीशन ने सिफारिश की कि सरकार को माध्यमिक शिक्षा की अपेक्षा प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जार देना चाहिये। प्राइवेट संस्थाओं का अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भी उन्होंने सुझाव रखा।

(२) १८७४ का युनिवर्सिटी कमीशन—सन् १८७४ में लार्ड कर्जन के काल में एक यूनिवर्सिटी वेक्ट पस किया गया जिसके द्वारा भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों के ऊपर अपना नियन्त्रण बढ़ा लिया। साथ ही उसने विश्वविद्यालयों का इस बात की

स्वतन्त्रता दे दी कि वह माध्यमिक शिक्षा के स्तर को अपनी आवश्यकतानुसार बनाये रखने के लिए विशेष नियम बना सकें।

(४) १९१८ के सुधार—१९१८ में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक शिक्षा सदस्य की नियुक्ति कर दी गई जिसका कार्य विभिन्न प्रान्तों की शिक्षा सम्बन्धी नीतियों का समन्वय करना था। सन् १९१९ के सुधारों के अधीन शिक्षा का विषय प्रान्तों में लोकप्रिय मन्त्रियों के हाथ में सौंप दिया गया। इसके पश्चात् विभिन्न प्रान्तों में शिक्षा की समुचित प्रगति हुई। जगह-जगह पर विश्वविद्यालय खोले गये, स्कूल और कॉलेजों की संख्या बढ़ गई, व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध किया गया तथा माध्यमिक शिक्षा के नियन्त्रण का काम हाई स्कूल और इन्टरमीडियट बोर्डों को दे दिया गया। परन्तु इतना सब कुछ होने पर अगस्त सन् १९४७ तक जिस समय भारत स्वतन्त्र हुआ, हमारे देश में साक्षर जनता की संख्या वषय २२ प्रतिशत थी।

ब्रिटिश राज्य से उत्पन्न शिक्षा की कुछ समस्याएँ

भारत में अंग्रेजों का शासन के विरुद्ध सबसे भीषण आरोप यह लगाया जाता है कि २०० वर्ष से भी अधिक लम्बे समय में अंग्रेज हमारी केवल १४ प्रतिशत जनता को साक्षर बनाने में सफल हो सके। रबी, रूस और जापान में वहाँ की सरकारों ने दस वर्ष से भी कम समय में जनता को साक्षर बनाने का शिष्टि बना दिया। आधुनिक युग में शिक्षा प्रदान करने का इतने दुर्गम तथा प्रबल बाधन है कि यदि उन सब की तुल्य ही जाय तो समस्त देश की जनता को कुछ ही वर्षों में साधारण शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इतना सब कुछ होने पर भी हमारे विदेशी शासकों ने हमें शिष्टि बनाने का कोई शक्तिशाली प्रयत्न नहीं किया और जिस प्रकार की शिक्षा उन्होंने हमें दी, वह भारत की विशेष परिस्थिति व आवश्यकता के विचार से बिल्कुल अनुपयुक्त थी। इसलिए अगस्त सन् १९४७ में जिस समय अंग्रेज हमारे देश से बिदा हुए तो हमारे देश में शिक्षा की स्थिति इस प्रकार थी :—

(१) निरक्षरता—हमारे देश में सन् १९४१ की जन-गणना के अनुसार साक्षर जनता की संख्या केवल १४ प्रतिशत थी। इस संख्या में पुरुषों की संख्या २५ प्रतिशत तथा स्त्रियों की संख्या केवल ३ प्रतिशत थी। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पढ़ी-लिखी जनता की संख्या अलग-अलग थी। सबसे अधिक साक्षर द्राबनकोर रियासत में थे और सबसे कम शिक्षा राजपूताना की रियासतों में थी।

(२) साधारण शिक्षा संस्थाएँ—हमारे देश में शिक्षा संस्थाओं की मापि कमी थी। ३५ करोड़ जनता के शिक्षण के लिए हमारे देश में विश्वविद्यालयों की संख्या १८, डिग्री कॉलेजों की संख्या २३०, हायर कॉलेजों की संख्या १८८, हाई स्कूलों की संख्या ३,६३७, मिडिल स्कूलों की संख्या ४,७८८ तथा प्राथमिक स्कूलों की संख्या

१,३४,००० थी। इन सब शिक्षा संस्थाओं पर कुल मिला कर केवल ४५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय किया जाता था। इंग्लैंड में इसके विपरीत जहाँ की जनसंख्या केवल ८ करोड़ है शिक्षा संस्थाओं पर ४८० करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय किया जाता है। जनसंख्या के विचार से यदि हमारे देश में एक विद्यार्थी पर २ रुपये ४ आना व्यय किया जाता है तो इंग्लैंड में ८० रुपये और अमरीका में १२० रुपये व्यय किया जाता है।

(३) व्यावसायिक शिक्षा—हमारे देश में विद्यार्थियों को जिस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी उसे प्राप्त कर वह केवल सरकारी दफ्तरो में ज़कों का काम करते थे। उनमें इस बात की योग्यता उत्पन्न नहीं होती थी कि वह कारखानों में नौकरी कर सकें या किसी प्रकार का स्वतन्त्र व्यवसाय कर सकें। कला-कौशल व व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं की हमारे देश में भारी कमी थी। सन् १९४७ ४८ में ऐसी संस्थाओं की संख्या इस प्रकार थी :—

	संख्या संख्या	विद्यार्थी संख्या
१. कृषि तथा वन कॉलेज	२३	४,०१५
२. व्यापारिक कॉलेज	१८	१४,९५८
३. इंजीनियरिंग कॉलेज	४५	६,४३७
४. मेडिकल कॉलेज	३२	१,३८२
		(फाइनेल कक्षा)
५. आर्ट स्कूल	१४	१,६६८
६. टेकनिकल स्कूल	५०६	३१,३१५
७. व्यापारिक स्कूल	३०२	१५,०८२
८. मैट्रिकल स्कूल	२०	४,३८७

(४) स्त्री शिक्षा—स्त्रियों की शिक्षा की हमारे देश में और भी हीन अवस्था थी। कुल मिला कर स्त्रियों के लिए हमारे देश में केवल ३१ आर्ट्स कॉलेज, ६ व्यावसायिक कॉलेज, ४१० हाई स्कूल, १०३० मिडिल तथा ६२,००० प्राइमरी स्कूल थे। यह देखते हुए कि हमारे देश में सहशिक्षा का अधिक रिवाज नहीं है, इन संस्थाओं की संख्या बहुत ही कम थी। किसी भी देश में प्रजातन्त्र शसन उस समय तक सफल नहीं हो सकता जब तक पुरुषों के साथ साथ उस देश की स्त्रियों को भी शिक्षित न बनाया जाय। यह शिक्षा ऐसी हानी चाहिये जिससे स्त्रियाँ कुशल गृहिणी बनने के साथ साथ समाज के नागरिक जीवन में भी उपयोगी भाग ले सकें। परंतु दुर्भाग्यवश जिस प्रकार की शिक्षा हमारे स्कूल और कॉलेजों में स्त्रियों की दी जाती थी उससे दोनों में से कोई भी आदर्श पूर्ण नहीं होता था।

(५) शिक्षा प्रणाली—हमारे अमेज शासकों ने जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली

हमारे देश पर लादनी चाही वह हम से आवश्यकताओं के अटूलन थी। हमारी शिक्षा संस्थाओं में हमें अपने देश की संस्कृति सम्भरता, धर्म, आचारविचार, इतिहास व साहित्य को यादें नहीं पढ़ाई जाती थी। हम शांतिपर और मिलन, वासन और फौद्व का साहित्य पढ़ते थे, परन्तु हम अपने प्राचान कवियों व साहित्यिकों के सम्बन्ध में हमें कुछ भी ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता था। हम अन्य देशों के इतिहास से अनभिज्ञ रहते थे। इन 'धर्म का आदर्श' करना नहीं सीखते थे और पश्चात् शिक्षा प्रदान कर अपने पारिवारिक व्यवसाय व हाथ के काम से दृष्टा करने लगते थे।

(६) शिक्षा का माध्यम—अंग्रेजों के काल में हमें माध्यमिक व उच्च शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम के द्वारा ही जानी थी। इससे न केवल हम अपनी भाषा व अपने साहित्य से ही अनभिज्ञ रहते थे वरन् अपने विद्यार्थी जीवन का अनुभव समझ, समीक्षा के स्थान पर अंग्रेजी व्याकरण के नियमों को रटने में ही लगा देते थे। यह सच है कि अंग्रेजी के ज्ञान के कारण हमें दूसरे देशों के साहित्य को पढ़ने का अवसर मिलता था, परन्तु इसके लिए यदि अंग्रेजी भाषा का अनिवार्य नियम न बनाकर उसे केवल एक ऐच्छिक नियम ही बनाया जाता तो अधिक उपयुक्त होता। आज भी अंग्रेजी हमारे विश्वविद्यालयों में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, परन्तु आज ही बहुत शीघ्र हमारी अपनी राष्ट्रभाषा उच्च स्थान ग्रहण कर लेगी।

(७) याचना का क्रम—अंग्रेजों के काल में हमारी शिक्षा प्रणाली का एक और बड़ा दोष यह था कि शिक्षा का प्रसार किसी विशिष्ट योजना के अधीन नहीं किया गया। जिस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी को अपने आरम्भ काल में भारत से सस्ते मारताने के लिए आवश्यकता प्रवृत्त हुई तो उसने बहुत से स्कूल और कॉलेज खोल दिये। बाद में इन स्कूलों और कॉलेजों में सैरा होने वाले लोगों की संख्या शासन की माँग से जहाँ अधिक बढ़ गई। फल यह हुआ कि हमारे देश में वैद्यकी निरन्तर बढ़ती गई, परन्तु उसे कम करने के लिए शिक्षा योजना में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया। भारत के विभिन्न प्रांतों में शिक्षा का प्रसार अलग अलग ढंग से हुआ और समस्त देश के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा नीति का अनुमोदन नहीं किया गया। इसी प्रकार प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा का स्तर, अलग अलग प्रांतों में अपने ही ढंग का रहा और सब प्रांतों में उसे एक ही स्वरूप प्रदान करने का प्रयत्न नहीं किया गया।

वस्तुतः भारत में इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न

इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस समय अंग्रेज हमारे देश से गये तो उन्होंने एक इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में छोड़ी जो हर प्रकार से दायर्य थी और जो भारत की विशेष परिस्थितियों के अटूलन नहीं थी। आज हमारे देश को स्वतन्त्र हुए

बुद्ध ही वर्ष हुए हैं। इतने थोड़े समय में भी भारत सरकार ने अपनी शिक्षा प्रणाली को सुधारने का समुचित प्रयत्न किया है। परन्तु सैकड़ों वर्षों के दोष कितनी जादू के प्रयास से दूर नहीं किये जा सकते। उन्हें दूर करने के लिए वर्षों के सतत् एव निरन्तर परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तक भारत सरकार एव हमारे देश की प्रांतीय सरकारों ने इस दिशा में जो रचनात्मक कार्य किया है उसका विवरण इस प्रकार है —

(१) साक्षरता आंदोलन—भारत से निरक्षरता दूर करने के लिए प्रायः प्रत्येक प्रांत की सरकार ने साक्षरता आंदोलन आरंभ किया है जिसके अन्तर्गत प्रौढ व्यक्तियों को अक्षर ज्ञान तथा सामाजिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इस आंदोलन में रेडियो, सिनेमा, मैजिक लैंटर्न, थियेटर स्टेज, संगीत, पाश्चर, चार्ट प्रदर्शनी व हर प्रकार के उपायों को काम में लाया जा रहा है। देश के प्रायः प्रत्येक भाग में ही प्रौढ शिक्षा केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं और प्रत्येक प्रांतीय सरकार ने इस प्रकार की योजनाएँ बनाई हैं जिनके अन्तर्गत लगभग १० वर्षों में हमारे देश की अधिकांश जनता शिक्षित हो सकेगी।

प्रारंभिक शिक्षा के दोष

(२) प्रारंभिक शिक्षा—हमारे देश की प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह था कि जिस प्रकार के स्कूलों में ४ वर्ष तक यह शिक्षा प्रदान की जाती थी उन स्कूलों में विद्यार्थियों के आचरण व उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण विद्यमान नहीं था। हमारी पाठशालाएँ हर्ष और उल्लास का बन्दू नहीं थीं। उनमें विद्यार्थियों का ज्ञानन्द्रियों के शिक्षण के लिए उपयुक्त साधन नहीं थे। उनके अध्यापक शिक्षा के आधुनिक तरीकों से अपरिचित थे, उन्हें इतना वेतन नहीं दिया जाता था कि वे अपने काम में पूर्ण रुचि ले सकें और बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नये-नये उपाय काम में लायें अथवा नये-नये प्रयोगों का उपयोग करें। शिक्षा को जीवन की आवश्यकता से सम्बन्धित बनाने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया जाता था। प्रांतीय स्तरों के बालक स्कूलों में पढ़ने के पश्चात् खेती व पशु उद्योग धंधों से घृणा करने लगते थे। अनिवार्य शिक्षा न होने के कारण बवल २० प्रतिशत बालक ही चौथी कक्षा तक पहुँच पाते थे। राय बन्धे बीच में ही शिक्षा छोड़ देते थे। इसका परिणाम यह होता था कि वर्षों का प्रयत्न निरर्थक हो जाता था और अधपढ़े-लिखे बालक शीघ्र ही पढा लिखा भूल कर अशांतों की धेणी में मिल जाते थे। इन सब दोषों के अतिरिक्त प्रारंभिक शिक्षा में सबसे बड़ा दोष यह था कि उनका प्रबंधन गरीब पालिकाओं और जिला मजदूरियों के हाथ में छोड़ दिया जाता था। इन सहायकों के पास हमारा की कमी होती थी और वह शिक्षा के प्रकार में अधिक धन व्यय नहीं कर सकती थीं।

मुफार के उपाय—प्रारंभिक शिक्षा के इन सभी दोषों को दूर करने के लिए हमारी प्रांतीय सरकारों ने समुचित कार्य किया है। उन्होंने अनेक क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा की घोषणा कर दी है जिससे विद्यार्थी कुछ वर्षों परवान् विद्याभ्यसन का कार्य न छोड़ दें। अनेक स्कूलों में बुनियादी शिक्षा (Basic Education) के आधार पर शिक्षा दी जाती है। इन स्कूलों में ६ वर्ष की आयु से १४ वर्ष की आयु तक शिक्षा देने का प्रवृत्त किया गया है। अक्षर ज्ञान के अतिरिक्त इन स्कूलों में विद्यार्थियों को हार्थ, पौधों की रक्षा, कनाई, दुनाई, प्रांतीय अर्थशास्त्र व विविध उद्योग-पधों की शिक्षा दी जाती है। अध्यापकों के वेतन में समुचित बढ़ाव भी कर दी गई है तथा उन्हें नई तकनीक की शिक्षा देने के लिए स्थान-स्थान पर शिक्षण केन्द्र खोल दिये गये हैं। नगर-पालिकाओं और जिला मंडलियों को भी प्रांतीय सरकार शिक्षा प्रसार के कार्य के लिए विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

यह सच है कि अभी तक आर्थिक साधनों की कमी के कारण हमारे देश की प्रारंभिक शिक्षा-प्रणाली में आमूल परिवर्तन नहीं हुआ है परन्तु इस और धीरे धीरे अत्यन्त ठोस कार्य किया जा रहा है और आशा है कि कुछ ही वर्षों में हमारे देश के सभी प्रारंभिक स्कूल बुनियादी शिक्षा के आधार पर बालकों को ६ वर्ष की आयु से १४ वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। सन् १९४८-५० में प्रांतीय स्कूलों की संख्या बढ़ कर २०७,०२८ हो गई थी। इनमें लगभग १३ करोड़ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे।

(३) माध्यमिक शिक्षा—प्रारंभिक शिक्षा के अतिरिक्त हमारी प्रांतीय सरकारों ने माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली में भी मुफार करने का प्रयत्न किया है। माध्यमिक शिक्षा बर्नाकुलर मिडिल, इंग्लिश मिडिल, हाई स्कूल तथा इयर्मीडियेट कालेजों में दी जाती है। विभिन्न प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा की श्रेणियों का विभाजन अलग अलग प्रकार से किया जाता है। कहीं चौथी कक्षा से दसवीं कक्षा तक, कहीं सातवीं से १२वीं तक और कहीं पाँचवीं से ११वीं तक माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र माना गया है। देहली प्रांत में ५वीं कक्षा से ११वीं कक्षा तक माध्यमिक शिक्षा दी जाती है। उत्तर प्रदेश में यही शिक्षा बारहवीं कक्षा तक दी जाती है। कुछ प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा का प्रवृत्त हाई-स्कूल पाठों के हाथ में है, कुछ दूसरे प्रांतों में यही प्रवृत्त रजिस्ट्रार आफ डिपार्टमेंटल एजुकाशनेज के द्वारा किया जाता है। कहीं-कहीं इयर्मीडियेट शिक्षा का प्रवृत्त यूनिवर्सिटीयों के हाथ में भी है। हमारे अनेक प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा का प्रवृत्त एक 'शिक्षा बोर्ड' द्वारा किया जाता है। बर्नाकुलर फर्डिनल की परीक्षा के लिए हमारे प्रांत में एक दूसरी संस्था है। यह संस्थाएँ अपने अधीन सभी स्कूलों का निरीक्षण करती हैं,

विभिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम का निश्चय करती है, परीक्षाओं का आयोजन करती है तथा विभिन्न श्रेणियों के लिए पुस्तकों का चुनाव करती है।

माध्यमिक शिक्षा के दोष

हमारी इस शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा दोष यह है कि भिन्न भिन्न प्रातों में माध्यमिक शिक्षा का संगठन अनग-अलग ढंग से किया जाता है। इसीलिए विद्यार्थियों को एक प्रात से दूसरे प्रात में शिक्षा प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ना है। इस दोष को दूर करने के लिए भारत सरकार ने छारे देश की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की जाँच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की है। जिसके अध्यक्ष श्री लक्ष्मी स्वामी मुदालियर हैं। हमारी वर्तमान माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के दूसरे दोष ये हैं :

(१) माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध विद्यार्थियों के बाहरी जीवन से नहीं है। जिस प्रकार की शिक्षा हमारे स्कूलों में दी जाती है उसे प्राप्त कर विद्यार्थी अपने व्यावहारिक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।

(२) शिक्षा प्रदान करते समय विद्यार्थियों की रुचि व उनके मानसिक दृष्टिकोण का विचार नहीं रखा जाता। सभी विद्यार्थियों को प्रायः एक ही प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। हमारे स्कूलों में मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों का नौकर नहीं रखा जाता जो विद्यार्थियों की योग्यता व उनकी विशेष विषयों में रुचि का पता लगा सकें।

(३) वर्तमान शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों के सांस्कृतिक विकास में सहायता प्रदान नहीं करती, न उसके द्वारा उनमें साधारण ज्ञान के प्रति रुचि ही उत्पन्न होती है। विद्यार्थियों को ऐसे विषयों की शिक्षा कम दी जाती है जिसे प्राप्त कर वह अपने देश के सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठा सकें अथवा उनमें इस बात की योग्यता उत्पन्न हो जाय कि वह अपने देश व सभार की समस्याओं पर स्वतंत्र रूप से विचार कर सकें।

(४) हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति में परीक्षाओं को विशेष महत्त्व दिया जाता है। विद्यार्थी किसी प्रकार पुस्तकों को रट कर परीक्षाओं को पास कर लेने में ही शिक्षा की इतिश्री समझ लेते हैं। वह वास्तविक ज्ञान व सत्य की खोज में नहीं निकलते। उनका ज्ञान अत्यन्त सीमित होता है। उनमें तार्किक शक्ति का विकास नहीं होता।

(५) इस शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है। पाठ्य पुस्तकें अधिकतर अंग्रेजी में होती हैं। इन्हें विद्यार्थियों का बहुत सा अमूल्य समय विषय को समझने की अपेक्षा अंग्रेजी समझने में लग जाता है।

(६) स्कूल के अध्यापकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है जिससे वह पूरी रुचि के साथ अपने काम में भाग नहीं लेते। स्कूलों में केवल ऐसे ही लोग अध्यापक का कार्य करते हैं जो दूसरे हर स्थान में नौकरी प्राप्त करने के प्रयत्न में निराश होकर

अंतिम दशा में अध्यात्म बनना स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे लोग सदा इसी प्रश्न में लगे रहते हैं कि किसी प्रकार उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाय। वह अध्यात्म के कार्य को अपने जीवन का आधार नहीं बनाते। इससे न वैदिक शिक्षा संस्थाओं के कार्य में ही रुकावट पड़ती है वरन् अध्यात्मको भी बदलते रहने से विद्यार्थियों की शिक्षा पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों के हृदय में अपने गुरु के प्रति अज्ञात या निर्माप्य नहीं होता है और वह समझते लगते हैं कि उनके गुरु विद्या की अनेक दायरे से अधिक प्रेम करते हैं।

(७) माध्यमिक शिक्षा में व्यावहारिक शिक्षा पर ज़ोर नहीं दिया जाता। हमारे शिक्षा संस्थाओं में इस बात का प्रश्न नहीं है कि जो विद्यार्थी पाठ्य विषयों में रुचि न लें उन्हें विभिन्न उद्योग पधों व ललित कलाओं की शिक्षा दी जा सके। हमारे देश के किन्हीं ही होनहार नवयुवक एंगेलेट्ट, गणित, अंग्रेजी, भूगोल, विज्ञान व इसी प्रकार के विषयों में प्रवीण नहाने के कारण प्रति वर्ष परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की योग्यता का उन्हें किसी प्रकार के उद्योग पधों व कला शैक्षणिक के ज्ञान में लगा कर उपयोग नहीं किया जाता।

मुधार के उपाय

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश की प्रान्तीय सरकारों ने माध्यमिक शिक्षा के इन दोषों को दूर करने का सज्जव प्रयत्न किया है। देहली प्रांत में जो केंद्रीय सरकार के अधीन है, माध्यमिक शिक्षा के स्वल्प में प्रत्यक्ष परिवर्तन कर दिया गया है। इस प्रांत में आठवीं कक्षा के पश्चात् विद्यार्थी के माता-पिता को इस बात का निश्चय करना पड़ता है कि वह अपने बालक को क्या बनाना चाहता है, इंजीनियर, डॉक्टर, फ़ारसीगर, व्यापारी, वैज्ञानिक अथवा सामान्य मैनुअल। आठवीं कक्षा के पश्चात् ३ वर्ष तक विद्यार्थी को ऐसे विषयों की शिक्षा दी जाती है जिसका ज्ञान प्राप्त कर वह एक विशेष दशा में अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर सकता है। परन्तु इस प्रांत में भी अभी तक विद्यार्थियों के आयोगिक शिक्षण के लिए सङ्चित प्रबंध नहीं किया गया है। देहली में वैदिक एक ही "पोलीटेक्निक" संस्था है। हमारे देश में इस प्रकार की संस्थानों संस्थाओं की आवश्यकता है जिससे विद्यार्थी पढ़ाई के समय विभिन्न उद्योग पधों का अध्ययन करें और फिर अपने मन में इस बात का निश्चय कर सकें कि उन्हें किस प्रकार का कार्य अधिक रुचिकर प्रतीत होता है व वस्तु से उपयोग-पधों व कला-शैक्षणिक के ज्ञानों को स्वयं देखे बिना हम विद्यार्थियों से किस प्रकार आशा कर सकते हैं कि वह अपने माता-पिता को यह बता सकेंगे कि उनकी रुचि अनेक काम में है। सरकार को चाहिये कि वह प्रत्येक शिक्षा संस्था में इस प्रकार के प्रवीण मनोवैज्ञानिक रखते जो पाँचवीं से आठवीं कक्षा के बीच प्रत्येक विद्यार्थी के कार्य की रीति पड़ताल करें और फिर

उसके आधार पर बच्चों के माता-पिताओं को इस बात का परामर्श दें कि उनका बालक किस उद्योग व विषय में प्रवीणता प्राप्त कर सकता है।

उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा भी माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था में समुचित परिवर्तन किया गया है। वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूलों की योजना स्वीकार कर ली गई है। सरकार ने निश्चय किया है कि वह इंटरमीडिएट कॉलेजों को तोड़ कर उन्हें हायर सेकेंडरी स्कूलों में बदल देगी। परन्तु दिल्ली प्रान्त की भाँति वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूलों का पाठ्य क्रम ३ वर्ष का नहीं रहना गया। उसके स्थान पर यह पाठ्य क्रम ४ वर्ष का ही निश्चित किया गया है। हायर सेकेंडरी स्कूलों के नाचे जूनियर हाई स्कूलों की व्यवस्था की गई है जिनमें ८वीं कक्षा तक पढाई होगी। शिक्षा का माध्यम हिंदी कर दिया गया है और अँग्रेजी को केवल एक ऐच्छिक विषय बना दिया गया है। गणित को भी अँग्रेजी के समान ऐच्छिक विषय का स्थान दिया गया है। अध्यापकों के वेतनों में भी बढ़ोत्तरी करने का प्रयत्न किया गया है और जगह-जगह उनका शिक्षण के लिए ट्रेनिंग कॉलेज खोल दिये गये हैं।

भारत के दूसरे प्रांतों में भी इसी प्रकार के सुधार किये गये हैं, परन्तु उन सुधारों से केवल उस समय विशेष लाभ हो सकता है जब भारतीय सङ्घ के अन्तर्गत सभी राज्यों में एक ही योजना के अधीन कार्य किया जाय। इसी बात का दृष्टि में रख कर जैसा पहले भी बताया जा चुका है, भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की जाँच के लिए एक विशेषज्ञों की समेती नियुक्त की है। आजकल हमारे देश में समस्त सेकेंडरी स्कूलों की संख्या १६,६६६ है और उनमें ४८ लाख विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं।

उच्च शिक्षा

विश्वविद्यालय

हमारे देश के विश्वविद्यालयों में जिनकी संख्या २१ है, कला, विज्ञान, कामर्स, इंजीनियरिंग, कानून व डाक्टरी की शिक्षा प्रदान की जाती है। स्वतन्त्रता प्राप्त से पहले हमारे देश में विश्वविद्यालयों की संख्या केवल १८ थी। इस समय हमारे देश में जो विश्वविद्यालय हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :—

आगरा (१९२७), अलीगढ़ (१९२०), इलाहाबाद (१८८७), आंध्र (१९२६), अजमेर (१९२६), बंगलौर (१९४६), बम्बई (१८५७), कलकत्ता (१८५१), दिल्ली (१९२२), पंजाब (१८८२), गोवा (१९४८), कारनोर (१९४६), लखनऊ (१९२०), मद्रास (१८५७), मैसूर (१९१६), नागपुर (१९२३), उस्मानिया (१९१८), पटना (१९१७), पूना (१९४६), गुजरात (१९५०), श्रीमती साधुबाई दामोदर टेंकर से इण्डियन विंगिस यूनीवर्सिटी बम्बई

(१९५१), बिहार (१९५२), बनारस (१९१६), महाण्ड (१९५२), बनारस (१९५०), राजपूताना (१९५०), रङ्गी (१९५६), सागर (१९५६), द्राननडेर (१९१८), उन्कल (१९५८), विश्वनाथी शक्तिनिष्ठान (१९५१) ।

इन विश्वविद्यालयों में गोहाटी, कास्मीर, पूना, राजपूताना, रङ्गी, सागर व उन्कल की यूनिवर्सिटियों अर्न्तः हाल में बनाई गई हैं । रङ्गी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत की प्रथम यूनिवर्सिटी है । गोरखपुर में एक और यूनिवर्सिटी बनाई जा रहा है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्राचीन आदर्श पर, प्राचीन वातावरण में शिक्षा प्रदान करना होगा । बनारस में एक और संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाने की भी योजना है । मध्य भारत में भी एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रयत्न हो रहा है । समनाथ में संस्कृत की एक और यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है ।

भारत के विश्वविद्यालयों को हम दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं—(१) शिक्षक (टीचिंग) विश्वविद्यालय और (२) सम्मेलक (ऐफ्लिडेन्सिंग) विश्वविद्यालय । कुछ विश्वविद्यालय दोनों ही प्रकार के काम करते हैं—शिक्षा प्रदान करने का कार्य और अपने अधीन कॉलेजों में परीक्षा लेने व उनका देख-भाल करने का कार्य । कलकत्ता, बनारस, मद्रास, नागपुर, अमरावती व बनारस के इसी प्रकार के विश्वविद्यालय हैं । इनके अपने प्रांत में इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, अर्नामड व रङ्गी में शिक्षक विश्वविद्यालय हैं जहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है । आगरा का विश्वविद्यालय केवल सम्मेलक विश्वविद्यालय है जिसका मुख्य कार्य कॉलेजों को स्वीकृति प्रदान करना, उनका निरीक्षण करना एवं उनमें परीक्षाओं की व्यवस्था करना है । सम्मेलक विश्वविद्यालयों की अपेक्षा शिक्षक विश्वविद्यालयों में अध्यापन व अनुसन्धान के कार्य का स्तर उँचा होता है और वहीं पर अत्यन्त योग्य व अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है ।

विश्वविद्यालयों का प्रबन्ध एक 'सिनेट' अथवा 'कोर्ट' द्वारा किया जाता है जिसके कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं और कुछ मनोनीत । प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक वाइस-चांसलर होता है जिसका चुनाव 'सिनेट' अथवा 'कोर्ट' के सदस्यों द्वारा किया जाता है और जिसे विश्वविद्यालय का दिन प्रति दिन का कार्य चलाने के लिए हर प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं । विश्वविद्यालय स्थापित सरकारों के रूप में कार्य करते हैं और प्रांतों व केंद्रीय सरकार उनसे काम में हस्तक्षेप नहीं करतीं । देहली, अर्नामड व बनारस के विश्वविद्यालयों का सीधा सम्बन्ध केंद्रीय सरकार से है । दूसरे विश्वविद्यालय प्रांतीय मन्त्रियों के अन्तर्गत कार्य करते हैं । विश्वविद्यालय का व्यवसायिक सहायता व फंड के आधार पर चलता है । सब प्रांतों में निम्नलिखित की शिक्षा पर ३

करोड़ ४० लाख रुपया प्रति वर्ष व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार अपने कोष में से ४६ लाख रुपया वार्षिक विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर व्यय करती है।

सन् १९४६-५० में हमारे देश के विश्वविद्यालयों तथा ७३२ कॉलेजों में कुल विद्यार्थियों की संख्या ३,३७,००० थी। इसी वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में ५,१०,००० विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि मैट्रिक की परीक्षा पास करने के पश्चात् लगभग ४० प्रतिशत विद्यार्थी अपनी पढाई जारी नहीं रखते।

दूसरे देशों में विरतविद्यालय

कुछ लोगों का विचार है कि हमारे देश में बहुत अधिक विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनकी संख्या कम करने के लिए हमें विश्वविद्यालयों व कॉलेजों की संख्या कम कर देनी चाहिये। इस सम्बन्ध में कुछ दूसरे देशों के आँकड़े नीचे दिये जाते हैं। इन्हें देखने से प्रतीत होगा कि हमारा देश यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में कितना विद्युन्न हुआ है और विश्वविद्यालयों अथवा कॉलेजों की संख्या कम करने के स्थान पर हमारे देश में ऐसी और अनेक संस्थाओं की आवश्यकता है।

नाम देश

सत्रसंख्या जिसके पीछे एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता है

भारत	२,८००
इंग्लैण्ड	८८५
फ्रांस	५१७
दक्षिणी अफ्रीका	२३८
कैनाडा	२२७
अमरीका	१२४

उच्च शिक्षा के दोष

(१) हमारे देश में सबसे अधिक कमी इजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं टेक्निकल संस्थाओं की है। सब मिलाकर हमारे देश में केवल २,५०० विद्यार्थियों को प्रति वर्ष इजीनियरिंग शिक्षा प्रदान की जाती है। अमरीका में इस प्रकार की संस्थाओं में २,४०,००० विद्यार्थी प्रतिवर्ष शिक्षा ग्रहण करते हैं।

(२) हमारे विश्वविद्यालयों में पुस्तकों का ज्ञान सैद्धान्तिक होता है व्यावहारिक नहीं। रसायन शास्त्र से एम० एस्०-सी की परीक्षा पास करने के पश्चात् भी विद्यार्थियों में इतना व्यावहारिक ज्ञान नहीं आता कि वह अपने घर के लिए साधारण साधुन अथवा बूट पालिस भी बना सकें। इसी प्रकार अर्थशास्त्र, व्यापार शास्त्र, राजनीति, नागरिक शास्त्र इत्यादि विषयों का अध्ययन मनुष्य के व्यावहारिक जीवन में अधिक सहायक सिद्ध नहीं होता।

(३) विश्वविद्यालयों में अधिकतर विद्यार्थी इसलिए भर्ती होते हैं कि उनके पास कुछ और काम करने के लिए नहीं होता। उन्हें यूनिवर्सिटी के विद्यालयों में रुचि नहीं होती, परन्तु वह बेकारी की समस्या का कुछ वर्षों के लिए स्थगित करने के लिए पढ़ने के कार्य में लग जाते हैं। यह कमी निदान पढ़ते हैं तो कभी समाजशास्त्र, कभी एक विषय में एम० ए० की परीक्षा पास करते हैं तो कभी किसी दूसरे विषय में। कभी बकालत पढ़ते हैं तो कभी जनलिजिंग। और इस प्रकार यह बेकारी के भूत से घबड़ाने का सतत प्रयत्न करते रहते हैं।

(४) हमारे विश्वविद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में इतने विद्यार्थी होते हैं कि अध्यापक मासिक देने के अतिरिक्त उनसे किसी प्रकार का सुझाव स्थापित नहीं कर सकते। बहुत बार अध्यापकों को यह भी पता नहीं होता कि अमुक विद्यार्थी उनके कॉलेज में भी पढ़ता है अथवा नहीं। सच्चा शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापकों के बीच का सम्पर्क निरन्तर आनुषंगिक है। यही कारण है कि जहाँ प्राचीन भारत के आश्रमों में विद्यार्थियों के जीवन पर उनके गुरु के चरित्र की गहरी छाप पड़ती थी, वहाँ आर्य समाज के कॉलेज व यूनिवर्सिटीयों के विद्यार्थी एक सच्चे गुरु के आभाव में अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सफल नहीं होते।

(५) विश्वविद्यालयों के अद्भुत शिक्षा प्राप्त करने में इतना अधिक धन व्यय होता है कि गरीब माता-पिताओं के दसके कभी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा तक नहीं कर सकते। इतना हा नहीं, हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के छात्रों का जीवन इतना पैशन प्रिय और विलासी बनता जाता है कि परीक्षा पास करने के पश्चात् जब उन्हें नौकरी नहीं मिलता तो वह अपने पारिवारिक जीवन के साथ सामंजस्य पैदा नहीं कर सकते। इस दशा में न केवल उनका अन्ना ही जीवन निरर्थक हो जाता है बल्कि वह अपने माता-पिताओं के लिए भार स्वरूप हो जाते हैं।

(६) हमारी यूनिवर्सिटीयों में अंग्रेजी की शिक्षा को बहुत अधिक प्रधानता दी जाती है। प्रायः सभी विषय अंग्रेजी के माध्यम द्वारा ही पढ़ाए जाते हैं। इससे विद्यार्थियों की समस्त शक्ति अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करने में लग जाती है और उन्हें इतना अवकाश नहीं मिलता कि वह अपने विषय का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकें।

(७) परीक्षाओं को यूनिवर्सिटी शिक्षा में अधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है। विद्यार्थी अपनी कक्षा में दिन प्रति दिन क्या कार्य करता है, वह अपने विषय में कितनी रुचि लेता है, उसने अध्यापक उसके कार्य के विषय में क्या राय रखते हैं, इन बातों की ओर परीक्षा के समय कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता। परिणाम यह होता है कि परीक्षा से कुछ ही महीने पहले विद्यार्थी कुछ आनुषंगिक प्रश्नों के उत्तर रट लेते हैं और

फिर उन्हें परीक्षा के समय दोहरा कर पास हो जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों में आने विषय की वास्तविक योग्यता नहीं होती और वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।

(८) सब विश्वविद्यालयों में एक ही प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। उनमें इस बात का प्रयत्न नहीं किया जाता कि अलग अलग विषयों में विशेषता प्राप्त की जाय। उदाहरणार्थ यदि एक यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ तैयार हो तो दूसरी यूनिवर्सिटी में राजनीति के और तीसरे में दर्शनशास्त्रों के इत्यादि। प्राचीन भारत में विश्वविद्यालयों में जैसा हम पहले देख चुके हैं, इसी प्रकार की व्यवस्था थी।

यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट—दोषों को दूर करने के उपाय

हमारे उच्च शिक्षा प्रणाली के इन्हीं दोषों का विचार रखते हुए भारत सरकार ने सन् १९४६ में सर राधाकृष्णन के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी और उसे आदेश दिया था कि वह इन दोषों को दूर करने के लिए अपने रचनात्मक सुझाव सरकार के सम्मुख रखे। इस यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट मार्च सन् १९५० में प्रकाशित कर दी गई। संक्षेप में हम कमीशन के सुझावों का विवरण इस प्रकार दे सकते हैं :—

(१) भारत में प्राचीन आदर्श पर ग्राम्य यूनिवर्सिटियाँ खोली जायें, जहाँ विद्यार्थियों को कृषि व ग्राम सुधार सम्बन्धी इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाय कि वह परीक्षा पास करने के पश्चात् भारतीय गाँवों के जीवन में सक्रिय भाग ले सकें।

(२) यूनिवर्सिटी कक्षाओं में केवल ऐसे ही विद्यार्थियों को भरती किया जाय जो वहाँ के विषयों की पढ़ाई से वास्तविक लाभ उठा सकें। शेष विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक व टेक्निकल शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाय।

(३) यूनिवर्सिटी व उसके अधीन कॉलेजों में विद्यार्थियों की अधिक से अधिक संख्या क्रमशः ३,००० व १,५०० निश्चित की जाय जिससे अध्यापक अपने शिष्यों के साथ वैयक्तिक सम्पर्क स्थापित कर सकें।

(४) विश्वविद्यालयों में छुट्टियों की संख्या कम की जाय जिससे अधिक पढ़ाई की जा सके।

(५) विद्यार्थियों के साथ अध्यापकों का वैयक्तिक सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रत्येक यूनिवर्सिटी व कॉलेज में ट्यूटोरियल, क्लास रॉले जायें। इन क्लासों में अध्यापक विद्यार्थियों के लिखित काम की जाँच करें एवं उन्हें पुस्तकालय से अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दें।

(६) यूनिवर्सिटी कक्षाओं में किन्हीं विरोध पुस्तकों के द्वारा पढ़ाई नहीं की जाय। अध्यापकों का चाहिए कि वह विद्यार्थियों को उस विषय की सभी उपयोगी पुस्तकों को पढ़ने के लिए बाध्य करें।

(७) यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों का प्रवेश स्कूल की १२ कक्षाओं को पास करने के पश्चात् किया जाय। प्रथम डिग्री कोर्स तीन वर्ष का रहता जाय। ग्रानर्स की परीक्षा पास कर लेने के पश्चात् एम० ए० की परीक्षा का समय एक वर्ष हो और बी० ए० की परीक्षा पास करने के पश्चात् दो वर्ष।

(८) राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्ययन प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य कर दिया जाय। अंगरेजी साहित्य का अध्ययन एक ऐच्छिक विषय बना दिया जाय। कमीशन ने अभी यह उचित नहीं समझा कि सभी विषयों का अध्ययन हिन्दी के माध्यम के द्वारा ही किया जाय। इस सम्बन्ध में कमीशन को सबसे बड़ा डर यह था कि हिन्दी में प्राथमिक पुस्तकों का अभाव है और जब तक भिन्न भिन्न विषयों की बहुत-सी पुस्तकें हिन्दी में नहीं लिखी जाती, उस समय तक राष्ट्रभाषा को सभी विषयों के पठन पाठन के लिए माध्यम नहीं बनाया जा सकता।

(९) यूनिवर्सिटी के अध्यापकों का वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में भी कमीशन ने अपने मुझव रखे हैं। उसने कहा है कि किसी कॉलेज के अध्यापक को १५० रुपये मासिक से कम और यूनिवर्सिटी के अध्यापक को २०० रुपये मासिक से कम वेतन नहीं मिलना चाहिये।

भारत सरकार ने यूनिवर्सिटी कमीशन की उपरोक्त सभी सिफारिशें मान ली हैं और आशा है कि अग शीन ही हमारे देश में यूनिवर्सिटी शिक्षा के इतिहास में एक नया अध्याय आरम्भ होगा।

निष्कर्ष

भारत की प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के विवरण से पाठकों को शक हो गया होगा कि हमारे अंग्रेज शासकों ने किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली हमारे देश में छोड़ी यह भारत की विशेष परिस्थिति के प्रतिबल थी। हमारे देश की प्रांतीय सरकारों व केन्द्रीय सरकार ने इस अवस्था में सुधार करने का समुचित प्रयत्न किया है, परन्तु कोई भी सरकार इस प्रकार का कार्य कुछ ही दिनों में पूर्ण नहीं कर सकती। यह सच है कि शिक्षा अच्छे सामाजिक जीवन की कुञ्जी है। उसी के प्रसार पर किसी देश में प्रजातन्त्र शासन की स्थापना निर्भर करती है। वह किसी राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करती है। उसी के द्वारा नागरिकों को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान होता है। इसलिए यह नितात आवश्यक है कि हमारी शिक्षा प्रणाली से उन दोषों को शीघ्रतया दूर किया जाय, जिनके कारण हम अपनी नव प्राप्त स्वतन्त्रता से पूर्ण लाभ उठाने में असमर्थ हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जो हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास कर सके। हमें अपनी शिक्षा पद्धति में प्राचीन भारत व आधुनिक

समाज की सभी अच्छी बातों का समन्वय करना चाहिये। हमें अपने नागरिकों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी चाहिये जिसके द्वारा हम अपनी प्राचीन संस्कृति एवं सम्पत्ता से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। साथ ही हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिये जो हममें किसी भी प्रकार के सर्वोच्च विचार व सञ्चित भावना का संचार न करे। विचारों की स्वतन्त्रता हमारी शिक्षा पद्धति का सदा से गुण रहा है और इस गुण का किसी दशा में भी हमें परित्याग नहीं करना चाहिये। हमारे नव सचिवायन के नियामक सिद्धान्तों में स्पष्ट आदेश दिया गया है कि भारत सरकार सचिवायन लागू होने के १० वर्षों के अंदर इस बात का प्रयत्न करेगी कि भारत का प्रत्येक नागरिक १४ वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य रूप में एक इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सके जिसका आधार विचारों की स्वतन्त्रता, मानव व्यक्तित्व की गरिमा, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतन्त्रता और राष्ट्र की एकता हो। हमें पूर्ण आशा है कि बहुत शीघ्र हमारी प्रांतीय व केन्द्रीय सरकारें इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सफल होगी और हमारे देश में एक इस प्रकार की आदर्श शिक्षा प्रणाली का प्रादुर्भाव होगा जिस पर हमारी आने वाली पीढ़ियों गर्व कर सकेंगी।

शिक्षा विभाग का संगठन

वैसे तो शिक्षा का विषय एक प्रांतीय विषय है और भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्यों की सरकारों को इस बात का पूर्ण अधिकार है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था रखना चाहें रखें, परन्तु केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत भी सारे राज्यों के शिक्षा सम्बन्धी कार्य का समन्वय करने तथा समस्त देश के लिए एक ही शिक्षा नीति का संचालन करने के लिए, एक शिक्षा विभाग होता है। यह विभाग शिक्षा मंत्री के अधीन कार्य करता है। वैसे तो सन् १९११ के पश्चात् से वायसराय की कार्यकारिणा में सदा एक शिक्षा सदस्य नियुक्त किया जाता था, परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले उसे शिक्षा के अतिरिक्त तीन और विभागों की देखभाल करनी पड़ती थी। विश्वले तीन वर्षों में शिक्षा का विषय पूर्ण रूप से एक कैबिनेट मंत्री के अधीन सौंप दिया गया है। भारत सरकार इस विषय को कितना महत्त्व प्रदान करती है तथा किस प्रकार समस्त देश के लिए एक ही शिक्षा नीति का संचालन करना चाहती है, यह परिवर्तन उसी बात का द्योतक है।

शिक्षा मंत्री की सहायता के लिए उनके अधीन एक पूरा सचिवालय कार्य करता है जिसका अग्र्य शिक्षा सचिव (Education Secretary) एवं शिक्षा सलाहकार कहलाता है। उसके अधीन संयुक्त शिक्षा सलाहकार, द्वितीय शिक्षा सलाहकार तथा कई सहायक शिक्षा सलाहकार कार्य करते हैं।

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय को उनके नीति सम्बन्धी कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए कई समितियों होती हैं। इन समितियों में सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के सदस्य होते हैं।

दूसरे देशों में भारतीय विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए शिक्षा सचिवालय अपने प्रतिनिधि नियुक्त करता है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में अपने सांस्कृतिक दलों की नियुक्ति करना भी केन्द्रीय शिक्षा सचिवालय का ही कार्य है।

केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से कई शिक्षा संस्थाओं का स्वयं संचालन करती है, उदाहरणार्थ पब्लिक स्कूल लन्दन, मद्रास, प्रिंस आफ वेल्स स्कूल, देहली, केन्द्रीय शिक्षा इन्स्टीट्यूट (Central training institute) देहली इत्यादि। इसके अतिरिक्त अलमोड़ा, बनारस व देहली के विश्वविद्यालयों का सीधा सम्पर्क केन्द्रीय सरकार से है। वह उन्हें स्वयं आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

आजकल देश की कठिन आर्थिक स्थिति के कारण हमारी केन्द्रीय सरकार भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए अधिक कार्य नहीं कर रही है परन्तु जैसी ही इस स्थिति में सुधार होगा, वह अनेक योजनाओं पर एक साथ कार्य करेगी।

शिक्षा की प्रान्तीय व्यवस्था

केन्द्र की नीति भारतीय सद् के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के मन्त्रिमण्डल में एक शिक्षा मन्त्री होता है। उसके अधीन एक शिक्षा सचिवालय कार्य करता है जिसका सर्वोच्च अधिकारी *डाइरेक्टर आफ एजुकेशन* कहलाता है। *डाइरेक्टर आफ एजुकेशन* का मुख्य कार्य राज्य की समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं की देख-भाल करना होता है। वह बोर्ड्स आफ हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट एजुकेशन का प्रधान होता है। स्कूलों का निरीक्षण, उनमें पढ़ाई का उचित प्रबन्ध करना एवं अध्यापकों के अधिकारों की रक्षा करना भी उसी का काम है। उसकी सहायता के लिए कई डिप्टी तथा असिस्टेंट डाइरेक्टर होते हैं। शिक्षा प्रबन्ध की दृष्टि से सारा राज्य कुछ विधानों, जिलों तथा तहसीलों में बाँट दिया जाता है। इन भागों के शिक्षा कर्मचारी प्रत्यक्ष: *इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स*, *डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स* तथा सब डिप्टी *इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स* कहलाते हैं। प्रांतीय सरकार अपनी ओर से कितने ही *इन्टरमीडियेट कॉलेज*, *हाई स्कूल* तथा व्यावसायिक स्कूलों का स्वयं प्रबन्ध करती है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट संस्थाओं द्वारा भी अनेक *हाई स्कूल*, *मिडिल स्कूल*, *ग्रामपंजी स्कूल* तथा *कॉलेज* इत्यादि खोले जाते हैं। इन सब संस्थाओं पर नियन्त्रण रखना भी प्रांतीय शिक्षा विभाग का कार्य है।

प्रायः प्रत्येक राज्य में ही प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध नगरपालिकाओं व विला मंडलियों द्वारा किया जाता है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का काम इन संस्थाओं के

कार्य की देख रेल करना होता है। माध्यमिक शिक्षा की देखभाल हाई स्कूल व हायरमीडियेट शिक्षा बोर्डों द्वारा की जाती है। उच्च शिक्षा का प्रबंध विश्वविद्यालय करते हैं।

दूसरे प्रगतिशील देशों की अपेक्षा हमारे अपने देश में शिक्षा विभाग एवं शिक्षा संस्थाओं की स्थिति अधिक अशुद्धी नहीं है। शिक्षा विभाग को सरकार के दूसरे सभी विभागों से कम आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जब कभी कर्गोती का प्रश्न उठता है तो सबसे पहले उसका प्रभाव शिक्षा विभाग पर ही पड़ता है। हमारे देश की अधिकतर शिक्षा संस्थाओं की स्थिति भी इस प्रकार की है। उनकी आर्थिक दशा अत्यन्त खराब होती है और वह इस प्रकार की व्यग्रता नहीं कर सकती जिसके अन्तर्गत विद्यार्थी एक सुन्दर वातावरण में अत्यन्त योग्य तथा अनुभवी अध्यापकों के द्वारा आदर्श शिक्षा ग्रहण कर सकें। भारतवर्ष के परिवर्तित वातावरण में हमें पूर्ण आशा है कि अब इन दर्पों को शीघ्र ही दूर करने का प्रयत्न किया जायगा और हमारे देश में एक इस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं का जाल विद्युत दिया जायगा जिनमें शिक्षा प्राप्त कर भारत के मावी नागरिक अपने चरित्र का निर्माण एवं अपने राष्ट्र की अधिकाधिक सेवा कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा की प्रगति

पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में समुचित प्रगति हुई है। इस प्रान्त में सन् १९४६ में शिक्षा पर कुल २५७ करोड़ रुपये व्यय किया जाता था, सन् १९५२ में यह व्यय बढ़कर ७३७ करोड़ हो गया था। सन् १९५८ में हमारे प्रांत में प्राइमरी स्कूलों की संख्या १६,०१७ थी, सन् १९५३ में यह संख्या बढ़कर ३३,००० हो गई थी, इसी प्रकार सेकेंडरी स्कूलों की संख्या सन् १९४६ में २१३६ थी, सन् १९५२ में यह ३७०० हो गई थी। यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में भी कौंसिलों की संख्या १७ से बढ़कर ४८ हो गई थी। टेक्निकल शिक्षा की ओर भी हमारे राज्य में विशेष ध्यान दिया गया है। सन् १९४२ में ऐसी संस्थाओं की संख्या ७८ थी, सन् १९५२ में यह बढ़कर १३५ हो गई। औद्योगिक शिक्षा पर भी इस राज्य में विशेष प्रबंध किया गया है।

योग्यता-परीक्षा

१ अपने प्रान्त की शिक्षा प्रणाली के मुख्य लक्ष्य बताओ। इस प्रणाली में सुधार किस प्रकार किया जा सकता है? (यू० पी० १९३६, ४५)

२ भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली में क्या गुण थे? उन्हें आनकल की शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार कार्यन्वित किया जा सकता है?

३. कहा जाता है कि हमारा आधुनिक शिक्षा-सङ्गठन, भारत की आवश्यकताओं के प्रतिरूप है। इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है ? (यू० पी० १९३३)

४. आधुनिक शिक्षा प्रणाली के क्या दोष हैं ? उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है ? (यू० पी० १९४३)

५. भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के क्या दोष हैं ? यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट में उन्हें किस प्रकार दूर करने का प्रस्ताव किया गया है ?

६. केंद्रीय तथा प्रांतीय शिक्षा विभागों के सङ्गठन की दिनेशना कीजिये।

७. बुनियादी शिक्षा किसे कहते हैं ? भारत में इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के क्या साधन हैं ?

८. भारत तथा दूसरे देशों की शिक्षा प्रणाली की तुलना कीजिये।

९. उत्तर प्रदेश में १९४७ से अब तक शिक्षा में जो उन्नति हुई है उसका सूक्ष्म दिग्दर्शन कीजिये। (यू० पी० १९५२)

१०. शिक्षा के ढाहरेक्षर पर सक्षिप्त नोट लिखो। (यू० पी० १९५३)

धर्म तथा धर्म सुधार आन्दोलन

संसार के आरम्भ से ही मनुष्य समाज धर्म को विशेष महत्त्व देता रहा है। यदि धर्म के वास्तविक तत्त्व को समझा जाय तो यह मनुष्य को मानसिक वेदना, बलेश और सांसारिक दुःखों से छुड़ाकर उसे सत्य, प्रसन्नता और शक्ति प्रदान करता है। गार्हस्थ्य जीवन का स्थायित्व और अस्तित्व धर्म के परिणामस्वरूप ही होता है। धर्म के प्रभाव से ही मनुष्य परमात्मा की सर्वज्ञता में विश्वास रखते हैं और परस्पर वैर भाव और द्वेष को छुड़कर प्रेमपाश में बँध जाते हैं। धर्म में आस्था रखने वाले पुरुष मृत्युलोक को सुन्दर मानकर परलोक और अज्ञेय जीवन की बातें सोचते हैं और पाप और पुण्य के सिद्धान्तों को मानकर अच्छे कामों में प्रवृत्त होते हैं जिससे उन्हें मृत्यु के पश्चात् स्वर्ग तथा मुक्ति की प्राप्ति हो सके।

परन्तु शोक है कि मतवादियों ने धर्म को बिगाड़कर उसके मिस्र्या अर्थ निकाले हैं। प्रेम और सहानुभूति के स्थान पर वैर भाव और निधुद्रता तथा स्वार्थसिद्धि का साधन बना दिया है। अपने मनमाने सिद्धान्तों, भ्रमात्मक रीतियों, धर्मांधता और साम्प्रदायिकता जैसे दुर्गुणों का प्रयोग आज धर्म की दुहाई देकर ही किया जाता है। सब प्रकार के पाप और कुकर्म आज धर्म के नाम पर ही होते हैं। यहाँ तक कि रक्तपात, मनुष्यों की बलि, मदिरापन, लुशा, वेश्यावृत्ति, ध्वभिचार और अत्युरयता आदि भी धर्म के नाम पर ही स्तुत्य ठहराये जाते हैं।

धर्म का वास्तविक स्वरूप

भारत में, जो कि मतमतान्तों का केंद्र है, उपरोक्त भ्रातृत्वों सर्वत्र फैली हुई हैं। हमारा देश जो कभी संसार का गुरु था, आज अधःपतन की पराकाष्ठा को पहुँच गया है। यहाँ के लोग बाल विवाह, देवदासीपन, ज़िम्नों का परदा, जात धर्म तथा बाल्यकाल में भी विधवा होने पर पुनर्विवाह का विरोध केवल धर्म का आश्रय लेकर ही करते हैं। हम यह भूल गये हैं कि धर्म, अविद्या, भय और दुराग्रह का नाम नहीं। धर्म तो वह जीवन है जो कि स्त्री-पुरुषों की आत्मा में उस शक्ति और उज्यता का सञ्चार करता है जो उन्हें ऊँचे और उत्तम काम करने में सहायक होती है। वास्तव में धर्म, रीति रिवाज, अचार शास्त्र तथा लोक मत का नाम भी नहीं है। यह तो वह ज्योति है जो मनुष्य को उसके अपने अन्दर निहित परमात्मा का साक्षात्कार कराती है और उसे पताती है कि

यदि वह अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचाने तो वह इस मृत्युलोक को भी स्वर्गलोक बना सकता है ।

भारत में धर्म का प्रभाव

भारतीय जनता धर्म के तत्त्व को भूलकर आधुनिकवाद में फँस गई है । धर्म की बाहरी वेशभूषा का यहाँ इतना प्रभाव है कि करोड़ों लोगों की जीवन-धारा का आधार यही धार्मिक आधुनिकता ही है । हम समझते हैं कि सध्या, गंगास्नान, दरिद्रों को दान और बड़े नूटों को आशा पालन करके पांडित्य के युग में यद्द हो जाना ही धर्म के मुख्य अङ्ग हैं । इसी कल्पित धर्म के प्रसार में हम छूत अछूत, बाल विवाह, मूर्ति पूजा और चूल्हे नौके की परिव्रजा को भी सम्मिलित कर लते हैं । धर्म यह नहीं है । धर्म यह है कि प्रत्येक समय की परिस्थिति के अनुसार हमें ठीक मार्ग पर चलने का आदेश दे । यह काल और समय के साथ-साथ परिवर्तित हो जाय । जान पति की पद्धति उस समय तो ठीक थी जब कि जाति की परम्परागत एक ही धारण करने वालों की आवश्यकता थी । परन्तु आजकल इस कला और धर्म के युग में, इस अव्यक्त विधान से चिन्ते रहना मूलतः मात्र ही ठीक है । इस प्रकार बाल विवाह, पुराण, बुराई, छूतछात और अनुपपन्न पद्धति भी समय के प्रतिबल है ।

हम यह तो भूल ही जाते हैं कि धर्म एक वैश्विक विषय है । वह परमात्मा और सत्य को पाने का मार्ग है । हनारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं से इसका कोई सम्बन्ध नहीं । लेकिन चिन्ते दुःख की बात है कि भारत में उपरोक्त सब समस्याएँ भी धार्मिक दृष्टिकोणों से ही देखी जाती हैं ।

हमारे देश में हिंदू और मुसलमान आराध में इसलिए नहीं मिल सके कि उनका धर्म अलग-अलग है । वह एक दूसरे के परं, त्यौहारों, शादी और सहजोब अथवा सामाजिक और धार्मिक समागमों में सम्मिलित नहीं होते । मुसलमान का छुआ पानी हिंदू नहीं पीते । वह मुसलमानों की धरती में रहना पसन्द भी नहीं करते । अपने ही हिंदू भाइयों के साथ उनका व्यवहार रुद्धोत्तरहित नहीं होता । हरिजन अर्थात् अछूत हिंदुओं से भेद-बोल नहीं रखते । अपनी उपजाति से बाहर वह शादी-ब्याह नहीं करते । शादी तो दूर रहा, कई जँची जाति वाले अपनी जाति छोड़कर दूसरे के हाथ का खाना भी ग्रहण करना पसन्द नहीं करते । कुछ साल पहले समुद्र बाबा को भी वर्णित समझा जाता था ।

परन्तु अब धीरे-धीरे काल और परिस्थिति के प्रभाव से यह सब अमानक शब्दाएँ हटती जाती हैं । परन्तु ग्रामीण लोगों में अब भी जगृति नहीं हो पाई है ।

आर्थिक क्षेत्र में भी कौन सी जाति को क्या-क्या धान-धपा करना है, इसका निर्णय भी धर्म-पुराणों ने किया है । कई अछूत (हरिजन), ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का

व्यापार नहीं कर सकता। धर्माचार्यों ने उसके भाग्य में सदा के लिए पानी भरना और मार दाना ही लिख दिया है।

राजनीतिक क्षेत्र में स्वराज्य प्राप्ति के लिए भी हिन्दू और मुसलमान एक नहीं हो सके क्योंकि वे धार्मिक भेदभाव के कारण एक दूसरे को सन्देह की दृष्टि से देखते रहे। देश में इसी सन्देह के कारण और धार्मिक सन्देहों को भड़काने से हिन्दू मुसलिम बलवे होते रहे। इसी धर्मांधता के कारण पाकिस्तान का रचना हुई और इससे पूर्व पृथक् निर्वाचन प्रणाली का आरम्भ हुआ।

हिन्दू विश्वविद्यालय और मुसलिम कॉलेज, हिन्दू ग्रन्थालय और मुसलिम यतीम-खाना, हिन्दू पानी और मुसलिम पानी की जड़ में भी यही भेद काम करता है।

भारत में धर्म से एक दूसरे को विभक्त करने का ही काम लिया गया है। यहाँ धर्म के नाम पर हाँ कल्ल हात है। आरती और नमाज के कारण महाउपद्रव होते हैं। यह भुला दिया गया है कि धर्म का आधार तो प्रेम और सह्ययुता है। बाद भी धर्म एक दूसरे के सिर फाड़ने या पीठ में छुरा भोजने की शिक्षा नहीं देता। धर्म का सच्चा अनुगामी तो यह है जो मनुष्य मात्र से प्रेम करता है।

धर्म के कारण भारत में आर्थिक तथा राजनीतिक अवनति

हमारी राजनीतिक दायता और पराजय के कारणों में हिन्दू धर्म की वैराग्य और त्याग भाव की शिक्षा का भी बहुत कुछ हाथ था। हमारे आचार्य सांसारिक जीवन और उसके वैभव को बड़ी तुच्छ दृष्टि से देखते रहे। सदैव परलोक पर ही उनकी दृष्टि लगी रही। इस सत्कार के सुवाँ का त्याग कर जङ्गल, बनों अथवा तार्थस्थानों पर जाकर भगवान् का चिंतन करना ही उनका अन्तिम लक्ष्य रहा आया। हमारे पूर्वजों ने हमें अलौकिक शक्तियों और दिव्य।सदियों में विश्वास करना सिखाया। इस प्रकार हमारा दृष्टिकोण यथार्थवाद से बहुत परे हट गया। इसलिए जब मुसलमान इस देश में लूट-मार करते आये तो उनका सङ्घटित विरोध करने के स्थान पर हम देवी-देवताओं से रक्षा की याचना करने लगे। इससे पहले जब भारतगरी स्वतन्त्र थे, तो उन्होंने समुद्र-यात्रा की लूट के भय से विदेश विषय का प्रयत्न नहीं किया। जब अंग्रेज आये तो हमने अपनी धर्म पुस्तकों को छोड़कर मुसलमानों के साथ मिल कर उनका मुकाबिला नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने भी यहाँ लगभग डेढ़ सौ वर्ष तक राज्य किया।

आर्थिक क्षेत्र में भी धर्म ने हमें सन्तोष का पाठ पढ़ाकर रुपये वैसे की ओर से मुँह मोड़े रखने का उपदेश दिया। उसने हमें सिखाया कि भगवान् तो दरिद्रों के घर में वास करते हैं। चारों वरों के लिए रपाईं कर्म निश्चय करके उसने लोगों को स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापार करने के मार्ग में बाधा डाली। लोग पराक्रम और साहस छोड़कर दबू और एक

स्थानवासी बन गये। धर्म ने हमें भाग्य पर आश्रित करके कर्म करने से रोका। परिणाम यह हुआ कि हम दक्षिण से प्रसन्न और दुर्भाग्य में सन्तुष्ट रहने वाले बन गये।

भारतीय धार्मिक आंदोलन

आंदोलनों के कारण—मुसलमानों के भारत में आने से पूर्व ही हिंदू धर्म में इतनी क्षुधितियों उत्पन्न हो गई थी कि लोग इस धर्म के अग्रगण्य में लज्जा का अनुभव करने लगे थे। इसलिए जब अंग्रेजी राज के काल में इसाई मत के सीधे सारे सिद्धांतों का प्रचार हुआ तो हिंदू नवयुवक उससे अति प्रभावित हुए। सदस्यों की सपना में वह इसाई धर्म में प्रविष्ट होने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा कि हिंदू धर्म की इतिभ्रंश हो जायगी। ऐसे समय में भारत में ऐसे हिंदू सुधारक और विचारक पैदा हुए जिन्होंने हिंदू धर्म की पुरानी विचारमाला का सशोधन करके उसे तार्किक नींव पर ला खड़ा किया। यह धार्मिक प्राति उर्ध्वसरी सदी में हुई।

अब हम कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण धार्मिक आंदोलनों का वर्णन करते हैं जो हिंदू धर्म के सुधार के कारण हुए।

ब्रह्म समाज

१९वीं शताब्दी में सबसे पहली धर्म सुधारक संस्था ब्रह्म समाज थी। इसके प्रवर्तक उस काल के अद्वितीय महापुरुष राजा राममोहन राय थे। इनका जन्म सन् १८०२ में बंगाल के एक बुलीन ब्रह्मण घराने में हुआ था। जिसका बंगाल के शाही घराने से पुराना सम्बन्ध था। राजा राममोहन राय हिंदी, अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, यूनानी भाषाओं के भारी विद्वान् थे। आप इसाई, मुसलिम और हिंदू धर्म की पूरी जानकारी रखते थे। उन्होंने देखा कि प्राचीन हिंदू धर्म और उपनिषदादि ग्रन्थों में जाति पंक्ति, हुआ-कृत, मूर्तिपूजा, बहु-विवाह, भ्रूण हत्या और सती आदि की कुप्रथाओं की वही भी आज नहीं है। इसलिए उन्होंने इनका घोर विरोध किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि वैदिक हिंदू धर्म बड़ा सरल, सम्पूर्ण और युक्त-संगत है। राजा राममोहन राय ने हिंदू धर्म को इसाइयों के आग्रहों से बचाया जिसके प्रभाव से हजारों हिंदू इसाई बनते चले जा रहे थे। वह एक बहुत बड़े सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह का प्रचार किया। सती प्रथा, पशुओं की बलि और मूर्ति पूजा का भी खतरनाक किया। लार्ड विलियम बैंटक ने भी सती प्रथा का कानून राजा राममोहन के आग्रह से ही लागू किया था।

राजा राममोहन राय पर इसाई मत का काफी प्रभाव पड़ा था। परन्तु उन्होंने इसाई धर्म और अंग्रेजी शिक्षा से लाभदायक अथवा ही अग्रगण्ये। धन्द्वों की तरह विदेशियों की नकल को वह बहुत दुष्ट समझते थे। पर्यापी अर्थही भावों को स्वीकार करने पर भी आप पूरे भारतीय थे।

आज नये युग के ऋषि थे। आने अपनी जाति को पुनर्जाति करने और सामाजिक तथा जातीय पुनरुत्थान के लिए यूरोप की सब अच्छी बातों को सङ्कलित करने की शिक्षा दी। इसी कार्य के प्रोत्साहन के लिए उन्होंने अगस्त सन् १८२८ में ब्रह्म समाज की नींव डाली।

ब्रह्म समाज के नियम

ब्रह्म समाज के मुख्य मुख्य नियम निम्नलिखित हैं.—

१. परमात्मा एक व्यक्ति है जो कि सम्पूर्ण सद्गुणों का केन्द्र और भंडार है।

२. परमात्मा ने कभी जन्म नहीं लिया न देह ही धारण किया है।

३. परमात्मा प्रार्थना सुनता है और स्वीकार करता है।

४. सब जाति और वर्णों के लोग परमात्मा की पूजा कर सकते हैं। परमात्मा की पूजा और भक्ति के लिए मन्दिर, मस्जिद और आडम्बर की आवश्यकता नहीं। केवल आत्मा से उसकी पूजा होनी चाहिये।

५. पाप का त्याग और पाप कर्म से परनाचाप ही मोक्ष के साधन हैं।

६. मानसिक ज्योति और विशाल प्रकृति ही परमात्मा के ज्ञान के साधन हैं। किसी पुरनक के देवों मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई पुस्तक सुरिहित नहीं होती।

ब्रह्म समाज की स्थापना के चार वर्ष बाद ही राममोहन राय का इङ्ग्लैंड में देहान्त हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात् ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई और उसमें दो दल बन गये। एक दल के नेता जगद्विख्यात कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिता श्री देवेन्द्र नाथ टैगोर थे। वह हिंदू धर्म के अधिक निकट थे और उपनिषदों में विश्वास रखते थे। वह जाति पति तोड़ने पर अधिक बल न देते थे। दूसरा दल श्री केशवचन्द्र सेन के नेतृत्व में इसाई मन के अधिक निकट था और वह ईसा की बहुत प्रशंसा करते थे। यह हिंदू समाज में समूल परिवर्तन करना चाहते थे, इस दल का 'प्रार्थना समाज' भी कहते हैं। श्री टैगोर की शाखा का आदि समाज कहते हैं।

ब्रह्म समाज एक विचार सुधारक संस्था थी जिस पर कि इसाई धर्म का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। इसीलिए यह आंदोलन सर्वसाधारण में लोकप्रिय नहीं हुआ। आधिकारिक इसके अनुयायी केवल बंगाल में ही हैं और वह भी पाँच दश हजार से अधिक नहीं।

ब्रह्म समाज के कृत्य

ब्रह्म समाज ने ऐसे काल में हिंदू समाज की बहुत सेवा की, जब बाहरी और आत-रिक्त आक्रमणों से वह अत्यन्त पीड़ित थी। उसने उसे इसाई मत का आहार बनने से बचाया। 'सती' की प्रथा का बंदीकरण, स्त्रियों का उद्धार और अज्ञेयी शिक्षा का प्रचार उसी के प्रयत्न के फल हैं।

आर्य समाज

आर्य समाज की स्थापना गुजरात, काठियावाड़ के रहने वाले एक सन्यासी महर्षि दयानन्द सरस्वती ने की। वह एक अत्यन्त शक्तिशाली तथा प्रभावशाली बच्चा थे। ब्रह्म समाज ने तो बंगाल के अंग्रेजी पठित समाज पर ही अपना प्रभाव डाला था, परन्तु आर्य समाज का प्रभाव सर्वथापारम्पर्य में फैला।

स्वामी दयानन्द काठियावाड़ प्रान्त के साधारण से ग्राम (रुद्रघ) में सन् १८२४ में उत्पन्न हुए थे। बाल्यकाल से ही वह धर्म के प्रेमी और वैदिक ग्रन्थों के रसिक थे। उनके पिता पठित अन्धश्राद्धर ने २२ वर्ष की आयु में ही उन्हें बगहने की योजना रची। परन्तु, नवयुवक मूल शहर बोरी बोरी घर से भाग निकला और एक सद्गुरु की खोज में भारत का चक्कर लगाने लगा। अन्त में १४ वर्ष के अनुसंधान के पश्चात् सन् १८६० में उसे एक अन्य दूरदूरी सन्यासी मयुरा में मिले दिनका नाम पठित वृजानन्द सरस्वती था। इनकी शिक्षा से दयानन्द को सर्वप्रकार और सान्त्वना प्राप्त हुई। वृजानन्द ने कहा कि वेद में पूर्ण सत्य निचनान है और पारचाय शिक्षा ने संसार में निर्याहार मताओं का प्रचार किया है।

स्वामी दयानन्द ने सन् १८६३ की मई में अपने गुरु से विदा ली और उत्तरी भारत में विरोध उठाह और पराक्रम से प्रचार कार्य आरम्भ किया। उन्होंने हिन्दी और संस्कृत में कई पुस्तकें लिखीं। सन्यास प्रकाश में, जो कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, उन्होंने हिन्दू धर्म की सब दूसरे धर्मों से श्रेष्ठता सिद्ध की है। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि वेदों में मूर्ति पूजा, जन्म पर निर्भरित जाति पति, दूत-द्वार, सती प्रथा इत्यादि का कहीं भी बखान नहीं है और केवल एक परमात्मा की पूजा का ही आदेश है जो कि निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी और दयालु है। स्वामी दयानन्द राजा राममोहन राय से अधिक प्रभावशाली सुधारक सिद्ध हुए। उन्होंने जाति-वैतण्ड्य हटाने, विधवाओं के पुनर्विवाह और आपस में सम्मिलित खान-पान पर बहुत बल दिया। उन्होंने हिन्दू धर्म को प्रचारक और अन्य धर्मावलम्बियों को शुद्ध करके मिलाने वाला धर्म बना दिया। उन्होंने लोगों में आम-सम्मान, देश प्रेम, स्वतंत्रता और अपने पूर्वजों पर गौरव करने का भाव भर दिया। यही भाव बाद में स्वतंत्रता आन्दोलन के कारण हुए।

स्वामी दयानन्द समाज सुधार कार्य में तो ब्रह्म समाज, धियोर्षोपिबल सेटारी और ईसाई पादरियों से सहमत थे परन्तु धार्मिक सिद्धांतों में उनके पूर्ण विरोधी थे। उनका नाद था "वेद की शरण लो"। ब्रह्म समाज को 'वेदों में परमात्मा की बाणी है' इस सिद्धांत में विश्वास नहीं था। ईसाई केवल बाइबिल की ईश्वरीय ज्ञान मानते थे

और गियोसॉफिस्ट सब धर्मों की पुस्तकों को ईश्वरीय मानते हैं। परन्तु स्वामी जी ने कहा कि वेद की संहिता ही ईश्वरीय ज्ञान है और परमात्मा के अंतिम वाक्य। ब्रह्म समाज पर ईसाइयत का बहुत प्रभाव था, परन्तु स्वामी दयानन्द केवल प्राचीन हिंदू सभ्यता के पुनरुत्थान के पक्षगती थे।

स्वामी जी ने पहली आर्य समाज बम्बई में सन् १८७५ में खोली। दो वर्ष पश्चात् लाहौर में भी आर्य समाज की स्थापना हुई। लाहौर वाली समाज की बहुत उन्नति हुई और यह सारे आर्य समाज आंदोलन का केन्द्र बन गई।

आर्य समाज के नियम .

आर्य समाज के दस नियम इस प्रकार हैं :—

(१) सब सत्य विद्या और ओ पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल-परमेश्वर है।

(२) ईश्वर अविद्वानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अज्ञान, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वप्राणक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अमय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करने योग्य है।

(३) वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।

(४) सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सदा उत्तन रहना चाहिये।

(५) सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिये।

(६) सकार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।

(७) सब से प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार वधायोग्य व्यवहार करना चाहिये।

(८) अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये।

(९) प्रत्येक को अग्नी ही उन्नति से सतुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सब की उन्नति में अग्नी उन्नति समझनी चाहिये।

(१०) सब मनुष्यों को सामाजिक संप्रतिष्ठाकारी नियम पालन करने में परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतन्त्र।

आर्य समाज के कृत्य

: आज उच्चरी भारत के कोने-कोने में आर्य समाज की शाखाएँ विद्यमान हैं। यह एक जीवित संस्था है जिसके कार्यकर्ताओं का समूह उत्पान से परिपूर्ण है। आर्य समाज ने हिंदुओं को व्यर्थ के भ्रमजाल और मिथ्या आडम्बरों से मुक्त कर अपने पुण्य

धर्म में निष्ठावान होना सिखाया है। गुद्वि करना और अन्य मतावलम्बियों को हिन्दू धर्म में मिलाना इसी ने दर्शाया है। जातीय ज्योति का आगारण और सु-व्यवस्थित सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी सुधार इसी के प्रयत्न से आविर्भूत हुए हैं। गुरुकुल, दयानन्द कालिज और अन्य संस्थाएँ स्थापित करके इसने वैदिक शिक्षा और अध्ययन का प्रचार किया है। लड़कियों और अद्वुतों को शिक्षित करने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। विधवा आश्रम और अन्य आश्रम स्थापित करके विधवाओं और अनाथों को अन्य धर्मों में जाने से रोकना और हिंदुओं के मरण जीवन, शादी-ब्याह आदि की रीतियों को सरल करने के कार्य भी इसी ने किये हैं।

थियोसोफिकल सोसायटी

थियोसोफिकल सोसायटी की स्थापना मॅडल ब्लैंकटस्की और कर्नल अल्वाट ने ७ दिसम्बर, १८१७ को न्यूयार्क में की। इसने चार साल पश्चात् दोनों संस्थापक भारत में आये और मद्रास प्रांत के अजगंत अद्वार में उन्होंने अपना मुख्य केन्द्र स्थापित किया।

थियोसोफी समस्त धर्मों की मौलिक सत्यता में विश्वास रखती है। उसकी दृष्टि में सब धर्मों की शिक्षा और सार एक ही है। परन्तु वह बौद्ध तथा हिन्दू धर्म को सच का सबसे उत्तम तथा पूर्ण रूप मानती है। यह धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं रखती और सब धर्मावलम्बी इसके सदस्य बन सकते हैं। यह आवागमन और कर्म के सिद्धांत में भी विश्वास रखती है और जाति भेद, ऊँच नीच, काले-गोरे के भेद को नहीं मानती। यह एक ऐसे भेद-भाव रहित व्यक्तियों के समाज की रचना करना चाहती है जो कि सच का अनुसंधान और मनुष्य मात्र की सेवा करना चाहते हैं। इसके निम्न तीन ध्येय हैं :—

१. जाति, उपजाति, धर्म और रक्त के भेद को हटा कर विश्व-प्राणी भ्रातृत्व के लिए एक केन्द्र स्थापित करना।

२. समस्त धर्मों, सिद्धांतों और विज्ञान का संक्षेप अध्ययन करना।

३. मनुष्य की गुप्त शक्तियों और प्रकृति के गूढ नियमों का स्वीकरण करना।

थियोसोफिकल सोसायटी को जगद्दिव्यता करने में एक प्रायश्चित्त महिला क्षीमती एनी बीसेंट का बहुत बड़ा हाथ है। वह भारत को अपनी मातृ भूमि मान कर हिन्दू बन गई थी। उन्होंने हिन्दू धर्म की इसाइयों के आत्मियों से रक्षा की और भारत के लिए राजनीतिक और सामाजिक सुधार का बहुत काम किया। पूरे ४० वर्ष तक इस महान् महिला ने भारत में रह कर अपनी समस्त शक्तियाँ हिन्दू जाति की सेवा में लगा दीं। उसने मूर्ति पूजा आदि का भी जिसे सुचि युक्त सिद्ध करना कठिन था, प्राचीन और अर्वाचीन विज्ञान की सहायता से मंजन किया। सत्य तो यह है कि किसी भी

एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म की भेदता स्थापित करने में इतना काम नहीं किया जितना एनी बीसेंट ने ।

थियोसॉफिकल सोसाइटी के कृत्य

थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीय समाज की बड़ी सेवाएँ की हैं । इसने सब धर्मों में सद्भाव बढ़ाने के लिए सहिष्णुता का प्रचार किया और अपनी सम्मता पर हमें गर्व करना सिखाया । इसने सभार भर में हिन्दुत्व का प्रचार किया । इसके नेताओं ने राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया ।

वेदान्त समाज

थियोसॉफिकल सोसाइटी यद्यपि हिन्दू धर्म और भारत की प्राचीन सस्कृति का मरडन करती थी, परन्तु वह समस्त हिन्दू धर्म का आख्यान न करती थी और न अपने कथन का आधार वेदांत पर स्थापित ही करती थी । यह काम एक बङ्गाली साधु श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने किया । उन्होंने सारे सभार में उपनिषदों की शिक्षा का प्रचार किया और सभार को हिंदू फिलासफी का प्रकाशक बना दिया । उन्होंने जिस समाज की स्थापना की वह वेदांत समाज कहलाता है ।

स्वामी रामकृष्ण—श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस सन् १८३४ में हुगली परगने के एक धनहीन ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे । बाल काल से ही उनका स्मृति तीव्र और धर्म प्रेम असाधारण था । वह बहुत पंडित नहीं थे और इसलिए एक साधारण पुजारी के व्यवसाय से ही अपना निर्वाह करते थे । काजी देवा को वह सभार की और अपनी माता समझते थे और उनके चित्त में लीन होकर उन-भन की मुधि भुजा देते थे । उनका विश्वास था कि परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, इसलिए कई वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या और भक्ति का जीवन बिताया । एक बार ६ मास तक समाधि अवस्था में रहे और इसके पश्चात् उन्हें अनुभव हुआ कि उन्हें भगवान् कृष्ण के साक्षात् दर्शन हुए हैं । उनकी इस सिद्धि में उन्हें एक परम विद्वान् ब्राह्मण साध्वी सन्यासी तोतापुरी महत से बहुत सहायता मिली । उन्होंने परमहंस जी को वेदान्त और योग के गूढ़ रहस्य बतलाये ।

परमात्मा के दर्शन के पश्चात् श्री रामकृष्ण ने अज्ञातों और अन्य मतावलम्बियों से दूरा दूर करने का अभ्यास किया । इसलिए उन्होंने ब्राह्मण की वृत्ति धारण की और पापाना और गन्दी नालियाँ साफ कीं । सुसलमान और इसाईयों का धर्म समझने के लिए उन्होंने उन जैसा रहन सहन आखिया किया । अन्त में उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि सब धर्म सच्चे हैं और एक ही रथान पर पहुँचने के वे भिन्न-भिन्न साधन हैं ।

स्वामी विवेकानन्द जी—परमहंस श्री रामकृष्ण के सबसे योग्य शिष्य स्वामी

विवेकानन्द हुए जो कलकत्ता के एक बड़े घराने के उच्च शिक्षा पाये हुए नवयुवक थे। सन् १८८६ में गुड़ के स्वर्गास पर उन्होंने गुड़ के सदेश को चारों ओर फैलाने का भार अपने कंधे पर लिया। यह कालम्बा होते हुए अमेरिका, बर्मीडा और इंग्लैंड पहुँचे और इन सब देशों में उन्होंने हिन्दू धर्म का प्रचार किया। सन् १८८३ में शिक्षाओं के सर्व धर्म सम्मेलन में अपने हिन्दू सिद्धांतों का वह महत्त्व बताया कि समस्त सदस्य उनकी भाषा प्रशंसा करने लगे। इसी समय न्यूयार्क हेराल्ड पत्र ने लिखा :—

“सर्व धर्म सम्मेलन में विवेकानन्द का दिग्गज मूर्ति ही समस्त सभा मण्डल पर छा रही है। उनका प्रवचन सुनने के बाद हम ऐसा अनुभव करते हैं कि इतनी महान् शिक्षित जाति का इसाई मिशन भेजने में हम कितनी मूर्खता करते हैं।”

स्वामी विवेकानन्द ने अपने गुड़ के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और प्रचारक तैयार करने के लिए कलकत्ता के निकट टैन्सूर और अल्मोड़ा के निकट माधवती में मठ स्थापित किये। जब कमा देश में वहाँ अकाल, बाढ़ या महानारी पड़ जाती है तो यही मठ सन्ध्याही पीड़ितों की सहायता के लिए सबसे आगे होते हैं।

स्वामी रामनाथ—वेदान्त के प्रचार कार्य में स्वामी रामतीर्थ ने भी बहुत बड़ी सहायता दी। वह आरम्भ में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे परन्तु बाद में नौकरी छोड़कर वह सन्ध्याही हो गये। उन्होंने जापान, अमेरिका तथा यूरोप में भ्रमण करके वेदान्तवाद का प्रचार किया। उनके भाषण की शैली इतनी प्रभावशाली तथा मनमोहेनी थी कि हजारों की संख्या में पुरुष और स्त्रियों उनका भाषण सुनने के लिए उतावली रहती थी। अमेरिका के पूर्व प्रधान रूजवेल्ट भी उनके भक्त बन गये थे। इनकी मृत्यु सन् १९०३ में बहुत अल्प आयु में ही हो गई जब वह केवल ३३ वर्ष के ही थे।

वेदान्तवाद के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार हैं :—

१. सब धर्म एक समान अर्थात् और सत्य हैं। अतः हर व्यक्ति को अपने ही धर्म में रहना चाहिये।

२. परमात्मा अक्षय्य, अशेष और प्रतिबन्ध रहित है। उसका साक्षात्कार ससार के किसी भी भाग में सभी मनुष्यों को हो सकता है। मनुष्य की आत्मा सचमुच ईश्वरीय है। सब मनुष्य सन्त हैं। मूर्ति पूजा, अति शुद्ध और उच्चकोटि की आत्मिक पूजा है। हिन्दू धर्म के सब अष्ट सत्ये और रक्षणीय हैं।

३. हिन्दू सम्प्रदाय, अति प्राचीन और सुन्दर है तथा आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है।

४. पाश्चात्य सम्प्रदाय, स्थूल, स्वार्थी और लज्जित है, इसलिए एक हिन्दू को अपने धर्म, अति और समाज को पाश्चात्य सम्प्रदाय के विषय से बचाने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिये।

वेदान्तवादियों के कृत्य

वेदान्तवादियों ने भारत के पठे लिखे नवयुवकों को बहुत प्रभावित किया है। उन्होंने भारतीयों को अपने पाँव पर दण्डा होना और स्वावलम्बी बनना सिखलाया है। उन्होंने हिंदू सभ्यता का पोषण किया है। उन्होंने रोगियों की सेवा और शिक्षा के प्रचार का भी बहुत बड़ा कार्य किया है। अमेरिका के नगरों न्यूयार्क, बोस्टन, वाशिंगटन, पिट्सबर्ग और सैक्रामेंटो में भी वेदान्त समा विद्यमान हैं।

राधास्वामी मत

राधास्वामी विचार धारा उन मतों में से एक है जिसका कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं और जिसने सार्वजनिक रूप धारण नहीं किया है। राधास्वामी सत्सङ्ग की स्थापना सन् १८६१ में आगरा के एक खत्री श्री शिवदयाल जी महाराज ने की थी। उन्होंने पोषणा की कि परमात्मा ने स्वयं उनको राधास्वामी का सन्त सत्गुरु बना कर भेजा है। उनका देहान्त १८७६ में हो गया।

इसके पश्चात् शय सालिग्राम और श्री ब्रह्म शङ्कर जी गुरु की गद्दी पर बैठे। चौथे गुरु आनन्द स्वरूप जी ने धार्मिक शिक्षा के अनन्तर औद्योगिक उन्नति की ओर भी ध्यान दिया और दयालबाग आगरा का सुन्दर नगर बनाया जहाँ इंजिनियरिंग कॉलेज, गोशाला और कई अन्य प्रकार के कारखाने हैं।

सत्सङ्ग की शिक्षा सदस्यों के अतिरिक्त और किसी की नहीं पढ़ाई जाती। सत्सङ्गी गुरु को हाथ खर क्रिमाओं का केन्द्र तथा भगवान् का अवतार और सात्त्विक विरास का उच्चतम स्वरूप मानते हैं। वह हर पदार्थ का जिसे गुरु छू लेता है अति पवित्र मानते हैं। वह समझते हैं कि गुरु की पूजा से ही भगवान् की प्राप्ति हो सकती है।

सत्सङ्गी जाति पंक्ति में विश्वास नहीं रखते और आपस में भ्रातृ भाव स चर्चा करते हैं। यह धर्म सनातन धर्म का एक अंग है। इसके सदस्य भक्ति मार्ग में विश्वास रखते हैं।

राधास्वामियों ने औद्योगिक विनास के लिए कई उद्योगशालाएँ स्थापित की हैं। जात पंक्ति का भान नष्ट करने तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया है। हिंदुओं के भक्ति मार्ग को पुनर्जीवित करने में भी उनका हाथ है।

सब धार्मिक आन्दोलनों में समान बातें

१८वीं शताब्दी में हिंदू धर्म और सुभ्यता का अद्ययनन पराकाष्ठा को पहुँच चुका था। ऐसे समय में देश में कई धार्मिक प्रचारक और समाज सुधारक प्रकट हुए जिन्होंने हिंदू धर्म का पुनरुद्धान किया। इन धार्मिक आन्दोलनों का संक्षिप्त वर्णन हमने उपर दिया है। अब हम इन आन्दोलनों की मौलिक समानताओं का वर्णन करेंगे।

१. सब आन्दोलनों ने प्राचीन हिंदू संस्कृति से प्रेरणा ली है।
२. अधिकांश आंदोलनों का ध्येय हिंदू धर्म से कुरीतियों तथा अन्ध विश्वास को दूर करना था।
३. एक परमात्मा की पूजा सब आंदोलनों का ध्येय था।
४. सबने शुद्ध आचार और निराकार ईश्वर की पूजा सिखाई।
५. आर्य समाज को छोड़ कर, सब आंदोलनों ने सब धर्मों की एकता तथा सहिष्णुता का प्रचार किया है।
६. सब मतां ने भारतीय स्त्रियों को ठनका वास्तविक ऊँचा स्थान दिलवाने का प्रयत्न किया है।
७. सब ने जात-पाँति के बड़े प्रतिबन्धों को हटाकर समबानुजूल युक्ति-युक्त समाज निर्माण करने का प्रयत्न किया है।
८. सब आन्दोलनों ने भारतीय विचार धारा और हिंदू विचार-धारा को प्रगतिवाद की ओर अग्रसर किया है।
९. इनका प्रभाव भारत की समस्त जातियों को सगठित करने और उनके भेद-भावों को मिगाने में परिणत हुआ।
१०. भारत में राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है।

धर्म और राष्ट्रीय भावना

हम बता चुके हैं कि सामाजिक, राजनीतिक और भारत के आर्थिक जीवन में धर्म का बड़ा भारी प्रभाव है। हम यहाँ देखने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तविक धर्म राष्ट्रीय भावना का विरोधी है या पोषक।

सच्चा धर्म राष्ट्रीयता अथवा अन्तर्राष्ट्रीय का विरोधी नहीं बरन् उसका रक्षक होता है। वह हमें एक अच्छा अनुशासनपूर्ण, सेवामय से श्रोत प्रीत, ईश्वर-भक्त नागरिक बनना सिखाता है। वह हममें सहानुभूति, सेवा, सौन्दर्य तथा त्याग के भाव उत्पन्न करता है जो कि एक देशभक्त व्यक्ति के लिए आवश्यक गुण हैं।

भारत में अज्ञानयुग लोग धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं समझते। वह धर्म के नाम पर एक दूसरे का खिर छोड़ते हैं। सवार का कोई भी धर्म घृणा और असहिष्णुता की शिक्षा नहीं देता। सब धर्म परमात्मा की प्राप्ति का उपदेश देते हैं। धर्म को राजनीतिक क्षेत्र में न लगाकर उसे परमात्मा और आत्मा के सम्बन्ध तक ही सीमित रखना चाहिये। इस दृष्टिकोण से यदि हम धर्म को देखें तो यह राष्ट्रीय भावना का शत्रु नहीं बरन् उसका पोषक है।

योग्यता प्रश्न

१. उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक आन्दोलनों में किन्हीं दो आन्दोलनों की मुख्य बातें बताइये। (यू० पी०, १९३२)
२. विभिन्न धार्मिक आन्दोलनों में आप क्या समानता पाते हैं ? (यू० पी०, १९३०)
३. भारतीय नागरिक जीवन पर धर्म का क्या प्रभाव पड़ा ? (यू० पी०, १९३५)
४. भारत के विभिन्न धार्मिक आन्दोलनों का वर्णन कीजिये तथा उनके प्रभाव की व्याख्या कीजिये। (यू० पी०, १९४२)
५. भारत के प्राचीन धर्म को सुधारने के लिए उन्नीसवीं शताब्दी में कौन से धार्मिक आन्दोलन हुए ? (यू० पी०, १९३६)
६. धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है ? क्या धार्मिक दृष्टिकोण के कारण भारत की आर्थिक और राजनीतिक अवनति हुई है ?
७. क्या धर्म राष्ट्रीय भावना का विरोधी है ?
८. पिछले पचास वर्षों में भारतीय समाज सुधार की प्रगति का वर्णन कीजिये। उसका नागरिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है ? (यू० पी०, १९५१)
९. त्रिभोक्तिकरुल समाज पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। (यू० पी०, १९५३)

को भी प्रभावित करती है और जीवन में एक धार्मिक दृष्टिकोण को बनाये रखने में सहायता देती है।

परन्तु, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे धर्मपरायण देश में भी अधिकतर व्यक्ति ऐसे हैं जो इन रीति रिवाजों, उत्सव व त्यौहारों को किसी विशेष धार्मिक भावना भ्रष्टा व भक्ति भाव से नहीं देखते, और न इन कार्यों को करने से पहले वह यह ही सोचते हैं कि उनका वास्तविक महत्त्व क्या है या वह इस प्रकार क्यों मनाये जाते हैं या उनके पीछे क्या इतिहास छिपा है या समाज की वर्तमान दशा में उनमें कितनी परिवर्तन की आवश्यकता है अथवा नहीं, या हमारी बुद्धि की कसौटी पर वह रीति रिवाज अथवा रस्म पूरे उतरते हैं कि नहीं। पढ़े लिखे, शिक्षित और बुद्धिवादी नवयुग भी इन सब बातों को अपने जीवन का साधारण अंग मानकर उदासीन वृत्ति से उनको मना लेते हैं। परन्तु आज तक इतने विशाल जन समाज में किसी समस्या अथवा व्यक्ति ने यह प्रयत्न नहीं किया कि वह हमारे विभिन्न रीति रिवाजों, रस्मों, उत्सवों इत्यादि का वैज्ञानिक विश्लेषण करें, उनके इतिहास अथवा उद्गम की खोज करें, उनकी उपयोगिता के विषय में अनुसंधानात्मक अध्ययन करें तथा समाज के शिक्षित एवं सम्यक् समाज को समझने का प्रयत्न करें कि भारत के धार्मिक जीवन का आधार कितना वैज्ञानिक है अथवा उसमें बदले हुए क्षणों में कि-हीं परिवर्तनों की आवश्यकता है अथवा नहीं। हमें ऐसे अध्ययन की आवश्यकता है जिससे धर्म की वास्तविकता का ज्ञान हो सके और हम उन सभी घास-फूस तथा बूढ़े करकट का अपने धार्मिक कृत्यों के ऊपर से दूर कर सकें जिनके कारण हमारे धर्म का वास्तविक निर्मल स्वरूप छिप गया है और हम बाहरी दिखावे, रीति रिवाजों, रहन सहन, पूजा, माला, मन्दिर, उत्सव व तीर्थों में ही अपने धार्मिक कर्तव्यों की इतिश्री समझने लगे हैं।

भारत एक राष्ट्र

बहुत से लोग भारत में विभिन्न धर्मों, मत मतानुसार तथा विश्वासों के लोगों की बहुतायत देखकर कहते हैं कि हमारा देश एक राष्ट्र नहीं बरन् विभिन्न जातियों एवं उपजातियों का अजायबघर है। वास्तव में ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता “अनेकता में एकता” है। यह सच है कि हमारे देश में अनेक मत-मता ठरें, धर्म, भाषा, नस्ल तथा जातियों के लोग रहते हैं, परन्तु हमारे देश ने उन सब को एक रूप करके एक ही सभ्यता का अविच्छिन्न अंग बना लिया है। हमारे देश की सभ्यता में विभिन्न जातियों तथा धर्मों का सामंजस्य होकर एक मिली जुली सभ्यता का निर्माण हो गया है। सब लोग जानते हैं कि एशिया के भिन्न भिन्न हिस्सों से द्रविड़, आर्य, शक, मङ्गोल, अरब, तुर्क, तातार, अफगान आदि जातियाँ हमारे देश में आईं,

परन्तु वह सब यहाँ आकर एक रूप हो गई। आज हम में से कोई यह नहीं कह सकता कि वह शुद्ध आर्य, या शुद्ध कुर्क या शुद्ध मुसलमान है और उसकी जाति के रक्त में किसी दूसरे जाति के रक्त का मिश्रण नहीं हुआ है। हमारे संगीत, चित्रकला, मन्दिर व मठ निर्माण कला में सब धर्मों व जातियों की कलाएँ सम्मिलित हैं, और उन सब की विशेषताएँ विद्यमान हैं। भारत के किसी ना प्रांत में रहने वाले हिन्दू विभिन्न भाषाओं तथा रीति रिवाज में विश्वास रखते हुए भी सब समान मूलगत सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं। वह सब पेशी, स्मृतियों, ऋषयों, ऋषयों तथा गीता की पवित्र धर्म पुस्तक मानते हैं, सब गंगा और कृष्ण की पूजा करते हैं। गऊ को अपनी माता के तुल्य मानते हैं। सब गंगा, यमुना तथा गाँदावरी के जलो को पवित्र समझते हैं। उनके तीर्थ-स्थान भारत के सभी प्रांतों में स्थित हैं और सब प्रांतों के लोग अपनी आत्मा की शान्ति के लिए इन स्थानों पर जाना अपना धर्म समझते हैं। पुरी, द्वारिका, व्रीणाप तथा रामेश्वर हमारे देश के पारम तीर्थ हैं। राष्ट्रीय एकता के निर्माण की दृष्टि से यह तीर्थ देश के चार कोने में बसे हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रांतों में रहते हुए, विभिन्न रीति रिवाजों पर चलते हुए तथा विभिन्न भाषा बोलते हुए भी सब हिन्दू एक विशाल हिन्दू समाज व अविभाज्य अंग हैं। वह सब गंगा, गायत्री, गीता और गौ को पवित्र मानते हुए, एकादशी, अनामिका व पूर्णिमा के पुराने पर्वों में विश्वास रखते हुए तथा एक ही धर्म की डोरी सिरोये हुए एक राष्ट्र के अंग हैं।

इसी प्रकार बाहर से देखने पर चाहे हिन्दू और मुसलमान ऐसे लगें कि उनमें किसी प्रकार की समानता नहीं है और वह भिन्न राष्ट्रों के सदस्य हैं, परन्तु यदि गूढ़ दृष्टि से देखा जाय तो पता चलेगा कि उनके रीति रिवाज, विश्वास, रहन सहन, खान पान तथा सजावटों में एक दूसरे के धर्म का गहरा पुट है। हिन्दू और मुसलमानों की कला, आर्य, भाषा, रीति रिवाज, उत्सव, मेले, शादी विवाह, पूजा के तरीकों, पहनाव, व्यवहार तथा रहन सहन पर एक दूसरे धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा है। हमारे गाँवों में रहने वाले हिन्दू और मुसलमानों में कोई आदमी किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं कर सकता है। दोनों एक ही प्रकार के पत्र पहनते हैं, एक ही प्रकार की वन्दना करते हैं, एक ही प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं तथा सब एक दूसरे के उत्सवों, त्यौहारों तथा मेलों में भाग लेते हैं। मुसलमन लोग की साम्प्रदायिक नीति के कारण हमारे देश के हिन्दू और मुसलमानों में कुछ मनमुटाव हो गया था, परन्तु पाकिस्तान बन जाने के पश्चात् मुसलमान समझ गये हैं कि वह एक ही राष्ट्र के पटक हैं और उन सबके समान हित हैं।

हिन्दुओं का सामाजिक जीवन

हिन्दुओं के सामाजिक जीवन में दो बातें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। (१) बलि व्यवस्था और (२) सम्मिलित कुटुम्बों की प्रथा।

जाति प्रथा (Caste System)

जाति पंक्ति की प्रथा हमारे समाज की एक अत्यन्त प्राचीन परम्परा है। इस प्रथा का वेदों में तो वृत्तान्त नहीं मिलता, परन्तु स्मृतियों में इसका वर्णन किया गया है। जातियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक स्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा ने मुन से, क्षत्री उसकी भुजाओं से, वैश्य जह्वा से तथा शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण प्राचीनकाल में सब वर्णों में समानता थी। एक वर्ण दूसरे से नीचा नहीं समझा जाता था। सब वर्णों के लोगों को बराबर के अधिकार प्राप्त थे। वर्णों का विभाजन काम करने की योग्यता तथा कार्य विभाजन के सिद्धांत पर किया गया था। ब्राह्मण शिक्षा देने तथा ज्ञान का प्रसार करने का कार्य करते थे। क्षत्रियों पर राष्ट्र के शासन तथा उनकी रक्षा का भार था। वैश्य कृषि, व्यापार व व्यवसाय को सगठित करते थे और शूद्रों के जिम्मे दूसरे वर्णों की सेवा का कार्य था। इस काल में वर्ण व्यवस्था का निश्चय जन्म से नहीं बरन् कर्म से किया जाता था। यदि किसी शूद्र की सन्तान ब्राह्मण कर्म के योग्य होती थी तो वह ब्राह्मण वर्ण में सम्मिलित मान ली जाती थी। सभी वर्णों में सहयोग और पारस्परिक प्रेम की भावना थी।

जाति भक्ति की व्यवस्था के लाभ

इस वर्ण व्यवस्था के मुख्य रूप से निम्न लाभ थे।

(१) कार्य कुशलता—सर्व प्रथम इस व्यवस्था के कारण प्राचीन काल में समाज कार्य अत्यन्त सुचारु रूप से चलता था और प्रत्येक वर्ण के लोग अपने निर्दिष्ट काम करते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात् पुत्र का काम पहले से ही निश्चित रहता था। वह घर परम्परागत से होने वाले कार्यों को ही करता था इससे प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में अत्यन्त दक्ष तथा कुशल होता था। इस काल में शिक्षा संस्थाओं के अभाव में वर्ण व्यवस्था के कारण ही लोग एक प्रकार की टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करते थे।

(२) सामाजिक उत्थिति—वर्ण व्यवस्था के कारण एक जाति व निरादारी के लोगों में अधिक प्रेम तथा सहानुभूति देखने को मिलती थी। जाति के लोग एक दूसरे से मली भक्ति परिचित होते थे तथा एक दूसरे के दुःख व सुख में काम आते थे। जाति एक प्रकार के क्लब तथा बीमे कंपनी की संस्था का काम करती थी। जाति के लोग अपने सदस्यों की सुविधा के लिए अनेक प्रकार के आनन्द प्रमोद के केंद्र, धर्मशाला, मन्दिर, सार्वजनिक कुएँ इत्यादि बनाते थे। एक वर्ण के लोग दूसरे की सहायता करना ही अपना परम धर्म समझते थे।

(३) व्यक्ति का विकास—जाति पंक्ति की प्रथा के कारण जनता को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का भी अधिक अवसर मिलता था। कारण, एक जाति के लोग आज की तरह एक व्यक्तिगत नहीं बरन् सामूहिक जीवन व्यतीत करते थे। जाति

के बड़े वशोवृद्ध नेता, छोटे बच्चों, अशक्त परिवारों तथा निर्धन जुटुम्हों की सहायता करना अपना सबसे बड़ा धर्म समझते थे। एक जाति के अन्दर पूर्ण समानता का व्यवहार किया जाता था। सब व्यक्ति धन-दौलत, ज्ञान, जानदाद, बड़े छोटे के भेदभाव के बिना बराबर समझे जाते थे और जाति की संस्था इस बात का प्रत्यक्ष करता थी कि प्रत्येक छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए शिक्षा तथा रोजगार की पूर्ण सुविधा प्राप्त होती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जब तक वस्त्र व्यवस्था ने जटिल रूप धारण नहीं किया था, इस प्रथा से बहुत स लाभ थे। परन्तु धीरे धीरे हिंदुओं की यह वर्ण व्यवस्था अत्यन्त जटिल रूप धारण करती चली गई। वर्णों का विभाजन कर्म के स्थान पर जन्म से किया जाने लगा और प्रत्येक वर्ण में सहस्रों जातियाँ और ठर जातियाँ उत्पन्न हो गईं। आजकल इन जातियों की संख्या तीन हजार से चार हजार के बीच आधी जाती है। जाति पति ने कर्णों में कटोरता आ जाने से शादी विवाह, लेन देन तथा गोद श्रमादि की रस्मों में जाति पति का विचार रखा जाने लगा और एक जाति के लोग दूसरी जाति को अग्ने से नीचे मानने लगे। इसी काल में शूद्रों का पतन हुआ और उन्हें हर प्रकार के अधिकारों से वंचित कर दिया गया।

जाति-पति की व्यवस्था के दोष—वर्तमान युग में जाति-पति की प्रथा से लाभ तो बहुत कम है परन्तु दोषों की भरमार है :—

(१) सर्व प्रथम, यह प्रथा अप्रजातन्त्रवादी है। यह मनुष्य के दृष्टिकोण को अत्यन्त सञ्चित बना देती है। यह एक ही समाज के व्यक्तियों में एक गहरी खाई उत्पन्न कर उनमें मेल जोल तथा परस्पर प्रेम की भावना को कम कर देती है।

(२) यह समानता के सिद्धांत का विरोधी है और ऊँच नीच तथा छोटे-बड़े की भावना का पोषक है।

(३) इसके कारण, समाज की आर्थिक उन्नति में भी बाधा पड़ती है, कारण सब व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते। उनका पेशा उनकी जाति के आधार पर निश्चित किया जाता है। अनेक लोग जो अग्नी जाति के बाहर का पेशा करते देश की दौलत व पैदावार का बढ़ा सकते हैं, स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं कर पाते। उनके गले में तरह-तरह के रोड़े अटकाने जाते हैं।

(४) इस प्रथा ने अधीन सर लोग बराबर का काम नहीं करते। कुछ लोग जीवन भर काम करते हैं फिर भी भूखें मरते हैं और कुछ दूसरे आराम से खाला बैठकर मौज उड़ाते हैं। हमारे देश के मजदूर, पढे, पुजारी व साधुओं का उदाहरण ही ले लीजिये। यह लोग अग्ने उच्च वर्ण के कारण बिना काम किये ही दान पुण्य के सहारे मौज उड़ाते हैं और किसी प्रकार का काम नहीं करते। इससे न केवल समाज ही निर्धन बनता है वरन् परोपजीवी व्यक्तियों का चरित्र भी अष्ट हो जाता है।

(५) इस प्रथा के कारण उच्च वर्ण के लोगों में व्यर्थ का दम्भ तथा घमंड उत्पन्न हो जाता है और वे केवल उच्च जाति में जन्म लेने के कारण अपने आपको बड़ा समझने लगते हैं ।

(६) चुनावों में इस प्रथा के कारण साम्प्रदायिकता का खुना खेन फैला जाता है । उम्मीदवार मतदानाश्री से यह कह कर राय माँगते हैं कि हम उन्हीं की विरादरी के सदस्य हैं और इस लिए हमको राय पढ़नी चाहिये । नौकरियों के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की माँग दोहराई जाती है कि वह अपनी ही विरादरी के लोगों को नौकरी पर लगावें ।

(२) अन्त में, इस प्रथा के कारण स्त्रियों को उनके अधिकारों से वञ्चित कर दिया जाता है । जाति के ठेकेदार उन्हें किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं देते । उन्हें घर की चहारदिवारी में बन्द रखा जाता है । स्त्रियों के स्वतन्त्र रूप से विवाह करने या अपने पति का स्वयं चुनाव करने की तो इस प्रथा के अन्तर्गत बात ही नहीं उठती । इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान मरण, विज्ञान तथा प्रजातन्त्र शासन के काल में यह प्रथा अत्यन्त हानिकारक बन गई है । वर्तमान युग में इस प्रथा के साथ चिमटे रहने से कोई भी लाभ नहीं । इस प्रथा का जितना ही शीघ्र अन्त हो जाय उतना ही अच्छा है ।

शिक्षा की प्रगति से हमारे जाति पॉति के बन्धन खन टूटते जा रहे हैं परन्तु यदि यह भीषण दोष हमारे सामाजिक संगठन से समूल नष्ट नहीं हो सका है तो इसका मुख्य रूप से दो कारण हैं । एक यह कि हम अपने नामों के सम्मुख शर्मा, वर्मा, गुता, टडन कक्कड़, टायुर, मिस्तल; वाल्मीकि इत्यादि लिपिने से परहेज नहीं करते और इस कारण, हमें सदा इस बात का आभास रहता है कि हम एक निरौप जाति का सदस्य हैं । दूसरे कायस्थ समा, भ्रूनागर समा, माथुर समा, राजपूत समा, जाट समा, वैश्य समा इत्यादि—एक जाति क लोगों में पृथक्करण की भावना बनाये रखती है और उन्हें समाज के दूसरे श्रेणों के साथ धुल मिल कर रहने नहीं देती । शादी, विवाह, जन्म, मरण इत्यादि श्रमसों पर जाति विरादरी के लोगों को ही निमन्त्रित किया जाता है और इस कारण हमारा आपसी भेद मात्र दूर नहीं हो पाता । परन्तु, अथ धीरे धीरे शिक्षा के प्रसार से यह बन्धन भी टाले पड़ते चले जा रहे हैं । इन बन्धनों को तोड़ने में हम बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं यदि हम सब अपने नाम के आगे अपनी जाति लिखना बन्द कर दें और विवाह के श्रमसर पर अपनी जाति की बन्धा से ही रिश्तेदारी करने पर जोर न दें । आशा है हमारी आगे आने वाली सततियों इन दोनों सुझावों पर अवश्य विचार करेंगी ।

हमें यह पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिये कि यदि भारत में हमें एक सच्चे प्रजातन्त्र

राज्य को जन्म देना है और अपने नये विधान को सफल बनाना है तो हमें जाति-भेद के भेद भावों को भुलाना पड़ेगा। डा० अम्बेदकर ने विधान सभा में ठीक ही कहा था, “यदि हमारा समाज सदैव जाति में विभक्त रहा, और चुनावों में हमने जाति पंक्ति की भावना से काम किया तो फिर हमारे देश में कांग्रेसी विधान कितना ही अच्छा हो, एक सच्चे जन-राज्य की स्थापना नहीं हो सकती।” प्रत्येक भारतवासी विशेषकर आज के विधायियों का इसलिए परमधर्म है कि वह हिन्दू समाज के इस कल्क को मिटाने का सतत् प्रयत्न करे।

संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली

हमारे सामाजिक जीवन की दूसरी बड़ा विशेषता सम्मिलित कुटुम्बों की प्रणाली है। सम्मिलित कुटुम्ब के अर्थात् एक ही परिवार में कई दम्पति तथा बच्चे रहते हैं। उन सब का एक दूसरे के साथ बहुत घनिष्ठ रक्त का सम्बन्ध होता है, उदाहरणार्थ एक परिवार में माता पिता, चाचा-दादा, नाना-चाची, नान्द नानी, चचेरे भाई तथा बहिन और इसी प्रकार के सम्बन्धित लोग रहते हैं। परिवार के सभी व्यक्तियों का मोहन एक ही चौके में बनता है तथा वह सब मिल कर एक ही मकान में रहते हैं तथा एक ही व्यवसाय करते हैं। कुटुम्ब के सबसे प्रौढ़ व्यक्ति पर परिवार के पालन की सारी जिम्मेदारी रहती है। सम्पूर्ण कुटुम्ब का भरण-पोषण, बच्चे की शिक्षा तथा विवाहों का प्रबन्ध करना उसी का कार्य होता है। कुटुम्ब की मर्यादा तथा प्रथाओं की रक्षा करना भी उसी का काम होता है। परिवार के दूसरे सभी व्यक्ति उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं।

प्रथा के लाभ—संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली के अनेक लाभ हैं :—

(१) सर्व-प्रथम ऐसे कुटुम्ब में नागरिकता के कतिपय गुणों की विवेक शिक्षा मिलती है। इस प्रथा के कारण कुटुम्ब के सदस्यों में सहयोग, नेतृत्व, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान, प्रेम, सदानुभूति, तथा आश्रयलन के यह सभी भाव विद्यमान हो जाते हैं जो एक अच्छे सामाजिक जीवन की जड़ हैं और जिनके कारण ही एक मनुष्य अच्छा नागरिक बहूँ जा सकता है।

(२) दूसरे, संयुक्त परिवार बुढ़ापे, बीमारी, बेकारी, तथा दुर्घटना के समय एक बीमे की सहायता का काम देता है। परिवार के दूसरे सदस्य सड़क के समय एक दूसरे की सहायता करना अपना धर्म समझते हैं। आवश्यक जब हमारी सरकार, दूसरे प्रगतिशील देशों की भाँति, सामाजिक बीमे (Social Insurance) का प्रबन्ध नहीं करती तो संयुक्त परिवार प्रणाली ही इस काम को पूरा करती है।

(३) संयुक्त परिवार में लड़कों की भारी बचत होती है। थोड़े ही धन के खर्च से

सारी गृहस्थी का काम चल जाता है। यदि घर के सभी व्यक्ति अलग अलग खाना पकायें, अलग अलग मकान किराये पर लें, इत्यादि तो इससे खर्च में भारी बढोन्तरी हो जाती है।

(४) संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली से घर की इज्जत तथा शान अधिक कायम रहती है। परिवार के सभी व्यक्ति अपना धन एक ही जगह जमा करते हैं, सब मिल कर एक साथ कमाते हैं, जायदाद पसीदते हैं तथा दान पुण्य करते हैं। इससे उनकी इज्जत बढ़ती है और परिवार का समाज में नाम होता है।

(५) सङ्कट तथा मुसीबत के समय परिवार के सदस्य ही सबसे अधिक एक दूसरे की मदद करते हैं। अकेला मनुष्य अपने आपको असाहाय तथा मित्रहीन पाता है।

हानि—परन्तु इन लाभों के होते हुए भी वर्तमान युग में संयुक्त परिवार की प्रथा धीरे-धीरे समाप्त होती चली जा रही है। इसके अनेक कारण हैं—

(१) सर्व प्रथम इस प्रथा के कारण परिवार के सदस्यों को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर नहीं मिलता। गृहकर्ता पर निर्भर रहने के कारण उनमें नेतृत्व तथा स्वतन्त्र निश्चय की भावना नष्ट हो जाती है।

(२) दूसरे, परिवार के मरण-मोक्षण की सारी जिम्मेदारी घर के सबसे बड़े व्यक्ति पर होने के कारण, दूसरे सदस्य अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से अनुभव नहीं करते और वह आलसी, सुस्त, बाहिल तथा परोपजीवी बन जाते हैं।

(३) इस प्रथा के अन्तर्गत परिवार के सभी सदस्यों पर बराबर का भार नहीं पड़ता। घर के कर्ता को गृहस्थी का सारा भार सहना पड़ता है। उसे दूसरों के सुख के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। उसकी बीमारी या मृत्यु के कारण सारा प्रबन्ध गड़बड़ हो जाता है।

(४) सम्मिलित कुटुम्बों में अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़े हुआ करते हैं। विशेषकर बहिन परस्पर सहयोग से नहीं रह पाती। किसी एक भाई का परिवार बड़ा है, दूसरे का छोटा, एक भाई थोड़ा कमाता है, दूसरा अधिक, एक अधिक खर्चीला है, दूसरा कम—ऐसी छोटी छोटी बातों पर आये दिन झगड़े होते रहते हैं और परिवार एक शांति और सुख के केन्द्र के स्थान पर सघर्ष और बलह का श्रेष्ठ बन जाता है।

(५) इस प्रथा के कारण घर की बहिनों की स्वतन्त्र यातायात में रहने का अवसर नहीं मिलता। उन्हें सदा सास, भ्राता तथा जेठ, जिजानी के कड़े नियन्त्रण में रहना पड़ता है। परदा प्रथा की भी यही प्रणाली पोषक है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि साम के स्थान पर संयुक्त कुटुम्ब से हानि अधिक है। आजकल के युग में वैयक्तिक जीवन व्यतीत करने की भावना के कारण संयुक्त कुटुम्बों की प्रथा धीरे-धीरे नष्ट होती चली जा रही है। भारत की नव विवाहित बहिनों का

तथा शत्रु के कड़े निपन्त्रण में रहना पसन्द नहीं करती। वह अपने पति के साथ रह-कर एक स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करना चाहती है। यह मुख्य कारण है जिससे समुक्त परिवार की सफा बनावट कम होती चली जा रही है। आर्थिक कठिनाई तथा स्वतन्त्र-व्यवसाय को छुड़कर पढ़े-लिखे नवयुवकों में नौकरी करने की भावना से भी इन परिवारों का नाश हो रहा है।

जिस तेजी तथा जिन कारणों से हमारे समुक्त परिवार नष्ट होते चले जा रहे हैं उन सब पर एक सचेत की नजर डालना कोई अशुद्धी बात नहीं। कारण, हमारे जीवन में स्पर्धारता तथा वैयक्तिक भावना का विकास कोई वास्तविक प्रगति नहीं। यदि हम अपने माता-पिता, सगे भाई-बहिन तथा निष्ठ सम्बन्धियों के साथ प्रेम के साथ मिल कर नहीं रह सकते तो फिर हम किस प्रकार अपने समाज या राष्ट्र को सेवा कर सकते हैं? आज हम देखते हैं कि नगर में रहने वाले लोग अपने पड़ोसी का नाम नहीं जानते। उन्हें यह पता नहीं होता कि उन्हीं के महान के दूसरे हिस्से में कौन सा क्रायिदार रह रहा है। हम अपने स्वतः के जीवन में ही मग्न रहते हैं और कभी अपने पड़ोस, नगर, जाति अथवा राष्ट्र की समस्याओं पर विचार नहीं करते। सहिरुता, वैयक्तिक भावना, त्याग की कमी तथा संतुलित दृष्टिकोण—यह मुख्य कारण हैं जिनसे हमारे समुक्त परिवार टूटते चले जा रहे हैं। हमें चाहिये कि हम इन परिवारों के दोषों को दूर करें न कि इतनी लामबायी तथा उपयोगी प्राचीन संस्था को ही कुछ सुधारों के कारण बड़-मूल से नष्ट कर दें।

भारतीय जीवन में स्त्रियों का स्थान

प्राचीन भारत—हमारे देश के प्राचीन इतिहास में स्त्रियों का स्थान अत्यन्त उच्चतर रहा है। वैदिक काल में स्त्रियों को ऊँचा से ऊँची शिक्षा दी जाती थी। वह ऋषियों के आश्रमों में शिक्षा प्राप्त करती थीं। उन्हें धार्मिक ग्रन्थ पढ़ने का अधिकार था। वह शास्त्रियों में भाग लेती थीं। स्वयंसेवकों में उन्हें अपने पति स्वर चुनने का अधिकार था। वह परदा नहीं करती थीं और पुरुषों के समान स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करती थीं। देश के शासन, राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में उनका स्थान ऊँचा था। गार्गी, मैत्रेय, लीलावती, सत्यवती, सीता, दमयन्ती, सुवी देवी स्त्रियों के नाम आज भी हमारे इतिहास में स्वर्णक्षेत्रों में अंकित हैं।

जिस समय सभ्यता के दूसरे देश अभी मध्यकालीन युग के अन्धकार में पड़े हुए और प्रेतों में ही विश्वास करते थे तो भारत में एक ऐसी सभ्यता का विकास हो चुका था जिसके अंतर्गत, पुरुष ही नहीं, स्त्रियों भी वेद भक्तों की व्याख्या तथा धर्म ग्रन्थों का भाष्य करती थीं। उन्हें यह उच्चतम तथा शक्ति का अवतार मान कर उनकी पूजा की जाती

थी। परन्तु, भारत के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब ब्राह्मणों के अत्याचार के कारण हमारी स्त्रियों को अज्ञानता व अधकार के गर्त में टकल दिया गया। उन्हें सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। उन्हें शिक्षा प्राप्त करना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, यशोवशत धारण करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना—उनके लिए निषिद्ध ठहरा दिया गया। बौद्ध धर्म ने उनकी स्थिति सुधारने का कुछ प्रयत्न किया, परन्तु शङ्कराचार्य ने आकर तथा उन्हें 'नरक व द्वार' व नाम से सम्बोधित करके एक बार फिर उन्हें घरेलू जीवन की चहारदीवारी में बंद कर दिया।

मुसलमानों के काल में स्त्रियों की स्थिति और भी तराब हो गई। आततायियों के मय से छुटा आधु म ही उनकी शादियों की जाने लगीं। इसी काल में परदा प्रथा का भी रिवाज हुआ और स्त्रियों को घर की नौकरानी तथा बच्चा के पालन पोषण व लिए दासी का स्थान दे दिया गया।

स्त्रियाँ की दशा को सुधारने के लिए आन्दोलन

इस हीन अवस्था में स्त्रियों का उद्धार करने के लिए हमारे समाज सुधारकों ने अनेक प्रयत्न किये। कारण, हमारी प्राचीन सभ्यति और सभ्यता सदा से ही स्त्रियों के अधिकार तथा समाज में उनके एक अत्यन्त ऊच स्थान की पक्क रही है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में स्त्रियों का आदर नहीं होता वहाँ दयता नहीं बसते। श्रद्धांगिता व बिना हमारे गृहस्थ धर्म का कोई जप, तप अथवा यज्ञ सफल नहीं होता। इस लए स्त्रियों का वही प्राचीन वैभव दिलाने व लिए हमारे इन समाज सुधारकों ने भरसक यत्न किया। परन्तु उन्हें अपने काय में विश्वास सफलता नहीं मिली। इसका मुख्य कारण यह था कि हमारी अपनी स्त्रियों, आशुचिन्ता होने व कारण अपने अधिकारों के प्रति स्वत जागरूक नहाना थीं। इसलिए हमारी स्त्रियों की अवस्था में उस समय तक कोई विशाल सुधार नहीं हुआ जब तक बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में महामा गांधी व नेतृत्व के कारण हमारे देश के नर और नारियों में एक नई राजनीतिक चेतना का संचार नहीं हुआ। हमारे राष्ट्रपिता व सयाग्रह आंदोलन ने जनता में कुछ ऐसी नव शक्ति का सञ्चार किया कि पुरुष ही नहीं उसका प्रभाव से स्त्रियों भी न बच सगं। सन् १९२१, २०, २२ तथा ४२ के सत्याग्रह आंदोलन में हमारे देश की सग्या स्त्रियों जेलों में गईं और उहाने पुरुषों व साथ कवे से कथा मिला कर देश के स्वतन्त्रता सप्राप्त में भाग लिया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, शरण व निनायती कर्तव्यों की दृकाना पर निर्भरिंग, पुलिस की लाठियों व गालियों सहने का काम, जलसी व जुलूसों के नेतृत्व—अर्थात् स्वातन्त्र सभ्य के प्रत्येक क्षेत्र में ही उहोंने भाग लिया। वही सबसे मुख्य कारण था कि शताब्दियों से प्रस्त तथा अधिकारहीन स्त्रियों की प्रस्था में २० वष से भी कम समय में एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ कि हमारे नारियों को

प्रायः वही अधिकार प्राप्त हो गये जो आज पुरुषों को प्राप्त हैं। दूसरे देशों की स्त्रियों को अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक नहीं, न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं। इंग्लैंड में ही स्त्रियों को मतधिकार प्राप्त करने के लिए ६० वर्ष तक (सन् १८६७ से लेकर १९२६ तक) निरन्तर आंदोलन करना पड़ा। आज भी कितने ही देशों जैसे प्रायः, स्विट्जरलैंड इत्यादि देशों में स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं और दूसरे देशों में वहाँ के सामाजिक व राजनीतिक जीवन में स्त्रियों इतना प्रमुख भाग नहीं लेती जितना आज वह भारत में ले रही हैं।

स्त्रियों की समस्याएँ

देश के स्वातन्त्र्य संग्राम में भाग लेने के अतिरिक्त दूसरा मुख्य कारण जिससे हमारी स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ, वह यह था कि स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए, आर्य समाज तथा स्त्रियों की अनेक महिला संस्थाओं ने उनके लिए जगह-जगह स्कूल व कॉलेज खोले, जिनमें शिक्षा प्राप्त करके स्त्रियाँ स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गईं और उन्होंने अपनी अरथाओं को सुनाने के लिए स्वयं प्रयत्न किया तथा कई संस्थाएँ स्थापित कीं। इन संस्थाओं में जिन्होंने स्त्रियों की ओर से उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष रूप से आंदोलन किया, निम्न मुख्य हैं :—

(१) बीमेश इंडियन एसोसियेशन, जिसकी स्थापना सन् १९१७ में हुई; (२) नेशनल वूमैन्स आऊ बीमेश, जिसकी स्थापना १९२५ में की गई तथा (३) आर्य इंडिया बीमेश काँग्रेस—जिसका संगठन सन् १९२६ में किया गया। इनमें से अतिम संस्था ने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए सबसे अधिक भाग लिया है। इस संस्था का नेतृत्व जिन नारियों ने किया है उनमें भारत की अनेक घरानों की देवियाँ सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ के नाम ये हैं :—श्रीमती सरोजिनी देवी, मिलेश एनीबेन्ट, सरला देवी चौधरानी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, हसा नेहवा, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अनुपमा बाई बाले, लेडी रामा राव, श्रीमती रानेश्वर्य नेहरू, लेडी अब्दुल कादिर, मोनाल की बंगम तथा बड़ौदा की महारानी। भारत के विभिन्न नगरों तथा प्रांतों में इस संस्था की २०० से अधिक शाखाएँ हैं तथा इसके सदस्यों की संख्या २०,००० से अधिक बताई जाती है। इस संस्था की राष्ट्र सङ्घ द्वारा भी सहायता की गई है।

विधान में स्त्रियों का स्थान

आज भारत की प्रत्येक नायिका को नये विधान में पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किये गये हैं। विधान में कहा गया है कि स्त्रियों को समान कार्य के लिए पुरुषों के समान ही वेतन मिलेगा। वह पुरुषों के समान सरकार के प्रत्येक विभाग में नौकरी कर सकेंगी। वह देश की ऊँची से ऊँची ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अधिकारी का आसन ग्रहण कर सकेंगी। चुनावों में उन्हें पुरुषों के समान ही राय देने का अधिकार होगा।

लिंग, जाति, धर्म, नस्ल, विश्वास अथवा विचार के कारण किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायगा और सब स्त्री पुरुषों को बराबर के अधिकार प्राप्त होंगे तथा उन्हें हर प्रकार की व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा शैक्षिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि कलम की एक उपरोक्त से हमारे नये विधान में स्त्रियों को पूर्ण सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं।

आज के समाज में स्त्रियों का स्थान

भारत में आज हम देखते हैं कि स्त्रियों जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भाग ले रही हैं। परदे की प्रथा अब एक पुरानी बात हो गई है। कुछ कट्टर पथी पुराने विचार वाले मूढ़ों मर लोगों को छोड़ कर, शेष जनता इस प्रथा में विश्वास नहीं करती। हमारे दक्षिण के प्रांतों में तो कभी से परदा प्रथा थी ही नहीं, गाँवों में भी स्त्रियों स्वतन्त्रतापूर्वक खेलों में तथा घरों से बाहर काम करती थीं; उत्तर के प्रदेशों में भी, विधवा तथा पञ्जाब के प्रभाव के कारण, जहाँ की स्त्रियाँ पाश्चात्य देशों की नारियों की भाँति स्वतन्त्र जीवन में विश्वास रखती हैं, इस प्रथा का प्रायः पूर्ण रूप से ही लोप हो गया है। स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार निरन्तर बढ़ रहा है और वह न केवल अपनी संस्थाओं में ही शिक्षा ग्रहण करती हैं बल्कि लड़कों के साथ भी उन्हीं की संस्थाओं में सह शिक्षा प्राप्त करती हैं। पढ़े लिखे घरों में, प्रायः प्रत्येक माता-पिता अपनी कन्याओं को शिक्षित बनाने का प्रयत्न करते हैं। और कुछ नहीं तो, पञ्जाब यूनिवर्सिटी की भूषण तथा प्रभाकर, और प्रयाग विद्यापीठ की विद्याविनोदिनी, विदुषी, साहित्यरत्न इत्यादि परीक्षाएँ तो अधिकतर लड़कियों पास कर लेती हैं। आज हमारे देश की स्त्रियाँ उच्च से उच्च सरकारी पदों पर विद्यमान हैं। हमारी अपनी एक बहिन श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर हमारी केन्द्रीय सरकार की मन्त्री हैं। दूसरी बहिन श्रीमती विजयलक्ष्मी परिडित कुछ काल पहले, अमरीका में हमारे देश की राजदूत थीं। श्रीमती सरोजिनी नायडू, अपनी मृत्यु से पहले, उत्तर प्रदेश की गवर्नर थीं। अनेक स्त्रियाँ प्रांतीय धारा सभा व केन्द्रीय ससद् की सदस्या हैं। उनमें से अनेक प्रांतों में मन्त्रियों तथा इसी प्रकार के उच्च पदों पर कार्य कर रही हैं। हमारी नारियाँ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेती हैं तथा राष्ट्र सङ्घ की बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। अभी कुछ समय पहले राष्ट्र सङ्घ के सम्मेलन में श्रीमती मुचेता कृपलानी हमारे देश के प्रतिनिधि मण्डल की सदस्या पद्म, नेहरू, मन्मथ, गर्ग थीं।

नौकरियों के क्षेत्र में हमारी स्त्रियाँ अब केवल डाक्टर, नर्स, तथा अध्यापिका का कार्य ही नहीं करती, वह दफ्तरों में क्लर्क, तुगरिन्टेन्डेन्ट, तथा उच्च अफसरों का कार्य करती हैं, पुलिस में मर्तों होती हैं, सेना में अनेक पदों पर कार्य करती हैं, मजिस्ट्रेट

तथा न्यायाधीशों की चुनियों पर बैठ कर मुद्दमों की सुनवाई करती हैं, यकील तथा बैरिस्टर का कार्य करती हैं, कारखानों में नौकरियाँ करती हैं, इञ्जीनियर, सगादक, कृषि विशेषज्ञ, लेखिका, साहित्यिक का कार्य करती हैं तथा पुरुषों के समान ही प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयत्न करती हैं।

हिन्दू कोड बिल तथा स्त्रियों के आर्थिक अधिकार

हमारे नये विधान में स्त्रियों को सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार तो पूर्णतः प्रदान कर दिये गये हैं परन्तु अभी तक हमारे समाज में उन्हें पुरुषों के समान आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्हें अपने रिज़ा की सम्पत्ति में माद्यों के समान भाग नहीं दिया जाता, अपने पति के देहावसान पर उन्हें उसकी छोटी हुई जायदाद पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होता, वह स्वेच्छा से मिमी लड़के को गोद नहीं ले सकती। वह स्त्री धन को हथकड़ी से जमान जायदाद को नहीं बेच सकती। यह सब अधिकार स्त्रियों का प्रदान करने के लिए हिन्दू कोड बिल बनाया गया है जो इस समय केन्द्रीय ससद के विचारगणन में है। इस बिल के पास हो जाने पर स्त्रियों को पुरुषों के समान ही आर्थिक अधिकार भी प्राप्त हो जायेंगे। वह अपने रिज़ा की सम्पत्ति में सम्भारदार बन जायगी तथा उन्हें जमान-जायदाद बेचने अथवा मरीदने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जायगा। रिज़ाह विच्छेद के लिए भी हिन्दू कोड बिल में प्रवन्ध किया गया है, परन्तु दूसरे देशों की भाँति नहीं, जहाँ एक स्त्री को ब्याहना और दूसरी को छोड़ देना है स्त्री-स्वतन्त्र समझा जाता है। रिज़ाह विच्छेद का अधिकार केवल उस देश में है जहाँ जब कि-हीं विशेष कारणों से गृहस्थ जीवन एक सुख और सलामत के केन्द्र के स्थान पर आये दिन के लिए कलह, विवाद, संपर्क तथा लड़ाई भगड़े का क्षेत्र बन जाय।

स्त्रियों की आज की माँगें

हिन्दू कोड बिल के पास हो जाने के पश्चात् भारत की स्त्रियों को कानूनी तथा वैधानिक दृष्टि से यह हर प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जिनके लिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, सन् १९४७ के पश्चात् से निरन्तर आंदोलन करता आ रहा है। अपने सन् १९४८ के स्थानिक अधिवेशन में इस सभा ने निम्न और माँगें देश के सम्मुख रखीं :—

(१) भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के प्रत्येक एक ऐसे मंत्री की नियुक्ति की जाय जिसका कार्य समाज सेवा सहायकों के कार्य का संचालन तथा निरीक्षण करना हो। सरकार के इस विभाग को 'मिनिस्ट्री आफ सेशल एफेयर्स' कहा जाय। इस विभाग का मुख्य कार्य सामाजिक क्षेत्र के प्रत्येक प्रकार की असमानता तथा संघर्ष की भाषना को दूर करना हो।

(२) लड़कियों को अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए देश के हर प्रांत, नगर तथा गाँव में प्रबन्ध किया जाय।

(३) हाई स्कूल की श्रेणी तक लड़कियों को उसी प्रकार शिक्षा दी जाय जैसे लड़कों को, जिससे वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पदार्पण कर सकें तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं इत्यादि में बैठकर हर प्रकार की सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें।

(४) विवाहित स्त्रियों के लिए बहुत अधिक सफा में जचापर तथा शिशु ग्रह खोले जायें जिससे उन स्त्रियों तथा बच्चों को मौत के मुँह से बचाया जा सके जा आज-कल शिक्षित दाइयों तथा चिकित्सालयों के झगड़ के कारण सहस्रा की संख्या में प्रतिवर्ष काल की भेंट हो जाते हैं।

(५) गर्भवती स्त्रियों की देखभाल के लिए देश भर में सेंटर खोले जायें।

(६) परिवारों के योजनात्मक विवास के लिए देश भर में गर्भ निरोधक संस्थाएँ (Birth Control Centres) स्थापित किये जायें जिनसे अशिक्षित स्त्रियाँ भी लाभ उठा सकें।

(७) स्कूल और कॉलेजों में लड़कों तथा लड़कियों को परिवार सम्बन्धी शिक्षा प्रदान की जाय जिससे भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या, गरीबी तथा दुखी परिवारों की समस्या हल की जा सके।

(८) हिन्दू कोड बिल को शीघ्र स्वीकार किया जाय।

यह ऐसी नीतियाँ हैं जिनका अधिकतर सम्बन्ध सैद्धांतिक नहीं व्यावहारिक कार्यों से है और प्रांतीय तथा केन्द्रीय सरकारों, स्वतः ही अपने साधनों के अनुसार, इन कार्यों की पूर्ति के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रही हैं।

साजधानी की आराध्यकता—यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि जहाँ भारत सरकार तथा देश की जनता स्त्रियों की दया सुधारने के लिए सतत् प्रयत्न कर रही है वहाँ हमारे देश का स्त्रियों में एक ऐसी भावना दृष्टिगोचर हो रही है जिसके कारण समाज के प्रतिष्ठित तथा वयावृद्ध व्यक्ति यह समझने लगे हैं कि स्त्रियाँ अपना सामाजिक कार्य छोड़कर एक खरबन्द, विलासितापूर्ण तथा पैशान प्रिय जीवन व्यतीत करने की ओर अधिक अभिरत हो रही हैं। आजकल जहाँ देखिये स्त्रियाँ, अपने घर का काम छोड़ कर, बच्चों को नौकरानियों के सुपुर्दे करके, लिफ्टिक तथा गाली पर सुर्ती लगा कर तथा उच्चैःनात्मक वस्त्र पहिन कर, सिनेमाओं, बाजारों तथा मेले ठेलों में घूमती हुई नजर आती हैं। स्त्रियाँ अन्धरी प्रकार रत्नों, रत्नक वस्त्र पहिनें, शूटिंग भी करें; इन सब को विरोध करने का हमारा प्रयोजन नहीं, परन्तु हम यह उचित नहीं समझते कि बिना सोचे समझे, स्त्रियाँ अपनी प्राचीन सदृष्टि तथा सम्पत्ता को भूल कर, पश्चात् देशों की स्त्रियों की मूर्ति, नैतिकता की दृष्टि से गिरा हुआ आचरण करें। विगरेट पंती

हुं बाजारों में धूमें, होटलों में बैठकर राख रिशें, नाच व रनेलिर्नो मनायें, दूसरे पुराने के साथ स्वच्छन्द रूप से धूमें, अग्ने बच्चों की परवाह न करें, उन्हें आनायायों के सहारे छोड़ दें, घर के काम से घृणा करें तथा अग्ने सास श्वसुर्, पति व सम्बन्धियों का आदर-सन्कार न करें। आबङ्गल उच्च इसी प्रकार की प्रवृत्ति हमारी पट्टी निची खिन्ने में देखने को मिलती है। प्रतीत होता है कि नव स्वतन्त्रता के नरों में खिर्नो अग्ना सट्टन सो नैयें हैं और ऐसा आचरण करने लगे हैं जो हमारी प्राचीन सट्टति तथा सन्वता के विलङ्गल प्रविङ्गल है। हमारी देविनो को चाहिये कि वह शिदा तथा स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ समझें और इस प्रकार का आचरण करें जिस पर सन्व समाज गर्न करे तथा जिससे सभार की दूसरी महिलाएँ भी शिदा ग्रहण कर सकें।

हरिजनों की समस्या

खिर्नो की भाँति उच्च काल पहले तक हमारे देश में हरिजनों के साथ अत्यन्त अनाचारपूर्ण व्यवहार किया जाता था। उन्हें हर प्रकार के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों से वंचित रक्ता जाता था। अन्वृशता की प्रथा हमारे हिन्दू धर्म का सबसे महान् बलक थी। जिस धर्म ने विश्व को शांति, अहिंसा, प्रेम तथा अग्नामवाद का पाठ पढ़ाना, जिसकी शिदा, शन तथा दार्शनिक उपोते के अग्ने साथ सभार नवमसङ्ग हो गया, जिसके अन्वृश शन भरतार की जनक ने दुनिता के धर्म विरोधों को चकाचौंध कर दिया, जैसे आश्चर्य की बात है कि ठसी धर्म की दुहाई देकर, सहस्रों बरों तक, हमारी जनता ने अग्ने समाज के एक सब से आवश्यक अंग को बहिष्कृत तथा तिरस्कृत होते देखा। हरिजनों के साथ हमने पशुओं से भी दुय व्यवहार किया। जो जाति दूसरी सब जातियों की सेवक थी, जो जनता के दूसरे सदस्यों के आयुष्य तथा सुविधा की सातिर नीच से नीच काम करने में भी परहेज नहीं करती थी, जो हमारा मँगा लुचैला, गदगी तथा नर्क साक करती थी, जो हमें इस योग्य बनाती थी कि हम महलों, प्रासादों तथा नगरों में रह कर देस और आयुष्य से अग्ना जीवन व्यतीत कर सकें; किन्ने दु ल की बात है कि ठसी की हमने अग्ने गले से लगाने के बजाय, दुष की मङ्गों की तरह निकाल कर अग्नाति के गर्त में टङ्गल दिया। उस जाति की छाया मात्र से हम अनुभव करने लगे कि हम अग्नावित्र हो जाँयेंगे, उसे मन्दिर्गों में प्रवेश का अधिकार देकर हमारे देवता सठ जाँयेंगे, उसे धार्मिक अर्थों के पढ़ने का अधिकार देकर हमारा शन भरतार सुट जायगा, उसे अग्नानी बन्धियों में रहने की सुविधा देकर हम नीच बन जाँयेंगे। आब निङ्गनी पर सब बाँयें बाद करयें हमें विश्वास नहीं होता कि हमारे पूर्वज या माता पिता या उच्च काल पहले हम स्वयं इन्ने निर्दयी, निशाच या दृदयहीन थे।

हरिजनों की अवस्था

हरिजनों के साथ इस प्रकार के व्यवहार की कहानी कोई बहुत पुरानी नहीं है। आज भी भारत में ऐसे पिछड़े हुए भाग हैं जहाँ हमारे अछूत कहे जाने वाले भाइयों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाता है। नगरों और नई रोशनी के नौजवानों में चाहे इस दशा में भारी परिवर्तन हो गया हो, परन्तु आज भी हमारे देश की अधिकांश गाँवों में रहने वाली तथा अशिक्षित जनता ऐसी है जो हरिजनों को महापातकी समझती है। उसके साथ छु जाने पर पर लौटकर स्नान करती है। उनके हाथ की छुई हुई वस्तु को ग्रहण करने में मरने-मारने पर उद्यत हो जाती है। उनको पानी पिलाने के समय नलकी का प्रयोग करती है। उनके बीच रास्ते में आ जाने पर दूर दूर करके उन्हें पीछे हटा देती है। उनके जमीन या जायदाद खरीदने या पका हवादार मकान बनवाने पर उनके विरुद्ध तरह तरह के लाजून लगाती है। उनको दायतें करने, बरात चढ़ाने, स्पष्ट वस्त्र पहनने या अच्छा जीवन व्यतीत करने से रोकती है। उत्तर के प्रांतों में तो हमारे हरिजन भाइयों की अवस्था कुछ अच्छी है; परन्तु दक्षिण के प्रदेशों में तो उनकी दशा बहुत ही बुरी है। वहाँ के ब्राह्मण किसी अछूत को दूर से आता देख, दो फर्लाङ्ग के परे से ही चिल्लाते हैं, "दूर हट जाओ, हम आते हैं।" यदि दक्षिण के किसी पालखड़ी ब्राह्मण पर अछूत की परछाईं पड़ जाय तो फिर वह नर्मदा या गोदावरी में स्नान किये बिना पवित्र नहीं होता।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे हरिजन भाइयों की कितनी हीन दशा है।

हरिजन सुधार आंदोलन

हरिजनों की इस दयनीय दशा को सुधारने के लिए हमारे समाज सुधारकों ने सदा से प्रयत्न किया है। आरंभ में महात्मा बुद्ध तथा महावीर जी ने वर्षों सम्भवो मिश्रणों को दूर कर हरिजनों की व्यवस्था सुधारने का प्रयत्न किया। इसके पश्चात् चौदहवीं शताब्दी में रामानन्द स्वामी ने जाति व्यवस्था के योग्यता को सिद्ध किया। मुसलमानों के काल में करीर, नानक, तुकाराम, एकनाथ तथा नामदेव इत्यादि मक्ति मार्ग के प्रवर्तकों ने हरिजनों की अवस्था सुधारने के लिए भारी आन्दोलन किया। उन्नीसवीं शताब्दी में राजा राममोहन राय तथा स्वामी दयानन्द ने उनके उद्धार का बीड़ा उठाया। आर्य समाज की संस्थाओं ने इस कार्य पर सबसे अधिक जोर दिया और देश भर में उनकी शिक्षा तथा उन्नति के लिए स्कूल, पाठशालाएँ तथा अछूत उद्धार समारोह स्थापित कीं। इसके पश्चात् महात्मा गांधी ने अपने जीवन की सारी शक्ति इस कार्य में लगा दी। उन्होंने हिंदू धर्म से इस झलक को मिटाने के लिए, किजने ही बार आभार्य अनशन किये, देश के कोने-कोने का दौरा किया, मंदिर-प्रवेश आंदोलन चलाया, हरिजन धस्त्रों

में बाँका रहे, अपने आप को भगी कह कर पुष्पा, हरिजन सेवक सभ की स्थापना की, हरिजन पत्र चलाया, लाखों व करोड़ों रुपया जमा करके, उनके लिए शिक्षा तथा दूध, सत्यार्थ खेती, परंतु जाति पंक्ति का भेद-भाव हमारे सामाजिक संगठन में इतना बर कर चुका था कि उसका बड़-भूल से अंत न हो सका। 'बापू' के प्रवचनों के फलस्वरूप हरिजनों की सामाजिक अवस्था में ठा कड़ी प्रगति हुई, मैदानों हिंदू मंदिरों के द्वार उनके लिए खुल गये। उनके प्रति पूजा का भाव दूर हो गया। सर्व हिंदू उनके साथ मिलने और वैश्वे लगे। उनके लिए नये-नये उद्यान-मंदिर और पाठशालाएँ खोली गईं, परंतु उनकी अधिक अवस्था में अधिक सुधार न हो सका, और जहाँ-तहाँ हिंदू धर्म के पदे और पुजारी उन पर तरह तरह के अत्याचार करते ही रहे।

हमारा नया विधान और हरिजन

जो काम सहला बसों में सतत तथा निरन्तर परिश्रम के परिणामस्वरूप हमारे अनेक समाज सुधारक तथा राष्ट्रपिता महाना गांधी न कर सकें, भारत के नये विधान के अन्तर्गत उसे पूर्ण कर दिया गया है। भारतीय विधान की १५वीं धारा में कहा गया है कि —

“राज्य धर्म, नस्ल, जाति पंक्ति, स्त्री पुरुष या इनमें से किसी भेद भाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति को बराबर के अधिकार प्रदान करेगा। भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार होगा कि वह—

(१) दूकानों, चान घण्टे, होटलों तथा मनोरंजन के स्थानों में बिना किसी रोक-टोक के आ जा सके।

(२) कुओं, तालाबों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर सके।

(३) किसी भी प्रकार का व्यवसाय या व्यापार करे।

(४) सरकारी संगठन में उच्च से उच्च पद प्राप्त करे।”

इस प्रकार नये संविधान में हरिजनों की सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप विधान की १७वीं धारा में ‘अस्पृश्यता’ का बीच बड़-भूल से ही नष्ट कर दिया गया है। इस धारा में कहा गया है, “भारतवर्ष से छुआछूत का अन्त कर दिया जाता है, छुआछूत बरतने की मनाही की जाती है। छुआछूत के आचार पर यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर किसी भी प्रकार की रोक-टोक लगावेगा तो उसे राज्य की ओर से दंड दिया जाएगा।”

आगे चल कर विधान में जहाँ राजनीति के नियामक विधानों का उल्लेख किया गया है वहाँ पर ४६वीं धारा में कहा गया है, “राज्य विशेष रूप से जनता की निरुद्धि हुई जातियों जैसे हरिजन, कौली जातियों इत्यादि के अधिकारों की रक्षा करेगा और उन्हें हर प्रकार के सामाजिक शोषण से बचावेगा।”

नौकरियों तथा व्यवस्थापिका सभाओं में हरिजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए, भारतीय विधान में विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। उसमें कहा गया है —

“प्रत्येक प्रांत की विधान सभा में हरिजनों के लिए उनके आकांक्षी के हिसाब से स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे। नौकरियों देते समय उनके हितों का विशेष रूप से ध्यान रक्ता जायगा।”

इसके अतिरिक्त यह देखने के लिए कि विधान में दिये गये हरिजनों के प्रत्येक अधिकार की समुचित रक्षा की जाती है, राज्य द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों में ऐसे अपसरों की नियुक्ति की जायगी जो यह देखें कि उनके अधिकारों की मुचाह रूप से रक्षा की जाती है या नहीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नव विधान द्वारा हमारे देश में एक ऐसे समाज की रचना करने का प्रयत्न किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार के ऊँच नीच, छुआ छूत तथा छोटे बड़े का प्रश्न न हो, प्रत्येक नागरिक बराबर हो तथा वह अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार का व्यवसाय करके अपना जीवन निर्वाह कर सके तथा अपने व्यक्तित्व का पूर्णरूप से विकास कर सके।

स्वयं हरिजनों का कर्तव्य

भारतीय विधान ने हिंदू धर्म से ‘अस्पृश्यता’ का कलंक तो मिटा दिया परन्तु भारतीय विधान की इन धाराओं का हरिजन कहीं तक लाभ उठाते हैं तथा कहीं तक दूसरे मनुष्यों का मुँह ताकने के बजाय अपने पैरों पर खड़ा होना सीखते हैं, यह अब उन्हीं का काम है। प्रत्येक हरिजन का धर्म है कि वह अब अपने मन से छोटेपन को निकाल दे और यह समझने लगे कि समाज की दूसरी ऊँची जाति के मनुष्यों की भाँति वह भी मनुष्य है और समाज के संगठन में ऊँचे से ऊँचे पद प्राप्त करने का उसको भी उतना ही अधिकार है जितना किसी दूसरे मनुष्य को।

हरिजनों को चाहिये कि वह अपने बीच से भी छोटे-बड़े का भेद भाव मिटा दें। आज हमारे कितने ही हरिजन भाई अपनी ही बीच की जातियों को ऊँचा नीचा मानते हैं। चाकी समझते हैं कि चमार नीच है, चमार समझते हैं कि मेहतर बुरे हैं, मेहतर समझते हैं कि हमसे तो कजर घृणित है, इत्यादि। सबसे पहले हरिजनों को आपस का भेद भाव मिटाना होगा, इसी के पश्चात् यह सर्वार्थ हिंदुओं के सम्मान का पात्र बन सकेंगे। हरिजनों को अपनी बुरी आदतों का छोड़ देना चाहिये, तभी हरिजन समाज में अपना खोश हुआ मान पा सकते हैं। नये भारत में हरिजनों का मविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है, परन्तु इसकी कुञ्जी उन्हीं के हाथ में है।

हिन्दू समाज की दूसरी सामाजिक कुरीतियाँ

जात पंक्ति, संयुक्त कुटुम्ब तथा हरिजनों की समस्या के अतिरिक्त हमारे सामाजिक

जीवन भी बुद्ध और जुरीतियों भी हैं जो हिन्दू धर्म की बड़ों को खोलला कर रही हैं और हमारे देश में एक सच्चे प्रगतिवादी शासन की स्थापना की विरोधी हैं। इन जुरीतियों में हम बाल विवाह, वृद्ध-विवाह, बहु विवाह, पर्दा-प्रथा, देवदासी प्रथा, चौका-प्रथा, विधवादान, दहेज प्रथा इत्यादि के नाम से कहते हैं। विवाह निन्द्य, गर्भ निषेध तथा वैज्ञानिक पारिवारिक सङ्गठन के प्रभाव का उल्लेख भी हम इन्हीं जुरीतियों में कर सकते हैं। यह सब है कि धीरे धीरे शिक्षा के प्रसार से यह जुरीतियाँ स्वतः ही हमारे समाजिक सङ्गठन से दूर होती जाती हैं, उदाहरणार्थ बाल विवाह, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा, चौका प्रथा इत्यादि। सामाजिक जुरीतियाँ अब इतिहास का विषय रह गई हैं। बहुत कम लोग अब ऐसे हैं जो इन प्रथाओं में विश्वास रखते हैं या उन्हें अच्छा समझते हैं। जो थोड़ा-बहुत उदाहरण बाल विवाह अथवा पर्दा इत्यादि के देवने को निन्दते हैं वह नहीं के परावर हैं और हमारी नई पीढ़ी के लोग बिन्दोने हाथ हा में धरने जीवन में पदार्पण किया है, उन जुरीतियों को जड़-मूल से नष्ट कर देंगे। परन्तु दुर्भाग्य तो यह है कि हमारे समाज से एक जुरीति दूर नहीं होती कि दूसरी समझे आ खड़ा होती है। हमने पर्दा प्रथा को दूर किया परन्तु इस लिंगभेद और पैर तक ब्लाउज पहनने की प्रथा का स्था करे! हमने मन्दिरों से देवदासी प्रथा को दूर किया, परन्तु इन बनी-ठनी, पाश्चात्य परिधान प्रिय सड़कों पर घूमने वाली देवदासियों का क्या करें! हमने बाल विवाह की जुरीति को नष्ट किया परन्तु यह लम्बे-चौड़े दहेज माँग कर लड़कों को बेचने की प्रथा का क्या करें! अब हमारा सामाजिक सङ्गठन बुद्ध इतना खोलला हो गया है कि हम समझी, नियंत्रित तथा नैतिक जीवन व्यतीत करने में धीरे कष्ट का अनुभव करते हैं। हम यह समझने का प्रयत्न नहीं करते कि स्वतन्त्रता निर्देशक का नाम है, अविचार कर्तव्य पूर्ति का नाम है। अपनी स्त्री के मरने पर चाहे हमारी कितनी ही अवरया हो, हम चाहते हैं कि और विवाह कर लें, परन्तु यदि हमारी अपनी ही कोई अवन रहन पर में विधवा बनी बैठी हुई है तो हम उससे नहीं पूछते, "बहिन, दुःखारे लिए कोई योग्य वर तलाश कर दें!" हम स्त्री के सम्प होने या उसमें और किसी प्रकार के दोष होने पर उसे घर से निकालने पर तत्काल हो जायेंगे, परन्तु हम हिंदू कोड में बर्तित स्त्रियों के अपने पति को त्याग देने के अधिकार का विरोध करेंगे।

हम अपने हिंदू समाज से सामाजिक जुरीतियों को केवल उस समय दूर कर सकते हैं जब हम अधिकारों तथा कर्तव्यों का पारस्परिक सम्बन्ध समझ लें।

मुसलमानों का सामाजिक जीवन

हिंदू और मुसलमानों के सामाजिक जीवन में भारी अन्तर है, यद्यपि सिद्धांतों की नाँति उनका जीवन भी धार्मिक भावना से अधिक प्रभावित होता है। हिंदू धर्म एक अत्यन्त सनातन और प्राचीन धर्म होने के नाते उसके अनुयायियों में अंध-विश्वास तथा

कट्टरपन की भावना कम होती जा रही है, परन्तु मुसलमानों का धर्म केवल १३०० वर्ष पुराना है। दूसरे उनके अनुयायी अधिकतर अशिक्षित हैं। यही कारण है कि धर्म के नाम पर जहाँ अधिकतर हिंदुओं में कोई हलचल पैदा नहीं होती वहाँ मुसलमान हर प्रकार के नीचे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

अध-विश्वास के अतिरिक्त हिंदुओं की भाँति मुसलमानों के सामाजिक जीवन में भी अनेक सामाजिक क्रूरियों उत्पन्न हो गई हैं। जैसे तो मुसलमानों का धर्म हिन्दू धर्म की अपेक्षा अधिक अनतन्त्रवादी है, उसमें किसी प्रकार का जाति बन्धन नहीं, सब मुसलमान जैव नीचे, छोटे-बड़े, निर्धन, मालदार के विचार के बिना बराबर समझे जाते हैं, यह एक ही थाली में बैठकर खाना खा सकते हैं, सब एक ही हुक्के का प्रयोग करते हैं, साथ मिलकर एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, परन्तु हिन्दुओं के रीति रिवाजों का उन पर भी प्रभाव पड़ा है और वह भी एक प्रकार की जाति व्यवस्था में विश्वास करने लगे हैं। शिवा और मुन्नी एक दूसरे को अलग तथा विरोधी मतों का सदस्य समझते हैं। इसके अतिरिक्त पठान, मुगल, मेव, सैयद और शेख एक प्रकार से अपने आपको भिन्न-भिन्न जातियों का सदस्य मानते हैं। वह एक दूसरे के साथ विवाह सम्बन्ध नहीं करते। इसके अतिरिक्त हिन्दू धर्म से परिवर्तित मुसलमानों को भी नीचा समझा जाता है।

मुसलमानों में बहुत विवाह की प्रथा का भी बहुत अधिक जोर है। चार स्त्रियों तो प्रत्येक मुसलमान हदीस की आज्ञानुसार ही रख सकता है। स्त्रियों के साथ अक्सर मुसलमान अच्छा व्यवहार नहीं करते। उनके धर्म में हिंदुओं की भाँति अर्धांगिनी को जीवन साथी तथा विवाह को दो आत्माओं का मेल नहीं माना जाता वरन् स्त्री को पुरुष की वासना की वृत्ति का साधन माना जाता है। उनके धर्म में विवाह एक प्रकार का 'टेका' है जो इच्छानुसार तोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि बहुत से मुसलमानों में 'दुता' विवाह का भी प्रचार है जिसके अनुसार कोई पुरुष किसी स्त्री से एक सप्ताह, एक माह अथवा एक वर्ष के लिए भी विवाह कर सकता है। जैसे तो मुसलमानों के धर्म में विवाह विच्छेद की प्रथा है, स्त्रियों को सम्पत्ति में भी अधिकार दिया जाता है; परन्तु विवाह विच्छेद की आज्ञा केवल पुरुषों को है, स्त्रियाँ अपने पति का त्याग नहीं कर सकतीं, उन्हें पदों के पीछे रक्का जाता है और घर से बाहर बिना बुर्का छोड़े निकलने की आज्ञा नहीं दी जाती। यही कारण है कि अधिकतर मुसलमानियाँ तपेदिक के रोग से पीड़ित पाई जाती हैं।

मुसलमानों में बाल विवाह तथा निकट संबंधियों से विवाह का भी बहुत बुरा रिवाज प्रचलित है। छोटी छोटी लड़कियों की शादी सगे भाई और बहिन को छुड़ कर, और किन्हीं के साथ हो सकती है। यह प्रथा न केवल नैतिक दृष्टि के दुरी है वरन् मेडिकल

विधान की दृष्टि से भी पृथिव समझी जाती है। इसके कारण मुसलमानों का मानसिक विकास रुक जाता है और वह प्रायः हिंदुओं की अपेक्षा कम बुद्धिमान पाये जाते हैं।

मुसलमानों में से सामाजिक सुधारों को दूर करने के लिए राज्य अधिक प्रयत्न नहीं कर सकता, कारण मुसलमान भारतवर्ष में एक अल्पसंख्यक जाति हैं और सरकार कितनी ही अच्छी नीयत से उनके उद्धार के लिए काम करना चाहे, मुसलमान यही समझेंगे कि उनके धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है। दूसरे नव विधान के अन्तर्गत हमारा राज्य अस्वाम्यवादी है। उस दृष्टि से भी वह किसी धर्म के सिद्धान्तों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सामाजिक सुधार की अन्तिम जिम्मेदारी इसलिए स्वयं हमारा बनता तथा उसकी धार्मिक व शिदा संस्थाओं पर है।

योग्यता प्रश्न

१. क्या भारत एक राष्ट्र है? राष्ट्रियता के विकास में कौन सी बाधाएँ हैं? (यू० पी० १९२६)
२. जाति व्यवस्था के लाभ तथा हानि समझाइये।
३. भारतीय सामाजिक जीवन की दो क्या विशेषताएँ हैं? आधुनिक समय में उनकी क्या अवस्था है?
४. भारतीय सामाजिक जीवन में स्त्रियों का क्या स्थान है? आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से उनकी अवस्था में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है? (यू० पी० १९२८, ३६, ३८)
५. भारत के नव सचिवान में स्त्रियों तथा हरिजनों को क्या अधिकार प्रदान किये गये हैं?
६. वर्तमान काल में स्त्रियों की क्या माँगें हैं? उनका आन्दोलन समझाइये।
७. हिन्दू समाज की सामाजिक सुधारों का वर्णन कीजिए। यह सुधारों को दूर हो सकी है?
८. मुसलमानों के सामाजिक जीवन की क्या विशेषताएँ हैं? उनमें कौन सी सुधारों को दूर कर गई है?
९. संविधान में दलित वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए क्या विशेष प्रवन्ध हैं? (यू० पी० १९५२)
१०. भारतीय महिलाओं के शिक्षण रहने के अर्थ का क्या समझाइये? उनकी दशा सुधारने के लिए वर्तमान काल में क्या प्रयत्न किये गये हैं? (यू० पी० १९५२)
११. "अस्वाम्यवादी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अभिचार है" व्याख्या कीजिए। शिक्षण बोस वर्गों में इस अभिचार को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं? (यू० पी०, १९५३)

भारत में राष्ट्रीय आंदोलन

हम पिछले अध्याय में बता चुके हैं कि भारत के राष्ट्रीय जीवन में अनेक विभिन्न-तारों होते हुए भी, हमारा देश सदा एक संयुक्त राष्ट्र ही रहा है। सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से हम एक राष्ट्र हैं। यह सच है कि एक अविच्छिन्न राष्ट्रीयता की भावना, अभी हाल तक हमारी जनता में अधिक घर नहीं कर पाई थी। यही कारण है कि विदेशियों के आक्रमण के समय सारे भारतवासी एक होकर, आततायियों के विकृत संयुक्त मोर्चा कायम कर सके। आपसी द्वेष भाव तथा राष्ट्रीय एकता की भावना की कमी के कारण ही हमने मुसलमानों के हाथों अपनी स्वतन्त्रता खोई और इसके पश्चात् जब अंग्रेज ईस्ट इण्डिया कंपनी के रूप में, हमारे देश में आये तो हम आपसी भेद-भाव को मुला कर उनका मुफ्तबला न कर सके। हमारी राजनीतिक दासता ने हमारे नैतिक चरित्र को और भी नीचे गिरा दिया। हम अपनी प्राचीन परम्परा, सभ्यता तथा सभ्यता को भूल गये और बन्दों की तरह अपने विदेशी शासकों के रहन-सहन, रीति रिवाज, खान पान तथा बोल-चाल के तरीकों को अपनाने लगे। बहुत से मराठीयों ने अपने धर्म को छोड़ कर इसाई धर्म भी अपनाना आरम्भ कर दिया। इन्हीं सब कारणों से उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में हमारे देश में एक धार्मिक तथा सामाजिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इस क्रान्ति के जन्मदाता हमारे धर्म सुधारक नेता श्री राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द तथा रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्होंने न केवल भारतवासियों को उनके वास्तविक धर्म तथा प्राचीन सभ्यता, गौरव और सभ्यता का ही ज्ञान कराया बल्कि जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने में भी अत्यन्त सहायता प्रदान की। इसी बीच हमारे देश में श्री बकिमचन्द्र चटर्जी जैसे लेखक नेताओं ने भारतवर्ष में राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग लिया।

राष्ट्रीय जागृति के विभिन्न कारण

भारत में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने में जिन तत्वों ने भाग लिया उनका सक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जाता है :—

१. राजनीतिक एकता की स्थापना—ईस्ट इण्डिया कंपनी के राज्य में प्रथम बार

भारत में कार्मनीर से कन्याकुमारी और आसाम से द्वारिका तक राजनीतिक एकता का प्रादुर्भाव हुआ। इस एकता के कारण सारा देश एक ही शासन-सूत्र में बँध गया और भारत की ३० करोड़ जनता को सहस्रों वर्ष के खण्डित इतिहास के पश्चात् प्रथम बार अंग्रेजों के काल में अपने देश का प्राचीन विद्यालय स्वरूप देखने का मिला।

२. अंग्रेजी शिक्षा—भारत में राजनीतिक वायुवि उत्पन्न करने में दूसरा महत्त्वपूर्ण माग अंग्रेजी शिक्षा का था। इस शिक्षा के द्वारा सारे भारतवासियों को एक दूसरे पर अपने विचार प्रकट करने की सुविधा प्राप्त हो गई। इसके पहले हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग भाषाएँ बली जाती थीं और सब भारतवासियों एक ही भाषा के द्वारा दूसरे पर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते थे। दूसरे, अंग्रेजों के शासन के कारण हमारे देशवासियों को दूसरे देशों का साहित्य तथा इतिहास पढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने देखा कि सभ्यता दूसरे देशों ने अपनी स्वाधीनता किस प्रकार प्राप्त की थी। उन्हें स्वतंत्र देशों की जनता के राजनीतिक अधिष्ठानों का भी ज्ञान हुआ और वह समझने लगे कि प्रजातन्त्र शासन का क्या अर्थ होता है।

३. पश्चिमी सभ्यता—पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क ने भी भारतवासियों में एक ऊँचे रहन सहन तथा सम्यक जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता का ज्ञान कराया और वे समझने लगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बिना वह एक सन्निवृत्त तथा प्रगतिशील जीवन व्यतीत न कर सकेगे।

४. विदेशी यात्रा—अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवक जब दूसरे देशों में गये और वहाँ उन्होंने स्वतंत्रता के वातावरण में साँस लिया तो उन्हें अनुभव हुआ कि अपने देश की हीन अवस्था का वास्तव में क्या कारण है और दूसरे देशों के लोग भारतवासियों को इतनी घृणा की दृष्टि से क्यों देखते हैं! मन ही मन ऐसे नवयुवकों ने अपने देश को स्वतंत्र करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, और उनमें से कितनों ने ही हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व धारण किया।

५. धार्मिक सुधार आंदोलन तथा भारत की प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान—उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक सुधारकों ने जिनमें रामा राममोहन राय तथा स्वामी दयानन्द मुण्य थे, भारतवासियों के हृदय में अपनी प्राचीन हिंदू संस्कृति तथा सभ्यता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की। उन्होंने भारतीयों को बताया कि किस प्रकार उनका अपना देश संसार का गुरु तथा विश्व का सबसे गौरवशाली देश था। इस प्रकार इन नेताओं द्वारा वास्तविक धार्मिक भावना ने राष्ट्रीयता को जन्म दिया।

६. आर्थिक असंतोष तथा बढ़ती हुई गरीबी—आरम्भ से ही हमारे अंग्रेज शासकों ने भारत में एक ऐसी आर्थिक नीति का अवलम्बन किया जिसके कारण हमारा देश दरिद्रता, अज्ञान तथा सुखमय की ज्वाला में झुलझुला चला गया। उनके काल में

प्राचीन उद्योग-धंधे नष्ट हो गये और हमारे बाजारों में विदेशों की बनी हुई सस्ती चीजें विकने लगीं। हमारा व्यापार भी नष्ट हो गया और हमारे देश में बेकारी और गरीबी बढ़ती चली गई। इन्हीं सब कारणों से जनता में विदेशी शासन के विरुद्ध एक भारी असंतोष की लहर दौड़ गई।

७. भारतीय समाचार पत्र तथा साहित्य की प्रगति—अंग्रेजों तथा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों तथा हिंदी के साहित्य ने भी राजनीतिक चेतना के कार्य में भारी सहयोग दिया। उन्नीसवीं शताब्दी में हमारे देश में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित किये गये और छापेखाने के आगिकार से अनेक पुस्तकें लिखी गईं। इसी काल में बङ्किम, टैगोर, सरला देवी तथा रजनीकांत सेन जैसे साहित्यिक, कवि और लेखकों ने जन्म लिया। उन्होंने देश भक्ति से श्रोत प्रीत साहित्य को जन्म देकर भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना निर्माण करने के कार्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग लिया।

८. यातायात के साधनों में उन्नति—अंग्रेजों के काल में हमारे देश में अनेक-जाने तथा परस्पर सम्पर्क के साधनों जैसे—रेल, तार, डाक तथा सड़कों इत्यादि की भी भारी उन्नति हुई जिसके कारण सारा देश एक सूत्र में बँध गया और जनता को इस बात का अवसर मिला कि वह सारे देश की समस्याओं पर विचार कर सके। राष्ट्रीय नेताओं को भी इन्हीं सुविधाओं के कारण सारे देश में भ्रमण तथा राजनीतिक आंदोलन करने का अवसर प्राप्त हो सका।

९. १८५७ का प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम—सन् १८५७ में भारतवासियों ने अपने विदेशी शासकों के विरुद्ध प्रथम बार एक संयुक्त मोर्चा कायम किया। यह सब है कि इस स्वाधीनता संग्राम में भारतवासियों को सफलता प्राप्त न हुई और आजादी के विराहियों को बुरी तरह कुचल डाला गया। उनके दल के दलों को रक्षितों से बाँध कर पेड़ों की डालियों पर लटक कर फँसी दे दी गई और इस प्रकार उनकी आजादी की भावना को बिलमूल पीस डालने का प्रयत्न किया गया। परन्तु, इन सब दमनों से अंग्रेज, भारतीयों के हृदय से देश प्रेम की भावना का अन्त न कर सके और रह रह कर सन् १८५७ की याद भारतीयों के हृदय में टीस उत्पन्न करती रही।

१०. लाड लिटन का शासन—सन् १८८० के लगभग, जिस समय लॉर्ड लिटन भारत के गवर्नर जनरल थे, तो अंग्रेजी शासकों ने कुछ ऐसी भीषण गलतियाँ भारत के शासन के सम्बन्ध में की कि उनके कारण भारतीय जनता में अङ्गरेजी शासन के विरुद्ध असंतोष की लहर फैल गई। इसी समय सन् १८७७ में दिल्ली में दरबार किया गया। यह वह समय था जब सारे देश में भीषण अनाल फैला हुआ था और लाखों मनुष्य भूत और प्यास की ज्वाला से तड़प-तड़प कर अपने प्राण तो चुके थे। इसी समय अफगानिस्तान के विरुद्ध भारतीय कोष से भारी रकम खर्च करके युद्ध लड़ा

गया। लार्ड लिटन के ही काल में समाचार पत्रों पर तरह-तरह की रोकें लगाई गईं। उसी ने लकाशावर के कपड़े के व्यापारियों को प्रसन्न करने के लिए, इंग्लैंड के कपड़े पर से आयात कर उठा लिया। उसी ने भारतीय सेना के खर्च को बढ़ाया।

११. एल्बर्ट बिल आन्दोलन—सन् १८८३ में लार्ड रिपन के काल में कानूनी सदस्य मि० एल्बर्ट ने वायसराय की कौंसिल में एक बिल रक्ता जिसके द्वारा न्याय के क्षेत्र से जाति, नस्ल और रङ्ग का भेद हटा मिटाने का प्रयत्न किया गया था। इस बिल के द्वारा भारतीय जनों को इस बात की आशा दी गई थी कि वह अङ्गरेजों के विरुद्ध भी मुकदमों का वेसला कर सकें। परन्तु, इस बिल ने भारत के समस्त अङ्गरेजों को एक क्रोध और आवेग की भावना से भर दिया और उन्होंने इस बिल का विरोध करने के लिए जगह-जगह योरोपियन डिफेंस एसोसिएशन बनाये। उनके द्वारा बिल को रद्द करने का आंदोलन किया। लार्ड रिपन की सरकार इस आंदोलन का सामना न कर सकी और उसे एल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा। परन्तु, अङ्गरेजों की इस हलचल ने भारतीयों को भी आंदोलन का मार्ग दिखा दिया और उन्होंने यह समझ लिया कि जब तक वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी सस्था का जन्म नहीं देंगे तब तक वह अङ्गरेज शासकों के नीचे इसी प्रकार पिसते रहेंगे।

१२. पूर्व के देशों में राजनीतिक जागृति—जिसे समय उपरोक्त कारणों से भारत में अङ्गरेजों के विरुद्ध एक असन्तोष की लहर दौड़ रही थी वो पूर्व के देशों में कुछ इस प्रकार की राजनीतिक घटनाएँ हुईं जिनसे भारतीयों के हृदय में एक नव उत्साह तथा विश्वास का निर्माण हुआ। सन् १८६६ में एबीसीनिया जैसे छोटे एशियाई देश ने इंग्लैंड को हरा दिया और सन् १८०४ में जानानियों ने रुसियों को एक युद्ध में पराजित कर दिया। इन दोनों घटनाओं से भारतीयों को विश्वास हो गया कि यूरोप के देशों की सेनाओं को हारना कोई असम्भव बात नहीं। इसी समय यूनान, टर्की तथा इटली के देशों में स्वतन्त्रता संग्राम हुए और उनकी सफलता के पश्चात् भारतवासियों ने भी सोचा कि उन्हें अपने देश की स्वतन्त्र करने के लिए आंदोलन करना चाहिये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त सभी कारणों से भारतवासियों के हृदय में एक राजनीतिक चेतना का संचार हुआ और उन्हें इस बात का अनुभव होने लगा कि उनके अपने देश के लिए एक ऐसी अतिव्यक्त भारतीय सस्था की आवश्यकता है जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ा ले सके और भारतवासियों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए आन्दोलन कर सके। यहाँ यह समझ लेने की आवश्यकता है कि इस प्रकार राजनीतिक जागृति भारतीयों के हृदय में एकदम नहीं उत्पन्न हो गई। यह जागृति धीरे-धीरे हुई। जिस समय सन् १८८५ में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वो उसने

पश्चात् इस सस्था ने स्वयं देश में राजनीतिक चेतना को बलशाली बनाने में भारी सहयोग दिया।

कांग्रेस की स्थापना के पहले हमारे देश में कुछ प्राणीय संस्थाएँ तो थीं जैसे ट्रिनिटी इंडियन एसोसियेशन (१८५१), इंडियन एसोसियेशन (१८७६), पूना पब्लिक एसोसियेशन (१८७०), मद्रास महाजन समा, वाम्बे प्रेसिडेंसी एसोसियेशन इत्यादि, परन्तु सारे भारतवर्ष के लिए कोई अखिल भारतीय सस्था नहीं थी। इसलिए जब १८८५ में इस सथा का जन्म हुआ तो सब देशवासियों ने उसका खुल हृदय से स्वागत किया।

कांग्रेस का इतिहास

कांग्रेस का जन्म सन् १८८५ में हुआ। इसके पूर्व इसके संगठन की योजना सन् १८८४ में मद्रास में दीवान बहादुर रघुनाथ राय के घर पर बनाई गई थी जहाँ आदियार के थियार्थोफिकल सम्मेलन के पश्चात् उनके घर पर कुछ लोग जमा थे। इन लोगों ने निश्चय किया कि वह एक अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करेंगे। रिगर्ड अग्रेज सिविलियन एलन आक्टिवियन ह्यूम ने इस कार्य में अत्यन्त दत्तचित्ता से काम किया। बहुत से लोग तो इसीलिए ह्यूम को कांग्रेस का जन्मदाता भी कहकर पुकारते हैं। मार्च सन् १८८५ में इस सस्था का विधान बनाने के लिए एक छोटी सी बैठकी बना दी गई जिसका निश्चय था कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में दिसम्बर के मास में बुनाया जाय।

मि० ह्यूम ने कांग्रेस के संगठन में भाग लेने से पहले भारत के वायसरॉय लार्ड डफरिन से सलाह ली थी कि वह इस प्रकार की सस्था में भाग लें अथवा नहीं। लार्ड डफरिन ने यह समझ कर कि कांग्रेस भारत में वही कार्य कर सकेगी जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में विरोधी दल करता है और इस प्रकार अँग्रेज शासकों को भारतीय जनता की राजनीतिक आकांक्षाओं का भी पता चल जायगा, मि० ह्यूम को कांग्रेस का कार्य करने की अनुमति दे दी।

कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन—कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हैने के प्रकोप के कारण पूना में न हो सका। इसलिए कांग्रेस की पहली सभा थी उमेय चन्द्र बनर्जी के सभापतित्व में गोकुलदास तेजमाल सट्टन कॉलेज हाल, बम्बई में हुई। इस सम्मेलन में समस्त भारत के ७२ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें ह्यूम, दादाभाई नाराजी, फिरोजशाह मेहता, रानाडे, दिनशाह वाचा तथा चन्दावरकर मुख्य थे। आरम्भ में कांग्रेस ने अपना ध्येय स्वराज प्राप्ति नहीं बनाया वरन् राजनीतिक अधिभार की प्राप्ति के लिए अँग्रेजों से प्रार्थना करने तथा आवेदन पत्र भेजने व मार्ग का अनुगमन किया। इसलिए आरम्भ में सरकार ने कांग्रेस को सहयोग दिया और मि० ह्यूम के

अतिरिक्त और बहुत से श्रेष्ठ तथा सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित हो गये। महात्मा गांधी के कांग्रेस में पदार्पण करने से पहले, इस राष्ट्रीय संस्था का अधिवेशन भारत के बड़े-बड़े नगरों में किया जाता था। इनमें अधिकतर श्रेष्ठों पढ़े-लिखे वकील वैरिटर, डाक्टर, प्रोफेसर, बड़े-बड़े जमींदार और व्यापारी भाग लेते थे। यह लोग वार्षिक सम्मेलनों के अंतर पर तो बड़े-बड़े माग्य देते थे और प्रस्ताव पास करते थे, परन्तु इसके पश्चात् दूसरे अधिवेशन के आरम्भ होने तक वह और किसी प्रकार का कार्य नहीं करते थे।

कांग्रेस के प्रस्तावों में ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की जाती थी कि वह भारतीयों को देश की सेना, सिविल सर्विस, न्यायालय तथा व्यवस्थापिका सभाओं में भाग लेने का अधिक अंतर प्रदान करे तथा उन्हें उच्च सरकारी नौकरियों पर पहुँचने की सुविधाएँ दे।

सन् १८८० में कांग्रेस ने सर मुश्तनाय बनर्जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल लंदन भेजा और इस प्रकार प्रथम बार उस वर्ष कांग्रेस ने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक आंदोलन का मार्ग पकड़ा। सन् १८८८ में कांग्रेस की एक शाखा लंदन में खोली गई। इन सब आंदोलनों का यह परिणाम हुआ कि सन् १८८२ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन कौंसिल ऐक्ट पास किया जिसके द्वारा भारतीयों को लेजिस्लेटिव कौंसिल की सदस्यता का अधिकारी बना दिया गया।

कांग्रेस के सदस्यों को इस ऐक्ट से अत्यन्त निराशा हुई। कारण, वह समझते थे कि ब्रिटिश सरकार कुछ थोड़े से मुठ्ठी भर भारतीयों को कौंसिल की सदस्यता दखाने के अतिरिक्त कुछ साम्प्रतिक राजनीतिक अधिकार भी प्रदान करेगी। कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों में धारा समाएँ स्थापित की जायें। आई० सी० एस० की परीक्षा में भारतीयों को श्रेष्ठों के समान ही भाग लेने का अंतर दिया जाय, कर्मकारिणी तथा न्याय विभाग को अलग किया जाय। स्थानीय स्वराज्य की नींव डाली जाय तथा भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाय। १८८२ के ऐक्ट में कांग्रेस की यह माँग स्वीकार नहीं की गई। परिणाम यह हुआ कि देश में श्रेष्ठों के विरुद्ध राजनीतिक असंतोष बढ़ने लगा और कांग्रेस ने देश की राजनीति में सक्रिय रूप से अधिक भाग लेना आरम्भ कर दिया। सन् १८९० में कांग्रेस को अपने हाथों से निकलता हुआ देश भर श्रेष्ठों ने सरकारी नौकरों को उसके अधिवेशनों में भाग लेने की मनाही कर दी। परंतु इसके पश्चात् भी जब राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव कम न हुआ तो उसने एक दूसरी चान घोषी। उसने मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध मड़काना आरम्भ कर दिया और कहा, 'कांग्रेस तो हिन्दुओं की संस्था है।' इस प्रकार श्रेष्ठों की यह पाकर मुसलमानों के एक

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन

नेता सर सैयद अहमद ने धार्मिक आधार पर मुसलमानों की एक अलग संस्था बना डाली।

असंतोष की प्रगति—इधर अनेक कारणों से देश में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक घोर असंतोष की भावना जागृत हो रही थी। सन् १८८७ में हमारे देश में एक भीषण अकाल पड़ा जिसमें लाखों नर और नारी भूख और प्यास से तड़प तड़प कर परलोक विधार गये। इसी के थोड़े दिन पश्चात् हमारे देश में प्लेग की महामारी फैली। सरकार इन दोनों अवसरों पर जनता के दुख को दूर करने के लिए कुछ भी उपाय न कर सकी। इधर दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय नागरिकों पर वहाँ की सरकार तरह तरह के जुल्म टा रही थी और भारतीय सरकार चुप खड़ी यह सब तमाशा देखती जा रही थी। पूना में इसी समय दो अंग्रेज अफसरों को किसी ने कत्ल कर दिया। भारतीय सरकार को गोरी चमकी के इन दो लोगों की जानें इतनी प्यारी थी कि उसने सैकड़ों भारतवासियों को मौत के घाट उतार कर बदला लिया। इसके पश्चात् राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए उसने राजद्रोह का कानून पास किया। इन सब कारणों से भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में एक गरम दल का जन्म हुआ। इसके नेता लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय तथा विपिनचन्द्र पाल थे। इन तीनों नेताओं ने नरम दलीय कांग्रेस जनों से राष्ट्रीय संस्था की बागडोर अपने हाथों में लेने का प्रयत्न किया। कांग्रेस के बाहर भी बंगाल में एक क्रान्तिकारी रम पार्टी का सङ्गठन किया गया जिसने अंग्रेज शासकों को मारना तथा सरकार के पिट्टुओं को मयभीत करना अपना ध्येय बना लिया।

बंग भंग आन्दोलन—सन् १८८८ में लार्ड कर्जन गवर्नर जनरल बन कर भारत में आये। उनकी नीति ने सारे देश में राजनीतिक ज्वाला को और भी भड़का दिया। वह भारतीय सभ्यता तथा संस्कृत को अत्यन्त द्वेष समझते थे। उन्होंने भारतीयों के आत्म गौरव को भारी ठेस पहुँचाई और अन्त में मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए बंगाल के दो टुकड़े करने की योजना रक्खी। इस योजना ने सारे देश में एक ऐसे शक्तिशाली आन्दोलन को जन्म दिया कि उसके रोप तथा प्रताप के सम्मुख ब्रिटिश सरकार के पैर न जम सके और उसे बंगाल के दो टुकड़ों को दो वर्ष पश्चात् ही एक कर देना पड़ा।

कलकत्ता अधिवेशन—इधर सरकार की दमन नीति के कारण कांग्रेस नरम दल के नेताओं के हाथों से निकल कर गरम दलीय कांग्रेस जनों के हाथों में चली जा रही थी। सन् १९०६ में कांग्रेस का जो अधिवेशन बलकच्छे में हुआ उसमें 'लान' 'बाल' 'बाल' की पार्टी का बहुमत था। इस अधिवेशन में टर था कि कहीं नरम दल और उग्र दल में संघर्ष न हो जाय परन्तु दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व के कारण, जो इस समय

कांग्रेस के प्रधान थे, इन दोनों दलों में मुठमेक न हो सकी और यह अधिवेशन विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पास करके निर्विघ्न समाप्त हो गया। नरम दल के नेता सर मुन्टरनाथ बनर्जी तथा सर फिरोजशाह मेहता इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे परन्तु उन्हें गरम दल के बहुमत के सामने मुकता पड़ा।

कार्य में फूट—सन् १९०७ में कांग्रेस का अगला अधिवेशन सूरत में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल के नेता अर्न्त में पूरे दल बन के साथ सम्मेलन में सम्मिलित हुए। वह गरम दल के नेताओं से टकरा लेना चाहते थे। इसलिये इस अधिवेशन में उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार सम्बन्धी प्रस्ताव को बदलना चाहा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस में खूब गड़बड़ें मचीं। गरम दल के नेताओं ने पूरी शक्ति के साथ प्रस्ताव का विरोध किया। परन्तु इस अधिवेशन में वह नरम दल वालों की भाँति अर्न्त में पूरी तैयारी के साथ जमा नहीं हुए थे। परिणाम यह हुआ कि नरम दल के नेताओं की विजय हुई और उन्होंने गरम दल के नेताओं को कांग्रेस से निकाल दिया। कांग्रेस का विधान बदल दिया गया और उसमें इस प्रकार के नियम बनाये गये, जिससे उपरदलीय कांग्रेस बन उसमें सम्मिलित न हो सके।

गरम दलीय वर्तमानकों का दमन—ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की इस फूट से अत्यन्त घबरा गई। उसने अब एक दोहरी नीति का आभार लिया। नरम दल वाले कांग्रेस नेताओं को तो उसने मित्रों मालों के सन् १९०६ के सुधारों का प्रालोम्भ देकर अर्न्त में साथ मिला लिया और गरम दल वाले कांग्रेसी नेताओं को उसने तरह-तरह के अभियोग लगा कर दबाना आरम्भ कर दिया। इसी बीच उसने तिलक को छै वर्ष के लिए मौतले की जेल में नजरबन्द कर दिया। लाला लाजपत राय को बिना मुकदमा किये ही हिन्दुस्तान से निकाल कर अमरीका में भेज दिया गया और विन्निपेन्द्र बाल को छै महीने की सख्त सजा देकर जेल में बन्द कर दिया गया। इसके अतिरिक्त उसने राष्ट्रीय आन्दोलन की रीढ़ में हुग्रा मोड़ने के लिए सुसज्जानों को हिन्दुओं के विरुद्ध खुली सहायता देनी आरम्भ कर दी। इस समय के स्थानान्तर गवर्नर जनरल ने नरम मोहकित उल्टुका और आगा खॉ को अर्न्त में पास बुलाया और कहा कि तुम एक अलग मुस्लिम लीग सत्या की स्थापना करो और सरकार से कहो कि वह तुम्हें हिन्दुओं से अलग धारा समाजों में सुगदित स्थान तथा पृथक् निर्वाचन का अधिकार दे। कांग्रेसी के इन निरुद्धों ने ऐसा ही किया और भारत में सदा के लिए साम्राज्यिकता का वह विष बो दिया जिसके कारण हमारे देश के दो टुकड़े हो गये। उन्होंने सरकार से पृथक् निर्वाचन प्रणाली की माँग की। यह माँग दुरन्त ही स्वीकार कर ली गई। सन् १९०६ में मुस्लिम लीग का जन्म हुआ और सारे प्रतिस्निगानादी सुसज्जानों ने कांग्रेस के विरुद्ध मोर्चा कायम करने तथा मित्रिय सरकार का साथ देने के लिए इसकी सहायता दी।

सन् १९१६ तक कांग्रेस नरम दलीय कांग्रेस जनों के हाथ में रहती आई। कारण इस समय तक सब गरम दल वाले नेता जेलों में थे। इसलिए नरम दल के नेताओं ने मिनटो माले मुधारो को कार्यान्वित करने में पूरा सहयोग दिया।

प्रथम महायुद्ध—परन्तु नरम दल के नेताओं की इस सरकार परस्त नीति से देश पूरी तरह ऊब चुका था और भारत के कोने कोने में एक असंतोष की लहर फैल रही थी। इसी बीच सन् १९१४ में सत्तार में प्रथम महायुद्ध आरम्भ हो चुका था। इस के कुछ दिन पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से सरकार को युद्ध में सहयोग देने की शर्तों की। तिलक जेल से छोड़ दिये गये और महात्मा गांधी इस समय दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की ओर से एक सफल नेतृत्व करने के पश्चात् भारत लौटे। ब्रिटिश सरकार के सङ्घर्ष के समय सभी कांग्रेस के नेताओं ने सरकार को सहयोग देना ही उचित समझा और उन्होंने जनता से प्रार्थना की कि वह सरकार की पूरी मदद करे। नेताओं की इस अपील के कारण, भारतवासियों ने अपनी अतुल्य धन-सम्पत्ति तथा लापों नवयुवकों से अँग्रेजों का लड़ाई में साथ दिया।

युद्ध के पश्चात्—भारतवासियों को आशा थी कि युद्ध में इस प्रकार सहयोग देने के बदले उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में कुछ वास्तविक अधिकार प्रदान कर दिये जायेंगे। भारत मन्त्री मि० मान्देयू की सन् १९१७ की उष घोषणा से जिसमें उन्होंने भारत को धीरे धीरे उत्तरदायी शासन देने का वचन दिया था उसकी यह आशा और भी प्रबल हो गई थी। परन्तु, युद्ध के तुरन्त पश्चात्, जिस समय राष्ट्र के नवयुवक स्वराज्य प्राप्ति का सुखद स्वप्न देख रहे थे, तो भारतवासियों को मिला गैलरि ऐक्ट और पञ्जाब का वह निर्मम हत्याकांड जिसमें देश प्रेम के अन्वेष में पञ्जाब के सहस्रों व्यक्तियों को मार्शल लॉ के अधीन गोलियों का शिकार बना कर मौत के घाट उतार दिया गया। इसी समय अमृतसर में जलियाँवाला बाग का वह नारकीय दृश्य भी रचा गया जिसमें दो अँग्रेज अफसरों के मारे जाने के बदले में २०,००० व्यक्तियों की एक शक्तिपूर्ण सभा पर गोलियों की बौद्धिक बर दी गई और जनता के भागते हुए व्यक्तियों की पीठों में गोलियाँ दाग दी गईं। सरकारी विरक्ति से अनुत्तर जलियाँवाला बाग में ३७९ व्यक्ति मारे गये और १२०० व्यक्ति जखमी हुए। इस पुत्रम ने जनता को एक क्रोध तथा प्रतिहार की भावना से भर दिया। महात्मा गांधी ने इस समय देश को बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। नवम्बर सन् १९१८ में नरम दल वाले नेता कांग्रेस की उग्र नीति से तङ्क धाकर उससे पहले ही अलग हो चुके थे और उन्होंने अपनी एक अलग लिबरल पार्टी बना ली थी। १ अगस्त, सन् १९२० को साकमाल्य बाल गंगाधर तिलक भी इस सत्तार से चन बसे। गाँधी जी ही इस समय ऐसे नेता थे जिन पर देश की दृष्टि लगी थी। उन्होंने तुरन्त सुसन्मानों को राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित करने के

लिए तथा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक सयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन का साथ दिया। पिछले महायुद्ध में रथों के लड़ाई में हार जाने के कारण मुसलमानों के धार्मिक पैगम्बर (तन्वी) को उस देश की गद्दी से उतार दिया गया। हिन्दुत्वान के मुसलमान, अंगरेजों के इस कृत्य से अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने अली बन्तुओं के नेतृत्व में कांग्रेस का साथ देने का निश्चय किया।

असहयोग आन्दोलन—कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सन् १९२० में फलकचे में हुआ। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने धारा सभाओं, क्वचहरियों, शिक्षा सरपंचों तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा अंग्रेजी सरकार से असहयोग का प्रस्ताव कांग्रेस के सम्मुख रखा। प्रस्ताव पास हो गया। इसके तुरन्त पश्चात् देश भर में आंदोलनों की आग धधक उठी। हजारों नर और नारियों ने हँसते हँसते जेल की यातनाएँ सह्यं। जगह-जगह बिलायती बस्त्रों की होनी जलाई गई। परन्तु जिस समय आंदोलन इस प्रकार जोरों पर चल रहा था तो दुर्भाग्यवश ५ फरवरी सन् १९२२ को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक ऐसी घटना हो गई जिसने इस विशाल आंदोलन का पासा ही फलट दिया। उन दिनों चौरीचौरा गाँव में एक कांग्रेसी जुलूस निकला और पुलिस के हमले करने पर जुलूस की भीड़ ने आवेश में आकर धानेदार और २१ सिपाहियों समेत धाने की जला डाला। उधर मद्रास में भी सुराज के स्वागत समारोह के अवसर पर एक ऐसा हिंसाकांड हुआ। महात्मा गांधी, जो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व अहिंसानैतिक उपायों से करना चाहते थे, हिंसा के इस प्रदर्शन से बचन हो गये और १२ फरवरी १९२२ को उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी ने ऐसा उस समय किया जब २३,००० से अधिक व्यक्ति जेलों में जा चुके थे और जनता एक वर्ष के अन्दर स्वराज्य प्राप्ति का सपना पूरा होते देखने के लिए अपना तन-मन और धन स्वातंत्र्य संस्राम में न्यौतापर कर रही थी। गांधी जी के सख्तग्रह वास होने के प्रस्ताव से जनता ऊर, उगी और गिरफ्तार नेताओं में पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने गांधी जी के इस काम की घोर निन्दा की। कपलता की ओर बढ़ते हुए आन्दोलन को पीछे हटाने से बहुत से गांधी मन्त्र लोग भी उनके विरोधी बन गये और बंगाल और महाराष्ट्र के लोग उन पर खल्लम खल्ला आक्रमण करने लगे।

गांधीजी की जेल और साम्प्रदायिकता का तांडव नृत्य—भारत सरकार ने जब यह देखा कि गांधी जी की लोकप्रियता काफ़ी घट गई है तो उसने १३ मार्च, सन् १९२२ को उन्हें गिरफ्तार करके राजद्रोह के अपराध में छह साल की सजा सुना दी। गांधी जी की इस गिरफ्तारी के पश्चात् देश में निराशा का वातावरण छा गया और राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रकार की उदासी आ गई। सरकार ने इस अवसर को देश में साम्प्रदायिक

द्वेष की भावना मड़काने के लिए अत्यन्त उपयुक्त समझा। इसी काल में हिन्दू समाज की नींव डाली गई और मुस्लिम लीग का नेतृत्व मि० जिन्ना ने अपने हाथों में ले लिया। सरकार की चालबाजी का यह फल हुआ कि देश में जगह जगह साम्प्रदायिक झगड़े हुए। मुल्तान में भीषण उपद्रव हुए और हिन्दू मुसलमानों का खून रक्त बहा।

काम्रेस का कौंसिल प्रवेश कार्यक्रम—इधर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जनता की साम्प्रदायिक सभ्यताओं के फेर से बचाने के लिए देश के सम्मुख 'कौंसिल प्रवेश' का कार्यक्रम रखा। इस आंदोलन के नेता मोतीलाल नेहरू व देशबन्धु चित्तरंजन दास थे। आरम्भ में कांग्रेस के अग्रविर्तनवादी नेताओं ने इस कार्यक्रम का विरोध किया, परन्तु बाद में जन नेहरू और दास ने मिलकर अपनी एक अलग स्वराज्य पार्टी बना ली तो कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी उसे सहयोग देना आरम्भ कर दिया। इस पार्टी को कौंसिल प्रवेश के कार्यक्रम में भारी सफलता मिली और कई प्रांतों में कांग्रेस के उम्मीदवार जयदेव बहुमत से धारा समाजों में चुने गये। केंद्रीय असेम्बली में भी श्री विठ्ठल माई पटेल धारा समाज के अध्यक्ष बन गये।

सन् १९२५ में देशबन्धु श्री चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई और इसमें स्वराज्य पार्टी के काम में भारी घका लगा। इधर हिन्दू मुस्लिम फसाद बराबर बढ़ते जा रहे थे और देश में ऐसे दलों की लोकप्रियता बढ़ रही थी जिनका आधार साम्प्रदायिकता था। सन् १९२६ के कौंसिल के चुनावों में इसलिए स्वराज्य पार्टी को पहले की भाँति सफलता प्राप्त नहीं हुई।

साइमन कमीशन का आगमन—सन् १९२७ में ब्रिटिश सरकार की ओर से शासन सम्बन्धी मुद्दों की जाँच पड़ताल करने के लिए एक स्पेशल साइमन कमीशन भारत में आया। इस कमीशन के आगमन पर देश में फिर एक बार राजनीतिक चेतना की लहर दौड़ गई। देश के सभी राजनीतिक दलों ने इस पूर्ण गौरव कमीशन का बहिष्कार करने का बीड़ा उठाया। हर जगह इस कमीशन के सदस्यों का काले झंडे से स्वागत किया गया। इस समय ब्रिटिश सरकार ने भारतवासियों से कहा कि तुम आपस में मिलकर एक सयुक्त दल सरकार के सम्मुख रखो। अंगरेज जानते थे कि भारत में हिन्दू और मुसलमान एक होकर काम नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने भारत की जनता को यह कह कर एक प्रकार की 'ललकार' दी थी।

नेहरू रिपोर्ट—परन्तु कांग्रेस के नेताओं ने ब्रिटिश सरकार की यह ललकार स्वीकार की और लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट के आधार पर हिन्दू और मुसलमानों ने मिलकर कुछ सयुक्त माँगें ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखीं; परन्तु उसकी भाँति ब्रिटिश सरकार ने यह लिफ्टरिस्ट की स्वीकार नहीं की।

पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा—सन् १९२६ में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसने समाप्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू से। ३१ दिसम्बर की अर्द्धरात्रि को इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का पूर्ण स्वतन्त्रता प्येय सम्बन्धी वह प्रस्ताव सम्मेलन के सम्मुख रक्का जिसकी पूर्ति श्री हान ही में २६ जनवरी, सन् १९५० को हमारे देश में हुई है। इस प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश सरकार से कहा गया है कि यदि वह ३१ दिसम्बर तक भारत को स्वतन्त्रता प्रदान नहीं करेगी तो देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक असहयोग आंदोलन आरम्भ कर दिया जायगा।

१९३० का असहयोग आन्दोलन—ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की माँग नहीं मानी और ६ अप्रैल, १९३० को महात्मा गांधी ने सारे देश में 'शुक्ल अस्त्र' आरम्भ कर दी। जगह जगह नमक कानून तोड़े गये, मद्रास व पेशावर में गोलियों चली, अग्रणी स्थानों पर लाठी प्रहार हुए, शोलापुर में मार्शल लॉ जारी किया गया, कांग्रेस कमिटीयों की कानूनी कार्रवाई की गई, एक लाख से अधिक आदिमियों से ब्रिटिश सरकार की जेलें भर गईं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और जगह-जगह शराब की दुकानों पर विवेकिंग लगाया गया।

गांधी-इरविन समझौता—इन सब आंदोलनों का प्रभाव यह हुआ कि ब्रिटीश सरकार का तख्त हिलने लगा और १९३१ में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि लार्ड इरविन को गांधी जी से समझौता करना पड़ा। सारे राजनीतिक बन्दी जेलों से मुक्त कर दिये गये और महात्मा गांधी दूसरी गोल मेज सभा में सम्मिलित होने के लिए अंगरेज के अतिम सप्ताह में लंदन के लिए खाना हो गये।

फिर असहयोग आंदोलन - परन्तु ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के साथ समझौता किसी अन्धे नियत से नहीं किया था। वह तो उसकी एक चाल मात्र थी। समझौते के तुरन्त पश्चात् लार्ड इरविन के स्थान पर एक कट्टरपथी लार्ड विलिंगटन को वायसराय बना कर भारत भेजा दिया गया। ऊपर, दूसरी गोल मेज सभा में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी से कहा, 'तुम मुसलमानों के साथ मिलकर घायल समाजों में सीधे के पैठवारे के सम्बन्ध में आराम में समझौता कर लो, उसके पश्चात् हम तुम्हारे साथ बात करेंगे'। यह समझौता न हा सदा, दूसरी गोल मेज सभा से इसलिए महात्मा गांधी खाली हाथ भारत लौटे। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र पूरे वेग से चल रहा है और उनकी अनुपस्थिति में अनेक देशभक्त नेता जेल के सींकनों के पीछे बन्द कर दिये गये हैं। उन्होंने वायसराय से मिलने की प्रार्थना की परन्तु, लार्ड विलिंगटन को तो इंग्लैंड की टोरी सरकार ने यही कह कर भारत भेजा था कि तुम्हें कांग्रेस को पूर्ण रूप से कुचल डालना है और किसी-दशा में कांग्रेस के उठ जादूगर महात्मा गांधी से नहीं मिलना है, जो व्यक्तियों पर कुछ ऐसा प्रभाव डालता है

कि उसकी बात राखे नहीं दली जाती। वायसरॉय ने इसलिए महात्मा गांधी से मिलने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस पश्चात् अत्याचार और दमन का खुला नृत्य रचा जाने लगा। कायस को गैर कानूनी करार दे दिया गया, देश में आर्डिनेंस का राज्य लागू कर दिया गया। गिरफ्तार शुदा लोगों पर भारी जुर्माने किये गये और उनकी जायदादें जब्त कर ली गईं। पुत्र के लुप्त पर बाप को जेल भेजा जाने लगा और कितने ही सरकारी नौकरों को उनके सम्बन्धियों द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण नौकरी से अलग कर दिया गया। परन्तु, इन सब दमन चक्रों को जबदस्त आँधी क चलने पर भी दूसरा "सविनय अवज्ञा आन्दोलन" पूरे वेग से चला। विलायती माल का बहिष्कार पहले से भी अधिक हुआ। 'लगान बन्दी आन्दोलन' ने भा जा र पकड़ा। सन् १९३२ और ३३ में कांग्रेस क गैर कानूनी घोषित होने पर भी उसके घोषित अधिवेशन दिहा और कलकत्ते की सड़कों पर हुए।

पूना सम्मेलन—अगस्त सन् १९३२ में जब महात्मा गांधी जेल में बन्द थे तो ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री मि० रैमजे मैकडानल्ड ने अपना साम्प्रदायिक निर्णय प्रकाशित कर दिया। इस निर्णय में पृथक् निर्वाचन प्रणाली के आधार पर अछूतों को हिंदुओं से अलग करने का प्रयत्न किया गया। महात्मा गांधी को जिस समय जेल के अन्दर इस निर्णय का पता चला तो उन्होंने हिंदू समाज की एकता को कायम रखने के लिए आग्रह कर रखने का एलान किया। गांधी जी क जीवन को बचाने के लिए हिंदू और हरिजन नेता पूना में जमा हुए और वहाँ उन्होंने एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये जिसके द्वारा हरिजन हिंदू समाज क अन्दर रह कर ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। इसके पश्चात् महात्मा गांधी ने हिंदू समाज से 'अस्पृश्यता' का कलक दूर करने के लिए २१ दिन का एक और व्रत रखा। ८ मई १९३१ को वह जेल से मुक्त कर दिये गये और १ वर्ष पश्चात् उन्होंने 'अवज्ञा आन्दोलन' वापस ले लिया।

फिर कांसिल प्रवेश—राजनीतिक क्षेत्र में शिथिलता आ जाने से सन् १९३१ की मौत फिर कांग्रेस ने कांसिल प्रवेश की ओर ध्यान दिया। उसने केन्द्रीय घाय सभा के चुनावों में भाग लेने का निर्णय किया। इस चुनाव में उसे अत्यन्त सफलता प्राप्त हुई और उसके ४४ सदस्य केन्द्रीय घाय सभा में चुन लिये गये।

वांग्रेस में समाजवादी दल का जन्म—दूसी वर्ष कांग्रेस के अन्दर उसने कार्यक्रम में समाजवादी दृष्टिकोण लाने के लिए श्री जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, युसुफ मेहर खली, डा० लोहिया, अशाक मेहता तथा श्री अय्युत पन्धरधन द्वारा एक समाजवादी दल का सङ्गठन किया गया।

भारत में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल का निर्माण—सन् १९३५ में ब्रिटेन सरकार ने तीन गोलमेज सभा करने के पश्चात् भारत का नया विधान पार कर दिया। इस

विधान के अन्तर्गत केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरम्भ किया गया तथा प्रान्तों में गवर्नरों के हाथ विशेष अधिकार सौंप गये। सारे देश ने इसलिये इस विधान के विरुद्ध आन्दोलन किया। सन् १९३७ में इस नये विधान के अनुसार प्रान्तों में चुनाव लड़े गये। कांग्रेस ने इन चुनावों में इस दृष्टि से भाग लिया कि कहीं राष्ट्रिय विरोधी शक्तियाँ प्रान्तीय भास समाजों में जाकर देश का हानि न पहुँचायें। चुनावों ने परन्तु कांग्रेस ने पया कि उसे देश के छ प्रान्तों में बहुमत प्राप्त है और शेष प्रान्तों में भी उसके उम्मीदवार भारी सङ्का में चुने गये हैं। आरम्भ में कांग्रेस का यह विचार नहीं था कि वह प्रान्तों में मन्त्रिमण्डल बनाये परन्तु फिर गवर्नरों के यह आश्वासन देने पर कि वह मन्त्रियों के काम में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करेंगे उसने पहले छ और फिर आठ प्रान्तों में अपने मन्त्रिमण्डल बनाये। इन मन्त्रिमण्डलों ने देश की आर्थिक तथा सामाजिक दशा को सुधारने के लिए अनेक प्रयत्नोपकार्य कार्य किया।

द्वितीय महायुद्ध का आरम्भ—परन्तु सितम्बर सन् १९३९ में सप्तर में द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो गया। इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों की सलाह लिये अपना ही भारत की युद्ध की शक्ति में भौक दिया। इस पर कांग्रेस के सभी मन्त्रियों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिये और नवम्बर सन् १९४० में कांग्रेस ने 'वैयक्तिक संविधान समिति आन्दोलन' आरम्भ कर दिया। इस आन्दोलन का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार को मालूम हो जाय कि कांग्रेस लड़ाई में उसने साथ नहीं है।

क्रिष्ण आगमन—मार्च सन् १९४१ में सर स्टैफर्ड क्रिष्ण कृष्ण मुंशर सम्बन्धी घोषणाओं के साथ भारत आये। कांग्रेस ने यह मुन्शर स्वीकार नहीं किया।

१९४२ का भारत छोड़ो आन्दोलन—क्रिष्ण मिशन के परन्तु देश में राजनैतिक अस्थिरता इतना बढ़ गया था कि सन् १९४२ में कांग्रेस ने फिर ब्रिटिश सरकार से शर लेने की टाती। बम्बई के अभियेक्षण में उसने अपना 'भारत छोड़ो' आन्दोलन और 'करो या मरो' प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव के पास होने के तुरन्त परन्तु हमारे देश में सरकार की ओर से जो नृशस एवं अमानुषिक, हिंसा और अत्याचार का तौंड्य नृत्य रचा गया वह कल की कहानी है। इस आन्दोलन में ६०,२९९ व्यक्तियों को जेल भेजा गया, १८,००० आदिमियों को बिना मुकदमे 'भारत रक्षा कानून' के अर्थात् नजरबन्द किया गया, २५७० व्यक्तियों को गालियों का शिकार बनाया गया, ५३८ अरबों पर पुलिस ने गालियाँ चलाई, ६० स्थानों पर फौजी शासन कायम किया गया, कुछ स्थानों पर हवाई जहाजों से भी बम गिराये गये, देश के प्राय. सभी राष्ट्रवादी पत्रों को बन्द कर दिया गया, कांग्रेस वकिल कमेटी व सदस्यों को अहमदनगर जेल में बन्द कर दिया गया और महात्मा गांधी को आगा खी महल में नजरबन्द रखा गया।

गांधी जी का व्रत—महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के अत्याचारपूर्ण दृष्टिकोण

में परिवर्तन लाने के लिए आगा लॉ जेल में २१ दिन का व्रत करने की घोषणा की। इस व्रत द्वारा महात्मा जी यह सिद्ध करना चाहते थे कि कांग्रेस अहिंसात्मक सिद्धान्त में विश्वास रखती है और अगस्त सन् १९४२ के पश्चात् होने वाले उदरवों की सारी जिम्मेदारी सरकार की उत्तेजनात्मक नीति पर है। जिस समय भारतीय जनता को गांधी जी के इस निश्चय का पता चला तो देश के कोने कोने से वायसराय से प्रार्थना की जाने लगी कि वह गांधी जी को छोड़ दें। वायसराय के कौन्सिल के तीन सदस्यों ने भी सरकार पर दबाव डालने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। परन्तु ब्रिटिश सरकार उस से मस न हुई और ईश्वर ने ही भारतवासियों के माथ पर कृपा करके महात्मा गांधी के प्राण बचाये।

बंगाल का भाषण दुर्भिक्ष—सन् १९४३ के अन्त में भारत के बंगाल प्रान्त में एक भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। यह दुर्भिक्ष अनाज की कमी से इतना नहीं जितना सरकारी कुप्रबन्ध के कारण था। इस दुर्भिक्ष में बंगाल की ३०,००,००० जनता ने अपने प्राण बँचाये। कलकत्ते की गन्नी गली में इन दिनों अस्थिर और हड्डियों के नर पञ्जर देखने को मिल सकते थे, जिन पर कुत्ते और जङ्गली जानवर अपनी लुभा शान्त करते थे। यह नारकीय दृश्य उस समय दृष्टिगोचर होता था जब उसी स्थान के बड़े बड़े होटलों, महलों तथा धनिकों के प्रासादों में बड़ी बड़ी दावतें, नाच और रंगरेलियों मनाई जाती थी और नाचे सड़कों पर भूय और प्यास से पीड़ित चलते फिरते हड्डियों के ढाँचे अन्न के एक एक दाने की तलाश में कूड़ों व ढेर और सड़क पर पड़े हुए गदगी के ड्रामों की पणों तलाश करते रहते थे। यह दुर्भिक्ष ईश्वरकृत नहीं वरन् मनुकृत था। इस दुर्भिक्ष के कारण जनता को पता चल गया कि ब्रिटिश सरकार कितनी निकम्मी है और उसकी दृष्टि में भारतियों के जीवन का क्या मूल्य है।

लाहॉर वेवेल का आगमन—सन् १९४४ में लाहॉर लिनलियमो के स्थान पर लाहॉर वेवेल वायसराय नियुक्त होकर भारत आये। लाहॉर वेवेल ने आकर तुरन्त ही दुर्भिक्ष की समस्या का सुनभाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया। मई सन् १९४४ में उन्होंने गांधी जी को जेल से मुक्त कर दिया। जेल से रिहाई के तुरन्त पश्चात् महात्मा गांधी ने मि० जिन्ना से मिलकर हिंदू मुस्लिम समझौते के लिए प्रयत्न किया, परन्तु यह बातों सफल न हो सकी।

बनेन सुभान—मार्च सन् १९४४ में लाहॉर वेवेल भारत के राजनीतिक अयरोष को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार से बातचीत करने इगलौड गये। वह जून में भारत लौटे और तुरन्त हा उन्होंने, भारत के राजनीतिक नेताओं से प्रार्थना की कि वह उनकी कार्यकारिणी में सम्मिलित हो जायँ। अपने सुभान में लाहॉर वेवेल ने कहा कि वह अपनी कौन्सिल में कांग्रेस को ६ और मुस्लिम लीग को ५ सीटें देने को तैयार हैं। कांग्रेस इस

मुसलमन को मानने के लिए तैयार थी परन्तु मुस्लिम लीग के नेता इस बात पर अड़ गये कि कांग्रेस किसी राष्ट्रवादी मुसलमान को वायसरय की कौंसिल में मनोनीत न करे। यह बात कांग्रेस को अमान्य थी। कारण, वह सदा से ही देश के सभी धर्मावलम्बियों तथा हिंदुओं की सरथा रही थी। यह केवल हिन्दू प्रतिनिधियों को वायसरय की कौंसिल में नामजद करके अपने आदर्श हिन्दू सभा घोषित नहीं करना चाहती थी। परिणाम यह हुआ कि लार्ड वेवेन की योजना असफल रही और राजनीतिक दलों के नेता वायसरय की कार्यकारिणी में सम्मिलित नहीं हुए।

ग्राम चुनाव—इसके तुरन्त पश्चात् देश की प्रांतीय तथा केन्द्रीय घात समर्थों के लिए चुनाव लड़ गये। इन चुनावों में प्रायः सभी हिन्दू सीटों पर कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई। सीमा प्रान्त, पंजाब तथा यू० पी० में बहुत-सी मुस्लिम सीटें भी कांग्रेस के हाथ लगीं। परन्तु मुसलमानी निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकतर विजय मुस्लिम लीग की ही हुई। चुनावों के पश्चात् कांग्रेस ने ८ प्रान्तों में अपने मन्त्रिमंडल बनाये। पंजाब में यूनिवर्सिटि पार्टी के सहयोग से एक दिना-जुना मन्त्रिमंडल बनाया गया। मुस्लिम लीग केवल सिंध और पंजाब में ही अपने मन्त्रिमंडल बना सकी।

इंग्लैंड में ग्राम चुनाव—जिस समय भारत में ग्राम चुनाव हो रहे थे तो इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट को तोड़ कर चुनावों की घोषणा की गई। इन चुनावों में चर्चिल की अनुदार सरकार हार गई और इसके स्थान पर मि० एटली के नेतृत्व में मजदूर दल की सरकार बनी। मजदूर दल के नेता सदा से ही कांग्रेस के स्वतन्त्रता सपना के पक्षपाती रहे थे। मि० एटली ने इसलिये सरकार का कार्य मार सैमण्डल के तुरन्त पश्चात् भारत में राजनीतिक अवरोध को दूर करने के लिए एक रचनामंडल कार्यवाई की। आरम्भ में उन्होंने दिसम्बर सन् १९४५ में एक शिष्ट मण्डल भारत भेजा और थोड़े दिन पश्चात् एक मन्त्री प्रतिनिधि मण्डल भारत आया। इसी प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य लार्ड पैथिक लार्ड, सर स्टैमोर्ड ट्रिप्स तथा मि० अलेक्जेंडर थे। प्रतिनिधि मण्डल ने भारत आकर राजनीतिक नेताओं से सम्मिलित की बातचीत की। उन्होंने मुस्लिम लीग को समझाया कि पाकिस्तान की माँग अत्यावहारिक है। अपने १६ मार्च, १९४६ के बयान में भी उन्होंने यही बात टुहराई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तथा लीग को मिलकर भारत में एक ऐसी सरकार की स्थापना करनी चाहिये जिसके अन्तर्गत प्रान्त पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हों और केन्द्रीय सरकार को उनके कारर केवल विदेशी नीति, रक्षा तथा वायसरय सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हों। प्रतिनिधि मण्डल ने वायसरय की कौंसिल में भी परिवर्तन करने की बात कही। कांग्रेस को कैबिनेट मिशन की यह बातें मानने को बहुत कुछ तैयार हो गई परन्तु मुस्लिम लीग पाकिस्तान की माँग पर अड़ी रही।

संविधान सभा के चुनाव—नवम्बर सन् १९४६ में प्रतिनिधि मण्डल की योजना

के अन्तर्गत भारत की सविधान सभा के लिए चुनाव किये गये। इन चुनावों में कांग्रेस को २०५ तथा मुस्लिम लीग को केवल ७३ सीटें मिलीं। परन्तु चुनाव लड़ने के पश्चात् भी मुस्लिम लीग के नेताओं ने सविधान सभा में भाग लेने से इन्कार कर दिया और उसने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख यह माँग रखी कि भारत तथा पाकिस्तान के लिए दो अलग-अलग सविधान सभाएँ बनाई जायँ।

अन्तरिम सरकार में कांग्रेस का सहयोग—चुनाव के पश्चात् ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि कांग्रेस ही भारत की सबसे शक्तिशाली सत्ता है। इसलिए वायसराय ने कांग्रेस के प्रधान, जवाहरलाल नेहरू से प्रार्थना की कि वह उनकी अन्तरिम सरकार बनाने में सहायता करें। पं० जवाहरलाल नेहरू ने यह सरकार २ सितम्बर, १९४६ को बना ली। इसके कुछ दिन पश्चात् पॉके हुए मुस्लिम लीग के ५ सदस्य भी इस सरकार में सम्मिलित हो गये। परन्तु, इन सदस्यों ने सरकार में आकर उसके काम में सहयोग देने के बजाय दर जगह रोड़े अटकाने शुरू कर दिये।

लार्ड माउन्टबैटन का आगमन—मार्च सन् १९४७ में लार्ड वेवेल के स्थान पर लार्ड माउन्टबैटन गवर्नर जनरल बन कर भारत आये। उन्होंने आते ही देश की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया और कांग्रेस के नेताओं को समझाया कि देश में शान्ति बनाये रखने के लिए बंटवारे के अतिरिक्त दूसरा चारा नहीं है। परिस्थिति से बाध्य होकर कांग्रेस को लार्ड माउन्टबैटन का यह सुझाव स्वीकार करना पड़ा और ३ जून, १९४७ को भारत के सब राजनीतिक दलों ने देश के विभाजन की योजना स्वीकार कर ली।

ध्वज-प्राप्ति—१५ अगस्त, १९४७ को यह योजना कार्यान्वित हुई और उसी दिन २०० वर्ष की धार परतन्त्रता के पश्चात्, भारत स्वतन्त्र हो गया और इस प्रकार कांग्रेस का ध्वज पूरा हो गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस प्रकार ६२ वर्ष के प्रयत्न के पश्चात् कांग्रेस अपने ध्येय में सफल हुई और भारत स्वतन्त्र हो गया। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस तोड़ दी जाय और उसके स्थान पर वह एक 'लोक सेवक संघ' का रूप धारण कर ले। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के पुनर्संगठन के लिए एक योजना ३० जनवरी, १९४८ को देश के सम्मुख रखी, परन्तु, उसी दिन शाम को ५ बजे एक कायर हिन्दू हत्यारे ने उनके सोने पर तीन गोली दाग कर उनके प्राण हर लिये और अहिंसा, शान्ति और सत्य के अटल पुजारी को सदा के लिए मुक्त की नींद मुला दिया।

महात्मा गांधी तो स्वर्ग सिंघार गये परन्तु उन्होंने अपने जीवन की बलि देकर कांग्रेस के अन्दर एक नयी जान फूँक दी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कांग्रेस के सदस्य

देश के शासन की भागदोर अपने हाथ में लेकर कुछ ऐसे मदान्य हो गये थे कि उन्होंने जनता की सेवा और सुश्रूषा का मत अलग रख कर शक्ति शक्ति तथा पद लोलुपता का मार्ग अपना लिया था। जगह-जगह कांग्रेस कमिटीयों में दलबन्धियों होने लगी थीं और कांग्रेस के नेताओं का एक मात्र कार्य धारा-समाजों में सदैव ग्रहण करना तथा उच्च सरकारी पदां पर नियुक्ति प्राप्त करना रह गया था। इन्हीं दोनों कारणों से स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जनता का कांग्रेस व नेताओं पर से विश्वास उठ गया। महाना गान्धी के बलिदान से कांग्रेस में फिर एक बार नया शक्ति आ गई। परन्तु कांग्रेसी जन अपने अनेक आचरण के कारण इस चातामण से अधिक काल तक लाभ न उठा सके। कांग्रेस का आर्थिक अधिपेशन जयपुर में हुआ। इस अधिपेशन में फिर एक प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस के सदस्यों से प्रार्थना की गई कि वह महात्मा जी की निःस्वार्थ सेवा की भावना का अपने जीवन का आदर्श बनायें और कुछ स्वाधुर्नि के लिए सच्चा हस्तान्तरित करने का मार्ग छोड़ दें।

कार्य से का नया उद्देश्य—इसी अधिपेशन में कांग्रेस ने अपना नया विधान भी स्वीकार किया जिसमें स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् उसने अपने नये उद्देश्य को इस प्रकार अपनाया :—

“भारत की राष्ट्रीय महासभा का उद्देश्य जनता की मलाई और उसकी प्रगति है और यह देश में शान्तिपूर्ण तथा वैय उद्योगों द्वारा एक ऐसे सहयोगी राष्ट्र की स्थापना करना चाहती है जो सरसरी समान अरसर और राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार देने पर आधारित हो और जो विरम शान्ति और विश्व बन्धुत्व का ध्येय रखता हो।”

नासिक अधिपेशन—जयपुर के पश्चात् कांग्रेस का अगला अधिपेशन सितम्बर सन् १९५० में नासिक में हुआ। इसने समारम्भित राष्ट्रपति पुरोक्तमदास टटन से। इस अधिपेशन में कांग्रेस के अन्दर भारी घूट पड़ गई। आन्तार्थ जनानों जो कांग्रेस के सम्भावित पद के लिए पुरोक्तमदास टटन के विरुद्ध खड़े हुए थे अपनी हार को न सह सके। उन्होंने कांग्रेस के अन्दर रहकर एक डीमार्शटिक प्रत्य कर दिया। यह बात कांग्रेस के विरोध के विरुद्ध थी। जब उनसे इस गुट को तोड़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने कांग्रेस से ही त्याग पत्र दे दिया और अपने समर्थकों के साथ बिनकर, पन्ने में, जुलाई सन् १९५१ में, एक नया दल बना लिया जिसका नाम उन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी या के० एम० पी० पी० रखा।

इस कांग्रेस में अठाव्वार निरंतर बढ़ता जा रहा जा। सम्था के बहुत से तपे हुए महारथी, दूषित चातामण से दुर्जी होकर, सरथा को छोड़ने लगे थे। सितम्बर सन् १९५१ में इसलिए सं० जवाहरलाल नेहरू ने निश्चय किया कि वह कांग्रेस में सुधार

भारत में राष्ट्रीय आंदोलन

करने के लिए उसकी कार्यकारिणी से अलग हो जायेंगे। पंडित नेहरू के बिना कांग्रेस सस्था का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। राष्ट्र के सब से महान् नेता होने के कारण ग्राम जनता पंडित नेहरू को ही कांग्रेस मानती थी। सरदार पटेल की मृत्यु के पश्चात् तो विशेषकर भारतीय जनता को समस्त आशाएँ उन्हीं में केन्द्रित थीं। इसके अतिरिक्त दिसम्बर जनवरी में समस्त देश में ग्राम चुनाव होने वाले थे। इन चुनावों में भी पंडित नेहरू के नेतृत्व के बिना सफलता प्राप्त करना असम्भव था। इसलिए कांग्रेस के प्रधान श्री टंडन ने यही निश्चय किया कि वह प० नेहरू का स्वागत स्वीकार करने के स्थान पर स्वयं ही कांग्रेस के समापति पद से त्याग पत्र दे देंगे। सितम्बर सन् १९५१ में दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन बुलाया गया। इस बैठक में सर्व सम्मति से प० नेहरू को ही कांग्रेस का समापति निर्वाचन कर दिया गया।

दिल्ली अधिवेशन—इसके पश्चात् नवम्बर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस का चुनाव समन्वी घोषणा पत्र स्वीकार किया गया और प० नेहरू ने उन सभी नेताओं से प्रार्थना की जो कांग्रेस को छोड़ कर चले गये थे कि वह वापस अपनी पुरानी सस्था में आ जायें। इस प्रार्थना के फलस्वरूप श्री रबी श्रद्धमद किदवाई, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' तथा बहुत से दूसरे ने० एम० पी० पार्टी के लीडर पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हो गये। परन्तु आचार्य कृपलानी, डाक्टर पी० सी० घोष, श्री टी० प्रकाशम इत्यादि नेता ने० एम० पी० दल में ही रह गये।

ग्राम चुनाव—इसके पश्चात् दिसम्बर जनवरी के ग्राम चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों की सफलता के लिए प० नेहरू ने समस्त देश का दौरा किया। लगभग ५ सप्ताहों में उन्होंने ४०,००० मील क्षेत्र का दौरा हवाई जहाज, माल, रेल, नाव, बुझसारी तथा भारत की अनुमानतः ४३ करोड़ जनता ने सुना। उनके तूफानी दौरे तथा आकर्षक व्यक्तित्व का जनता पर यह प्रभाव पड़ा कि कांग्रेस के ही अधिकतर उम्मीदवार सब जगह कामयाब हुए। कांग्रेस ने अपनी ओर से समस्त देश की विधान सभाओं इत्यादि के लिए लगभग ४००० उम्मीदवार पड़े किये थे। इनमें से २२६४ उम्मीदवार राज्यों में तथा ३६२ उम्मीदवार लोक सभा की सदस्यता के लिए सफल हो गये। इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेस को समस्त देश में लगभग ६६ प्रतिशत सीटों पर विजय प्राप्त हुई। पेंस्य, ट्रान्सकोर-कोचीन तथा मद्रास राज्यों को छोड़कर शेष सब राज्यों में कांग्रेस दल का बहुमत प्राप्त हुआ। इन राज्यों में भी यथाप कांग्रेस दल को बहुमत प्राप्त था, परन्तु उसने सदस्यों की संख्या ही दूसरे सभी दलों से अधिक थी। पेंस्य को छोड़कर इसलिए सभी राज्यों में कांग्रेस दल की सरकारें बन गईं।

हैदराबाद सम्मेलन—सन् १९५२ में कांग्रेस का अधिवेशन हैदराबाद में हुआ।

इस सम्मेलन में कांग्रेस दल के सविधान में कुछ संशोधन पास किये गये तथा कांग्रेस से आसता पृथ निष्कालने के प्रश्न पर विचार किया गया। इस सम्मेलन के अग्रज भी पं० जवाहरलाल नेहरू ही थे।

आज की कांग्रेस—आजकल कांग्रेस की आंतरिक स्थिति अधिक अच्छी नहीं है। इस सभा के अंदर अनेकी शक्तिविधि का पूर्ण के लिए, अधिकतर ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हो गये हैं जिनका नेतृत्व चरित्र अत्यन्त निम्न कृति का है। पं० नेहरू के व्यक्तित्व के कारण ही आम जनता कांग्रेस को भ्रष्टा की दृष्टि से देखती है। उसके आदेश पर कुछ कुछ करने का उद्यम ही जारी है। परन्तु अधिकतर नगरों में सभा पर ऐसे लोगों ने आघात जना लिया है जिनका अनेक बार बाजारों को कर्मों से कुछ कार्यकर्ताओं को खसई लिया है और इस प्रकार वह दल के महत्त्वपूर्ण पदा पर संचार हो गये हैं। इनसे नतीजा पं० नेहरू कांग्रेस के अंदर से इन सभी दुःखों का अन्त करने के लिए प्रयत्नशील है।

कांग्रेस का विधान

आजकल कांग्रेस के सदस्यों की संख्या लगभग ३ करोड़ है। अखिल भारतीय कार्य-कारिणी के २० सदस्य हैं। उनमें नाथे २२ प्रांतों में प्रांतीय कांग्रेस कमेटीयों का निर्वाह है। नये विधान के अन्तर्गत कांग्रेस में तीन प्रकार के सदस्य हैं :—(१) प्राथमिक सदस्य (Primary Members), (२) योग्य सदस्य (Qualified Members), (३) कर्मठ सदस्य (Active Members)।

कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य देश का वह प्रत्येक व्यक्ति बन सकता है जिसकी आयु २१ वर्ष से अधिक हो तथा जो कांग्रेस के ध्येय में विश्वास रखता हो। योग्य सदस्य केवल वह व्यक्ति बन सकते हैं जो आदरजन स्वामी पहनते हों, मादक द्रव्यों का उपयोग न करते हों तथा जो सब पनों की एकता में विश्वास रखते हों। 'कर्मठ' सदस्य केवल वह व्यक्ति बन सकते हैं जो कांग्रेस द्वारा निर्धारित किसी राष्ट्रीय या स्थानात्मक कार्य में नियमित रूप से अनेक लक्ष्य समय लगाते हों। कांग्रेस के केवल कर्मठ सदस्य ही कांग्रेस कमेटीयों के चुनाव में भाग ले सकते हैं, दूसरे प्रकार के सदस्य नहीं।

सर्वोच्च समाज

कांग्रेस से भिन्न, महान्ना गांधी ने स्वनात्मक कार्यक्रम में विश्वास रखने वाले कार्य-कर्ताओं ने, उनका नृ-पु के पश्चात्, मार्च १९४८ में एक ऐसी संस्था की स्थापना की जिसके सदस्य राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लेते, तथा जो राष्ट्रनिष्ठा के द्वाये हुए मार्ग पर चल कर समाज में आर्थिक एवं सामाजिक आगे लाना चाहते हैं। इस संस्था के नेताओं में आचार्य विनायक भावे, श्री किशोरीलाल मधुवाला, डा० जे० सी० सुभारणा, श्री शंकरराव देव तथा श्री प्यारेलाल के नाम मुख्य हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य,

सत्य तथा अहिंसा पर आधारित ऐसी समान की स्थापना है जिस में किसी प्रकार के जाति विभेद या शोषण की भावना न हो, और जिस में प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास करने की सुविधाएँ उपलब्ध हों। सस्था के सदस्य वह व्यक्ति बन सकते हैं जो सामाजिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का रचनात्मक कार्य करते हों, जैसे हिन्दू-मुसलिम एकता, खादी प्रचार, ग्राम उद्योग, मध्य निवेश, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार, गौ रक्षा, राष्ट्रीय एकता इत्यादि। सस्था का वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष जनवरी के मास में होता है। इस अधिवेशन में सस्था का प्रत्येक सदस्य भाग ले सकता है। सर्वोदय समाज के अन्तर्गत उन सभी सस्थाओं का एकीकरण कर दिया गया है जो महात्मा गाँधी ने आरम्भ की थीं, जैसे अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, चरखा संघ, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, हिन्दुस्तानी प्रचार समाज, गौ सेवा संघ, प्राकृतिक चिकित्सा संघ, नव जीवन ट्रस्ट, कस्तूरबा ट्रस्ट, हिन्दू मजदूर संघ इत्यादि।

आजकल सर्वोदय समाज के सबसे बड़े नेता आचार्य विनोबा भावे एक भूमिदान यज्ञ रचा रहे हैं। इस यज्ञ का उद्देश्य यह है कि देश के गरीब तथा भूमिहीन किसानों में समाज के उन समृद्ध जमींदारों से भूमिदान लेकर जमीन बाँटी जाय, जिनके पास अपनी आवश्यकता से बड़ी अधिक भूमि है तथा जो उसका स्वयं उपयोग न कर, उसके द्वारा गरीब किसानों का शोषण करते हैं। अपने इस यज्ञ की पूर्ति के लिए आचार्य जी ३० लाख एकड़ भूमि इकट्ठा करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को सामने रख कर वह समस्त देश को पैदल यात्रा कर रहे हैं।

सर्वोदय समाज अपने उद्देश्य की पूर्ति में हिसाबमक उपायों का घोर विरोधी है। वह प्रेम तथा हृदय-परिवर्तन के आधार पर अपने कार्यक्रम की पूर्ति चाहता है। यही कारण है कि यह जमींदारी प्रथा का अन्त करने के लिए भी कानून का सहारा न लेकर, केवल प्रेम के आधार पर ही सामाजिक प्रगति लाना चाहता है।

समाजवादी दल

कांग्रेस के पश्चात् हमारे देश में दूसरी राजनीतिक सस्था जिसका प्रभाव जनता पर घीरे घीरे बढ़ता जा रहा है, समाजवादी दल है। मार्च सन् १९४८ से पहले जब तक प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के प्रधान तथा मंत्रियों के एक सम्मेलन ने अपनी इलाहाबाद की बैठक में यह निश्चय नहीं कर लिया था कि राष्ट्रीय महासभा के अन्तर्गत किसी ऐसे दल का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसके अपने अलग सदस्य, कोष तथा उद्देश्य हों, यह सस्था कांग्रेस के अन्दर ही रह कर एक अलग 'ग्रुप' के रूप में काम करती थी। परन्तु मई सन् १९४९ से अपने अपने के अधिवेशन के पश्चात् यह उससे अलग हो गई।

भारत की समाजवादी दल जनतन्त्रात्मक, समाजवाद में विश्वास रखता है। वह

ऐसे साम्यवाद का हमी नहीं जिसमें जनता पर एक निरंकुश शासन लाद दिया जाय। उसका ध्येय है कि किसानों को जमीन दी जाय और उनको पंचायतों के रूप में संगठित किया जाय। उद्योग के क्षेत्र में यह राष्ट्रीयकरण की नीति में विश्वास रखता है। राष्ट्र मण्डल के साथ भारत के सम्बन्ध के विषय में उसका विश्वास है कि हिन्दुस्तान को स्वतन्त्र औरनिर्भरिक्त स्थिति स्वीकार नहीं करनी चाहिये। विदेशी नीति के सम्बन्ध में उसका विश्वास है कि ऐंग्लो अमरीकन तथा सोवियत रुब, दोनों से अलग रह कर, भारत को एक तीसरी शक्ति का निर्माण तथा नेतृत्व करना चाहिये।

सर्व प्रथम कांग्रेस ने अन्दर समाजवादी दल का निर्माण सन् १९३४ में हुआ था। इससे पहले इस दल की नींव नासिक जेल में उस समय रखी गई थी जब १९३० के सत्याग्रह आन्दोलन के फलस्वरूप श्री जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटनायक तथा अशोक मेहता उस समय जेल में थे। वहाँ उन्होंने सर्व प्रथम इस दल को बनाने का निश्चय किया था।

इस दल के नेताओं में, उनके अतिरिक्त जो नासिक जेल में थे, आचार्य नरेन्द्र देव, डॉ० राममनोहर लोहिया तथा श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं। इसके सदस्यों की संख्या लगभग ५०,००० बताई जाती है। इस दल के अपने २२ साप्ताहिक-पत्र हैं जिनमें 'जनता' मुख्य है। इस दल का विशेष प्रभाव बम्बई प्रान्त में है। दूसरे प्रान्तों के किसानों तथा मजदूरों में भी इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

विद्युत् आग चुनावों में समाजवादी दल ने समस्त देश में अपनी ओर से लगभग २८०० उम्मीदवार रक्टे किये। इनमें से केवल १५५ सदस्य राज्यों की विधान सभाओं में तथा ८२ सदस्य लोक सभा के चुनाव में सफल हुए। समाजवादी दल के बहुत से प्रमुख नेता जैसे श्री अशोक मेहता, पुरोचम दास विष्णुदास, आचार्य नरेन्द्र देव, दामोदर हरलक्ष सेठ इत्यादि भी इन चुनावों में हार गये। समस्त देश में पार्टी के उम्मीदवारों को लगभग ९ प्रतिशत मत मिले परन्तु स्थानों के विचार से उन्हें केवल ४ प्रतिशत सीटें मिलीं। इसके विपरीत साम्यवादी दल के उम्मीदवारों को समस्त देश में ४७ प्रतिशत वोट मिले और उन्हें २२२ स्थानों पर अधिकांश प्राप्त हो गया। समाजवादी दल के उम्मीदवारों की असफलता के मुख्य रूप से निम्न कारण थे :—

(१) कार्यक्रम में स्पष्टता का अभाव—कांग्रेस, के० एम० पी० पी० तथा समाजवादी दल के कार्यक्रमों में कोई विशेष अन्तर नहीं था।

(२) बहुत अधिक संख्या में उम्मीदवारों का रक्टा करना—विद्युत् आग चुनावों में यह दल अधिक सफल हुए जिन्होंने केवल थोड़े ही स्थानों पर अपने उम्मीदवार रक्टे किये तथा अपने समस्त साधनों से उन्हीं स्थानों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया। इसीलिए छोटे छोटे दलों जैसे गणतन्त्र परिषद्, वामिलनाट टाय-

लसं पार्टी, द्रावणकोर तामिलनाड कांग्रेस इत्यादि को चुनावों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई।

(३) अनेक वामपक्षी दलों में मतों का विभाजन—समाजवादी दल ने दूसरे वाम पक्षीय दलों से मिन कर चुनाव सम्बन्धी समझौता नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस विरोधी मत बहुत से दलों में बँट गये और इस से अधिकतर कांग्रेसी उम्मीदवारों को ही लाभ हुआ।

ग्राम चुनावों के पश्चात् समाजवादी दल ने कम्यूनिसट् पार्टी को छोड़ कर, दूसरे वाम पक्षी दलों को एक जगह संगठित करने का कार्य आरम्भ किया। इसके लिए उन्होंने के० एम० पी० दल के नेता आचार्य कृपलानी से मिन कर इस बात का प्रयत्न किया कि दोनों दलों में किसी प्रकार का समझौता हो जाय और वह एक ही संस्था के नीचे मिल कर काम कर सकें। इस प्रकार का समझौता सन् १९५२ में हो गया और दोनों दलों को मिला कर एक संयुक्त प्रजा समाजवादी दल बना दिया गया। आजकल इस दल के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी हैं। श्रव फारवांडे ब्लॉक दल भी इसी पार्टी में सम्मिलित हो गया है।

क्रिस्तान मजदूर प्रजा पार्टी

इस पार्टी का जन्म, जैसा पहले बताया जा चुका है, जुलाई सन् १९५१ में, पटना में हुआ था। इस दल में कांग्रेस की वर्तमान नीति से असन्तुष्ट वह सब पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मिलित थे जो गांधीवादी विचारधारा के आधार पर, सर्वोदय योजना के अधीन, देश का सगठन करना चाहते थे। इस दल के नेताओं का कहना था कि कांग्रेस में इतना अल्पाचार फैला हुआ है तथा उसमें ऐसे लोगों का आधिपत्य है जो अनुचित उपायों से भी इस संस्था पर अपना प्रभुत्व जमाये रखना चाहते हैं। वेने प्रजा पार्टी तथा कांग्रेस के कार्यक्रम में विरोध अन्तर नहीं था। प्रजा पार्टी का कहना था : "वह देश के शासन में ईमानदारी तथा राजनीति में प्रजातन्त्रात्मक दृष्टिकोण को लाना चाहती है। आर्थिक क्षेत्र में वह भूमि और बड़े कारखानों के राष्ट्रीयकरण की नीति में विश्वास करती है तथा औद्योगिक क्षेत्र में महात्मा गांधी की योजना के अनुसार देश भर में छोटे-छोटे घरेलू उद्योग धंधों का जाल बिछा देना चाहती है"। इस दल के नेताओं में मुख्य आचार्य कृपलानी, पी० सी० घोष, टी० प्रकाशन तथा भी शिबन लाल सारसेना थे।

विद्वले ग्राम चुनावों में समाजवादी दल की भाँति के० एम० पी० दल को भी अधिक सफलता नहीं मिली। इसने ६४६ सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किये जिनमें से केवल ८६ स्थानों पर उसे सफलता मिली। मतों के विचार से समस्त देश में पार्टी के प्रतिनिधियों को केवल ४ प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए। इस दल की असफलता के भी

मुख्यतः वही कारण थे जो समाजवादी दल के। स्वयं आचार्य कृपलानी, पी० सी० घोष तथा प्रकाशम चुनावों में हार गये।

जैसा ऊपर बताया गया है, आन्दोलन के० एम० पी० पी० तथा समाजवादी दल को मिला कर एक समुक्त दल बना दिया गया है जिसका नाम प्रजा समाजवादी दल है। विधान सभाओं तथा संसद् में भी दोनों दलों के सदस्य एक ही प्रजा समाजवादी दल में सम्मिलित हो गये हैं। विद्वाने कुछ राज्यों तथा संसदीय उन चुनावों में इस दल को विशेष सफलता मिली है।

साम्यवादी दल

साम्यवादी दल की स्थापना सन् १९२४ में हुई थी। आरम्भ के १६ वर्षों में इस संस्था ने एक भूमगत दल (Underground) के रूप में काम किया, कारण जून से ही यह ब्रिटिश अधिकांश के दौरे का भाजन रहा। सन् १९४३ में जिस समय रूस ने सभी सरकारों के साथ मिल कर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की तो साम्यवादी दल ने उसे 'जनता का युद्ध' (People's War) घोषित करके, अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। उस समय संस्था के विरुद्ध प्रतिबन्ध हटा लिया गया और वह एक वैध दल के रूप में कार्य करने लगी। जिस समय तक साम्यवादी दल के नेता, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोधी थे तथा वह भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के लिए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ते थे, तब तक उनका भारत के राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत अधिक सम्मान था और जनता उनके कार्यक्रम को श्रद्धा और सहानुभूति की दृष्टि से देखती थी। परन्तु सन् १९४३ में, जिस समय, कांग्रेस की घोषणा के विरुद्ध, साम्यवादियों ने महायुद्ध में, अंग्रेजी का साथ देना आरम्भ कर दिया तो देश की जनता उनके विरुद्ध हो गई और उन्हें अविश्वसनीय कहकर पुकारने लगी। युद्ध की समाप्ति पर, कम्युनिस्ट दल के उन नेताओं को जो कांग्रेस के भी सदस्य थे, राष्ट्रीय संस्था से निकाल दिया गया। परन्तु इसके पश्चात् बहुत दिनों तक जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए, साम्यवादी नेता, कांग्रेस का साथ देते रहे और उनकी स्वाधीनता सम्बन्धी माँग का समर्थन करते रहे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् दल का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ते में हुआ। इस अधिवेशन में श्री पी० सी० जोशी को जो विद्वाने १२ वर्षों से पार्टी के प्रधान मंत्री थे, दल की कार्यकारिणी से निकाल दिया गया और उनके स्थान पर श्री पी० टी० रणदिवे को दल का मंत्री चुना गया। श्री रणदिवे ने एक नया कार्यक्रम पार्टी के सम्मुख रखा। इसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ समझौता किया है और भारतवर्ष की स्वतन्त्रता झूठी और अर्थात् है। उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध, जिसे पृथिवीयों तथा वर्गों-द्वारा की संस्था स्थापना गया, युद्ध की घोषणा कर दी और कहा कि वह भारत की राष्ट्रीय सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं

करेंगे। इसी अधिवेशन में हिंसा तथा तोड़ फोड़ का कार्यक्रम अपनाया गया। हड़तालों तथा उपद्रवों के कार्यक्रम को बढ़ा देकर, सरकार ने बहुत से प्रांतों में कम्युनिस्ट पार्टी को श्रवैष घोषित कर दिया और उसके नेता जेलों में बन्द कर दिये गये।

सन् १९५१ में पार्टी ने फिर एक बार अपना कार्यक्रम बदला और कहा कि वह तोड़ फोड़ तथा हिंसा की नीति को छोड़ कर, वैधानिक उपायों का अवलम्बन करेगी। नव सविधान के अन्तर्गत आम चुनावों में भाग लेने के लिए ही उसने इस नई नीति को अपनाया। इन चुनावों में दल को अमृतपूर्व सफलता मिली। कुल मिला कर दल के २२२ सदस्य लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में चुन लिये गये। दल की ओर से कुल, ५६३ उम्मीदवार खड़े किये गये थे। इनमें से लगभग एक तिहाई सफल हो गये। आञ्जल बागेश के पश्चात् साम्यवादी दल के सदस्यों का ही विधान सभाओं तथा लोक सभा में दूसरा नम्बर है। इस दल के नेताओं में श्री ए० के० गोपालन, श्री नन्दिबय्यर, श्री अजय घोष, श्री पी० सुदरैया, श्रीमती रीनु चक्रवर्ती तथा प्रो० हीरेन मुर्कबी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

दूसरे वामपन्थी दल

उपरोक्त वर्णित तीन दलों के अतिरिक्त और भी बहुत से छोटे-छोटे वामपन्थी दल हमारे देश में विद्यमान हैं। इन दलों में प्रोफेसर रंगा की कृषिकार लोक पार्टी, कारवडं न्लाक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, बौद्धिक पार्टी, तामिलनाडु टायल्स पार्टी तथा पेन्नेन्स एण्ड बर्कस पार्टी के मुख्य हैं। अधिकतर इन दलों का प्रभाव कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में सीमित है। विद्युले आम चुनावों में इन दलों के भी कुछ सदस्य विधान सभाओं में चुने गये हैं। इन दलों का कार्यक्रम समाजवादी तथा साम्यवादी पार्टियों के साथ ही मिलता-जुलता है। इनमें से इसलिए अब कुछ दल या तो साम्यवादी दल के साथ मिल गये हैं, या फिर प्रजा समाजवादी दल के साथ।

केन्द्रीय दल (Centre Party)

लिबरल दल—वामपन्थी दलों के अतिरिक्त हमारे देश में बहुत से दक्षिण पन्थीय दल भी हैं और इन सब से भिन्न एक केंद्रीय दल है जिसकी विचारधारा अत्यन्त सरल तथा जिम्मा कार्यक्रम, विनासवादी है। इस सस्था के नेतामण बहुत हैं परन्तु उसके जनता में अनुयायी बहुत कम हैं। इस सस्था का नाम 'नेशनल लिबरल फ़ेडरेशन' है। इसके नेताओं में प० हृदयनाथ मुञ्जूरु, मि० चिमनलाल सीतलवाड, कायस्थजी जहाँगीर, सर महाराज सिंह, रामरामाणी मुदालियर तथा सर अल्लादि कृष्णरामाणी ध्यान्यर मुख्य हैं। यह सब नेता समाज के अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अपने अनुभव, बुद्धि चमत्कार तथा गूढ़ अध्ययन के कारण इनको सारे देश में मान्यता है। दक्षिण में

भी इन नेताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए संविधान सभा के चुनावों में इनमें से अनेक व्यक्तियों को नामजद किया था। भारत का संविधान बनाने में इन नेताओं ने काफी भाग लिया। परन्तु जिस नरम विचारधारा का यह लोग प्रतिनिधित्व करते हैं उसके आत्र हमारे देश में अधिक अनुपायी नहीं हैं। भारत की भूख और प्यास से पीड़ित कोटि कोटि जनता आत्र देश में एक आर्थिक प्रगति चाहती है। इसलिये वह कांग्रेस तथा वामपन्थी संस्थाओं का साथ देती है। 'लिबरल पार्टी' की विकासवादी योजना पर कार्य करने के लिए आत्र के वातावरण में हमारे देश की जनता तैयार नहीं है। यही कारण है कि लिबरल नेताओं का व्यक्तिगत दृष्टि से अत्यन्त मान होने पर भी उनकी संस्था के लिए अनी हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। विद्वाने आम चुनावों में इस संस्था ने अपनी ओर से कोई भी उम्मीदवार खड़े नहीं किये, परन्तु इसके बयेंद्वर नेता पं० हृदयनाथ कुञ्जरु राज्य परिषद् की सदस्यता के लिए, उत्तर प्रदेश विधान सभा के स्वतन्त्र सदस्यों की ओर से चुन लिये गये।

दक्षिण पन्थीय दल (Rightist Parties)

हिन्दू महासभा—दक्षिण पन्थीय दलों में, हिन्दू सभा का नाम सबसे प्रमुख है।

वैसे तो हमारे देश के हिन्दुओं में सारदायिकता की भावना बहुत कम है, अधिकतर हिन्दू राष्ट्रवादी विचारधारा के ही पाये जाते हैं, परन्तु २८ करोड़ की जनसख्या में कुछ ऐसे हिन्दू भी अवश्य हैं जो भारत में एक हिन्दू राज्य की स्थापना का स्वप्न पूरा होता देखना चाहते हैं। ऐसे हिन्दुओं ने हमारे देश में हिन्दू महासभा की संस्था को स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी एक राजनीतिक संस्था के रूप में जीवित रक्खा है। इस संस्था का अस्तित्व उस समय समझ में आता था जब हमारा देश गुलाम या और मुचलमानों के आन्मण के विद्वर हिन्दुओं की रक्षा करने के लिए इस प्रकार की संस्था की कुछ आवश्यकता थी। इसी दृष्टि से हिन्दू महासभा के अन्दरवाता हमारे राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय तथा पंडित मदनमोहन मालवीय थे। उन्होंने सन् १९२३ में हिन्दुओं का संगठन करने तथा हिन्दू धर्म से सामाजिक दुरीतियों का विनाश करने के लिए इस संस्था को जन्म दिया। परन्तु आरम्भ से ही यह संस्था कुछ ऐसे प्रतिक्रियावादी नेताओं के हाथ में रही कि उन्होंने इसके द्वारा राजनीतिक आर्कांदाओं को पूर्ण करना चाहा और सुवार तथा संगठन के कार्य के बजाय 'हिन्दू धर्म खतरे में' का नारा लगा कर सनात्र की विद्वरणी हुई धर्मान्ध जनता की सहानुभूति प्राप्त करनी चाही। इसी कारण यह संस्था हमारे देश के स्वतन्त्रता संग्राम के काल में कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं चली वरन् सदा राष्ट्रवादी शक्तियों का विरोध करती रही।

महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात् कुछ काल के लिए हिन्दू महासभा ने राजनीति के क्षेत्र से अलग करने की नीति को अन्नना लिया था। परन्तु सितम्बर सन् १९४९ के

अपने कलकत्ते के अधिवेशन में उठने फिर यह घोषणा कर दी कि वह सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेगी और चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। इस सभा के वर्तमान नेताओं में चीर सावरकर, डा० खरे, मि० मोपटकर, आशुतोष लाहिड़ी, एन० सी० चटर्जी तथा गोमुलचंद नारग के नाम मुख्य हैं।

विहले ग्राम चुनावों में इस संस्था के १० सदस्य विधान सभाओं तथा ५ सदस्य लोक सभा में चुने गये। लोक सभा के सदस्यों में वाङ्कर खरे, श्री श्री० श्री० देश पादे, तथा श्री एन० सी० चटर्जी के नाम मुख्य हैं। आबकल हिंदू महासभा जन सभ तथा रामराज्य परिषद् के साथ मिलकर प्रजा समाजवादी कामपत्नी दल की मूर्ति दक्षिण पक्षी शक्तियों को एक ही दल के नीचे संगठित करने का विचार कर रही है।

भारतीय जनसंघ

इस दल का जन्म सन् १९५१ में हुआ। इसके अधिकतर सदस्य ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। एक प्रकार से इस दल को हम आर० एस० एस० का राजनीतिक बाहु (Political arm) कह सकते हैं। यह संस्था भारत की अखण्डता, पाकिस्तान के विरुद्ध कठोर नीति तथा हिन्दुओं की संस्कृति को रक्षा एवं उन्नती युक्ति में विश्वास रखती है। इस संस्था के एकमात्र नेता डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जून सन् १९५३ में अभी उनकी मृत्यु के पश्चात् अब इस दल की स्थिति बाबतोल हो गई है।

पिछले ग्राम चुनावों में इस संस्था के ३३ सदस्य विधान सभाओं तथा ३ सदस्य लोक सभा में चुने गये। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सहायता से इस दल को आशा थी कि उसके और भी अनेक नेता चुनावों में सकल हो जायेंगे। परन्तु इस दिशा में उसे घोर निराशा का मुँह देखना पड़ा और कुछ राज्यों में तो, जहाँ इस दल का बहुत अधिक प्रभाव समझा जाता था, एक भी सदस्य विधान सभा अथवा लोक सभा के लिए न चुना जा सका। ऐसे राज्यों में यज्जान, मध्यप्रदेश, महाप्रद्र, आसाम तथा उड़ीशा के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

दूसरे दक्षिण पक्षीय दल

हिन्दू महासभा तथा भारतीय जनसंघ के अतिरिक्त दूसरे दक्षिण पक्षीय दलों में हम उड़ीशा की गणतन्त्र परिषद्, शैल्लूड कास्ट फिडरेशन, रामराज्य परिषद् तथा बिहार की भारसद पार्टी के नाम ले सकते हैं। गणतन्त्र परिषद् उड़ीशा के भूतपूर्व नरेशों की संस्था है। इसके नेता पटना के महाराजा हैं। यह संस्था अमीरों के अधिकारों की रक्षा चाहती है। शैल्लूड कास्ट फिडरेशन के नेता डा० अंबेदकर तथा श्री पी० एन० राजमोहन हैं। यह संस्था साम्प्रदायिक आधार पर हरिजनों के अधिकारों की रक्षा चाहती है। विहले ग्राम चुनावों में इसे करणी हार खानी पड़ी और स्वयं डा० अंबेदकर अमीर

के निर्वाचन में अस्मत् रहें। रामराज्य परिषद् के नेता स्वामी हरगोत्री जी हैं। इस संस्था का अधिकार प्रभाव रामस्थान में है। वही से इस संस्था के अधिकतर सदस्य रिवाज सभा और लोक सभा के चुनावों में चयन हुए। भारतीय पार्टी के नेता आदिवासी श्री वपनाल सिंह हैं। यह दल पिछड़ी हुई कर्षणकारी जातियों के अधिकारों की रक्षा चाहता है। बिहार में इस संस्था का सबसे अधिक प्रभाव है।

मुसलमानों के राजनीतिक दल

मुस्लिम लीग—मुस्लिम लीग का जन्म नेता हम कांग्रेस के इतिहास में देख चुके हैं, सन् १९०६ में हुआ था। इस संस्था के जन्म के पीछे अंग्रेजों का स्पष्ट हाथ था और जब तक भारतवर्ष के दो टुकड़े नहीं हो गये इसके नेता सदा प्रतिहिंसावादी, अंग्रेजों के हाथों में झुकते रहे। आरम्भ में इस संस्था का मुख्य ध्येय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति प्रदर्शित करना था, परन्तु सन् १९१३ में उसने अपना उद्देश्य बदल कर औपनिवेशिक सरकार की प्राप्ति बना लिया। इसके पश्चात् कांग्रेस और लीग ने मिलकर कार्य किया। १९१६ में दोनों संस्थाओं में एक प्रकार का सन्धीता भी हो गया, परन्तु यह मंत्री अधिक समय तक कायम न रह सकी। लीग का शक्तिशाली संगठन मि० जिल्ला द्वारा सन् १९३७ के ग्राम चुनावों के पश्चात् किया गया। उससे पहले लीग केवल कुछ पढ़े लिखे मध्यम श्रेणी के मुसलमानों की संस्था थी परन्तु इन चुनावों के तुरन्त पश्चात् मुस्लिम लीग की हर प्रान्त और नगर में शाखाएँ खोल दी गईं। इसके कार्य को सबसे अधिक प्रोत्साहन अंग्रेजों की हिन्दू विरोधी नीति से मिला। मुस्लिम लीग के नेताओं ने अंग्रेजों से सह पाकर हिन्दुओं के विरुद्ध बहर उगला तथा कांग्रेस को भला बुरा कहना अपना ध्येय बना लिया। लीग ने कभी भारतीय स्वतन्त्रता के समाम में सहयोग नहीं दिया। इसके नेता कभी जेलों में नहीं गये, उसने किसी सार्वजनिक आन्दोलन का नेतृत्व नहीं किया। उसने केवल एक कार्य किया और वह था कांग्रेस की प्रत्येक स्वतन्त्रता सम्बन्धी माँग के विरुद्ध मोर्चा खड़ा करना और अंग्रेजों से कहना कि 'भारत को उस समय तक स्वतन्त्र न किया जाय जब तक मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र मान कर उनके लिए एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना न कर दी जाय।' अंग्रेज तो चाहते ही थे कि भारतीयों की स्वतन्त्रता सम्बन्धी माँग के पूरे होने में बितना विलम्ब लगे उतना ही अच्छा है। स्वभावतया उसने मुस्लिम लीग का खुल्लमखुल्ला साथ दिया और अन्त में यह कह कर कि देश में शान्ति बनाये रखने के लिए कोई दूसरा चारा नहीं है, भारत के दो टुकड़े कर दिये।

पाकिस्तान के बन जाने के पश्चात् मुस्लिम लीग का प्रभाव हमारे देश से कम हो गया है। कारण इसके प्रायः सभी नेता पाकिस्तान चले गये हैं और १५ अगस्त सन् १९४७ के पश्चात् भारत में जो देशव्यापी साम्प्रदायिक भागड़े हुए, विभक्त कारण

साखों की और पुरखों की निर्मम हत्या की गई, करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई, नय-प्रचलन लक्ष्मियों के साथ बर्बरता किया गया, स्त्रियों और बच्चों को मारा गया, उम्मीदारी किम्मेदारों मुस्लिम लीग के घिर पर रखी गई। इन रूप हत्याकाण्डों के पश्चात् भारत की जनता को आशा थी कि हिन्दुस्तान के मुसलमान शब्द 'लीग' का नाम न लेंगे और इस संस्था को स्वतः तोड़ देंगे; परन्तु आज भी हमारे देश में अनेक ऐसे मुसलमान हैं बिनश्री मनोवृत्ति पहले की भाँति साम्प्रदायिक हैं और जो इस असाधारण राष्ट्र में भी लोग के ढाँचे को पहले के समान ही बनाये रखना चाहते हैं। यही कारण है कि इस संस्था को अभी तक नहीं तोड़ा गया है और विच्छेद आम चुनावों में इस दल के कुछ सदस्य बम्बई की विधान सभा तथा लोक सभा में चुन लिये गये।

मुसलमानों की दूसरी संस्थाएँ

लीग के अतिरिक्त मुसलमानों की दूसरी संस्थाओं में जमायत उल उल्माए हिंद, शिया राजनीतिक सम्मेलन, मोमिन पार्टी तथा अहमद पार्टी के नाम मुख्य हैं। मुस्लिम लीग की प्रस्ताव के काल में इनके सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ी थी और मुस्लिम जनता पर इसका प्रभाव अत्यंत सीमित था। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् मुसलमानों को इन संस्थाओं का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इन संस्थाओं में अधिकतर जमायत-उल-उल्माए हिंद, मौलाना आजाद, हज़ीरुर्रहमान और हुसैन अहमद मदन की नेतृत्व के कारण अधिक लोक-प्रिय हैं। अपने लखनऊ के मार्च सन् १९४६ के अधिवेशन में जमायत ने निश्चय कर लिया था कि वह राजनीति में भाग न लेगी और उसका एकमात्र कार्य मुसलमानों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति करना होगा। इसी कारण विच्छेद आम चुनावों में इस दल ने कोई सक्रिय भाग नहीं लिया।

सिरों के राजनीतिक दल

सिक्खों में मुख्यतया तीन विचार धाराओं के लोग पाये जाते हैं, एक वह जो पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रखते हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर भारत में एक जनसत्तात्मक असाधारणिक राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। इस विचार के नेताओं में बाबा रज्जम सिंह, सरदार प्रताप सिंह तथा शान्ती गुप्तसुख सिंह मुसफिर हैं। दूसरे, वह लोग हैं जो इस विचार के बिल्कुल विपरीत सिक्खों के लिए भारत में एक अलग राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। इन लोगों के विचार में सिक्ख हिंदुओं से अलग एक धार्मिक जाति है, जिसका एक अलग इतिहास, संस्कृति तथा भाषा है। इन हितों को रक्षा के लिए वह भारत में एक अलग सिख प्रान्त की माँग करते हैं। इस विचार धारा के लोगों को 'अकाली' भी कहा जाता है। इनके नेता माम्तर तारा सिंह तथा शान्ती प्रताप सिंह हैं। तीसरे, सिक्खों में वह लोग हैं जो इन दोनों विचार धाराओं के बीच के मार्ग का अवलम्बन करते हैं। वह सिक्खों के लिए किसी अलग राज्य स्थापना प्रान्त की

मौंग तो नहीं करते परंतु सिल पंथ की एकता बनाये रखने के लिए कांग्रेस से कुछ विशेष अधिकारों की प्राप्ति चाहते हैं। इस दल के नेताओं में सरदार लखन सिंह नगोके तथा महाराजा पट्टिपाल हैं। नये विधान के अन्तर्गत सिलों की निहड़ी हुई जातियों की छुंड़ कर दिनमें रानदासी तथा कबोर पयो सिल शामिल हैं, और सिलों के लिए धरा सनाओ अथवा नौकरियों में सुदृष्ट स्थानों की व्यवस्था नहीं की गई है। निहने अन्न चुनावों में, इहाँ कार्य अकाली दल को, जिन्होंने केवल साम्प्रदायिकता के आधार पर ही बनता से राय माँगी, अधिक सकलता प्राप्त नहीं हुई। पन्नाब में कांग्रेस उन्नीसवायें के विरुद्ध इस दल के नेताओं को कथपे हार खानी पड़ी। केवल पंजु में योंके से अकाली विधान सभा के सदस्य चुन लिये गये। आशा है, साम्प्रदायिकता का मृत इस उदारता के परचात्, सिलों के बीच से नष्ट हो पारगा और माम्प ताप सिंह अधिक दिनों तक सिलों का पपभ्रष्ट न कर सकेंगे।

योग्यता प्रश्न

१. परिचर्नी सिद्धा ने भारत में राजनीतिक जाटि ठन्नर करने में क्या कार्य किया ? (यू० पी० १९३०)

२. यह कहाँ तक सच है कि धार्मिक आदोलनों ने भारत में राष्ट्रीय जाटि की नींव डाली ? (यू० पी० १९३४)

३. उन्नीसवीं सताब्दी में, भारत में राष्ट्रीय जाटि के क्या विभिन्न कार्य थे ? (यू० पी० १९३८)

४. भारत में राष्ट्रीय आदोलन का इतिहास लिखिये। (यू० पी० १९३९)

५. १९०९ से १९३५ तक देश में कांग्रेस की क्या नीति थी ? इस पर प्रकाश डालिये। (यू० पी० १९४०)

६. कांग्रेस के क्या उद्देश्य हैं ? वह उद्देश्य किस प्रकार पूरे किये जाते हैं ? (यू० पी० १९४६)

७. भारत की मुख्य राजनीतिक पार्टियों का कार्यक्रम तथा उद्देश्य समझाइये। (यू० पी० १९३८)

८. निहने कुछ दिनों भारत में व्पेन से नये राजनीतिक दल बने हैं ? उनके कार्यक्रम तथा उद्देश्यों पर प्रकाश डालिये।

९. कांग्रेस दल में पूट के क्या कार्य हैं ?

१०. 'नये दलों के बन् से भारत की सजन्वता को खतरा है।' क्या यह कथन सच है ?

११. साम्प्रदायी दल पर सचित विन्पयी लिखिये। (यू० पी० १९५३)

अध्याय २२

हमारा आर्थिक जीवन

किसी देश की जनता के नागरिक जीवन पर उसकी आर्थिक स्थिति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उस समय तक एक सम्यक् तथा समृद्ध जीवन व्यतीत नहीं कर सकता जब तक उसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित आय का प्रबंध न हो। निर्धन, बेकार तथा रानी की समस्या से वस्तु लोग न बवल वैयक्तिक दृष्टि से ही एक अच्छे सामाजिक जीवन व्यतीत करने के अयोग्य होते हैं वरन् वह समाज की शान्ति तथा स्थिरता के लिए भी एक खतरा बन जाते हैं। प्रायः ऐसे ही लोगों की श्रेणी में से हमारे समाज के अधिकतर शत्रु—चोर, डाकू, लुटेरे, बालसाज, धोखेबाज, हत्यारे इत्यादि—पूतों होते हैं। वह सामाजिक समूह अथवा उसके नियमों का विचार किये बिना ही चाँदी के कुछ थोड़े से टुकड़ों के लोभ से नीच से नीच काम करने पर उतारू हो जाते हैं। इस प्रकार विदित है कि समाज की शान्ति तथा प्रगति और नागरिक जीवन की अच्छाई के लिए आर्थिक साधनों की प्रचुरता तथा उनका उचित विभाजन नितांत आवश्यक है।

हम पिछले अध्यायों में देख चुके हैं कि भारतीयों के नागरिक जीवन का स्तर अत्यंत नाची कोटि का है। हमारे सामाजिक जीवन में अनेक कुरीतियों, अंधविश्वास, अविद्या, साम्प्रदायिकता की भावना, आडम्बरवाद, व्यर्थ के रीति रिवाज, धर कर गये हैं। इन सब लुण्ठियों के दो मुख्य कारण हमारी अशिक्षिता तथा निर्धनता हैं। निर्धनता के कारण न हम अपने बच्चों को शिक्षित बना सकते हैं, न अपने रहन सहन के स्तर को ऊँचा कर सकते हैं, न एक सम्यक् तथा सुसंस्कृत जीवन व्यतीत कर सकते हैं और न समाज के सम्यक् तथा शिक्षित लोगों की श्रेणी में बैठ कर उनकी अच्छी-आदतों को प्रदर्शित कर सकते हैं।

इस अध्याय में इसलिए हम उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिनसे हमारा आर्थिक जीवन इतना असतोषप्रद है और हमारी जनता संसार के सम्यक् देशों में सबसे अधिक निर्धन और गरीब है।

भारतीय कृषि

हमारे देश की अधिकतर जनता खेती-क्यारी से अपना जीवन निर्वाह करती है। पिछले ५० वर्षों में अनेक उद्योग-घरों के स्थापित हो जाने पर भी हमारी ७५ प्रतिशत

जनसंख्या खेती पर ही निर्भर है। कृषि की उन्नति पर ही हमारे उद्योग-धर्मों तथा व्यापार की भी प्रगति निर्भर रहती है।

परन्तु कैसे दुर्भाग्य की बात है कि सहस्रों वर्षों से यह व्यवसाय करने पर भी हमारी कृषि की उत्पाति दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत कम है और इतने अधिक व्यक्तियों को इस व्यवसाय में लगे रहने पर भी हमारे देश की जनता को अपनी कुशाग्रता करने के लिए वार्षिक ४० लाख मन अन्न विदेशों से आना पड़ता है। हमारे देश की भूमि अप्रत्यक्ष उर्वरा है, सिंचाई के साधन भी अब बढ़ते जा रहे हैं, धूर तथा बर्षा की भी कड़े कमी नहीं, परन्तु फिर भी हम कृषि के क्षेत्र में कितने विरुद्ध हुए हैं। इसके मुख्य रूप से निम्न कारण हैं :-

- (१) किसानों की अशिक्षितता तथा उनके खेतों के क्षेत्र में नये उपकरणों—मशीनों, ट्रैक्टर, बीज इत्यादि की उपयोग में लाने के प्रति उदासीनता।
- (२) किसानों की मांगवादिता या कठोरता जिसके कारण अपनी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उनमें आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न नहीं होती।
- (३) हमारे किसानों की जमीनों का बगह-बगह विस्तार हुआ तथा छूटे-छूटे टुकड़ों में बँट रना।
- (४) जिन स्थानों पर बर्षा की कमी है वहाँ सिंचाई के साधनों की कमी।
- (५) किसानों की निर्धनता तथा गाँवों में सहायी समितियों, बैंकों तथा उच्च शिक्षा पर श्रृंखला देने वाली संस्थाओं की कमी।
- (६) कृषि अनुसंधान संस्थाओं की कमी जो नये नये आविष्कारों तथा प्रयोग द्वारा खेती की उन्नति बढ़ाने के लिए मुन्धर दे सकें तथा उपज को बीड़ों, बीमारियों, चूड़ों इत्यादि के प्रकोप से बचा सकें।

इन दशाओं में सुधार के लिए हमारे प्रांतों की सरकारों ने अनेक प्रयत्न किये हैं। बगह-बगह सरकारी समितियाँ किसानों को श्रृंखला देने, उपज की बिक्री का उचित प्रबन्ध करने, अन्धा बीज एवं लहे के हल तथा मशीनों इत्यादि देने, जमीनों की रकटा करने इत्यादि का कार्य करती हैं। सरकार का कृषि विभाग नये खेती के तरीकों को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करता है। प्रांतों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन भी किया जा रहा है जिससे किसानों को उनकी जमीन का मालिक बनाया जा सके तथा वह उनमें अपना लगा कर स्थानीय सुधार कर सकें। पञ्चदशवर्ष योजना में भी सबसे अधिक महत्व कृषि को ही दिया गया है। सरकार का विचार है कि अगले पाँच वर्षों में १८२ करोड़ रुपया व्यय करके वह ७२ लाख टन अनाज, २१ लाख गॉट जूट, १२ लाख गॉट रई, ४ लाख टन तेल के बीज तथा ७ लाख टन चीनी का उत्पादन बढ़ाने में सफल हो सकेगी।

हमारा आर्थिक जीवन

भारतीय किसान

कुछ काल पहले हम कह सकते थे कि हमारे किसानों की आर्थिक दशा अत्यन्त खराब है। वे श्रृणु में मग्न हैं या खेती ब्यूारी की आमदनी से उनका काम नहीं चलता। परन्तु पिछले दस वर्षों में इस दशा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। पिछले महायुद्ध के पश्चात् से हमारी खेती की उपज की चीजों की कीमत इतनी बढ़ गई है कि हमारे किसानों का भाग्य चमक उठा है और वह साहूकार के श्रृणु के नीचे दबे हुए न रहकर सम्पत्तिशाली बन गये हैं। लड़ाई के पश्चात् चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। यदि सन् १९५० में गेहूँ दस रुपये मन बिकता था, तो आज उसकी कीमत २० रुपये मन से अधिक है। जिन गन्ने को ५० पी० के किसान चार आने मन कीमत पर नहीं बेच सकते थे, आज उसी गन्ने को १६ और २ रुपये मन पर बेचा जाता है। किसी समय गुड़ की कीमत दो रुपये मन थी, आज वही गुड़ २२ रुपये मन बिकता है। धान में इस भारी बढ़ोत्तरी के हो जाने से हमारे किसान माद्यों को सबसे अधिक लाभ हुआ है। इसके अतिरिक्त हमारे प्रान्तों की सरकारें जमींदारी उन्मूलन, ग्राम सुधार योजनाओं तथा ग्राम पञ्चायतों के सगठन के द्वारा उनकी अवस्था में और भी अधिक उत्थिति करने का निरन्तर प्रयत्न कर रही हैं। नये विधान के अन्तर्गत भी हमारे किसान माद्यों को ही वयस्क मताधिकार के द्वारा भारत का भाग्य विधाता बना दिया गया है। वह अपने मत का उचित उपयोग करके अब देश में जिस प्रकार की चाहें, सरकार का निर्माण कर सकते हैं तथा अपनी आर्थिक व सामाजिक उत्थिति के लिए अपने प्रतिनिधियों को विरोध आदेश दे सकते हैं।

परन्तु, हमारे किसानों की आर्थिक अवस्था में यह परिवर्तन शायद ग्यामी न रह सके। कारण, अधिक समय तक खेती की वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हुई न रह सकेंगी। आज भी आने वाली मन्दी के युग के स्पष्ट चिह्न हमें दिखाई देते हैं। क्या उस समय हमारे किसानों की अवस्था फिर एक बार पहले जैसी हो जायगी! इस प्रश्न का उत्तर हमारे कृषकों की वर्तमान काल में बुद्धिमत्ता तथा दूरदर्शिता पर निर्भर है। यदि आज कल जब किसानों की आय अधिक है, उनके पास कुछ धन तथा सम्पत्ति भी इकट्ठा हो गई है, उन्होंने अपने रुपये का उचित उपयोग नहीं किया तथा उसे वर्षों के रीति-रिवाजों, सहजोच्च, उत्सवों व त्यौहारों इत्यादि में लगाया तो भविष्य में उनकी आर्थिक अवस्था ठीक न रह सकेगी। आज हम देखते हैं कि हमारे गाँव के किसान रुपये का हुयी तरह उपयोग कर रहे हैं। हमारे प्रान्त की सरकार ने जो किसानों को भूमिदारी अधिकार प्रदान करने की योजना बनाई थी उसका भी उन्होंने पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठाया। यदि समय रहते हमारे किसानों ने अपनी आय के उचित उपयोग पर ध्यान

नहीं दिया और वह इसी प्रकार अपने धन का उपयोग करते रहे तो यह दिन दूर नहीं जब मन्दी के काल में वे अनुभव करेंगे कि अपने रुपये को लाभकारी उद्योग धर्मों में न लगाकर उन्होंने अपने पैरों स्वयं कुल्हाड़ी मारी है।

भूमिरहित मजदूर—किसानों के अतिरिक्त हमारे देश के गाँवों में जनता की एक और श्रेणी है जिसकी आर्थिक अवस्था आनन्दन भी अधिक अच्छी नहीं है और जिसे लड़ाई के कारण खेती की चीजों का कीमतों में बढोत्तरी होने से कोई लाभ नहीं हुआ है। यह श्रेणी गाँव के भूमिरहित मजदूरों की श्रेणी कहलाती है। यह लोग यद्द-यद्दे किसानों के यहाँ मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। इन्हें वर्ष में केवल तीन या चार महीने के लिए ही रोजगार मिलता है, शेष समय वह बेकार बैठकर ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इन मजदूरों की अवस्था सुधारने के लिए सरकार का चाहिये कि वह गाँवों में छोटे छोटे धरेलू उद्योग धर्मों कायम करे। गाँव के किसान, ली व बच्चे भी इन उद्योग धर्मों में अपने बेकार समय का उपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार अपनी आय बढाकर अपने रहन-सहन के स्तर को ऊँचा कर सकते हैं। हमारी सरकार ने जापान से बहुत सी ऐसी छोटी छोटी मशीनें मँगवाई हैं जो गाँव में लगाई जा सकती हैं और जिनके चलाने के लिए बहुत बड़े सरमाये अथवा टेक्निकल ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। ग्रामीण जनता को शिक्षित बनाने की ओर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। शिक्षित किसान ही खेती के तरीकों में प्रगति कर हमारे देश की अन्न समस्या को सुलभ कर सकते हैं।

भारतीय उद्योग-धर्म

एक समय या जब हमारा देश धरेलू उद्योग धर्मों के क्षेत्र में सभार का सबसे उद्वत देश था। परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राज्य में वह सब नष्ट हो गये। विनाश की बनी हुई सस्ती चीजें हमारे देश में बिकने लगीं और हमारे अपने कारीगर बेकार हो गये। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय प्रमोशनग सङ्घ की स्थापना करके इस दिशा में कुछ परिवर्तन करने का उद्योग किया, परन्तु स्वराज्य प्राप्ति से पहले इस दिशा में अधिक प्रगति न हो सकी। जहाँ तहाँ कुछ गाँवों में छोटे छोटे उद्योग धर्मों आरम्भ किये गये परन्तु आर्थिक कठिनाइयों, मशीनों के अभाव, बिजली की कमी तथा सरकारी सहायता के न मिलने से इस दिशा में अधिक उपलब्धता न हो सकी।

धरेलू उद्योग धर्मों की उत्थति हमारे देश में उस समय से अधिक हो सकता है जब भारत के अधिकतर गाँवों में सस्ती मशीनें तथा बिजला मिलने का प्रबन्ध हो जाय। हमारी सरकार इस समय अनेक नदियों व धारियों के पानी की सहायता से बिजली बनाने की योजनाओं पर कार्य कर रही है। यदि वह योजनाएँ सब कार्यान्वित हो गईं तो

हमारा आर्थिक जीवन

फिर हमारे गाँवों में उसी प्रकार सस्ती बिजली मिल सकेगी जैसे वह जापान, डेनमार्क, ब्रिटेन या यूरोप के बहुत से देशों में मिलती है, और फिर हमारे किसान घर-घर में छोटे छोटे उद्योग-धंधे आरम्भ कर सकेंगे। इन उद्योग-धंधों की उन्नति के लिए सरकार को निम्न और उपाय काम में लाना चाहिये :—

- (१) किसानों की आर्थिक सहायता के लिए जो इस प्रकार के उद्योग-धंधे आरम्भ करना चाहें सस्ते ष्याज पर ऋण का प्रवर्णन।
- (२) विदेशों से ऐसी मशीनों का आयात जो गाँवों में आसानी से लगाई जा सकें और वे पड़े लिखे लोग भी उनका उपयोग कर सकें।
- (३) इन कारखानों में बनी हुई चीजों की देश व विदेशों में विक्री का उचित प्रवर्णन।
- (४) सरकार द्वारा ऐसी अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना जो इन उद्योग धंधों की उन्नति के लिए निरन्तर प्रयत्न करती रहें।

बड़े उद्योग धंधे

हमारे देश में बड़े-बड़े उद्योग धंधे पिछले ८० वर्षों में ही स्थापित हुए हैं। इस समय हमारे देश में लगभग १०,००० ऐसे बड़े-बड़े कारखाने हैं जिनमें २० से अधिक मजदूर काम करते हैं तथा जिनमें 'पावर' का प्रयोग होता है। इन उद्योग धंधों में लगभग ४२८ रुपये की मिलें हैं जिन पर लकाई के पहले की कीमतों के हिसाब से ४० करोड़ से अधिक रुपया लगा हुआ है तथा जिनमें ४ लाख से अधिक मजदूर काम करते हैं; १०४ जूट मिलें हैं जिनमें ३ लाख से अधिक मजदूर काम करते हैं; ७ लोहे और इस्पात की मिलें हैं। इन कारखानों में सबसे बड़ा टाटानगर का कारखाना है। चीनी के कारखानों की संख्या हमारे देश में १३४ है, जिनमें सब मिला कर, लगभग १४ लाख टन चीनी पैदा की जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में लगभग १६ कागज की मिलें, कुछ रबड़, आस्टिक, सिल्लू, बेजिट्टेबिल घी, चाय, ऊन, सीमेंट, दियासलाई, कैमिकल, तेजाब, शिडियो व दवाइयों के कारखाने हैं तथा अनेक छोटे-छोटे चावल, तेल, दाल, कोल्हू, टलाई, रई के कारखाने तथा इंजीनियरिंग वर्क शॉप इत्यादि हैं।

पिछली लकाई के काल में हमारे देश में अनेक और कारखाने तथा उद्योग-धंधे खोले गये। इनमें हवाई जहाज, समुद्री जहाज, मोटर, वाइकिंगल, तेजाब, बिजली का सामान, कैमिकल, दवाइयों, छोटी मशीनें, स्टेशनरी का सामान, बटन, ट्यूब, टायर, इत्यादि बनाये जाते थे। लकाई के पश्चात् इनमें से बहुत से छोटे छोटे कारखाने बन्द होने लगे हैं, कारण वह विदेशों से आने वाली सस्ती चीजों का मुकाबिला नहीं कर सकते और उन्हें सरकार की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती।

यदि उपरोक्त शौकियों की ओर ध्यान दिया जाय तो सिद्ध होगा कि हमारे देश में

उद्योग-धर्मों की संख्या बहुत कम है। भारत जैसे देश के लिए जिसकी जनसंख्या चीन को छोड़ कर सभ्यता के और सभी देशों से अधिक है तथा जहाँ के प्राकृतिक साधन सबसे ज्यादा हैं, उद्योग-धर्मों के क्षेत्र में हमारे देश का पीछे रहना कुछ युच्युक्त मालूम नहीं पड़ता। परन्तु फिर भी यदि हमारे देश का औद्योगिकरण कम हो पाया है तो इसके निम्न कारण हैं :—

- (१) अगस्त, १९४७ से पहले हमारे देश की गुलामी, जिस काल में श्रेष्ठियों की सदा यह नीति रही है कि हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में अधिक उन्नति न करे और इंग्लैंड तथा यूरोप के देशों को बचा मान ही भेजता रहे।
- (२) देश में टेक्निकल शिक्षा सरपाठ्यों तथा अनुभवहीन होशियार कारीगरों की कमी।
- (३) कारखानों को चलाने के लिए बिजली व दृश्य शक्ति के साधनों की भारी कमी।
- (४) मशीन बनाने के कारखानों का अभाव तथा इस क्षेत्र में हमारी दूसरे देशों पर पूर्ण निर्भरता।
- (५) बुनियादी कारखानों (Basic Industries) की कमी जिन पर किसी देश का औद्योगिकरण निर्भर होता है।
- (६) मूल धन की कमी तथा उसका ऐसे व्यक्तियों के हाथ में समाव जिनमें औद्योगिक उत्साह की भारी कमी है।

इन सब कमियों के होते हुए भी पिछले महायुद्ध के काल में तथा उसके कुछ समय पश्चात् तक हमारे देश में अनेक नये कारखाने खोले गये तथा सैकड़ों लिमिटेड कम्पनियों नये नये काम आरम्भ करने के लिए सगठित की गईं। परन्तु इसके पश्चात् हमारे देश में कुछ ऐसा घटनाएँ पड़ीं जिनके कारण या तो कारखानों में रुखा लगाने घाती बनता का निश्वास कम हो गया या ऐसे बहुत से लोग पाकिस्तान बनने या उसके पश्चान होने वाले उम्ब्रों के कारण, बिल्कुल बरबाद हो गये। इसलिए पिछले वर्षों में कोई बड़ा कारखाना, नैद, पीमा कम्पनी अथवा कोई और उद्योग-धर्म, जनता की ओर से धायम नहीं हो सका है। आज हमारे वर्तमान उद्योग-धर्मों की अवस्था भी अधिक अच्छी नहीं है। कारखानों तथा कम्पनियों के हिस्सों के दाम बराबर गिरते जा रहे हैं। मध्यम श्रेणी के लोगों को इस मन्दी के कारण भारी हानि का सामना करना पड़ा है। अनुमान लगाया गया है कि शेयर बाजार में मन्दी के कारण जनता को १२०००० करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। बहुत से परिवारों की तो वर्षों की सम्पूर्ण वृत्त पर पानी फिर गया है और अब वह नये कारखानों में एक पैसा लगाने से भी डरते हैं। सक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस दुःखारण के निम्न कारण हैं :—

- (१) पंजाब तथा सिंध के हिन्दुओं का आर्थिक विनाश,

हमारा आर्थिक जीवन

- (२) बर्मीदारों तथा राजाश्रों का उन्मूलन,
 (३) हमारी राष्ट्रीय सरकार की श्रव्यावहारिक आर्थिक नीति,
 (४) सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण की नीति की घोषणा,
 (५) विदेशी व्यापार के क्षेत्र में सरकार की निरिच्छत नीति का अभाव,
 (६) इन्कम टैक्स ऑफ कमेटी की नियुक्ति और उसके द्वारा अनेक उद्योगपतियों के विस्तृत हिसाब किताबों की जाँच,
 (७) बाजार में चोर बाजार रुपये की अधिकता और उसको देश के औद्योगीकरण में प्रयोग करने की नाति का अभाव,
 (८) मजदूरों द्वारा हड़ताल तथा वेतन में बढ़ोतरी का आंदोलन,
 (९) सकारी खर्चों में भारी देलाव तथा उसके पूरा करने के लिए नये-नये टैक्सों तथा करों की वसूली और जनता का शोषण,
 (१०) चीनों की कीमतों में बढ़ोतरी और उसके कारण साधारण जनता द्वारा कराया बजाने में असमर्थता।

अब कुछ काल से सरकार इन सभी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न कर रही है।
 पिछले दिनों, वित्त विभाग द्वारा इस बात की घोषणा की गई थी कि चोर बाजार की
 कमाई पर जुर्माना न किया जायगा। इस घोषणा के फलस्वरूप लगभग १०० करोड़
 रुपये की आय मूलधन में सम्मिलित कर ली गई, और अब इस धन की सहायता से
 नये उद्योग-धन्धे आरम्भ हो सकेंगे।

पत्र-बर्षीय योजना के अर्धीन सरकार ने १०१ करोड़ रुपये के धन से मशीन, पावर,
 आलकोहल, अलमूनियम, रिमैड, खाद इत्यादि उद्योगों को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम
 पनाया है। इसके अतिरिक्त उसने उद्योगपतियों से प्रार्थना की है कि वह जनता की
 खराब की बस्तुएँ उत्पन्न करने के लिए अरनी और से कारखाने खोलें। विदेशी कम्पनियों
 को भी भारतवर्ष में बरया लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अभी हाल ही में
 थर्मा रीन कम्पनी तथा बालटेक्स कम्पनी ने निर्णय किया है कि वह दो बड़े तेल शोधक
 कारखाने (Oil Refineries) भारत में खोलेंगी। पुराने कारखानों की उत्पत्ति में
 हमारे देश में निरन्तर बढ़ती जा रही है। उनमें नई मशीनों का प्रयोग होने लगा है।
 इसलिए आशा है कि बहुत शीघ्र ही हमारे देश के उद्योग धन्धों की अवस्था बहुत
 अच्छी हो जायगी।

भारतीय मजदूरों की समस्या

विदेशी देश के उद्योगीकरण में मजदूरों का भारी हाथ होता है। वैसे तो हमारे देश
 में मजदूरों की कोई कमी नहीं; ३३ करोड़ की जनसंख्या से हम जितने चाहे कारखानों

में काम करने के लिए मजदूरों की भर्ती कर सकते हैं। परन्तु हमारे कारखानों में काम करने वाले मजदूर, अशिक्षितता तथा निर्धनता के कारण, अपने काम में इतने कुशल नहीं होते जितने दूसरे देशों के कामगार। पड़े-लिखे टेक्निकल शिक्षा प्राप्त मजदूरों की भी हमारे देश में भारी कमी है। यही कारण है कि बड़े-बड़े कारखानों को चलाने के लिए हमें भारी वेतन पर दूसरे देशों से कार्यगार तथा इजीनियर काम करने के लिए बुलाने पड़ते हैं। एक दूसरी विशेषता हमारे देश के मजदूरों में यह है कि वह जन कर कारखानों में काम नहीं करते। वहाँ कुछ पैसा कमा लिया कि सब गाँवों की लीजों की ही सोचते हैं। इसके हमारे देश में एक स्याही पेशेवर मजदूरों की श्रेणी का निर्माण नहीं हो पाता।

बुद्ध काल पहले हमारे कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की बहुत दुर्घटना थी। वह १४ और १६ घंटे तक प्रति दिन काम करते थे। छियों तथा बच्चों को बहुत कम वेतन पर, अत्यन्त गन्दे वातावरण में, काम करने के लिए नौकर रक्ना जाता था। उन्हें छुट्टियाँ नहीं दी जाती थीं। उनके आराम तथा सुनिश्चि का किसी प्रकार का विचार नहीं रक्ता जाता था। उनके रहने के लिए स्वच्छ मकान नहीं दिये जाते थे और उन्हें नगर के सबसे गन्दे भाग में, एक-एक कोठरी में बीस-बीस आदिमियों के साथ रह कर, जीवन व्यतीत करना पड़ता था।

परन्तु अहरेबी के काल में ही सन् १८८१ के परचात् इस दशा में सुधार होने लगा और भारत सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाये जिनके द्वारा मजदूरों को तरह-तरह की सुविधाएँ प्राप्त होने लगीं। पहला कानून सन् १८८१ में पास किया गया जिसके द्वारा मजदूरों के काम के घंटे १४ नियत कर दिये गये। इसके परचात् सन् १८८१, १९१२, १९२२, १९२६, १९३४ तथा फिर १९४८ में और कानून पास किये गये। अन्तिम कानून में मजदूरों के काम करने के घंटे सत्राह में ४८ और एक दिन में अधिक से अधिक ६ निश्चित किये गये हैं। १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम पर लगाने की मनाही कर दी गई है। छियों भी कुछ विशेष सुविधाओं का अधिन कार्य कर सकती हैं। मजदूरों के बीमे, बालाना तरफी तथा छुट्टियों का प्रबन्ध भी किया गया है।

दुर्भाग्यवश हमारे कारखानों में काम करने वाले मजदूर राजनीतिक दलों की महत्त्वाकांक्षाओं के शिकार बन गये हैं। कांग्रेस, समाजवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी, धरवर्द्ध न्नाद—सभी मजदूरों की संस्थाओं पर अधिकार बनाना चाहते हैं। इसका कारण यही है कि मजदूरों की संख्या बड़े-बड़े नगरों में बहुत अधिक होती है और जिस राजनीतिक दल का भी उन पर प्रभाव सर्वोपरि हो जाता है, उसी दल की राजनीतिक क्षेत्रों में प्रधानता मिलती है। आबकल अखिल भारतीय दृष्टि से मजदूरों की चार संस्थाएँ

हमारा आर्थिक जीवन

हैं। इनके नाम हैं, आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन फिडरेशन आफ लेबर, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा हिंदू मजदूर पञ्चायत। इन संस्थाओं में से पहली संस्था पर कम्प्यूनिस्म का अधिकार है, दूसरी पर श्री ऐम० ऐन० राय की पार्टी का, तीसरी पर कांग्रेस का तथा चौथी पर समाजवादी दल का। इनमें से कम्प्यूनिस्म द्वारा अधिकारप्राप्त संस्थाएँ मजदूरों को सदा हड़ताल तथा तोड़ फोड़ की नीति का अवलम्बन करने के लिए मजबूत रहती हैं। इन संस्थाओं ने देश की आर्थिक स्थिति को और भी विपन्न बना दिया है और उन्होंने राष्ट्र के औद्योगिकरण को भारी ठेस पहुँचाई है। मजदूरों को चाहिये कि वह अपने नेता अपने में से स्वयं चुनें और राजनीतिक दलों के प्रभाव से बचे रहें। तभी हमारे देश में एक वास्तविक ट्रेड यूनियन आन्दोलन की नींव पड़ सकती है।

मजदूरों की दशा में सुधार का कार्य विरोधकर मजदूर संस्थाओं के आन्दोलन के फलस्वरूप हुआ है। आज हमारे देश में ऐसी संस्थाओं की संख्या १००० से अधिक है। ट्रेड यूनियन ऐक्ट के मातहत ऐसी सब संस्थाओं को सरकार के यहाँ रजिस्ट्री करानी पड़ती है। सब मजदूर संस्थाओं के सदस्यों की संख्या १४ लाख है। वैसे कुल मिला कर हमारे कारखानों में २२ लाख मजदूर काम करते हैं। इस संख्या में केवल वही मजदूर शामिल हैं जो ऐसे कारखानों में काम करते हैं जिन पर वैकरीज ऐक्ट लागू होता है, अर्थात् वह कारखाने जिनमें 'पावर' का प्रयोग होता है तथा जिनमें १० मजदूरों से अधिक काम करते हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारी राष्ट्रीय सरकार ने मजदूरों की दशा सुधारने के लिए अनेक योजनाएँ बनाई हैं। मजदूरों के 'सामाजिक बीमे' तथा रहने के लिए सुन्दर हवादार मकान बनाने की योजनाओं पर इस समय देश के कुछ नगरों जैसे कानपुर तथा देहली में कार्य हो रहा है।

व्यापार और तिजारत

हमारे देश की जनसंख्या तथा उद्योग आकार देखते हुए, हमारे वैदेशिक तथा आन्तरिक व्यापार की मात्रा बहुत कम है। इसका मुख्य कारण हमारे देश की गरीबी है। हमारी अधिकतर जनता की इतनी आय नहीं है कि वह रोगी कपड़े के अतिरिक्त आराम तथा विलासिता की सामग्री पर अपनी गाढ़ी कमाई का कोई भाग व्यय कर सके। हमारे देश के वैदेशिक व्यापार का कुल मूल्य लगभग ६०० करोड़ रुपया है। अमरीका के कुल व्यापार का यह दसवाँ भाग भी नहीं। इस व्यापार में हमारे देश से बाहर जाने वाली वस्तुओं का मूल्य लगभग ३२० करोड़ रुपया तथा देश के अन्दर आने वाली वस्तुओं का मूल्य लगभग २८० करोड़ रुपया रहता है। भारत सदा से ही विदेशी व्यापार के क्षेत्र में दूसरे देशों का साहूकार रहा है, परन्तु युद्ध के पश्चात् हमारे देश की

भारतवर्ष में बेकारी की समस्या

बेकारी की समस्या हमारे देश में सदा से ही उग्र रूप धारण किये हुए है। विद्युत् महायुद्ध के काल में सैनिक मर्तों, युद्ध पर व्यय, नये-नये कारखानों तथा उद्योग घन्थों की स्थापना, सरकारी दफ्तरों में बढ़ोत्तरी तथा जगह-जगह सैनिक इमारतों, हवाई अड्डों, इत्यादि के बनने के कारण यह समस्या कुछ हल सी हो गई थी। गाँवों तथा नगरों में बेकारी की संख्या बहुत कम रह गई थी और अधिकतर लोग किसी न किसी लाभदायक काम में जुट गये थे। परन्तु युद्ध के पश्चात् यह समस्या फिर एक बार अपने विक्रमाल रूप में देश के सम्मुख आ खड़ी हुई। सरकारी दफ्तरों में छूटनी आरम्भ हो गई है। युद्ध के समय सरकारी ठेकों के कारण जो छोटे छोटे कारखाने खोले गये थे वे बन्द हो चुके हैं। दूसरे कारखानों में मन्दी के कारण व्यापार में अत्यन्त शिथिलता आ गई है। केवल गाँवों में भूमि की उपज की वस्तुओं के मूल्य में विशेष कमी न आने के कारण रोजगार की स्थिति पूर्वतः बनी हुई है। परन्तु वहाँ पर भी यह दशा अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकती, कारण हम देखते हैं कि आर्थिक संकट के बादल चारों ओर मँडरा रहे हैं। हमारी बेकारी की समस्या के मुख्य रूप से पाँच अंग हैं :—(१) गाँवों में किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों की वर्ष में छे मास से अधिक काल के लिए बेकारी की समस्या, (२) छोटे-छोटे कारीगरों तथा घरेलू उद्योग-घन्थों में काम करने वाले मजदूरों की बेकारी की समस्या; (३) शहरों में बड़े बड़े कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की बेकारी की समस्या; (४) पढ़े लिखे नवयुवकों की बेकारी की समस्या और (५) नगरों में रहने वाले मध्यम श्रेणी के छोटे व्यापारी, दूकानदारों, जमींदारों, तथा साहकारों की बेकारी की समस्या।

विद्युत् महायुद्ध से पहले हमारी बेकारी की समस्या के केवल यह पाँच पहलू थे परन्तु विद्युत् महायुद्ध ने हमारे देश के मध्यम श्रेणी के लोगों को भी बेकार कर दिया।

किसानों की बेकारी की समस्या

हमारे देश की बेकारी की प्रथम समस्या, जैसा इस अध्याय में पहले भी बताया जा चुका है, केवल उस समय हल हो सकती है जब हमारे गाँव में छोटे छोटे उद्योग घन्थे खोल दिये जायें। परन्तु इन घन्थों की सफलता के लिए आवश्यक है कि सर्व प्रथम गाँवों में सस्ती बिजली का प्रबन्ध किया जाय और घरेलू उद्योग घन्थों में बनी हुई चीजों की बिक्री का समुचित प्रबन्ध हो।

कारिगरों की बेकारी की समस्या

छोटे कारिगरों तथा बलाकरी जैसे, बदर्ज, बुलाहे, खिलौने, चित्र, लकड़ी या फँसी सामान, काँच की चीजें, फर्नीचर तथा इसी प्रकार की कारिगरी-गी चीजें बनाने वाले लोगों की बेकारी की समस्या इतनी विकट नहीं है जितनी दूसरी श्रेणी के मजदूरों

के समुदाय उपस्थित हुई है। युद्ध के काल में हमारे देश की सरकार को अनेक कंट्रोल, परमिट तथा राशन सम्बन्धी कानून बनाने पड़े। इनसे देश में व्यापारिक स्वतन्त्रता का नाश हो गया और माल के आने-जाने, ऋण विक्रय, आयात निर्यात पर तरह तरह की रोक लगा दी गई। इन सब कानूनों का यह परिणाम हुआ कि अनेक कपड़े, अनाज तथा दूसरी वस्तुओं के व्यापारी बेमार हो गये। इधर गाँवों में जमींदार उजड़ गये और शहरों में किराया सम्बन्धी कानून पास होने से जायदाद के मालिकों को किराये की आमदनी कम हो गई। लड़ाई के पश्चात् जनता को आशा थी कि वस्तुओं की कीमतें स्वतः ही गिर जायेंगी और सरकार द्वारा कंट्रोल हटा लिया जायेगा। परन्तु युद्ध के पश्चात् देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई और दिन प्रति दिन कम में आने वाली वस्तुओं की कीमतों में कमी होने के स्थान पर उल्टे बढ़ोत्तरी हो गई। कल यह हुआ कि सरकार की कंट्रोल कायम रखने पड़े। इधर महागाई के कारण मध्यम श्रेणी के लोगों का खर्चा पहले से बहुत अधिक बढ़ गया और किसी प्रकार का व्यापार न होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त वितापजनक हो गई। आज परिस्थिति यह है कि हमारे समाज में मध्यम श्रेणी के लोगों का प्रायः खोना सा होता जा रहा है। इस श्रेणी के लोग जो सरकारी व दूसरी नौकरियाँ करते हैं, उनकी दशा भी अच्छी नहीं है; कारण यह बढ़ती हुई महँगाई उनसे रहने सहने के स्तर को निरंतर नीचे की ओर टूटने लगी है। आज इस श्रेणी के लोग जिन पर समाज की नींव कायम है—उन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं न एक स्वास्थ्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने के लिए घर में भोजन समझो ही जुग सकते हैं न अपनी स्थिति के अनुसार राश्ट्रीयता, उत्सव व त्यौहार पर दिल खोलकर खर्चा ही खर्च कर सकते हैं। अनुमान लगाया गया है कि ६० प्रतिशत से अधिक ऐसे लोग आबकाली श्रेणी में गये हैं और उनकी दशा गँव के किसानों तथा शहर में काम करने वाले मजदूरों से भी बदतर है। इस श्रेणी के लोगों की आवश्यकता में केवल उस समय सुधार हो सकता है जब मुद्रा स्थिति दूर हो, चीनों की कीमतें घटें, कंट्रोल हटा लिया जाय तथा व्यापार के क्षेत्र में फिर एक बार स्वतन्त्रता का वातावरण निर्माण हो जाय।

भारत में गरीबी

इस अध्याय में हमने भारत की जिस आर्थिक स्थिति का विवरण दिया है उससे स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे देश की अधिकतर जनता कच्ची गरीब है तथा उसे दो समय भरपेट भोजन भी क्यों नहीं उपलब्ध होता! फिर भी संक्षेप में हम यहाँ दस दस कारणों को दोहरा देना उचित समझते हैं जिससे भारतीयता तथा हमारे राष्ट्रीय सरकार उन कारणों को दूर करने तथा हमारे देश में एक अच्छे आर्थिक लोचतन्त्र की स्थापना के लिए कार्य कर सकें। हमें यह बहने की आवश्यकता नहीं कि किसी भी देश

की जनता के लिए स्वतंत्रता का उस समय तक कोई मूल्य नहीं होता जब तक उस देश की मूल्य और ध्वास से पीड़ित जनता की रोजी की समस्या का हल नहीं निकलता। हमारी गरीबी के सच्चे में निम्न कारण हैं :—

- (१) देश की ७५ प्रतिशत से अधिक जनता का कृषि पर निर्भर होना।
- (२) कृषि का आधुनिक उपायों की अपेक्षा पुराने ढंग से किया जाना।
- (३) देश में अधिक उद्योग घघों तथा बड़े-बड़े हुनियादी कारखानों की कमी।
- (४) अनेक उद्योग घघों पर विदेशियों का प्रभुत्व।
- (५) जनसंख्या में प्रति वर्ष ५० लाख से भी अधिक बढ़ोत्तरी का हो जाना।
- (६) सरकार की आर्थिक नीति की अनिश्चितता।
- (७) हमारे शासकों का ध्वास, उद्योग तथा उत्पत्ति के क्षेत्र में अनुभव हीन होना।
- (८) जनता की अशिक्षितता
- (९) देश में औद्योगिक शिक्षा तथा टेक्निकल संस्थाओं की कमी।
- (१०) राष्ट्रीय आय का अनुचित विभाजन।
- (११) जनता द्वारा अर्थशास्त्र के नियमों की अनभिज्ञता।
- (१२) व्यय के रीति रिवाज, शादी विवाह, सहभोज, इत्यादि पर जनता का अनुचित व्यय।

इन सब कारणों को दूर करने से ही हम अपने देश की आर्थिक समस्याओं को हल कर सकते हैं तथा भारत में एक सच्चे आर्थिक लोकतंत्र को जन्म दे सकते हैं।

योग्यता प्रश्न

१. भारतीय किसानों की गरीबी के क्या कारण हैं ? उनकी अवस्था कैसे सुधारी जा सकती है ? (यू० पी० १९४०, ४३, ५२)
२. भारत में बेकारी के क्या कारण हैं ? इस दरजा में कैसे सुधार किया जा सकता है ? (यू० पी० १९४१)
३. पढ़े-लिखे नवयुवकों तथा मध्यम धेरी के लोगों में बेकारी के क्या कारण हैं ? यह कैसे दूर किया जा सकता है ? (यू० पी० १९३७)
४. भारत में ग्राम्य जीवन को अधिक सुधी और समृद्ध बनाने के लिए आय क्या करेंगे ? (यू० पी० १९३७, ४१, ४२, ५१)
५. भारतनर्द के गरीबी के क्या कारण हैं ? यह कैसे दूर किया जा सकता है ?
६. देश में खाद्य सामग्री की वर्तमान कमी के क्या कारण हैं ? आय बतार्ये किससे देश स्वयं इसी कमी को पूरा कर सके ? (यू० पी० १९५३)
७. जमींदारी सन्मूलन और सहकारी सत्त समितियों पर सद्धिन चिन्नी लिखिये। (यू० पी० १९५३)

भारत और संयुक्तराष्ट्र संघ

हमारा धर्म परायण देश सदा से ही सारे विश्व को अपने एक वृहद् परिवार का अन्न मानता चला आ रहा है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' यही हमारे धर्म शास्त्रों में प्रतिपादित सबसे महान् आदर्श है। समस्त मानव समाज को एक रूप समझना तथा पृथ्वी के सभी प्राणियों की सेवा-सुश्रूषा करना हमारे धर्म ग्रन्थों की दीक्षा का निचोड़ है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी अपने संपूर्ण जीवन में यही सिद्धान्त जनता के समुल्ल रक्खा। उन्होंने बताया कि सत्कार में सत्य, अहिंसा, आतृभाव एवं न्याय के सिद्धान्तों का प्रचार करना सबसे महान् जन सेवा का कार्य है। वह उत्कृष्ट राष्ट्रीयता की भावना के घोर विरोधी थे। उनके जीवन का ध्येय था सत्कार में सत्य एवं अहिंसा के सिद्धान्तों पर चल कर विश्व शान्ति कायम करना तथा समस्त मानव समाज को अटूट प्रेम के बंधन में बाँध कर एक विश्व-सरकार निर्माण करना। यही कारण है कि सदा से ही हमारे देश ने उन सभी योजनाओं में सहयोग प्रदान किया है जो योजनाएँ विश्व एवं एक शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठन बनाने के लिए समय समय पर बनाई गई हैं।

भारत का संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्य में योगदान जिस समय सन् १९१४-१८ के महायुद्ध के पश्चात् सत्कार में राष्ट्रसङ्घ (लीग ऑफ नेशन्स) की स्थापना की गई तो परतन्त्रता की अवस्था में भी भारतवर्ष ने उस संस्था के कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इसके पश्चात् जब अक्तूबर सन् १९४५ में एक दूसरे संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था की गई तो हमारा देश उस संस्था के जन्मदाताओं में सब से अग्रगण्य था। आज हमारा देश उन छोड़े से देशों में से एक है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में पूर्णतया विश्वास करते हैं तथा उसकी सफलता के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं। विश्व शान्ति के क्षेत्र में हमारे देश का योगदान किसी से कम नहीं है। हमारे देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ के दो विराधी दलों के बीच की खाई को पाटने का सदा प्रयत्न किया है। उसने कभी एक शक्ति के साथ मिल कर सत्य तथा न्याय के मार्ग का पारत्याग नहीं किया। वह दोनों दलों से ऊपर उठ कर कार्य करता रहा है। उसकी सबसे बड़ी नैतिक शक्ति तटस्थता की नीति का अवलंबन करने में रही है। आज सब संसार के सभी महान् देश दो परस्पर विरोधी दलों में बँटे हुए हैं और संसार की शान्ति एक घुन के बारीक घाघे के साथ लटक रही है तो भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिस

पर विश्व की शान्त एवं पीड़ित जनता को आँसों में गहरी हँस है और यह आशा कर रही है कि शान्त गांधी और बुद्ध का यह महान् देश विश्व की शान्ति की रक्षा करने में सफल हो सके।

हमारे देश के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकों में सबसे महत्वपूर्ण माग लिया है। हमारे देश की समस्त शक्ति सदा उन राष्ट्रों का साथ देती रही है जो साम्रज्यवादी ताकतों के बुझों का शिकार रहे हैं। हमारे प्रतिनिधियों की विद्वता, गुरु गुरु एव काम करने की शक्ति को सभी ने सराहा है। ये अनेक बार जटिल प्रश्नों को हल करने वाली समितियों के सदस्य और अध्यक्ष रहे हैं। इस सम्बन्ध में आर्थिक और सामाजिक परिषद् के अध्यक्ष श्री रामस्वामी मुदालिपर, कोरिया कमीशन के अध्यक्ष श्री के० पी० एस० मेनन, यूनेस्को की कार्यकारी के प्रधान डा० सर्वरत्नो राधाकृष्णन, प्राकृतिक विज्ञान शाखा के अध्यक्ष डा० माता, विश्व स्वास्थ्य सङ्घटन की प्रधाना राधाकृष्णनी अमृत और तथा अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सङ्घ के प्रधान श्री जगजीवन राम के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। अगुनन समिति में डा० बी० एन० राव तथा संरक्षित प्रदेशों की समिति में शिराम के नाम की भी सभी ने सराहना की है। इसके अतिरिक्त भारत के प्रश्नों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानवी अधिकारों और मूल स्वतन्त्रता वाली धारणा जोड़ा गई है। हमारे प्रतिनिधियों ने फ्रांसिस स्टेन को संयुक्त राष्ट्र सङ्घ का सदस्य बनने से बहुत समय तक रोका है। दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका हमारे प्रतिनिधियों की सवगता के कारण ही अफ्रीका द्वारा हटाय लिये जाने से बचा। संयुक्त राष्ट्र, हिंदेशिया एव इटली के पुराने उगनिवेशों को स्वतन्त्रता दिलाने में भी हमारे प्रतिनिधियों का भाग सबसे अधिक रहा है। हिंदेशिया के प्रश्न को लेकर हमारे देश ने ही सबसे पहले आन्दोलन किया था। विद्वहे हुए प्रदेशों के हितों का सबसे बड़ा प्रहरी हमारा देश ही रहा है। रगी हुई जातियों के ऊपर किये जाने वाले अत्याचार के विरुद्ध भी हमारे देश ने ही सबसे पहले कदम उठाया है। अफ्रीका में रंगभेद की नीति के विरुद्ध जेहाद करने में भी हमारे ही प्रतिनिधि सबसे आगे रहे हैं। कोरिया के युद्ध में संयुक्त राष्ट्रीय सेनाएँ ३८ अज्ञाय से आगे न बढ़ें, और चीन की जन-सरकार को मान्यता दी जाय, यह मुझसे भी हमारे ही सरकार ने प्रस्ताव किये और इनसे विश्व युद्ध का खतरा कम होने में भागी सहायता मिली है। कोरिया में युद्ध बंदी हो जाने का मुख्य श्रेय भी भारत को ही आया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के छोटे से जीवन में हमारे देश के प्रतिनिधियों ने समुचित माग लिया है।

यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था के सम्बन्ध में सक्षित विवरण देना अनुचित न

भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ

होगा। प्रश्न उठता है कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ क्या है, वह क्या करता है तथा उसके कार्य करने का क्या तरीका है ?

संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है ?

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वह संस्था है जो संसार के देशों में युद्ध की भावना का अन्त करने तथा विश्व में एक ऐसी अद्भूत शांति की स्थापना करने के लिए बनाई गई है जिसका आधार मानव अधिकारों की रक्षा, राष्ट्रों का आत्म-निर्णय का सिद्धान्त तथा सत्तार के देशों का आपस में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गठबंधन होगा।

इस संस्था का जन्म उस समय हुआ जब विश्वले महायुद्ध के काल में साथी राष्ट्रों की सरकारों ने इम्बार्टन ओथ्स के एक सम्मेलन में यह निश्चय किया कि संसार के शांतिप्रिय देशों के पारस्परिक सहयोग को स्थायी रूप देने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता है। इसके पश्चात् सैनफ्रांसिस्को में २५ अप्रैल से २६ जून १९४५ तक दुनियाँ के राष्ट्रों की एक सभा हुई। इस सभा में ५० राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने २६ जून १९४५ को संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिये और इसके पश्चात् २४ अक्टूबर सन् १९४५ को इस संस्था ने नियमित रूप से कार्य करना आरम्भ कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के उद्देश्य

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की संस्था को जन्म देने में उसके प्रवर्तकों ने सदा उन कठिनाइयों को धरने सम्मुख रखा जिनके कारण प्रथम राष्ट्र सङ्घ की संस्था असफल सिद्ध हुई थी। उन्होंने इस संस्था को एक स्थायी रूप दिया तथा इसे वास्तविक शक्ति प्रदान करने के लिए इसकी सुरक्षा परिषद् को अनेक अधिकार सौंपे। इस संस्था के जन्मदाताओं ने सत्तार के देशों से उन सामाजिक एवं आर्थिक मतभेदों को मिटाने का भी प्रयत्न किया जिनके कारण विश्व शांति को खतरा पहुँचता है। संक्षेप में हम संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सिद्धान्तों का वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं—

१. सब राष्ट्र सदस्य सार्वभौम शक्ति-सम्पन्न और समान हैं।
२. सब राष्ट्र चार्टर के अनुसार अपने कर्तव्यों का सद्भावना से पालन करने के लिए बचनबद्ध हैं।
३. सब राष्ट्र अपने झगड़ों का शांतिमय तरीके से इस प्रकार फैसला करने के लिए बचनबद्ध हैं जिससे किसी प्रकार शांति, सुरक्षा और न्याय के भङ्ग होने का नप न हो।
४. अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में कोई राष्ट्र-सदस्य किसी प्रवेश या किसी देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध न शक्ति का प्रयोग करेगा और न उसको धमकी देगा और न ऐसा आचरण करेगा जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के विपरीत हो।
५. जब चार्टर के अनुसार संयुक्त-राष्ट्र कोई कार्रवाई करेगा, तो सब राष्ट्र सदस्य उसे सब प्रकार की सहायता देने के लिए बचनबद्ध हैं और वे किसी ऐसे देश को

सहायता नहीं देंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र शान्ति और सुरक्षा के लिए कोई कार्रवाई कर रहा हो।

६. शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए जहाँ तक आवश्यक होगा, यह सस्था व्यवस्था करेगी कि जो देश सदस्य नहीं हैं, वे भी चार्टर के सिद्धान्तों के अनुसार आचरण करेंगे।

७. शान्ति रक्षा के लिए जब तक आवश्यक न होगा, संयुक्त राष्ट्र उन माननों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जो किसी देश के आंतरिक कार्य-क्षेत्र में आते हैं।

सुरक्षा राष्ट्र संघ का संगठन

संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य वह सभी शान्तिप्रिय देश हो सकते हैं जो उसके सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं तथा जो चार्टर में निर्धारित अरने कर्तव्यों को पूरा करने का वचन दें। आनकल इस सस्था के ६२ सदस्य हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के ६ प्रमुख विभाग हैं :—

१. साधारण सभा (General Assembly)—इस सभा में सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि रहते हैं। हर एक राष्ट्र पाँच प्रतिनिधि तक भेज सकता है यद्यपि उन सब की एक ही राय मानी जाती है। इस सभा में चार्टर में बताये गये प्रत्येक विषय पर विचार हो सकता है। दूसरे सभी विभाग इस सभा के सम्मुख अपनी-अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। यह सभा उनके कर्तव्य और अधिकारों के बारे में भी विचार करती है। नये सदस्यों के चुनाव तथा सचिवालय के प्रधान सचिव (सेक्रेटरी जनरल) के सम्मुख में यह सभा अपनी विचारिश सुरक्षा परिषद् के सम्मुख रखती है। बजट का निश्चय भी यही सभा करती है। इसके निर्णय साधारणतया बहुमत से लिये जाते हैं।

२. सुरक्षा परिषद् (Security Council)—सुरक्षा परिषद् के कुल ११ सदस्य होते हैं, जिनमें से ५ सदस्य स्थायी हैं तथा ६ सदस्य साधारण सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। सदस्य राष्ट्रों में शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था करना इस परिषद् का मुख्य काम है। अरने कर्तव्य पालन में सुरक्षा परिषद् सदस्य राष्ट्रों की ओर से कार्य करती है, जिन्होंने इसके निर्णय को मानना और उनका पालन करना स्वीकार कर लिया है।

परिषद् के पाँच स्थायी सदस्य ये हैं :—चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अस्थायी सदस्य दो वर्ष के लिए साधारण सभा द्वारा चुने जाते हैं।

सुरक्षा परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। कार्रक्रम सम्बन्धी निर्णयों का निर्णय ११ सदस्यों में से ७ सदस्यों के बहुमत से हो सकता है। मूल विषयों के सम्मुख में भी निर्णय के लिए ७ मतों की ही आवश्यकता होती है। लेकिन इनमें से पाँच

स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी है। यह सिद्धान्त महान् शक्ति (ग्रेट पावर) की एकता का सिद्धान्त कहा जाता है। इसे निर्णायक मत (वीटो) का अधिकार भी कहते हैं। जब परिषद् किसी विवाद में शान्तिपूर्वक समझौते की कोशिश करती है तो कोई सम्बन्धित देश इसमें वोट नहीं दे सकता।

शांति व्यवस्था के लिए लगातार सावधानी जरूरी है और इसलिए संयुक्तराष्ट्र संघ के विधान में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद् एक स्थायी संस्था होगी और इसकी बैठक पलवाड़े में कम से कम एक बार अवश्य होगी। यदि परिषद् चाहे तो इसकी बैठक मुख्य कार्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी हो सकती है।

सुरक्षा परिषद् किसी भी ऐसे विवाद की जाँच कर सकती है, जिससे दो या अधिक देशों के बीच आपसी संपर्क बढ़ने की सम्भावना हो। ऐसे विवाद या स्थिति की सूचना परिषद् को इसके सदस्य, सदस्य राष्ट्र, साधारण सभा अथवा प्रधान सचिव (सेक्रेटरी जनरल) दे सकते हैं। कुछ हालतों में यह सूचना वह राष्ट्र भी दे सकते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं।

सुरक्षा परिषद् शान्तिमय तरीके से समझौते की सिफारिश कर सकती है और कुछ हालतों में वह समझौते की शर्तें भी निर्धारित कर सकती है।

जब शांति भंग होने की आशङ्का हो अथवा शांति भंग हो गई हो अथवा कोई आक्रमण हुआ हो, तो सुरक्षा परिषद्, सुरक्षा और शांति की पुनः स्थापना के लिए जरूरी कार्रवाई कर सकती है। वह आक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध यातायात, आर्थिक और कूटनीति सम्बन्ध विच्छेद करके कार्यवाही कर सकती है और यदि आवश्यकता हो, तो वायु, जल तथा स्थल सेनाओं का प्रयोग भी कर सकती है।

सुरक्षा परिषद् की माँग पर और विशेष समझौतों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सब सदस्य शांति तथा सुरक्षा कायम करने के लिए सैन्य बल देने के लिए वचनबद्ध हैं।

३. आर्थिक और सामाजिक परिषद्—इस परिषद् का उद्देश्य सत्तार में आर्थिक साधनों की प्रचुरता स्थापित करना एवं राष्ट्रों को न्यायमय बनाना है। यह संयुक्त राष्ट्रों की आर्थिक उन्नति के लिए कार्य करती है। इसके नीचे अनेक कमीशन काम करते हैं, जैसे खाद्य समिति, स्वास्थ्य समिति इत्यादि।

४. संरक्षण परिषद्—जो देश अमी स्वाधीन नहीं हुए हैं और राष्ट्रसंघ की देख-भाल में शामिल होते हैं, यह संस्था उनकी देख-भाल करती है।

५. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्तराष्ट्र का प्रधान न्यायालय है। इसका कार्य स्थान हालैण्ड स्थिति हेग नगर में है। इस न्यायालय के १५ न्यायाधीश होते हैं जो सुरक्षा परिषद् और साधारण सभा द्वारा पृथक् पृथक् रूप से निर्वाचित किये जाते हैं। भारत की ओर से श्री बी० एम० राव इस न्यायालय के सदस्य हैं।

हो रहा है। इन सभी घातों से आज जितने ही विचारक कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य की पूर्ति में असफल सिद्ध हुआ है।

परन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य की आलोचना करने वाले लोग चिन वा केवल एक पहलू ही देखते हैं। वह इस सस्था के उन कार्यों की ओर दृष्टिगत नहीं करते जो कार्य उसने अपने कुछ ही वर्षों के जीवन में कर दिये हैं। आलोचक भूल जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कारण ही शीत युद्ध तथा युद्ध में परिणत होने से बचा है। इसी सस्था के कारण मध्य पूर्व के देशों में इजराइल राज्य की स्थापना पर अधिक रक्तपात नहीं हुआ। इसी सस्था के प्रतिनिधियों के प्रशसनीय कार्य से हिंदेशिया के स्वतंत्र राष्ट्र का शांतिमय सम्भोजन के साथ जन्म हुआ। इसी सस्था के प्रयत्न से, काश्मीर के प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान के बीच 'युद्ध रोक' प्रस्ताव पास हुआ। इसी सस्था ने कारण दक्षिणी अफ्रीका की वर्णभेद नीति की सर्वत्र निन्दा की गई। इन्हीं के उतानिर्देशों को इसी सस्था के कारण सुरक्षा परिषद् के सुपुर्द किया गया। बर्लिन के प्रश्न पर भी इसी सस्था के प्रयत्नों के फलस्वरूप भीषण युद्ध होने से बाल बाल बचा, इसी सस्था के प्रधान सचिव श्री ट्रिग्गे ली द्वारा सभार में स्थायी शांति स्थापित करने के प्रयत्न विद्ये जा रहे हैं। इसी सस्था के द्वारा कारिया युद्ध बन्दी की घोषणा की गई और अब आशा है कि अंतर्राष्ट्रीय बचाव बहुत कम हो जायगा।

और इन सब बातों के अतिरिक्त वह कार्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायक सस्थाओं ने पिछले चार या पाँच वर्षों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया है, अद्वितीय है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ की अनेक सहायक संस्थाएँ जैसे W.H.O., U.N.A.C., I.L.O., I.T.O., I.C.O., International Bank, U.N.E.S.C.O. इत्यादि सभार की गीर्जित व प्रसन्न जनता का हर प्रकार की सहायता करने की कार्य में लगी हुई हैं। कोई सस्था सभार के रोगियों की सहायता करने में लगी हुई है तो कोई सभार के गरीब व अनाथ बच्चों की सेवा के कार्य में। कोई सस्था शरणार्थियों की देखभाल करती है, कोई सभारक रागों का फैलने से रोकती है, कोई सस्था तपे दक से बचाव के लिए बा० सी० जी० वैक्सिन बाँटती है, तो कोई लगभग से बचाव के लिए लोहे के फेरुडे। कोई सस्था सभार के पिछड़े हुए देशों की सहायता के लिए टर्फिनल सहायता का प्रबन्ध करती है, तो कोई उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है। कोई सस्था सभार के व्यापार का बढ़ाने के लिए काम करती है, तो कोई विभिन्न देशों का सम्मान प्रदान करने में सहायता देती है। कोई सभार के मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करती है, तो कोई समस्त मानव समाज व अधिकारों की धारणा करती है। कोई सस्था समाचार पत्रों का स्वतंत्रता कायम रखने के लिए नियम बनाती है या कोई विभिन्न देशों में वैज्ञानिक ज्ञान व प्रचार के लिए कानून बनाती है। इसी प्रकार और

भी अनेक अग्रणीत क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की विभिन्न सहायक समितियाँ कार्य कर रही हैं ।

यह सच है संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की सफलता का अन्तिम निर्णय उसके सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कार्य की दृष्टि से नहीं किया जायगा । उसका निर्णय इस बात से होगा कि वह सभ्या राजनीतिक क्षेत्र में सकार की शक्ति बनाये रखने में कहीं तक सफल सिद्ध होती है । आज राष्ट्रों की गतिविधि देखकर यह आशा बहुत कम है कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सकार में एक तीसरा प्रणयकारी युद्ध द्विजने से बचाव कर सकेगी । परन्तु यह निश्चित है कि यदि कोई शक्ति इस दशा में कार्य कर सकती है तथा इस युद्ध व मर को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर सकती है, तो वह शक्ति केवल संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की शक्ति है । आज यह सभ्या सकार के देशों को इस बात का अवसर प्रदान करता है कि वह अपने विवाद व समस्याएँ सकार के प्रतिनिधियों के सम्मुख रखें तथा लोक मत को अपने पक्ष में जीतने का प्रयत्न करें । यही एक अरसर युद्ध के मय को स्थगित करने में रामशय का काम देता है । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वह रङ्गमञ्च है जहाँ विश्व की शक्तिशाली शक्तियाँ सकार के सम्मुख खड़ी हैं । अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करने का अवसर प्राप्त करना—यही सकार की शक्ति कायम रखने के लिए सबसे शक्तिशाली उपाय है ।

संयुक्त राष्ट्र सघ का भविष्य

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के भविष्य के सम्बन्ध में इसलिये हमें अत्यन्त निराशात्मक दृष्टिकोण से विचार नहीं करना चाहिये । यदि हम सकार से विश्वशांति के पक्ष में एक जीवित और जागृत लक्ष्य का निर्माण करने में सफल हो सके, तो कोई कारण नहीं कि सकार में स्थानीय शक्ति स्थापित न हो सके ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सकार के प्रत्येक देश के संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए स्थान-स्थान पर सभ्याएँ खोली जाएँ, जनता को युद्ध के मयद्वार परिणामों से अवगत कराना जाय तथा उन्मत्त राष्ट्रीयता की भावना को स्थान-स्थान पर सकार की जनता में अन्तरराष्ट्रीयता के दृष्टिकोण का प्रचार किया जाय ।

भारतमें इस दशा में अत्यन्त प्रशसनीय कार्य कर रहा है । आज हमारे प्रधान मंत्री अरनी समस्त शक्ति से साथ इस सभ्या की सफलता के लिए कार्य कर रहे हैं । हमारे देश में अनेक स्थानों पर यू० एन० ओ० एसोसियेशन्स खोल दिये गये हैं । शेष स्थानों पर भी ऐसी सभ्याओं का एक जाल का विद्यने का प्रयत्न किया जा रहा है । समस्त देश की यू० एन० ओ० सभ्याओं के कार्य की देस मान के लिए एक अखिल भारतीय सभ्या बना दी गई है । यदि दूसरे देशों में भी वही प्रकार का कार्य

हो सका तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी आने वाली सततियों युद्ध के मय से सदा के लिए छुटकारा पा सकेंगी।

योग्यता प्रश्न

१. राष्ट्र सङ्घ क्या है? उसके विभिन्न अंगों का संगठन समझाइये।
 २. भारतवर्ष ने राष्ट्र संघ के कार्य में क्या योग दिया है?
 ३. संयुक्त राष्ट्र संघ ही संसार की दुःखी तथा युद्ध से भयभीत जनता की एक मात्र आशा है। इस कथन की सत्यता की परीक्षा कीजिये।
 ४. 'राष्ट्र सङ्घ लीग आफ नेशन्स के पथ पर जा रहा है,' क्या यह कथन सत्य है?
 ५. राष्ट्र सङ्घ के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम का विवेचन कीजिये।
-

परिशिष्ट १

अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले कुछ नवविमान सम्बन्धी शब्दों का हिन्दी अनुवाद

Accused	अनियुक्त
Act (n.)	प्रतिनिधन, कायल
Acting (e. g., Chairman)	कर्मकारी
Ad Hoc	तदर्थ
Adjourn	रुपगन, रुपगित् करन
Administration	प्रशासन, प्रबन्ध
Adult suffrage	बनरुष मत्राधिकार
Advise	मन्त्रणा देना
Agreement	छरार
Alien	अनन देशीन, विदेशी
Allocation	बँदग
Allo'tment	घाँट
Amendment	संशोधन
Annull	पारिक
Annulment	रद्द करना
Appeal	अर्पल
Appointment	निशुक्ति
Arbitration	मध्यम-निरर्ण
Arbitrator	मध्यस्थ
Article	त्रनुच्छेद
Assembly	सना
Assent	अनुमति
Association	सङ्घ
Attach	डुक्की
Audit	लेना परीक्षा

Auditor General	महालेखा परीक्षक
Autonomous	स्वायत्त
Bankruptcy	दिवाला
Bi-cameral	दो घरा, द्विमण्डलक
Boundary	सीमा
Bye election	उप निर्वाचन, उप चुनाव
Casting Vote	निर्णायक मत
Census	जन गणना
Certificate	प्रमाण पत्र
Chairman	समापति
Chief Justice	मुख्य न्यायाधिपति
Chief Minister	मुख्य मंत्री
Citizenship	नागरिकता
Civil	अधिनिक
Commonwealth	राष्ट्र मण्डल
Co operative	सहयोगात्मक राष्ट्र मण्डल
Commerce	वाणिज्य
Committee, Select	प्रार सभिति
Concurrent List	समन्वयी सूची
Constituency	निर्वाचन क्षेत्र
Confidence, want of	विश्वास का अभाव
Constituent Assembly.	सविमान सभा
Constitution	सविमान
Contingency Fund	आकस्मिकता निधि
Conviction	दोष सिद्धि
Co operative Society	सहकारी संस्था
Council of Ministers	मन्त्रि परिषद्
Council of States	राज्य
Court, Civil	व्यवहार-न्यायालय
Court, Criminal	दंड न्यायालय
Court, District	जिजा न्यायालय
Court, High	उच्च न्यायालय

Court, Martial	सेना न्यायालय
Court, Revenue	राजस्व न्यायालय
Court, Supreme	उच्चतम न्यायालय
Declaration	घोषणा
Deputy Chairman	उप-सभापति
Deputy Speaker	उप-सभ्य
Discretion	स्वविवेक
District Board	डिस्ट्रिक्ट मन्डली
Domicile	अधिवास
Duty, custom	सेना शुल्क
Duty, death	मरण शुल्क
Duty, estate	सन्धि शुल्क
Duty, excise	उत्पादन शुल्क
Duty, import	आयात शुल्क
Duty, export	निर्यात शुल्क
Efficiency of adm.	प्रशासन कार्यक्षमता
Election	निर्वाचन, चुनाव
Election direct	प्रत्यक्ष निर्वाचन
Election, general	सार्वभौम निर्वाचन, आम चुनाव
Election, indirect	परोक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष चुनाव
Electoral, roll	निर्वाचक नामावली
Eligible	पात्र होना
Escheat	राजगामी
Exempt	मुक्त
Ex-officio	पदेन
Expenditure	व्यय
Federal, Court	फेडरल न्यायालय
Gazette	सूचना-पत्र
Government	(१) सरकार, (२) शासन
Government of State	राज्य सरकार
Government of India	भारत सरकार
Governor	राज्यपाल

House of People

Impeachment

Judiciary

Labour

Labour Union

Land Revenue

Law

Legislative Assembly

Legislative Council

Legislature

Legalism

Lieutenant Governor

List

List, concurrent

List, state

List, Union

Local Government

Local Self Government

Lower House

Major

Majority

Minor

Minority

Motion for consideration

Municipal area

Municipal Committee

Municipal Corporation

Municipality

Naturalisation

Parliament

President

Prison

लोक सभा

महाभियोग, सार्वजनिक दोषारोपण

न्याय पालिका

धर्म

धार्मिक सङ्घ

भू राजस्व

विधि, कानून

विधान सभा

विधान परिषद्

विधान मण्डल

कानूनीयन

उपराजपाल

सूची

समवर्ती सूची

राज्य सूची

सङ्घ सूची

स्थानीय शासन

स्थानीय स्वशासन

प्रथम सदन, निम्न भवन

व्ययस्क

बहुमत

अव्ययस्क

अल्प संख्यक वर्ग

विचारार्थ प्रस्ताव

नगर क्षेत्र

नगर समिति

नगर निगम

नगरपालिका

देशीयकरण

संसद्

राष्ट्रपति

क्रायावास

Proclamation	घोषणा
Quorum	गणपूर्ति
Reading, first	प्रथम पठन
Reading, second	द्वितीय पठन
Reading, third	तृतीय पठन
Resignation	पद त्याग
Rigidity	जडइबन्दी
Rule	नियम
Single Transferable Vote	एकल संक्रमणीय मत
Tax, Income	आय कर
Tax, Terminal	सीमा कर
Tax, Export	निर्यात कर
Vice-President	उपसभपति

परिशिष्ट २

भारत की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल (१९५१ की जनगणना के आधार पर)

भारत का क्षेत्रफल—१२,२१,०६४ वर्गमील
जनसंख्या—३६,१८,२०,०००

राज्य	क्षेत्रफल (वर्गमील में)	जनसंख्या
आसाम	५४,०६४	६,१२६,४४२
बिहार	७०,१६८	४०,२१८,६१६
बम्बई	११५,५७०	१५,६५१,५५६
मध्य प्रदेश	१३०,२२३	११,३२७,८१८
मद्रास	१२७,७६८	५६,६५४,३३२
उड़ीसा	५६,८६६	१४,६४४,२६३
पंजाब	३७,४२८	१२,६३८,६११
उत्तर प्रदेश	११२,५२३	६३,२५४,११८
पश्चिमी बंगाल	२६,४७६	२४,७८६,६८३
कुल योग अथवा भाग	<u>७३७,४०६</u>	<u>२७८,८६५,८५२</u>
	भाग बी राज्य	
हैदराबाद	८२,३१३	१८,६५२,६६४
मध्य भारत	४६,७१०	७,६४१,६४२
मैसूर	४६,५५८	६,०७१,६७८
पैयू	१०,०६६	३,४६८,६३१
राजस्थान	१२८,४२४	१५,२६७,६७६
छोटाछा	२१,०६२	४,१३६,००५
द्राक्वणकोर-कोचीन	६,१५५	६,२६५,१५७
कुल योग बी भाग	<u>३२७,२२१</u>	<u>६७,८३४,०५६</u>

(३७२)

भाग सी राज्य		
अजमेर	२,४१५	६६२,५०६
भागल	६,६११	८२८,१०७
बिलासपुर	४४३	१२७,५६६
दुर्ग	१,५६३	२१६,०५५
दिल्ली	५७४	१,७४३,६६२
हिमाचल प्रदेश	१०,६००	६८६,४३७
काठ	८,४६१	५६७,८२५
मनापुर	८,६२०	५१६,०५८
निपुरा	४,०४६	६४६,६३०
विन्ध्य प्रदेश	२४,६००	३,५७७,४३१
कुल जोड़ सी राज्य	<u>६८,२६६</u>	<u>६,६६५,१०७</u>
भाग डी राज्य		
अबेमान निकोबर	३,१४३	३०,६६३
सिक्किम	२,७४५	१२५,६४६
कुल जोड़ डी राज्य	<u>५,८८८</u>	<u>१६६,६०९</u>